पंचदश माला, खंड 24, अंक 15

मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012
4 वैशाख, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept. 2014

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं · दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूर संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, सा ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निर्ज गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए औ सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

[पंचदश माला, खंड 24, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012/4 वैशाख, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
फिनलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261	4-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 262 और 280	8-144
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	144-992
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
भारत द्वारा अग्नि-पांच प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	991-992
सभा पटल पर रखे गए पत्र	992-994
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
51वें से 55वां प्रतिवेदन	995
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
12वां प्रतिवेदन	995
जलदस्युता विधेयक, 2012	996
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जिलाधिकारी के कथित अपहरण के बारे में	997-1001
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) सैफ्टी माचिस और मैच स्किलेटस को फोकस उत्पाद स्कीम से विशेष फोकस उत्पाद स्कीम में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	1001-1002
(दो) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए कानून का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	1002-1003

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से होते हुए आनंद नगर और घुघुली के बीच नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 1003

(चार) लक्षद्वीप की इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप स्टेट आर्म्ड फोर्स के रूप में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्ला सईद 1004

(पांच) केरल को मिट्टी के तेल का मासिक कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 1004-1005

(छह) राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 1005-1006

(सात) बिहार के नवादा जिले के रजौली में परमाणवीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 1006

(आठ) गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक 1006-1007

(नौ) उत्तर प्रदेश के हरदोई से लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, शाहाबाद और संदीला तक मेमु ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 1007

(दस) उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बरहज और मऊ के बीच घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 1008

(ग्यारह) बिहार के हाजीपुर से रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र को कोलकाता ले जाने संबंधी प्रस्तावित कदम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रंजन प्रसाद यादव 1008-1009

(बारह) तमिलनाडु के धर्मपुरी स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने तथा साथ ही इस विद्यालय का उच्चतर-माध्यमिक स्तर के विद्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 1009-1010

(तेरह) केरल में श्री नारायण गुरू द्वारा स्थापित मठ में 'शारदा प्रतिष्ठा' की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत 1010

(चौदह) ओडिशा राज्य सरकार को राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर भद्रक और चंडीखोले के बीच के राजमार्गों की मरम्मत कराने के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन चरण सेठी 1010-1011

(पंद्रह) कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत वृद्ध पेंशन-भोगियों को दी जा रही पेंशन में संशोधन किये जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 1011

सभा की सेवा से सदस्यों के निलंबन के बारे में 1012-1014

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1015-1016

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1016-1028

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1029-1030

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1029-1032

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012/4 वैशाख, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

फिनलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, फिनलैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर, महामहिम श्री ईरो हिनालूओमा और फिनलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का, जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वे सोमवार, 23 अप्रैल, 2012 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से फिनलैंड के महामहिम राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, सरकार और मित्रजनों का अभिनन्दन करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों, श्री दिनेश प्रताप सिंह और श्री एन.के.पी. साल्वे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री दिनेश प्रताप सिंह 1952 से 1962 तक पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रमशः बहराईच (पूर्व) और गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री दिनेश प्रताप सिंह ने समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में गहरी रुचि ली और खादी के प्रचार के लिए अथक प्रयत्न किए। उन्होंने अनेक शैक्षणिक और अन्य सामाजिक संस्थाओं की नींव रखी।

श्री दिनेश प्रताप सिंह का निधन 85 वर्ष की आयु में 17 फरवरी, 2012 को लखनऊ में हुआ।

श्री एन.के.पी. साल्वे 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के बैतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिधित्व किया। वह 1978 और 2002 तक चार बार लगातार राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

एक प्रख्यात सांसद श्री साल्वे ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य और सभापति के रूप में कार्य किया। श्री साल्वे 1982 से 1983 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; 1983 से 1984 तक इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री; 1984 से 1990 तक संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और जनवरी 1993 से मई 1996 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विद्युत मंत्री रहे। उन्होंने कैबिनेट रैंक के साथ नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री साल्वे कई सालों तक क्रिकेट प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेजीडेंट और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। भारत की प्रतिष्ठित 'चैलेंजर ट्राफी' का नामकरण उनके नाम पर किया गया।

श्री साल्वे ने अनेक देशों का भ्रमण किया। "पीस इन ओशियन" विषय पर 1970 में माल्टा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

श्री एन.के.पी. साल्वे का निधन 90 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल, 2012 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव अचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने शून्य काल को निलंबित करने की सूचना दी है *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: वह मुझे मिल गया है। मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*......

अध्यक्ष महोदया: मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं रद्द करती हूं।

...*(व्यवधान)*......

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को निरस्त कर दिया है। मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया: श्री तम्बिदुरई जी मुझे आपकी सूचना मिल गई है। मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री जसवंत सिंह जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं अपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगी।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया: श्री जसवंत सिंह जी आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*...

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): महोदया, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*...

*कार्यावाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मुझे अपकी सूचना मिल गयी है। मैं आपका शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगी। धन्यवाद

...*(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महदया: आप सभी अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। इतने दिन बाद लोक सभा रही है। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा

...*(व्यवधान)*...*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 261, श्री भरत राम मेघवाल, श्री हरिभाऊ जावले उपस्थित है।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन और खपत

*261. **+श्री हरिभाऊ जावले:**

श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चीनी का कितना भंडार है और वर्ष 2011-12 के दौरान इसका अनुमानत: कितना उत्पादन होगा तथा वर्ष 2012-13 के दौरान इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

*कार्यावाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में चीनी की अनुमानतः कितनी खपत होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान चीनी के निर्यात के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और वर्ष 2012-13 के दौरान कितनी मात्रा के निर्यात का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या विभिन्न पक्षों से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31.3.2012 के अनुसार देश में चीनी मिलों के पास उपलब्ध चीनी का स्टाक अतंतिम रूप से लगभग 174 लाख टन होने का अनुमान है। 2011-12 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी का उत्पादन अनंतिम रूप से लगभग 252 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि अगले चीनी मौसम के लिए गन्ने का रोपण चल रहा है इसलिए 2012-13 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन का अनुमान लगाना अभी शीघ्रता करना होगा।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान देश में चीनी की घरेलू खपत अनंतिम रूप से 220 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 10 लाख टन की दो खेपों में 20 लाख टन और अन्य स्कीमों के तहत 1.53 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति पहले से ही दे दी है। सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 10 लाख टन और चीनी के निर्यात करने का निर्णय लिया है जिसका परिचालन अभी किया जाना है। डी.जी.सी.आई.एंड.एस. कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन चीनी मौसमों अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा क्रमशः 2.165 लाख टन, 2.371 लाख टन और 28.14 लाख टन थी। चूंकि सरकार ने चीनी मौसम 2012-13 के लिए चीनी उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया है इसलिए आगामी मौसम में चीनी का संभावित निर्यात दर्शा पाना संभव नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले: अध्यक्ष महोदया, कृषि उत्पाद की आयात-निर्यात नीति से देश के किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।...(*व्यवधान*)... अध्यक्ष महोदया, इस सरकार की कृषि उत्पाद की आयात-निर्यात की गलत नीति से अब तक किसानों को कई करोड़ रुपये का घाटा सहन करना पड़ा है। कपास में ऐसा ही हुआ है। जब किसानों के घर में कपास का उत्पाद आ गया तब सरकार ने कपास का निर्यात बंद कर दिया और जब किसानों के घर से कपास निकल गया तब सरकार ने कपास का निर्यात शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदया, ऐसा ही चीनी के बारे में हो रहा है। चीनी के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है, अपने उत्तर में कहा है कि इस साल 292 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होने वाला है।...(*व्यवधान*)... अध्यक्ष महोदया यह क्या चल रहा है?...(*व्यवधान*)...

अध्यक्ष महोदया: कृपया, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(*व्यवधान*)...

श्री हरिभाऊ जावले: अगर हमारे प्रश्न को न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम क्या पूछेंगे। आप इन्हें एक घंटे रुकने के लिए बोलिए।...(*व्यवधान*)...

अध्यक्ष महोदया: कृपया, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(*व्यवधान*)...

श्री हरिभाऊ जावले: अध्यक्ष महोदया, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने दस लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने का जो निर्णय लिया है उसे वह कितने समय में एक्सपोर्ट करेंगे? चीनी निर्यात करने के बारे में टाइम बाउंड कार्यक्रम नहीं होने से चीनी उत्पादक व्यापारियों एवं गन्ना उत्पादक किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चीनी का पूरा निर्यात करने के लिए और चीनी का जल्द से जल्द निर्यात

करने में सरकार कितना समय लेगी? चीनी पर जो नियंत्रण लगा है क्या वह नियंत्रण हटाया जाएगा? ...(*व्यवधान*)...

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

...(*व्यवधान*)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(*व्यवधान*)...

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, इस वर्ष का हमारा उत्पादन अनुमान 252 लाख टन है। हमारा आंतरिक उपयोग लगभग 220 लाख टन है। वर्ष 2011-12 में, ओ.जी.एल. IV के तहत लगभग 10 लाख टन और ओ.जी.एल. V के तहत आगे ओर 10 लाख टन निर्यात की अनुमति दी गई है।

ई.जी.ओ.एम. ने ओ.जी.एल. VI का अनुमोदन किया है, और V जिससे आगे 10 लाख टन और निर्यात किया जाएगा। ओ.जी.एल. IV और V के तहत लगभग 20 लाख टन मौजूदा नियमों के अनुसार निर्यात किया गया अंतिम ओ.जी.एल. VI के अनुसार निर्यात किया गया। अंतिम ओ.जी.एल. VI निर्यात ई.जी.ओ.एम. द्वारा निर्धारित किये जाने वाले नियमों के अनुसार होगा। ...(*व्यवधान*)...

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)...

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सभी बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया वापस जाइये।

...(*व्यवधान*)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप खड़े मत होइए। आप सभी बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)...*

अध्यक्ष महोदया: कृपया वापस जाएं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

*262. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में नए खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/स्कीम बनाई है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में ऐसे एकक स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सहायता/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में अपने स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित नहीं करता है। परन्तु खाद्य

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। स्कीम के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत निधियां राज्यवार अथवा यूनिटवार आबंटित नहीं की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां महोदया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हेतु खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर गठित कार्यसमूह ने वर्ष 2012-13 से एक केंद्र प्रायोजित नई स्कीम - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन.एम.एफ.पी.) शुरू करने की सिफारिश की है। सरकार ने इस स्कीम के लिए तैयारी कार्यकलाप शुरू करने हेतु राज्य सरकारों के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन दिया है और इस प्रयोजन हेतु 51 करोड़ रुपए जारी करने का भी अनुमोदन दिया है।

(घ) एन.एम.एफ.पी. की मुख्य-मुख्य बातें हैं - (i) आगामी अपेक्षित विकास प्रगति तथा क्षेत्र के लिए मूल्यवृद्धि के अनुरूप मंत्रालय की अगला लक्ष्य प्राप्त करना, (ii) विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण (iii) राज्य/संघराज्य क्षेत्रों की अधिक भूमिका, (iv) बेहतर आउटरीच और (v) प्रभावी पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग। एन.एम.एफ.पी. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु लाभभोगियों, परियोजना स्थलों आदि के चयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को लचीलापन भी प्रदान करेगा।

(ङ) वर्ष 2012-13 में एन.एम.एफ.पी. स्कीम में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए ऊपर पैरा (क) में यथावर्णित 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के पैटर्न पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त और वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या**

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73
14.	झारखण्ड	2	9.09	0	0	3	44.09
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11
22.	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4
24.	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	27325.46
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63
31.	उत्तराखण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11		2011-12	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	562.096	105	1904.72628
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	66.420	0	0
4.	असम	26	875.701	12	242.77822
5.	बिहार	6	136.681	5	89.65674
6.	चंडीगढ़	1	25.000	0	0
7.	छत्तीसगढ़	27	297.574	75	841.82756
8.	दिल्ली	3	82.600	16	410.68
9.	गोवा	1	25.00	2	50.00
10.	गुजरात	52	1419.72	106	1975.03353
11.	हरियाणा	14	325.280	62	828.2817
12.	हिमाचल प्रदेश	7	204.530	14	377.51
13.	जम्मू और कश्मीर	5	89.095	6	98.42
14.	झारखण्ड	4	85.425	1	16.57
15.	कर्नाटक	14	377.790	61	896.29261
16.	केरल	19	411.72	52	901.285
17.	मध्य प्रदेश	14	211.294	23	376.54125
18.	महाराष्ट्र	56	1006.524	202	2824.15216
19.	मणिपुर	1	23.975	11	189.71817
20.	मेघालय	2	100.045	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0	0
22.	नागालैण्ड	1	6.205	0	0

1	2	9	10	11	12
23.	ओडिशा	8	200.875	9	113.59075
24.	पुडुचेरी	0	0	1	25
25.	पंजाब	9	149.495	147	1692.90175
26.	राजस्थान	48	691.123	95	1236.56315
27.	सिक्किम	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	24	493.582	75	1389.79015
29.	त्रिपुरा	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	47	1078.638	53	907.05132
31.	उत्तराखण्ड	6	168.523	5	138.04695
32.	पश्चिम बंगाल	10	317.945	19	319.87
	कुल	437	9432.862	1157	17846.28729

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एच.डी.एफ.सी. बैंक के समन्वयाधीन हैं।

[अनुवाद]

युवाओं के विकास हेतु योजनाएं

*263. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युवाओं के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में युवाओं के विकास और प्रोत्साहनार्थ तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का है, ताकि इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या कमियां पाई गई हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) युवाओं के विकास के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:-

(i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.)

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

(iii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर.जी.एन.आई.वाई.डी.)

(iv) राष्ट्रीय युवा कोर (एन.वाई.सी.)

(v) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एन.पी.वाई.ए.डी.)

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन स्कीमों/कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) जी हां। युवाओं को नई चुनौतियों का सामने करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने देश में युवाओं

के विकास और प्रगति के लिए निर्धारित स्कीमों/कार्यक्रमों की हाल ही में समीक्षा की है ताकि उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके। युवाओं की आबादी संबंधी बदलती आंकड़ों तथा, उनकी आवश्यकताओं के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय मूल्यों, सामाजिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, युवाओं के सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन शैली, खेल और मनोरंजन सुविधाओं, लिंग और समानता को बढ़ावा देने, समुदाय सेवा में भागीदारी, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को तैयार करने, पर्यावरण और इसके संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विशेष बल देते हुए नई युवा नीति का प्रारूप तैयार किया हैं। नई युवा नीति को सभी राज्य सरकारों को उनसे टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए परिचालित कर दिया गया है और मंत्रालय की वेबसाईट पर डाल दिया गया है।

(ग) और (घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के समग्र प्रबंधन का अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), अहमदाबाद द्वारा किया गया। इसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई जैसे एन.वाई.के.एस. कार्यक्रमों का पुनर्गठन युवाओं के सशक्तिकरण और विकास पर एन.वाई.के.एस. प्रभाव, सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन और अन्य मंत्रालयों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों आदि की स्कीमों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय। सरकार ने इन सिफारिशों को लागू किया है और इस प्रकार युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, अंचल कार्यालयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है, देश के 200 सीमावर्ती जनजातीय/पहाड़ी जिलों में लड़कियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस.यू.टी.पी.) लागू किया है, युवा विकास और सशक्तिकरण पर जीवन कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सदभाव पर विभिन्न विषयों पर संशोधित प्रशिक्षण नियम पुस्तिकाएं तैयार की है और स्वयंसेवकों को दिए जा रहे मानदेय को 1000 रु. में बढ़ाकर 2500 रु. किया है।

इसके अलावा टाटा इंस्टिट्यूट और सोशल साइंसिस (टी.आई.एस.एस.) द्वारा एन.एस.एस. के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन में विशिष्ट लक्ष्य विभिन्न जोनों में एन.एस.एस. के मौजूदा कार्यकलापों की योजना और कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा इसके प्रभाव और स्थायित्व का मूल्यांकन करना, विभिन्न स्तरों पर मौजूदा प्रशासनिक और वित्तीय कार्यावधि के ढांचे और कार्यप्रणाली की जांच करना तथा पुनर्संरचना का सुझाव देना और विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों में एन.एस.एस. अधिकारियों के दिए गए प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना तथा एन.एस.एस. के सतत विकास हेतु जरूरी अभिप्रेरक कारकों का पता लगाना था। रिपोर्ट में पायी गई मुख्य कमियां हैं: एन.एस.एस. कार्यकलापों के लिए अपर्याप्त वित्तीय आबंटन, अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवकों में प्रेरणा का अभाव, जरूरी कार्यकलापों में त्रुटि, राज्य संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति न करना तथा स्कीम के लिए नियमित कार्यक्रम सलाहकार की कमी। पहले ही किए गए उपचारात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम के अंतर्गत लागत मानकों में वृद्धि करना, कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार, स्वयंसेवकों के लिए नये साहसिक के पद के लिए भर्ती नियम बनाना शामिल है। प्रमुख क्षेत्रों यथा पर्यावरण, साक्षरता, आपदा प्रबंधन, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विकास और कौशल विकास का पता लगाकर नियमित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण-I

परिव्यय/व्यय का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

योजना का नाम	2009-2010		2010-2011		2011-2012		2012-2013	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.)	127.83	127.83	123.31	121.24	133.97	133.67	134.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	59.27	59.27	66.86	66.86	57.80	57.80	86.87	-
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	9.10	9.10	9.90	9.90	21.91	21.91	20.90	-
राष्ट्रीय युवा कोर (एन.वाई.सी)	-	-	52.25	45.98	58.00	49.42	63.50	-
राष्ट्रीय युवा तथा किशोर विकास कार्यक्रम	24.50	22.70	27.68	26.38	23.00	22.34	23.00	-

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के अंतर्गत की गई राज्यवार आवंटित निधियों और व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2009-2010				2010-2011			
	एन.वाई.के.एस.		एन.एस.एस.		एन.वाई.के.एस.		एन.एस.एस.	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	153	145	03	03	132	124	05	05
आन्ध्र प्रदेश	715	727	692	692	836	795	677	677
अरुणाचल प्रदेश	155	187	20	20	141	141	18	18
असम	731	691	81	81	691	692	00	00
बिहार	1119	1111	103	103	1189	1154	119	119
चंडीगढ़	60	50	31	31	39	35	47	47
छत्तीसगढ़	268	254	164	164	311	312	189	189
दादरा और नागर हपेली	29	27	02	02	25	22	04	04
दमण और द्वीव	48	44	03	03	48	42	05	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	94	99	00	00	96	86	00	00
गोवा	62	58	53	53	53	52	60	60
गुजरात	588	555	291	291	580	521	446	446
हरियाणा	492	489	190	190	498	457	219	219
हिमाचल प्रदेश	371	401	215	215	390	335	149	149
जम्मू और कश्मीर	413	545	99	99	479	418	00	00
झारखंड	519	482	00	00	531	502	00	00
कर्नाटक	560	560	477	477	617	560	332	332
केरल	416	403	284	284	469	423	367	367
लक्षद्वीप	30	29	03	03	25	24	05	05
मध्य प्रदेश	1172	1131	238	238	1162	1138	274	274
महाराष्ट्र	944	922	561	561	1007	998	804	804
मणिपुर	280	278	00	00	259	258	00	00
मेघालय	161	189	49	49	153	151	59	59
मिजोरम	103	99	69	69	102	102	82	82
नागालैंड	255	249	21	21	209	209	25	25
ओडिशा	508	498	179	179	539	534	167	167
पुडुचेरी	87	85	12	12	89	83	39	39
पंजाब	451	435	203	203	524	477	312	312
राजस्थान	894	876	318	318	943	842	365	365
सिक्किम	141	121	38	38	128	129	33	33
तमिलनाडु	902	885	569	569	977	927	927	927
त्रिपुरा	117	107	69	69	108	108	82	82
उत्तर प्रदेश	1731	1763	553	553	1834	1862	553	553
उत्तराखंड	280	280	168	168	283	293	120	120
पश्चिम बंगाल	766	756	169	169	817	812	202	202

(लाख रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2011-2012			
	एन.वाई.के.एस.		एन.एस.एस.	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	10	11	12	13
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	178	173	05	05
आन्ध्र प्रदेश	844	793	688	688
अरुणाचल प्रदेश	152	139	37	37
असम	806	759	96	96
बिहार	1274	1209	90	90
चंडीगढ़	33	29	47	47
छत्तीसगढ़	315	295	162	162
दादरा और नागर हवेली	33	29	04	04
दमन और द्वीव	62	57	05	05
दिल्ली	104	91	00	00
गोवा	64	60	48	48
गुजरात	645	601	267	267
हरियाणा	538	500	169	169
हिमाचल प्रदेश	400	371	154	154
जम्मू और कश्मीर	490	456	89	89
झारखंड	582	546	80	80
कर्नाटक	678	630	446	446
केरल	492	458	282	282
लक्षद्वीप	30	29	05	05
मध्य प्रदेश	1337	1255	225	225
महाराष्ट्र	1038	966	520	520
मणिपुर	302	279	43	43

1	10	11	12	13
मेघालय	170	156	50	50
मिजोरम	107	97	82	82
नागालैंड	238	223	19	19
ओडिशा	608	570	168	168
पुडुचेरी	125	118	33	33
पंजाब	534	503	241	241
राजस्थान	1011	939	302	302
सिक्किम	134	124	33	33
तमिलनाडु	1049	987	606	606
त्रिपुरा	110	100	62	62
उत्तर प्रदेश	1982	1865	416	416
उत्तराखंड	304	284	164	164
पश्चिम बंगाल	870	814	152	152

बीजों की गुणवत्ता

*264. **श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान बीजों की कितनी मांग थी तथा सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा किसानों को राज्य-वार कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध कराए गए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को चालू फसल मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों से किसानों को नकली/घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) देश में किसानों की गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सरकार और निजी एजेंसियां द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का राज्य-वार आवश्यकता और गुणवत्ता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 2011-12 में वर्तमान फसल मौसम के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग को घटिया/नकली बीजों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका ब्यौरा की गई कार्रवाई के साथ संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) देश में प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन 2005-06 के 140.51 लाख क्विंटल से बढ़कर 2011-12 में 353.62 लाख क्विंटल हो गया है। गुणवत्ताप्रद बीजों का पर्याप्त उत्पादन और देश के किसानों को उनकी उपलब्धता तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित

कर रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण" के अधीन सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र में बीज अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से फार्म पर बचाए गए बीच की गुणवत्ता अपग्रेड करने, संकर बीजों के उत्पादन व वितरण, आकस्मिक स्थितियों में बीज उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए बीज बैंक की स्थापना किए जाने, बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न फसल विकास कार्यक्रम/स्कीमों अर्थात: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), समेकित तिलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम), बृहद् कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.), कपास प्रौद्योगिकी मिशन, पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित मेगा बीज परियोजना के अधीन उत्पादन व वितरण राजसहायता सहित बीज संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, गुणवत्ताप्रद/प्रमाणित बीजों की मांग व आपूर्ति का ध्यान रखने के लिए, प्रत्येक वर्ष के खरीफ व रबी मौसम से पहले राज्यों के साथ अंचलीय बैठकें की जाती हैं, जिनमें राज्यों और विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों के बीच बीज-आपूर्ति एवं वितरण हेतु टाई-अप को सरल बनाया जाता है।

विवरण-I

2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान बीजों की राज्य-वार आवश्यकता एवं उपलब्धता

(लाख क्विंटल में)

राज्य	2009-10				2010-11			
		उपलब्धता				उपलब्धता		
	आवश्यकता	सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल	आवश्यकता	सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	39.27	23.09	20.91	44.00	44.01	40.59	14.43	55.02
अरूणाचल प्रदेश	0.12	0.09	0.03	0.12	0.11	0.11	0.00	0.11
असम	4.82	2.60	2.22	4.82	7.05	2.00	5.05	7.05
बिहार	11.83	8.63	4.03	12.66	13.13	7.07	6.61	13.68
छत्तीसगढ़	4.28	4.27	0.00	4.28	5.07	5.45	0.56	6.01
गोवा	0.03	0.03	0.00	0.03	0.05	0.05	0.00	0.05
गुजरात	7.90	2.62	6.61	9.23	8.11	2.65	6.56	9.20
हरियाणा	8.53	11.58	1.87	13.45	11.35	3.54	10.56	14.10
हिमाचल प्रदेश	1.38	0.78	0.59	1.38	2.28	1.59	0.77	2.37
झारखंड	2.49	2.09	0.00	2.09	3.39	2.46	2.78	5.25
जम्मू और कश्मीर	0.70	0.67	0.04	0.71	1.14	0.91	0.23	1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्णाटक	10.36	7.29	4.63	11.92	11.04	10.99	4.32	15.30
केरल	1.20	1.24	0.00	1.24	1.20	1.32	0.00	1.32
मध्य प्रदेश	17.63	11.78	13.77	25.55	23.52	13.61	17.47	31.08
मेघालय	0.13	0.13	0.01	0.13	0.15	0.14	0.01	0.15
महाराष्ट्र	25.31	21.93	4.88	26.81	27.04	12.84	14.93	27.78
मणिपुर	0.45	0.45	0.00	0.45	0.13	0.13	0.00	0.13
मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03
नागालैंड	0.09	0.07	0.03	0.09	0.19	0.19	0.00	0.19
ओडिशा	6.48	6.64	0.00	6.64	6.86	7.64	0.00	7.64
पुडुचेरी	0.11	0.12	0.00	0.12	0.11	0.11	0.00	0.11
पंजाब	14.28	5.82	9.47	15.29	13.28	2.00	13.18	15.18
राजस्थान	19.36	10.63	9.82	20.45	18.42	9.63	9.62	19.25
सिक्किम	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
तमिलनाडु	11.15	3.79	10.75	14.54	5.93	3.29	6.71	10.00
त्रिपुरा	0.22	0.27	0.00	0.27	0.27	0.29	0.01	0.31
उत्तरांचल	1.69	1.66	0.00	1.67	1.00	0.98	0.03	1.01
उत्तर प्रदेश	42.70	34.23	8.83	45.11	55.25	21.88	24.74	46.63
पश्चिम बंगाल	16.49	8.22	8.37	16.60	30.88	13.86	17.33	31.19
कुल	249.12	170.80	108,92	279.72	290.76	165.44	155.92	321.36

(लाख क्विंटल में)

राज्य	20011-12			
	आवश्यकतां	उपलब्धता		
		सरकारी एजेंसियां	निजी	कुल
1	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	48.04	47.32	22.19	69.51
अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.12	0.00	0.12

1	10	11	12	13
असम	9.61	4.27	5.34	9.61
बिहार	15.80	8.11	8.95	17.06
छत्तीसगढ़	6.27	4.81	1.20	6.01
गोवा	0.05	0.05	0.00	0.05
गुजरात	13.76	3.32	10.82	14.14
हरियाणा	10.85	4.34	11.27	15.61
हिमाचल प्रदेश	1.64	1.44	0.20	1.64
झारखंड	5.65	1.01	0.00	1.01
जम्मू और कश्मीर	1.16	0.97	0.31	1.28
कर्नाटक	11.60	8.36	5.11	13.48
केरल	1.20	1.09	0.00	1.09
मध्य प्रदेश	29.16	18.91	14.21	33.12
मेघालय	0.18	0.16	0.02	0.18
महाराष्ट्र	27.30	13.84	15.76	29.60
मणिपुर	0.16	0.16	0.00	0.16
मिजोरम	0.01	0.01	0.00	0.01
नागालैंड	1.41	0.47	0.00	0.47
ओडिशा	8.35	6.24	0.00	6.24
पुडुचेरी	0.11	0.11	0.00	0.11
पंजाब	13.59	2.52	15.30	17.82
राजस्थान	20.42	12.95	12.04	24.99
सिक्किम	0.06	0.06	0.00	0.06
तमिलनाडु	5.51	2.96	5.72	8.69
त्रिपुरा	0.24	0.25	0.00	0.25

1	10	11	12	13
उत्तरांचल	1.08	0.97	0.00	0.97
उत्तर प्रदेश	61.95	23.13	27.89	51.02
पश्चिम बंगाल	35.13	12.68	16.63	29.31
कुल	330.41	180.66	172.96	353.62

विवरण-II

वर्ष 2011-2012 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त नकली/घाटिया बीजों की शिकायतों का ब्यौरा और इस प्रकार की शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	शिकायतों का विवरण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	केरल	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि. द्वारा केरल के अलापुज्जा जिले में कुट्टानाड में किसानों को वितरित बीजों के कम अंकुरण और अधिक कुट्टी धान के संबंध में अपर-कुट्टानाड धान किसान समिति, थिरूवल्ला, केरल के अध्यक्ष श्री सैनएप्पन की शिकायत।	शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमि. (एन.एस.सी.) ने केरल के कुट्टानाड जिले का दौरा किया और इस मामले पर रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में यह पाया गया कि एन.एस.सी. द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों में कीट क्षति और कुट्टी बीज की उपस्थिति थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कीट प्रभावित बीज मात्रा को एन.एस.सी. ने संबंधित किसानों को नए बीज देकर प्रतिस्थापित कर दिया है।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के धूले जिले के चार किसानों ने अल्टेरनेरिया लीफ ब्लाइट रोग से गंभीर रूप से ग्रसित होने के चलते बीटी कपास संकर "सरपास 1037" बीजी II में उत्पादन हानि से संबंधित शिकायत की थी। इस संकर बीज का बायर बायो साईंस प्रा.लि. द्वारा उत्पादन और विपणन किया जाता था।	शिकायत की जांच जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा की गई थी और निदेशक आदान एवं गुणवत्ता नियंत्रण को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि अल्टेरनेरिया लीफ ब्लाइट रोग के चलते 164 किसानों को नुकसान हुआ। रिपोर्ट के आधार पर निदेशक, आदान एवं गुणवत्ता नियंत्रण, महाराष्ट्र सरकार ने बायर बायो साईंस प्रा. लिमि. को प्रभावित किसानों के 44,77,672 रुपए की धनराशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मामले को कंपनी द्वारा चुनौती दी गई है और यह मुम्बई, उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।
3.	महाराष्ट्र	सोयाबीन बीजों के अंकुरण समस्या के संबंध में खानदेश मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के किसानों से शिकायतें प्राप्त कीं।	ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा शिकायतों का सत्यापन कराया गया था और जिला कृषि अधीक्षता में जिला स्तरीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिला स्तरीय समिति ने बीज कंपनी को मामले के आधार पर हानि की

1	2	3	4
			प्रतिपूर्ति करने की सलाह दी थी। तदनुसार प्रभावित किसानों को 2.02 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। सोयाबीन बीजों के अंकुरण नहीं होने पर कंपनियों/डिलरों के खिलाफ 76 न्यायिक मामले शुरू किए गए हैं। दो कंपनियों जिन्होंने बिना लाइसेंस के सोयाबीन बीज बेचा था, के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किए गए हैं। 68 सोयाबीन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के 108 किसानों ने अल्टेरनेरिया लीफ ब्लाइट रोग और सफेद कीट से ग्रसित होने के चलते बीटी कपास संकर "सरपास 1037" बीजी II में पैदावार हानि की शिकायतें की हैं। इस संकर बीज का बायर बायो साईंस प्रा. लिमि. द्वारा उत्पादन और विपणन किया जाता था।	राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक टीम का गठन किया जिसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शामिल थे और तत्पश्चात किसानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अलग से याचिका फाईल करने के लिए कहा गया। प्रभावित किसानों ने जिला उपभोक्ता फोरम खरगोन में 520 मामले फाईल किए हैं और फोरम द्वारा किसानों के हित में 15,500/ रुपए प्रति पैकेट बीटी कपास बीज हेतु राहत का आदेश देते हुए किसानों के हक में 331 मामलों को निपटाया। बायर बायो साईंस प्रा.लि. ने राज्य उपभोक्ता फोरम में इस आदेश के खिलाफ अपील की है।

कृषि उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

*265. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए विभिन्न कृषि उत्पादों/जिन्सों के मूल्यों और केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य/सांविधिक न्यूनतम मूल्य के बीच विद्यमान अन्तर की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न पक्षों से कृषि लागत और मूल्य आयोग को पुनर्गठित करने और खेती की लागत का अनुमान लगाने संबंधी आंकड़े एकत्रित करने हेतु एक स्वतंत्र तंत्र बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य/सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित श्रम प्रभारों और कृषि आदानों सहित विभिन्न कृषि फसलों की खेती की फसल-वार लागत कितनी है; और

(ङ) किसानों को उनकी उपज हेतु पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)/सांविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित तथा लाभकारी मूल्य (एस.एम.पी./एफ.आर.पी.) को सामान्यत: सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा वास्तव में सरकार द्वारा जैसाकि धान (2007-08 तथा 2009-10 में), गेहूं (2010-11 में) तथा खरीफ दलहनों (2007-08, 2010-11 तथा 2011-12 में) के मामले में सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की मंजूरी द्वारा सुधार लाया गया है। 2008-09 में, तथापि धान के मामले में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य की विपरीत कम न्यूनतम समर्थन

मूल्य का निर्धारण किया गया था, परन्तु बाद में 50 रुपए प्रति **क्विंटल** बोनस की घोषणा की गई थी।

(ग) उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली के बारे में किसान संगठनों/राज्य सरकारों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्पादन की लागत का आकलन करने हेतु प्रणाली की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के निर्धारण संबंधी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने हेतु डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया था। 2009 में इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया तथा किसानों द्वारा फसल बीमा, विपणन तथा परिवहन प्रभारों के लिए किए गए भुगतान को उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए अतिरिक्त मदों के रूप में शामिल किया गया है। देश में प्रमुख फसलों के पैदावार की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अंतर्गत, पैदावार/उत्पादन की लागत के अनुमानों को विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की सहायता से एकत्र किया जाता है।

(घ) सरकार विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों के आधार पर करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों, जिसमें उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, विपणन मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग तथा आपूर्ति स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवनयापन पर प्रभाव आदि शामिल हैं पर विचार करता है। पैदावार/उत्पादन की लागत में अन्य बातों के साथ-साथ सभी निवेश लागतों तथा श्रम प्रभार शामिल हैं। 2009-10 से प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषि लागत और मूल्य अयोग द्वारा आकलित अखिल भारतीय भारित औसत प्रक्षेपित उत्पादन की लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार केन्द्र, राज्य तथा राज्यों की सहकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए गए प्रापण कार्यो के माध्यम से लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। तथापि यदि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक मूल्य मिलते हों, किसान उस मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

अखिल भारतीय भारित औसत प्रक्षेपित उत्पादन की लागत तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल में)

जिन्स	2009-10		2010-11		2011-12	
	उत्पादन की लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	उत्पादन की लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	उत्पादन की लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
धान (सामान्य)	645	950$	742	1000	888	1080
गेहूं	701	1100	826	1120$	927	1285
अरहर (तूर)	2197	2300	2422	3000&	2702	3200&
मूंग	2705	2760	3109	3170&	3373	3500&
उड़द	2257	2520	2490	2900&	2799	3300&
चना	1641	1760	1902	2100	2121	2800
मसूर	1626	1870	2191	2250	2592	2800

1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	1879	2100	2100	2300	2633	2700
सोयाबीन	1200	1350	1288	1400	1560	1650
रेपसीड/सरसों	1276	1830	1520	1850	1786	2500
कपास	2111	2500	2129	2500	2528	2800
गन्ना*	76.96	129.84	85.66	139.12	99.07	145.00

& पैदावार/आगमन अवधि के दो महिनों के दौरान अधिप्रापण एजेंसियों को बेचे गए खरीफ दलहनों के बारे में 500 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देय है।

$ न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय था।

* उचित तथा लाभकारी (एफ.आर.पी.)

राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता नेटवर्क

***266. डा. शशी थरूर:**

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मंचों में मामलों के निपटान में विलंब की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उठाए गए नए कदमों/की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता न्यायालयों में मामलों के भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यस्थ और परामर्शदात्री नेटवर्क स्थापित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। देश में उपभोक्ता मंचों के कार्य निष्पादन/कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों भरने के लिए समय रहते ही कार्रवाई करें और भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करें ताकि नियुक्तियों में देरी से बचा जा सके। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि जहां कहीं भी अपेक्षित हो, आस-पड़ोस के उपभोक्ता मंचों को साथ मिला लिया जाए ताकि अस्थाई अनुपस्थिति अथवा रिक्त के कारण उपभोक्ता मंच का कार्य प्रभावित न हो।

(2) लम्बित मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय आयोग की सर्किट पीठें राज्यों का दौरा करती रही हैं। अब तक राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, एर्णाकुलम, अहमदाबाद और भोपाल में सर्किट पीठों की बैठकें आयोजित की हैं। कुछेक राज्य आयोगों ने पुराने लम्बित मामलों के निपटान के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पीठों का गठन किया है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे (भवन और गैर-भवन परिसम्पत्तियों) के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश भर में सभी उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के जरिए 'कन्फोनेट' स्कीम के तहत किया जा रहा है।

(4) कुछेक राज्य आयोग और जिला मंच मामलों की शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग ने भी लम्बित मामलों को कम करने और मामलों के तेजी से निपटान के उद्देश्य से लोक अदालतें आयोजित की हैं।

(5) उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2011 को लोक सभा में 16.12.2011 को पुरःस्थापित किया गया। इस विधेयक में मामलों के निपटान के लिए शीघ्र निर्णय लेने, सदस्य/अध्यक्ष के चयन में होने वाली देरी से बचने के लिए चयन प्रक्रिया को सरल बनाने, आवेदनों को ऑनलाइन दायर करने तथा दण्डात्मक उपबंधों को सुदृढ़ बनाने इत्यादि के लिए उपभोक्ता मंचों को सशक्त बनाने के उपबंध किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। कार्यदल द्वारा बारहवीं योजना अवधि में उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता पर एक नई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। इस नई स्कीम के तहत राज्य उपभोक्ता हैल्प लाईन, उपभोक्ता परामर्श केन्द्र और मध्यस्थ परामर्श केन्द्र एक समन्वित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

स्वापक औषधि

*267. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**

श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से स्वापक औषधियों के व्यापार के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वापक व्यापार में पुलिस की मिलीभगत की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अवैध औषधि व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, गत तीन वर्षों में देश में प्रमुख स्वापक औषधियों की जब्ती के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	जब्त की गई औषधियों की कुल मात्रा (कि.ग्रा. में)
2009	215142.23
2010	180069.75
2011	122487.58

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में स्वापक व्यापार में पुलिस की मिलीभगत का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार कार्मिक विचाराधीन हैं।

(ङ) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की जांच करने, पता लगाने और उसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सीमा रक्षक बलों सहित विभिन्न औषधि विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय करना।

(ii) प्रचालनात्मक आसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार के लिए आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना।

(iii) मुखबिरों और अधिकारियों को स्वापक औषधियों की जब्ती करवाने से संबंधित सूचना देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार देने की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(iv) औषधि के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधात्मक उपाय करना।

(v) आयात और निर्यात बिन्दुओं पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

(vi) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करना।

(vii) सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे सीमा रक्षक बलों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अधीन स्वापक औषधियों को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(viii) स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थो तथा प्रिकर्सर रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान और जांच संबंधी सहायता के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

(ix) पात्र राज्यों को उनकी स्वापक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(x) मुखबिरों और अधिकारियों को स्वापक औषधियों की जब्ती कराने/गैर कानूनी फसलों को नष्ट करने की सूचना देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थान

*268. **श्री मंगनी लाल मंडल:**

श्री संजय धोत्रे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 से लेकर अब तक कृषि अनुसंधान में कार्यरत विभिन्न संस्थानों/एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) उनके द्वारा क्या प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्य किए गए;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि अनुसंधान में कार्यरत अनुसंधान संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ङ) उनके कार्यकरण में क्या खामियां पाई गई हैं; और

(च) इन अनुसंधान संस्थानों के प्रभावी कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) योजना के दौरान वित्तीय सहायता का विषय वस्तु प्रभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, 2009-10 से कृषि अनुसंधान के लिए विभिन्न संस्थानों को दी गई योजना और गैर योजना में वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II और III में दिया गया है। कृषि शिक्षा प्रभाग राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विकास और बुनियादी ढांचा अनुदान प्रदान करता है, जबकि कृषि विस्तार प्रभाग, कृषि विज्ञान केन्द्रों को निधियां प्रदान करती हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने में लगे हुए हैं:

1. कृषि पारिस्थितिकीय विशिष्ट उच्च पैदावार, पौष्टिक रूप से उन्नत फसलों की किस्मों/संकर के विकास के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हुए नाशीजीव, प्रतिकूल मौसम, लवणता, अम्लीयता, क्षारीयता तथा एसिडिटी के प्रति प्रतिरोधिता/सहिष्णुता; बेहतर कृषि क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक कृषि कार्य और उच्च गुणवत्ता वाले, अनुवांशिक रूप से प्रजनक बीज के समान बीजों को उपलब्ध कराना।

2. देश के किसानों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से पशुधन, मुर्गीपालन, सूअर, समुद्री और ताजा जल मछली और अन्य खाने योग्य जलीय पशुओं की कृषि परिस्थितकीय-विशिष्ट, उच्च पैदावार नस्लों को विकसित करना; वैज्ञानिक पशु पालन और मात्स्यिकी क्रियाओं सहित उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन, आनुवंशिक रूप से सही गुणवत्ता वाले बीज, वीर्य, नस्ल को उपलब्ध कराना।

3. औजारों और मशीनों के प्रोटोटाईप और व्यावसायिक रूप से सक्षम निर्मित डिजाइनों और प्रक्रियाओं को विकसित करना जो कृषि नीरसता को कम करें और कृषि प्रचालनों की दक्षता को बढ़ाए और कार्बन क्रेडिट विकास के साथ ही साथ कृषि-पारिस्थितिकीय-विशिष्ट, ऊर्जा दक्षता, व्यावसायिक सस्योत्तर प्रसंस्करण केलिए कृषि वस्तुओं हेतु सस्योत्तर प्रमुख और गौण प्रक्रिया तकनीकों और मशीनरी का विकास।

4. विभिन्न कृषि परिस्थितियों में अनुसंधान परक ज्ञान के प्रचार-प्रसार के उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने के साथ आधुनिक आई.सी.टी. के उपयोग को बढ़ाना।

5. ज्ञान में मुख्य अंतरालों पर जोर देने हेतु मूल और नीतिपरक अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण लाभदायकता मूल्य श्रृंखला सुधार हेतु चुनौतियों का सामना करने हेतु कंसोर्टियम मोड में उचित नवोन्मेषी अनुसंधान एप्रोच विकसित करना।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों का संबंधित क्षेत्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों के माध्यम से पंचवर्षीय संवीक्षा के अधीन मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रत्येक अनुसंधान संस्थान की एक अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) होती है जो अनुसंधान की प्रगति की संवीक्षा करती है और अनुसंधान के तरीकों/प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक पहलुओं के प्रकारों और संचालन पर महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करती है।

(घ) संस्थानों के संबंध में पंचवर्षीय संवीक्षा दल (क्यू.आर.टी.) की रिपोर्टों को भा.कृ.अ.प. की शासी निकाय के प्रस्तुत किया जाता है और पंचवर्षीय संवीक्षा दल और शासी निकाय दोनों की सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती है। भा.कृ.अ.प. अनुसंधान संस्थानों की संस्थान अनुसंधान परिषद (आई.आर.सी.) में आर.ए.सी. की सलाह पर आगे चर्चा की जाती है और आवश्यकतानुसार, अनुसंधान कार्यक्रमों को पुन: तैयार या पुन: निर्धारित किया जाता है। संस्थानों की अनुसंधान प्राथमिकता प्रबंधन और मूल्यांकन (पी.एम.ई.) इकाई इन अनुसंधान नियोजनों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की निगरानी करती हैं।

(ङ) विभिन्न संस्थानों के क्रियान्वयन के संबंध में पाई गई कमियां अधिकतर रोगों, जलवायु परिवर्तन, निवेश उपयोग दक्षता और सस्योत्तर नुकसानों, महत्वपूर्ण बहुविषयी अनुसंधान और संपर्कों, प्रौद्योगिकी हस्तानांतरण, प्रकाशनों को बढ़ाना, और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा के नए और उभरते विषयों पर जोर देने के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ी हुई हैं।

(च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के विषय वस्तु प्रभागों के दिशानिर्देश के तहत भा.कृ.अ.प. संस्थानों द्वारा उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, इन कमियों को दूर करने के लिए अनुसंधान संस्थानों के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मध्यावधि-सुधार भी किए जाते हैं। भा.कृ.अ.प. नियमित रूप से वित्तीय और मानव संसाधनों के सक्षम उपयोग हेतु लिए गए निर्णय से अवगत कराने के लिए सुदृढ़ निर्णय सहायता प्रणाली हेतु ओ एण्ड एम सुधार करता है ताकि प्रणाली में एक समर्थ वातावरण पैदा हो। हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों में ए.आर.एस. दिशानिर्देशों को संशोधित करना, वैज्ञानिकों की अर्ध वार्षिक प्रगति की समीक्षा, भा.कृ.अ.प. पुरस्कार, वैज्ञानिकों के मूल्यांकन हेतु स्कोरकार्ड में संशोधन, ए.आर.एस. वैज्ञानिकों हेतु संशोधित फाउंडेशन कोर्स (फोकर्स), लीडरशिप कार्यक्रम, किसान प्रोफेसर शामिल है। प्रणाली की दक्षता और अधिक सुधारने के लिए, संस्थान-विशिष्ट निष्पादन सूचकों, संशोधित अनुसंधान निष्पादन, अनुसंधान कंसोर्टिया प्लेटफार्म, अंत: विभागीय अनुसंधान सहयोग, मिशन परियोजना, एक्स्ट्रामूरल फंडिंग, सर्वप्रथम, किसान और तैयार छात्र आदि पर विचार किया गया है।

विवरण-I

डेयर/भा.कृ.अ.प.

वर्ष 2009-10 से क्षेत्रवार योजना आबंटन

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र का नाम	2009-10 आर.ई.	2010-11 आर.ई.	2011-12 आर.ई.
1	2	3	4
फसल विज्ञान	304.00	366.00	392.77
बागवानी	98.00	124.00	191.20
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	102.00	123.03	234.09

1	2	3	4
कृषि अभियांत्रिकी	43.00	52.63	69.40
पशु विज्ञान	92.00	112.68	201.53
मात्स्यिकी	45.00	65.00	94.00
कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	3.00	3.00	3.00
कृषि विस्तार	328.00	636.76	537.64
कृषि शिक्षा	372.00	462.00	558.00
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय+डेयर	70.50	80.65	101.01
विविध (भा.कृ.अ.प. मुख्यालय + आई.पी.टी.एम.)	17.00	17.90	121.33
राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना एवं जी.ई.एफ.	277.23	270.00	176.00
इंडो-यू.एस. ज्ञान पहल/कृषि सहयोग	4.00	0.00	
मूल और नीतिगत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि, बारहवीं योजना में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान फाउंडेशन के रूप में पुनःगठित किया जाएगा	4.27	8.11	38.00
प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के तहत राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल		200.00	132.00
कुल	**1760.00**	**2521.76**	**2849.97**
नई पहल			
राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैस प्रबंन्ध संस्थान			0.01
भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान			0.01
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड			0.01
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार			
कुल योग	**1760.00**	**2521.76**	**2850.00**
एम.पी.के.वी.	61.32	7.5	8.54
आर.ई.-संशोधित आकलन			

विवरण-II

डेयर/भा.कृ.अ.प.

वर्ष 2009-10 से क्षेत्रवार बजट आबंटन

(लाख रुपये)

क. सं.	क्षेत्र का नाम	2009-10 आर.ई.	2010-11 आर.ई.	2011-12 आर.ई.
1	2	3	4	5
	फसल विज्ञान			
1.	**राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली**	**1349.00**	**1515.00**	**1203.00**
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	1249.00	1300.00	900.00
	अल्पदोहित फसलों के तहत ए.आई.सी.एन.पी., नई दिल्ली	100.00	215.00	303.00
2	**भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली**	**7161.19**	**9837.39**	**8906.00**
	भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली + ओ.बी.सी.	2273.00	4778.39	3838.00
	अ.भा.स.अ.प.- कीटनाशी अवशिष्ट, नई दिल्ली	300.00	240.00	544.00
	अ.भा.स.अ.प.- सूत्रकृमि, नई दिल्ली	254.00	284.00	696.00
	फसल विज्ञान हेतु एन.आर.सी. जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली	550.00	990.00	475.00
	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	350.00	375.00	375.00
	अ.भा.स.अ.प.- मक्का, नई दिल्ली	687.00	753.00	1516.00
	राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली	119.00	157.00	150.00
	पुष्पोत्पाद निदेशालय, नई दिल्ली	228.00	260.00	537.00
	अ.भा.स.अ.प.- पुषोत्पादन, नई दिल्ली		in PD	in PD
	कीट जैव प्रणालीबद्ध नेटवर्क कार्यक्रम (भा.कृ.अ.सं. का हिस्सा)	400.19	200.00	175.00
	पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना (एन.आर.सी.पी.बी. का हिस्सा)	2000.00	1800.00	600.00
3.	**केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक**	**1862.00**	**2620.00**	**3049.00**
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	502.00	400.00	315.00

1	2	3	4	5
	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	460.00	520.00	240.00
	अ.भा.स.अ.प. - चावल, हैदराबाद	900.00	1700.00	2494.00
4.	**विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा**	**370.00**	**223.00**	**150.00**
5.	**भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर**	**2356.00**	**3031.74**	**4599.00**
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	426.00	700.00	442.00
	अ.भा.स.अ.प.-चना, कानपुर	650.00	713.00	1146.00
	अ.भा.स.अ.प.-मुलार्प, कानपुर	580.00	821.91	1537.00
	अ.भा.स.अ.प.-अरहर, कानपुर	580.00	500.00	1024.00
	अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फलियां, कानपुर	120.00	296.83	450.00
6	**गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल**	**1740.85**	**1805.00**	**1606.00**
	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	650.85	810.00	475.00
	अ.भा.स.अ.प.-गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना, करनाल	1090.00	995.00	1131.00
7.	**राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद**	**1990.00**	**1859.00**	**2715.00**
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	450.00	430.00	189.00
	अ.भा.स.अ.प.-ज्वार, हैदराबाद	650.00	519.00	913.00
	अ.भा.स.अ.प.-बाजरा, जोधपुर	490.00	500.00	932.00
	अ.भा.स.अ.प.-गौण अनाज, बंगलौर	400.00	410.00	681.00
8.	**भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, झांसी**	**1506.00**	**2150.00**	**3541.00**
	भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	550.00	700.00	366.00
	अ.भा.स.अ.प.-चारा फसलें, झांसी	400.00	800.00	1129.00
	अ.भा.स.अ.प.- कृषि वानिकी, झांसी	350.00	400.00	1781.00
	एन.आर.सी.-कृषि वानिकी, झांसी	206.00	250.00	265.00
9.	**केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री**	**400.00**	**537.00**	**593.00**
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	200.00	207.00	250.00
	तम्बाकू नेटवर्क, राजामुन्द्री	200.00	330.00	343.00

1	2	3	4	5
10.	**भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ**	**1180.00**	**1178.98**	**1380.00**
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	350.00	444.00	285.00
	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	350.00	364.98	350.00
	अ.भा.स.अ.प.-गन्ना, लखनऊ	480.00	370.00	745.00
11.	**केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर**	**2134.00**	**2468.96**	**2240.00**
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	325.00	300.00	82.00
	ए.आई.सी. कपास सुधार परियोजना, कोयम्बटूर	630.00	900.00	1068.00
	केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	350.00	370.00	205.00
	अ.भा.स.अ.प.-जूट एवं संबद्ध रेशा, बैरकपुर	200.00	210.00	479.00
	प्रौद्योगिकी मिशन - कपास (एम.एस. I) नागपुर	500.00	650.00	365.00
	प्रौद्योगिकी मिशन - जूट (एम.एम. I) बैरकपुर	129.00	38.96	41.00
12.	**तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद**	**3403.20**	**4719.93**	**6481.00**
	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	400.00	500.00	287.00
	एन.आर.सी. - मूंगफली, जूनागढ़	250.00	299.78	400.00
	अ.भा.स.अ.प.-मूंगफली, जूनागढ़	315.00	426.00	929.00
	एन.आर.सी.-सोयाबीन, इंदौर	240.00	250.00	205.00
	अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन, इंदौर	348.00	390.00	665.00
	एन.आर.सी.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	150.00	250.00	250.00
	अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	450.00	950.00	1205.00
	अ.भा.स.अ.प.-तिलहन, हैदराबाद	517.00	840.00	1223.00
	अ.भा.स.अ.प.-अलसी, कानपुर	355.00	354.15	565.00
	अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल, जबलपुर	378.20	460.00	752.00
13.	**राष्ट्रीय प्रमुख कृषि ब्यूरो, बंगलौर**	**1075.76**	**1146.00**	**1548.00**
	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि कीट ब्यूरो, बंगलौर	241.00	306.00	135.00
	अ.भा.स.अ.प.-जैविक नियंत्रण, बंगलौर	145.00	235.00	340.00

1	2	3	4	5
	अ.भा.स.अ.प.-मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं परागणकर्ता, हिसार	237.76	214.00	438.00
	सफेद सूंडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर	114.00	135.00	200.00
	कृषि एकोलोजी नेटवर्क, बंगलोर	175.00	156.00	213.00
	आर्थिक पक्षी विज्ञान नेटवर्क, हैदराबाद	163.00	100.00	222.00
14.	**बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ**	**3224.00**	**2975.00**	**2594.00**
	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	360.00	504.00	375.00
	अ.भा.स.अ.प.-एन.एस.पी., मऊ	1214.00	1184.00	1519.00
	कृषि फसलों एवं मात्स्यिकी में सीड उत्पादन, मऊ	1650.00	1287.00	700.00
15.	**राष्ट्रीय कृषि प्रमुख सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ**	**1322.00**	**1340.00**	**1010.00**
	राष्ट्रीय कृषि प्रमुख सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ	323.00	280.00	210.00
	कृषि एवं सबंद्ध क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव का अनुप्रयोग + सूक्ष्मजीवीय जैनोमिक संसाधन संग्रह नेटवर्क, मऊ	999.00	1060.00	800.00
	कुल	**30400.00**	**36600.00**	**39277.00**
	बागवानी			
16.	**भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर**	**2689.00**	**3120.00**	**5623.00**
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	1000.00	900.00	898.00
	अ.भा.स.अ.प.-उष्णकटिबंधीय फल, बंगलौर	334.00	395.00	2125.00
	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	360.00	375.00	350.00
	अ.भा.स.अ.प.-उपोष्ण फल, लखनऊ	280.00	300.00	657.00
	एन.आर.सी.-लीची, मुज्जफरपुर	175.00	250.00	510.00
	एन.आर.सी.-नीबूवर्गीय फल, नागपुर	200.00	300.00	258.00
	एन.आर.सी.-अंगूर, पुणे	165.00	300.00	400.00
	एन.आर.सी.-केला, त्रिचि	175.00	300.00	425.00
17.	**केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर**	**400.00**	**350.00**	**320.00**

1	2	3	4	5
18.	**केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर**	**645.00**	**875.00**	**1345.00**
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	210.00	250.00	250.00
	अ.भा.स.अ.प.-शुष्क फल, बीकानेर	235.00	300.00	595.00
	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, संगोला, महाराष्ट्र	200.00	325.00	500.00
19.	**भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी**	**1476.00**	**1900.00**	**2405.00**
	भारतीय सब्जी अनुसंधन संस्थान, वाराणसी	350.00	400.00	368.00
	परियोजना निदेशालय-खुम्बी, सोलन	180.00	250.00	150.00
	अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी, सोलन	106.00	250.00	303.00
	अ.भा.स.अ.प.-सब्जी, एन.एस.पी. सब्जी सहित वाराणसी	375.00	475.00	1284.00
	प्याज एवं लहसुन निदेशालय, पुणे	465.00	525.00	300.00
	प्याज एवं लहसुन सुधार पर नेटवर्क परियोजना, पुणे			in PD
20.	**केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला**	**1275.00**	**1775.00**	**2648.00**
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	575.00	800.00	1000.00
	अ.भा.स.अ.प.-आलू, शिमला	230.00	320.00	739.00
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	260.00	355.00	400.00
	अ.भा.स.अ.प.-केन्द्रीय फसलें, त्रिवेन्द्रम	210.00	300.00	509.00
21.	**केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड**	**1052.00**	**1455.00**	**2378.00**
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थन, कासरगोड	350.00	450.00	650.00
	अ.भा.स.अ.प.-ताड़, केरल	260.00	345.00	597.00
	एन.आर.सी.-काजू, पुत्तूर	125.00	235.00	293.00
	अ.भा.स.अ.प.-काजू, पुत्तूर	117.00	200.00	488.00
	एन.आर.सी.-तेलताड़, पेडावेगी	200.00	225.00	350.00
22.	**केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर**	**400.00**	**430.00**	**400.00**
23.	**भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट**	**890.00**	**1305.00**	**1804.00**

1	2	3	4	5
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	450.00	840.00	1135.00
	अ.भा.स.अ.प.-मसाले, कालीकट	250.00	250.00	419.00
	एन.आर.सी.-बीज प्रजाति, अजमेर	190.00	215.00	250.00
	बागवानी एवं फसलों के फाइटोपथौरा			in instt
	फ्यूजेरियम तथा रेल स्टोनिया रोगों पर आउटरीच कार्यक्रम			
24.	**औषधीय एवं सगंधीय पादप निदेशालय, आनन्द**	**545.00**	**630.00**	**1396.00**
	औषधीय एवं सगंधीय पदप निदेशालय, आनन्द	240.00	300.00	296.00
	औषधीय एवं सगंधीय पादप तथा पान पर	305.00	330.00	1100.00
	ए.आई.सी.आर.पी., आनन्द			
	कुल	**9800.00**	**12400.00**	**19120.00**
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन				
25.	**राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर**	**400.00**	**450.00**	**460.00**
26.	**केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून**	**500.00**	**503.00**	**535.00**
27.	**भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल**	**1100.00**	**1220.00**	**2415.00**
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	200.00	360.00	350.00
	अ.भा.स.अ.प.-मृदा एवं पादपों में माइक्रो सेकेण्डरी एवं प्रदूषण तत्व	300.00	300.00	720.00
	जैव उर्वरक ए.आई.एन.पी., भोपाल	150.00	160.00	285.00
	अ.भा.स.अ.प.-फसल अनुक्रिया के साथ मृदा परीक्षण, भोपाल	250.00	250.00	620.00
	अ.भा.स.अ.प.-दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण, भोपाल	200.00	150.00	440.00

1	2	3	4	5
28.	**केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल**	**576.00**	**640.00**	**1060.00**
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	276.00	315.00	300.00
	अ.भा.स.अ.प.-लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग, करनाल	300.00	325.00	760.00
29.	**पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना**			
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना	**550.00**	**583.00**	**525.00**
30.	**जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर**	**925.00**	**1250.00**	**2315.00**
	जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	125.00	150.00	250.00
	अ.भा.स.अ.प.-जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर	625.00	900.00	1660.00
	अ.भा.स.अ.प.-भू-जल उपयोग, भुवनेश्वर	175.00	200.00	405.00
31.	**केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद**	**1577.00**	**2156.00**	**5158.00**
	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	195.00	260.00	265.00
	अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि, हैदराबाद	847.00	1400.00	3888.00
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद	310.00	250.00	805.00
	जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता और अनुकूल प्रभाव, (जलवायु परिवर्तन पर नेटवर्क परियोजना), क्रीडा, हैदराबाद	225.00	246.00	200.00
32.	**केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर**	**335.00**	**493.00**	**655.00**
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	225.00	390.00	410.00
	कृन्तक नियंत्रण पर नेटवर्क, जोधपुर	110.00	103.00	245.00
33.	**फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम**	**1060.00**	**1645.00**	**3595.00**
	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	125.00	145.00	180.00
	अ.भा.स.अ.प.-फसल प्रणाली अनुसंधान+जैविक कृषि, मोदीपुरम	850.00	1400.00	3215.00

1	2	3	4	5
	जैविक कृषि पर नेटवर्क कार्यक्रम	85.00	100.00	200.00
34.	**खरपतवार विज्ञान परियोजना निदेशालय, जबलपुर**	**820.00**	**540.00**	**1656.00**
	खरपतवार विज्ञान परियोजना निदेशालय, जबलपुर	300.00	140.00	177.00
	अ.भा.स.अ.प.-खरपतवार नियंत्रण, जबलपुर	520.00	400.00	1479.00
35.	**भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोवा**	**300.00**	**271.00**	**315.00**
36.	**उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी**	**1595.00**	**2043.35**	**3335.73**
	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	800.00	1000.00	1914.00
	एन.आर.सी.-याक, दिरांग	380.00	425.00	392.00
	एन.आर.सी.-मिथुन, झरनापानी, नागालैण्ड	215.00	318.35	765.73
	एन.आर.सी.-आर्किड, पैकयोंग, सिक्किम	200.00	300.00	264.00
	कृषि में जल उत्पादकता वृद्धि	5.00	5.00	5.00
37.	**राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान, मालेगांव, महाराष्ट्र**	**806.00**	**1000.00**	**1000.00**
	कुल	**10200.00**	**12303.00**	**23409.00**
	कृषि अभियांत्रिकी			
38.	**केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल**	1744.50	2198.00	3313.50
	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल +			
	ए.पी.सी.ए.ई.एम.	400.00	528.00	489.00
	आर.एन.ए.ई.एम. पर नेटवर्क, भोपाल			
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि उपकरण एवं मशीनरी, भोपाल	520.00	676.00	1310.21
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि सुरक्षा और सस्य विज्ञान, भोपाल	195.00	230.00	326.28
	अ.भा.स.अ.प.-नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, भोपाल	434.00	520.00	683.70
	अ.भा.स.अ.प.-पशु ऊर्जा का उपयोग, भोपाल	195.50	244.00	504.31
39.	**केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना**	**1635.50**	**2030.00**	**2299.40**

1	2	3	4	5
	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियायांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	320.65	391.00	516.00
	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना, लुधियाना	114.85	141.00	236.60
	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प., लुधियाना	1200.00	1498.00	1546.80
40.	**भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान रांची**	**300.00**	**214.00**	**347.10**
	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान रांची	200.00	190.00	227.10
	प्राकृतिक राल एवं गोंद की तुड़ाई तथा सस्योत्तर एवं मूल्यवर्धन पर एन.डब्ल्यू.पी.	100.00	24.00	120.00
41.	**केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई**	**500.00**	**613.00**	**755.00**
42.	**राष्ट्रीय पटसन एवं संवद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता**	**120.00**	**208.00**	**225.00**
	कुल	**4300.00**	**5263.00**	**6940.00**
	पशु विज्ञान			
43.	**राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल**	**410.00**	**485.27**	**565.00**
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरों, करनाल	260.00	305.27	450.00
	पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क करनाल	150.00	180.00	115.00
44.	**राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल**	**710.00**	**899.15**	**2429.29**
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	650.00	827.15	2344.29
	देशी दुग्ध उत्पाद की उन्नयन प्रक्रिया के लिए आर एंड डी सहायता पर एन.पी.	60.00	72.00	85.00
	शेल्टर प्रबंधन के जरिए जलवायु परिवर्तन के आसन्न के लिए पशुधन के अनुकूलन पर नेटवर्क परियोजना			in NORI
45.	**केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, अविकानगर, राजस्थान**	**438.00**	**630.00**	1000.00
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान	270.00	400.00	700.00
	भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, अविकानगर	88.00	130.00	185.00
	भेड़ सीड परियोजना	80.00	100.00	115.00

1	2	3	4	5
46.	**केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम**	**395.00**	**495.00**	**867.00**
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	235.00	315.00	425.00
	बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	160.00	180.00	442.00
	बकरी सीड परियोजना - (सी.आई.आर.जी. में)			
47.	**केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार**	**500.00**	**678.00**	**943.53**
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	250.00	383.00	510.00
	भैंस सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, हिसार	250.00	295.00	433.53
48.	**राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान**	**450.00**	**545.00**	**788.00**
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, बंगलौर	250.00	250.00	450.00
	बढ़ते हुए पशु उत्पादन के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग का सुधार पर ए.आई.सी.आर.पी. बंगलौर	200.00	295.00	338.00
	मिथेन उत्सर्जन पर आउटरीच कार्यक्रम (ए.आई.सी. आर.पी. में)			in AICRP
49.	**राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर**	**282.00**	**312.00**	**355.00**
50.	**राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार**	**470.00**	**557.00**	**965.00**
50.	**राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार**	**290.00**	**330.00**	**350.00**
	वेटेनरी टाइप कल्चर, (एन.आर.सी. के मुख्य हिस्से के रूप में)	180.00	227.00	615.00
51.	**गोपशु परियोजना निदेशालय**	**512.00**	**584.11**	**846.86**
	गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	112.00	154.73	220.00
	गोपशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मेरठ	400.00	429.38	626.86
52.	**खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर**	**430.00**	**550.00**	**2502.87**
	खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशाल, मुक्तेश्वर	430.00	550.00	2502.87
	अ.भा.स.अ.प.-मुंहपका एवं खुरपका रोग, मुक्तेश्वर			in PD

1	2	3	4	5
53.	**केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**	**1218.00**	**1481.12**	**2396.02**
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	400.00	513.85	946.00
	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	248.00	317.27	490.00
	मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	370.00	450.00	660.02
	पोल्ट्री सीड परियोजना	200.00	200.00	300.00
54.	**भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**	**2010.00**	**2368.00**	**4221.85**
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	1460.00	1795.00	2246.85
	गैस्ट्रों इंटैस्टीनल पैरोसटिज्म पर नेटवर्क, इज्जतनगर	230.00	250.00	335.00
	हिमोरेजिक स्पेटिसिमिया पर नेटवर्क, इज्जतनगर	in GIP		in GIP
	नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम, इज्जतनगर	in GIP		in GIP
	पशु रोग मॉनीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय, बंगलौर	320.00	323.00	1640.00
	ए.आई.सी.आर.पी. एडमास, बंगलौर			
	आउटरीच कार्यक्रम (आई.वी.आर.आई. में)			
55.	**राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद**	**150.00**	**180.00**	**222.00**
56.	**राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र**	**630.00**	**760.00**	**892.85**
	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	330.00	390.00	353.85
	सूअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, गुवाहाटी	150.00	200.00	484.00
	सूअर पर मेगासीड परियोजना, गुवाहाटी	150.00	170.00	55.00
	कुल	**9200.00**	**11268.00**	**20153.00**
	मात्स्यिकी			
57.	**केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन**	**1200.00**	**1660.00**	**2557.20**
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन	750.00	1110.00	1967.00
	केन्द्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान, चेन्नई	450.00	550.00	590.20

1	2	3	4	5
58.	**केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान**	**690.00**	**890.00**	**849.00**
	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	420.00	540.00	496.00
	शीत जल मात्स्यिकी परियोजना निदेशालय, भीमताल	270.00	350.00	353.00
59.	**केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन**	**640.00**	**790.00**	**955.50**
60.	**केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई**	**1015.00**	**2000.00**	**3576.30**
61.	**केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भूवनेश्न**	**550.00**	**670.00**	**896.00**
62.	**राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ**	**405.00**	**490.00**	**566.00**
	कुल	**4500.00**	**6500.00**	**9400.00**
	अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंध			
63.	**भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान**	**300.00**	**300.00**	**300.00**
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	150.00	150.00	150.00
	राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	150.00	150.00	150.00
	कुल	**300.00**	**300.00**	**300.00**
	कृषि विस्तार			
64.	**कृषि विज्ञान केन्द्र**	**31657.30**	**62498.80**	**51944.15**
65.	**कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर**	**1012.00**	**1026.00**	**1610.47**
	कृषिरत महिला अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	366.30	344.00	315.57
	ए.आई.सी.आर.पी.-गृह विज्ञान	645.70	682.00	1294.90
66.	**कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली**	**130.70**	**150.70**	**209.38**
	कुल	**32800.00**	**63675.50**	**53764.00**
	कृषि शिक्षा			
67.	**भारती में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास**	**36500.00**	**44600.00**	**53689.00**

1	2	3	4	5
68.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद	700.00	1600.00	2111.00
	कुल	37200.00	46200.00	55800.00
69.	सी.ए.यू.+डेयर	7050.00	8065.00	10101.00
	डेयर	50.00	65.00	100.00
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	7000.00	8000.00	10001.00
	कुल	7050.00	8065.00	10101.00
	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय			
70.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	1570.00	1529.00	11733.00
71.	बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन तथा कृषि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण/ व्यावसायीकरण	130.00	261.00	400.00
	कुल	1700.00	1790.00	12133.00
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
72.	राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, नई दिल्ली जी.ई.एफ.	27723.00	27000.00	17600.00
73.	इंडो-यू.एस. ज्ञान पहल/कृषि सहयोग	400.00	0.00	
74.	मुल और नीतिगत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि, (12वीं योजना में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान फाउंडेशन के रूप में पुनःगठित किया जाएगा)	427.00	811.00	3800.00
	एन.आर.एम. प्रभाग के तहत नये संस्थान, राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान		20000.00	13200.00
	कुल	176000.00	252175.50	284997.00
	नई पहलें प्रगति पर हैं			
	राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैस प्रबन्ध संस्थान			1.00
	भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान			1.00
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड			1.00
	कुल (आई.सी.ए.आर.+डेयर)	176000.00	252175.50	285000.00

1	2	3	4	5
	कुल योग (आई.सी.ए.आर.+डेयर) एम.पी.के.वी. को 100 करोड़ रु. सीधे वित्ती मंत्रालय द्वारा भेजे गए	6132.00	750.00	854.00
	टिप्पणी: उप-योजना: रोडेंट नियंत्रण, फसल विज्ञान, डी.ओ.एफ. एवं आर्किड, बागवानी, एन.आर.सी. और ए.आई.सी.आर.पी.ए.एफ., (एन.आर.एम.) और, एन.आर.सी.-यॉक एवं मिथुन, (पशु विज्ञान)–आबंटन को संबंधित मुख्य योजनाओं में दर्शाया गया है, (ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. के अनुसार), किन्तु संबंधित प्रभागों में जोड़ा गया है।		252175.50 के.वी.के. की बकारा राशि सहित	

विवरण-III

वर्ष 2009-10 के दौरान भा.कृ.अ.प. की ईकाइयों का गैर योजना आवंटन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	आवंटन* 2009-10	आवंटन* 2010-11	आवंटन* 2011-12
1	2	3	4	5
	फसल विज्ञान			
1.	सी.आई.सी.आर., नागपुर	2708.82	2101.45	2385.92
2.	काइजेफ्ट, बैरकपुर	2375.19	2411.18	2437.97
3.	सी.आर.आर.आई., कटक	3180.09	3442.46	3267.90
4.	सी.टी.आर.आई. राजामुन्द्री	2795.91	2834.10	2810.50
5.	आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली	25761.01	25133.19	26450.00
6.	आई.जी.एफ.आर.आई., झांसी	2675.50	2461.00	2909.00
7.	आई.आई.पी.आर., कानपुर	1463.47	1295.05	1395.28
8.	आई.आई.एस.आर., लखनऊ	2174.70	2003.32	2381.20
9.	एन.बी.ए.आई.एम. मऊ	327.31	244.50	340.50
10.	एन.बी.पी.जी.आर., नई दिल्ली	3199.18	2767.37	3563.00
11.	एस.बी.आई., कोयम्बटूर	2067.39	1671.15	2836.87
12.	वी.पी.के.ए.एस., अल्मोड़ा	893.66	911.46	986.39

1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
13.	एन.सी.आई.पी.एम., पूसा	425.17	360.20	429.20
14.	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	603.42	643.00	712.56
15.	एन.आर.सी. पदों जैव प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली	536.15	451.82	567.00
16.	तोरियन एवं सरसो अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	424.96	431.97	519.85
17.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1089.13	961.93	1111.48
18.	सोयाबीन निदेशालय, इंदौर	525.92	476.00	560.10
	परियोजना निदेशालय			
19.	पी.डी.बी.सी., बंगलौर	565.00	463.00	570.79
20.	डी.एम.आर., नई दिल्ली	570.79	400.01	502.49
21.	डी.ओ.आर., हैदराबाद	1232.49	1147.10	1379.75
22.	डी.आर.आर., हैदराबाद	1611.56	1379.83	1745.42
23.	डी.डब्ल्यू.आर., करनाल	1110.79	1073.85	1208.50
24.	डी.एस.आर., मउनाथ भंजन	227.68	200.00	217.00
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल: फसल विज्ञान	**58545.29**	**55264.94**	**61288.67**
	बागवानी विज्ञान			
1.	सी.आर.ए.आई., पोर्ट ब्लेयर	1128.50	1174.74	1243.23
2.	सी.आई.ए.एच., बीकानेर	722.98	681.54	700.50
3.	सी.आई.एस.एच., लखनऊ	1449.59	1345.39	1459.00
4.	सी.आई.एस.एच., श्रीनगर	247.85	334.00	373.15
5.	सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड़	3443.68	3003.59	3496.99
8.	सी.पी.आर.आई., शिमला	3795.88	3446.70	3928.00
9.	सी.टी.सी.आर.आई., तिरुवनंतपुरम	1316.59	1127.80	1416.14

1	2	3	4	5
10.	आई.आई.एच.आर. बैंगलोर	5428.03	5226.50	5633.50
11.	आई.आई.एस.आर. कालीकट	924.62	787.50	978.50
12.	आई.आई.वी.आर. वाराणसी	626.31	635.35	667.14
13.	एन,आर.सी. केला, तिरूचिरापल्ली	335.05	343.00	394.10
14.	एन.आर.सी.-काजु पुतूर	454.58	436.00	396.40
15.	एन.आर.सी.- नीबूवर्गीयफल, नागपुर	468.35	600.01	571.74
16.	एन.आर.सी.-अंगूर, पुणे	349.20	347.00	379.01
17.	एम.ए.आर.पी. निदेशालय, आनन्द	212.35	216.00	288.76
18.	मशरूम अनुसंधान निदेशालय, सोलन	359.59	282.00	392.50
19.	तेलताड़ निदेशालय, पेदावेगी	517.79	457.10	620.77
20.	प्याज और लहसुन निदेशालय, पुणे	245.91	231.59	269.34
21.	एन.आर.सी.-ऑर्किड, सिक्किम	186.49	200.00	227.72
22.	एन.आर.सी. बीज मसाले, अजमेर	204.73	263.13	409.33
23.	एन.आर.सी. लीची, मुजफ्फरपुर	103.58	143.99	153.50
24.	एन.आर.सी.-अनार, शोलापुर	151.40	188.75	237.73
25.	पुष्पोउत्पादन निदेशालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल : बागवानी विज्ञान	**22673.05**	**21471.69**	**24237.05**
	पशु विज्ञान			
1.	सी.ए.आर.आई., इज्जतनगर	1749.87	1475.00	1732.05
2.	सी.आई.आर.बी., हिसार	1249.82	1299.78	1410.30
3.	सी.आई.आर.जी., मकदूम	1522.88	1448.60	2092.00
4.	सी.एस.डब्ल्यू.आर.आई., अविकानगर	2346.96	2590.00	3352.80
7.	आई.वी.आर.आई., इज़्जतनगर	17274.44	15646.06	17508.79

1	2	3	4	5
9.	एन.बी.पी.जी.आर., करनाल	689.94	561.50	705.10
10.	एन.डी.आर.आई., करनाल	10417.59	10230.00	10388.23
11.	एन.आई.ए.एन.पी., बेंगलोर	661.29	644.00	734.66
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
12.	एन.आर.सी.-ऊंट, बीकानेर	459.95	501.00	545.11
13.	एन.आर.सी.-अश्व, हिसार	641.94	703.00	848.47
14.	एन.आर.सी.-मांस, हैदराबाद	284.73	234.11	314.00
15.	एन.आर.सी.-मिथुन, झरनापानी	171.57	228.00	381.00
16.	एन.आर.सी.-सुअर, गुवाहाटी	156.64	184.15	282.44
17.	एन.आर.सी.-याक, दिरांग	143.02	209.13	296.09
	परियोजना निदेशालय			
18.	पी.डी. एडमास, बंगलूरू	206.09	235.30	308.20
19.	प.नि.-गोपशु, मोदीपुरम	400.20	354.00	411.02
20.	प.नि. मुंहपका एवं खुरपका रोग	121.42	139.57	178.67
21.	कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	485.74	611.25	627.30
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल : पशु विज्ञान	**38984.09**	**37294.45**	**42116.23**
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन			
1.	काजरी, जोधपुर	5084.57	4494.00	5176.62
2.	क्रीडा, हैदराबाद	2774.47	2591.50	2855.00
3.	सी.एस. और डब्ल्यू.सी.आर. एवं टी.सी., देहरादून	3254.81	3083.55	3295.98
4.	सी.एस.एस.आर.आई., करनाल	2166.59	1763.00	2368.13
5.	एन.ई.एच. क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. क्षेत्रीय केन्द्र बड़ापानी	4508.73	4931.00	5532.56
6.	आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना	1319.09	1386.00	1857.57

1	2	3	4	5
7.	आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, गोवा	519.90	589.74	1245.00
8.	आई.आई.एस., भोपाल	656.41	660.00	797.48
9.	एन.बी.एस.एस. एंड एल.यू.पी., नागपुर	3519.28	3744.00	3971.00
10.	एन.आर.सी.-कृषि वानिकी, झांसी	430.39	407.00	486.00
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
11.	जल प्रबंधन निदेशालय, भुवनेश्वर	464.59	503.95	512.50
12.	एन.आर.सी. खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	487.16	600.75	568.00
	परियोजना निदेशालय			
13.	पी.डी.सी.एस., मोदीपुरम	697.35	718.34	713.95
	पी.सी.यू.			
14.	पी.सी.यू.-ए.एम. क्रीडा, हैदराबाद	52.14	52.50	59.50
15.	पी.सी.यू.-डी.ए., क्रीडा, हैदराबाद	40.90	37.50	49.50
16.	पी.सी.यू.-एम.एस.एन., आई.एस.एस., भोपाल	37.46	35.00	43.00
17.	पी.सी.यू.-एस.ए.एस., सी.एस.एस.आर.आई., करनाल	18.52	31.00	20.50
18.	पी.सी.यू., एस.टी.सी.आर., आई.आई.एस.एस., भोपाल	23.66	21.00	28.50
19.	पी.सी.यू., डब्ल्यू.एम., डब्लयू.टी.सी., भुवनेश्वर	49.67	38.50	44.80
20.	एन.आई.ए.एस.एम., बारामती, पुणे, महाराष्ट्र	0.00	0.00	52.01
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	**26105.69**	**25688.33**	**29677.60**
	मात्स्यिकी			
1.	सी.बा., चेन्नई	1191.57	1089.69	1192.75
2.	सी.आई.सी.एफ.आर.आई., बैरकपुर	4136.86	4394.15	4864.00
3.	सी.आई.एस.ए., भुवनेश्वर	1760.29	1754.33	1704.00
4.	सी.आई.एफ.ई. मुंबई	2778.22	2969.13	2211.27
5.	सी.आई.एफ.टी., कोचीन	2304.88	1875.00	3454.42

1	2	3	4	5
6.	सी.एम.एफ.आर.आई., कोचीन	6328.25	6120.31	6546.90
7.	एन.बी.एफ.जी.आर., लखनऊ	799.39	773.00	842.45
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
8.	शीत जल मत्स्य पालन निदेशालय, भीमताल	290.17	441.00	116.61
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल: मात्स्यिकी	**19589.63**	**19416.61**	**20932.40**
	कृषि इंजीनियरिंग			
1.	सी.आई.ए.ई., भोपाल	2529.34	2478.50	2473.53
2.	सिफेट, लुधियाना	562.09	575.00	593.00
3.	सिरकोट, मुम्बई	1926.42	1710.00	1990.25
4.	आई.आई.एन.आर.जी., रांची	1164.28	926.50	1092.51
5.	निरजेफट, कोलकाता	1309.32	1075.50	1140.92
	पी.सी.यू.			
6.	पी.सी.यू. एफ.आई.एम., सी.आई.ए.ई., भोपाल	39.93	40.50	28.80
7.	पी.सी.यू.-अनु:सी.आई.ए.ई., भोपाल	36.31	41.00	27.00
8.	पी.सी.यू., यू.ए.ई., सी.आई.ए.ई., भोपाल	47.71	39.00	42.72
9.	पी.सी.यू., ई.एस.ए., सी.आई.ए.ई., भोपाल	23.16	26.00	22.55
10.	पी.सी.यू., ए.पी.ए., सिफेट, लुधियाना	30.14	44.95	36.45
11.	पी.सी.यू., पी.एच.टी., सिफेट, लुधियाना	20.81	16.90	18.65
	आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
	कुल: कृषि इंजीनियरिंग	**7689.51**	**6973.85**	**7466.38**
	कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी			
1.	आई.ए.एस.आर.आई., नई दिल्ली	3163.04	2722.85	2761.71
2.	एन.सी.ए.ई. और पी.आर., नई दिल्ली	253.39	322.70	315.12
	कुल: आर्थिकी एवं सांख्यिकी और प्रबंधन	**3416.43**	**3045.55**	**3076.83**

1	2	3	4	5
	कृषि शिक्षा			
1.	नार्म, हैदराबाद	1501.85	1342.83	1648.13
2.	शिक्षा प्रभाग योजना	0.00	109750.00	17418.00
कुलः कृषि शिक्षा		**1501.85**	**111092.83**	**19066.13**
	कृषि विस्तार			
1.	राष्ट्रीय अनुसंधन केन्द्र में महिलाएं, भुवनेश्वर	275.81	240.06	328.24
	कुलः कृषि विस्तार	**275.81**	**240.06**	**328.24**
	भा.कृ.अ.प., मुख्यालय			
1.	ए.एस.आर.बी., नई दिल्ली	546.86	933.00	1140.30
2.	डी.आई.पी.ए. नई दिल्ली आई.पी.आर.	478.55	453.70	504.00
3.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय, नई दिल्ली	12033.20	11438.00	12623.02
4.	आई.पी.आर. प्रबंध, नई दिल्ली	302.90	136.59	150.00
	क्षेत्रीय समन्वय एकक			
1.	जैड.सी.यू.,जोन-I, लुधियाना	0.00	0.00	5.00
2.	जैड.सी.यू.,जोन-II, कोलकाता	0.00	3.05	18.18
3.	जैड.सी.यू.,जोन-III, बड़ापानी	0.00	1.65	0.00
4.	जैड.सी.यू.,जोन-IV, कानपुर	0.00	0.50	1.00
5.	जैड.सी.यू.,जोन-V, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00
6.	जैड.सी.यू.,जोन-VI, जोधपुर	0.00	0.00	0.00
7.	जैड.सी.यू.,जोन-VII, जबलपुर	0.00	0.00	16.00
8.	जैड.सी.यू.,जोन-VIII, बंगलौर	0.00	0.00	0.00
	कुल क्षेत्रीय समन्वय एकक	**0.00**	**5.20**	**40.18**
	कुल योग (ए)	192142.86	293454.80	222647.03

*आंकड़ों में भा.कृ.अ.प. के आंतरिक संसाधनों से आवंटित राशि शामिल हैं

टिप्पणी: उपरोक्त आवंटन में नीचे दी गई ए.पी. सैस के निधि के तहत आवंटन शामिल नहीं है क्योंकि ए.पी. सैस अधिनियम, 1940 निरस्त हो गया है और कोई नई परियोजना/अनुसंधान कार्यकलाप स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं।

ए.पी. सैस निधि (बी)	245.00	150.00	100.00
कुल (ए+बी)	192387.86	293604.80	222747.03

[हिन्दी]

बच्चों का अपहरण

*269. **श्री गणेश सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में बच्चों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में कठोर दंड का प्रावधान किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में वर्ष 2008 में बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के 7,650 मामलों, वर्ष 2009 में बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के 8,945 मामलों और वर्ष 2010 में बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के 10,670 मामलों की सूचना मिली थी। क्रमशः वर्ष 2008, 2009 और 2010 के संबंध में देश में बच्चों के अपहरण और व्यपहरण के तहत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए बच्चों के अपहरण से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपहृत बच्चों का पता लगाने सहित अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि भारत सरकार अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को बढ़ाने के प्रति काफी प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्रालय ने हाल में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को लापता बच्चों के बारे में एक परामर्श-पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनैतिक व्यापार रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के संबंध में आवश्यक विभिन्न उपायों के बारे में सलाह दी गई है। इनमें लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की भागीदारी, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय दंड संहिता में धारा 363 और 363-क जैसे कड़े उपबंध विद्यमान हैं जिनमें सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा निर्धारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के अन्तर्गत दर्ज मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले, (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य संघ क्षेत्र	2008						2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	433	380	11	563	619	35	632	467	22	638	552	55
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	11	0	11	11	0	17	13	0	12	13	0
3.	असम	7	13	1	9	16	2	5	6	0	7	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	496	328	15	931	694	17	722	364	7	988	740	17
5.	छत्तीसगढ़	96	94	16	105	104	10	121	103	26	102	106	16
6.	गोवा	24	8	0	28	9	0	21	14	2	24	27	2
7.	गुजरात	521	421	14	606	618	18	503	377	8	528	549	11
8.	हरियाणा	104	82	17	89	92	22	149	77	15	121	114	29
9.	हिमाचल प्रदेश	78	39	4	69	59	6	72	51	8	67	53	5
10.	जम्मू और कश्मीर	3	4	0	4	4	0	10	1	0	1	1	0
11.	झारखंड	18	11	1	36	25	1	8	3	3	10	9	3
12.	कर्नाटक	99	41	1	69	61	1	67	63	0	92	80	0
13.	केरल	87	72	2	93	111	2	83	64	4	105	82	4
14.	मध्य प्रदेश	264	246	53	357	351	82	427	329	49	547	542	74
15.	महाराष्ट्र	598	476	13	699	627	17	534	479	17	629	624	19
16.	मणिपुर	61	0	0	5	0	0	52	0	0	34	0	0
17.	मेघालय	21	7	0	12	11	0	9	5	0	4	7	0
18.	मिजोरम	2	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1
19.	नागालैंड	3	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0
20.	ओडिशा	8	11	0	24	29	0	30	17	0	36	31	0
21.	पंजाब	184	95	11	160	143	12	355	143	21	451	211	31
22.	राजस्थान	504	226	29	251	247	35	761	349	43	465	468	57
23.	सिक्किम	3	1	1	1	1	1	6	3	3	4	3	3
24.	तमिलनाडु	275	181	19	216	231	19	300	190	7	325	255	12
25.	त्रिपुरा	23	17	2	25	24	2	12	13	0	1	4	0
26.	उत्तर प्रदेश	2224	1308	532	3043	2061	928	1535	1046	531	2370	1913	933
27.	उत्तराखंड	24	21	9	39	47	11	10	8	6	11	16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	196	136	2	154	165	5	199	105	3	167	131	1
	कुल राज्य	**6369**	**4232**	**753**	**7603**	**6362**	**1226**	**6641**	**4292**	**776**	**7741**	**6540**	**1286**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	5	0	9	9	0	10	2	0	5	2	0
30.	चंडीगढ़	36	13	7	39	15	8	27	15	7	15	18	9
31.	दादरा और नगर हवेली	11	7	0	17	9	0	8	8	2	11	17	3
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1208	335	46	388	353	68	2248	381	65	326	385	35
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	14	4	0	10	5	0	11	12	0	14	13	0
	कुल संघ शासित	**1281**	**364**	**53**	**463**	**391**	**76**	**2304**	**418**	**74**	**371**	**435**	**47**
	कुल अखिल भारत	7650	4596	806	8066	6753	1302	8945	4710	850	8112	6975	1333

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य संघ क्षेत्र	2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	581	480	35	589	645	47
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	8	0	6	6	0
3.	असम	17	2	0	11	4	0
4.	बिहार	1359	631	11	1839	1260	25
5.	छत्तीसगढ़	186	160	17	200	196	22
6.	गोवा	14	10	1	12	18	2

1	2	15	16	17	18	19	20
7.	गुजरात	565	414	9	607	554	16
8.	हरियाणा	123	90	23	116	120	31
9.	हिमाचल प्रदेश	86	38	1	72	71	5
10.	जम्मू और कश्मीर	5	2	1	3	3	1
11.	झारखंड	6	6	0	1	13	0
12.	कर्नाटक	125	70	4	167	155	6
13.	केरल	111	100	4	109	136	5
14.	मध्य प्रदेश	440	364	80	527	505	101
15.	महाराष्ट्र	749	470	7	844	702	11
16.	मणिपुर	60	0	0	33	0	0
17.	मेघालय	16	11	0	10	7	0
18.	मिजोरम	0	0	1	0	0	1
19.	नागालैंड	7	5	4	7	5	4
20.	ओडिशा	51	35	1	39	40	1
21.	पंजाब	373	176	31	424	303	55
22.	राजस्थान	706	254	40	382	370	81
23.	सिक्किम	5	10	0	8	10	0
24.	तमिलनाडु	459	216	15	343	290	22
25.	त्रिपुरा	22	11	1	37	28	1
26.	उत्तर प्रदेश	1225	898	649	1937	1570	1093
27.	उत्तराखंड	9	9	4	18	18	6
28.	पश्चिम बंगाल	332	221	8	377	231	8
	कुल राज्य	**7637**	**4691**	**947**	**8718**	**7260**	**1544**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	7	0	13	7	0
30.	चंडीगढ़	23	20	5	17	18	5

1	2	15	16	17	18	19	20
31.	दादरा और नगर हवेली	10	4	0	11	7	0
32.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	2982	342	62	318	359	77
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	8	9	1	8	12	1
	कुल संघ शासित	**3033**	**382**	**68**	**367**	**403**	**83**
	कुल अखिल भारत	10670	5073	1015	9085	7663	1627

[अनुवाद]

मोबाइल टेलीविजन सेवाएं

*270. **डा. संजीव गणेश नाईक:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र और अन्य निजी प्रचालक मोबाइल टेलीविजन सेवाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों की निगरानी हेतु कोई विनियामक ढांचा मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मोबाइल टेलीविजन सेवाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रसारण करने में सरकार द्वारा कितनी सफलता हासिल की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) दूरदर्शन मई, 2007 से दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में मोबाइल टेलीविजन की सेवाएं मुहैया कराता रहा है। मोबाइल टी.वी. सिगनलों को डी.वी.बी.एच. (डिजिटल वीडियों ब्रॉडकास्टिंग-हैंडहेल्ड) पर प्राप्त किया जा सकता है जोकि आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, जहां पर ट्रांसमीटर स्थित है, से लगभग 10 किमी. के रेंज के भीतर मोबाइल फोन की सेवाओं को संभव बनाते हैं। इस समय, दूरदर्शन के समूह में 16 टीवी चैनल हैं जोकि निम्नानुसार हैं:-

1. डीडी नेशनल
2. डीडी न्यूज
3. डीडी स्पोर्ट्स
4. डीडी भारती
5. डीडी बंगला
6. डीडी पंजाबी
7. डीडी उर्दू
8. डीडी पोढ़िगई
9. डीडी इंडिया
10. डीडी चंदाना
11. डीडी गिरनार
12. डीडी केरलम
13. डीडी नॉर्थ ईस्ट
14. डीडी उड़िया
15. डीडी सहयाद्रि
16. डीडी सप्तगिरि

मोबाइल टीवी सेवा उपभोक्ताओं को विषय-वस्तु सुलभ कराने के लिए एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों की अभिसारिता के कारण टेलीकॉम नेटवर्कों व प्रसारण नेटवर्कों को प्रयोग करते हुए मोबाइल टेलीविजन सेवा मुहैया करा पाना संभव हो सका है। दूरसंचार नेटवर्कों में एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) करार तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों के तहत उनके नेटवर्कों (यू.ए.एस.एल. और सी.एम.टी.एस. लाइसेंस धारकों के) पर वीडियो विषय-वस्तु का वितरण करने की अनुमति है।

प्रसारण नेटवर्क के जरिए मोबाइल टी.वी. सेवाओं का वितरण करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 23.01.2008 को "मोबाइल टेलीविजन सेवा से संबंधित मुद्दों" पर दी गई अपनी सिफारिशों में निजी प्रसारकों को प्रसारण मार्ग के अंतर्गत ट्रांसमिशन की स्थलीय पद्धति का प्रयोग करके मोबाइल टी.वी. सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम बनाने के लिए एक ढांचा निर्धारित किया था। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मोबाइल टी.वी. सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी, स्पेक्ट्रम आबंटन, लाइसेंसिंग मुद्दे व विषय-वस्तु विनियमन आदि शामिल हैं।

तथापि, मंत्रालय यू.एच.एफ. बैंड V (585-698 मेगाहर्ट्ज) में पर्याप्त स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता के कारण मोबाइल टीवी सेवा के लिए एक विनियामक ढांचे की स्थापना नहीं कर सका। यह प्राक्कलित किया गया है कि अखिल भारतीय आधार पर मोबाइल टीवी सेवाओं के लिए कम से कम 96 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी। तथापि, राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना, 2011 में इंडिया रिमार्क्स (इंड 37) के अनुसार, दूरदर्शन के डिजिटलीकरण कार्यक्रम और मोबाइल टीवी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की आवश्यकता को यू.एच.एफ. बैंड V (585-698 मेगाहर्ट्ज) में पूरा किया जाना होगा। दूरदर्शन ने अपने डिजिटलीकरण कार्यक्रम के लिए इस बैंड के भीतर 64 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता दर्शायी है। इसलिए, मोबाइल टीवी सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम आवश्यकता से काफी कम है।

खाद्यान्नों की बर्बादी

***271. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**

श्री बैजयंत पांडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाने, ले जाने और भंडारण के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की बर्बादी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा भविष्य में ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' प्रणाली अपनाने सहित क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार प्रस्ताव रेलवे के सहयोग से खाद्यान्न भंडारण और ढुलाई प्रणाली को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करने तथा अतिरिक्त भंडारण स्थान सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और भंडारण स्थान सृजित करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भंडारण किया गया जबकि खाद्यान्नों को बर्बाद होने के लिए खुले में रख दिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक गतिविधियों के दौरान मार्ग में और भंडारण में होने वाली हानियों सहित खाद्यान्नों की कुछ हानि/क्षति हो जाती है। नमी सूखने, दीर्घावधि भंडारण, कीड़ों-कीटों के प्रकोप, चूहों और पक्षियों की समस्या, बहु-हैंडलिंग और श्रमिकों द्वारा हुकों का प्रयोग करने, बोरियों की कमजोर सिलाई होने/उनके फटने, कर्मचारियों की ओर से लापरवाही होने, चोरी, बिखराव और वर्षा/बाढ़ आदि जैसे विभिन्न कारणों से भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों में हानि/क्षति हो जाती है। कर्मचारियों की ओर से

लापरवाही होने के मामले उनके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई की जाती है।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान (फरवरी 2012 तक) भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की क्षेत्र-वार मात्रा बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष का आंकड़ा केवल 2896 टन है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से भारतीय खाद्य निगम में हुई भंडारण और मार्गस्थ हानियों (गेहूं+चावल) के ब्यौरे सलग्न विवरण-II में दिया गए हैं।

खाद्यान्नों को भंडारण के दौरान हुआ नुकसान नमी सूखने, बिखराव, कीटों के प्रकोप, चोरी, पक्षियों अथवा चूहों की समस्या आदि के कारण होता है जबकि खरीद, भंडारण. संचलन तथा वितरण प्रचालनों के विभिन्न चरणों में भी क्षति होती है। जहां तक ढुलाई के दौरान हुए नुकसान का संबंध है, यह केवल खाद्यान्नों के संचलन के दौरान ही होता है।

भंडारण और मार्गस्थ हानियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित निरीक्षण ओर औचक निरीक्षण के दौरान घटिया/क्षतिग्रस्त स्टाक से संबंधित पता लगाए गए मामलों और पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	अधिकारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध खाद्य सड़ने/क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्रवाई की
2008-09	50
2009-10	28
2010-11	20
2011-12 (फरवरी 2012 तक)	19

(ग) और (घ) अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को 10 वर्ष तक गोदामों को किराए पर उठाने का गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में 151.96 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से निजी निवेशकों द्वारा लगभग 90.75 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्य भंडारण निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम क्रमश: 14.75 और 5.40 लाख टन क्षमता का आवंटन किया गया है। इस विभाग ने रेलवे के साथ समन्वय करते हुए कुछ स्थानों पर इस योजना स्कीम के अधीन पूर्वोत्तर में 5.40 लाख टन की कुल अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने की योजना को भी अंतिम रूप दिया है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की समूची भंडारण जरूरत के अंदर 20 लाख टन क्षमता साइलोज में सृजित करने की मंजूरी भी दी है। यह विभाग राज्यों की अपनी भंडारण जरूरतों के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर को सहायता अनुदान के रूप में भी निधियां जारी करता है। भंडारण स्थान का सृजन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें प्रदान की गई सहाता का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के साथ परामर्श करते हुए खाद्यान्नों के संचलन के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम और रेलवे से कहा गया है कि वे ऐसी योजना बनाने के लिए संगत सूचना भेजें। सूचना प्राप्त होने पर विभाग 'राष्ट्रीय खाद्यान्न संचलन योजना' को अंतिम रूप देगा।

(ङ) और (च) हाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्नों से इतर वस्तुओं का भंडारण करने के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, गांधी नगर, जयपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्थान को राजस्थान स्टेट ब्रीवेरीज कारपोरेशन लि. द्वारा किराए पर लेने का मुद्दा हाल में मीडिया में प्रकाश में आया था। राजस्थान बीवेरिज द्वारा 10.04.2010 से गोदाम खाली कर दिया गया है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान जब कम स्टाक था तब खाली पड़े भंडारगृह को किराए पर देकर आय प्राप्त करने के लिए बनाई गई भारतीय खाद्य निगम की नीति के अनुसार इन गोदामों को किराए पर दिया गया था।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और गत वर्ष 1.3.2012 तक के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य क्षेत्रवार स्टॉक

(टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (01.03.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	14	726	200	0
2.	झारखंड	15	17	39	29
3.	ओडिशा	84	0	18	36
4.	पश्चिम बंगाल	1789	1357	922	477
5.	असम	83	38	49	442
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	212	77	175	0
7.	नागालैंड और मणिपुर	6	0	1	0
8.	दिल्ली	0	5	1	0
9.	हरियाणा	16	0	53	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
12.	पंजाब	16798	2273	182	37
13.	राजस्थान	0	12	21	30
14.	उत्तर प्रदेश	62	14	520	11
15.	उत्तराखंड	4	0	1338	0
16.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	3	4.33
17.	केरल	98	19	99	200
18.	कर्नाटक	74	70	17	0
19.	तमिलनाडु	1	1	12	29

1	2	3	4	5	6
20.	गुजरात	655	814	2595	226
21.	महाराष्ट्र	189	245	97	1361
22.	मध्य प्रदेश	14	49	2	0
23.	छत्तीसगढ़	0	974	2	13.78
	कुल	20114	6702	6346	2896.11

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भंडारण और ढुलाई (गेहूं और चावल) के दौरान हुई हानियां

भंडारण हानियां

(लाख टन में)

वर्ष	हानि की मात्रा	प्राप्त मात्रा	हानि का %
2008-09	0.58	620.17	0.10
2009-10	1.31	725.27	0.18
2010-11*	1.56	530.77	0.29
2011-12* (फरवरी 2012 तक)	1.48	542.66	0.27

(*अनन्तिम)

मार्गस्थ हानियां

(लाख टन में)

वर्ष	हानि की मात्रा	संचलित मात्रा	हानि का %
2008-09	1.06	303.84	0.35
2009-10	1.55	346.56	0.45
2010-11*	1.60	317.39	0.50
2011.12* (फरवरी 2012 तक)	1.60	298.69	0.54

(*अनन्तिम)

विवरण-III

भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम

1. गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी पर कांटेदार तार लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान करने और शेडों में उचित रूप से ताला लगाने जैसे भौतिक उपाय किये जाते हैं।

2. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम और होमगार्ड जैसी अन्य -एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

3. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।

4. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।

5. 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि हुकों का प्रयोग न करना पड़े।

6. मशीन से बोरियों की दोहरी सिलाई।

7. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार करना।

8. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना।

9. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।

10. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महा प्रबंधकों (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।

11. तोल सेतुओं के 'केलीब्रेशन' का निरीक्षण और मॉनीटरिंग किया जाना।

12. प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाए रखना।

13. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।

14. मानसून-पूर्व प्रधूमन करना।

15. डनेज सामग्री में सुधार करना।

16. खरीद के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

17. यह सुनिश्चित करना कि भारतीय खाद्य निगम के अपने सभी गोदामों का निर्माण तथा रखरखाव खाद्यान्नों के भंडारण के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अनुरूप किया जाए।

18. मार्गस्थ हानियों को रोकने के लिए खाद्यान्नों के संचलन हेतु केवल ढकी हुई रेल वैगनों का ही इस्तेमाल किया जाता है।

विवरण-IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित प्रदान की गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)

जारी परियोजनाएं

राज्य/परियोजनाओं की सं.	सृजन की जाने वाली कुल वास्तविक क्षमता (टन में)	कुल अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	राज्य सरकार को पहले से ही रिलीज की जा चुकी निधि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर (1)	6160	341.00	341.00
असम (1)	4000	357.55	343.00

1	2	3	4
मिजोरम (22)	17500	1499.00	1130.00
सिक्किम (1)	375	115.00	60.00
त्रिपुरा (31)	33000	2811.00	894.00
मेघालय (2)	4500	200.72	200.72
अरुणाचल प्रदेश (11)	7680	760.00	471.00

भुखमरी संबंधी रिपोर्ट

*272. **श्री सी. राजेन्द्रन:**

श्री टी.आर. बालू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 66वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और योजना आयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की हाल की रिपोर्टों में विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद देश में पौष्टिक आहार सेवन में कमी और क्षुधा, कुपोषण तथा भुखमरी व्याप्त होने के संकेत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी रिपोर्टों/ सर्वेक्षणों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्गठन सहित क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) इन्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अक्तूबर 2011 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में 122 देशों के लिए सूचकांक की गणना की गई है गणना में अंतिम रूप से शामिल किए गये 81 देशों में भारत का स्थान 67वां है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन देशों में से है, जहां 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम भार के बच्चे सर्वाधिक हैं। लेकिन देश में पौष्टिक आहार में गिरावट आने और भुखमरी तथा कुपोषण होने के बारे में भारत के लिए विशेष रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें देश में लोगों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता अथवा खाद्यान्नों तक पहुंच में कमी होने के बारे में भी कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

राष्ट्रीय नमूना संगठन के 66वें सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 1993-1994 से वर्ष 2009-10 तक की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रोटीन की दैनिक खुराक में ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट आकर प्रति व्यक्ति 60.2 ग्राम से 55 ग्राम रह गई है और शहरी क्षेत्र में 57.2 ग्राम से गिरकर 53.5 ग्राम रह गई है। तथापि, इसी अवधि में वसा की खुराक में वृद्धि का रूझान दिखाई दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में 31.4 ग्राम से बढ़कर 38.3 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 42 ग्राम से बढ़कर 47.9 हो गई है। सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्षों में वर्ष 1993-94 से कुल कैलोरी खुराक (इनटेक) में अनाज इनटेक का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7% प्वाइंट और शहरी क्षेत्र में लगभग 3.5% प्वाइंट गिरना शामिल है। तेल और वसा का हिस्सा दोनों क्षेत्रों में 3% प्वाइंट बढ़ गया है। दूध और दूध उत्पादों का हिस्सा भी शहरी क्षेत्र में लगभग 1.4% प्वाइंट और ग्रामीण क्षेत्र में 0.6% प्वाइंट बढ़ गया है।

सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के निष्कर्षों को नोट किया है। तथापि, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के निष्कर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वर्ष 2009 और वर्ष 2011 की अवधि के दौरान राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर आबादी के कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता और वितरण में हाल में हुई वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुपोषितों के अनुपात संबंधी आंकड़े वर्ष 2005 से 2007 के संबंध में है। कम वजन के बच्चों के आंकड़े वर्ष 2004 से 2009 तक के हैं। बाल मृत्यु संबंधी आंकड़े वर्ष 2009 के लिए हैं। यह तीन परस्पर जुड़े उन संकेतकों पर आधारित हैं जो सभी स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति दर्शाते हैं और वह भी मुख्यत: बच्चों के मामले में तथा समाज

में व्याप्त भुखमरी अथवा भोजन तक पहुंच के अभाव को नहीं दर्शाते हैं। किसी भी बड़े पैमाने के प्राथमिक फील्ड सर्वेक्षणों द्वारा इन आंकड़ों की परीक्षण अथवा वैधता की जांच नहीं की गई है।

(घ) सरकार आबादी के अत्यधिक कमजोर वर्गों, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषाहार स्तर को सुदृढ़ करने के लिए आई.सी.डी.एस. के अधीन चलाए जा रहे अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के जरिए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला) के तहत 11-18 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे पोषाहार सशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कई उपाय कर रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लिए नए 52 जिलों में ट्रायल आधार पर वर्ष 2010-11 में लागू की गई मातृत्व सहयोग योजना के अधीन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित अन्नपूर्णा स्कीम के अधीन बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम ओडिशा के के.बी.के. जिलों में क्रियान्वित खाद्यान्न आधारित कार्यक्रम है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वृद्धि, कमजोर और बेसहारा व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम के लाभार्थियों को रोजाना पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले 2 वर्षों के दौरान तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के जरिए खाद्यान्नों का आवंटन भी बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति, 1993 और राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना, 1995 में एक ऐसी व्यापक अंतर-क्षेत्र रणनीति बनाने की वकालत की गई है जो कुपोषण की बहुआयामी समस्या से लड़ने और समाज के सभी वर्गों के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से आबादी के खुराक और पोषाहार स्तर को प्रभावित करती है।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगार बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। इनमें 9 सूत्री कार्य योजना, जाली राशन कार्डों को रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैन्य बलों में कार्य करने की स्थितियां

*273. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय अर्द्ध-सैन्य सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों विशेषकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कार्य करने की स्थितियों का आकलन करने हेतु स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं के बिना कार्य करते हुए तनावग्रस्त स्थितियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में जवानों के समक्ष आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों, विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कार्य करने की स्थिति का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। वर्ष 2005 में कतिपय विशेषज्ञों के साथ पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा एल.एन.जे. एन.एन.आई.सी.एफ.एस. द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन कराया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि:

(i) क्या संघ के विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत कार्मिक तनाव से ग्रसित हैं;

(ii) तनाव के संभावित कारण;

(iii) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में तनाव से निपटने से संबंधित तंत्र की उपलब्धता;

(iv) मामला संबंधी अध्ययनों में पता लगाए गए कार्मिकों द्वारा उठाए गए अन्तिम कदम के लिए जिम्मेवार कारण;

(v) समस्या से निपटने के संबंध में उपचारात्मक उपाय।

अध्ययन में, सीमा सुरक्षा बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तनाव मौजूद रहने की पुष्टि हुई और तनाव के कतिपय सामान्य कारणों का पता लगाया गया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियों में कठिन एकान्त क्षेत्रों में तैनाती;

(ii) लंबे और तनावपूर्ण ड्यूटी के घंटे;

(iii) सूचना प्राप्त होने पर बहुत ही कम समय में अत्यधिक/अनिश्चित आवाजाही;

(iv) खराब रहन-सहन और कार्य की स्थितियां;

(v) परिवारों में लंबे समय तक दूर रहना;

(vi) बच्चों की शिक्षा - निरंतर आवाजाही/स्थानांतरण के कारण बाधा;

(vii) एक से अधिक जगह पर भरण-पोषण करने के कारण परिवार में आर्थिक संकट;

(viii) पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों की कमी, आदि।

समिति ने कतिपय सिफारिशें भी कीं जिनसे तनाव के स्तर से निपटने और उसमें कमी करने में सहायता मिलेगी। इन सिफारिशों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों और उप-शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है:-

(क) संगठनात्मक: इस शीर्ष के तहत 37 सिफारिशें की गई थीं।

(ख) व्यक्तिगत: इस शीर्ष के तहत 8 सिफारिशें थीं जिनमें एकाकीपन को दूर करना; विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेना; साथियों, परिवार के सदस्यों, मित्रों से परिसंवाद; शराब और मादक पदार्थों से दूर रहना; नियमित व्यायाम और खेलकूद; योग एवं ध्यान; तनाव के कारणों एवं उनसे निपटने के बारे में स्वत: शिक्षा इत्यादि शामिल हैं।

(ग) सरकारी: इस शीर्ष के तहत तीन सिफारिशें की गई थीं।

गृह मंत्रालय ने जवानों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने और उनके बीच तनाव को कम करने के लिए हाल के वर्षों में अनेक उपचारी कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं। इस संबंध में किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) बी.एस.एफ. कर्मियों को पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए समुचित आराम एवं राहत नीति लागू की गई है;

(ii) उनकी तैनाती के स्थानों, विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाओं का प्रावधान ताकि बल के कार्मिक अपने परिवारों तथा मित्रों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में बने रहें;

(iii) विवेकपूर्ण तथा निष्पक्ष छुट्टी संबंधी नीति का कार्यान्वयन;

(iv) तनाव के स्तर को कम करने के लिए कमाण्डरों और जवानों के बीच नियमित बातचीत सुनिश्चित की जा रही है;

(v) उनके तनाव के स्तर को कम करने के लिए सैन्य टुकड़ियों के लिए नियमित रूप से तनाव प्रबंधन कैप्सूल पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं;

(vi) सुयोग्य योग अनुदेशकों के द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियमित रूप से योग शुरू किया गया है;

(vii) सेवारत कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान एवं शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(viii) सैन्य टुकड़ियों को बुनियादी सुख-सुविधाएं मुहैया कराने तथा उनके जीवन-यापन के स्तर को सुधारने के लिए

सीमा चौकियों (बी.पी.ओ.) में पर्याप्त अवसंरचना का विकास;

(ix) ड्यूटी पर तैनात सैन्य टुकड़ियों की शारीरिक एवं मानसिक थकान को कम करने तथा उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक गेजेट्स का समावेश, सड़कों का निर्माण, बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना;

(x) तनाव के स्तर को कम करने के लिए सभी स्तरों पर खेलकूद/गेम्स इत्यादि सहित मनोरंजन सुविधाओं तथा रेजीमेन्टल एवं सामुदायिक कार्यकलापों का प्रावधान ताकि उनमें उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके;

(xi) कर्मियों के बीच किसी भी प्रकार की नाराजगी एवं असन्तोष को दूर करने के लिए ड्यूटियों का संवितरण करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है;

(xii) उनकी व्यक्तिगत/मनोवैज्ञानिक चिंताओं आदि का समाधान करने के लिए बी.एस.एफ. के जवानों के साथ डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की बातचीत करवाना, आदि।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एककों को सहायता

*274. **श्री राधे मोहन सिंह:**

श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र और ओडिशा सहित विभिन्न राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने हेतु संभार सहायता सहित सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने किसान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लाभान्वित हुए;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वर्तमान ऋण/राजसहायता सीमा में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी नहीं महोदया।

(ख) (i) तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं ओडिशा सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामन्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसियों में केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र की यूनिटें एवं व्यक्ति शामिल हैं।

(ii) उपर्युक्त के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत भी संभार तंत्र सहायता जैसे रीफर वैनों आदि समेत एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगि उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत देश में एजेंसियों/उद्यमियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) किसान एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। परन्तु मंत्रालय किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अलग-अलग उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के आंकड़े नहीं रखता है।

(घ) जी नहीं महोदया।

(ङ) मुख्य रूप से संसाधनों की विवशता के कारण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त और वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या**

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गिई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	105	1904.72628
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.420	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	12	242.77822
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	5	89.65674
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25.000	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	75	841.82756
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.600	16	410.68
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25.00	2	50.00
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	106	1975.03353
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.280	62	828.2817
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.530	14	377.51
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	6	98.42
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	1	16.57
15.	कर्णाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.790	61	896.29261
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	52	901.285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	23	376.54125
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	202	2824.15216
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	11	189.71817
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0
23.	ओडिशा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	9	113.59075
24.	पुदुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	1	25
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	147	1692.90175
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	691.123	95	1236.56315
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	75	1389.79015
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	53	907.05132
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	5	138.04695
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	19	319.87
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	1157	17846.28729

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एच.डी.एफ.सी. बैंक के समन्वयाधीन हैं।

किसानों की आय

*275. **श्री नीरज शेखर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 65 प्रतिशत से अधिक कृषक परिवारों की दैनिक आमदनी 20 रुपए से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का कृषि व्यवसाय में लाभ सुनिश्चित करने तथा तथ्यों के आलोक में कृषि नीति की समीक्षा करने हेतु नए सिरे से कोई पहल करने का विचार है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एम.ओ.) ने 2003 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ खेती,

पशुपालन, गैर-फार्म व्यापार तथा मजदूरी से संबंधित प्राप्ति तथा व्यय पर सूचना एकत्र करने के लिए किसानों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण शुरू किया है। वर्ष 2002-03 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय 2115 रुपए थी। 2002-03 के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्यों में स्रोत द्वारा प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय निम्न प्रकार थी।

2002-03 के दौरान प्रमुख राज्यों में स्रोत द्वारा प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय (रुपए)

राज्य	खेती	मजदूरी	पशुपालन	गैर फार्म व्यापार	कुल
आन्ध्र प्रदेश	743	643	93	155	1634
असम	1792	973	141	255	3161
बिहार	846	497	265	202	1810
छत्तीसगढ़	811	709	-3	101	1618
गुजरात	1164	925	455	140	2684
हरियाणा	1494	1268	-236	356	2882
जम्मू और कश्मीर	2426	2060	382	620	5488
झारखंड	852	924	86	207	2069
कर्नाटक	1266	1051	131	168	2616
केरल	1120	2013	154	717	4004
मध्य प्रदेश	996	560	-227	101	1430
महाराष्ट्र	1263	799	144	257	2463
ओडिशा	336	573	16	137	1062
पंजाब	2822	1462	236	440	4960
राजस्थान	359	931	5	203	1498
तमिलनाडु	659	1105	110	198	2072
उत्तर प्रदेश	836	559	53	185	1633
पश्चिम बंगाल	737	887	77	378	2079
अखिल भारत	969	819	91	236	2115

(ग) से (ङ) खेती क्षेत्र का उत्पादन, उत्पादकता तथा आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सरकार अन्यों के अलावा राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), तिलहन, दलहनों तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम) का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजना के अंतर्गत, आदानों जैसे गुणवत्ता बीजों, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विस्तृत सेवाओं, समर्थन आधारभूत ढांचा तथा परिवर्तनीय विपणन प्रणाली में आसान तथा उचित पहुंच के लिए बल दिया जाता है। इसके अलावा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रति वर्ष कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा करती है। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में भी खेती की आर्थिक व्यवार्हता में सुधार लाने के प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून, 2004 में आधार वर्ष 2003-04 के संदर्भ में तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगना करने का निर्णय लिया है। कृषि ऋण के प्रवाह में तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगना करने का निर्णय लिया है। कृषि ऋण के प्रवाह में 2003-04 से लक्ष्यों से अधिक लगातार वृद्धि हुई है। किसानों को ऋण देने को सरल बनाने तथा वित्तीय स्थिति में वृद्धि लाने के लिए किसानों को किसान ऋण कार्ड (के.सी.सी.) प्रदान किए जा रहे हैं। खरीफ 2006-07 से किसान तीन लाख रुपए की राशि तक 7 प्रतिशत ब्याज की दर से फसल ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा 2009-10 से सरकार उन किसानों को जो ऋण समय पर भुगतान करते हैं एक प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस आर्थिक सहायता में 2010-11 में 2 प्रतिशत तथा 2011-12 में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इस प्रकार उन किसानों के लिए जो समय पर भुगतान करते है 3 लाख रुपए तक फसल ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर में, गिरावट आकर 4 प्रतिशत वार्षिक हो गई है।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों का विकास

*276. **श्री राधा मोहन सिंह:**

श्री भूदेव चौधरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों झुग्गियों के पुनर्वास और विकास हेतु कौन-कौन-सी योजनाएं, व्यापक योजना और नीति मौजूद हैं;

(ख) क्या विशेषकर शहरी क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थलों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाने संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए शहरी गरीबों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य और शहर/कस्बे-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, जारी की गई और खर्च की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) यह मंत्रालय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जिसके तहत शहरी गरीबों को मूल सुविधाएं और स्लमों के एकीकृत विकास पर जोर दिया गया है, के अंतर्गत शहरी गरीबों को मूल सुविधाएं संबंधी स्कीम तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की है। इस स्कीम में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं का प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम में "समग्र शहर" "सभी स्लम" "समग्र स्लम" दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।

स्कीम के अंतर्गत बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र

द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी।

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जो किफायती आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करती है, को राजीव आवास योजना में मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत किफायती आवासीय ईकाई में 50,000 रुपए प्रति इकाई अथवा नागरिक अवसंरचना (बाह्य एवं आंतरिक) की लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

शहरी गरीबों को किफायती दरों पर मकान ऋण के लिए ऋण राशि प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, मौजूदा शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी, स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.) जिसमें एक लाख रुपए तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडि दी जाती है, को भी राजीव आवास योजना के साथ मिला दिया गया है।

(ख) और (ग) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) राजीव आवास योजना के अंतर्गत, स्लम और स्लम परिवारों का सर्वेक्षण करने, शहरों का जी.आई.एस. मैपिंग, जी.आई.एस. और एम.आई.एस. का समेकन आदि सहित स्लम मुक्त शहर कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। 162 शहरों में इन कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए 99.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एवं जारी राशि तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए शहरों के नाम	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपए में)	जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)	सूचित व्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
		वित्तीय वर्ष 2009-10			
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	32.23	14.42*	4.73
2.	असम	1	1.53	0.76	सूचना नहीं दी गई
3.	बिहार	4	3.83	1.92	सूचना नहीं दी गई
4.	छत्तीसगढ़	4	3.66	1.83	सूचना नहीं दी गई
5.	गुजरात	8	8.63	4.32	4.32
6.	हरियाणा	3	3.03	1.51	सूचना नहीं दी गई
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1.28	0.64	सूचना नहीं दी गई
8.	झारखंड	4	4.12	2.06	सूचना नहीं दी गई
9.	कर्नाटक	8	8.00	4.00	2.90
10.	केरल	6	5.29	2.63	सूचना नहीं दी गई
11.	मध्य प्रदेश	6	5.77	2.88	2.88

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	18	18.89	9.45	0.40
13.	ओडिशा	6	3.68	1.84	1.69
14.	राजस्थान	8	5.62	2.81	2.00
15.	मणिपुर	1	5.49	0.56	सूचना नहीं दी गई
16.	तमिलनाडु	9	9.60	4.80	1.13
17.	त्रिपुरा	1	1.09	0.54	सूचना नहीं दी गई
18.	उत्तर प्रदेश	18	14.66	7.33	सूचना नहीं दी गई
19.	उत्तराखंड	3	2.29	1.15	सूचना नहीं दी गई
20.	पश्चिम बंगाल	3	8.47	4.23	0.49
	वित्तीय वर्ष 2010-11				
21.	आन्ध्र प्रदेश	2	2.23	1.11	सूचना नहीं दी गई
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1.52	0.76	सूचना नहीं दी गई
23.	दमन और द्वीप	2	1.16	0.58	सूचना नहीं दी गई
24.	दादरा और नगर हवेली	2	0.87	0.44	सूचना नहीं दी गई
25.	दिल्ली	1	19.64	9.82	सूचना नहीं दी गई
26.	गोवा	3	2.23	1.12	सूचना नहीं दी गई
27.	जम्मू और कश्मीर	6	4.74	2.37	सूचना नहीं दी गई
28.	लक्षद्वीप	3	0.78	0.15	सूचना नहीं दी गई
29.	मेघालय	1	1.91	0.96	सूचना नहीं दी गई
30.	मिजोरम	8	9.34	4.67	सूचना नहीं दी गई
31.	नागालैण्ड	2	2.16	1.08	1.08
32.	पुदुचेरी	2	1.58	0.79	सूचना नहीं दी गई
33.	सिक्किम	1	1.25	0.62	सूचना नहीं दी गई
34.	पंजाब	5	11.67	5.83	सूचना नहीं दी गई
कुल	34 राज्य	162 शहर	208.24	99.98	21.62

*नोट: इसमें वित्तीय वर्ष 2010-11 में दूसरी किस्त के रूप में जारी 9.69 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आधुनिकीकरण

*277. **श्री अशोक तंवर:**

श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कुल कितने क्षेत्रीय हब स्थापित किए गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आधुनिकीकरण हेतु कर्नाटक सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में और अधिक क्षेत्रीय हब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को सुदृढ़ करने हेतु अन्य देशों के विशेष बलों के साथ मिलकर अभ्यास की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) मुम्बई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा चेन्नई (तमिलनाडु) में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के चार क्षेत्रीय केन्द्र (हब) स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र 3 जून/01 जुलाई, 2009 से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को निधियां केन्द्रीय तौर पर अवंटित की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। अत: विशेष रूप से कर्नाटक के लिए निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (4 क्षेत्रीय केन्द्रों सहित) के लिए सम्पूर्ण प्रापण राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जाता है। आधुनिकीकरण योजना के तहत एन.एस.जी. को आवंटित कुल निधियों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

वित्त वर्ष	आबंटित निधियां (राशि करोड़ रुपए)
1	2
2002-03	3.03
2003-04	1.07
2004-05	2.61
2005-06	7.86
2006-07	2.04
2007-08	11.89
2008-09	8.00
2009-10	24.00
2010-11	18.70
2011-12	23.00
कुल	102.20

(ख) जी, नहीं। फिलहाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के और क्षेत्रीय केन्द्रों के सृजन का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अन्य देशों में समकक्ष संगठनों के साथ कुछ प्रशिक्षण अभ्यास किए गए हैं और भविष्य में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले हेतु निधियां

*278. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले हेतु केन्द्रीय अव्यपगत संसाधन पूल के अंतर्गत एक पृथक केन्द्रीय निधि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विकास कार्यों की गति तेज करने के लिए असम सरकार के माध्यम से निधियां न देकर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को सीधे केन्द्रीय निधियों प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (बी.टी.ए.डी.) हेतु केन्द्रीय अव्यपगत संसाधन पूल के अंतर्गत एक पृथक केन्द्रीय निधि नियत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि वर्ष 2003 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) के द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.एस.) के अनुसार भारत सरकार असम राज्य को दी जाने वाली सामान्य योजनागत सहायता के अतिरिक्त बोडो प्रादेशिक परिषद (बी.टी.सी.) क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना विकास हेतु परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष तक 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अर्थात् कुल 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई थी। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री ने अगस्त, 2008 में बी.टी.ए.डी. के लिए "250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बी.टी.सी. पैकेज" की घोषणा की थी।

एन.एल.सी.पी.आर. स्कीम और बी.टी.सी. पैकेज के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बी.टी.सी.) प्रशासन को असम सरकार के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन

*279. **श्रीमती अश्वमेध देवी**: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मिशन के अंतर्गत किन-किन कार्यकलापों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रंथालयों के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) देश में आम लोगों से पढ़ने की आदत विकसित करने तथा ग्रंथालयों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां, महोदया।

(ख) 'राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन' नामक एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है 'राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन' के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रीय महत्व के सभी पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र संबंधी विषयों के बारे में भारत सरकार को सलाह देना,

(ii) पुस्तकालय क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और कार्यनीति तैयार करना,

(iii) पुस्तकालय मामलों पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना,

(iv) पुस्तकालय सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करना,

(v) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के विकास में कार्यरत निगमित क्षेत्र, लोकोपकारी संगठनों तथा द्विपक्षी एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना,

(vi) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और मूल्यांकन करना,

(vii) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) की पुस्तकालय संबंधी सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद की स्थिति का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्वधारी मंत्रालयों जैसे - संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।

(viii) पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय स्वामित्वधारकों के साथ समन्वय-स्थापित करना।

(ix) सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य देशों की समकक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करना जिससे भारत का पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र सुदृढ़ होगा।

(x) संभाषण, प्रयोग, निष्कर्ष और प्रभाव का साक्ष्य उपलब्ध कराकर पक्ष समर्थन और मीडिया के माध्यम से जन समर्थन जुटाना।

(xi) राज्य पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने में राज्य सरकारों (जिनके पास अभी तक पुस्तकालय विधान नहीं है) की सहायता करना।

उक्त मिशन के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं - पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना, सार्वजनिक पुस्तकालयों में बुनियादी संरचना का विकास, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, पुस्कालय और सूचना विज्ञान शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, पुस्तकालय कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं तथा कौशल विकास कार्यक्रम, विकलांगों और अन्य विशेष समूहों का विकास, ज्ञान केन्द्रों की स्थापना, पुस्तकालयों आदि की सूची तैयार करना और नेटवर्किंग आदि।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन स्थापित किया जाना चाहिए जो आगे चलकर स्थायी राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग बनेगा। तदनुसार, उच्च स्तरीय समिति (राष्ट्रीय मिशन) गठित की गई है। एन.के.सी. की अन्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं: (i) सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना, (ii) पुस्तकालय सूचना विज्ञान (एन.आई.एस.) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं का नवीकरण करना, (iii) पुस्तकालयों के कार्मिकों का पुनः निर्धारण, (iv) केन्द्रीय पुस्तकालय निधि स्थापित करना, (v) पुस्तकालय प्रबंधन को आधुनिक करना, (vi) पुस्तकालय प्रबंधन में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, (vii) सभी पुस्तकालयों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के प्रयोग को बढ़ावा देना, (viii) निजी संग्रहों के डोनेशन और अनुरक्षण को सुगम बनाना और (ix) एल.आई.एस. में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ये सिफारिशें राष्ट्रीय मिशन के अधिदेश के अधीन व्यापक रूप से शामिल हैं।

(ङ) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर.आर.आर.एल.एफ.), देश में सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यरत है। यह प्रतिष्ठान, अपनी स्कीमों के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करता है। बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है, कंप्यूटर प्राप्त करता है और भवनों का निर्माण आदि करता है। पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए, आर.आर.एल.एफ. विभिन्न समूहों जैसे - बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों आदि के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों में विशेष कार्नर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुस्ताकालय मिशन द्वारा शुरू की जाने वाली इस परिकल्पित स्कीम से सार्वजनिक पुस्तकालयों का उन्नयन होगा और पूरे देश में पढ़ने की आदत में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उपशमन योजनाएं

*280. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश में राज्य-वार क्रियान्वित की जा रही शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और योजना-वार इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई तथा लाभार्थियों की संख्या कितनी रही;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को अब तक प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय वर्ष 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस. आर.वाई.) नामक एक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम को वर्ष 2009 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इस संशोधित स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करके और सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्ति के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया करना है।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा लाभार्थियों को आबंटित, जारी और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक किसी भी राज्य/संघ शासित राज्य को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत तीव्र कार्यान्वयन और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है: (i) वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संबंध में तिमाही और मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से स्कीम की नियमित निगरानी; (ii) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित पुनरीक्षा; (iii) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों और शहरों के मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अवधिक फील्ड दौरों; (iv) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क को शामिल करने के साथ ही राज्य, शहरी और समुदाय स्तरीय अधिकारियों को प्रदान की गई क्षमता निर्माण सहायता।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत आबंटित, जारी और प्रयुक्त केन्द्रीय निधियों के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या

(*19-04-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2009-10					2010-11				
		वास्तविक उपलब्धि और शामिल लाभार्थी		वित्तीय (लाख रु.)			वास्तविक उपलब्धि और शामिल लाभार्थी		वित्तीय (लाख रु.)		
		व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्य उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराए गए लाभार्थियों की संख्या	अनन्तिम केन्द्रीय आबंटन	वास्तविक जारी केन्द्रीय निधियां	प्रयुक्त केन्द्रीय निधियां	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्य उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराए गए लाभार्थियों की संख्या	अनन्तिम केन्द्रीय आबंटन	वास्तविक जारी केन्द्रीय निधियां	प्रयुक्त केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	8389	23914	3390.53	3390.53	3390.53	22505	26753	3790.43	5226.02	5226.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	20	207.85	103.93	103.93	34	28	201.79	201.79	103.93
3.	असम	472	420	2956.05	1478.03	1478.03	90	0	2869.96	2869.96	2869.96
4.	बिहार	0	0	1790.24	895.12	895.12	0	17134	2001.40	2001.40	566.71
5.	छत्तीसगढ़	2490	1083	1075.14	881.30	881.30	2773	3701	1201.95	1201.95	1201.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	गोवा	0	0	90.56	0.00	0.00	0	0	101.24	0.00	0.00
7.	गुजरात	19394	23754	1501.44	1501.44	1501.44	11302	31517	1678.53	1928.53	1473.54
8.	हरियाणा	4490	5495	585.34	585.34	585.34	2424	4724	654.37	654.37	654.37
9.	हिमाचल प्रदेश	33	149	12.15	12.15	12.15	26	25	50.00	50.00	50.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	120.93	0.00	0.00	200	0	135.21	135.21	0.00
11.	झारखंड	364	209	728.91	0.00	0.00	784	2874	814.88	814.88	0.00
12.	कर्नाटक	8298	15853	3524.71	3524.71	3524.71	7557	13397	3940.45	5376.04	3036.67
13.	केरल	2493	2696	948.13	948.13	948.13	2895	3190	1059.96	474.03	474.03
14.	मध्य प्रदेश	16817	33088	4087.96	4087.96	4087.96	17822	31439	4570.13	5914.80	5914.80
15.	महाराष्ट्र	37575	40693	8075.96	8075.96	8075.96	42148	38669	9028.52	10464.11	3436.00
16.	मणिपुर	8	2469	461.88	461.88	461.88	8	97	448.43	448.43	134.28
17.	मेघालय	24	47	369.51	0.00	0.00	52	154	358.74	0.00	0.00
18.	मिजोरम	159	230	369.51	369.51	369.51	546	3145	358.74	641.66	641.66
19.	नागालैंड	345	46	277.13	277.13	277.13	326	154	269.06	419.06	34.53
20.	ओडिशा	8500	5697	1476.59	1476.59	1476.59	9506	3356	1650.75	1650.75	800.35
21.	पंजाब	14	0	358.93	0.00	0.00	66	0	401.27	0.00	0.00
22.	राजस्थान	9415	5315	2623.52	1311.76	1311.76	7353	3355	2932.96	2932.96	518.63
23.	सिक्किम	86	0	46.19	46.19	46.19	150	320	44.84	194.84	142.44
24.	तमिलनाडु	3624	1224	3817.38	3817.38	3817.38	8585	7198	4267.63	4267.63	4267.63
25.	त्रिपुरा	200	1014	461.88	0.00	0.00	382	1586	448.43	224.25	205.40
26.	उत्तर प्रदेश	992	1744	488.70	488.70	488.70	914	2168	546.34	546.34	546.34
27.	उत्तराखंड	3410	15281	6462.43	6462.43	6462.43	9943	52419	7224.67	7224.67	7224.67
28.	पश्चिम बंगाल	22595	7049	1940.44	1940.44	1940.44	5019	5878	2169.31	2169.31	2033.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43	1	37.50	0.00	0.00	43	0	37.50	18.75	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	चंडीगढ़	0	0	78.52	0.00	0.00	114	124	78.52	39.26	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	17.58	17.58	17.58	0	0	17.58	8.79	0.00
32.	दमन और द्वीप	0	0	16.41	0.00	0.00	0	0	16.41	0.00	0.00
33.	दिल्ली	125	109	93.34	0.00	0.00	2511	548	200.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	706	44	6.66	6.66	6.66	1423	276	50.00	50.00	0.00
	कुल	181077	487644	48500.00	42100.85	42160.85	157501	254229	53620.00	68149.79	61657.20

(*19-04-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2011-12				
		वास्तविक उपलब्धि और शामिल लाभार्थी		वित्तीय (लाख रु.)		
		व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्य उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराए गए लाभार्थियों की संख्या	अनन्तिम केन्द्रीय आबंटन	वास्तविक जारी केन्द्रीय निधियां	प्रयुक्त केन्द्रीय निधियां
1	2	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	12823	62031	4827.60	2910.24	4827.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	143	213	259.97	129.99	0.00
3.	असम	206	1006	3274.79	3274.79	0.00
4.	बिहार	0	302	3158.72	1579.36	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3341	8512	1342.71	1921.96	1007.03
6.	गोवा	14	59	115.29	0.00	0.00
7.	गुजरात	9753	43179	3843.37	3843.37	2172.13
8.	हरियाणा	1291	2440	1597.70	1597.70	543.90
9.	हिमाचल प्रदेश	69	262	109.54	109.54	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	88	1380	293.30	293.30	124.33

1	2	13	14	15	16	17
11.	झारखंड	116	438	1627.99	814.00	0.00
12.	कर्नाटक	8951	22370	4874.28	4874.28	2585.39
13.	केरल	3330	5040	1376.53	1970.37	1181.46
14.	मध्य प्रदेश	8550	22066	5719.08	5719.08	2663.09
15.	महाराष्ट्र	12069	20160	10304.04	10304.04	1832.56
16.	मणिपुर	0	1283	799.30	399.65	0.00
17.	मेघालय	0	0	469.49	0.00	0.00
18.	मिजोरम	759	2755	358.74	514.74	0.00
19.	नागालैंड	492	643	269.06	269.06	0.00
20.	ओडिशा	2085	3060	2083.28	2083.28	641.58
21.	पंजाब	58	755	2275.11	2275.11	56.98
22.	राजस्थान	3340	4609	4187.60	4187.60	488.15
23.	सिक्किम	96	755	44.84	44.84	0.00
24.	तमिलनाडु	10484	24589	6346.09	6346.09	3173.04
25.	त्रिपुरा	433	1688	523.81	523.81	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	725	1890	583.96	583.96	247.32
27.	उत्तराखंड	4804	28036	11119.01	11119.01	4248.55
28.	पश्चिम बंगाल	11501	18577	5764.81	5764.81	2703.89
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65	0	23.34	23.34	9.17
30.	चंडीगढ़	156	331	147.13	147.13	7.43
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	17.30	8.65	0.00
32.	दमन और द्वीप	0	0	12.23	0.00	0.00
33.	दिल्ली	316	395	350.00	175.00	0.00

1	2	13	14	15	16	17
34.	पुदुचेरी	206	92	150.00	75.00	0.00
	कुल	962654	278916	78250.01	77883.10	39813.00

* राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर

$ दिसम्बर 2011 को समाप्त हो रहे तिमाही तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय के आधार पर।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्र

2991. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाबणगेरी सहित कर्नाटक में विधि भारती और राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रमों के प्रसारणार्थ उच्च शक्ति ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उच्च शक्ति ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी केन्द्र कब तक चालू हो जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विविध भारती सेवा को रिले करने के लिए अभिप्रेत बेंगलुरु स्थित मौजूदा 500 किवा शॉवे ट्रांसमीटर के स्थान पर नया 500 किवा शॉवे (डी.आर.एम.) डिजिटल ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

प्राथमिक चैनल सेवा के लिए अभिप्रेत बेंगलुरु और धारवाड़ स्थित मौजूदा 200 किवा मीवे ट्रांसमीटर के स्थान पर भी नया 200 किवा मीवे (डी.आर.एम.) डिजिटल ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

आकाशवाणी के उपर्युक्त 3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (एच.पी.टी.) के अधिष्ठापन का कार्य वर्ष 2013 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

उपर्युक्त, कर्णाटक के निम्नलिखित 6 स्थानों में नए एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले) भी स्थापित किए जा रहे हैं:-

क्र.सं.	स्थान	एफ.एम. ट्रांसमीटर की क्षमता
1.	देवनगेरे	100 वाट
2.	होसदुर्ग	100 वाट
3.	कुमाता	100 वाट
4.	सागर	100 वाट
5.	तुमकुर	100 वाट
6.	भद्रावती	1 किवा

उपर्युक्त ट्रांसमीटरों के अधिष्ठापन संबंधी कार्य के इस वर्ष के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है।

साथ ही, 12वीं पंचवर्षीय योजना में देवनगेरे में एक 5 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित कर्नाटक के 13 अतिरिक्त स्थानों में नए आकाशवाणी एफ.एम. स्टेशनों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है जोकि निधियों के आबंटन और योजना आयोग के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

गैर-सरकारी संगठनों में नौकरशाहों की संलिप्ति

2992. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**

श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वरिष्ठ नौकरशाहों तथा उनके संबंधियों की अवास्तविक गैर-सरकारी संगठनों में संलिप्ति तथा उनसे अपनी स्वार्थसिद्धि करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण पर निगाह रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के एफ.सी.आर.ए. विंग के निगरानी एकक को विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्यकरण की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है।

सुरक्षा-बंदोबस्त

2993. **श्री रूद्रमाधव राय**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दागी और आरोप-पत्र में नामित राजनेताओं और नौकरशाहों की सुरक्षा पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का बंदोबस्त हटा लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सुरक्षा मुख्य रूप से व्यक्तियों के संबंध में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यथा आकलित खतरे की आशंका के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद के आधार पर निर्धारित नियमों और अनुदेशों के अनुसार प्रदान की जाती है।

ऐसी सुरक्षा प्राथमिक रूप से उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति उस समय होता है। स्थानीय पुलिस के अलावा, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा प्राप्त कुछ व्यक्तियों को सुरक्षा कवर के कुछ या सभी घटक उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकारों सहित इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के मद्देनजर, सुरक्षा प्रदान करने पर होने वाले कुल व्यय का आकलन करना संभव नहीं होगा। प्रदान की जाने वाली सुरक्षा आवधिक समीक्षा के अध्यधीन होती है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा कवर को जारी रखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्र के गरीबों हेतु आवास

2994. **श्रीमती कमला देवी पटले**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र के बेघर-बार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त प्रयोजनार्थ आवास-निर्माण कार्य में संलग्न सरकारी क्षेत्र की कंपनी ने काम बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव किया है और इसके बाद यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के घटक शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत जारी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण II में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य शहरी विकास एजेंसी, छत्तीसगढ़ ने सूचित किया है कि हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल.), नई दिल्ली (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) को बी.एस.यू.पी. परियोजना (फेज-I), रायपुर और आई.एच.एस.डी.पी. (फेज-I और फेज-II) बिलासपुर के लिए आवास निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्य के मूल्यांकन और अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर एच.पी.एल., रायपुर नगर निगम और

बिलासपुर नगर निगम के बीच विवाद के कारण कार्य रुक गया है।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत यह राज्य सरकारों पर है कि वे स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन किसी एजेंसी, सार्वजनिक या प्राइवेट को कार्य सौंपे। यह छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार पर है कि वह उनके बीच के करार की शर्तों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों से निपटें।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं (उप मिशन-II)
कुल अनुमोदित परियोजना (अस्थायी)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ क्षेत्र	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	रिहायशी ईकाईयों की कुल संख्या (नई+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छत्तीसगढ़	नया रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़ में बी.एस.यू.पी. स्कीम	28.79	888	23.03	5.76	5.76
2.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर फेज-II (1136 डी.यू.एस.) छत्तीसगढ़ में (संशोधित बी.एस.यू.पी. स्कीम)	41.64	976	29.60	12.04	7.40
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-1-15), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	58.25	3600	46.47	11.78	11.62
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-16-30), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	108.28	6504	86.43	21.84	21.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-31-45), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	152.82	12248	121.83	30.99	30.46
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-46-61), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	72.10	5624	57.45	14.65	14.36
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-I में 512 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	21.12	512	16.61	4.51	4.51
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-II में 1648 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	69.40	1648	54.33	15.07	13.58
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-III में 2048 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	86.01	2048	67.39	18.62	16.85
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-IV में 1040 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	42.24	1040	33.27	8.97	8.32
	कुल			680.65	35088	536.42	144.22	134.11

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ क्षेत्र	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	स्वीकृत द्वितीय किस्त	स्वीकृत तृतीय किस्त	स्वीकृत चतुर्थ किस्त	जारी कुल ए.सी.ए.	सी.एस.एम. सी. की तारीख
1	2	3	4	10	11	12	13	14
1.	छत्तीसगढ़	नया रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़ में बी.एस.यू.पी. स्कीम				5.76	21-फरवरी-09
2.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर फेज-II (1136 डी.यू.एस.) छत्तीसगढ़ में (संशोधित बी.एस.यू.पी. स्कीम)				7.44	8-फरवरी-10
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-1-15), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	11.62			23.24	28 नवंबर-06
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-16-30), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	21.61			43.22	28-नवंबर-06
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-31-45), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	30.46			60.92	28-नवंबर-06
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़ शहर (स्थल-46-61), छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थलों पर स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	14.36			28.72	28-नवंबर-06

1	2	3	4	10	11	12	13	14
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-I में 512 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	11.62			0.00	23-मार्च-12
8.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-II में 1648 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	21.61			0.00	23-मार्च-12
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-III में 2048 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	30.46			0.00	23-मार्च-12
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर (सी.जी.) डी.पी.आर.-IV में 1040 रिहायशी एककों का निर्माण के लिए बी.एस.यू.पी. परियोजना	14.36			0.00	23-मार्च-12
	कुल			156.09	0.00	0.00	169.29	

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ क्षेत्र	जिला का नाम	शहर/शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	रिहायशी ईकाईयों की कुल संख्या (नई+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	अभनपुर	1	2.61	210	1.92	0.69
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बलोद	1	2.58	200	1:91	0.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बेमतारा	1	2.58	200	1.91	0.68
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	भटपरा	1	4.98	450	3.62	1.36
5.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	भिलाई	1	12.16	1168	8.79	3.37
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेज-I)	1	17.85	1344	12.13	5.72
7.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेज-I-II)	1	79.33	6492	53.08	26.25
8.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	डांगगांव	1	7.99	480	6.01	1.98
9.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	डांगगांव	1	2.58	200	1.91	0.68
10.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	दुर्ग	1	18.14	1638	13.20	4.94
11.	छत्तीसगढ़	बस्तर	जगदलपुर	1	9.02	880	6.51	2.51
12.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	जामूल	1	2.95	228	2.18	0.77
13.	छत्तीसगढ़	क्वारदा	क्वारदा	1	15.63	1032	11.68	3.95
14.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	खैरागढ़	1	7.52	492	5.62	1.90
15.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	कुमहरी	1	3.40	320	2.46	0.94
16.	छत्तीसगढ़	धमतरी	खुर्द	1	2.38	204	1.74	0.64
17.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	रायगढ़	1	15.93	1312	10.65	5.29
18.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	राजनंद गांव	1	17.97	1072	13.52	4.45
	योग		17	18	225.60	17922	158.83	66.78

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ क्षेत्र	जिला का नाम	शहर/शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	प्रथम किस्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%)	अनुमोदित द्वितीय किस्त	जारी कुल ए.सी.ए.	सी.एस.सी. बैठक की तारीख
1	2	3	4	10	11	12	13
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	अभनपुर	0.96	0.96	1.92	28-सितम्बर-06
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बलोद	0.95	0.95	1.91	28-सितम्बर-06
3.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बेमतारा	0.95	0.95	1.91	11-अक्तूबर-06
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	भटपरा	1.81	1.81	3.62	28-सितम्बर-06

1	2	3	4	10	11	12	13
5.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	भिलाई	4.40	4.40	8.79	28-सितम्बर-06
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेज-I)	6.06	6.06	9.10	28-सितम्बर-06
7.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर (फेज-I-II)	26.54	26.54	39.81	28-सितम्बर-06
8.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	डांगगांव	3.00		3.00	28-फरवरी-09
9.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	डांगगांव	0.95	0.95	1.43	28-सितम्बर-06
10.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	दुर्ग	6.60	6.60	13.20	28-सितम्बर-06
11.	छत्तीसगढ़	बस्तर	जगदलपुर	3.25	3.25	6.51	28-सितम्बर-06
12.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	जामूल	1.09	1.09	2.18	11-अक्तूबर-06
13.	छत्तीसगढ़	क्वारदा	क्वारदा	5.84		5.84	28-फरवरी-09
14.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	खैरागढ़	2.81		2.81	28-फरवरी-09
15.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	कुमहरी	1.23	1.23	2.46	28-सितम्बर-06
16.	छत्तीसगढ़	धमतरी	खुर्द	0.87	0.87	1.74	28-सितम्बर-06
17.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	रायगढ़	5.32		5.32	11 अक्तूबर-06
18.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	राजनंद गांव	6.76		6.76	28-फरवरी-09
	योग		17	79.41	55.68	118.31	

[अनुवाद]

गन्ने की गुणवत्ता

2995. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्पादित गन्ने में सूक्रोज की कितनी मात्रा है;

(ख) इसमें सूक्रोज की मात्रा बढ़ाने तथा इस प्रकार देशी स्रोतों से ही चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से क्या अनुसंधान एवं विकास कार्य हुआ है;

(ग) खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार गन्ने में सूक्रोज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कितनी मात्रा होनी चाहिए;

(घ) क्या अधिकतम सूक्रोज-मात्रा सुनिश्चित करने वाले विशेष गुणवत्ता के कोई गन्ना बीज उपलब्ध है;

(ङ) क्या चीनी उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बेहतर बीजों व अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के बारे में गन्ना-उत्पादकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भारत में परम्परागत किस्मों के गन्ने के रस में लगभग 15 प्रतिशत सूक्रोज पाया जाता है जबकि देश के उपोषण क्षेत्र में इस समय उगाये जाने वाली किस्मों के गन्ने के रस में 17-19 प्रतिशत सूक्रोज पाया जाता है और देश के उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में गन्ने के रस में 18 से 21.5 प्रतिशत सूक्रोज अंश पाया जाता है। देश के विभिन्न भागों में शर्करा की औसतन रिकवरी 10.5 प्रतिशत है जोकि 8.5 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत के बीच है।

(ख) गन्ने की किस्मों में सूक्रोज तत्व को बढ़ाने के लिए अनुसंधान के फलस्वरूप सूक्रोज तत्व को बढ़ाने हेतु कई नई किस्में जारी की गई हैं। गन्ना उगलने वाले राज्यों के लिए अधिक शर्करा देने वाली अनेक किस्में जारी की गई हैं। ऐसी अधिसूचित किस्में मुख्य जैविक तथा मुख्य अजैविक दबावों के प्रति भी सहिष्णु हैं तथा देश में उगायी जा रही हैं। देसी किस्मों में अधिक सूक्रोज से बेहतर शर्करा की रिकवरी प्राप्त की जा सकती है। खेती के लिए पहचानी गई किस्मों की वैज्ञानिक योजना से वांछनीय कृषि जलवायु, परिपक्वता वार कटाई तथा न्यूनतम कट-टू-क्रश समय से अधिक सूक्रोज उत्पादन हो सकता है।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन अंतर्राष्ट्रीय ने गन्ने के लिए सूक्रोज अंश से संबंधी कोई मानक निर्धारित नहीं किया है।

(घ) कई किस्में जिनके रस में 17.5 से 19.37 प्रतिशत के बीच सूक्रोज है उन्हें खेती के लिए जारी किया गया है। ऐसी किस्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी हां।

(च) गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना, स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें गन्नों की नई किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के बारे में मिलों के संबद्ध अधिकारियों तथा राज्यों के गन्ना विभाग को सूचना दी जाती है जिनसे यह जानकारी गन्ना उत्पादकों तक पहुंचती है। इसके अलावा, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए गन्ना उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण तथा वार्षिक किसान मेले आयोजित किये जाते हैं। संबद्ध कृषि विज्ञान केन्द्र भी विभिन्न प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन तथा परिष्करण के कार्य में लगे हुए हैं जिसमें किस्मों, फसल उत्पादन तथा फसल स्वास्थ प्रबंधन शामिल है ताकि प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को किसानों के लिए प्रदर्शित किया जा सके।

विवरण

गन्ने की अधिक सूक्रोज वाली किस्में

क्रम.सं.	किस्म	जारी करने तथा अधिसूचना का वर्ष	गन्ना उत्पादन (टन/है.)	गन्ने के रस में सूक्रोज (प्रतिशत)	व्यवसायिक गन्ना (टन/है.)
1	2	3	4	5	6
		प्रायद्वीपीय क्षेत्र			
1.	सी.ओ. 99004 (दामोदर)-मध्य पछेती	2007	116.7	18.8	16.83
2.	सी.ओ. 2001-13 (सुलभ)-मध्य पछेती	2009	108.59	19.03	14.73
3.	सी.ओ. 2001-15 (मंगल)-मध्य पछेती	2009	112.99	19.37	15.65
4.	सी.ओ. 0218	2010	103.77	20.79	15.17
		पूर्वी तटीय क्षेत्र			
5.	सी.ओ.सी. 01061-अगेती	2006	110.8	17.4	14.18
		उत्तर पश्चिमी क्षेत्र			
6.	सी.ओ.एस. 95255 (रचना)-अगेती	2004	70.5	17.5	8.45
7.	सी.ओ. 98014 (करन-I)-अगेती	2007	76.3	17.6	9.26

1	2	3	4	5	6
8.	सी.ओ.एस. 96268 (मिठास)-अगेती	2007	69.3	17.9	8.65
9.	सी.ओ. पन्त 97222-मध्य पछेती	2007	88.2	18.2	11.14
10.	सी.ओ.एस. 96275 (स्वीटी)-मध्य पछेती	2007	80.8	17.3	9.52
11.	सी.ओ. 0118 (करन-2)-अगेती	2009	78.2	18.45	9.88
12.	सी.ओ. 0238 (करन-3)-अगेती	2009	81.08	17.99	9.95
13.	सी.ओ. 0124 (करन-5)-मध्य पछेती	2010	75.71	18.22	9.68
14.	सी.ओ. 0239 (करन-6)-अगेती	2010	79.23	18.58	10.37
		उत्तर मध्य			
15.	सी.ओ.एस.ई. 96234 (रश्मि)-अगेती	2007	64.1	17.9	8.04
16.	सी.ओ.एस.ई. 96436 (जलपरी)-मध्य पछेती	2004	67.1	17.7	8.29
17.	सी.ओ.एल.के. 94184 (बीरेन्द्र)-अगेती	2008	76.0	18.0	9.28
18.	सी.ओ.0233 (कोसी)-मध्य पछेती	2009	67.77	17.54	8.25

[हिन्दी]

कुतुब मीनार का रख-रखाव

2996. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कुतुब मीनार का वार्षिक भूगणितीय-परिक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त परीक्षणों का निष्कर्ष क्या रहा;

(ग) उक्तावधि के दौरान उक्त स्मारक-स्थल के रख-रखाव और संरक्षण हेतु आबंटित तथा प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्मारक-स्थल के समुचित संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुतुबमीनार का वार्षिक भूगणितीय प्रेक्षण कराने के लिए भारतीय सर्वेक्षण से अनुरोध किया है। भारतीय सर्वेक्षण से अध्ययन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) कुतुबमीनार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित और उपयोग की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष के आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित/उपयोग की गई धन राशि (रु. में)
1.	2009-10	14892762
2.	2010-11	23505637
3.	2011-12	3868744
4.	2012-13	8552000 (आबंटन)

(घ) स्मारक के संरक्षण का कार्य मरम्मत की आवश्यकता

और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से किया जाता है और यह भली-भांति परिरक्षित है।

[अनुवाद]

किलों का संरक्षण

2997. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रख-रखाव किए जा रहे किलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में स्थित किलों के सुधार एवं विकास कार्य के लिए विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि मंजूर/आबंटित की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त आबंटित राशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में किलों सहित स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित/उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	किलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	[illegible]
3.	असम	-
4.	बिहार	10
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	19
13.	केरल	5
14.	मध्य प्रदेश	22
15.	महाराष्ट्र	41
16.	मणिपुर	-
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	1
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	8
21.	ओडिशा	5
22.	पंजाब	2
23.	राजस्थान	11
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	17
26.	त्रिपुरा	-
27.	उत्तराखंड	1

1	2	3
28.	उत्तर प्रदेश	39
29.	पश्चिम बंगाल	5
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2.	चंडीगढ़	-
3.	दादरा और नगर हवेली	-
4.	दमन और दीव	2
5.	लक्षद्वीप	-
6.	पुडुचेरी	-

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन किलों सहित स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए खर्च और लागू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2010-2011	व्यय 2011-2012	आबंटन 2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	525.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	900.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.70	305.00
4.	महाराष्ट्र	मुबंई मंडल	389.99	359.00	350.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1245.95	1041.00	900.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	981.88	943.98	855.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.90	655.00
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	345.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	433.08	430.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चैन्नई मंडल	530.00	530.00	525.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	525.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	89.80	62.81	80.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	975.00

1	2	3	4	5	6
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	110.00
15.	सिक्किम के अलवा, पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	144.64	213.32	140.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	500.00
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	625.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	325.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	260.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल, लेह	52.15	85.00	85.00
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.50	290.00
22.	गुजरात	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	500.00
23.	उत्तरा खंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	155.00
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	290.00
25.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	60.00
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	507.46	556.39	535.00
		बागवानी कार्यकलाप (अखिल भारतीय)	1796.70	1514.78	1565.00
		महानिदेशक का कार्यालय, भा.पु.स.			*1325.00
		कुल	15649.50	13389.88	14135.00

*महानिदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास आरक्षित धनराशि अभी मंडल-वार/शाखा-वार वितरित की जानी है।

[हिन्दी]

लघु एवं मध्यम शहरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना के तहत परियोजनाएं

2998. **श्री लक्ष्मण टुडु:**

श्री यशवंत लागुरी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा राज्य में लघु एवं मध्यम शहरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत विभिन्न परियोजनाएं समय से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत ओडीशा के लिए

207.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) से 15 कस्बों में 257.00 करोड़ रुपये लागत की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने दूसरी किस्त जारी करने के अनुरोध के साथ सात उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया हैं। सुधार न हो पाने के कारण उनके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(ग) राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) स्तरीय सुधारों की उपलब्धि की निगरानी और कार्यान्वयन का अनुरोध किया है। जहां भी आवश्यक हो सरकार द्वारा समय-समय पर हैण्डहोल्डिंग मुहैया की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो में वाई-फाई तकनीकी की सुविधा

2999. **श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में वाई-फाई तकनीक सुविधा उपलब्ध करने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी सुविधाएं दिल्ली की अन्य मेट्रो ट्रेनों में भी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत क्रिकेट निकाय

3000. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का क्रिकेट निकायों को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हाई-टेक बागवानी केन्द्र

3001. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में हाई टेक बागवानी केन्द्र बनाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैंड में परियोजनाओं का बाह्य सहायता

3002. **श्री सी.एम. चांग:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से बाह्य सहायता प्राप्त कर रही विभिन्न परियोंजनाओं, विशेषकर-नागालैंड स्थित परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी कोई नई परियोजनाएं भी विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (एन.ई.आर.एल.पी.) कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य इन राज्यों की ग्रामीण आजीविका, विशेषकर महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और अत्यधिक अपवंचितों की आजीविका में सुधार करना है।

एन.ई.आर.एल.पी. के तहत इन चार राज्यों में प्रत्येक राज्य के दो-दो जिले कवर होंगे और इसे 58 ब्लॉकों के 1624 गांवों में लगभग तीन लाख परिवार लाभान्वित होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने दिनांक 16 नवंबर, 2011 को 683.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया था जिसमें विश्व बैंक से 614.8 करोड़ रुपये की सहायता और 68.4 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार का निधीयन शामिल है। दिनांक 20 जनवरी, 2012 को विश्व बैंक और भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ऋण करार और परियोजना करार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। एन.ई.आर.एल.पी. के तहत नागालैंड में निम्नलिखित ब्लॉक कवर होंगे:-

जिला का नाम	ब्लॉक
पेरेन	तेनिंग, पेरेन, जालुकी
तुएनसांग	लोंगखिम, चारे, नोकसेन, सांगसानग्यू, शामाटोर, चेसोर, नोकलक, थोनोकन्यू

शहरी विकास मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से "उत्तर पूर्वी क्षेत्र राजधानी शहर विकास निवेश कार्यक्रम" शुरू किया है। 200 मिलियन यू.एस. डॉलर की कुल ऋण राशि से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच उत्तर पूर्वी राज्यों के पांच राजधानी शहरों अर्थात् अगरतला (त्रिपुरा), आई.जोल (मिजोरम), शिलांग (मेघालय), कोहिमा (नागालैंड) और गंगटोक (सिक्किम) में 1.2 मिलियन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और शहरी उत्पादकता बढ़ाना है। कोहिमा में निवेश कार्यक्रम के शहरी अवसंरचना और सेवा सुधार घटक के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम कवर होते हैं:

क. जलापूर्ति: (i) गैर राजस्व जल कार्यक्रम के लिए सहायता (ii) 8 क्षेत्रीय जलाशयों का प्रतिस्थापन (iii) विद्यमान जल शोधन संयंत्रों को पुन: नवीन रूप देना और (iv) तीन प्रमुख जलाशयों के लिए क्लोरीनेटर्स की आपूर्ति और संस्थापना।

ख. ठोस कचरा प्रबंधन (i) कम्पोस्ट संयंत्र और सेनेटरी लैंडफिल स्थल सहित ठोस कचरा प्रबंधन केन्द्र का निर्माण और उसमें उपस्करों की स्थापना और (ii) प्राथमिक और गौण कचरा संग्रहण में सुधार।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिजली के संचारण और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए "उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संचारण और वितरण की संयुक्त स्कीम" नामक एक परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है और नागालैंड प्रस्तावित लाभार्थी राज्यों में से एक है।

केरल में आतंकवादियों का प्रशिक्षण

3003. श्री जोस के. मणि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी खबर है कि केरल में कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी समूह प्रशिक्षण पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं। ऐसी किसी वर्तमान प्रशिक्षण गतिविधि की जानकारी देने वाली केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम में संशोधन

3004. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) में संशोधन काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो समाचार माध्यमों द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर इसमें क्या-क्या संशोधन किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) क्या सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने ए.एफ.एस.पी.ए. में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) ए.एफ.एस.पी.ए. को हटाने संबंधी सार्वजनिक मांग प्रत्युत्तर में, अधिनियम में निहित प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2004 में जस्टिस जीवन रेड्डी समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने 6 जून, 2005 को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में अधिनियम को निरस्त करने तथा यू.ए.पी.ए. को संशोधित करने का सुझाव दिया था ताकि ए.एफ.एस.पी.ए. के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस मुद्दे पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श किया गया है परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे मामलों पर, भारत सरकार सम्पूर्ण स्थिति का आकलन करने के बाद उपयुक्त निर्णय लेती है और कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

केबल टी.वी. का डिजिटलीकरण

3005. **श्री संजय दिना पाटील:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि जल्द ही देश में 1000 से अधिक टी.वी. चैनल विद्यमान होंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार डिजीटल केबल टी.वी. सेवा से अधिक राजस्वार्जन करने की दृष्टि से केबल टी.वी. को डिजिटलीकृत करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) मंत्रालय ने, अभी तक की स्थिति के अनुसार, 833 टी.वी. चैनलों के लिए अनुमति प्रदान की है। सरकार, मौजूदा ऐनलॉग प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए केबल टी.वी. क्षेत्र में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रही है। डिजिटलीकरण की स्कीम को चार चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रालय ने दिनांक 11.11.2011 की अपनी अधिसूचना के तहत केबल टी.वी. सेवाओं में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम तारीखें अधिसूचित की थीं जिसके फलस्वरूप 31 दिसंबर, 2014 तक ऐनलॉग सेवाओं का पूरी तरह से अंतरण हो जाएगा। डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन से उक्त क्षेत्र के व्यावसायिक कारोबार में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जा सकेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाला कर बाजार के आकार के अनुरूप हो जिसके फलस्वरूप सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 22.12.2011 को "डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे" नामक एक परामर्श-पत्र जारी किया है जिसमें उन मुद्दों को अभिज्ञात किया गया हे जिनका निदान एक विनियामक प्रणाली के माध्यम से किए जाने की जरूरत है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने से संबंधित इन मुद्दों में, अन्य के साथ-साथ, डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लिए प्रशुल्क, इंटरकनेक्शन व सेवा गुणवत्ता के पहलुओं के बारे में विनियामक प्रावधान शामिल हैं।

दुग्ध उद्योग में निजी क्षेत्र

3006. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुग्ध उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में दुग्ध उद्योग को संवर्धित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) यह विभाग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से देश में 01 सितम्बर, 2010 से डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)

नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। कोई भी व्यक्ति/किसान एवं सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समिति, कम्पनी आदि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर पर बैक एंडिड पूंजी राजसहायता के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करना और दुग्ध सहित मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना है। योजना के तहत उद्यमियों को वित्तीय सहायता संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल निर्माण कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर बशर्ते कि यह राशि सामान्य क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपए से अधिक न हो (पूर्वोत्तर और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 33.33 प्रतिशत बशर्ते कि राशि 75 लाख रुपए से अधिक न हो) सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि डी.ई.डी.एस. योजना मांग प्रेरित है।

राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण में विसंगतियां

3007. श्री राजेन गोहैन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 2.08.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दैशिक प्रसारण के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में मंत्रालय को क्या-क्या विसंगतियां मिली हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक विसंगति के संबंध में लगभग कितना वित्तीय भार अंतर्ग्रस्त है;

(ग) उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई उन टिप्पणियों, इत्यादि का ब्यौरा क्या है जिन्हें मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया है;

(घ) मंत्रालय की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिए गए निदेशों, की गई टिप्पणियों इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों व त्रुटियों के संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयोजन समिति पर बकाया धनराशि

3008. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति पर विभिन्न देशी/विदेशी फर्मों का लाखों करोड़ों रुपया बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोजन समिति को प्रत्येक फर्म को कितनी राशि चुकाई जानी है;

(ग) क्या उक्त फर्मों को बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई विवाद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त फर्मों को बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 पर विभिन्न विक्रेताओं/संगठनों के दावों सहित दावा की गई धनराशि और वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली एक तालिका संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दावों के निपटान के लिए शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कदम उठा रही है। विवादों को कब तक निपटाया जा सकता, इसके लिए किसी संभावित तारीख का उल्लेख करना संभव नहीं है क्योंकि विक्रेताओं के कई ऐसे भुगतान, चल रही दांडिक जांच, अदालती मामलों और मध्यस्थता मामलों के कारण, लंबित है।

विवरण

29.2.2012 की स्थिति के अनुसार आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल पर विक्रेता/संगठनों के दावे और उनकी स्थिति

क्र.सं.	कार्यात्मक क्षेत्र	दावा की धनराशि (रु.)	स्थिति
1	2	3	4
1.	टेक्नोलॉजी-टेलिकॉम कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल.)	34.99 करोड़	ओ.सी. के कार्यकारी बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि टी.सी.आई.एल. द्वारा उसके मूल मंत्रालय के माध्यम से प्रस्ताव भेजने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा।
2.	(क) अन्य भुगतान यथा आवास (विभिन्न हॉटल्स) विमान यात्रा, (बालमेर एंड लारी) आदि	5.78 करोड़	विधिवत जांच किए गए बिल वॉउचरों के प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा। वाउचरों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है तथा संतोषजनक सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।
	(ख) विवादित भुगतान जैसे अर्नस्ट एंड यंग (ईएंडवाई) बैंडविद एंड मॉडर्न स्टेज आदि	3.57 करोड़	दरों, अंतिम भुगतान आदि पर विवाद।
3.	ओवरलेज (पिको, दीपाली, ई.एस.ए.जे.वी. नुस्सली एंड जी.एल. लिट्मस आदि)	377.68 करोड़ (संविदा राशि और भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर)	ओवरलेज आपूर्तिकर्ताओं के लिए कुल संविदा राशि 630.21 करोड़ रु. थी जिसके लिए 252.53 करोड़ रु. राशि का भुगतान ओसी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। संविदा राशि और भुगतान की गई राशि का अंतर 377.68 करोड़ रु. है। सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन महा सालिसिटर के परामर्श से दी गई सूचना के अनुसार ओवरलेज आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान रोक दिया गया क्योंकि संबंधित मामले अन्वेषणाधीन है। भुगतान के कुछ मामलों में मुकदमा और मध्यस्थता भी चल रहे हैं। ओवरलेज के लेखाओं और शेष भुगतान, यदि कोई है, का निपटान इसके बाद ही किया जा सकता है।
4	कर देयता		
	(क) आयकर	9.00 करोड़	ओ.सी. ने बताया है कि ओ.सी. को भारी घाटे के बावजूद आयकर ने 9 करोड़ रु. का दावा भेजा है। अपीलों के माधयम से इन दावों को अमान्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।
	(ख) कार्यबल क्षतिपूर्ति	6.90 करोड़	ओ.सी. ने बताया है ओ.सी. ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया, इसके बावजूद निर्माण कार्य की क्षतिपूर्ति के दावे प्राप्त हुए हैं। ओ.सी. द्वारा अपीलों के माध्यम से इन दावों को अमान्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।

1	2	3	4
	(ग) डी.वी.ए.टी.	27.60 करोड़	ओवरलेज तथा विक्रेताओं के साथ किराये संबंधी कुछ अन्य संविदाओं जिनके लिए सर्विस टैक्स लगाया गया है, इस तथ्य बावजूद डी.वी.ए.टी. के दावे प्राप्त हुए हैं जिनका विरोध दर्ज कराया जा रहा है।
5.	विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता/वाद/विवाद में लंबित मामलें।	105.70	एस.एम.ए.एम., एम जयचंद्रन ए.एफ.पी. मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लि. ए 2 जेड मैनटेनिंस प्रा.लि. विजक्राफ्ट इंटरनेशनल आदि के विधिक मामले

प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवा-सेवन के मामले

3009. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवा (डोप)- सेवन के बढ़ते मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खेल गतिविधि-वार ऐसे कितने मामले सामने आए और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) ऐसे दोषियों को दंडित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेल-वार रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण

क्र.सं.	खेल विधा	पॉजीटिव मामलों की वर्ष वार सं.			
		2009	2010	2011	2012 (मार्च तक)
1	2	3	4	5	6
1.	एथलेटिक्स	12	15	25	05
2.	बास्केटबाल	-	01	01	-
3.	बाडी बिल्डिंग	29	02	04	-
4.	मुक्केबाजी	04	06	11	07
5.	साइक्लिंग	03	-	02	-
6.	घुड़सवारी	-	-	02	-
7.	फुटबाल	-	-	02	-
8.	हाकी	-	01	-	-
9.	जूडो	02	02	02	01
10.	कबड्डी	-	32	21	-

1	2	3	4	5	6
11.	क्याकिंग एवं कैनोइंग	-	-	01	03
12.	नेटबाल	-	01	-	-
13.	पावर लिफ्टिंग	02	12	11	-
14.	रोइंग	-	-	02	02
15.	रग्बी	-	01	-	-
16.	निशानेबाजी	-	-	-	01
17.	साफ्ट टेनिस	-	01	-	-
18.	तैराकी	01	03	03	-
19.	ताइक्वांडो	-	02	01	02
20.	ट्राइथलन	-	-	01	-
21.	वालीबाल	-	01	01	-
22.	भारोत्तोलन	09	19	20	08
23.	कुश्ती	05	08	06	03
	कुल	67	107	116	32

(ग) राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी (नाडा) ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए 'डोप-रोधी नियम, 2010' नामक नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अंतर्गत अपराध की प्रकृति के आधार पर आजीवन प्रतिबंध के विशेष दंड तथा वैयक्तिक परिणामों को अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान है।

मूल्य वृद्धि

3010. **श्री एन. पीताम्बर कुरुप:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों और खाद्य तेलों सहित आवश्यकता वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन वस्तुओं को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद कर इन्हें सस्ती दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का कोई कार्यक्रम/प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 (अप्रैल से मार्च तक) के दौरान रिलीज किए गए थोक मूल्य सूचकांक, जो देश में सामान्य मूल्य रुझान का सूचक है, में दूध, खाद्य तेलों, गेहूं, चावल, चना और आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में वृद्धि दिखाई दी है, परन्तु यह वृद्धि लगातार नहीं बनी रही क्योंकि कुछ महीनों के दौरान सूचकांक में गिरावट आई।

(ख) और (ग) इन वस्तुओं को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद कर इन्हें सस्ती दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का कोई कार्यक्रम/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सब्सिडी वाली आयतित दालों के वितरण की एक स्कीम है, जिसको 30.06.2012 तक आगे बढ़ा दिया गया है। राशनकार्ड धारकों को वितरण के लिए 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम को भी 30.09.2012 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

सीमा सुरक्षा बल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3011. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) में कार्यरत किसी कर्मचारी/सैनिक की असमय मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार के सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृत कर्मचारी की विधवा को, यदि उसके द्वारा इस बारे में मांग की जाती है, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और सभी लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/06/94-स्थापना दिनांक 9 अक्तूबर 1998 के तहत जारी की गई योजना के अनुसार, किसी कर्मचारी/सैनिक की असामयिक मृत्यु हो जाने की दशा में सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) कर्मियां के परिवार के पात्र सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है। उक्त योजना में ऐसे बी.एस.एफ. कर्मियों, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो कार्रवाई में मारे जाते हैं या चिकित्सीय आधार पर निकाल दिए जाते हैं, के परिवार के आश्रित सदस्य (पति/पत्नी, दत्तक पुत्र सहित पुत्र, दत्तक पुत्री सहित पुत्री, अविवाहित सरकारी सेवकों के मामले में भाई या बहन) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां किसी समूह 'ग' अथवा 'घ' के पदों में सीधी भर्ती के कोटा के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) मृतक कर्मचारी की विधवा को अथवा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के पात्र आश्रित सदस्य को तब नियुक्ति दी जाती है जब वे अनुकम्पा के आधारों पर इसकी मांग करते हैं, बशर्ते अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कोटा के विरुद्ध रिक्तियां उपलब्ध हों और वे निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों। तथापि, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कोटा का प्रतिशत सीमित होने, के कारण, कई बार विशिष्ट पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को नियुक्ति देना संभव नहीं हुआ है और इसी कारणवश उनके द्वारा अपेक्षित पदों में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कोटा के विरुद्ध उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के लिए बल द्वारा एक प्रतीक्षा सूची बनाकर रखी जाती है। आज की तारीख तक परिवार के सदस्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार विशेष पदों में रिक्तियों की कमी के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए लम्बित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

(i) कांस्टेबल (दफ्तरी) -19

(ii) कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी एवं ट्रेडसमेन) -12

(iii) ए.एस.आइ. (स्टेनो) तथा हेड कांस्टेबल (मिन)-53

लम्बित मामलों को निपटाने के लिए जब भी और जैसे ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कोटा में रिक्तियां होती हैं, वैसे ही विभिन्न पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्ता के परीक्षण किए जाते हैं। ऐसी उपयुक्ता के परीक्षण मासिक आधार पर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्मारकों/स्थलों का रख-रखाव

3012. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री एम. अंजन कुमार यादव:
क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के रख-रखाव और संरक्षण कार्य में निजी क्षेत्र के निगमों का सहयोग लेती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए जा रहे मानदंडों/मार्गनिदेशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे निगमों द्वारा उक्त मानदंडों/

मार्गनिदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में निगम-वार क्या कार्रवाई की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृति निधि नामक न्यास के तत्वावधान में संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण, पुनरूद्धार और पर्यावरणीय विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों के अनुरक्षण और विकास के लिए कुछ कंपनियां आगे आई हैं। स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, पुनरूद्धार और विकास संरक्षण मैनुअल और यूनेस्को के दिशा-निर्देशों तथा चार्टरों के अनुसार किया जाता है। सहयोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में स्मारक संबंधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	स्मारक का नाम	प्रायोजक एजेंसी का नाम	राज्य	इस परियोजना के लिए प्रदान की गई धनराशि (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	लोदी गार्डन स्थित स्मारक	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1.00 करोड़
2.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	आगा खान संस्कृति ट्रस्ट और ओबेराय होटल समूह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2.25 करोड़
3.	जंतर मंतर	ए.पी.जे. सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	10 लाख
4.	जैसलमेर किला, जैसलमेर	विश्व स्मारक कोश	राजस्थान	$ 4,39,000 और 4 करोड़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	इंडियन ऑयल फाउंडेशन	ओडिशा	25 करोड़
6.	कन्हेरी गुफाएं, मुंबई		महाराष्ट्र	
7.	खजुराहो मंदिर समूह		मध्य प्रदेश	
8.	वैशाली		बिहार	
9.	वारंगल किला, वारंगल		आन्ध्र प्रदेश	
10.	ताज महल, आगरा	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (टाटा समूह)	उत्तर प्रदेश	1.87 करोड़
11.	शनिवारवाडा, पुणे	पुणे नगर निगम	महाराष्ट्र	34.18 लाख

1	2	3	4	5
12.	कृष्णा मंदिर परिसर, हम्पी,	हम्पी फाउंडेशन	कर्नाटक	4 करोड़
13.	लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण	बोकारो स्टील प्लांट	बिहार	50 लाख
14.	वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका	मै. पी.ई.सी. लिमिटेड	दिल्ली	25 लाख
15.	हिडिम्बा देवी मंदिर	यूको बैंक, कोलकाता	हिमाचल प्रदेश	20 लाख
16.	गोल गुम्बज, बीजापुर	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	कर्नाटक	50 लाख
17.	तुगलकाबाद किला	जी.ए.आई.एल.	दिल्ली	30 लाख
18.	इब्राहिम रोजा और गोल गुम्बज, बीजापुर	नौरस ट्रस्ट	कर्नाटक	30 लाख
19.	स्मारकों का समूह, मांडु (मध्य प्रदेश) मंदिर समूह, जागेश्वर (उत्तराखंड), पुरातत्वीय स्थल, विक्रमशिला (बिहार)	एन.टी.पी.सी.	मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार	5 करोड़
20.	अम्बरनाथ शिव मंदिर	नागरिक सेवा मंडल	महाराष्ट्र	22 लाख
21.	अहोम स्मारक	ओ.एन.जी.सी.	असम	30 लाख
22.	हजारद्वारी पैलेस	एस.बी.आई., कोलकाता	पश्चिम बंगाल	75 लाख
23.	महाबलीपुरम	भारतीय नौवहन निगम	तमिलनाडु	25 लाख

आबंटियों को बुनियादी सुविधाएं

3013. **श्री महेश्वर हजारी:**

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

श्री कामेश्वर बैठा:

श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने डी.डी.ए. हाऊसिंग स्कीम, 2010 के आबंटियों को अभी तक बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आबंटियों को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. आवासीय स्कीम, 2010 के आबंटियों को कुछ स्थानों, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) द्वारा जल उपलब्ध नहीं कराया गया है, को छोड़कर जल निकासी, सीवरेज, जल आपूर्ति और सड़कें जैसी सभी सेवाएं वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचना दी है कि इसे वे दिसम्बर, 2012 तक पूरा कर लेंगे।

बोतल बंद मिनरल वाटर

3014. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बोतल बंद पानी/मिनरल वाटर उत्पादन के कार्य में लगी कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बोतल बंद पानी की गुणवत्ता के विनियमन हेतु किसी प्राधिकरण की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पाद की खराब गुणवत्ता के बारे में उक्त प्राधिकरण को गत वर्ष तथा चालू वर्ष में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) आज की तारीख तक देश में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नैचुरल मिनरल वाटर (आई.एस. 13428) के 21 विनिर्माताओं और पैकेज्ड पेयजल (आई.एस. 14543) के 3350 विनिर्माताओं को लाइसेंस दिया गया है। सम्पूर्ण ब्यौरों सहित राज्यवार सूची (500 पृष्ठों से अधिक) भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in पर उपलब्ध है।

(ख) पैकबंद पेयजल और पैकबंद नेचुरल मिनरल वाटर को खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम (अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना सा.का.नि. 759(अ) तथा सा.का.नि. 760(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के अधीन लाया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो अपने लाइसेंसधारकों द्वारा विनिर्मित पैकेज्ड पेयजल/पैकेज्ड नैचुरल मिनरल वाटर की गुणवत्ता अपने स्तर पर एक सुपरिभाषित प्रमाणन स्कीम के जरिए सुनिश्चित करता है जिसमें लाइसेंसधारकों की फैक्टरी का निरीक्षण करके उनके परिसरों की निरंतर निगरानी की जाती है और उत्पाद की अनुरूपता की निष्पक्ष जांच करने के लिए फैक्टरी और बाजार से नमूने लिए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई.एस.आई. मार्क उत्पादों की खराब गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पैकेज्ड पेयजल के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या

वर्ष	शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	लाइसेंसधारक का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई	दर्ज की गई शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
2010-11	05	2 मामलों में शिकायत दर्ज की गई है	1. बिजोलीग्रिल एरिटेड वाटर कं. (प्रा.) लि., बी.एल. शाह रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1. स्टॉप मार्किंग अधिरोपित किया गया। 2. जिस सामग्री के संबंध में शिकायत की गई थी, फर्म ने उसे बदल दिया।
			2. गौतमी इंडस्ट्रीज, चोरिया-पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1. स्टॉप मार्किंग अधिरोपित किया गया।
2011-12	08	3 मामलों में शिकायत दर्ज की गई है।	1. पन्ना बेवरेजिज, मेडक, आन्ध्र प्रदेश	1. जांच की गई। 2. जिस सामग्री के संबंध

1	2	3	4	5
				में शिकायत की गई थी, फर्म ने उसे बदलने की पेशकश की, किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
			2. ओम साई फूड एंड बेवरेजिज, कुराली, मोहाली, पंजाब	1. स्टॉप मार्किंग अधिरोपित किया गया।
			एक्वा मिनरल इंडिया, बंगलौर, कर्नाटक	1. सामग्री को बदल दिया गया।

[अनुवाद]

प्याज के आर्थिक पैदावार वाले प्रजनक बीज

3015. **श्री आर. घ्रुवनारायण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में खेती हेतु प्याज के अधिक पैदावार वाले प्रजनक बीज उपयोग में लाए जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक पैदावार के मामले में इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों में भी अधिक पैदावार देने वाले प्याज के प्रजनक बीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) कर्नाटक में प्रयोग किए जाने हेतु अधिक उपज देने वाले प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एच.आर.), बंगलौर, प्याज एवं लहसून अनुसंधान निदेशालय (डी.ओ.जी.आर.), पुणे तथा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउण्डेशन (एन.एच.आर.डी.एफ.), नासिक द्वारा किया जाता है। किसानों द्वारा कर्नाटक में प्याज की अधिक उपज वाली किस्मों और साथ ही स्थानीय किस्मों को उगाया जाता है। अधिक उपज वाली किस्में अर्थात् अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, अर्का निकेतन, एग्रीफाउण्ड लाईट रेड तथा एग्रीफाउण्ड डार्करेड स्थानीय किस्मों अर्थात बेलारी रेड, तेलगी रेड और सतारा गार्वा तथा का स्थान ले रही है। प्रतिरोपित फसलों में इन किस्मों की औसत विपणन योग्य पैदावार रबी के दौरान 250-300 क्विंटल प्रति हैक्टेयर और खरीफ के दौरान 150-175 क्विंटल प्रति हैक्टेयर जो कि स्थानीय किस्मों की तुलना में 15-20% अधिक है। आई.आई.एच.आर. प्रति वर्ष अर्का कल्याण, अर्का निकेतन और अर्का प्रगति किस्मों के लगभग 10 टन प्याज प्रजनक बीज का उत्पादन करता है तथा लगभग 3 टन का उत्पादन कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के जरिए किया जाता है। डी.ओ.जी.आर. प्रति वर्ष 2-3 टन प्रजनक बीज का उत्पादन करता है जबकि एन.एच.आर.डी.एफ. ने वर्ष के दौरान चार किस्मों अर्थात एग्रीफाउण्ड डार्क रेड, एग्रीफाउण्ड लाईट रेड, एन.एन.आर.डी.एफ. रेड तथा एग्रीफाउण्ड व्हाइट के 23.56 क्विंटल बीज का उत्पादन किया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार अधिक उपज वाली प्याज की किस्मों के बीजोत्पादन तथा देश के प्याज उत्पादकों को वितरण करने के लिए एन.एच.आर.डी.एफ. को राष्ट्रीय बागवानी कार्यक्रम के अधीन सहायता मुहैया करा रहा है। इस तरह से उत्पादित गुणवत्ताप्रद बीजों को कर्नाटक राज्य के किसानों को भी वितरित किया जा रहा है। देश में पिछले तीन वर्षों में एन.एच.आर.डी.एफ. द्वारा उत्पादित और वितरित प्याज के बीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन.एच.आर.डी.एफ. द्वारा उत्पादित और वितरित प्याज की विभिन्न किस्मों के राज्य-वार गुणवत्ताप्रद बीज

मात्रा क्विंटल में

राज्य	एग्रीफाउण्ड डार्क रेड			एग्रीफाउण्ड लाइट रेड			एन.एच.आर.डी.एफ. रेड		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
दिल्ली	29.22	7.49	6.85	45.19	50.03	21.50	0.50	0.20	2.27
हरियाणा	6.99	4.78	5.00	38.69	30.84	10.00	1.05	46.25	5.00
गुजरात	97.64	35.88	19.61	12.02	63.92	6.29	0.60	1.88	0.00
उत्तर प्रदेश	26.29	20.00	31.50	105.00	55.00	57.52	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	40.00	15.00	5.53	6.30	25.00	2.18			
आन्ध्र प्रदेश	13.89	7.50	14.98	45.00	30.00	4.00			
महाराष्ट्र	501.89*	520.88*	517.3*	532.718*	541.09*	560.74*			
तमिलनाडु	24.40	38.70	29.13						
मध्य प्रदेश	63.25	37.42	60.59	195.90	56.57	212.76	0.23	0.14	0.38
राजस्थान	130.77	37.20	236.12	50.00	48.14	45.44			
केरल	0.00	0.06	0.02						
पंजाब	19.42	11.56	14.01	30.00	25.00	24.86	1.50	0.40	4.08
बिहार	24.88	25.00	52.00	50.00	32.00	48.56			
ओडिशा	5.00	0.00	0.00	35.33	0.00	140.00			
कुल	983.64	761.47	992.64	1146.15	957.59	1133.85	3.88	48.87	11.73

* महाराष्ट्र राज्य बीज नबगत लि. द्वारा वितरित 500 क्विंटल शब्द को ऐसे किया करे। प्याज बीज शामिल हैं।

सरकारी भवनों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

3016. **श्री रामकिशुन:** क्या **गृह मंत्री** सरकारी भवनों में सुरक्षा उपाय के बारे में 20.03.2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी भवनों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग से सुरक्षा को खतरे के बारे में अध्ययन करने के लिए समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सब्जियों और फलों की कमी

3017. **श्रीमती जे. शांता:**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में असमय वर्षा के कारण, जिससे फसलें बर्बाद हो गई, सब्जियों और फलों की कमी हो गई और परिणामस्वरूप इनकी कीमतें बढ़ गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवम्बर, 2011 और जनवरी, 2012 के दौरान प्याज, टमाटर, मटर, गोभी, (बीन्स), सेम, गाजर, केला, सेब इत्यादि का अनुमानित/वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(घ) क्या यह सत्य है कि देश में वर्ष 2010-11 के दौरान फलों और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इनकी पैदावार के अलावा इन उत्पादों के निर्यात में भी वद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में फलों और सब्जियों के निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) बे-मौसमी वर्षा के कारण फसलों के नष्ट होने से संबंधित कोई रिपोर्ट जिसके कारण फलों और सब्जियों के विक्रय मुल्य में वृद्धि हुई है कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्राप्त नहीं हुई। फल और सब्जियों के मूल्य में वृद्धि मांग और आपूर्ति तथा मंडी ताकतों पर निर्भर होते हैं।

(ग) से (ङ) 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की अवधि के दौरान केला, सेब, प्याज, टमाटर, मटर, फूल गोभी, फलियां और गाजर सहित फलों और सब्जियों के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(मिट्रिक टन लाख में)

वर्ष	फल	सब्जियां
2009-10	715.16	1337.38
2010-11	748.78	1465.54
2011-12	775.25	1496.07

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

*अनन्तिम अनुमान

(च) और (छ) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना 2011-12 में फलों और सब्जियों के निर्यात के संबंध में प्रतिशतता वृद्धि वर्ष 2010-11 के दौरान 64.79 प्रतिशत की तुलना में 65.54 प्रतिशत है।

बागवानी बोर्डों के लिए निधियां

3018. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**

श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न बागवानी बोर्डों को धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में इन बोर्डों को राज्य-वार क्या प्रोत्साहन दिए गए और फिलहाल उनके कामकाज की स्थिति क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य हेतु बारहवीं योजना अवधि के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां, सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा नारियल विकास बोर्ड को निधियां मुहैया कराई हैं।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नारियल विकास बोर्ड को क्रमश: 68233.65 लाख रु. और 36661.00 लाख रुपए मुहैया कराए हैं।

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नारियल विकास बोर्ड को अनुदान सहायता मुहैया कराता है और वे भी निर्विघ्न कार्य करते हैं।

(घ) कार्य योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कृषि ऋण

3019. **श्री सुरेश कुमार शेटकर**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2011-12 में कृषि ऋण 20 प्रतिशत बढ़कर 4.5 लाख रुपये हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कृषि ऋण का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि ऋण का संवितरण 3,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 4,68,291.28 करोड़ रु. था जो कि लक्ष्य से लगभग 25% अधिक रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान (31 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार), कृषि ऋण का संवितरण 4,75,000 करोड़ रु. की तुलना में 3,93,410.99 करोड़ रु. रहा।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है, फार्म ऋण कुल धन आपूर्ति का बहुत कम हिस्सा (0.04%) बैठता है, इसलिए मुद्रास्फीति पर इसका कोई अधिक प्रभाव नहीं होगा।

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

3020. **डॉ. रत्ना डे**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों में नक्सल गतिविधियों से निपटने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने नक्सलवादियों का मुकाबला करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 07.01.2009, 17.08.2009, 14.07.2010, 01.02.2011 और 16.04.2012 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 05 बैठकें आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं।

इन बैठकों के दौरान राज्य सरकारों ने प्राथमिक रूप से वामपंथी उग्रवाद संबंधी समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित सुरक्षा और विकास संबंधी विभिन्न दखलों की मांग की है।

भारत सरकार ने राज्य बलों की सहायता के लिए सी.ए.पी.एफ. की 75 बटालियनें तैनात की हैं। केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना की योजना जैसी योजनाओं के मध्यम से क्षमता के निर्माण में राज्यों को सहायता भी प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने उग्रवाद रोधी एवं आतंकवाद रोधी

विद्यालयों की स्थापना करने तथा इंडिया रिजर्व (आई.आर.) बटालियनों के गठन के लिए भी राज्यों को सहायता प्रदान की है। नक्सल-रोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 'एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.)' कार्यान्वित कर रही है। इन क्षेत्रों में फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन की सीधी निगरानी भी योजना आयोग द्वारा की जाती है।

कृषि संबंधी अनुसंधान और व्यापार

3021. **श्री नरहरि महतो:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि संबंधी अनुसंधान और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त करार से क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न विदेशी संगठन देश की कृषि नीति पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2010 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग के लिए एक अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि द्विपक्षीय रूप से और अन्य देशों के सहयोग से कार्य किया किया जा सके जिससे खाद्य सुरक्षा में सामूहिक तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

कृषि अनुसंधान एवं व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों/एजेंसियों के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

(I) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अमरीकी विश्वविद्यालयों के साथ करार किए है। इस करारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) आई.सी.ए.आर. ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3.11.1998 को कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दो वर्षों 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अधीन एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए और विभिन्न चल रहे कार्यकलापों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), भारत और कानसास राज्य विश्वविद्यालय (के.एस.यू.), यू.एस.ए. के बीच अगस्त, 2010 में पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2011-12 के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और कानसास पक्ष को उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए भेज दिया गया है। कानसास पक्ष से उत्तर प्रतिक्षित है।

(iii) कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आई.सी.ए.आर. और अमोवा राज्य विश्वविद्यालय के बीच एक एम.ओ.यू. पर 28.1.1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसके पश्चात कोई प्रगति नहीं हुई है तथा मामला आगे नहीं बढ़ा है।

(iv) ओहियो राज्य विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. और आई.सी.ए.आर. के बीच 15.04.1999 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए थे। किन्तु मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

(v) कृषि अनुसंधान और शिक्षा ने क्षेत्र में सहयोग के लिए आई.सी.ए.आर. ने इलीनोइस विश्वविद्यालय के साथ 5.10.2010 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2012-13 के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार कर लिया है और इलीनोइस विश्वविद्यालय को उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए भेज दिया गया है। अब तक, इलीनोइस पक्ष से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(vi) आई.सी.ए.आर. कागजातों के आदान-प्रदान के जरिए अगस्त-सितम्बर, 2010 में मिशीगन राज्य विश्वविद्यालय के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। दो वर्षों 2012-13 के लिए एम.ओ.यू. के अधीन एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(vii) आई.सी.ए.आर. ने जार्जिया विश्वविद्यालय (यू.जी.ए.) के साथ 3 नवंबर, 2009 को एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2012-13 के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गय है और यू.जी.ए. पक्ष को उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए भेजा गया है। अब तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(II) भारत से यू.एस.ए. को चावल का निर्यात करने के लिए संयुक्त राज्य कृषि विभाग यू.एस.डी.ए. की पशु एवं पादप स्वास्थ्य जांच सेवा (ए.पी.एच.आई.एस.) और कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक कार्य योजना करार (डब्ल्यू.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार ने यू.एस.ए. को निर्यात किए जाने से पहले चावल में खापरा बीटल को दूर करने की प्रक्रिया स्थापित की। यह करार चावल के भारत से यू.एस.ए. को निर्यात को सरल बनाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की विधि

3022. **श्री चंद्रकांत खैरे**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफरिशों के मद्देनजर कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की सिफारिश हेतु नियत विधि संशोधित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उक्त संशोधित विधि प्रो. स्वामीनाथन द्वारा सुझाई गयी विधि से भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करने में प्रक्रियात्मक पहलुओं की जांच करने के लिए डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधर पर, सरकार ने उत्पादन लागत का अनुमान लगाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, फसल बीमा के लिए किसानों द्वारा अदा की गई किस्त, विपणन तथा ढुलाई प्रभारों को लागत के अतिरिक्त मदों के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.), न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं- उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवनयापन लागत पर प्रभाव आदि।

(ग) और (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करने में प्रक्रियात्मक पहलुओं की जांच करने के लिए डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग (एन.सी.एफ.) के विचारार्थ विषय में न केवल कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने हेतु मानकों को निर्धारित करने को शामिल किया गया है अपितु भारतीय कृषि के सम्पूर्ण परिदृश्य को भी शामिल किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, इनमें देश में खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा के लिए एक सघन मध्यम नीति शामिल हैं, ये देश की मुख्य खेती पद्धतियों की उत्पादकता, लाभ, स्थायित्वता तथा रख-रखाव में वृद्धि करने संबंधी प्रक्रियाओं का प्रस्ताव कृषि अनुसंधान में पूंजीनिवेश में बढ़ोतरी करने के लिए निर्धारित सघन नीतिगत सुधारों के बारे में सुझाव देना, किसानों को ग्रामीण ऋण की प्रवाह में पर्याप्त रूप से वृद्धि आदि शामिल है।

भारतीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तथापि, इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश उद्देश्ययुक्त मानदंड के आधार पर एवं संबंधित कारकों की किस्मों पर विचार करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा की जाती है। अत: लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उत्पादन लागत के बीच एक अभियांत्रिकी समन्वय प्रतिकूल उत्पादन साबित हो सकता है।

बागवानी संबंधी समिति

3023. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉ गोरख सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक का दौरा करके संकटग्रस्त बागवानी किसानों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किसानों को मदद करने हेतु समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉ. गोरख सिंह की अध्यक्षता में एक समिति ने कर्नाटक का दौरा किया। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कर्नाटक में सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सुपारी के येलो लीफ रोग (वाई.एल.डी.) से प्रभावित उद्यानों सहित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पुनरूद्धार के लिए 705.08 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई थी।

(ii) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की है, ताकि नाबार्ड के माध्यम से कर्नाटक में किसानों को वित्तीय राहत प्रदान की जा सके।

(iii) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कसार बोर्ड सुपारी के वैकल्पिक उपयोग के बढ़ाने और सुपारी में येलो लीफ को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार कार्यकलाप चला रहा है।

(iv) वर्ष 2011-12 के दौरान कर्नाटक में सुपारी की सफेद किस्म के लिए 75900 रु. प्रति एम.टी. और लाल किस्म के लिए 97900 रु. प्रति एम.टी. मूल्य के बाजार हस्तक्षेप के साथ 6.4.2011 से 31.05.2011 तक सुपारी की सफेद एवं लाल किस्मों की क्रमश: 8000 एम.टी. और 4000 एम.टी. के प्रापण के लिए एम.आई.एस. का कार्यान्वयन किया गया था।

विवरण

डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में केन्द्रीय दल ने सुपारी उत्पादकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नवंबर, 2009 के दौरान कर्नाटक के चिकमगलूर और शिमोगा जिले का दौरा किया। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है-

(1) पालोस समिति और राठीनम समिति की सिफारिशों और वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सुपारी की खेती के तहत और अधिक क्षेत्र विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि वर्तमान उद्यानों में भी जब कभी नए रोपण की आवश्यकता होती है तब और अधिक लाभकारी फसलों की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

(2) नहर क्षेत्र के आस-पास सुपारी खेती को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही सुपारी की खेती के भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भू विज्ञान विभाग के अनुसार जल की कमी है। सुपारी खेती के संबंधी में केवल मालानाड और तटीय क्षेत्रों में परंपरागत सुपारी उत्पादकों को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(3) चूंकि सुपारी से होने वाली आय आर्थिक स्तर से नीचे आ गई है। अत: सुपारी उत्पादकों को अपनी आय को प्रतिपूर्ति के लिए अपने उद्यानों में कॉफी, कहवा काली मिर्च, ईलाईची, ट्यूबर फसलें, फल आदि के लिए अन्य उचित फसलों की खेती करनी चाहिए।

(4) सुपारी के विभिन्न वैकल्पिक उपयोग और औषधीय गुणों की सूचना दी गई है। अत: इसका आर्थिक रूप से दोहन करने के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाना चाहिए। सुपारी को फार्मा क्षेत्र, औद्योगिक और कास्मेटिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए अध्ययनों को तेज किया जाना है। औषधीय और औद्योगिक उद्देश्य हेतु सुपारी का उपलब्ध वैकल्पिक

उपयोग को संस्थागत वित्त पोषण के माध्यम से उत्पाद के घरेलू खतप को बढ़ाने के लिए बृहत स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) वर्तमान सुपारी रोपणों में भूमि के इकाई क्षेत्र से आय को बढ़ाने के लिए अंत: एवं मिश्रित फसलों के साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

* गंभीर रोग ग्रस्त पाम को काट कर और हटा कर पुनरूद्धार घटक के तहत येलो लीफ रोग प्रभावित सुपारी उद्यानों का पुनरूद्धार, किसानों के मध्य जागरूकता फैलाना।

* क्षेत्र के लिए उचित वैकल्पिक फसल के साथ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम।

* क्षेत्र के लिए उचित वैकल्पिक फसल के साथ प्रौद्योगिक विस्तार कार्यक्रम।

* कोलेरोगा रोग के नियंत्रण के लिए डॉ. एम.एल. चौधरी द्वारा की गई सिफारिशों का अनुसरण किया जा सकता है।

(6) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के माध्यम से सुपारी वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना।

(7) आई.सी.ए.आर. को अपने अनुसंधान कार्यों की गति बढ़ाना चाहिए और सुपारी में वाई.एल.डी. प्रभावी नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुझाना चाहिए।

(8) चिकमगलूर और शिमोगा जिलों में चार हैक्टेयर से कम भूमि वाले सुपारी उत्पादकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुपारी उत्पादकों की ऋण माफी और उन्हें नए ऋण प्रदान करने पर विचार किया जाए।

(9) मंडी हस्तक्षेप स्कीम केवल मलाड और तटीय क्षेत्रों के परंपरागत क्षेत्र में ही कार्यान्वित की जानी चाहिए।

हेरोइन की खपत

3024. नारनभाई कछाड़िया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की "वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2011" के अनुसार भारत हैरोइन सहित नशीली दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दक्षिण एशिया में इनके 40 टन उत्पादन में से लगभग 17 टन की अकेले भारत में खपत होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार नशीली दवाओं की कितनी-कितनी मात्रा जब्त की गई; और

(घ) सरकार ने देश में नशीली दवाओं पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट- 2011 में केवल भारत में 17 टन हेरोइन के उपभोग का हवाला नहीं दिया गया है।

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में देश में प्रमुख स्वापक औषधियों की जब्ती के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	जब्त की गई औषधियों की कुल मात्रा (कि.ग्रा. में)
2009	215142.23
2010	1080069.75
2011	122487.58
2012 (आज तक)	9732.26

(घ) स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों की जांच करने, पता लगाने और उसके अवैध व्यापार को रोकने तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सीमा रक्षक बलों सहित विभिन्न औषधि विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय करना।

(ii) प्रचालनात्मक आसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेशण और प्रसार में सुधार के लिए आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना।

(iii) मुखबिरों और अधिकारियों को स्वापक औषधियों की जब्ती करवाने से संबंधित सूचना देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार देने की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(iv) औषधि के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधात्मक उपाय करना।

(v) आयात और निर्यात बिन्दुओं पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

(vi) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करना।

(vii) स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों तथा प्रिकर्सर रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान और जांच संबंधी सहायता के लिए अधिक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग।

(viii) पात्र राज्यों को उनकी स्वापक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(xi) मुखबिरों और अधिकारियों को स्वापक औषधियों की जब्ती कराने/गैर-कानूनी फसलों को नष्ट करने की सूचना देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

(x) विभिन्न क्षमताओं के 477 पदों की स्वीकृति प्रदान करके स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ीकरण किया गया है। उप महानिदेशक के 3 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में स्थापित किए गए हैं। बंगलौर और पटना में दो नई जोनल यूनिटें और मण्डी, मदुरै, भुवनेश्वर और देहरादून में चार सब-जोन स्थापित किए गए हैं।

सेट टॉप बॉक्स

3025. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए एक 'डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम' के माध्यम से एक कोडीकृत रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण करना अनिवार्य होगा;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता को स्वयं सेट टॉप बॉक्स खरीदना होगा या केबल सेवा प्रदाता/ऑपरेटर को उपभोक्ता को सेट टॉप बॉक्स देना होगा;

(ग) दिल्ली सहित प्रत्येक महानगर में, नगर-वार ऑपरेटर द्वारा सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए उपभोक्ता से वसूले जाने हेतु कितनी लागत नियत की गई है;

(घ) सरकार द्वारा सेट टॉप बॉक्स के लिए उपभोक्ताओं से मनमानी दर पर रकम वसूलने वाले ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऑपरेटरों द्वारा मनमाने ढंग से सेट टॉप बॉक्स के लिए वसूले जा रहे अत्यधिक रकम को रोकने के लिए क्या निवारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 की धारा 4क (1) के अनुसार, प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए इनक्रिप्टिड रूप में किसी भी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुन: प्रसारण करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने दिनांक 11.11.2011 की अधिसूचना के तहत केबल टी.वी. सेवाओं में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए अंतिम तारीखें अधिसूचित की हैं जिसके फलस्वरूप 31 दिसंबर, 2014 तक ऐनलॉग सेवाओं का पूरी तरह से अंतरण हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स स्वयं खरीदना होगा।

(ग) से (ङ) सरकार ने सैट टॉप बॉक्सों (एस.टी.बी.) की लागत नियत नहीं की है क्योंकि एस.टी.बी. की लागत को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाना होगा। मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न बहु-प्रणाली संचालकों (एम.एस.ओ.) के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण एस.टी.बी. की लागत बिल्कुल प्रतिस्पर्धात्मक व वहनीय होगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उन मुद्दों को अभिज्ञात किया है जिनका एक विनियामक पद्धति के जरिए निदान किए जाने की आवश्यकता है जिसमें, अन्य के साथ-साथ, डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लिए प्रशुल्क, इंटरकनेक्शन व सेवा-गुणवत्ता के मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के संबंध में "डिजिटल संबोधनीय केबल टी.वी. प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे" नामक एक परामर्श-पत्र दिनांक 22.12.2011 को जारी किया गया। टिप्पणियां/विचार/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त होने के

पश्चात स्टेकहोल्डरों के साथ दिनांक 13.03.2012 को एक उन्मुक्त चर्चा बैठक (ओ.एच.डी.) का भी आयोजन किया गया। स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों/विचारों और उनके विश्लेषण के आधार पर डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लिए प्रशुल्क, इंटरकनेक्शन व सेवा-गुणवत्ता के पहलुओं पर विनियामक प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

ज्वार और बाजरे की खेती

3026. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में गेहूं और चावल की तुलना में ज्वार और बाजरे की खेती के क्षेत्र में कमी के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं/प्रोत्साहन दिए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां, महोदया। 2008-09 से 2011-12 (दूसरे अग्रिम अनुमानों) के दौरान क्षेत्र में कमी/वृद्धि सहित ज्वार, बाजरा, गेहूं तथा चावल के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में मोटे अनाज (मिलेटस) की पैदावार तथा मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पादों की खपत को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तदनुसार गहन बाजरा प्रोन्नत (आई.एन.एस. आई.एम.पी.) के माध्यम से पौषणिक सुरक्षा के लिए एक उप योजना खरीफ 2011 से 16 राज्यों में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य देश में मोटे अनाज के उत्पादन में उत्प्रेरक वृद्धि का स्पष्ट प्रभाव सहित एकीकृत तरीके से संशोधित उत्पादन तथा पैदावार के बाद प्रौद्योगिकी का निरूपण करना है। उत्पादन में वृद्धि लाने के अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि तकनीक के माध्यम से मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पादों के लिए उपभोक्ता मांग को उत्पन्न करना है। मोटे अनाज फसलों के प्रौद्योगिकी निरूपण के माध्यम से संशोधित किस्मों/हाईब्रिड को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को किसान प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहायता का विस्तार किया गया है। राज्यों ने निरूपण के अन्तर्गत मोटे अनाज फसलों की पैदावार में वृद्धि सूचित की है। आई.एन.एस.आई.एम.पी. के अतिरिक्त राज्यों को कृषक बृहत प्रबंधन के अन्तर्गत बाजरा का विकास करने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 2011-12 के दौरान काफी वृद्धि की गई है।

विवरण

2008-09 से 2011-12 के दौरान ज्वार, बाजरा, चावल तथा गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज के राज्यवार अनुमान

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ज्वार						
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	गत वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी(-)		
					2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	279.0	385.0	254.0	246.0	106.0	-131.0	-8.0

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
बिहार	2.4	1.7	3.1	2.8	-0.7	1.4	-0.3
छत्तीसगढ़	4.9	4.7	5.9	4.5	-0.2	1.2	-1.4
गुजरात	174.0	163.0	125.0	87.0	-11.0	-38.0	-38.0
हरियाणा	81.0	72.0	72.0	76.0	-9.0	0.0	4.0
हिमाचल प्रदेश	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
जम्मू और कश्मीर	4.4	4.4	0.1	0.0	0.0	-4.3	-0.1
झारखंड	0.5	0.2	0.3	0.8	-0.3	0.1	0.5
कर्नाटक	1382.0	1369.0	1243.0	1145.0	-13.0	-126.0	-98.0
केरल	2.3	2.5	2.2	0.2	0.2	-0.3	-2.0
मध्य प्रदेश	481.4	445.9	432.0	363.7	-35.5	-13.9	-68.3
महाराष्ट्र	4071.0	4176.0	4060.0	3263.0	105.0	-116.0	-797.0
ओडिशा	8.9	9.0	8.9	8.6	0.1	-0.1	-0.3
पंजाब	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
राजस्थान	576.6	718.5	726.9	553.8	141.9	8.4	-173.1
तमिलनाडु	258.9	238.6	243.5	284.2	-20.3	4.9	40.7
उत्तर प्रदेश	193.0	191.0	20.0	192.0	-2.0	10.0	-9.0
उत्तराखंड	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
पश्चिम बंगाल	1.1	1.5	0.0	1.5	0.4	-1.5	1.5
अन्य	9.4	4.1	3.9	3.9	-5.3	-0.2	0.0
अखिल भारत	7530.9	7787.2	7381.7	6233.0	256.3	-405.5	-1148.7

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बाजरा						
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	गत वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)		
					2009-10	2010-11	2011-12
1	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश	59.0	45.0	67.0	45.0	-14.0	22.0	-22.0
असम	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
बिहार	3.0	3.0	4.9	3.7	0.0	2.0	-1.2
छत्तीसगढ़	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0

1	9	10	11	12	13	14	15
गुजरात	704.0	672.0	873.0	672.0	-32.0	201.0	-201.0
हरियाणा	610.0	585.0	661.0	543.0	-25.0	76.0	-118.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.2	0.2	-0.1	0.1	0.0
जम्मू और कश्मीर	17.9	17.4	16.6	17.0	-0.5	-0.8	0.4
झारखंड	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1
कर्नाटक	266.0	305.0	309.0	273.0	39.0	4.0	-36.0
केरल	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
मध्य प्रदेश	175.3	165.5	162.3	181.0	-9.8	-3.2	18.7
महाराष्ट्र	865.0	1034.0	1035.0	837.0	169.0	1.0	-198.0
ओडिशा	3.0	2.8	3.3	3.1	-0.2	0.5	-0.2
पंजाब	5.0	3.0	3.0	3.0	-2.0	0.0	0.0
राजस्थान	5174.6	5168.5	5488.7	5488.7	-6.1	320.2	0.0
तमिलनाडु	56.7	54.4	49.5	89.7	-2.3	-4.9	40.2
उत्तर प्रदेश	809.0	848.0	935.0	888.0	39.0	87.0	-47.0
उत्तराखंड	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
पश्चिम बंगाल	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
अन्य	3.5	0.4	3.7	3.6	3.1	3.4	-0.1
अखिल भारत	2752.5	8904.2	9612.3	9048.3	151.7	708.2	564.0

*3-2-2012 को जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार।

एन.जी. - उगाये नहीं गए।

एन.आर. - सूचित नहीं किया गया।

2008-09 से 2011-12 के दौरान ज्वार, बाजरा, चावल तथा गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज के राज्यवार अनुमान

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल						
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	गत वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)		
					2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	4387.0	3441.0	4751.0	4006.0	-946.0	1310.0	-745.0
असम	2484.2	2495.8	2570.3	2522.0	11.6	74.5	-48.3

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	3496.0	3213.7	2832.5	3127.7	-282.3	-381.2	295.2
छत्तीसगढ़	3734.0	3670.7	3702.5	3755.7	-63.3	31.8	53.2
गुजरात	747.0	679.0	808.0	754.0	-68.0	129.0	-54.0
हरियाणा	1210.0	1205.0	1245.0	1241.0	-5.0	40.0	-4.0
हिमाचल प्रदेश	77.7	76.7	77.1	77.2	-1.0	0.4	0.1
जम्मू और कश्मीर	257.6	259.9	261.3	260.5	2.3	1.5	-0.8
झारखंड	1683.6	995.0		1692.9	-688.6	-995.0	1692.9
कर्नाटक	1514.0	1487.0	1540.0	1410.0	-27.0	53.0	-130.0
केरल	234.3	234.0	213.2	220.7	-0.3	-20.8	7.5
मध्य प्रदेश	1682.3	1445.7	1602.9	1613.2	-236.6	157.2	10.3
महाराष्ट्र	1522.0	1470.0	1518.0	1514.0	-52.0	48.0	-4.0
ओडिशा	4454.7	4365.1	4225.7	4327.3	-89.6	-139.4	101.6
पंजाब	2735.0	2802.0	2831.0	2821.0	67.0	29.0	-10.0
राजस्थान	133.4	150.7	131.1	139.0	17.3	-19.6	7.9
तमिलनाडु	1931.8	1845.5	1905.7	2058.2	-86.3	60.2	152.5
उत्तर प्रदेश	6034.0	5186.7	5657.0	5948.0	-847.3	470.3	291.0
उत्तराखंड	296.0	294.0	289.5	282.0	-2.0	-4.5	-7.5
पश्चिम बंगाल	5935.7	5630.1	4944.1	5600.0	-305.6	-685.9	655.9
अन्य	987.1	970.9	1036.2	1036.1	-16.2	65.3	0.0
अखिल भारत	45537.4	41918.4	42862.4	44406.5	-3619.0	944.0	1544.1

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गेहूं						
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	गत वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)		
					2009-10	2010-11	2011-12
1	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश	14.0	10.0	10.0	7.0	-4.0	0.0	-3.0
असम	50.1	58.4	44.8	52.0	8.3	-13.6	7.2
बिहार	2158.3	2193.3	2103.5	2117.5	35.0	-89.8	14.0

1	9	10	11	12	13	14	15
छत्तीसगढ़	88.9	112.2	110.8	109.5	23.3	-1.4	-1.3
गुजरात	1091.0	878.0	1274.0	1264.6	-213.0	396.0	-9.4
हरियाणा	2462.0	2492.0	2515.0	2505.0	30.0	23.0	-10.0
हिमाचल प्रदेश	360.0	352.5	357.2	356.6	-7.5	4.7	-0.6
जम्मू और कश्मीर	278.7	288.9	290.7	282.0	10.2	1.8	-8.7
झारखंड	99.9	99.7	96.4	165.9	-0.2	-3.2	69.5
कर्नाटक	269.0	283.0	255.0	195.0	14.0	-28.0	-60.0
केरल	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.	एन.जी.
मध्य प्रदेश	3785.2	4275.9	4341.0	4569.9	490.7	65.1	228.9
महाराष्ट्र	1022.0	1081.0	1307.0	829.0	59.0	226.0	-478.0
ओडिशा	5.3	4.0	2.9	3.5	-1.3	-1.1	0.6
पंजाब	3526.0	3522.0	3510.0	3515.0	-4.0	-12.0	5.0
राजस्थान	2294.8	2394.2	2479.2	2548.4	99.4	85.0	69.2
तमिलनाडु	एन.आर.	एन.आर.	0.1	0.0	एन.आर.	एन.आर.	-0.1
उत्तर प्रदेश	9513.0	9668.0	9637.0	9637.0	155.0	-31.0	0.0
उत्तराखंड	398.0	395.0	379.2	377.0	-3.0	-15.8	-2.2
पश्चिम बंगाल	307.0	315.9	316.8	320.0	8.9	0.9	3.2
अन्य	29.2	33.392	37.992	38.0	4.2	4.6	0.0
अखिल भारत	27752.4	28457.4	29068.6	28892.9	705.0	611.2	-175.7

*3-2-2012 को जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार।

एन.जी.: - उगाये नहीं गए।

एन.आर. - सूचित नहीं किया गया।

हरित क्रांति संबंधी समिति

3027. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूसरी हरित क्रांति हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में दूसरी हरित क्रांति के कार्यान्वयन पर निगरानी हेतु मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में योजना आयोग ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया है ताकि हरित क्रांति को पूर्वी क्षेत्र के सभी कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, जहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की अच्छी संभावना है, में विस्तारित किया जाए ताकि खाद्य सुरक्षा एवं कृषि सततता को प्राप्त किया जा सके। अवसंरचना विशेषत: ऊर्जा, संभार तंत्र एवं

विपणन में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि जारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के भाग के रूप में वर्ष 2010-11 से शुरू "पूर्व भारत में हरित क्रांति लाना बी.जी.आर.ई.आई." के कार्यक्रम जिसका उद्देश्य फसल पालन के माध्यम से चावल आधारित फसल पद्धति की उत्पादकता को बढ़ाना है, के तहत प्रयासों को अनुपूरित किया जा सके।

(ख) और (ग) जी नहीं।

बिलों का भुगतान न करना

3028. **श्री हरि मांझी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जन प्रतिनिधियों, न्यायपालिका के सदस्यों, होटलों, बैंक कार्यालयों बिल्डरों इत्यादि ने अपने पानी, बिजली के बिलों और सम्पत्ति कर का दिल्ली नगर पालिका परिषद् को भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पानी एवं बिजली के बिलों की वसूली दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। जहां तक सम्पत्ति कर से संबंधित बिलों का संबंध है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार करदाता की स्थिति/पेशे को जानने की आवश्यकता नहीं होती है और ऑनलाइन सम्पत्ति कर प्रणाली के सम्पत्ति कर प्रपत्र तथा कार्यक्रम में सम्पत्ति कर स्वामियों/करदाताओं की सम्पत्तियों की स्थिति के संबंध में आंकड़े नहीं लिए जाते हैं। तथापि, तीन तारा एवं इससे ऊपर की श्रेणियों के होटलों का पृथक रिकार्ड रखा जाता है। एम.सी.डी. ने सूचित किया है कि हिल्टन होटल, द्वारा-पिकाडिली होटल प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली के विरुद्ध दिनांक 31-03-2012 तक सम्पत्ति कर के रूप में 5,48,59,039 रुपए की धनराशि का निर्धारिण किया गया है और मैंडेन्स होटल, 7, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली के संबंध में दिनांक 31-03-2012 तक सम्पत्ति कर के अन्तर के रूप में 7,10,75,328 रुपए की धनराशि का निर्धारण किया गया है। सम्पत्ति कर का निर्धारण और वसूली अनवरत प्रक्रियाएं हैं।

(ग) कर निर्धारण के आदेश पारित किये जाते हैं एवं करदाताओं को प्रदत्त किए जाते हैं और यदि निर्धारित अवधि के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वसूली संबंधी कार्रवाई शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

सिख-विरोधी दंगों के दोषसिद्ध व्यक्तियों को माफी

3029. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार 1984 के सिख-विरोधी दंगों के कुछ दोषसिद्ध व्यक्तियों को माफी दिए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगे के दौरान किए गए अपराधों के लिए प्राथमिकी सं. 426/1984, पुलिस थाना क्लाणपुरी के मामले में धारा 302 आई.पी.सी. के तहत आजीवन कारावास सुनाए गए दोषसिद्ध व्यक्ति किशोरी, उम्र 59 वर्ष, पुत्र श्री होशियार सिंह के मामले की, दिनांक 31.10.2011 के अनुसार उक्त दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा आजीवन कारावास में से 15 वर्ष 4 महीने के कठोर कारावास की वास्तविक सजा पहले की काट चुकने के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित किए गए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एस.आर.बी.) द्वारा दिनांक 29.12.2011 को हुई इसकी बैठक में धारा 432 सी.आर.पी. के अंतर्गत समय-पूर्व रिहाई के लिए सिफारिश की गई है।

इस मामले की सिफारिश एस.आर.बी. द्वारा की गयी थी, जिसने दोषसिद्ध व्यक्ति की समय-पूर्व रिहाई की सिफारिश करते समय पुलिस तथा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी की अनुकूल रिपोर्टों पर विचार किया था। तथापि, इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात माननीय लेफ्टिनेंट गर्वनर, दिल्ली द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है।

फसल-पशुधन कृषि प्रणाली

3030. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकीकृत खाद्यान्न-चारा, ब्रीड स्वास्थ्य और जैव-सुरक्षा प्रबंधन पर आधारित फसल-पशुधन कृषि प्रणाली के विकास का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक आम जनता, किसानों, विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) ग्यारहवीं पंच वर्षीया योजना अवधि में कार्यान्वयन स्तर पर क्या कठिनाइयां पेश आई हैं; और

(घ) इस संबंध में 2020 के लिए क्या भावी योजना तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) अनाज उत्पादन में बिना किसी समझौते के बेहतर गुणवत्ता वाले चारे के लिए आई.सी.ए.आर - राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एम.ए.यू.)- अंतराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शी समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) संस्थानों के साथ सहयोग में खाद्य-आहार फसलों को विकसित करने के माध्यम से फसल-पशुधन पालन तंत्र पर अनुसंधान कर रहा है। इसके अलावा, नीतिगत अनुपूरक दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण (संपूर्ण आहार ब्लाक, कुल मिश्रित राशन) के माध्यम से चारा अपशिष्टों की पोष्टिक जैव विविधता पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। नस्ल उन्नयन कार्यक्रम और पशुस्वास्थ्य प्रबंधन पर अनुसंधान सी.जी.आई.आर. संस्थानों के साथ और एम.ए.यू., आई.सी.आर. संस्थान और एन.जी.ओ. मोड नेटवर्क के तहत सक्रिय रूप से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से प्राप्त कुछ प्रौद्योगिकीय/अनुसंधान आउटपुट को किसानों द्वारा व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है और सरकार इसके इस्तेमाल को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना और आहार/चारा मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) और (घ) आई.सी.ए.आर. के पशुविज्ञान शाखा के सभी संस्थानों के लिए 2020 के लिए भावी विजन को इन पहलुओं पर जोर देते हुए तैयार किया गया है।

एफ.सी.आई. का बकाया

3031. **श्री पोन्नम प्रभाकर**: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की काफी बड़ी राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण करने और बफर स्टाक रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के दावे के 95% हेतु अनंतिम आधार पर खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। शेष 5% राजसहायता संबंधित वर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षा होने के बाद भारतीय खाद्य निगम से अंतिम दावे प्राप्त होने पर रिलीज की जाती है। आज की तारीख में भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त वर्ष 2009-10 के लिए 146.64 करोड़ रुपये की शेष 5% खाद्य राजसहायता का अंतिम दावा भारतीय खाद्य निगम से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लंबित है।

इसके अलावा, अन्य मंत्रालयों की कल्याण स्कीमों के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरित खाद्यान्नों के बारे में संबंधित मंत्रालयों की ओर भारतीय खाद्य निगम की निम्नलिखित राशियां लंबित हैं:-

क्र.सं.	मंत्रालय	राशि (करोड़ रुपये)
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2471.22
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	129.40
3.	विदेश मंत्रालय	131.59

शीथ ब्लाइट और फूट रॉट बीमारियों का फैलना

3032. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शीथ ब्लाइट और फूट रॉट बीमारियों के फैलने के कारण कुछ राज्यों में किसानों को छिड़काव का उपयोग करने और फसलों के प्रबंधन की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। संघीय सरकार शीथ ब्लाइट और फूट रॉट बीमारियों का फैलने के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में अवस्थित केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्रों (सी.आई.पी.एम.सी.) द्वारा आयोजित नाशीजीव और रोग सर्वेक्षणों के आधार पर समय रहते परामर्शों के माध्यम से छिड़कावों का उपयोग करने तथा फसलों के प्रबंधन पर आन्ध्र प्रदेश सहित भारत के लगभग सभी राज्यों में किसानों को सलाह देती रही है। इन सी.आई.पी.एम.सी. द्वारा आयोजित किए जा रहे कृषक फील्ड स्कूलों में इन पहलुओं पर भी परामर्श दिए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूसा बासमती 11211 किस्म में फूट रोट (बाकाने) नामक एक छोटा रोग हाल ही में दिखाई दिया है। बीज उपचार के जरिए इस रोग पर नियंत्रण कर लिया गया है।

(ग) संघीय सरकार द्वारा केवल इन रोगों पर भेजे गए परामर्शों हेतु कोई निधियां मुहैया नहीं कराई गई थीं।

हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना

3033. **श्री अंजनकुमार एम. यादव**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए अनुमोदन/संस्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शहर के तीन यातायात कॉरीडारों में 71 कि.मी. लम्बी अर्थात् (1) मियापुर-एल.बी. नगर (128.87 कि.मी.-27 स्टेशनों); (2) जे.बी.एस.-फलकनुमा (14.78 कि.मी.-16 स्टेशनों); (3) नागोल-शिल्पारमम (27.51 कि.मी.-23 स्टेशनों) हैदराबाद मैट्रो परियोजना आरंभ की है। यह परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अन्तरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.) आधार पर पी.पी.पी. मोड में निष्पादित की जा रही है। परियोजना के लिए वित्त संबंधी कार्रवाई मार्च, 2011 में पूरी हो गई थी। 14,132 करोड़ रुपए की कुल लागत में से 1,458 करोड़ रुपए (10%) की राशि की वित्त पोषण व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वी.जी.एफ.) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गए हैं तथा जमीनी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस परियोजना के वर्ष 2016 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

अनार के किसानों को सहायता

3034. **श्री शिवराम गौडा**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन अनार के किसानों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वित्तीय सहायता उत्पादन की न्यूनतम लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अनार के उत्पादन के लिए दी गयी वित्तीय सहायता में संशोधन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। अनार जैसे फल फसलों सहित बागवानी फसलों की खेती किए जाने के लिए सामान्य फसल अंतराल और उच्च सघनता पौध रोपण दोनों के तहत सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। सामान्य अंतराल के अंतर्गत सहायता तीन किस्मों में 40,000 रु. प्रति हैक्टेयर की लागत की 75 प्रतिशत

की दर पर है जबकि उच्च सघनता पौध रोपण के मामले में सहायता अधिकतम चार हैक्टेयर प्रति लाभार्थी हेतु तीन किस्तों में 80,000 रु. प्रति हैक्टे. की लागत का 50 प्रतिशत की दर पर है।

(ग) और (घ) एन.एच.एम. के अंतर्गत मुहैया कराई जा रही वित्तीय सहायता, गुणवत्ताप्रद पौध रोपण सामग्री और अन्य आदानों की लागत को पूरा किए जाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु पर्याप्त है। कृषि संबंधी कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए किसानों को सरकार की अन्य स्कीमों जैसे कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में वर्ष 2010-11 के दौरान लागत मानदंडों को संशोधित किया है जिनमें फलों की खेती के लागत मानदंडों को 30,000 रु. प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 रु. प्रति हैक्टेयर किया गया था। इसके अलावा, इसी वर्ष के दौरान उच्च सघनता पौध सामग्री उगाने के लिए सहायता को भी शामिल किया गया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण की उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम

3035. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम को बंद करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा देश भर में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा;

(ग) क्या सरकार का इस स्कीम के अधीन खिलाड़ियों को अधुनातन सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा देश में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने तथा जवाबदेही में सुधार लाए जाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 12 उत्कृष्ट केन्द्र हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी खेल संवर्धनात्मक स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को समर्थवान बनाने के लिए वृतिका, चिकित्सा बीमा, शैक्षणिक भत्ता, प्रतियोगिता में प्रदर्शन, पोषक आहार, उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपस्कर, उत्कृष्ट खेल सुविधाएं, वैज्ञानिक बैक अप आदि प्रदान करती है। सरकार नकद पुरस्कार के जरिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करती है।

विवरण

देशभर में उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) स्कीम का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र/जोन	खेल विधा
1	2	3
	पश्चिमी	
	गुजरात	
1.	गांधीनगर	कबड्डी
	महाराष्ट्र	
2.	कांदिवली	एथलेटिक्स
		हाकी
		कुश्ती
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
3.	भोपाल	एथलेटिक्स
		हाकी
		कयाकिंग एवं कोनोइंग
		जूडो
	उत्तरी	
	हरियाणा	
4.	सोनीपत	मुक्केबाजी
		कबड्डी
		जूडो

1	2	3
5.	हिसार	मुक्केबाजी
	उप-केन्द्र, लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
6.	लखनऊ	भारोत्तोलन
	एन.एस. एन.आई.एस.	
	पंजाब	
7.	एन.आई.एस. पटियाला	एथलेटिक्स
		साइक्लिग
		जूडो
		हॉकी
	दक्षिणी	
	कर्नाटक	
8.	बंगलौर	एथलेटिक्स
		हॉकी
		भारोत्तोलन
	केरल	
9.	कोल्लम	एथलेटिक्स
		साइक्लिग
		वालीबाल
	एल.एन.सी.पी.ई. त्रिवेन्द्रम	
10.	त्रिवेन्द्रम	एथलेटिक्स
		साइक्लिग
		तैराकी
		वॉलीबाल
	पूर्वी	
	पश्चिम बंगाल	
11.	कोलकाता	तीरंदाजी
		एथलेटिक्स
		फुटबॉल
		जिम्नास्टिक
		टेबल टेनिस
उत्तर पूर्व		
मणिपुर		
12.	इंफाल	एथलेटिक्स
		मुक्केबाजी
		साइक्लिंग
		फेंसिग
		कराटे
		ताइक्वांडो
		भारोत्तोलन
		वुशु

सारांश

क्र.सं.		केन्द्र
1.	पश्चिमी	02
2.	मध्य	01
3.	एन.सी.आर., सोनीपत	02
4.	उप-केन्द्र, लखनऊ	01
5.	एन.आई.एस. पाटियाला	01
6.	दक्षिणी	02
7.	एन.एन.सी.पी.ई. त्रिवेन्द्रम	01
8.	पूर्वी	01
9.	उत्तर पूर्व	01
	कुल	12

कोचिंग केन्द्र

3036. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'**: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे युवा और खेल कोचिंग केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का अपनी खेलों संबंधी अवसंरचना के उन्नयन का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश भर में आठ से पच्चीस वर्ष की आयु वर्ष के प्रतिभावन खिलाड़ियों को 27 खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है (विभिन्न खेल संवर्धनात्मक योजनाओं के अंतर्गत) ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। आज की तारीख में विभिन्न खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत देश भर में 308 साई केन्द्रों में 14120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साई केन्द्रों के क्षेत्र वार/राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। साई आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर विभिन्न साई प्रशिक्षण केन्द्रों पर खेल अवसंरचना का उन्नयन करता है।

विवरण

पूरे देश में विभिन्न खेल संवर्धनात्मक योजनाओं के अंतर्गत भाखेप्रा के कोचिंग केन्द्रों के ब्यौरे

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) स्कीम

क्र.सं.	रीजन/स्कूल	खेल विधा
1	2	3
	दक्षिणी	
	कर्नाटक	
1.	सेंट जोसफ इंडियन हाई स्कूल, बंगलौर	बास्केटबाल, हाकी और तैराकी
	आन्ध्र प्रदेश	
2.	वी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा	एथलेटिक्स, बैडमिंटन और जिम्नास्टिक
	पूर्वी	
	झारखंड	
3.	सेंट इग्नाटियस एच.एस., गुमला	फुटबॉल और हाकी
4.	गवैनमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, रांची	हॉकी
5.	सुकंतानगर पश्चिम बंगाल विद्यानिकेतन, कोलकाता	एथलेटिक्स, फुटबाल और जिम्नास्टिक
	ओडिशा	
6.	बी.एस. हाई स्कूल, सुन्दरगढ़,	एथलेटिक्स, और हाकी
7.	सेंट मेरी जी.ए; स्कूल, सुन्दरगढ़	एथलेटिक्स, फुटबाल और हाकी
	त्रिपुरा	
8.	उमाकांत एक़ेडमी अगरतला	फुटबाल और निम्नास्टिक

1	2	3
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
9.	गवैनमेंट मल्टीपर्पस एच.एस. स्कूल, इंदौर	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और कुश्ती
10.	महारानी लक्ष्मीबाई मल्टीपर्पस एच.एस., जबलपुर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल और खो खो
	एस.सी., लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
11.	उदय प्रताप इंटर कॉलेज, वाराणसी	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल और हाकी
	पश्चिमी	
	महाराष्ट्र	
12.	मुक्तांगा इंग्लिश स्कूल, पुणे	बास्केटबाल और जिम्नास्टिक
13.	भोंसला मिलिटरी स्कूल, नासिक	एथलेटिक्स, हाकी और तैराकी
	राजस्थान	
14.	भूपल नोबल्स एच.एस. स्कूल, उदयपुर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, तैराकी और कुश्ती
15.	श्री गुरूनानक खालसा स्कूल श्रीगंगानगर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हाकी और जिम्नास्टिक साई केन्द्र चंडीगढ़
	चंडीगढ़	
16.	डी.ए.वी. सी. से. स्कूल, सेक्टर-8	फुटबाल, हाकी और वालीबाल
17.	गवैनमेंट गर्ल्स एस.एस. स्कूल, जालंधर	एथलेटिक्स और हाकी
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
18.	मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्टस राय, सोनीपत	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और तैराकी
19.	सी.आर.जेड.सी. से.स्कूल, सोनीपत	एथलेटिक्स और हाकी
	उत्तर-पूर्व	
	मणिपुर	
20.	सैनिक स्कूल, इंफाल	बैडमिंटन और फुटबाल
	उप-केन्द्र, गुवाहाटी	
	असम	
21.	डान बास्को एच.एस., गुवाहाटी	बास्केटबाल, तैराकी और टेबल टेनिस
	सिक्किम	
22.	तासिंगमग्याल अकेडमी, गंगटोक	फुटबाल और तैराकी

देश खेल और मार्शल आर्टस स्कूल (आई.जी.एम.ए.)

क्र.सं.	स्कूल का नाम	खेल विधा
1	2	3
	दक्षिणी	
	केरल	
1.	व्यास विद्या पीठम कालेकड (पी.ओ.) पलकड जिला	कलारिपयाटू
	तमिलनाडु	
2.	विवेकानंद विद्यालय कंधा पोडीकारा, कन्नाकर स्ट्रीट, आबुर	सालीमबम
	आन्ध्र प्रदेश	
3.	श्री शारदा धमम, वि बंगागुडा, जागीर हैदराबाद-30	कबड्डी
	पूर्वी	
	बिहार	
4.	डॉ. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, आई.ओ.सी. टाउनशीप, बेगुसराय	कबड्डी
5.	पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, नालंदा	कुश्ती
	झारखंड	
6.	स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, रतनपुर, टुंडी, जिला धनबाद	कबड्डी
7.	स्वामी शारदानंद डी.ए.वी. सेनटेनरी पब्लिक स्कूल, खुंटी	तीरंदाजी
	ओडिशा	
8.	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पो शेल आशरी विधार, भुवनेश्वर	एथलेटिक्स
	पश्चिम बंगाल	
9.	शारदा विद्या मंदिर, सुदर्शनपुर, पो रायगंज, जिला दीनाजपुर	कबड्डी
	साई केन्द्र, चंडीगढ़	
	चंडीगढ़	
10.	शारदा सर्वहितकारी मोडल स्कूल, सेक्टर-40D	कुश्ती
	जम्मू और कश्मीर	
11.	भारतीय विद्या मंदिर, किश्तवाड़, जिला धोधा	कबड्डी खो खो
	हिमाचल प्रदेश	
12.	डी.ए.वी. सेंट पब्लिक स्कूल, उना	थोडा-तीरंदाजी
	पंजाब	
13.	चकवाल नेशनल सी.से. स्कूल, कुराली	भारोत्तोलन

1	2	3
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
14.	हिन्दू उच्च विद्यालय, नूह-122 107 जिला गुड़गांव	कब्बड्डी
15.	नंदलाल गीता विद्या मंदिर, टेपला, जिला अंबाला	खो खो
		कबड्डी
	उत्तर पूर्वी	
	मणिपुर	
16.	बाल विद्या मंदिर, गां एवं पो धोबल, मणिपुर	मुकना
		थांगटा
	उप-केन्द्र, गुवाहाटी	
	असम	
17.	रामस्वरूप अग्रवाल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, गांव एवं पो. उधलगुरी, जिला धारांग	कबड्डी
		खो खो
	मध्य	
	छत्तीसगढ़	
18.	डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, एस.ई.सी.एल., विश्रामपुर, सरगुजा	कबड्डी
19.	डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, बचेली, जिला दंतेवाड़ा	कबड्डी
20.	सरस्वती शिशु मंदिर, गां कोनी, तह सेंदारी, जिला बिलासपुर	कबड्डी
	मध्य प्रदेश	
21.	सरस्वती विद्या मंदिर, शारदा विहार, केरवा बांध मार्ग, भोपाल	
22.	भारत भारती विद्यालय, गांव जामाती, भारत भारती, बेतूल	कबड्डी
	उप-केन्द्र, लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
23.	सरस्वती विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, घमूर, सुल्तानपुर	कबड्डी
24.	श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, गोवर्धन रोड, मथुरा	कबड्डी
	नवोदय विद्यालय	
	दक्षिणी	
	केरल	
1.	नवोदय विद्यालय पेरिया, जिला कासरगोड	/

1	2	3
	पुडुचेरी	फुटबाल
2.	नवोदय विद्यालय, पेरियाकालापेट, मथुरा रोड, पुडुचेरी-605104	कबड्डी
	साई केन्द्र, चंडीगढ़	
	जम्मू और कश्मीर	
3.	नवोदय विद्यालय, शाहकोट पो. प्रींगल, जिला बारामुला	वालीबाल
	चंडीगढ़	
4.	सेक्टर-25, चंडीगढ़	बास्केटबाल
	हिमाचल प्रदेश	
5.	नवोदय विद्यालय, पेखूबेला, पो. झंकाउ, जिला उना-174303	एथलेटिक्स
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
6.	पबरा, जिला हिसार	कुश्ती
7.	नवोदय विद्यालय, तीतराम, कैथल	कुश्ती
	पश्चिमी	
	गुजरात	
8.	नवोदय विद्यालय, कथलाल, जिला खेड़ा-387630	टेबल टेनिस
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
9.	रतिबाद, जिला भोपाल	वालीबाल
10.	अलीराजपुर, जिला झबुआ	तीरंदाजी
11.	नवोदय विद्यालय, पिच्छोर, दबरा, जिला ग्वालियर-475115	हाकी
	उप-केन्द्र, लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
12.	गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर	वालीबाल
13.	नवोदय विद्यालय, सिंचावार, जिला बलिया-221701	बास्केटबाल
14.	खैराबाद, जिला सीतापुर	कबड्डी
	उत्तरांचल	
15.	रोशनाबाद, जिला हरीद्वार	एथलेटिक्स

गोद लिया गया अखाड़ा

क्र.सं.	अखाड़ा का नाम	खेल विधा
1	2	3
	पश्चिमी	
	महाराष्ट्र	
1.	क्रीड़ा विकास व्यायाममंडल, सांगली	कुश्ती
2.	गोकुल उस्ताद तामिल, पुणे	कुश्ती
3.	गवर्नमेंट कुश्ती सेंटर, कोल्हापुर	कुश्ती
4.	वीर हनुमान कला क्रीड़ा समाजसेवी संस्कृति एवं व्यायाममंडल तालिम, सांगली	कुश्ती
5.	विश्वात्मक जांगली महाराज कुश्ती सेन्टर, कोठमठाम, अहमदनगर	कुश्ती
6.	मोती बाग तालिम केन्द्र कोल्हापुर	कुश्ती
7.	मामासाहेब कुश्तील अखाड़ा, कतराज, पुणे-411046	कुश्ती
8.	भारतीय विद्यापीठ पुणे, कादेगांव, तह. कादेगांव, जिला सांगली	कुश्ती
9.	एल.एन. बालकवाडे व्यायामशाला, अखाड़ा 1002, तीलकपथ, पो. भागुर तह. एवं जिला नासिक	कुश्ती
10.	रंगनाथ मारकड क्रीड़ा एवं युवक मंडल इंदापुर, जिला पुणे	कुश्ती
11.	जय शिव राज एजुकेशन सोसायटी मुरकुड कोगल, जिला कोल्हापुर	कुश्ती
12.	सत्य निकेतन एम.एन. देशमुख आर्ट साइंस एवं कामर्श कॉलेज, अहमदनगर	कुश्ती
13.	गांधी एजुकेशन सोसायटी कुडल, जिला सांगली	कुश्ती
	राजस्थान	
14.	लवकुश अखाड़ा, भीलवाड़ा	कुश्ती
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
1.	चौ. प्रताप सिंह मेमोरियल समिति खरकोडा, सोनीपत	कुश्ती
2.	चौ. भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्टस स्कूल, निदानी जिला, जिंद	कुश्ती
3.	लाला दीवानचंद मोर्डन कुश्ती सेंटर, चारा, झझर	कुश्ती
	दिल्ली	
4.	सर छोटू राम व्यायामशाला, बस्ती विकास केन्द्र, साइड नं 11-बी, ब्लाक शाहबाद डेयरी, दिल्ली-42	कुश्ती
5.	मास्टर चंदगीरम व्यायामशाला, श्री महाकाली आश्रम, सिविल लाइन, दिल्ली-54	कुश्ती
6.	महर्षि दयानंद अखाड़ा, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	कुश्ती
7.	गुरू हनुमान अखाड़ा, दिल्ली	कुश्ती
8.	गुरू जस राम व्यायामशाला, दिल्ली	कुश्ती
9.	के. चांदरूप अखाड़ा आजादपुर, नई सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट सेन्टर, दिल्ली	कुश्ती

1	2	3
10.	लाला रामव्यायामशाला प्रबंधन समिति, रोशनआरा बाग, सब्जी मंडी, दिल्ली	कुश्ती
11.	सोनकर व्यायामशाला प्रबंधक समिति, गुरमंडी नई दिल्ली	कुश्ती
	साई सेंटर, चंडीगढ़	
	पंजाब	
1.	बाबा फरीद कुश्ती अखाड़ा, फरीदकोट	कुश्ती
2.	पदमश्री करतार सिंह अखाड़ा, अखाड़ा	कुश्ती
3.	गुलजार सिंह कुश्ती अखाड़ा, जिरकपुर	कुश्ती
4.	प्रीतम सिंह कुश्ती क्लब, गांव रथ कोहली तह, अजुलाला, जिला अमृतसर	कुश्ती
5.	पखोखे 3 कनाल कैम्पस, तरन तारन, अमृतसर	कुश्ती
6.	कुश्ती सेंटर, माता गंगा कॉलेज, तरन तारन, अमृतसर	कुश्ती
7.	रूस्तम ए हिन्द केसर सिंह अखाड़ा, पटियाला	कुश्ती
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
1.	श्री अच्युतारनंद गुरू व्यायामशाला, उज्जैन	कुश्ती
2.	श्री बिंदु गुरू अखाड़ा, इंदौर	कुश्ती
3.	देशवाली समाज अखाड़ा, उज्जैन	कुश्ती
	एस.सी.-लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
1.	गुरू ज्ञान सेठ, वाराणसी	कुश्ती
2.	ढाको बाबा, जमालपुर, गौतमबुद्ध नगर	कुश्ती
3.	मेघ बरन सिंह कॉलेज, करमपुर, गाजीपुर	कुश्ती
	उप-केन्द्र, गुवाहाटी	
	असम	
1.	लांघिन तिनैली स्पोर्टस संघ, लांघिन, जिला कार्बी आंगलांग	कुश्ती
	पूर्वी	
	ओडिशा	
1.	गुरूकुल आश्रम, अमसेना, नौपाड़ा	कुश्ती
	अखाड़ा पैटर्न पर खेल केन्द्र	

1	2	3
	उत्तर पूर्व	
	मिजोरम	
1.	हरवावा स्कूल आइजवाल	ताइक्वांडो
	नागालैंड	
2.	सेनायांगका हाईयर, मोकोकचुंग	फुटबाल ताइक्वांडो
	उप-केन्द्र, गुवाहाटी	
	असम	
1.	डीब्रूगढ़ जूडो संघ, डीब्रूगढ़	जूडो
	मध्य सेन्टर	
	मध्य प्रदेश	
1.	लोयोला हां से. स्कूल, कुनकुरू, जिला जशपुर	हाकी

सैन्य बाल खेल कंपनी स्कीम (ए.बी.एस.सी.)

क्र.सं.	बाल खेल कंपनी का नाम	खेल विधा
1	2	3
	मेघालय	
1.	58 गारेखा ट्रेनिंग सेंटर, हैप्पी वैली, शिलांग-07	तीरंदाजी, मुक्केबाजी और फुटबाल
	बिहार	
2.	बिहार रेजिमेंट सेंटर, दानापुर (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	तीरंदाजी, फुटबाल और हाकी
	महाराष्ट्र	
3.	बी.ई.जी. एंड सेंटर, किरकी (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, रोइंग और कुश्ती
4.	आर्मी खेल संस्थान, पुणे (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, डाइविंग, फेन्सिग, भारोत्तोलन और कुश्ती
5.	मेकेनाइजड इन्फेंटरी रेजिमेंटल सेंटर, अहमदनगर (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	तीरंदाजी, निशानेबाजी
	आन्ध्र प्रदेश	
6.	आर्टरी सेंटर, हैदराबाद (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	एथलेटिक्स, बास्केटबाल और मुक्केबाजी
	कर्नाटक	
7.	ए.एस.सी. सेंटर एंड कॉलेज, बंगलौर (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	**फुटबाल और हाकी**

1	2	3
8.	एम.ई.जी. एंड सेंटर, बंगलौर (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	मुक्केबाजी, हाकी और तैराकी
	दिल्ली	
9.	राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेन्टर, दिल्ली कैंट-10 (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	एथलेटिक्स, बास्केटबाल और वालीबल
	उत्तर प्रदेश	
10.	आर.वी.सी. सेन्टर एवंड कॉलेज मेरठ कैंट, (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	घुड़सवारी,
11.	डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, फैजाबाद-224001 (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	हैंडबाल, हाकी और वालीबाल
12.	11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	मुक्केबाजी, फुटबाल और निशानेबाजी
13.	राजपूत राइफल्स रेजिमेंट सेन्टर. फतेहगढ़ (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	एथलेटिक्स, बास्केटबाल और तैराकी
	उत्तराखंड	
14.	बी.ई.जी. एंड सेंटर. रूड़की (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, कयाक कैनोइंग और रोइंग
मध्य प्रदेश		
15.	1 सिग्नल ट्रेनिंग सेन्टर, जबलपुर (मार्फत 56 ए.पी.ओ.)	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और फुटबाल

भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना (एस.टी.सी.)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य/केन्द्र	खेल विधा
1	2	3
	दक्षिण	
	कर्नाटक	
1.	धारवाड	एथलेटिक, बास्केटबाल, जिम्नास्टिक, हाकी, कबड्डी, ताइक्वांडो और कुश्ती
2.	मेडिकरी	एथलेटिक और हाकी
3.	बंगलौर	एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबाल, हाकी, जूडो, कबड्डी, निशानेबाजी, साफ्टबाल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबाल और भारोत्तोलन
आन्ध्र प्रदेश		
4.	सरूरनगर (सिकन्द्राबाद)	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हाकी, जूडो और कबड्डी

1	2	3
5.	इलुरू	एथलेटिक्स, हाकी हैंडबाल
6.	करनूल	बास्केटबाल, फुटबाल, हैंडबाल, हाकी और ताइक्वांडो
7.	मेडक	एथलेटिक
8.	विशाखापतनम	बास्केटबाल, मुक्केबाजी, कबड्डी और वालीबाल
	केरल	
9.	त्रिचूर	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, हाकी, जूडो, कबड्डी, तैराकी भारोत्तोलन
10.	कोल्लम	एथलेटिक मुक्केबाजी, बास्केटबाल, फुटबाल, हाकी, कबड्डी, ताइक्वांडो और वालीबाल
	विस्तार सेंटर कोन्नई	एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, साइक्लिंग, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हाकी, कबड्डी, तैराकी, ताइक्वांडो, टेनिस, वालीबाल और कश्ती
	त्रिवेन्द्रम (एल.एन.सी.पी.ई.)	
11.	कालीकट	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल, वालीबाल और भारोत्तोलन
	तमिलनाडु	
12.	चेन्नई	फुटबाल, हाकी, कबड्डी और वालीबाल
13.	सलेम	बास्केटबाल, कबड्डी, ताइक्वांडो और वालीबाल
14.	(यू.टी.) पुडुचेरी	हाकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वालीबाल और भारोत्तोलन
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
1.	भोपाल	एथलेटिक, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, जूडो, ताइक्वांडो, तैराकी, वालीबाल, वाटर स्पोर्टस और वुशु
2.	धार	फुटबाल, हाकी, कराटे और ताइक्वांडो
	विस्तार केन्द्र खंडवा	ताइक्वांडो
3.	इंदौर	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, खो-खो, कबड्डी और कुश्ती
4.	जबलपुर	एथलेटिक, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, हाकी, जूडो, कराटे वालीबाल, कश्ती और वुशु
5.	टीकमगढ़	हाकी और साफ्टबाल
	छत्तीसगढ़	
6.	रायपुर	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल, जूडो, वालीबाल, वाटर स्पोर्टस और भारोत्तोलन
7.	राजनांदगांव	तीरंदाजी, बास्केटबाल और हाकी

1	2	3
	एस.सी.-लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
	एस.सी.-लखनऊ	एथलेटिक, फुटबाल, हैंडबाल, हाकी, जूडो, कबड्डी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबाल और कुश्ती
1.	लखनऊ	एथलेटिकस, बास्कटबाल, बैडमिंटन, हाकी और भारोत्तोलन
	जोहरी, बागपत (विस्तार केन्द्र)	निशानेबाजी
2.	झांसी	हाकी
3.	रायबरेली	ताइक्वांडो और वालीबाल
4.	सैफई इटावा	एथलेटिक्स, हैंडबाल, हाकी और कुश्ती
5.	इलाहाबाद	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हाकी और टेबल टेनिस
6.	बरेली	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हाकी सेपकटकराव और वालीबाल
	उत्तराखंड	
7.	काशीपुर	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन और कुश्ती
	साई उत्तरी चंडीगढ़	
	जम्मू और कश्मीर	
1.	उधपुर	एथलेटिक्स, कबड्डी और वालीबाल
	हिमाचल प्रदेश	
2.	धर्मशाला	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हाकी जिम्नास्टिक और कबड्डी
3.	बिलासपुर	वालीबाल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हाकी, कबड्डी और वालीबाल
	पंजाब	
4.	मस्ताना साहेब	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और वालीबाल
5.	बादल	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हैंडबाल, हाकी, निशानेबाजी और वालीबाल
6.	लुधियाना	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हैंडबाल, जूडो, वालीबाल और भारोत्तोलन
	एन.आई.एस. पटियाला	
1.	पटियाला	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, फेन्सिंग, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हाकी, जूडो, निशानेबाजी और वुशु
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
1.	कुरूक्षेत्र	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, साइक्लिंग, हाकी, जूडो, वालीबाल और भारोत्तोलन

1	2	3
2.	भिवानी	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कबड्डी, वालीबाल और कुश्ती
3.	हिसार	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, हाकी, हैंडबाल, जूडो, टेबल टेनिस और कुश्ती
4.	सोनीपत	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, फुटबाल, हैंडबाल, हाकी, जूडो, कबड्डी, वालीबाल और कुश्ती
	दिल्ली (यूटी)	
5.	बवाना	मुक्केबाजी, हैंडबाल, जूडो, कबड्डी, लान टेनिस, सेपकटकराव, टेबल टेनिस, वालीबाल, कुश्ती और वुशु
	पूर्वी	
	पश्चिमी बंगाल	
1.	कोलकाता	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हाकी, जूडो, तैराकी, टेबल टेनिस और वालीबाल
2.	लेबांग	तीरंदाजी और फुटबाल
3.	बर्धमान	बास्केटबाल और फुटबाल
4.	सिलिगुडी	एथलेटिक्स, फुटबाल और कबड्डी
	ओडिशा	
5.	कटक	एथलेटिक्स, बास्केटबाल और फुटबाल
6.	ढेंकानाल	फुटबाल, कबड्डी, भारोत्तोलन और कुश्ती
7.	साई हिन्दुस्तान एरोनाटिक लि. (एच.ए.एल.), खेल प्रशिक्षण केन्द्र, कोरापुट	तीरंदाजी और फुटबाल
	बिहार	
8.	पटना	बास्केटबाल, फुटबाल, कबड्डी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और वालीबाल
	झारखंड	
9.	हाजारीबाग	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, भारोत्तोलन और कुश्ती
	पश्चिमी	
	गुजरात	
1.	गांधीनगर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल, हैंडबाल, हाकी, कबड्डी, तैराकी, वालीबाल और कुश्ती
	राजस्थान	
2.	जोधपुर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, जिन्नास्टिक, हैंडबाल और वालीबाल
3.	अलवर	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, हाकी और कबड्डी
	राजस्थान विवि, जयपुर (विस्तार सेंटर)	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, टेबल टेनिस, वालीबाल और कुश्ती

1	2	3
	महाराष्ट्र	
4.	कांदिवली	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, हाकी, हैंडबाल, जूडो, कबड्डी और कुश्ती
5.	औरंगाबाद	एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हाकी, जूडो और वालीबाल
	गोवा	
6.	पोंडा (बालक) एवं पेडम (बालिका)	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, डाइविंग, फुटबाल, जूडो, कबड्डी, ताइक्वांडो और तैराकी
	उत्तर-पूर्व	
	नागालैंड	
1.	दीमापुर	मुक्केबाजी, फुटबाल, सेपकटकरा, ताइक्वांडो और वुशु
	मणिपुर	
2.	इंफाल	तीरंदाजी, एथलेटिक, साइक्लिग, फुटबाल, हैंडबाल, हाकी, कबड्डी, सेपकटकरा, और ताइक्वांडो
	उप-केन्द्र, गुवाहाटी,	
	असम	
1.	गुवाहाटी	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबाल, फेन्सिंग, कबड्डी, खोखो, ताइक्वांडो, तैराकी और भारोत्तोलन
2.	गोलाघाट	मुक्केबाजी, फुटबाल और टेबल टेनिस
	मेघालय	
3.	शिलांग	तीरंदाजी, मुक्केबाजी, फुटबाल, जूडो, करोटे, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस

विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य/सेंटर	खेल विधा
1	2	3
	पूर्वी	
	झारखंड	
1.	रांची	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबाल, हाकी और वालीबाल
	ओडिशा	
2.	जगतपुर	कैनोइंग, कयाकिंग और रोइंग
3.	सुन्दरगढ़	तीरंदाजी, एथलेटिक और हाकी
	बिहार	
4.	मुजफ्फरपुर	फुटबाल, कबड्डी और वुशु
5.	किशनगंज	फुटबाल और वालीबाल

1	2	3
6.	गिढौर	एथलेटिक्स, फुटबाल और वालीबाल
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
7.	पोर्ट ब्लेयर	साइक्लिग, कयाकिंग, फुटबाल, रोइंग और भारोत्तोलन
	त्रिपुरा	
8.	अगरतला	एथलेटिक्स, फुटबाल, जिम्नास्टिक जूडो और तैराकी
	पश्चिम बंगाल	
9.	बोलपुर	तीरंदाजी, एथलेटिक्स और बास्केटबाल
	दक्षिणी	
	केरल	
10.	एलेपी	कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग
11.	तेलिचेरी	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फेन्सिग, जिम्नास्टिक और वालीबाल
	तमिलनाडु	
12.	नागरकोइल	बास्केटबाल और कबड्डी
13.	मेलियाधुथरी	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, हाकी, कबड्डी, वालीबाल और भारोत्तोलन
	उत्तर पूर्व	
	मणिपुर	
14.	इंफाल	मुक्केबाजी, फेन्सिग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु
15.	उत्लोव	मुक्केबाजी, फुटबाल, ताइक्वांडो और भारोत्तोलन
	मिजोरम	
16.	आइजवाल	मुक्केबाजी, हाकी, जूडो, कराटे, सेपकटकरा, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन और कुश्ती
	एस.सी.-गुवाहाटी	
	अरुणाचल प्रदेश	
17.		मुक्केबाजी, कराटे, ताइक्वांडो और भारोत्तोलन
	असम	
18.	तीनसुकिया	एथलेटिक और फुटबाल
19.	कोकराझार	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, जूडो, कबड्डी, कराटे ताइक्वांडो और वुशु
20.	सिक्किम	तीरंदाजी, मुक्केबाजी, फुटबाल और ताइक्वांडो
	नामची	
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
21.	धार	एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हैंडबाल, हाकी और कुश्ती

वर्ष 2011-12 के दौरान एस.टी.सी./एस.ए.जी. केन्द्रों के विस्तार केन्द्र योजना के अंतर्गत अपनाए गए स्कूलों एवं कॉलेजों से प्रशिक्षुओं के ब्यौरे

क्र.सं.	स्कूल एवं कॉलेज का नाम	खेल विधा
1	2	3
	पश्चिमी	
	गोवा	
1.	सेंट जोसफ हाई स्कूल, कालानगोट, बरदेज	फुटबाल
2.	सेंट एंटोनी हाई स्कूल बरदेज	फुटबाल
	गुजरात	
3.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 सूरत	बैडमिंटन
4.	केजी एंड आर.जी. चौधरी हा. से. स्कूल, मंसा	वालीबाल
	महाराष्ट्र	
5.	क्रीड़ा प्रबोधनी स्कूल, पिम्परी, पुणे	कबड्डी
6.	मूलाजी जैथा कॉलेज जलगांव	बैडमिंटन
7.	नवकृष्ण स्कूल एवं जूनियर कॉलेज, सांगली	एथलेटिक्स
8.	न्यू इंग्लिश स्कूल, नूल, कोल्हापुर	हाकी
9.	कोडली हाई स्कूल एवं एस.टी. पाटील जू कॉलेज, कोडली	एथलेटिक्स
10.	महात्मा एजुकेशन सोसायटी रसयानी, रायगढ़	एथलेटिक्स
		वालीबाल
	राजस्थान	
11.	गवैनमेंट से. स्कूल, बाओरी, सीकर	हाकी
12.	एस.के. कल्याण सी.स्कूल, सीकर	बास्केटबाल
13.	बाल विद्यालय, कोटा	हैंडबाल
14.	गवैनमेंट हाई. से. स्कूल दूधसार, जयपुर	हाकी
15.	गवैनमेंट कॉलेज, अजमेर	हाकी
16.		बास्केटबाल
17.		हाकी
18.		वालीबाल
19.		एथलेटिक्स
20.	दयानंद कॉलेज, अजमेर	कबड्डी
21.	चोपासानी सी. से. स्कूल, जोधपुर	फुटबाल

1	2	3
22.	सोफिया कॉलेज, अजमेर	बास्केटबाल
	साई सेंटर, चंडीगढ़	
	चंडीगढ़	
1.	न्यू पब्लिक स्कूल, सेक्टर-18B	बास्केटबाल
2.	आई.एस. देवी समाज (गर्ल्स) स्कूल, सेक्टर-2	फुटबाल
		बास्केटबाल
	हिमाचल प्रदेश	
3.	गवेनमेंट हाई. से. स्कूल, नलगढ़	कबड्डी
4.	गवेनमेंट ब्यॉस सी. से. स्कूल, रामरा, सेक्टर, बीलासपुर	हैंडबाल
5.	एन.एस.सी.बी.एम. पो. ग्रेजुएट कॉलेज, हमीरपुर	एथलेटिक्स
6.	डी.ए.वी. सी. से. स्कूल, उना	हाकी
	जम्मू और कश्मीर	
7.	विस्तार केन्द्र पूंछ	हाकी
8.	गवेनमेंट सी. से. स्कूल, सिंहपूर कलान, बारामूला	हाकी
9.	जम्मू विवि, जम्मू	बास्केटबाल
		फुटबाल
	पंजाब	
10.	गवेनमेंट सी. से. स्कूल, सरभा, तरन तारण	फुटबाल
11.	गवेनमेंट सी. से. स्कूल, सरभा, लुधियाना	फुटबाल
12.	गुरू अर्जुन देव गवेनमेंटगर्ल्स सी. से. स्कूल, तरन तारण	एथलेटिक्स
		हाकी
13.	खालसा सी. से. स्कूल, बाबा बुघ, तरन तारण	एथलेटिक्स
		फुटबाल
14.	स्प्रींगडेल सी. से. स्कूल, अमृतसर	हाकी
15.	गवेनमेंट सी. से. स्कूल, फतेहबाद, तरन तारण	फुटबाल
16.	गवेनमेंट गर्ल्स सी. से. स्कूल, कैरोन, तरन तारण	एथलेटिक्स
		हैंडबाल
17.	गुरुनानक देव विवि, अमृतसर	एथलेटिक्स
		हैंडबाल
		हाकी
		कबड्डी
		वालीबाल

1	2	3
18.	खालसा सी.से. स्कूल, रोपड़	हैंडबाल
19.	डी.ए.वी. कॉलेज, अमृतसर	जूडो
		भारोत्तोलन
20.	पंजाब विवि चंडीगढ़	बैडमिंटन
		फुटबाल
		जिम्नास्टिक
		हाकी
		तैराकी
	उत्तरी, सोनीपत	
	हरियाणा	
1.	भावना पब्लिक स्कूल, सेक्टर-15, पंचकूला	टेबल टेनिस
2.	बाबू अनंत राम जनता कॉलेज, कनाल, जिला कैथल	वालीबाल
3.	एस.डी. कॉलेज पानीपत	कबड्डी
	दिल्ली	
4.	युवाशक्ति स्कूल, रोहिणी	हैंडबाल
5.	ममता मोर्डन स्कूल, विकासपुरी	फुटबाल
6.	राष्ट्र शक्ति विद्यालय, गांव हस्तसाल, नई दिल्ली	वालीबाल
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया विवि, नई दिल्ली	एथलेटिक्स, फुटबाल हाकी और वालीबाल
	मध्य	
	छत्तीसगढ़	
1.	युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	बास्केटबाल
	मध्य प्रदेश	
2.	लो मान्य तिलक हाई स्कूल, उज्जैन	जिम्नास्टिक
3.	लोयोला पब्लिक स्कूल	हाकी
	उप-केन्द्र, लखनऊ	
	उत्तराखण्ड	
1.	बृहस्पति खेल अकादमी नारायनपुर, उधमसिंह नगर	वालीबाल
2.	समर वेली, देहरादून	टेबल टेनिस

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
3.	एस.जे.एस. पब्लिक स्कूल, राय बरेली	हाकी
4.	कीरतू राय इंटर कॉलेज, अठागोवान, सैयादपुर, गाजीपुर	हाकी
5.	मेघबरन सिंह, कॉलेज करमपुर, गाजीपुर	हाकी
6.	रणवीर रंजय पी.जी. कॉलेज, अमेठी	फुटबाल
7.	खंडवरी देवी इंटर कॉलेज, चंदौली	एथलेटिक
	एच.एम.एस. इस्लामिक इंटर कॉलेज, इटावा	हाकी
8.	यू.पी. बैडमिंटन अकेडमी, विपिनखंड, लखनऊ	बैडमिंटन
9.	करामत हुसैन पी.जी. कॉलेज, लखनऊ	हाकी
10.	नंदिनी नगर महाविद्यालय, गोंडा	भारोत्तोलन
11.	राजीव गांधी डिग्री कॉलेज, सुल्तानपुर	निशानेबाजी
12.	गाडविन पब्लिक स्कूल, मेरठ	निशानेबाजी
		वुशु
		एथलेटिक्स
13.	यू.पी. कॉलेज, वाराणसी	बास्केटबाल, फुटबाल और हाकी
	दक्षिणी	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	कालेडा रूरल स्कूल, कालेडा, वारंगल	तीरंदाजी
	कर्नाटक	
2.	श्री आदिचुनचनगिरी कम्पोजिट हाई स्कूल, शिमोगा	एथलेटिक्स
	केरल	
3.	मालाबार क्रीश्चिन कॉलेज हा. से. स्कूल, कालीकट	फुटबाल
4.	मार अथासियस कॉलेज, कोथामंगलम	एथलेटिक्स
5.	मार बासिल हाई. से. स्कूल, कोथामंगलम	एथलेटिक्स
6.	सेंट जाजै हाई. से. स्कूल, कोथामंगलम, एरनाकुलम	एथलेटिक्स
7.	सेंट थामस कॉलेज, कोजिकेरी	वालीबाल
8.	कलाडी हा. से. स्कूल, कुमारामपुथुर, पालाकाड	एथलेटिक्स
9.	सर्वजन हाई स्कूल, पुथुकोडे	हाकी
10.	पारली हाई स्कूल, पालाकाड	एथलेटिक्स
11.	मुंडुर हाई स्कूल, मुंडुर	एथलेटिक्स

1	2	3
12.	मेरी माथा हाई स्कूल, पंथालमडार्न	हाकी
13.	निर्मला कॉलेज, मुवट्टूफुझा, एरनाकुलम	फुटबाल
14.	क्राइस्ट कॉलेज, इरीन्जालाकुडा	हाकी
15.	चेरूपुष्पा हाई स्कूल, चेरूपुष्पम, कन्नूर	बास्केटबाल
16.	कोट्टायम राजा हाई स्कूल, पथिरियाड, कन्नूर	हाकी
	तमिलनाडु	
17.	गवैनमेंट हा. से. स्कूल, थिट्टाचेरी	वालीबाल
	उत्तर पूर्वी	
	मणिपुर	
1.	मेरीकॉम मुक्केबाजी अकेडमी, इंफाल	मुक्केबाजी
	मिजोरम	
2.	महिला हाकी सेन्टर, थेन्जवाल (एस.ए.जी. विस्तार)	हाकी
3.	लुन्गलाई (एस.ए.जी. विस्तार)	मुक्केबाजी
		जूडो
		ताइक्वांडो
		कुश्ती
4.	रामलुन (एस.ए.जी. विस्तार)	मुक्केबाजी
		फुटबाल
		टेबल टेनिस
	उप-केन्द्र गुवाहाटी	
	असम	
1.	डिब्रूगढ़ विवि, डिब्रूगढ़, तीनसुकिया	बैडमिंटन और टेबल टेनिस
	पूर्वी	
	ओडिशा	
1.	बरहामपुर विवि, बरहामपुर, (गंजम)	भारोत्तोलन
2.	एस.डी. विद्यापीठ, पैकाशी	वालीबाल
3.	बिन्जुआ हाई स्कूल, पो. बिन्जुआ	तीरंदाजी
4.	गवैनमेंट हाई स्कूल, ठाकुरगोडा, मयूरभंज	तीरंदाजी
5.	चौंदुआ गवैनमेंट हाई स्कूल, ठाकुरगोडा	एथलेटिक
6.	करनजीआ कॉलेज, मयूरभंज	फुटबाल

1	2	3
	उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) योजना	
क्र.सं.	सेंटर/रीजन	खेल विद्या
	पश्चिमी	
	गुजरात	
1.	गांधीनगर	कबड्डी
	महाराष्ट्र	
2.	कांदिवली	एथलेटिक्स
		हाकी और कुश्ती
	मध्य	
	मध्य प्रदेश	
3.	भोपाल	एथलेटिक्स, हाकी, कयाकिंग और कैनोइंग
		जूडो
	उत्तरी	
	हरियाणा	
4.	सोनीपत	मुक्केबाजी, कबड्डी और जूडो
5.	हिसार	मुक्केबाजी
	उप-केन्द्र, लखनऊ	
	उत्तर प्रदेश	
6.	लखनऊ	भारोत्तोलन
	एन.एस. एन.आई.एस	
	पंजाब	
7.	एन.आई.एस. पटियाला	एथलेटिक्स, साइक्लिंग, जूडो और हाकी
	दक्षिणी	
	कर्णाटक	
8.	बंगलौर	एथलेटिक्स, हाकी और भारोत्तोलन
	केरल	
9.	कोल्लम	एथलेक्सि, साइक्लिग और वालीबाल

1	2	3
	एल.एन.सी.पी.ई. त्रिवेन्द्रम	
10.	त्रिवेन्द्रम	एथलेटिक्स, साइक्लिंग, तैराकी और वालीबाल
	पूर्वी	
	पश्चिम बंगाल	
11.	कोलकाता	तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबाल, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस
	उत्तर पूर्वी	
	मणिपुर	
12.	इंफाल	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, फेन्सिंग, कराटे ताइक्वांडो, भारोत्तोलन और वुशु

[हिन्दी]

बुंदेलखंड में कृषि उत्पादन

3037. **श्री राधा मोहन सिंह:**

श्री हरी मांझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुंदेलखंड तथा देश के अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों में गेहूं, चना, अरहर और सरसों इत्यादि की भरपूर फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुंदेलखंड सहित उक्त क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। बुंदेलखंड एवं अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित देश में वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। देश में 2011-12 के दौरान प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं, चना, अरहर एवं सरसों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों का फसल-वार उत्पादन (दूसरा अग्रिम अनुमान)

(मिलियन टन में)

चावल	102.75
गेहूं	88.31
चना	7.66
अरहर	2.72
कुल खाद्यान्न	250.42
सरसों	75
कुल तिलहन	208

(ग) और (घ) विभिन्न फसल विकास योजनाओं के तहत गुणवत्ताप्रद बीजों, पोषकों, पौध संरक्षण रसायनों, फार्म मशीनरी जैसे कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों, जिसमें बुंदेलखंड

क्षेत्र के किसान शामिल हैं, को प्रोत्साहन दिया गया है। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा शमन के लिए विशेष पैकेज के रूप में चिन्हित कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को दिए गए आवंटन में से अलग राशि निर्धारित करने का परामर्श दिया गया है। इस क्षेत्र के समेकित पनधारा विकास के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत अलग से एक बुंदेलखंड पैकेज कार्यान्वयनाधीन है।

कृषि उत्पादकता

3038. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय मानकों/मानदंडों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा बिहार में कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय स्तर पर लाए जाने के लिए उठाए गए कदमों/तैयार की गयी स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में कृषि अनुसंधान और विकास पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गयी निधियों और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। अपर्याप्त संस्थागत ऋण, कृषि हेतु ऊर्जा अवसंरचना, बाढ़ नियंत्रण उपायों के साथ छोटी एवं विखण्डित भू-जोत, उत्तरी बिहार में आवर्ती बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे जैसी स्थिति, अनियमित एवं अनिश्चित मानसून वर्षा, परम्परागत फसल प्रबंधन पद्धति, महत्वपूर्ण आदानों का इष्टतम उपयोग न किया जाना राज्य में कम उत्पादकता के प्रमुख कारण हैं।

(ग) कई कृषि विकास स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), समेकित तिलहन, दलहन, मक्का और आयलपाम स्कीम (आईसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन मोड आदि को राज्य में कार्यान्वित किया गया है ताकि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की **विशेष** स्कीम (बी.जी.आर.ई.आई.) को वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था जो मुख्यत: बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र में चावल आधारित फसलन पद्धति का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रीत करती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार में कृषि विकास पर किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उपयोगित निधि (रु. करोड़)	191.34	320.84	734.11	787.86

उपरोक्त के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में फसल अनुसंधान के लिए चने पर केन्द्र की अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना/आई.सी.ए.आर. के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों द्वारा 18.05 करोड़ रुपये व्यय किए गए और वर्तमान वर्ष में 7.19 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

बी.जी.आर.ई.आई. के साथ बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप चावल, गेहूं और अन्य फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संकर चावल प्रौद्योगिकी का संवर्धन लोकप्रिय हुआ है और इससे चावल के उत्पादन वृद्धि में सहयोग मिला है।

ये कार्यक्रम बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, फार्म यंत्रीकरण को अपनाने, बेहतर कृषि पद्धतियों जैसे चावल तीव्रीकरण पद्धति, संकर चावल प्रौद्योगिकी, हरी खाद और जैविक खेती को बढ़ाने में सफल रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्र गान को बजाया जाना

3039. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में, विशेषकर हरियाणा में कुछ मल्टीप्लेक्स फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाकर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की **घटनाओं** की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को **रोकने** के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। फिल्म शुरू होने से पहले अथवा उसके अंत में राष्ट्रीय गान बजाए जाने के बारे में गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में भी कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

3040. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों तथा रेडियो के प्रसारण की गुणवत्ता असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त क्षेत्रों में ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किया गया है/किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन सैटेलाइट व स्थलीय मोड में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इन दोनों पद्धतियों में दूरदर्शन के ट्रांसमिशन की गुणवत्ता संतोषजनक है।

इस समय, दूरदर्शन नेटवर्क में 1415 टी.वी. ट्रांसमीटर हैं जोकि देश की लगभग 92% आबादी और लगभग 81% क्षेत्र को कवरेज मुहैया कराते हैं।

स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों और देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी.टी.एच. सेवा के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन ने टीवी कवरेज को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि, यह सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

आकाशवाणी के संबंध में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की अभिग्रहण-गुणवत्ता को संतोषजनक पाया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान संचालित रेडियो श्रोता सर्वेक्षण से पता चलता है कि देशभर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी छह अंचलों के प्रतिवादियों द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रमों की अभिग्रहण-गुणवत्ता पर प्रदत्त चैनल-वार राय संतोषजनक पाई गई।

प्राथमिक चैनल में ज्यादातर प्रतिवादियों (63.4%) ने अभिग्रहण-गुणवत्ता को संतोषजनक बताया। जबकि विविध भारती चैनल में आधे से अधिक प्रतिवादियों (50.3%) ने अभिग्रहण-गुणवत्ता को संतोषजनक बताया है। जहां तक एफ.एम. चैनल का संबंध है, आधे से अधिक प्रतिवादियों (56.1%) की राय में गुणवत्ता को संतोषजनक पाया गया। ऐसी ही स्थिति ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई गई।

कवरेज में वृद्धि करने के उद्देश्य से 11वीं योजना के अंतर्गत देश में विभिन्न क्षमताओं के 305 नए मीवे/एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीम का पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

12वीं योजना में 385 नए स्थानों में विभिन्न क्षमताओं के नए एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया गया है लेकिन निधियों का आबंटन और योजना आयोग का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(ङ) दूरदर्शन ने कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करने के लिए निर्माण व प्रसारण संबंधी सुविधाओं का डिजिटलीकरण शुरू किया है।

विवरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नए ट्रांसमीटर

राज्य	प्रस्तावित स्थान	क्षमता
बिहार	फोरबेसगंज	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	रक्सौल	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	जयनगर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
उत्तर प्रदेश	निशांगरा	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	बंकटवा	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	नौगढ़ (सिद्धार्थ नगर)	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
उत्तराखंड	पिथौरागढ़	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	टनकपुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
राजस्थान	करनपुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	खजुवाला	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	डॉ	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	भरेवाला	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	जेनियो	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	किशनगढ़	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
गुजरात	ताराड	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	कोटेश्वर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अरुणाचल प्रदेश	तवांग	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	सेप्पा	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	बोमडिला	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	दप्रिजो	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	कोलोरियंग (कुरूंग कुमे)	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	अलोंग	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	यंगिकियोंग	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	प्रस्तावित स्थान	क्षमता
	अनिनी	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	हवाई	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
	चंग्लंग	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	खोसा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	जिरो	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
मिजोरम	चम्फई	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
मणिपुर	मोरे	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
त्रिपुरा	रबिरायपारा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बेलोनिया	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
असम	करीमगंज	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

नोट: तकनीकी कारणों की वजह से कुछ ट्रांसमीटरों के स्थान और क्षमता में परिवर्तन हो सकता है।

डी.डी.ए. द्वारा आवंटन-पत्र जारी किया जाना

3041. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने हाल के आवास योजना के अधीन द्वारका के विभिन्न क्षेत्रों में एच.आई.जी. फ्लैट सहित सभी प्रकार के फ्लैटों के आवंटन के लिए हुए ड्रॉ के सफल आवेदकों को आवंटन/मांग पत्र जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फ्लैटों की बुनियाद में भूकम्प सह्य तकनीकों का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डी.डी.ए. आवासीय स्कीम-2010 के अंतर्गत वसन्त कुंज डी-6 के 484 फ्लैटों तथा सेक्टर-18 बी द्वारका के 217 फ्लैटों को छोड़कर द्वारका के विभिन्न सेक्टरों में एच.आई.जी. फ्लैटों सहित सभी प्रकार के फ्लैटों के सफल आवेदकों को डी.डी.ए. द्वारा मांग एवं आबंटन पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जिन फ्लैटों में मांग एवं आबंटन पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उन फ्लैटों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

एच.आई.जी.	-	2581 फ्लैट
एम.आई.जी.	-	461 फ्लैट
एल.आई.जी.	-	111,93 फ्लैट
जनता	-	648 फ्लैट

विस्तारित आवासीय स्कीम के अंतर्गत

ए टाईप	267 फ्लैट
बी टाईप	109 फ्लैट

(ग) और (घ) जी हां, डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि आई.एस. 1893-2002 के प्रावधानों के अनुसार यह किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपदा संबंधी एन.डी.एम.ए. के दिशा-निर्देश

3042. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न आपदा विशिष्ट विषयों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जानी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने विभिन्न विशिष्ट विषयों पर दिशा निर्देश तैयार किए हैं:-

1. भूकम्प
2. सूनामी
3. चक्रवात
4. बाढ़
5. शहरी बाढ़
6. सूखा
7. भू-स्खलन एवं हिमपात
8. नाभकीय एवं रेडियोधर्मी आपात स्थितियां (गैर-वर्गीकृत भाग-I)
9. रासायनिक आपदा (औद्योगिक)
10. रासायनिक (आतंकवाद) आपदा
11. चिकित्सा तैयारी और व्यापक हताहत प्रबंधन
12. जैवकीय आपदा
13. आपदा की स्थिति में मन: सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा
14. राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी
15. घटना प्रतिक्रिया कार्रवाई प्रणाली
16. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली
17. अग्निशमन सेवाओं का अनुमान, उपकरणों का प्रकार तथा प्रशिक्षण

(क) और (घ) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा की रोकथाम संबंधी उपायों का समेकन करने अथवा विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में इसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा अपनी राज्य योजनाएं तैयार करने में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश तैयार करने के अधिदेश दिये गये हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जुलाई, 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं की तैयारी संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

बागवानी में वाणिज्यिक और ठेका कृषि

3043. **श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में किसानों के लाभ के लिए विशेषकर बागवानी उत्पादों के लिए वाणिज्यिक और ठेका कृषि के संवर्धन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक घराने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस क्षेत्र में अपनी रूचि दर्शायी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोई स्कीम तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। सरकार बागवानी उत्पादों से संबंधित वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देती रही है। "उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" स्कीम के अंतर्गत हाईटेक बागवानी उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन,

प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना आदि के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य क्षेत्रों में 25.00 लाख रु. प्रति परियोजना और पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों, हिमालयी और अनुसूचित क्षेत्रों में 30.00 लाख रु. प्रति परियोजना से कुल परियोजना लागत की सीमा के 20 प्रतिशत की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

वैकल्पिक विपणन चैनलों को सरल करने के लिए जैसे ठेका कृषि के लिए, मंडी सुधार बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वर्ष 2003 में इसको अपनाने के लिए एक आधुनिक कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.पी.) अधिनियम प्रचालित किया गया है। ऐसे राज्य जिन्होंने ठेका कृषि प्रावधानों को अपनाया है, इस प्रकार हैं: आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और संघ शासित चंडीगढ़। ठेका कृषि प्रावधानों में बागवानी उत्पादों सहित कृषि उत्पाद के विपणन को बढ़ाने का विचार है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार देश में बागवानी उत्पाद के वाणिज्यिक कृषि और ठेका कृषि को बढ़ावा दे रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार देश में कृषि आधारित उद्योगों के प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन को बढ़ावा दे रही है। कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत डेयरी, मांस, मात्स्यिकी और लघु वनीय उत्पादों सहित कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में कृषि विपणन अवसंरचना परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम के अंतर्गत बागवानी उत्पाद के लिए शीत श्रृंखला और प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी फार्म गेट से उपभोक्ताओं तक समेकित शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं, को बढ़ावा देने सहित शीत श्रृंखला, मूल्य वर्धन और परिरक्षण अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करता है।

धान की बीमारियां

3044. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फंगस की बीमारी के कारण देश के कई हिस्सों में धान की फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है/में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा धान की फसल में रिजोक्टोनिया फंगस के कारण होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सूचित किया गया है, सामान्यतया नुकसान होने वाली फसलों में रोगों के कारण लगभग 10 से 30 प्रतिशत तक उपज में क्षति होती है, जैसाकि पूरे देश में किए गए बहु-स्थानिक प्रयोगों से स्पष्ट हुआ। कवक संबंधी रोगों में से ब्लास्ट, ब्राऊन स्पॉट, शीथ ब्लाइट, शीथ रॉट, फॉल्स स्मट और बैकेन भारी उपज क्षति पहुंचाते हैं।

(ग) धान फसलों में राइजोटोनिया द्वारा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई और खूंटी को जलाना।

(2) बीजों की प्रतिरोधक किस्मों का चयन।

(3) जैसा कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संस्तुत किया गया है, रासायनिक कवकनाशी और जैव नाशीजीवमारों से बीज उपचार।

(4) इष्टतम अंतर अपनाना।

(5) उर्वरकों की अधिक खुराक से बचना।

(6) खरपतवार परिपोषी को समूल नष्ट करना।

(7) संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई जल के प्रवाह को रोकना।

(8) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा यथासंस्तुत रासायनिक कवकनाशियों का पर्णीय छिड़काव।

डेयरी विकास

3045. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुंदेलखंड में विशेष पैकेज के अधीन डेयरी विकास के लिए कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) योजना आयोग के अन्तर्गत वर्षाजल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, डेयरी सहकारिता सोसाइटियों की स्थापना, थोक दुग्ध कूलरों की स्थापना, डेयरी संयंत्रों/प्रशीतन केन्द्रों का उन्नयन, क्षमता निर्माण, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण, प्रदर्शन दौरे इत्यादि घटकों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में डेयरी विकास के लिए बुंदेलखंड में विशेष पैकेज को क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) बुंदेलखंड पैकेज के अन्तर्गत, डेयरी विकास के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रियान्वयन के लिए क्रमशः 26.74 करोड़ रु. और 41.31 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित कर जारी की गई है।

820 डेयरी सहकारिता सोसाइटियों के लक्ष्य की तुलना में अब तक मध्य प्रदेश में 315 सोसाइटियों और उत्तर प्रदेश में 335 सोसाइटियां स्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश के बुंदलेखंड जिले में नौ थोक दुग्ध कूलर स्थापित किए गए है। झांसी में स्थित मौजूदा दुग्ध प्रसंस्करण, संयंत्र का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जरिए आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ (20,000 लीटर प्रति दिन क्षमता) उन्नयन किया जा रहा है। इसी प्रकार सागर जिला (मध्य प्रदेश) में स्थित प्रसंस्करण संयंत्र को 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता तक उन्नयन किया जा रहा है। दोनों संयंत्रों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में चार दुग्ध प्रशीतन केन्द्रों के उन्नयन प्रक्रिया भी चल रही है। मध्य प्रदेश में प्रति दिन 25,000 लीटर एकत्रित दूध के लक्ष्य की तुलना में 24,000 लीटर दूध एकत्रित किया जा रहा है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य ने भी (60,000 लीटर प्रति दिन) डेयरी दुग्ध एकत्रीकरण का 50% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

जनजातीय संस्कृति का संवर्धन

3046. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जनजातीय संस्कृति के संवर्धन की कोई योजना/कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों के संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार की जनजातीय संस्कृति सहित देश की विविध संस्कृति और इसके विरासत के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमें हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ऐसी स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अनेक संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों द्वारा जनजातीय कला और संस्कृति आदि का संरक्षण और परिरक्षण भी किया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1	2
1.	विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
2.	सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सी.एफ.जी.एस.)।
3.	स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दी/वर्षगांठ का आयोजन करने के लिए सहायता अनुदान।
4.	बौद्ध/तिब्बती कला एवं संस्कृति के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
5.	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

1	2
6.	सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम।
7.	भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता।
8.	पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।
9.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्ति प्रदान करना।
10.	संस्कृति के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना।
11.	टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति।
12.	साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।
13.	स्टूडियो थियेटरों सहित भवन अनुदान।
14.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर।
15.	क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
16.	नए विज्ञान शहरों एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानदण्ड/दिशा-निर्देश।
17.	राष्ट्रीय स्मारकों के विकास एवं रख-रखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान।
18.	टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टी.सी.जी.एस.)

[अनुवाद]

टी.आर.पी. प्रणाली की स्थापना

3047. **श्री एल. राजगोपाल:**

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत निजी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स की रेटिंग एजेंसियों तथा सरकार द्वारा उनकी मान्यता/प्रमाणन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) मौजूदा टी.आर.पी. प्रणाली में नोट की गयी कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मौजूदा टी.आर.पी. की समीक्षा के लिए हाल में गठित समिति के विचारार्थ विषय और गठन क्या है;

(घ) नई टी.आर.पी. प्रणाली किस हद तक टी.वी. चैनलों, केबल, डी.टी.एच. इंटरनेट प्रोटोकॉल टी.वी., एफ.एम. आदि जैसे प्रसारण सेवाओं को अपने दायरे में लाएगा और किस समय तक इसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का टी.आर.पी. के सृजन में शामिल निजी कंपनियों के टी.आर.पी. रेटिंग/प्रमाणन दिए जाने/मानकीकरण की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) इस समय, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) तैयार करने का कार्य पूरी तरह से निजी उद्योग के कार्यक्षेत्र में आता है। इस मंत्रालय द्वारा कोई मान्यता/प्रत्यायन नहीं प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा पूर्व महासचिव, फिक्की की अध्यक्षता में मई, 2010 में गठित टी.आर.पी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेन्ट (टैम) और ऑडियंस मेजरमेन्ट ऐंड एनालिटिक्स लिमिटेड (एमैप) नामक दो निजी क्षेत्रक एजेंसियां हैं जो टेलीविजन दर्शक संख्या मापन का कार्य कर रही हैं।

(ख) टी.आर.पी. समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा प्रणाली की खामियों में, अन्य के साथ-साथ शामिल हैं: सैंपल आकार की अपर्याप्तता; जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त/कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तथा अपनायी गई विधियों में पारदर्शिता व विश्वसनीयता का अभाव आदि।

(ग) 5 मई, 2010 को सरकार द्वारा गठित टी.आर.पी. समिति के विचारार्थ विषय व संरचना संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) टी.आर.पी. समिति ने, अन्य के साथ-साथ, यह अनुशंसा की है कि सैंपल आकार में स्थलीय टी.वी., डिजिटल एवं ऐनलॉग केबल, डी.टी.एच. व आई.पी.टी.वी. आदि जैसे सभी प्लेटफॉर्मों व

प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाए। चूंकि, समिति की सिफारिशों पर उद्योग द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए उक्त रिपोर्ट को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान के पास भेज दिया गया था। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद ने इस प्रयोजनार्थ प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं और उसके द्वारा जुलाई, 2013 तक रेटिंग संबंधी रिपोर्टों का प्रकाशन शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) सरकार के स्तर पर ऐसे किसी तंत्र के लिए टी.आर.पी. समिति द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई। दरअसल, टी.आर.पी. समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि संयुक्त औद्योगिकी निकाय अर्थात प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) व्यापक आधार व समावेशी मनोवृत्ति के साथ स्व-सुविधा वाली टी.आर.पी. प्रणाली में परिशुद्धता व विश्वसनीयता के लिए सबसे अधिक कारगर माध्यम है।

विवरण

मौजूदा टी.आर.पी. प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति की संरचना

(i)	डॉ. अमित मित्रा, महासचिव, फिक्की	अध्यक्ष
(ii)	श्री राजीव मेहरोत्रा, प्रबंधन न्यासी, पी.एस.बी.टी.	सदस्य
(iii)	सुश्री नीरजा चौधरी, प्रतिष्ठित पत्रकार	सदस्य
(iv)	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के निदेशक या उनके नामजद	सदस्य
(v)	भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कोलकाता के निदेशक या उनके नामदज	सदस्य
(vi)	श्री डी.सी. माथुर, भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य सचिव

समिति के विचारार्थ विषय

1. यह जांच करना कि क्या उच्च टी.आर.पी. के लिए प्रतियोगिता से टेलीविजन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु पर कोई प्रतिकूल व नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और किस सीमा तक पड़ रहा है।

2. निम्नलिखित विशेष संदर्भ के साथ टी.आर.पी. के निर्माण की वर्तमान प्रणाली की जांच करना:-

   क. नमूना आकार की पर्याप्तता।

   ख. क्या वर्तमान प्रणाली देश के लोगों के अवलोकन स्वभाव को चित्रित करती है।

   ग. क्या क्षत्र के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों और जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश के अवलोकन आधार का पर्याप्त रूप से चित्रण किया जा रहा है।

   घ. क्या समाज के सभी वर्गों के अवलोकन आधार को पर्याप्त रूप से चित्रित किया जा रहा है।

   ङ क्या स्थलीय, केबल, डी.टी.एच., आई.पी.टी.वी. सहित सभी वितरण मंचों के अवलोकन आधार का ध्यान रखा जा रहा है।

   च. क्या लोगों के मीटर लगाने के लिए नमूना घरों के चयन में पर्याप्त पारदर्शिता है।

   छ. क्या मूल निर्धारण एजेंसियों द्वारा अपनाए गए वर्तमान प्रकटीकरण मानदण्ड टी.आर.पी. मूल्य निर्धारणों के निर्माण में वांछनीय पारदर्शिता पर अवरोध पैदा करते हैं।

   ज. क्या टी.आर.पी. द्वारा अपनाई गई वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली पर्याप्त और पारदर्शी है।

   झ. टी.आर.पी. व्यावसाय में मौजूदा एजेंसियों का शेयर होल्डिंग पैटर्न और इच्छुक पार्टियों/स्टेकहोल्डरों जैसे विज्ञापकों, विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारकों द्वारा किस सीमा तक शेयर धारित किए गए हैं।

3. यह जांच करना कि क्या वर्तमान कमियों से रहित टी.आर.पी. के सृजन के लिए ट्राई द्वारा यथा अनुशंसित बी.ए.आर.सी. जैसे उद्योग की अगुवाई वाला निकाय सबसे उपयुक्त तंत्र है। यदि ऐसा है तो इस प्रकार के निकाय का संघटन और अधिदेश।

4. यदि समिति यह समझती है कि उद्योग की अगुवाई वाला निकाय उपयुक्त नहीं हो सकता है तो वह इन मॉडलों में सरकार की भूमिका के साथ-साथ वैकल्पिक मॉडलों की जांच और सिफारिश कर सकती है।

5. यह जांच करना कि क्या सरकार को एक विकल्प के तौर पर कानून निर्माण के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जो या तो टी.आर.पी. मूल्य निर्धारण को प्रत्यक्ष तौर से निर्मित कर सके या टी.आर.पी. के निर्माण कार्य को निजी व्यावसायियों पर छोड़ते समय एक प्रत्यायन/मानकीकरण निकाय के रूप में कार्य कर सके।

6. इस विषय-सामग्री से संबंधित या प्रासंगिक और कोई मुद्दा।

वायदा व्यापार

3048. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वायदा व्यापार के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने, भावी संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 की जांच के बाद, अपनी 15वीं रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2011 को प्रस्तुत की है। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापक रूप से निम्नलिखित सिफारिशों के साथ विधेयक का समर्थन किया है:

सामान्य सिफारिशें

(i) सरकार द्वारा कुछेक कृषि वस्तुओं, विशेष रूप में खाद्यान्नों के व्यापार पर प्रतिबंध अधिरोपित करने/हटाने की शक्तियों का प्रयोग, विद्यमान बाजार परिस्थितियों और किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाए;

(ii) व्यापक जागरूकता अभियान आरंभ करने की अत्यंत आवश्यकता है;

(iii) एक्रेडिटेड भांडागारों, कोल्ड स्टोरेजों की शृंखला, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं ग्रेडिंग सहित आधारभूत संरचना का उन्नयन;

(iv) स्पॉट और भावी मूल्यों को एक विनियामक आधारभूत ढांचे के तहत लाना;

(v) बेहतर मूल्य खोज प्रदान करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड को वस्तु बाजार में भाग लेने की अनुमति देना;

(vi) एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन पर युक्तियुक्त न्यूनतम सीमा निश्चित करने के अर्थोपाय सुनिश्चित करना;

विशिष्ट सिफारिशें

(i) 'कमोडिटी डेरिवेटिव' की परिभाषा में मामूली परिवर्तन;

(ii) वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताओं और कार्यकाल का निर्धारण करना;

(iii) वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति का गठन करना;

(iv) वायदा बाजार आयोग के लेखा-परीक्षित लेखों को संसद के सदन में रखने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना;

(v) अधिनियम के अध्याय 4 के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंडों में संशोधन करना;

(vi) पांच वर्ष के बाद कर में छूट को वापस लेना;

(vii) वस्तु बाजार में विदेशी प्रतिभागियों/विदेशी बिचौलियों के प्रवेश को मंजूरी देना;

(viii) 'आंतरिक व्यापार' और 'मूल्य संवेदी सूचना' शब्दों को विधेयक में विशेष रूप से और व्यापक रूप से परिभाषित करना; और

(ix) वायदा बाजार आयोग में जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करना।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

गोदामों के लिये ऋण

3049. **श्री अमरनाथ प्रधान:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्बादी को कम करने के लिये वेयरहाउस एवं भण्डारण क्षेत्र के लिये न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करने के लिये योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन बैंकों एवं अन्य एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनका चयन उक्त ऋण प्रदान करने हेतु किया गया है;

(ग) क्या सरकार 52.32 लाख टन भण्डारण क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी उद्यमियों से संपर्क करने के बारे में सोच रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) 2011-12 में भारत सरकार ने भाण्डागारण सुविधाओं का सृजन करने के लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से 2000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की थी। भाण्डागारण इंफ्रास्ट्रचर का वित्त पोषण करने के लिए प्रचालन दिशा निर्देश राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारों, केन्द्र/राज्य सरकारों की अपनी/उनके द्वारा समर्थित एजेंसियों, सहकारी समितियों आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसके भाण्डागारण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का वित्त पोषण करने के लिए बैंकों को पुन: वित्त देकर विस्तार भी किया गया है। तदनुसार भाण्डागारण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 2011-12 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, को शहरी सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किए गए सभी प्रस्ताव उपर्युक्त स्कीम के अधीन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुन: वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (भाण्डागारण), 2011-12 की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-। में दी गई हैं।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की अधिक खरीदारी होने के कारण और कवर एवं प्लिंथ के अधीन भण्डारण में कमी लाने के लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट प्रतिभोगिता पद्धति के अधीन निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भण्डारण गोदामों को निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन जरूरी अतिरिक्त भण्डारण का आकलन समूची खरीद/खपत और पहले से ही उपलब्ध भण्डारण स्थान पर आधारित है। उपभोक्ता क्षेत्रो के लिए किसी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की चार माह की जरूरत को पूरा करने के लिए भंडारण क्षमता का सृजन किया जाना है। खरीद क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने के लिए पिछले तीन वर्षों में अधिकतम स्टाक स्तर माना जाता है।

इस विश्लेषण और स्कीम विहित मापदण्डों के आधार पर राज्यवार अपेक्षित क्षमता और स्थानों की पहचान की गई थी। इस स्कीम के अधीन अब भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराए के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। 19 राज्यों में लगभग 152 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। राज्यवार संलग्न विवरण-॥ में दिए गए हैं। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा लगभग 90.75 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस स्कीम के अधीन भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम क्रमश: 5.4 और 14.75 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।

विवरण-।

ग्रामीण और अवसंरचना विकास निधि (भाण्डागारण) 2011-12 की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	उधार लेने वालों का प्रकार	ऋण की अवधि	ब्याज दर	प्रतिभूति
1	2	3	4	5
1.	राज्य सरकारें	7 वर्ष	आर.आई.डी.एफ. दरें (वर्तमान में 6.5%)	आर.बी.आई. के पास पंजीकृत राज्य सरकार का अधिदेश
		7 वर्ष से अधिक, 12 वर्षों तक	आर.आई.डी.एफ. दरें + नाबार्ड से विस्तारित अवधि निधियों हेतु अतिरिक्त लागत	

1	2	3	4	5
	राज्य के स्वामित्व की/ सहायता प्राप्त कंपनियां, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व	7 वर्ष	आर.आई.डी.एफ. दरें (वर्तमान में 6.5%)	प्राथमिक प्रतिभेति + प्राप्य राशि का निलंब आदि +
	की/सहायता प्राप्त कंपनियां	7 वर्ष से अधिक, 12 वर्षों तक	आर.आई.डी.एफ. दरें + नाबार्ड से विस्तारित अवधि निधियों हेतु अतिरिक्त लागत	भुगतान में किसी कमी को कवर करने हेतु सरकार का अधिदेश
2.	आर.बी.आई. अधिदेश रहित राज्य के स्वामित्व की/सहायता प्राप्त कंपनियां, केन्द्र सरकार के स्वामित्व	7 वर्ष	आई.आर.डी.एफ. दरें + जोखिम प्रीमियम	प्राथमिक प्रतिभूति + सम्पार्श्विक प्रतिभूति + प्राप्य राशि का निलंब आदि
	की/सहायता प्राप्त कंपनियां/ यथा प्रयोज्य सरकारी गारंटी	7 वर्ष से अधिक, 12 वर्षों तक	आई.आई.डी.एफ. दरें + नाबार्ड से विस्तारित अवधि निधियों हेतु लागत + जोखिम प्रीमियम	प्राथमिक प्रतिभूति + सम्पार्श्विक प्रतिभूति + प्राप्य राशि का निलंब आदि
3.	निजी कंपनियां, उद्यमी	7 वर्ष तक/7 वर्षों से अधिक	आई.आई.डी.एफ. दरें + जोखिम प्रीमियम आई.आई.डी.एफ. + नाबार्ड से विस्तारित अवधि निधियों हेतु लागत + जोखिम प्रीमियम नाबार्ड से विस्तारित अवधि (7 वर्ष से अधिक हेतु) निधियों हेतु लागत	प्राथमिक प्रतिभूमि + सम्पार्श्विक प्रतिभूति + बैंक गारंटी प्राप्य राशि का निलंब आदि

विवरण-II

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	पी.ई.जी. स्कीम के अधीन अनुमोदित कुल क्षमता
	1	2
1.	पंजाब	5125000
2.	उत्तर प्रदेश	1860000
3.	हरियाणा	3880000
4.	राजस्थान	250000
5.	हिमाचल प्रदेश	142550
6.	पश्चिम बंगाल	156600
7.	बिहार	300000
8.	ओडिशा	300000
9.	छत्तीसगढ़	222000
10.	मध्य प्रदेश	435000
11.	महाराष्ट्र	655500
12.	आन्ध्र प्रदेश	451000
13.	कर्नाटक	416500
14.	तमिलनाडु	345000
15.	झारखण्ड	175000

1		2
16.	जम्मू और कश्मीर	361690
17.	केरल	15000
18.	गुजरात	80000
19.	उत्तराखण्ड	25000
	सकल जोड़	15,195,840

खाद्यान्नों के परिवहन पर व्यय

3050. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत वितरण के लिये खाद्यान्नों के परिवहन पर होने वाले व्यय के खाद्यान्नों की लागत बढ़ती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान किफायती लागत, केन्द्रीय निर्गम मूल्य, परिवहन पर व्यय और पी.डी.एस. के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण का अंतिम मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रणनीतिक स्थानों पर बेस डिपो सहित गोदामों का निर्माण करने का है जिससे खाद्यान्नों की परिवहन लागत कम की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है; और

(ङ) इस प्रकार के व्यय को तर्कसंगत बनाने एवं रोकने हेतु अन्य क्या क़दम उठाये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य देश भर में एक समान होते हैं और इन्हें जुलाई, 2002 से संशोधित नहीं किया गया है। तथापि, अंत्योदय अन्न योजना को छोड़कर लक्षित सार्वजनिक़ वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों के अंतिम खुदरा मूल्य भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से उचित दर दुकानों तक की ढुलाई लागत, भंडारण और हैंडलिंग खर्चे, थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन आदि जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की गई ढुलाई लागत के ब्यौरे इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम में गोदामों का निर्माण समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और (i) इंजीनियरिंग व्यवहार्यता, (ii) रेल से माल भरे जाने वाले गोदामों के मामले में रेलवे साइडिंग से दूरी और (iii) जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी जरूरत जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करके किया जाता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5,74,230 टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

तथापि, देश में गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अधीन उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की 4 माह की आवश्यकता और खरीद क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा हुए अधिकतम स्टाक स्तर के आधार पर भंडारण अंतर की पहचान की गई है और तदनुसार, देश के 19 राज्यों में 151.21 लाख टन क्षमता सृजित करने की मंजूरी दी गई है। अनुमोदित क्षमता और 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अधीन निर्माण कार्य की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

खाद्यान्नों की ढुलाई लागत में कमी करने के लिए निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अधीन 25,000 टन अथवा उससे अधिक क्षमता के सभी गोदाम अधिमानत: रेलवे साइडिंग गोदाम होंगे और अन्य गोदाम रेलवे माल शैड, जहां पूरी मालगाड़ी की साइडिंग की सुविधा हो, के 8 किलोमीटर के दायरे में होंगे।

निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार गोदामों को पूरा करने की समयावधि रेलवे साइडिंग से इतर गोदामों के मामले में कार्य आदेश जारी करने के बाद एक वर्ष और रेलवे साइडिंग के गोदामों के लिए परियोजना पूरी करने के लिए अवधि 2 वर्ष है।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने वर्ष 2012-13 के दौरान 2.10 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजन करने की योजना बनाई है।

विवरण-I

चावल और गेहूं की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति क्विंटल)

आर्थक लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (संशोधित अनुमान)	2012-13 (बजट अनुमान)
गेंहू	1380.58	1424.61	1494.35	1651.93	1822.50
चावल	1740.73	1820.07	1983.11	2184.20	2418.68

(रुपए प्रति क्विंटल)

जुलाई, 2006 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
गेंहू	610	415	200
चावल	830	565	300

विवरण-II

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम और निजी निवेशकों द्वारा पूरी की गई राज्यवार क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	निजि उद्यमी गारंटी योजना के तहत अनुमोदित कुल क्षमता	क्षमता जिसके लिए निजी निवेशकों को निविदाएं स्वीकृत की गई+ केभनि और राभनि को आबंटन किया गया	31.03.2012# तक पूरी की गई क्षमता	पूर्ण होने के अन्तिम चरण में क्षमता*	पूरी की गई कुल क्षमता	निर्माणाधीन क्षमता	क्षमता जिसके लिए निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।	मार्च 2013 तक पूरी होने की संभावना वाली क्षमता
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10
1.	पंजाब	5125000	4,492,738	1,098,900	409,740	1,508,640	2,391,708	998,830	2,681,148
2.	उत्तर प्रदेश	1860000	1,470,700	7,000	-	7,000	1,001,000	462,700	1,381,700
3.	हरियाणा $	3880000	1,682,273	394,430	164,700	559,130	592,815	695,028	428,115
4.	राजस्थान	250000	235,000	20,000	-	20,000	200,000	15,000	128,000

1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10
5.	हिमाचल प्रदेश	142550	20,840	-	-	-	2,500	18,340	15,840
6.	पश्चिम बंगाल	156600	29,600	-	-	-	29,600	-	-
7.	बिहार	300000	120,000	10,000	-	10,000	20,000	90,000	-
8.	ओडिशा	300000	300,000	105,400	26,600	132,000	98,600	96,000	130,000
9.	छत्तीसगढ़	222000	222,000	69,750	5,000	74,750	139,200	13,050	142,400
10.	मध्य प्रदेश	360000	360,000	6,400	26,600	33,000	233,600	120,000	312,000
11.	महाराष्ट्र *	655500	589,900	89,250	112,650	201,900	432,430	68,220	383,000
12.	आन्ध्र प्रदेश	451000	401,000	101,800	45,300	147,100	264,000	35,200	199,900
13.	कर्नाटक	416500	331,500	20,000	33,350	53,350	299,850	11,650	171,500
14.	तमिलनाडु	345000	145,000	35,000	25,000	60,000	25,000	85,000	-
15.	झारखंड	175000	115,000	-	-	-	20,000	95,000	55,000
16.	जम्मू और कश्मीर	361690	134,000	-	10,000	10,000	18,000	116,000	73,000
17.	केरल	15000	5,000	-	-	-	5,000	-	-
18.	गुजरात	80000	50,000	-	-	-	5,000	45,000	45,000
19.	उत्तराखंड	25000							
	सकल जोड़	15,120,840	10,704,551	1,957,930	858,940	2,816,870	5,778,303	2,965,018	6,146,603

कॉलम सांविधिक न्यूनतम मूल्य, 4 में क्षमता हर तरह से पूरी कर ली गई है और उसे अधिकार में लेने की पेशकश की जा रही है।

* कॉलम सांविधिक न्यूनतम मूल्य 5 में क्षमता कुछ छुटपुट अनुषंगी कार्यों को छोड़कर भौतिक रूप से पूरी कर ली गई है।

$ भट्टू केन्द्र (हरियाणा) में 3,40,000 टन क्षमता पर लोकायुक्त, हरियाणा की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उच्चीनी विकास निधि स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार पुनर्विचार किया जा रहा है।

नोट : क्षेत्रों से प्राप्त के.पी.आई. के अनुसार, अनुमान है कि मार्च, 2013 के अन्त तक कुल 61.46 लाख टन क्षमता पूरी हो जाएगी। इस क्षमता में 57.78 लाख टन क्षमता शामिल है जिसके लिए निर्माण कार्य पहले दिन शुरू कर दिया गया है तथा 3.68 लाख टन क्षमता के लिए निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा

*3051. **श्री मनीष तिवारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजनयिक सुरक्षा बल गत पन्द्रह वर्षों से कागज तक सिमट कर रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बल जो 1973 में विदेशी राजनयिकों के लिये गठित किया गया था विशिष्ट कार्मिकों के बगैर अस्थायी आधार पर चलता रहा है;

(घ) यदि हां तो एक डी.एस.पी. की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा यह बल कब कार्य करना शुरू कर देगा;

(ङ) क्या विदेशी राजनयिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु विचार किया जा रहा है;

(च) क्या यह कार्मिक सुरक्षा कवर इसी प्रकार उनके परिवारों को भी दिया जाएगा;

(छ) यदि हां, तो क्या संगत अंतर्राष्ट्रीय कानून राजनयिकों को व्यक्तिगत सुरझा के रूप में उनके संबंधित देशों से हथियार युक्त निजी/सुरक्षा कार्मिक नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) जी, नहीं। सरकार ने राजनयिक सुरक्षा बल (डी.एस.एफ.) का गठन किया है। डी.एस.एफ. यूनिट का पर्यवेक्षण करने के लिए 1 उप पुलिस आयुक्त, 1 सहायक पुलिस आयुक्त और एक निरीक्षक की तैनाती की गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न दूतावासों और राजनयिक परिसरों में स्थायी गार्ड ड्यूटी पर डी.एस.एफ. के परिचालनात्मक नियंत्रण के तहत पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिकों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों की तैनाती की गई है।

राजनयिक मिशनों और विदेशों के राजनयिकों तथा देश में स्थित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और दिल्ली पुलिस/राज्य पुलिस को उचित परामर्शी पत्र जारी किए जाते हैं। इन जानकारियों और परामर्शी-पत्रों तथा स्थानीय खतरों के आकलनों के आधार पर दिल्ली पुलिस/संबंधित राज्य पुलिस द्वारा वास्तविक व्यवस्थाएं की जाती हैं। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस/राज्य पुलिस सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

(छ) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नवीन कृषि परिपाटी

3052. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि परिपाटी से संबंधित उन विभिन्न बुनियादी खोजों पर ध्यान दिया है जिनसे लागत कम हो सके और कृषि उत्पादन बढ़ सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर इन खोजों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास एवं विश्लेषण के लिए कृषि क्रियाओं में जमीनी स्तर के अन्वेषणों पर ध्यान दिया गया है। लागत प्रभावी कृषि क्रियाओं के विकास और प्रसार के लिए कुछ संकल्पनाओं को ठोस रूप देने के भी प्रयास किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के बेहतरीन अन्वेषणों का प्रलेखीकरण भी किया है और कृषि अन्वेषण करने वाले किसानों के साथ परस्पर मेलजोल द्वारा उन्हें राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार के 690 से अधिक अन्वेषणों का प्रलेखीकरण किया गया और अन्वेषण करने वाले इन किसानों को मान्यता देने तथा अपने अनुभवों के अदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भा.कृ.अ.प. ने वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय कृषि अन्वेषणकर्ता बैठक का आयोजन किया है। इसमें 25 राज्यों के 221 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया।

(ग) भा.कृ.अ.प. ने 1997 से जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार/जगजीवन राम इन्नोवेटिव किसान पुरस्कार द्वारा अन्वेषण करने वाले किसानों को सम्मानित किया है। सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा भी अन्वेषणकर्ताओं को सम्मानित करती है।

[हिन्दी]

फर्जी मुठभेड़

3053. **श्री विश्व मोहन कुमार:**
श्री नीरज शेखर:

श्री पी. करूणाकरन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार और चेन्नई सहित राज्य-वार फर्जी मुठभेड़ के कुल कितने मामलों का पता चला/कितने मामले दर्ज किये गये, आरोपित कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा पीड़ितों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) फर्जी मुठभेड़ के कुल कितने मामले हल किये गये/ हल नहीं किये जा सके तथा सभी मामलों को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फर्जी मुठभेड़ को रोकने हेतु कोई ठोस नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान पुलिस, रक्षा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा की गई कथित फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए कुल 426 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 17-4-2012 की स्थिति के अनुसार ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी मामले में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/ अभियोजन की सिफारिश नहीं की गई थी। दिनांक 1-4-2009 से 31-3-2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मौद्रिक राहत/मुआवजे का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) कथित फर्जी मुठभेड़ों के 426 मामलों में से 84 मामलों का समाधान हो गया है और शेष 342 मामलों का समाधान नहीं हुआ है। समाधान नहीं किए गए मामलों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से मृत्यु-समीक्षा रिपोर्टें/शव-परीक्षा रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आदि प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। प्रत्येक अपराध के मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार परामर्शी पत्र जारी करती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिशानिर्देश एवं सिफारिशें जारी करता है जिनका अनुपालन पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु के सभी मामलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना होता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	3	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	5	7	18
4.	बिहार	1	3	8
5.	छत्तीसगढ़	3	5	12
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	2	2

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	0	2	7
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	2	11	10
11.	झारखंड	1	6	20
12.	कर्नाटक	1	0	5
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	8	7
15.	महाराष्ट्र	4	1	2
16.	मणिपुर	32	12	6
17.	मेघालय	1	3	2
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	3	7	8
21.	पंजाब	1	1	2
22.	राजस्थान	0	3	6
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	6	2	8
25.	त्रिपुरा	0	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	30	40	42
27.	उत्तराखंड	7	0	3
28.	पश्चिम बंगाल	4	11	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	1	2	4

1	2	3	4	5
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल	103	129	194

विवरण-II

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मौद्रिक राहत/मुआवजा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	राशि (रुपए में)
आन्ध्र प्रदेश	8	61,50,000
असम	14	75,00,000
बिहार	4	25,00,000
छत्तीसगढ़	1	5,00,000
दिल्ली	2	10,00,000
हरियाणा	3	17,50,000
जम्मू और कश्मीर	2	8,00,000
झारखंड	4	20,00,000
कर्नाटक	1	5,00,000
मध्य प्रदेश	5	22,00,000
महाराष्ट्र	6	30,00,000
मणिपुर	2	11,00,000
मेघालय	1	5,00,000
राजस्थान	1	5,00,000
तमिलनाडु	1	3,00,000
उत्तर प्रदेश	88	4,84,00,000
उत्तराखंड	11	61,00,000
पश्चिम बंगाल	1	5,00,000
कुल	155	8,53,00,000

सुरक्षा एजेन्सियों के बीच समन्वय

3054. **डॉ. भोला सिंह:**

श्री जोस. के. मणि:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खुफिया एजेन्सियों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय के अभाव की खबरें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य बलों और केन्द्रीय खुफिया एजेन्सियों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों, सुरक्षा और पुलिस एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय विद्यमान है। दिनांक 31-12-2008 को एक शासकीय आदेश जारी किया गया है जिसके तहत बहु अभिकरण केन्द्र (एम.ए.सी.) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों सहित सभी अन्य एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसी तरह, सभी अन्य एजेंसियों भी एम.ए.सी. के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। एम.ए.सी. की सदस्य एजेंसियां खतरा संबंधी आकलनों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं। आसूचना ब्यूरो की स्ट्रेन्थ को भी संवर्धित किया गया है। आसूचना ब्यूरो में बहु अभिकरण केन्द्र को सुदृढ़ बनाया गया है और उसका पुनर्गठन किया गया है ताकि वह चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सके।

[अनुवाद]

जेलों में अध्ययन केन्द्र

3055. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने देश की प्रमुख जेलों में अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी जेलों में इस प्रकार के अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की गई;

(ग) क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण को कैदियों के अध्ययन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और **(ख)** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि **4** के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अत: कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दिल्ली की जेलों में, केन्द्रीय कारागार संख्या 3, तिहाड़, नई दिल्ली में वर्ष 1994 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई थी।

(ग) और (घ) वर्ष 2010 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 में दौरान विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों के अंतर्गत 36995 कैदियों को प्रशिक्षित किया गया था।

[हिन्दी]

अपहरण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निदेश

3056. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देश में अपहरण के मामलों का नियंत्रण करने हेतु कोई विशेष दल गठित करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) गृह मंत्रालय को देश में अपहरण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के ऐसे किसी निर्देश अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किसी सुझाव के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। तथापि लापता बच्चों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को भेज दी गई हैं।

गृह मंत्रालय ने 4 दिसम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों को दिल्ली पुलिस के एक मानक आदेश (संख्या 252/09 दिनांक 24-10-09) का हवाला देते हुए लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में एक पत्र जारी किया है ताकि देश भर में लापता व्यक्तियों का आसानी से पता लगाने में सुविधा हो सके।

लापता बच्चों-दुर्व्यापार को रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों से संबंधित दिनांक 31 जनवरी, 2012 की एक पृथक सलाह में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों को बलात्कार, यौन उत्पीड़न बाल अश्लील साहित्य, अंग व्यापार आदि का पीड़ित होने जैसे किसी जघन्य या संगठित अपराध का शिकार होने से रोकने की विशेष सलाह दी गई थी।

गृह मंत्रालय ने अवैध मानव व्यापार और बाल अपराध को रोकने के लिए 9 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं।

ट्रैवल एजेन्सियों द्वारा हथियारों की आपूर्ति

3057. **श्री प्रदीप कुमार सिंह**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की जानकारी मिली है कि देश की कुछ ट्रैवल एजेन्सियां नक्सली और आतंकवादी गुटों को हथियार एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) ट्रैवल एजेंसियों द्वारा नक्सलियों को हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित कोई सूचना गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

फार्म भण्डारण सुविधायें

3058. **श्री नित्यानंद प्रधान**:
श्री बैजयंत पांडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी ने अनुमान लगाया है कि देश में घटिया फार्म भण्डारण सुविधाओं के कारण कृषि उत्पाद को क्षति होने के कारण राष्ट्र को लगभग 44000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यूनिट कार्यों जैसे कटाई, एकलीकरण, छंटाई, ग्रेडिंग, ओसाने, सफाई, सुखाने, पैकिंग, परिवहन और भण्डारण के दौरान बहुत अधिक हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लीकेज को रोकने एवं कमियों को दूर करने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारत के 106 जिलों में 46 फसलों और जिंसों, जिनमें 5 अनाज, 4 दाल, 6 तिलहन, 8 फल, 8 सब्जी, 8 पौधरोपण फसल और मसाले, 6 पशु उत्पाद और गुड़ शामिल हैं, के संबंध में फसल कटाई उपरान्त हानियों के अनुमान पर एक सर्वेक्षण किया गया था। फिल्ड में जांच और निगरानी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की जांच और सांख्यिकी विश्लेषण किया गया था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कटाई और कटाई उपरान्त होने वाली हानियों की मात्रा का समूचा अनुमान लगाया जा सके।

हानियों का आकलन करने के लिए जिन प्रचालनों पर विचार किया गया उनमें फसल कटाई, एकत्रण, थ्रेशिंग, ग्रेडिंग/सार्टिंग, छाजन/सफाई, सुखाना, पैकिंग, जिंस पर निर्भर करते हुए ढुलाई और भंडारण शामिल थे। चुनिन्दा अनाजों, दालों और तिलहनों क्रमशः 3.9-6%, 4.3-6.1% और 2.8-10.1% की रेंज में पाई गई थीं। चुनिन्दा फलों और सब्जियों में हानियां 5.8-18% की रेंज में पाई गई थीं। अंतर्देशीय के और समुद्री मत्सय क्षेत्रों में औसत हानियां क्रमशः 6.9% और 2.9% थीं। दूध के क्षेत्र में हानि 0.8% तथा मांस और मुर्गी पालन क्षेत्रों में क्रमशः 2.3% और 3.7% थी।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर फसलों और पशु उत्पादों की कटाई और कटाई उपरांत की हानियों की कुल आर्थिक कीमत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 44,000 करोड़ रुपये होने का

अनुमान लगाया गया है। इस राशि का हिसाब मई, 2009 माह के लिए फसल/जिन्स के थोक मूल्य के आधार पर लगाया गया है।

(घ) कृषि विभाग, 'ग्रामीण भंडारण योजना' नामक स्कीम चलाता है जिसके अधीन अन्य बातों के साथ-साथ फसल कटाई उपरांत की हानियों को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने हेतु किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खाद्यान्नों की खरीदारी बढ़ने और कवर तथा प्लिंथ के अधीन भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है।

जासूसी के मामले

*3059. **श्री यशवीर सिंह:**

श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों में जानकारी में आये जासूसी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) जासूसी के दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में इन मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) विगत दो वर्षों में संघ सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों में जासूसी के किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2010 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के कार्यालय में कुछ स्थानों पर चिपके हुए पाए गए चिपचिपे पदार्थ का पता लगाने के लिए जांच की गई थी। रासायनिक/विधिविज्ञान विश्लेषण से पता चला कि उस पदार्थ में च्युइंग गम जैसे पदार्थ थे। भौतिक जांच में किसी ऐसे चिन्ह अथवा निशान का पता नहीं चला जिससे वहां कोई डिवाइस लगाए जाने की जानकारी मिल सके। सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में जासूसी के उपकरणों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वीपिंग अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं। अब तक, इन अभ्यासों के दौरान किसी भी डिवाइस का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीकरण कार्य

3060. **श्री महेश जोशी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में कुल कितने फ्लैट हैं जिनमें 2010-11 और 2011-12 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा नवीकरण कार्य किया गया है;

(ख) कितने आवासों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वयं नवीकरण कार्य किया गया है तथा कितने आवासों में नवीकरण कार्य निजी एजेन्सियों द्वारा ठेके पर किये गये हैं या किये जा रहे हैं; और

(ग) कितने आवासों में दिसम्बर 2011 तक नवीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, आज की स्थिति के अनुसार कितने आवास नवीकरण के अधीन हैं तथा इनका नवीकरण कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क)

वर्ष	नवीकरण किए गए फ्लैटों की संख्या
2010-11	1731
2011-12	1925

(ख) उपर्युक्त सभी आवासों में निजी एजेन्सियों द्वारा संविदा पर नवीकरण कार्य किए गए हैं।

(ग) इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

कार्रवाई	मकानों की संख्या	पूर्ण करने की तारीख
(i) नवीकरण कार्य पूर्ण	5998	दिसम्बर, 2010
(ii) नवीकरण कार्य चल रहा है	548	30 जून, 2012

सरकारी आवास

3061. **श्री घनश्याम अनुरागी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों को नि:शुल्क सरकारी आवास देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार शहरी गरीबों को मुफ्त सरकारी वास मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं करती है। तथापि, शहरी गरीबों को विभिन्न स्कीमों के तहत नीचे दिए गए अनुसार सब्सिडी मुहैया करायी जाती है।

(i) भारत सरकार ने देश में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रमों के तहत देश में 65 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं आरंभ करने में शहरों और कस्बों को सहायता उपलब्ध करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) लागू किया है। अन्य शहरों और कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी. लागू किया गया था न्यूनतम 12 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान निर्धारित किया गया है जो अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत होगा।

(ii) लाभार्थी अंशदान के संबंध में राजीव आवास योजना (रे) में भी इसी प्रकार का एक प्रावधान जोड़ा गया है।

(iii) शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.) के तहत लाभार्थी सब्सिडी वाले आवास ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जहां बैंकों के स्तर पर समग्र ऋण अवधि के लिए ब्याज के निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के 5 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया की जाती है ताकि ऋण अवधि के दौरान उनको यह लाभ मिल सके।

(iv) भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) स्कीम के तहत विकासकों को किफायती आवासीय इकाइयों के लिए प्रति रिहायशी एकक 50,000 रुपये तक अथवा अवसंरचना की लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, का प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) ये सभी मांग आधारित स्कीमें हैं और रे तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गति पर तथा आई.एस.एच.यू.पी. के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.)/निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लाभार्थियों द्वारा और भागीदारी में किफायती आवास के तहत निर्माताओं/विकासकों द्वारा अपनाने पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों का यूनिट मूल्य

3062. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनता, एल.आई.जी. और एम.आई.जी. फ्लैट के गत चार आवंटनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा प्रति यूनिट निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल के समय में डी.डी.ए. द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट मूल्य में भारी वृद्धि हुई है जिससे गरीबों/निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के व्यक्तियों के लिये घर का सपना पूरा करना असंभव हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डी.डी.ए. का विचार अपने द्वारा दिये गये प्रति यूनिट फ्लैट के मूल्य में कमी करने का है जिससे यह गरीबों एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिये वहनीय हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) डी.डी.ए. ने बताया है कि मांग तथा आबंटन पत्र जारी होने की तिथि को कुर्सी क्षेत्र दर (पी.ए.आर.) और प्रचलित भूमि दरों के आधार पर फ्लैट की कीमत की गणना की जाती है। ये दरें इसके प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई हैं। गत चार स्कीमों की दरें इस प्रकार हैं:

आवासीय स्कीम 2005 के लिए पी.ए.आर.

जनता के लिए 5500 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए 6000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए (टर्न की आधारित) 7000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए 7000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए (टर्न की आधारित) 8000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

आवासीय स्कीम 2006 के लिए पी.ए.आर.:

जनता के लिए 6300 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए 7500 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए (टर्न की आधार पर) 87000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए 9000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए (टर्न की आधार पर) 93,000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

आवासीय स्कीम 2008 के लिए पी.ए.आर.:

जनता के लिए 7400 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए 9400 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए (टर्न की आधारित) 10000 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए 10500 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए (टर्न की आधारित) 10700 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

आवासीय स्कीम 2010 के लिए पी.ए.आर.:

जनता के लिए 9300 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए 11800 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एल.आई.जी. के लिए (टर्न की आधार पर) 12500 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए 13100 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

एम.आई.जी. के लिए (टर्न की आधार पर) 13400 रुपये प्रति वर्गमीटर + भूमि की कीमत

(ख) और (ग) जी नहीं। प्राधिकरण ने 21.01.2002 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पास किया कि डी.डी.ए. द्वारा निर्मित फ्लैटों की कीमत को वास्तविक लागत से मानक लागत में परिवर्तित किया जाना है (संकल्प सं. 7/2002 के तहत)। उक्त निर्माण की कुर्सी क्षेत्र की दर (पी.ए.आर.) की गणना की जाएगी और एक वर्ष में दो बार घोषित की जाएगी तथा यह प्रत्येक वर्ष में पहली अप्रैल और पहले अक्तूबर से लागू होंगी यथानिर्णित प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत का आधार विभिन्न क्षेत्रों के निर्माण की वास्तविक लागत का वेटेड औसत होगा। इससे यह स्पष्ट है कि फ्लैट की कीमत बिना नफा-नुकसान पर आधारित है अतः यह यथार्थपरक है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा मास्टर प्लान की समीक्षा

3063. **श्री बलीराम जाधवः**
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रारूपित किये जा रहे मास्टर प्लान की दिल्ली में रह रहे लोगों के परामर्श से समीक्षा करने तथा क्षेत्र-वार मास्टर प्लान समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करने हेतु निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी समीक्षा हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ऐसी संपत्तियों जो मेट्रो लाइनों की दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में वर्ष 2006 तक अनधिकृत रूप से निर्मित की गई हैं उनसे जुर्माना वसूल कर नगरपालिकाओं को नियमित एवं कानूनी दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कुछ अनधिकृत कालोनियों को अनधिकृत कालोनियों का दर्जा देने से पूर्व उन संपत्तियों जो 2006 से पहले निर्मित की गयी थीं को भी कानूनी दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो कालोनी-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एम.पी.डी.-2021) दिनांक 07 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया जिसमें 5 वर्ष के अंतराल पर मध्य आवधिक समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भागीदारी दृष्टिकोण के साथ प्रथम मध्य अवधि समीक्षा पहले ही आरंभ कर दी गई है। सुझाव प्राप्त करने के लिए जिले-वार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की मध्य अवधि समीक्षा करने के लिए प्रमुख मुद्दों को निपटाने के लिए 11 प्रबंध कार्य समूहों का गठन किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में विभिन्न सरकारी विभागों, निजी संगठनों के मुखियों, व्यवसायियों और कुशल सदस्यों के रूप में अन्य कॉरपोरेट व्यक्तिकों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समूह का गठन किया गया है। मध्य अवधि समीक्षा का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है और प्रबंधन कार्य समूह और परामर्शदात्री समूह की नियमित बैठकें की जाती है। इसके अलावा, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आम जनता, आर.डब्ल्यू.ए., व्यावसायियों आदि से दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की मध्य अवधि समीक्षा हेतु सुझाव आमंत्रित करने के लिए छह जिला/जोनल की ओपन हाउस मीटिंग की जाती है ताकि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की समीक्षा में लोगों की अधिकतम भागीदारी हो सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. की गतिविधियां

3064. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की कथित संलिप्तता की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्र में आई.एस.आई. की गतिविधियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई.एस.आई. की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ङ) सरकार, आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित तथा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती रही है, जिसमें घुसपैठ तथा सीमापार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमाओं पर चौकसी को सुदृढ़ करना; पाकिस्तानी एजेण्टों को रोकने के लिए आसूचना मशीनरी को चुस्त बनाना; आतंकवादियों तथा आई.एस.आई./राष्ट्र-विरोधी तत्वों की योजनाओं के निष्क्रिय बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच निकट सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करना; राज्य पुलिस तथा सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना शामिल हैं।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास

3065. **श्री जोसेफ टोप्पो:**

श्री निनोंग ईरींग:

श्री अशोक तंवर:

क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्व राज्यों में अवसंरचना विकास के कार्यान्वयन के अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित, स्वीकृत प्रयुक्त और अन्यथा प्रदोन की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में कार्यान्वयनाधीन योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) योजना आयोग संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से उत्तर पूर्वी राज्यों सहित राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देता है। प्रत्येक वर्ष की योजना के आकार को राज्यों के उपलब्ध संसाधनों (राज्यों की अपनी निधियां, उधार और कोई अन्य स्रोत) और उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य सरकारों को क्षेत्रों में प्राथमिकता परियोजनाएं शुरू करने और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए योजना में संसाधन गैप को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय/वास्तविक व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) स्कीम के तहत उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों/कार्यक्रमों (पूर्वोत्तर परिषद सहित) और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के लिए बजट अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

स्कीम/कार्यक्रम	2009-10		2010-11		2011-12	
	निर्धारित निधियां	प्रयुक्त निधियां	निर्धारित निधियां	प्रयुक्त निधियां	निर्धारित निधियां	प्रयुक्त निधियां
अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.)	700.00	668.62	800.00	805.78	800.00	798.99
विशेष बी.टी.सी. पैकेज	50.00	3.15	50.00	50.00	50.00	50.00
एन.एल.सी.पी.आर.-केन्द्रीय	2012-13 से शुरू					
पूर्वोत्तर परिषद	624.00	620.99	700.00	678.30	700.00	688.18

(ग) और (घ) इस स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादन की विभिन्न आवधिक रिपोर्टों और उपयोग प्रमाणपत्रों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों आदि के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों के दौरान भी निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय/व्यय

(करोड़ रु.)

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	2100.00	2591.90	2500.00	2500.00	3200.00	3200.00
असम	6000.00	5023.09	7645.00	6883.00	9000.00	9000.00

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	2000.00	1784.41	2600.00	2600.00	3210.00	3210.00
मेघालय	2100.00	1417.86	2230.00	2127.73	2727.00	2727.00
मिजोरम	1250.00	1067.22	1500.00	1500.00	1700.00	1700.00
नागालैंड	1500.00	1428.50	1500.00	1500.00	1810.00	1810.00
सिक्किम	1045.00	1019.26	1175.00	1175.00	1400.00	1400.00
त्रिपुरा	1680.00	1735.57	1860.00	1447.43	1950.00	1950.00

स्रोत : योजना आयोग

[हिन्दी]

विदेशियों का निर्धारित समयावधि से अधिक ठहरना

3066. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटक वीजा पर आने वाले अनेक विदेशियों की वीजा अवधि के समाप्त होने के बाद भी रुकने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ज्ञात ऐसे मामलों का देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पर्यटक वीजा पर आने वाले तथा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के बारे में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले अनेक विदेशी नागरिक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए पाए गए हैं। वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे पाए गए ऐसे विदेशी नागरिकों का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2011 तथा वर्तमान वर्ष (मार्च, 2012 तक) की अपेक्षित सूचना संकलित नहीं की गई है।

(ग) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (ग) के तहत किसी विदेशी नागरिक को प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां केन्द्र सरकार में निहित की गई है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान तथा उन्हें प्रत्यावर्तित करने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध आप्रवासियों की पहचान करना तथा उन्हें प्रत्यावर्तित करना एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

देश	31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे पाए गए विदेशियों की संख्या		
	2008	2009	2010
1	2	3	4
अफगानिस्तान	14511	13569	13747
आस्ट्रेलिया	176	309	212

1	2	3	4
बहरीन	51	65	37
बांग्लादेश	31229	32644	28667
कनाडा	357	658	550
चीन	479	559	662
इथोपिया	69	82	77
फिजी	309	290	136
फ्रांस	191	413	367
जर्मनी	158	390	394
इंडोनेशिया	36	71	77
इरान	184	246	248
ईराक	371	669	979
इटली	50	116	107
आइवरी कोस्ट	85	207	194
जापान	161	331	335
किनिया	237	365	318
दक्षिण कोरिया	516	783	661
मलेशिया	201	361	321
मॉरिशस	510	781	394
मंगोलिया	55	88	66
म्यांमार	558	705	733
नीदरलैंड	69	79	123
न्यूजीलैंड	34	49	39
नाइजीरिया	451	1121	967
ओमान	351	412	400
पाकिस्तान	7547	7691	8319

1	2	3	4
फिलीपीन्स	124	150	153
पुर्तगाल	12	106	7
रूस	120	159	260
सउदी अरब	62	160	74
शेसल्स	295	335	225
सिंगापुर	153	203	195
दक्षिण अफ्रीका	48	62	118
श्रीलंका	1790	2490	1817
राज्यविहीन-तिब्बत	194	235	251
सूडान	163	293	296
स्वीडन	37	91	83
तंजानिया	303	664	744
थाइलैंड	116	418	267
यू.एस.ए.	998	1535	2461
यूगांडा	88	98	90
यू.के.	491	895	813
वियतनाम	48	102	60
यमन	168	549	122
अन्य	993	1842	2022
कुल	65149	73441	69188

[अनुवाद]

कृषि उपकरण

3067. **श्री अम्बिका बनर्जी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश में प्रतिवर्ष कुल कितने कृषि उपकरणों का निर्माण हुआ है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में घरेलू उपयोग हेतु बेचे गए अथवा निर्यात हेतु जारी किए गए कृषि उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कृषि उपकरणों के निर्माण और निर्यात के संबंध में लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश

रावत): (क) और (ख) ट्रैक्टर और अन्य मशीनों को छोड़कर कृषि उपकरण और औजार सामान्यत: लघु उद्योगों के माध्यम से और गैर-संगठित क्षेत्र में तैयार करने के माध्यम से निर्मित होते हैं। इन कृषि उपकरणों और औजारों पर कोई संगणना उपलब्ध नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि मशीनों का उत्पादन ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

देश में घरेलू बिक्री के लिए ट्रैक्टरों और अन्य मशीनों का उत्पादन ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ कृषि मशीनों और उपकरणों का उत्पादन और निर्यात का अनुमानित प्रेक्षेपण का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

(संख्या में)

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि मशीनों का उत्पादन

उपकरणों के नाम	2009-10	2010-11	2011-12
पावर टिलर	500	650	725
पावर रिपर	50	150	300
ड्रम सिडर	5,000	6500	8225
स्प्रेयर (हस्तचालित)	30,000	35,000	40,000
पैडी थ्रेशर (हस्तचालित)	35,000	38,500	42,250

स्रोत: कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

विवरण-II

ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनों का वार्षिक उत्पादन

(संख्या में)

क्र.सं.	औजार का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1.	ट्रैक्टर	3,93,836	5,45,109	6,07,658
2.	पावर टिलर	38,734	55,000	62,550
3.	कम्बाइन हारवेस्टर	लागू नहीं	लागू नहीं	9800 में से 3400 सेल्फ प्रोपेल्ड है, 1500 ट्रैक टाइप और 4900 ट्रैक्टर मौन्टेड कम्बाईन हारवेस्टर हैं।
4.	रोटावेटर	70,000	95,000	1,04,500
5.	पावर थ्रेशर	52,000	50,000	50,200
6.	बीज सह उर्वरक ड्रिल/जीरो-टिल-बीज ड्रिल	55,000	60,000	66,000

स्रोत: सी.आई.ए.ई., भोपाल और एफ.आई.सी.सी.आई., नई दिल्ली

विवरण-III

वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि मशीनों और उपकरणों का उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रेक्षेपणों का ब्यौरा:

क्र. सं.	मशीनों और उपकरणों का नाम	वर्ष 2012-13 के लिए प्रेक्षेपण	
		उत्पादन (लाख में)	निर्यात संख्या में
1.	ट्रैक्टर	6.56	80,000
2.	पावर टिलर	0.65	-
3.	कम्बाइन हार्वेस्टर	0.10	100
4.	पावर थ्रैशर	0.50	2,000
5.	रोटावेटर	0.47	500
6.	जिरो टिल सीड ड्रिल/सीड-कम-फर्टीलाइजर ड्रिल	0.71	2,000
7.	स्प्रैयर	8.5	-
8.	सिंचाई पम्प सेट	8.5	-
9.	प्राथमिक टिलेज उपकरण	1.5	1,000
10.	कृषि ट्रेलरस	2.18	3,500
11.	ट्रैक्टर संचालित फ्रंट मौन्टेड लोडर और बैकहो	0.25	3,500

स्रोत:- ट्रैक्टर निर्माण संगठन (टी.एम.ए.), पावर टिलर निर्माण संगठन, (पी.टी.एम.ए.), जॉन डियर ट्रैक्टर प्रा.लि., पुना (महाराष्ट्र), ऑल इंडिया कृषि मशीनरी मैनुफैक्चरस एसोसिएशन (ए.आई.ए.एम.एम.ए.), लुधियाना (पंजाब)।

एंडोसल्फान के पीड़ितों को राहत

3068. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में एंडोसल्फान के पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु कोई विशेष पैकेज प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केरल में इण्डोसल्फान से पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) एक समिति गठित की गई थी जिसने केरल के प्रभावित गावों का दौरा किया और अन्य बातों के साथ-साथ जल, मृदा, मानव/पशु रक्त के नमूनों का नियमित रूप से मानीटरिंग और परिवार संकेन्द्रित सामुदायिक केन्द्रित पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास की सिफारिश की।

(2) केसार गोड़ जिलों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एस.) योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी कार्यकलापों को अनुमोदित किया गया।

(3) राज्य सरकार से वर्ष 2011-12 के लिए केरल के संसाधन कोष में उपलब्ध 4.49 करोड़ रुपये राजस्व कोष में से केसार गोड जिले में कुछ अतिरिक्ति कार्यकलापों को शुरू करने पर विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया था।

भूख के कारण मौतें

3069. **श्री वरूण गांधी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में कोई शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई शपथ पत्र दाखिल कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भुखमरी के कारण मर रहे बच्चों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश नहीं दिया गया है। अत: शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

यातायात नियमों का उल्लंघन

3070. **श्री ताराचन्द भगोरा:**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कोई विशेष अभियान चलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने विशेष अभियान चलाए गए और उनसे कितना राजस्व एकत्र हुआ; और

(ङ) सरकार ने सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन चालकों को शिक्षित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 के लिए (दिनांक 31.03.2012 तक) प्रतिशत अन्तर सहित अभियोजन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	चालानों की संख्या	प्रतिशत अन्तर
2009	3448595	-
2010	2606011	24.43 (-)
2011	3051505	17.09 (+)
2012 (31.03.2012 तक)	750641	

(ग) और (घ) दिल्ली यातायात पुलिस यातायात नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2009, 2010, 2011 और 2012 (दिनांक 31.03.2012 तक) के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एकत्र किए गए राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्राप्त धनराशि (रुपये)
2009	52,38,64,600/-
2010	44,16,06,900-
2011	44,52,21,400/-
2012 (31.03.2012 तक)	11,48,60,800/-

(ङ) दिल्ली यातायात पुलिस सभी सड़क प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कार्यविधि/क्रिया-पद्धति अपनाती है जिसमें वार्तालाप-व्याख्यापन, अध्यापन का क्लासरूप तरीका, फिल्म शो, चल-प्रदर्शनी वैनों का प्रदर्शन, प्रश्न-मंच/चित्रकला/भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पांच यातायात प्रशिक्षण पार्कों में व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली यातायात पुलिस व्यावसायिक वाहन चालकों, टी.एस.आर. ड्राइवरों, पैदल यात्रियों, बस में सफर करने वालों, साइकिल चालकों, द्विपहिया वाहन चालकों, **निजी**

चौपहिया वाहनों के चालकों, सरकारी संगठनों आदि के ड्राइवरों जैसे सड़क प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करती है। इसके अलावा, यातायात संबंधी-प्रमुख नियमों आदि पर मोटर चालकों की शिक्षा और दिशानिर्देश के लिए प्रमुख समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं।

कश्मीरी विस्थापितों का उत्पीड़न

3071. **श्री शरीफुद्दीन शारिक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें मिली है कि हैदराबाद सहित देश के विभिन्न भागों में कश्मीरी विस्थापितों का उत्पीड़न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सलाहकारी पत्र जारी किया है कि समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे सभी कश्मीरियों के साथ पुलिस की समस्त कार्रवाई में अत्यन्त संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए और समस्त पुलिस थानों को उप्रयुक्त निर्देश जारी करें कि वे कश्मीरी लड़कों एवं लड़कियों के प्रति असंवेदनशीलता तथा भेदभाव का प्रदर्शन न करें।

[हिन्दी]

कृषि विकास दर

3072. **श्री कामेश्वर बैठा:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री संजय भोई:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री पूर्णमासी राम:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारित और प्राप्त वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गयी कृषि विकास दर का प्रतिशत क्या रहा है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कृषि विकास दर निर्धारित लक्ष्यों से कम रही है और कृषि विकास की दृष्टि से यह चीन और पाकिस्तान से काफी पीछे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु उच्च विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में उच्च कृषि विकास दर प्राप्त करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गयी है/की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) 11वीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) में 4 प्रतिशत लक्षित सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर की तुलना में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों ने 2004-05 मूल्यों पर उसी अवधि के दौरान 3.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शायी है। 31 जनवरी, 2012 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी तीव्र अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों ने 2007-08 में 5.8 प्रतिशत, 2008-09 में 0.1 प्रतिशत, 2009-10 में 1.0 प्रतिशत तथा 2010-11 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शायी थी। इसके अतिरिक्त, 7 फरवरी, 2012 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अनुमान 2004-05 मूल्यों पर 2011-12 में 2.5 प्रतिशत वृद्धि का है।

2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में अत्यधिक सूखे तथा 2010-11 में कुछ राज्यों नामत: बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में सूखे/कम वर्षा के कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को झटका लगा। तुलनात्मक मूल्यों, कृषि जलवायु परिस्थितियों, भू-कृषि जोत स्वामित्वयता तथा प्रबंधन पद्धति आदि कई कारण है 'जिसकी वजह से विभिन्न देशों में कृषि सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव कागजात में यह प्रक्षेपित किया गया है कि कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि होनी है जो समग्र रूप से अर्थ-व्यवस्था के लिए 9 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुरूप है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान समय में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फसल विकास योजनाओं के तहत किसानों को अद्यतन फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी अंतरण के माध्यम से देश में उच्चतर कृषि विकास को बरकरार रखने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित संपूर्ण रूप से राज्य के लिए कार्ययोजना तैयार करती है। इसके बाद स्थानीय आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुसार राज्य के कृषि विभागों द्वारा क्षेत्रवार कार्ययोजनाएं तैयार की जाती हैं।

मलिन बस्ती मुक्त शहरों हेतु डी.पी.आर.एस.

3073. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य को मलिन बस्ती मुक्त बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों का चयन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निधियां प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार को पहले चरण हेतु डी.पी.आर. प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से विभिन्न शहरों हेतु डी.पी.आर. तैयार करने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) इस सरकार के भारत को स्लम मुक्त बनाने के विजन के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम आरंभ की गई है। राजीव आवास योजना के प्रथम चरण की अवधि इस स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष तक के लिए है। मध्य प्रदेश में राजीव आवास योजना के प्रथम चरण में शामिल शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर हैं।

(ख) स्लम मुक्त शहर आयोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य और शहर तकनीकी प्रकोष्ठ बनाने के लिए राजीव आवास योजना के प्रारंभिक चरण, स्लम सर्वेक्षण कराने जी.आई.एस. मैपिंग, जी.आई.एस. और एम.आई.एस. का समेकन और स्लम मुक्त शहर कार्य योजना तैयार करने संबंधी अन्य कार्यकलापों के लिए 288.25 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गई है।

(ग) राजीव आवास योजना के अंतर्गत चयन किए गए स्लमों को शामिल करते हुए प्रयोगिक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इंदौर, ग्वालियर, सागर और जबलपुर शहरों हेतु प्राप्त हुई हैं, जिनका अनुमोदन कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्ररियोजना रिपोर्ट और स्लम मुक्त शहरी कार्य योजना तैयार करने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है। इसकी आवधिक बैठकों/विचार-विमर्शों में समीक्षा की जा रही है। पांच राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, ओडीशा, और राजस्थान से 08 प्रायोगिक परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जो अनुमोदित कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की आवश्यकता

3074. **श्री ए. सम्पत:**

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

श्री एम.बी. राजेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय पूल में चावल सहित खाद्यान्नों का भंडार,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए भी पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीद, भंडार और मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चावल सहित आयातित खाद्यान्नों की मात्रा और उनकी किस्मों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य मुद्रास्फिति की चुनौतियों को पूरा करने के लिए पी.डी.एस. के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का स्टाक 533.02 लाख टन था जिसमें 333.50 लाख टन चावल और 199.52 लाख टन गेहूं शामिल है। खाद्यान्नों के स्टाक का मौजूदा स्तर वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन आवंटन के मौजूदा स्तर के अनुसार खाद्यान्नों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पिछले तीन फसल वर्षों के दौरान (2008-09 से 2010-11) चावल और गेहूं की खरीदारी और पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पहली जनवरी को खाद्यान्नों का स्टाक नीचे दिया गया है:-

खरीदारी (लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
2008-09	341.04	253.82
2009-10	320.34	225.14
2010-11	341.98	283.35

स्टाक: (लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
1 जनवरी, 2009	175.76	182.12	357.88
1 जनवरी, 2010	243.53	230.92	474.45
1 जनवरी, 2011	255.80	215.40	471.20
1 जनवरी, 2012	297.18	256.76	553.94

केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष स्टाक का उपयोग खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए भी किया जा सकता था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन का मौजूदा स्तर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच में है। मध्याह्न भोजन योजना, आई.सी.डी.एस. के अधीन गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला) आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के लिए भी इन स्कीमों के अधीन आकलित आवश्यकता के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर 2012-13 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए लगभग 554 लाख टन खाद्यान्नों की मांग होने का अनुमान है।

(ग) केन्द्रीय पूल में स्टाक की सुगम स्थिति होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल की जरूरत के लिए खाद्यान्नों अर्थात गेहूं और गैर-बासमती चावल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 50 लाख टन और गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 27 राज्यों के 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों में वितरण करने हेतु रिलीज की गई 23.69 लाख टन मात्रा सहित 123.69 लाख टन खाद्यान्नों

की अतिरिक्त मात्रा रिलीज की है। वर्तमान वर्ष, 2012-13 के दौरान सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 61.73 लाख टन अतिरिक्त मात्रा रिलीज की है।

(च) सरकार ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन खरीद प्रक्रिया में राज्य सरकारों को अधिकाधिक शामिल करके खरीद प्रचालनों को तेज किया है। अपरम्परागत राज्यों, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में खरीद पर अधिक ध्यान देने से केन्द्रीय पूल के लिए अधिक खरीदारी हुई है जिससे स्टाक की सुगम स्थिति सुनिश्चित हुई है।

खेल संघों को वित्तीय शक्तियां

3075. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं हेतु खेल उपकरणों की खरीद करने हेतु वित्तीय शक्तियां देते हुए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों को शक्तियां प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दिशानिर्देशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन के लिए खेल उपभोज्य वस्तुओं/खेल उपकरणों की खरीद के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के परिपत्र द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं। इन संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार खेल उपभोज्य वस्तुओं जैसे - गेंद, शटलकाक और शूटिंग खेल में प्रयुक्त गोला बारूद की खरीद भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर संबंधित खेल को संचालित करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा की जानी है। इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, टीम डिवीजन की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रमुख/संस्थान प्रमुख साई परियोजना अधिकारी (टीम)/क्षेत्र या संस्था का तकनीकी व्यक्ति, भाखेप्रा, राष्ट्रीय कोच और एन.एस.एफ. के एक प्रतिनिधि से युक्त समिति आवश्यकता का मूल्यांकन करती है और मात्रा का निर्धारण करती है। खरीद की लागत का भुगतान राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा संबंधित एन.एस.एफ. के अनुरोध पर जारी 75% अग्रिम राशि सहित किया जाना होता है। खेल उपकरणों के मामलों में उन मदों के लिए जिनकी प्रत्येक मामले में मूल्य 7.50 लाख रुपये से कम है, की खरीद संबंधित एन.एस.एफ. द्वारा की जाएगी और भाखेप्रा द्वारा संबंधित एन.एस.एफ. को निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी। खरीद के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी। 7.50 लाख रु. से अधिक मूल्य के मदों के लिए। खरीद भाखेप्रा द्वारा की जाएगी। महानिदेशक, भाखेप्रा के निर्णय पर आपवादिक मामलों में 10 लाख रु. तक के उपकरणों की खरीद राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा भी की जा सकती है जिसके लिए भाखेप्रा द्वारा निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी।

(ग) इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है।

[हिन्दी]

शहरों का वर्गीकरण

3076. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या और मूलभूत जन सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में शहरी क्षेत्रों हेतु बनाई गई श्रेणियों की संख्या कितनी है और उनके अंतर्गत कितने शहरों को कवर किया गया है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) भारत की जनगणना में जनसंख्या के अनुसार कस्बों और शहरों का वर्गीकरण किया गया है। भारत की जनगणना में निम्नलिखित श्रेणियों में शहरों को वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी-I : 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या

श्रेणी-II : 50,000 से 99,999 तक जनसंख्या

श्रेणी-III : 20,000 से 49,999 तक जनसंख्या

श्रेणी-IV : 10,000 से 19,999 तक जनसंख्या

श्रेणी-V : 5,000 से 9,999 तक जनसंख्या

श्रेणी-VI : 5,000 से कम जनसंख्या

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित मानदण्डों/मानकों के अनुसार शहरों की 3 श्रेणियों की पहचान की गई है:

श्रेणी	शहर/शहरी समूह	संख्या
क.	वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या शहर/शहरी समूह	07
ख.	वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह	28
ग.	चुनिन्दा शहरी/शहरी समूह (राज्य राजधानियां तथा धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के अन्य शहर/शहरी समूह)	30
	कुल	65

नगर निगमों को निधियां

3077. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**

श्री जोस के. मणि:

श्री भूदेव चौधरी:

श्री बलीराम जाधव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) उन प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के नगर निगमों को स्वीकृत/जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) सरकार शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के महत्व को समझती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह शहरी क्षेत्र के सुधारों जिनमें सम्पत्ति कर में सुधार, स्टाम्प ड्यूटी का सुव्यवस्थीकरण, दोहरी प्रविष्टि के लेखांकन प्रणालियों का क्रियान्वयन, ई-गवर्नेंस, उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार लगाना, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसरण में शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण तथा सरकारी-निजी-भागीदारी को प्रोत्साहन देना शामिल है, के क्रियान्वयन में सहायता दे रही है। साथ ही सरकार "कर मुक्त म्यूनिसिपल बाण्ड" और "पूलबद्ध वित्त विकास स्कीम" आदि के माध्यम से भी शहरी अवसंरचना का वित्त पोषण करने के नवीनतम साधनों का समर्थन कर रही है। 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों को उनके निजी कर राजस्वों तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से वित्त व्यवस्था किए जाने के अतिरिक्त मौजूदा स्तर से पर्याप्त रूप से अधिक राजस्व के अनुमानक्षम और प्रफुल्ल स्रोतों द्वारा सहायता देने की आवश्यकता है। उसने शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2010-15 के विभाज्य पूल के 1.93% की भी सिफारिश की है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(ग) से (ङ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत अभी तक शहरी अवसंरचना और शासन उप-मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्वीकार्य क्षेत्रों के लिए 559 परियोजनाएं, 62,55,097.16 लाख रुपए की अनुमोदित लागत से और 28,88,253.92 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की वचनबद्धता के साथ अनुमोदित की गई हैं। 31-03-2012 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों के उपयोग के लिए 17,24,045.34 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2011-12 के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना (सी.बी.यू.एल.बी.) के अंतर्गत 132 परियोजनाएं 43.13 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई है जिनमें 5 क्षमता निर्माण, 3 सूचना प्रणाली सुधार योजनाएं और 124 शहर स्वच्छता प्लान परियोजना शामिल हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 12वें और 13वें केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09 मिशन अवधि की पूर्व अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजना के समग्र उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	2009-10 मिशन अवधि की पूर्व अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजना के समग्र उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	2010-11 मिशन अवधि की पूर्व अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजना के समग्र उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि	2011-12 मिशन अवधि की पूर्व अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजना के समग्र उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए. धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	18,898.95	27,385.07	15,569.86	32,500.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,053.91	2,006.94	-	4,759.16
3.	असम	6,321.15	7,112.41	3,792.54	6,795.91
4.	बिहार	1,955.62	7,441.39	-	-
5.	चण्डीगढ़	405.20	-	734.52	-
6.	छत्तीसगढ़	-	12,145.60	3,643.68	-
7.	दिल्ली	2,220.58	14,600.94	43,509.00	6,938.27
8.	गोवा	-	-	-	72.45
9.	गुजरात	47,035.34	47,788.21	7,297.21	39,612.00
10.	हरियाणा	9,147.46	-	5,283.80	6,888.13
11.	हिमाचल प्रदेश	-	2,619.01	-	121.09
12.	जम्मू और कश्मीर	2,500.00	-	-	10,032.72
13.	ल्रारखण्ड	6,682.46	5,384.66	417.03	6,204.58
14.	कर्नाटक	12,992.94	21,578.53	7,659.85	24,234.18
15.	केरल	33,50.50	2,439.45	-	6,516.15
16.	मध्य प्रदेश	15,931.43	12,343.27	4,828.66	14,280.93

1	2	3	4	5	6
17.	महाराष्ट्र	88,349.54	88,649.86	42,004.49	76,471.17
18.	मणिपुर	-	2,883.37	-	2,078.42
19.	मेघालय	4,904.04	-	-	7,296.11
20.	मिजोरम	-	756.82	-	-
21.	नागालैण्ड	389.26	1,702.81	-	1,246.83
22.	ओडिशा	3,338.00	2,491.60	-	6,999.34
23.	पंजाब	4,939.22	3,346.62	-	-
24.	पुडुचेरी	993.20	-	-	2,189.00
25.	राजस्थान	20,281.38	2,826.10	-	4,584.94
26.	सिक्किम	538.20	1,663.87	-	1,273.24
27.	तमिलनाडु	28,446.11	37,723.44	2,635.84	47,132.47
28.	त्रिपुरा	1,760.85	2,250.00	-	2,406.51
29.	उत्तर प्रदेश	43,078.75	41,632.21	25,479.16	65,351.90
30.	उत्तराखण्ड	2,678.56	7,546.69	981.06	6,741.55
31.	पश्चिम बंगाल	22,857.17	27,717.88	17,412.81	27,043.89
	योग	3,52,049.82	3,90,036.75	1,81,249.51	4,09,771.04

विवरण-II

शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण परियोजनाओं की सूची

घटक	राज्य	2010-11 में राशि स्वीकृत (करोड़ रु.)	विवरण	स्थिति
1	2	3	4	5
क्षमता निर्माण	मध्य प्रदेश	0.50	मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण/ वर्तमान में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5
	कर्नाटक	0.18	गैर-राजस्व वाटर ऑडिट में 839 शहरी स्थानीय निकायों के स्टाफ को प्रशिक्षण का आयोजन	कार्य प्रगति पर है
	छत्तीसगढ़	0.49	मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों की चुनी हुई 3173 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण/वर्तमान में 3784 चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया	कार्य पूर्ण
	छत्तीसगढ़	8.85	- छोटे और मझौले (गैर-जे.एन.एन.यू. आर.एम.) शहरी स्थानीय निकायों में विशेष क्षमता अन्तराल का समाधान - चुनिंदा नगर पालिका सुधारों का कार्यान्वयन - संचार और आउटरीच गतिविधियां - कार्य स्थलों का दौरा - निगरानी	कार्य प्रगति पर है
	ओडिशा	3.50	ओडिशा के शहरी स्थानीय निकायों के 1440 कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन	कार्य प्रगति पर है
सूचना प्रणाली सुधार योजना	हैदराबाद	6.93	- जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन हेतु परिवारों का समग्र सर्वेक्षण कार्य - स्वचालित मीटर रीडिंग प्रणाली की अवस्थापना - वे ब्रिजों की स्थापना	कार्य प्रगति पर है
	गुंटूर	4.38	- पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकड़े एकत्र करने संबंधी अवस्थापना - नेटवर्किंग मॉडलिंग - जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन हेतु परिवारों का समग्र सर्वेक्षण कार्य	कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5
			- डंपिंग स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिजों की स्थापना	
			- पोर्टेबल प्रैशर गेजों की खरीद	
			- प्रायोगिक आधार पर उपभोक्ता स्तरीय मीटरिंग की स्थापना	
			- गहन जल गुणवत्ता परीक्षण और मॉनीटरिंग प्रोटोकाल के निर्माण और कार्यान्वयन हेतु अध्ययन	
	नासिक	1.04	- जलापूर्ति, सीवरेज और ठोसकचरा प्रबंधन और वर्षा जल निकासी हेतु परिवारों का समग्र सर्वेक्षण कार्य	
			- कचरा नमूना सर्वेक्षण-सृजन स्थल पर कचरा और प्रति व्यक्ति सृजन स्थल पर कचरे सृजन के लिए 108 बार्डों के 14 स्थानों पर 30 दिनों के अंदर विशेषताओं के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण।	कार्य प्रगति पर है
			- जलापूर्ति, सीवरेज और ठोसकचरा प्रबंधन और वर्षा जल निकासी हेतु कुशल शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर की खरीद	

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अंतर्गत शहर स्वच्छता योजनाओं के विकास का ब्यौरा

राज्य का नाम	2010-11 में स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	अंतर्गत लाए गए शहरों के नाम	स्थिति
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	2.55	होशंगाबाद, सरनी, सैलाना, रायसेन, चित्रकूट, महेश्वर, मैहर, उज्जैन, खजुराहो, सांची एवं कोलार	
केरल	2.00	अलुवा, अटिंगल, चलाकुडी, गुरुव्यूर, कल्पेटा, कंहागड, कन्नूर, कोडूंगालूर, कौट्टायायम, कायीलांदी, पराव्यूर, पथांमथतीथा, पेरींथल्मन, पोन्नानी, तलीपरम्बा, तलीस्सेरी, थेडूपुझा, थ्रीसूर तिरुरा एवं बरकला	

1	2	3	4
कर्नाटक	2.50	बेल्लारी, बेलगांव, देवंगेरे, मैसूर, मंगलूर, गुलबर्गा एवं हुबली-धर्वाड	
छत्तीसगढ़	0.98	बिलासपुर, कौरबा, दुर्ग, भिलाई एवं राजनंदगांव	
महाराष्ट्र (19 शहर)	2.65	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भिवांडी, निजामपुर, धुले, जलगांव, कल्याण दोम्बिवली, कोहलापुर, मलेगांव, मीरा-भ्यांदर, नागपुर, नांदेड, नवी मुम्बई, पुणे, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापुर, थाणे एवं उल्लहासपुर	कार्य प्रगति पर है
महाराष्ट्र (15 शहर)	1.50	अचलपुर, पंवेल, बरसी, सतारा, वर्ध, यावतमाल, गोंडिया, बीड, भुसावल, अम्बेरनाथ, जालना, लचलकारनी, परभानी, चन्दरपुर एवं लाटूर	
ओडिशा	0.88	भुवनेश्वर, कटक, बेहरामपुर, संभलपुर, राउरकेला, पुरी, बालासौर, बरीपेडा	
उत्तर प्रदेश	1.10	अलीगढ़, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं कानपुर	
उत्तराखण्ड	0.29	मुनी की रेती (ऋषिकेश), दौइवाला (देहरादून) एवं मसूरी	
आन्ध्र प्रदेश	0.33	श्रीकाकूलम, इलरु, औंगुले, नेल्लौर एवं विजयनगरम	
राजस्थान	2.48	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, झुनझुनु, किशनगढ़, पाली, सवाई, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, चितौड़गढ़, चुरु, फतेहपुर, जैसलमेर, नाथद्वारा एवं मंडावा	

विवरण-III

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	12वां वित्त आयोग			13वां वित्त आयोग		कुल
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3740	14960	7480	17649	11186	55015

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	0	30	148	23	261
3.	असम	1100	0	2200	1179	3614	8093
4.	बिहार	2840	1420	5680	3389	14685	28014
5.	छत्तीसगढ़	880	880	4400	3835	4028	14023
6.	गोवा	0	480	0	381	58	919
7.	गुजरात	8280	12420	8280	11975	16274	57229
8.	हरियाणा	1820	910	2730	4052	5439	14951
9.	हिमाचल प्रदेश	160	160	160	761	1035	2276
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	760	1879	1336	3975
11.	झारखण्ड	0	1444	0	1823	4391	7658
12.	कर्नाटक	3230	9690	6460	18546	34914	72840
13.	केरल	2980	1490	4470	6681	11336	26957
14.	मध्य प्रदेश	3610	10830	7220	13742	14457	49859
15.	महाराष्ट्र	7910	7910	39550	29227	56049	140646
16.	मणिपुर	90	90	360	753	58	1351
17.	मेघालय	0	400	0	737	1002	2139
18.	मिजोरम	0	400	0	864	1175	2439
19.	नागालैण्ड	60	240	120	357	855	1632
20.	ओडिशा	0	5200	2080	4565	6205	18050
21.	पंजाब	3420	5130	3420	5777	4151	21898
22.	राजस्थान	2200	8800	4400	11118	20931	47449
23.	सिक्किम	0	0	0	12	14	26
24.	तमिलनाडु	5720	17160	11440	22084	29387	85791
25.	त्रिपुरा	0	0	320	515	700	1535

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तराखण्ड	15510	10340	10340	27492	16882	80564
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1751	2380	4131
28.	उत्तर प्रदेश	7860	11790	7860	14860	10578	52948
	योग	71470	122144	129760	206152	273143	802669

आपदा प्रबंधन हेतु सैटेलाइट संपर्क

3078. **श्री रमाशंकर राजभर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आपदा के दौरान राहत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु विशेष सैटेलाइट संपर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)/अंतरिक्ष विभाग ने गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) और राज्य आपात परिचालन केंद्रों (एस.ई.ओ.सी.) में राष्ट्रीय आपात परिचालन केंद्र (एन.ई.ओ.सी.) को जोड़ने वाला सैटेलाइट आधारित प्राइवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) पहले ही स्थापित किया है। इस परियोजना का कुल अनुमानित बजट 5.97 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

पान के पत्तों के उत्पादक

3079. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पान के पत्तों के उत्पादकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या मुख्यत: उत्पादों के अलाभकारी मूल्यों और आदान लागत में वृद्धि जैसी अनेक समस्याओं के कारण इन उत्पादकों की स्थिति बदतर होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किन-किन किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) लगभग 20 मिलियन लोग पान के पत्तों के उत्पादन, प्रक्रिया, परिवहन और विपणन में लगे हुए हैं। पान के पत्तो की खेती आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में की जा रही है। तथापि पान के पत्तों के उत्पादकों की संख्या पर राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग क्षेत्र आधारित अंचल विशिष्टि समूह दृष्टि कोण अपना कर बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापें जैसे गुणवत्ताप्रद पौध रोपण सामग्रियों, संरक्षित कृषि, समेकित कीटनाशक और पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई पश्चात प्रबंधन और अवसंरचना की स्थापना आदि को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके आलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आई.के.वी.वाई.) के अंतर्गत पान के पत्तों की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं

3080. **श्री खगेन दास:**

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

श्री रामसिंह राठवा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित और उपभोग किए गए प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद खाद्य वस्तुओं की मात्रा कितनी है;

(ग) देश के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) पणधारियों के विस्तृत साक्षात्कारों के आधार पर इस मंत्रालय के विजन दस्तावेज में शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण स्तर वर्ष 2005 में 6% होना आंका गया था। अभी न सड़ने-गलने वाली खाद्य वस्तुएं (चाय, कॉफी, अनाज, मसाले, आदि) उपभोग से पहले प्रसंस्कृत की जानी होती हैं। सांख्यिकीय तकनीकों तथा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करते हुए वर्तमान प्रसंस्करण स्तर का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली को अध्ययन सौंपा गया है।

(ख) यह मंत्रालय देश में प्रसंस्कृत तथा उत्पादित डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों और उपभोग की गई मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2011 के अनुसार वर्ष 2004-05 की कीमतों पर खाद्य पदार्थों और पेयों का निजी अंतिम उपभोग व्यय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में क्रमश: 785117 करोड़ रुपए, 799359 करोड़ रुपए और 792884 करोड़ रुपए था।

(ग) बासमती चावल, बोनलैस मांस, कॉर्न, गन्ना और ग्वारगम वर्ष 2010-11 में खाद्य संबंधी निर्यात के माध्यम से सर्वोच्च पांच विदेशी मुद्रा उपार्जक के रूप में उभरे हैं। फ्रोजन श्रिम्प, छिलका उतारी हुई मूंगफली, फ्रोजन मछली, चाय और आम का गूदा अन्य सर्वोच्च विदेशी मुद्रा उपार्जक थे। वर्ष 2010-11 में सभी खाद्यों से संबंधित निर्यात से कुल विदेशी मुद्रा का उपार्जन 63733 करोड़ रुपए हुआ (स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.), वाणिज्य मंत्रालय।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई अनेक स्कीमों के लिए संशोधित अनुमान में वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 550.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से 516.85 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

(ङ) सरकार ने 11वीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए मेगा खाद्य पार्कों, एकीकृत शीत श्रृंखला की स्थापना, बूचड़खानों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, दक्षता विकास के लिए अनेक स्कीमें भी शुरू की हैं। एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन विकेन्द्रीकरण और बेहतर पहुंच के माध्यम से इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए 2012-13 से नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रचालनरत होगा।

[हिन्दी]

कीटनाशकों और उर्वरकों संबंधी नीति

3081. **श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सब्जियों और फलों का उत्पादन करने में ऐसे अनेक कीटनाशकों/खरपतवार नाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पर कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि प्रयोजनों हेतु एंडोसल्फान और अन्य कीटनाशकों/खरपतवारनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के संबंध में कृषि नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी नीति तैयार करने से पहले विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार ने देश में ऐसे कीटनाशकों के उपयोग को सीमित करने/प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) देश में नाशीजीवमारों का उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 से विनियित किया जाता है। नाशीजीव मारों को मानव जाति और पशुओं के लिए प्रभावित और सुरक्षा के दावे के सत्यापन के बाद उपयोग की अनुमति दी जाती है। उपयोग के लिए अनुमत नाशी जीवमारों की नई वैज्ञानिक सूचना के आधार पर समय समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसी समीक्षा के आधार पर भारत में उपभोग के लिए 67 नाशी जीवमारों को अनुमति दी गई है, जिसे अन्यथा कुछ देशों में या तो प्रतिबंधित किया गया है या सख्ती से सीमित किया गया है। सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

2011 की याचिका सं. 213 "डेमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेशों तक देश में एण्डोसल्फान की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाते हुए 13-5-2011 को अंतरिम आदेश पारित किया तथा इस प्रश्न पर कि क्या एण्डोसल्फान मानव जाति के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा करेगा और पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाएगा, पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की। न्यायालय द्वारा समिति को एण्डोसल्फान के विकल्प को भी सुझाने का निदेश दिया गया। सरकार ने पूर्ण रूप से न्यायालय का अंतरिम आदेश कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 14-05-2011 को अनुदेश जारी किए गए।

(घ) से (छ) जबकि केन्द्र सरकार नाशीजीव मारों और उर्वरकों के उपयोग पर कृषि नीति तैयार करने पर विचार नहीं कर रही है, तथापि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों को प्रशिक्षित करने और कीटनाशकों के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और उचित प्रयोग करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "भारत में नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" के जरिए समेकित नाशीजीव प्रबंधन की कार्यनीति को लोकप्रिय बना रही है जिसमें नाशीजीव नियंत्रण के वानस्पतिक, यांत्रिक, जीव-विज्ञानीय और अन्य प्रणालियां शामिल हैं तथा नाशीजीव मारों के सुरक्षित और उचित प्रयोग पर जोर दे रही है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग मृदा परीक्षण आधार पर कार्बनिक खादों के मिश्रण से उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एन.पी.एम.एस.एच.एफ.) कार्यान्वित कर रहा है।"

विवरण

उन नाशीजीवमारों की सूची जिन्हें विश्व के कुछ देशों में रोक दिया गया है। सख्ती से सीमित कर दिया गया है किन्तु भारत में अभी भी उसका उपयोग किया जा रहा है इसकी समीक्षा स्थिति और सिफारिशें

क्र. सं.	नाशीजीव मार का नाम	की अध्यक्षा में विशेषज्ञ समिति/ समूह द्वारा समीक्षित	विशेषज्ञ समिति/समूह की सिफारिश
1	2	3	4
1.	एकेफेट	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
2.	एलाचोर	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए

1	2	3	4
		2. के.बी. रमन	रोक दिया जाए
3.	एल्युमिनियम	1. एन.एन. बैनर्जी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
		2. आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए।
4.	एट्राजाइन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
5.	बेनफुराकार्ब	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
6.	बेरोमई	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रामन	उपयोग जारी रखा जाए
7.	बिफेथ्रीन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
8.	बुटाचलोर	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
9.	केपटन	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
10.	कारबेरिल	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
11.	कारबंडाजाइनम	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
12.	कार्बोफुरान	आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
13.	क्लोरोफेनायर	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
14.	कार्बोसल्फान	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
15.	क्लोरोथेनाइल	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
16.	क्लोरोफाइरेफोस	रणजीत राय चौधरी	उपयोग जारी रखा जाए
17.	डेजोमेट	सी.डी. मायी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
18.	डी.डी.टी.	1. एन.एन. बैनर्जी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
		2. आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
19.	डेल्टामेथाईरिन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
20.	डिजीनन	सी.डी. मायी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए

1	2	3	4
21.	डाईक्लोरोवोस	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
22.	डीपोफोल	1. एन.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
23.	डिफलूबेंजूरोन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
24.	डाईमेथोएट	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
25.	डाइनोकेट	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
26.	डायूरोन	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
27.	एन्डोंसल्फान *	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
		3. ओ.पी. दुबे	उपयोग जारी रखा जाए
		4. सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
28.	एथोफेन प्राक्स	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
29.	फेनप्रोपाथरीन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
30.	फेनारीमोल	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
31.	फेनीट्रोथियन	सी.डी. मायी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
32.	फेनथियोन	सी.डी. मायी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
33.	इप्रोडायोन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
34.	24डी	1. एन.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
35.	कासूगामाइसीन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
36.	लिनूरोन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए

1	2	3	4
37.	लिंडेन	1. एन.एन. बैनर्जी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
38.	मेथोमाईल	1. एच.एन. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
39.	ईथाइल मर्करीकलोराईड	आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
40.	मेधाइल पैराथियन	1. एस.एन. बैनर्जी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
		2. आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी जाए
41.	मेलाथियन	आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
42.	मेंकोजेब	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
43.	नेपीक्वेट क्लोराइड	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
44.	मेटा डी हाईड	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
45.	मोनोकरोटोफास	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
		3. सी.डी. मायी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
46.	आक्सीफ्लोरोफेन	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
47.	पाराक्वेट डाइक्रोराइड	आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
48.	पेंटीमेथालीन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
49.	फोरेट	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. बामी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
50.	फोस्फोमिडोन	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग बंद किया जाए
51.	प्रेटीलाक्लोन	आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
52.	प्रोपागाइट	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
53.	प्रोपीनेब	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए

1	2	3	4
54.	क्वीनाल फोस	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
55.	सोडियम साईनाइट	1. एस.एन. बैनर्जी	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
		2. आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
56.	सल्फोराम	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
57.	थायो-कार्ब	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
58.	थियोमेटोन	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
59.	थाईफेनेट मिथाइल	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
60.	थिरान	आर.बी. सिंह	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
61.	ट्रायाजोफास	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	सीमित उपयोग के लिए अनुमति जारी रखी जाए
62.	ट्राईक्लोरोफोन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
63.	ट्राईडेमोर्स	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. आर.बी. सिंह	उपयोग जारी रखा जाए
64.	ट्राईक्लोरेलिन	सी.डी. मायी	उपयोग जारी रखा जाए
65.	जिंक फास्फाइट	1. एस.एन. बैनर्जी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.बी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
66.	जिनेव	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए
67.	जीराम	1. एच.एल. बामी	उपयोग जारी रखा जाए
		2. के.वी. रमन	उपयोग जारी रखा जाए

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13-5-2011 के अंतरिम आदेश द्वारा आगे के आदेशों तक भारत में उत्पादन, बिक्री और उपयोग के लिए रोक लगा दी गई।

गोदामों को किराए पर लेना

3082. **श्री यशवंत लागुरी:**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोदामों को किराए पर लेने हेतु क्या मानदंड अपनाए हैं;

(ख) क्या एफ.सी.आई. के अधिकारियों द्वारा उक्त मानदंडों का उल्लंघन किए जाने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त मामलों में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक (क्षेत्र)/कार्यकारी निदेशक (अंचल) को आवश्यकतानुसार केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों/प्राइवेट पार्टियों से अल्पकालिक उपयोग के लिए गोदाम किराए पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों से गोदाम सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व निश्चित दरों पर केन्द्रीय भण्डारण निगम के लिए किराए पर लिए जाते हैं।

गोदाम किराए पर लेते समय निम्नलिखित मापदण्डों पर विचार किया जाता है:-

1. गोदाम के ढांचे की उपयुक्तता।
2. परिसर को कब्जे में लेने से पहले पट्टे की शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप देना।
3. देय किराया, भंडारण की उपयुक्तता और रेलवे माल शैड से दूरी।

(ख) से (घ) 2010 के दौरान दुमरांव, भारतीय खाद्य निगम, जिला पटना से अनियमितता के केवल एक मामले की सूचना मिली है और 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

(ङ) गोदामों को किराए पर लेने के बारे में अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा/निरीक्षण के रूप में पर्याप्त एहतियाती उपाय मौजूद हैं।

[अनुवाद]

कपास किसानों को सहायता

3083. श्री डी.बी. चन्द्र गौडा:

श्री अब्दुल रहमान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपास की खेती में लगे किसानों और श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में किसान कपास की अधिक उत्पादन करने के लिए रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप घातक रोगों के शिकार हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में क्या सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में कपास की खेती में लगे हुए किसानों की कुल संख्या दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। बी.टी. कपास बीजों के उपयोग के कारण कपास कृषि में आदानों की लागत की कमी और उच्च लाभ के परिणाम स्वरूप किसानों ने कीटनाशक के उपयोग को अंशतः कम कर दिया है। केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और अनुसार देश में कपास के उगाने वाले कृषक बी.टी. कपास के प्रचालन से पूर्व सकिंग नाशीजीवों और वोलवर्म पर नियंत्रिण के लिए रसायनों के फीवर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं।

(घ) और (ङ) बहुत से अन्य देशों से तुलना करने पर कपास की कम उपज और कम लिन्ट गुणवत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया। टी.एम.सी. वर्ष 2000-2001 से शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य कपास के संबंधी उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के चार मिनी मिशन है। कपास फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मिनी मिशन-II है। मिनी मिशन-II के अंतर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में 15.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

देश में कपास की खेती में लगे हुए
किसानों की राज्यवार कुल संख्या

2009-2010 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	किसानों की कुल संख्या
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	7,58,422
2.	गुजरात	14,00,000
3.	हरियाणा	2,82,300
4.	कर्नाटक	25,000
5.	मध्य प्रदेश	4,78,201
6.	महाराष्ट्र	21,83,833
7.	ओडिशा	65,875
8.	पंजाब	2,43,000
9.	राजस्थान	3,75,000
10.	तमिलनाडु	2,50,000
11.	त्रिपुरा	52,680
12.	उत्तर प्रदेश	35,000
13.	पश्चिम बंगाल	15,000
	कुल	61,64,311

स्रोतः डी.ई.एस. कृषि मंत्रालय

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की उपलब्धता

3084. **श्री धर्मेन्द्र यादवः**

श्री पी. कुमारः

डॉ. भोला सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी आई है और खाद्यान्नों के भंडार में वृद्धि होने के बावजूद भुखमरी की घटनाओं और खुले में खाद्यान्नों के भंडारण के कारण खाद्यान्नों के कथित रूप से बर्बाद हो जाने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों को नष्ट होने से बचाने के लिए निर्धनों को अधिशेष खाद्यान्नों का आवंटन करने और निर्धनों को खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सृजित अतिरिक्त भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में निर्धनों के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) 2006 से 2009 तक के पिछले पांच वर्षों, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान देश में प्रतिवर्ष खाद्यान्नों (चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दाल) की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार हैः-

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोग्राम में)
2006	162.5
2007	161.6
2008	159.2
2009	162.1
2010 (अनन्तिम)	160.1

उपर्युक्त दर्शाई गई खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपुलब्धता राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान के 157 किलोग्राम प्रतिवर्ष की मानक प्रति व्यक्ति अनाज आवश्यकता के साथ पूर्णतः मेल खाती है।

राज्य सरकारों ने भी भुखमरी के कारण मौत होने की कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) से (च) देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि जैसी विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित करती है, जिनके अधीन कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनका आयात करती है।

केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टाक की उपलब्धता पर विचार करते हुए सरकार समय-समय पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के सामान्य आवंटनों के अलावा अतिरिक्त आवंटन करती रही है। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए क्रमशः 36.08 लाख टन, 136.72 लाख टन और 123.69 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन किया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान केंद्रीय भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित भंडारण क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा सृजित अतिरिक्त भंडारण क्षमता

(लाख टन में)

वर्ष	क्षमता
2007-08	2.40
2008-09	0.54
2009-10	0.85
2010-11	1.45
2011-12	2.09
कुल	7.33

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित भंडारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	अंचल/केन्द्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर						
1.	तुमकुर/कर्नाटक	5,000				
2.	डुंगरापाली/ओडिशा			9,170		
3.	लक्षद्वीप					2,500
4.	गुमला/झारखंड					825
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र						
1.	बुअलपई/मिजोरम	4,590				
2.	बदरपुरघाट/असम	5,000				

1	2	3	4	5	6	7
3.	चोंलखोवा/असम	2,500				
4.	हेलाकांडी/असम				5,000	
5.	नंदननगर/त्रिपुरा		2,500			
	सकल जोड़	17,090	2,500	9,170	5,000	3325

[अनुवाद]

टीकों का उत्पादन

3085. **श्री पी. कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आगामी तीन से पांच वर्षों के दौरान 600 से 800 मिलियन टीकों की आवश्यकता की तुलना में वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 300 मिलियन ट्राईवलेंट टीकों का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पशुचिकित्सा संस्थान प्रतिवर्ष 150 मिलियन टीकों के उत्पादन हेतु एक संयंत्र लगाने की योजना बना रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुंहपका और खुरपका रोग (एफ.एम.डी.) टीका आपूर्त करने वाली 4 विनिर्माण फर्म हैं जो ट्राईवलेंट मुंहपका और खुरपका रोग के टीके के उत्पादन में संलग्न हैं और उनकी अद्यतन प्रक्षेपित उत्पादन क्षमता करीब 395 मिलियन खुराक प्रतिवर्ष है। देश में गोपशु और भैंसों की संख्या करीब 304 मिलियन है। अत: यदि आगामी वर्षों में केवल गोपशु और भैंसों को मुंहपका और खुरपका रोग टीके के लिए कवर किया जाना है, तो 6 माह के अंतराल पर टीकाकरण के दो चक्र प्रतिवर्ष चलाने के लिए करीब 610 मिलियन खुराकों की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान अपने बैंगलोर स्थित कैंपस में भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार पी.पी.पी. मोड के तहत बैंगलोर केन्द्र येलाहंका कैंपस में ट्राईवलेंट एफ.एम.डी. टीके के करीब 100-150 मिलियन खुराकों को उत्पादित करने के लिए एक टीका संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह प्रस्ताव क्रियान्वयन के लिए आई.सी.ए.आर. के सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति

3086. **श्री पिनाकी मिश्रा:**
श्री एम.बी. राजेश:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एक चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य से आवंटित, जारी तथा उपयोग की गयी धनराशि राज्य-वार क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति सुविधाएं प्रदान करने में होने वाली कठिनाई को दूर करने में सरकार द्वारा किए गए प्रयास तथा अब तक हासिल उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को अभी

अंतिम रूप दिया जाना है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपयोग हेतु अनुमोदित लागत और वचनबद्ध/जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का जे.एन.एन.यु.आर.एम. के.यू.आई.जी. के अंतर्गत जलापूर्ति के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ट्रेन्च-I के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और जारी निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। सिक्किम समेत एन.ई.आर. के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान स्कीम और सात मैगा शहरों के पास स्थित सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत/जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

चालु वर्ष और विगत वर्ष के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के तहत अनुमोदित जलापूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य के नाम		2008-09				2009-10		
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत लागत	वचनबद्ध एसीए	मिशन अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं समेत उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए.।	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	वचनबद्ध एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश		2	23811.48	11905.74	8563.20	1	31426.00	9000.00
अरूणाचल प्रदेश			0.00	0.00	0.00	0		0.00
असम			0.00	0.00	6321.15	0		0.00
बिहार		5	56735.86	29374.65	1811.14	0		0.00
चंडीगढ़				0.00	405.20	0	13421.00	10738.8
छत्तीसगढ़				0.00	0.00	0		0.00
दिल्ली				0.00	0.00	0		0.00
गोवा				0.00	0.00	0		0.00
गुजरात		2	23797.67	11974.00	7871.78	2	18849.14	9000.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा		1	49349.00	24674.50	6168.61	0		0.00
हिमाचल प्रदेश		1	7236.00	5788.8	0.00	0		0.00
जम्मु और कश्मीर		1	12100.00	10000	2500.00	0		0.00
झारखंड		2	65424.15	41363.97	6682.46	0		0.00
कर्णाटक				0.00	2224.74	0		0.00
केरल				0.00	0.00	0		0.00
मध्य प्रदेश		2	42951.64	21475.82	9493.01	0		0.00
महाराष्ट्र		7	153144.34	66119.76	29750.89	0		0.00
मणिपुर				0.00	0.00	0		0.00
मेघालय		1	19349.72	17414.75	4353.69	0		0.00
मिजोरम				0.00	0.00	0		0.00
नागालैंड				0.00	0.00	0		0.00
ओडिशा		1	16690.00	13352.00	3338.00	0		0.00
पंजाब				0.00	0.00	1	4578.00	2289.00
पुडुचेरी				0.00	0.00	0		0.00
राजस्थान				0.00	10877.45	0		0.00
सिक्किम				0.00	0.00	1	7261.66	6535.49
तमिलनाडु		5	67682.06	27591.68	7351.93	0		0.00
त्रिपुरा		1	7826.00	7043.4	1760.85	0		0.00
उत्तर प्रदेश		4	76960.74	38639.71	15465.50	1	20916.00	9000
उत्तराखंड				0.00	942.86	0		0.00
पश्चिम बंगाल		5	82110.83	28738.79	14101.45	6	87796.46	34636.56
कुल		40	705169.49	355457.57	139983.91	13	184248.26	81200.29

(लाख रुपये में)

राज्यों के नाम	2010-11								
	मिशन अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं समेत उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए.।	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत लागत	वचनबद्ध एसी.ए.	मिशन अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं समेत उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए.।	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत लागत	वचनबद्ध ए.सी.ए.	मिशन अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं समेत उपयोग हेतु जारी ए.सी.ए.।
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	7481.78	0		0.00	7339.10	1	8349.00	4174.50	7932.65
अरुणाचल प्रदेश	1738.20	0		0.00	0.00			0.00	1042.92
असम	6321.15	0		0.00	3792.54			0.00	6321.15
बिहार	5522.52	0		0.00	0.00			0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0		0.00	734.52			0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1145.60	0		0.00	3643.68			0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0		0.00	0.00			0.00	0.00
गोवा	0.00			0.00	0.00	1	7121.83	5697.46	0.00
गुजरात	9735.60	1	2631.04	2104.84	814.14			0.00	9105.27
हरियाणा	0.00	0		0.00	3701.16			0.00	6168.63
हिमाचल प्रदेश	1447.20	0		0.00	0.00			0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0		0.00	0.00			0.00	3502.99
झारखंड	3658.53	0		0.00	0.00			0.00	6204.58
कर्नाटक	4109.86	0		0.00	1450.53	1	330.00	264.00	4510.98
केरल	1743.20	0		0.00	0.00			0.00	5069.33
मध्य प्रदेश	4598.02	0		0.00	908.75			0.00	7029.72

1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	31083.43	0		0.00	12804.99			0.00	36286.50
मणिपुर	0.00	0		0.00	0.00			0.00	0.00
मेघालय	0.00	0		0.00	0.00			0.00	6965.90
मिजोरम	756.82	0		0.00	0.00			0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0		0.00	0.00			0.00	0.00
ओडिशा	0.00	0		0.00	0.00			0.00	0.00
पंजाब	572.25	0		0.00	0.00			0.00	0.00
पुडुचेरी	0.00	0		0.00	0.00			0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0		0.00	0.00			0.00	1997.04
सिक्किम	1663.87	0		0.00	0.00			0.00	950.32
तमिलनाडु	10425.04	0		0.00	7470.58			0.00	13778.73
त्रिपुरा	0.00	0		0.00	0.00			0.00	1056.51
उत्तर प्रदेश	25704.23	0		0.00	12523.65			0.00	23031.62
उत्तराखंड	4824.24	0		0.00	0.00			0.00	1480.09
पश्चिमी बंगाल	17219.80	1	24602.3	8610.81	4927.88	3	76510.00	26778.50	14514.66
कुल	150751.34	2	27233.34	10715.65	55111.52	6	92310.83	36914.46	156949.59

विवरण-II

स्कीम का विवरण

शहरी विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) का कार्यान्वयन एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) की वित्तीय सहायता से कर रहा है जिसमें 5 पूर्वोत्तर क्षेत्र यथा अगरतला (त्रिपुरा), आई.जोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) और शिलांग (मेघालय) शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र की निष्पादित जलापूर्ति परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं।

क्र.सं.	शहर/राज्य	जल आपूर्ति परियोजनाएं	
		ट्रंच-I (स्वीकृत और निष्पादित की जारी)	ट्रंच-II (2010-2013)
1.	अगतला (त्रिपुरा)	जल आपूर्ति, (6.44 करोड़)	जल आपूर्ति, (111.2 करोड़)
2.	आईजोल (मिजोरम)	जल आपूर्ति, (11.24 करोड़)	जल आपूर्ति, (62.7 करोड़)
3.	गंगटोक (सिक्किम)	जल आपूर्ति, (23.20 करोड़)	जल आपूर्ति, (37.8 करोड़)
4.	कोहिमा (नागालैंड)	जल आपूर्ति, (6.02 करोड़)	जल आपूर्ति, (57.0 करोड़)

ट्रेन्च-I के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष और विगत तीन वर्ष के दौरान आबंटित और जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

राज्य/शहर	ट्रन्च-I के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजहनाओं के लिए आबंटित निधि	निम्न के दौरान जारी और उपयोग की गई निधियां			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अगतला (त्रिपुरा)	6.44	शून्य	शून्य	0.82	शून्य
आईजोल (मिजोरम)	11.24	शून्य	3.28	3.86	शून्य
गंगटोक (सिक्किम)	23.20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोहिमा (नागालैंड)	6.02	शून्य	शून्य	2.62	शून्य

विवरण-III

सात मेगा शहरों के पास स्थित सैटेलाईट कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम और सिक्किम समेत एन.ई.आर. के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम के तहत संस्वीकृत एवं जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

राज्य	शहर	परियोजना लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	उपयोग लाख रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम समेत एन.ई.आर. के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान स्कीम*							
अरुणाचल प्रदेश	लौंगडिंग	2240.45	शून्य	201.64	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	मयांग	2319.21	शून्य	118.03	90.70	शून्य	शून्य
	सहिहा	2070.20	शून्य	186.31	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	तलाबुंग	441.00	शून्य	39.69	शून्य	शून्य	शून्य
	ख्वाजवाल	2497.00	शून्य	शून्य	224.73	शून्य	शून्य
	सौरेंग कस्बा	815.29	244.59	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सिक्किम	चाकुंग कस्बा	1018.53	305.56	शून्य	305.56	शून्य	305.56
	रावगंला बाजार	449.52	134.86	शून्य	134.86	शून्य	134.86
सात मेगा शहरों कें पास स्थित सैटेलाईट कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम*							
उत्तर प्रदेश	पिलखुआ	2167.55	500	411.35	411.35	शून्य	911.35
हरियाणा	सोनीपत	6958.00	शून्य	862.44	529.16	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	विकराबाद	7009.86	शून्य	1402.00	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	सानंद	3320.86	शून्य	664.17	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	श्रीपेरम्बडुर	4071.00	शून्य	शून्य	814.20	शून्य	शून्य

* 2008-2009- कोई जल परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

कृषि गत योजना का वृहत प्रबंधन

3087. **श्री प्रेमदास राय:**

श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा व्यापक कृषि योजना प्रबंधन के अंतर्गत कृषि के विकास हेतु बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं अवधि के दौरान उक्त योजना के लिए राज्य-वार एवं वर्ष-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान यह योजना राज्य-वार एवं वर्ष-वार किस हद तक अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त कर पायी है;

(घ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत किसी आबंटन का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) से (ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को आबंटित निधियों और उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वृहत कृषि प्रबंधन अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के दौरान आबंटन/निर्मुक्ति और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	5200.00	4843.12	3384.12	6535.00	3428.72	8430.56	6535.00	6253.22	3559.23
अरुणाचल प्रदेश	2650.00	2650.00	2527.02	2050.00	2050.00.	2275.68	2050.00	2250.00	2070.93
असम	2050.00	1594.84	1629.64	1626.00	812.50	812.50	1625.00	812.50	
बिहार	2400.00	3042.14	2184.62	3900.00	4593.03	4614.76	3900.00	3814.75	4279.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	2350.00	2455.48	2461.09	2170.00	2170.00	2137.27	2170.00	2170.00	2258.99
गोवा	300.00	432.63	304.75	100.00	140.00	317.01	100.00	100.00	100.87
गुजरात	4350.00	5771.88	5382.86	3645.00	5045.00	4664.65	3645.00	3830.30	3650.73
हरियाणा	2250.00	2250.00	2323.11	1690.00	2300.00	2277.85	1690.00	2690.00	2685.78
हिमाचल प्रदेश	2300.00	2214.88	2259.09	2000.00	2585.09	2766.47	2000.00	2000.00	1925.95
जम्मू और कश्मीर	4240.00	2554.04	2790.13	3880.00	3025.35	3555.91	3660.00	3090.50	2989.233
झारखंड	1700.00	850.00	479.80	1065.00	532.50	944.76	1065.00	876.48	817.83
कर्नाटक	7010.00	7348.88	7165.66	5025.00	4885.43	5550.34	5025.00	5025.00	5031.32
केरल	3450.00	1725.00	2041.01	1275.00	907.50	2301.81	1275.00	1275.00	1173.13
मध्य प्रदेश	6500.00	4789.92	8194.85	6285.00	5834.84	6822.08	5285.00	8170.58	6674.70
महाराष्ट्र	12450.00	12034.63	11681.85	9275.00	10313.09	11822.50	9275.00	9275.00	8639.29
मणिपुर	2650.00	3309.25	3309.25	2050.00	2050.00	2050.00	2050.00	2350.00	2350.00
मिजोरम	3000.00	3000.00	2764.28	2325.00	2716.28	2380.00	2325.00	1801.63	1424.79
मेघालय	1850.00	925.00	1062.23	1425.00	1425.00	1424.88	1425.00	1425.00	2476.63
नागालैंड	3000.00	2384.00	2384.00	2325.00	2328.00	2325.00	2325.00	2475.00	2475.00
ओडिशा	3300.00	3736.11	3745.25	3280.00	4380.00	3308.38	3280.00	2353.63	3389.32
पंजाब	1300.00	650.00	1571.54	1750.00	1750.00	1278.23	1760.00	1875.00	1707.23
राजस्थान	8600.00	7835.42	5358.56	5750.00	3775.00,	6421.42	5750.00	4781.41	5918.87
सिक्किम	2400.00	2335.46	2365.48	1850.00	1850.00	1785.08	1850.00	1745.54	1948.58
तमिलनाडु	5450.00	6662.51	6298.8	3460.00	4270.00	3746.16	3460.00	2935.04	2957.55
त्रिपुरा	2400.00	1444.80	2539.07	1850.00	1850.00	1095.03	1850.00	1080.28	1875.48
उत्तर प्रदेश	8100.00	7153.27	7528.24	11375.00	10893.24	11723.06	11310.00	12060.00	12812.70
उत्तरा खंड	2650.00	2353.87	2881.35	2300.00	2300.00	2211.39	2300.00	2236.34	2428.16
पश्चिमी बंगाल	3500.00	3364.21	2985.30	4425.00	3811.30	3985.18	4425.00	5077.68	3936.80
कुल	107400.00	99509.61	96865.33	94465.00	91999.67	100927.54	84400.00	911839.92	91393.853

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	2010-11			2011-12		
	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	6307.19	3676.390	5027.47	5335.59	5335.591	4421.100
अरुणाचल प्रदेश	3021.00	3221.000	3201.18	1722.10	2022.500	152.570
असम	2337.00	1168.500		1332.50		
बिहार	3857.43	3305.400	3470.98	3263.25	3263.250	2553.050
छत्तीसगढ़	2081.71	2081.710	2069.36	1761.03	1761.030	654.540
गोवा	45.51	45.510	45.68	31.50	38.500	19.250
गुजरात	3657.56	3919.130	4229.07	3094.12	4188.120	1703.750
हरियाणा	1608.04	1334.410	1305.05	1360.33	1360.330	493.120
हिमाचल प्रदेश	2015.79	2290.790	2330.14	1705.26	1705.260	638.410
जम्मू और कश्मीर	3716.06	1582.730	1238.67	3143.61	2501.710	408.929
झारखंड	1076.45	857.380	1063.756	910.63	1097.933	803.940
कर्नाटक	4789.57	4789.570	4833.81	4081.75	4051.710	1786.930
केरल	1183.85	1183.850	1287.73	1001.48	1001.480	512.180
मध्य प्रदेश	6165.40	6815.400	6945.49	5215.54	5315.640	4457.750
महाराष्ट्र	8910.17	10910.170	11490.17	7537.59	8100.537	8205.360
मणिपुर	3021.00	4721.000	4721.00	1722.50	2072.500	2072.900
मिजोरम	3420.00	4009.250	4129.25	1202.50	1617.500	1502.500
मेघालय	2109.00	2109.000	1054.50	1950.00	1950.000	975.000
नागालैंड	3420.00	3671.000	3671.00	1950.00	2200.000	975.000
ओडिशा	3199.44	3873.890	3571.06	2706.58	2706.580	1052.100
पंजाब	1827.27	813.635	1533.07	1376.59	688.295	
राजस्थान	5585.15	5855.150	5470.99	4724.77	4724.770	1787.870
सिक्किम	2736.00	2838.000	2547.23	1560.00	1517.050	947.560
तमिलनाडु	3283.01	4605.010	4581.23	2777.27	3777.270	1457.880

1	11	12	13	14	15	16
त्रिपुरा	2736.00	3625.650	3681.36	1550.00	1560.000	615.150
उत्तर प्रदेश	10879.01	10129.010	10138.25	9203.14	9203.140	4319.140
उत्तराचल	2322.54	2322.540	2199.20	1964.76	1964.760	
पश्चिमी बंगाल	4288.79	3844.340	1917.07	3628.11	1814.055	
कुल	99526.00	99464.398	98106.98	77800.00	77799.551	41016.079

प्राण घातक रोगों का प्रसार

3088. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में पशुधन जनसंख्या में बर्ड फ्लू जैसे प्राण घातक रोग फैलने की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप मारे गए पक्षियों/पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) इन रोगों के प्रसार रोकने में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसे प्राण घातक रोगों के प्रसार रोकने तथा पशुधन को बेहतर करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) अब तक देश में पशुधन में बर्ड फ्लू के प्रकोप की सुचना प्राप्त नहीं हुई है। बर्ड फ्लू का प्रकोप पिछले एक वर्ष के दौरान असम पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में कुकुट में पाया गया है। नियंत्रण एवं रोकथाम प्रचालन के दौरान कुल 1.63 लाख पक्षी मारे गए थे। अंतिम बार प्रकोप होने तक मुआवजा के रूप में 68.43 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नियंत्रण एवं रोकथाम उपायों को तत्काल आरम्भ किए गए थे और रोग और आगे फैलने से रोकते हुए सभी प्रकोपों को स्रोत स्थल में रोक दिया गया था।

(घ) विभाग के पास बर्ड फ्लू के निवारण, नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए एक कार्य योजना है। राज्यों को कार्ययोजना के अनुसार रोग पर निगरानी रखने और प्रकोप की स्थिति में रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्रवाई करने की सलाह निरंतर रूप से दी जाती है। मानव शक्ति के लिए क्षमता निर्माण, नैदानिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और रोग के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान पर बल दिया गया है। 12वीं योजना में भी इन्हीं प्रयासों को जारी रखना प्रस्तावित है।

विवरण

विगत एक वर्ष के दौरान बर्ड फ्लू का प्रकोप

क्र.सं.	अवधि	प्रभावित राज्य	प्रकोप के केन्द्रों की संख्या	मारे गए पक्षियों की संख्या	दिया गया मुआवजा
1	2	3	4	5	6
1.	8 सितंबर, 2011	असम	1	0.15	6.52
2.	19 सितंबर, 2011	पश्चिमी बंगाल	2	0.49	19.29

1	2	3	4	5	6
3.	11 जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.32	24.71
4.	13 जनवरी, 2012	मेघालय	1	0.07	7.89
5.	17 जनवरी, 2012	ओडीशा	1	0.11	5.87
6.	28 जनवरी, 2012	त्रिपुरा	1	0.06	1.20
7.	4 फरवारी, 2012	ओड़िशा	1	0.38	2.86
8.	15 मार्च, 2012	त्रिपुरा	1	0.05	0.09
	कुल		9	1.63	68.43

डिजिटल केबल टेलिविजन प्रणाली

3089. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 के अनुसार देश में केबल टेलीविजन सेवाओं का डिजीटलीकरण अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में डिजीटल एड्रेसेबल केबल सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में उक्त केबल प्रणाली के क्रियान्वयन के पूर्व केबल आपरेटरों तथा प्रसारणकर्ताओं के साथ अंतर्सपर्क तथा प्रशुल्क संरचना, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण, सेवा मानकों तथा कैटेज शुल्क संबंधी मुद्दों का समाधान कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केबल आपरेटरों एवं प्रसारणकर्ताओं के मुद्रास्फीति प्रशुल्क संरचना पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या महानगरों से केबल टेलीविजन नेटवर्कों की चरणबद्ध समाप्ति के संबंध में टेलीविजन दर्शकों में जागरूकता की कमी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) केबंल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 की धारा 4क (1) के अनुसार, प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए इनक्रिप्टिड रूप में किसी भी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुन: प्रसारण करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने दिनांक 11.11.2011 की अधिसूचना के तहत केबल टी.वी. सेवाओं में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए अंतिम तारीखें अधिसूचित की हैं जिसके फलस्वरूप 31 दिसबंर, 2014 तक ऐनलॉग सेवाओं का पूरी तरह से अंतरण हो जाएगा। डिजिटलीकरण की संपूर्ण लागत को निजी क्षेत्र द्वार वहन किया जाना होगा और इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) गैर-संबोधनीय केबल टी.वी. प्रणाली से डिजिटलीकृत केबल टी.वी. प्रणाली में सुचारू अंतरिण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उद्योग के स्टेकहोल्डरों के परामर्श से उन मुद्दों को अभिज्ञात किया है जिनका एक विनियामक पद्धति के जरिए निदान किए जाने की आवश्यकता है। इन मुद्दों के संबंध में "डिजिटल संबोधनीय केबल टी.वी. प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे" नामक एक परामर्श-पत्र दिनांक 22.12.2011 को जारी किया गया। टिप्पणियां/विचार/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात स्टेकहोल्डरों

के साथ दिनांक 13.03.2012 को एक उन्मुक्त चर्चा बैठक (ओ.एच.डी.) का भी आयोजन किया गया। स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों/विचारों और उनके विश्लेषण के आधार पर डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लिए प्रशुल्क/इंटरकनेक्शन व सेवा-गुणवत्ता के पहलुओं पर विनियामक प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने निर्धारित तारीखों से किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने और साथ ही, उनके सरोकारों का निदान करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से एक सूचना एवं जन-जागरण अभियान शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 05.02.2012 को भारत के सभी मुख्य दैनिकों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। एक टॉल फ्री दूरभाष सं. 180001804343 को कार्यशील बनाया गया है जोकि अधिकांशत: जनता के विभिन्न प्रश्नों का निदान करने और उनका स्पष्टीकरण करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर प्रात : 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य करता है। जनता के सरोकरों से संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं का निदान करने के लिए एक अंतर-क्रियात्मक मंच मुहैया कराने के उद्देश्य से एक फेसबुक अकाउंट - www.facebook.com/DigitalIndia MIB - स्थापित किया गया है। इस विषय पर (www.Digitalindiamib.com) नामक एक वैबसाइट को भी कार्यशील बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो जिंगल्स व टेलीविजन स्पॉट्स का भी सृजन किया है।

[हिन्दी]

सब्जियों और फलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

3090. **श्री आर.के. सिंह पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सब्जियों और फलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत, उन जिंसों को शामिल किया जाता है जो अधिकांशत: खाद्य/पौषाहार सुरक्षा के लिए अपेक्षित उचित लम्बे सेल्फ लाईफ के साथ अखिल भारतीय स्तर के सामूहिक उपभोक्ताओं के लिए सामग्री है। सरकार बागवानी जिंसों के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) क्रियान्वित करती है। बम्पर फसल की स्थिति में कम बिक्री से बागवानी जिंसों के उत्पादकों की रक्षा करने के उद्देश्य से, बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन उस राज्य सरकार के अनुरोध पर एक विशेष जिंस के लिए किया जाता है जो इसके क्रियान्वयन में, 50 प्रतिशत की हानि (पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति में 25 प्रतिशत), यदि कोई है, का वहन करने को तैयार है।

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

3091. **श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आहूत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एम.सी.टी.सी.) के गठन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 16.04.2012 को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था:-

(i) देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति;

(ii) पुलिस सुधार और क्षमता निर्माण;

(iii) आसूचना विंगों का सुदृढ़ीकरण;

(iv) आर्थिक अपराध (विशेष रूप से एफ.आई.सी.एन.);

(v) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.);

(vi) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना का

विस्तार और डी.एस.जी.पी. को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि करना;

(vii) तटीय सुरक्षा;

(viii) सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दे;

(ix) वामपंथी उग्रवाद (नक्सल) संबंधी मुद्दे;

(x) सीमा सुरक्षा बल संशोधन विधेयक, 2012;

(ग) और (घ) जी, नहीं।

असंरक्षित स्मारकों का आकलन

3092. **डॉ. सुचारू रंजन हलधर:**

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

श्री वरूण गांधी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में असंरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में ऐसे असंरक्षित स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके टूटने-फूटने एवं बंदरंग होने की खबर है;

(घ) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में किसी असंरक्षित स्मारक की पहचान सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई क्या है; और

(च) देश में उक्त असंरक्षित स्मारकों के पुनरूद्धार तथा रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन का आरंभ सहायक स्रोतों से निर्मित विरासत और स्थलों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। मिशन का अनुमोदन 2007-2012 तक की अवधि के लिए किया गया था।

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन द्वारा संकलित असंरक्षित स्मारकों और स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश में विध्वस्त/विकृत सूचित किए गए असंरक्षित स्मारकों का कोई डाटाबेस नहीं है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहचान किए गए असंरक्षित स्मारक की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) सरकार का विरासत स्थल संबंधी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के लिए नया विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकार को विरासत स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन के संबंध में लघु और दीर्घावधिक नीतियों की सिफारिश करेगा।

विवरण-I

भारत में असंरक्षित स्मारकों और स्थलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2379
2.	अंडमान और निकोबार	73
3.	असम	89
4.	अरुणाचल प्रदेश	22
5.	बिहार और झारखंड	2330
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	10
7.	छत्तीसगढ़	718
8.	दादरा और नगर हवेली	16
9.	दिल्ली	1245
10.	दीव	290
11.	गोवा	1491
12.	गुजरात	3179

1	2	3
13.	हरियाणा	4355
14.	हिमाचल प्रदेश	1557
15.	जम्मू और कश्मीर	5187
16.	कर्णाटक	3598
17.	केरल	1058
18.	मध्य प्रदेश	3440
19.	महाराष्ट्र	3201
20.	मणिपुर	65
21.	मिजोरम	39
22.	मेघालय	47
23.	नागालैंड	07
24.	ओडिशा	7439
25.	पंजाब	2309
26.	राजस्थान	9717
27.	सिक्किम	305
28.	तमिलनाडु और पुडुचेरी	6812
29.	त्रिपुरा	388
30.	उत्तराखंड	1635
31.	उत्तर प्रदेश	7193
32.	पश्चिम बंगाल	5025
	योग	75,307

विवरण-II

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार करने हेतु पहचान किए गए स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य
1.	उत्खनित स्थल, श्रृंगवेरपुरा, जिला इलाहाबाद*	उत्तर प्रदेश
2.	नौसेरी बानू मस्जिद और चौक मज्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
3.	पुरातत्वीय स्थल (सकीसेना टीला), मोगलबाड़ी, जिला पश्चिम मेदिनापुर	पश्चिमी बंगाल
4.	ख्वाजा अनवर बेर (नवाब बाड़ी), जिला बर्धमान	पश्चिम बंगाल
5.	बृंदावन चंन्द्र मंदिर और राधा दामोदर मंदिर, जिला बांकुरा	पश्चिम बंगाल

* परिरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

[हिन्दी]

विज्ञापन के लिए निर्धारित समय

3093. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री अर्जुन राय:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टीवी चैनलों के सीरियलों तथा अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान विज्ञापनों को दिखाने के लिए कोई दिशानिर्देश/नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त नियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन दिखाने के लिए समयावधि सीमित करने का प्रस्ताव तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में किसी हलके से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी टीवी चैनलों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों/नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में निर्धारित विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है जिसमें ऐसे टीवी चैनलों द्वारा कड़ाई से अनुसरित किए जाने वाले समस्त सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं। सरकार ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसे टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों व विज्ञापनों की निगरानी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ई.एम.एम.सी.) की स्थापना की है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने हेतु विज्ञापनों की अवधि व फॉर्मेट का विनियमन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रवर्तित करते हुए हाल ही में दिनांक 16-03-2012 को "टी.वी. चैनलों में विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है।

(ङ) और (च) ट्राई के पूर्वोक्त परामर्श-पत्र के संबंध में इस मंत्रालय में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस समय, ट्राई के पत्र पर केवल परामर्श की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक ट्राई द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि स्नातक

3094. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने आकलन और प्रारूप नीति में सुझाव दिया है कि आगामी दशक के दौरान देश मे कृषि स्नातकों की संख्या दुगुनी करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में कृषि स्नातकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) भा.कृ.अ.प. ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एन.ए.आई.पी.) द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में मानव पूंजी आवश्यकताओं का आकलन किया है। अध्ययन में कृषि के विभिन्न विषयों में यू.जी., पी.जी. तथा पी.एच.डी छात्रों की वार्षिक मांग 2010 के वर्तमान 23789 से वर्ष 2020 में 53,630 तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

(ग) इस अध्ययन में शिक्षा नियोजन, अपेक्षित कुशलता और प्रक्रिया-विधि तथा वित्तीय सहायता एवं नीति संबंधी हस्तक्षेप के बारे में सुझाव दिया है।

(घ) "भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास" नामक एक योजना स्कीम के माध्यम से कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं प्रोत्साहन तथा गुणवत्ता प्रसार के लिए जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं इनसे राज्य सरकारों द्वारा स्थापित समस्त कृषि विश्वविद्यालयों को मदद मिलेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का यमुना क्रीड़ा परिसर

3095. **श्री अनन्त गंगाराम गीते:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के यमुना क्रीड़ा परिसर में शाम में सामान्य कोचिंग घंटों में अनधिकृत निजी टेनिस कोचिंग चलाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या डी.डी.ए. यमुना क्रीड़ा परिसर ने किसी एकेडमी विशेष को टेनिस कोर्ट किराए पर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए निबंधन एवं शर्तें क्या है;

(ङ) क्या टेनिस एकेडमी द्वारा चलाए जाने वाले अभ्यास क्षेत्रों के कारण डी.डी.ए. यमुना क्रिड़ा परिसर के नियमित सदस्य टेनिस कोर्ट में खेलने से वंचित रह जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) **जी**, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि किसी भी अकादमी को कोई भी टेनिस कोर्ट किराए पर नहीं दिया गया है। तथापि, पेनिनसुला अकादमी को अकादमी और स्पोर्टस काम्पलेक्स के मध्य क्रमश: 60:40 के अनुपात के आधार पर राजस्व-हिस्सेदारी पर टेनिस कोचिंग के लिए तीन टेनिस कोर्ट आबंटित किए गए हैं। सायं 4.30 से 6.30 तक की अवधि में नियमित कोंचिग दी जाती है और सुबह 6.00 से 9.00 तथा सांय 4.00 से 7.30 की अवधि में उच्च स्तर की कोंचिग दी जाती है।

(ङ) और (च) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि पेनिनसुला टेनिस अकादमी कोंचिग के लिए केवल तीन टेनिस कोर्ट आबंटित किए गए है। रिपोर्ट काम्पलैक्स नियमित सदस्य काम्पलैक्स के शेष 7 कोर्टों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित सदस्य पेनिनसुला टेनिस अकादमी को आबंटित कोर्ट का भी उसके निर्धारित कोंचिग समय के पूर्व और उसके बाद उपयोग कर सकते हैं।

तटीय सुरक्षा के लिए प्रस्ताव

3096. **श्री सी.आर. पाटिल:**

श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत गुजरात एवं केरल सहित तटवर्ती राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों को इस संबंध में दिए गए अनुमोदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत ऊंट निगरानी प्रणाली, वाच टावर आदि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, तटीय पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों, बैरकों आदि के निर्माण और वाहनों की खरीद सहित अवसंरचना के सृजन के लिए निधियां जारी करने हेतु तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी निधियों के लिए प्रदान की गई मंजूरी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (19.04.12 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	42.60	शून्य	643.40	शून्य
2.	महाराष्ट्र	231.80	शून्य	243.00	शून्य
3.	गोवा	37.05	शून्य	75.80	शून्य

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	238.80	शून्य
5.	केरल	237.40	शून्य	400.00	शून्य
6.	तमिलनाडु	161.00	शून्य	945.00	शून्य
7.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	97.10	शून्य
8.	ओडिशा	182.38	शून्य	95.22	शून्य
9.	पश्चिम बंगाल	157.50	शून्य	200.00	शून्य
10.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	50.11	शून्य
11.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	49.19	शून्य
12.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	98.00	शून्य
13.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	26.11	1502.00	शून्य

(ग) और (घ) तटीय सुरक्षा योजना के तहत ऊंट गश्त प्रणाली, निगरानी टॉवर से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

यूनेस्को विश्व विरासत सूची

3097. श्री तूफानी सरोज:

श्री पन्ना लाल पुनिया:

श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए भारतीय स्मारकों/स्थलों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त स्मारकों/स्थलों के रख-रखाव तथा स्तर बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान अजंता तथा एलोरा की गुफाओं सहित उक्त स्थलों पर आगंतुकों/पर्यटकों की आवक का स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्मारकों/स्थलों के राज्य-वार नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विश्व विरासत स्मारकों/स्थलों सहित स्मारकों के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय/आबंटन
2009-10	रु. 15300.43
2010-11	रु. 15649.50
2011-12	रु. 13389.88
2012-13 (आबंटन)	रु. 14135.00

(ग) अजंता और एलोरा सहित विश्व विरासत स्थलों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आगन्तुकों/पर्यटकों के आगमन और उससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

भारत में विश्व विरासत स्थल

सांस्कृतिक स्थल (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन)

क्र. सं.	स्थल का नाम	राज्य
1.	अजंता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताज महल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	ओडिशा
6.	महाबलिपुरम स्थित स्मारक समूह (1984)	तमिलनाडु
7.	गोवा के चर्च और कोन्वेंट्स (1986)	गोवा
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टदकल (1987)	कर्नाटक
12.	ऐलिफेंटा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र
13.	विशाल जीवंत चोल मंदिर, तंजावुर, गंगैकोंडाचोलापुरम और दारासुरम (1987 और 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली (1993)	दिल्ली
17.	भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (2003)	मध्य प्रदेश
18.	चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय पार्क (2004)	गुजरात
19.	लाल किला परिसर, दिल्ली (2007)	दिल्ली
(रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन)		
20.	भारतीय पर्वतीय रेलवे (दार्जिलिंग (1999), नीलगिरी (2005), कालका शिमला (2008)	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश

क्र. सं.	स्थल का नाम	राज्य
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पहले विक्टोरिया टर्मिनस) (2004)	महाराष्ट्र
(बौद्धगया मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षणाधीन)		
22.	महाबोधि मंदिर, बौद्धगया (2002)	बिहार
(राजस्थान राज्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के संरक्षणाधीन)		
23.	जंतर-मंतर, जयपुर (2010)	राजस्थान
(प्राकृतिक स्थल (पर्यावरण और वन मंत्रालय के संरक्षणाधीन)		
1.	काजीरंगा नेशनल पार्क (1985)	असम
2.	मानस वन्य जीवाअभयागणन्य (1985)	असम
3.	केवलादेव (1985)	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)	पश्चिम बंगाल
5.	नंदादेवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तराखंड

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जनवरी) में केन्द्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों पर प्रवेश शुल्क से अर्जित राजस्व डाटा

क्र.सं.	स्मारक का नाम	2009-10 (रुपयों में)	2010-11 (रुपयों में)	2011-12 (अप्रैल से जनवरी) (रुपयों में)
1	2	3	4	5
आगरा मण्डल				
1.	ताजमहल, आगरा	171764850	198130470	166292600
2.	आगरा किला, आगरा	110228510	105768160	68108930
3.	फतेहपुर सीकरी	47854660	57540130	47580180
4.	अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा	5543490	14334540	6601255
5.	मरियम का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा	71800	127205	109880

1	2	3	4	5
6.	इतिमद-उद-दौला, आगरा	4702380	6397835	5546385
7.	रामबाग, आगरा	155220	131805	397295
8.	मेहताब बाग, आगरा	842210	1784540	1974825
	योग	**341163120**	**384214685**	**296611350**
औरंगाबाद मण्डल				
9.	अजन्ता गुफाएं	10422980	10884050	8916770
10.	एलोरा गुफाएं	15980830	19925070	17693410
11.	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद	6723005	6950970	6438490
12.	दौलताबाद किला, औरंगाबाद	2992505	3771100	3463490
13.	पाण्डुलेणा गुफाएं	694005	783360	878820
14.	औरंगाबाद गुफाएं, औरंगाबाद	399325	431540	373975
	योग	**37212650**	**42746090**	**37764955**
बंगलौर मण्डल				
15.	विश्व विरासत स्थल, हम्पी	12421560	13463950	10669867
16.	दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना	6264925	7068130	6169579
17.	केशव मंदिर सोमनाथपुर	2019845	1904420	3431423
18.	टीपू सुल्तान, बंगलौर	890985	1313440	1170907
19.	चित्रदुर्ग किला, चित्रदुर्ग	1333895	1645955	1662055
20.	बेल्लारी किला, बेल्लारी	34175	34625	31320
	योग	**22965385**	**25430520**	**23135151**
भोपाल मण्डल				
21.	बौद्ध गुफाएं, बाघ	121260	109970	72365
22.	किले में महल, बुरहानपुर	358345	262630	232880
23.	भोजशाला और कमलमौला की मस्जिद, धार	15215	14384	10069

1	2	3	4	5
24.	होशंगशाह का मकबरा, मांडू	990640	1043490	906385
25.	शाही महल, मांडू	1535365	1584030	1401870
26.	रूपमती मण्डप, मांडू	1561390	1708790	1453010
27.	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो	22700110	25899180	20600990
28.	बौद्ध स्मारक, सांची	3389530	3750620	2844940
29.	ग्वालियर किला, ग्वालियर	2408335	2598615	2203975
	योग	**33080190**	**36971709**	**29726484**
भुवनेश्वर मण्डल				
30.	सूर्य मंदिर, कोर्णाक	20798670	24672700	19711590
31.	उदयगिरी एवं खण्डगिरी स्थल, भुवनेश्वर	2233745	2702255	2057000
32.	राजारानी मंदिर, भुवनेश्वर	329165	336680	276460
33.	रत्नागिरी स्मारक, भुवनेश्वर	184935	183105	133850
34.	बौद्ध अवशेष, ललितगिरी स्मारक	89380	99985	104800
	योग	**23635895**	**27994725**	**22283700**
चेन्नई मण्डल				
35.	स्मारक समूह, मामल्लपुरम	26305510	25880120	22166690
36.	किला, तिरूमयम	403420	416915	245120
37.	जिंजी किला, जिंजी	1163355	1247225	1013720
38.	पहाड़ी पर किला, डिण्डीगुल	204930	172420	162175
39.	मूवरकोइल कोदम्बलूर, पुदुकोट्टई	4400	8480	14155
40.	शैलकृत जैन मंदिर, सितन्नावसल	94425	108950	161855
41.	उत्कीर्णन सहित प्राकृतिक कंदराएं, इलादिपट्टम, सितान्नावसल	80450	70470	139385
	योग	**28256490**	**27904580**	**23903100**

1	2	3	4	5
चंडीगढ़ मण्डल				
42.	शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर	612615	455645	442255
43.	सूरजकुण्ड, फरीदाबाद	159670	174315	115815
	योग	**772285**	**629960**	**558070**
धारवाड़ मण्डल				
44.	दुर्गमंदिर परिसर, ऐहोले	1398975	1512950	1346670
45.	जैन एवं वैष्णव गुफाएं, बादामी	2562715	3638620	2410410
46.	स्मारक समूह (विवि), पटटदकल	3972640	4398672	3362099
47.	गोल-गुम्बज, बीजापुर	5069210	5460160	4860250
48.	इब्राहिम रोजा, बीजापुर	1045715	1188335	1219780
49.	मंदिर और मूर्तिशाला, लाक्कुंडी	89555	66240	2085069
	योग	**14138810**	**16264977**	**15284278**
दिल्ली मण्डल				
50.	जन्तर मंतर, दिल्ली	2566285	3025495	3197115
51.	खान-ए-खाना, दिल्ली	50990	65725	82948
52.	पुराना किला, दिल्ली	3486710	3763285	4008150
53.	सुल्तानगढ़ी मकबरा, दिल्ली	2875	1650	1300
54.	तुगलकाबाद किला, दिल्ली	252225	292755	293085
55.	कोटला फिरोजशाह, दिल्ली	317400	291860	390630
56.	सफदरजंग मकबरा, दिल्ली	722295	1016990	837805
57.	लालकिला, दिल्ली	55563070	59087850	54227495
58.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	55214360	65846900	54955570
59.	कुतुब मीनार, दिल्ली	89276120	100531280	91349480
	योग	**207452330**	**233923790**	**209343578**

1	2	3	4	5
गुवाहाटी मण्डल				
60.	अहोम राजा का महल, गढ़गांव, जिला शिव सागर	200865	243780	215630
61.	अहोम राजा का करेंनघर, शिव सागर	691835	945880	722690
62.	रंगघर मण्डप, जयसागर	342445	378495	288620
63.	विष्णुदोल, जयसागर	51045	78465	58390
64.	चार मैदाम समूह, चराईदेव, जिला शिवसागर	171815	192520	166870
	योग	**1458005**	**1839140**	**1452200**
हैदराबाद मण्डल				
65.	चारमीनार, हैदराबाद	10608325	7855085	7275255
66.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	1576700	9186730	7928385
67.	बौद्ध स्तूप और अवशेष, अमरावती	118525	111010	89665
68.	नागार्जुनकोंडा स्थित प्राचीन अवशेष	494560	786780	631225
69.	शैलकृत हिन्दू मंदिर, उंदावली	238125	288110	336965
70.	बौद्ध स्मारक़, गुंटूपल्ली	103335	112125	94270
71.	किला, वारंगल	1636745	557595	490160
72.	किला, चन्द्रगिरी	451230	74000	455235
	योग	**15227545**	**18971435**	**17301160**
जयपुर मण्डल				
73.	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़	3765955	4246880	3735743
74.	कम्भलगढ़ किला, जिला राजसमंद	2468070	2596130	2160057
75.	डीग महल, डीग, जिला भरतपुर	267930	333090	232350
	योग	**6501955**	**7176100**	**6128150**

1	2	3	4	5
कोलकाता मण्डल				
76.	कूचबिहार महल, कूचबिहार	1859835	1779985	1657950
77.	हजारद्वारी महल, मुर्शीदाबाद	3070050	6139185	5919280
78.	विष्णुपुर मंदिर समूह, विष्णुपुर	480835	453865	398645
	योग	**5410720**	**8373035**	**7975875**
लखनऊ मण्डल				
79.	सहेठ श्रावस्ती	591195	1130960	1031135
80.	झांसी किला, झांसी	745620	990015	1316770
81.	रानी महल, झांसी	38240	69490	93235
82.	रेजीडेंसी, लखनऊ	825670	1179395	1320515
	योग	**2200725**	**3369860**	**3761655**
मुम्बई मण्डल				
83.	एलेफेंटा गुफाएं	8545780	8938340	6282420
84.	कन्हेरी गुफाएं	758920	1237450	1166990
85.	शनिवारवाड़ा	2411335	3466175	3731230
86.	आगाखां महल	1181780	1411360	1213060
87.	लेनयाद्री गुफाएं	1545280	2040450	1630840
88.	करला गुफाएं	850325	1360810	1082815
89.	भाजा गुफाएं	217510	346460	283015
90.	रायगढ़ किला	946615	930890	783560
91.	कोलाबा किला	321170	278220	240875
92.	शोलापुर किला	125600	90440	66805
	योग	**16904315**	**20100595**	**16481610**
पटना मण्डल				
93.	पाटलीपुत्र के अवशेष, कुम्रहार	523565	509450	429270

1	2	3	4	5
94.	वैशाली का प्राचीन स्थल, कोल्हुआ	1195615	1051190	1042200
95.	नालन्दा स्थित उत्खनित अवशेष	3433115	4068400	3709610
96.	विक्रमशिला के अवशेष, अंटीचक	181680	250035	1107125
97.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम	782905	917225	886975
98.	पुराना किला (शाही किला), जौनपुर	6629950	686205	729675
99.	लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर	65885	87035	78805
100.	मानसिंह (मान महल) वेधशाला, वाराणसी	37885	69550	66020
101.	सारनाथ स्थित उत्खनित अवशेष	7267015	6687480	7064770
	योग	**20117615**	**14326570**	**15114450**
रायपुर मण्डल				
102.	लक्ष्मण मंदिर	222380	182990	126610
	योग	**222380**	**182990**	**126610**
शिमला मण्डल				
103.	कांगड़ा किला, कांगड़ा	411695	485095	547125
104.	शैलकृत मंदिर, मसरूर	124630	166825	169170
	योग	**536325**	**651920**	**716295**
श्रीनगर मण्डल				
105.	रामनगर स्थित महल परिसर, जिला उधमपुर	12350	13985	14240
106.	किरमची स्थित मंदिर समूह, जिला उधमपुर	7355	12250	11930
107.	अवन्तिस्वामी मंदिर, अवन्तिपुर, जिला पुलवामा	43840	41305	92685
108.	लेह स्थित प्राचीन महल, जिला लेह	433375	524000	
	योग	**496920**	**591540**	**118855**

1	2	3	4	5
त्रिशूर मण्डल				
109.	बेकल किला, पल्लिक्करे जिला केसरगौड	762475	1238725	1371523
110.	मत्तनचेरी महल संग्रहालय, कोच्चि, जिला एर्णाकुलम	427424	1759585	1442495
	योग	**1189899**	**2998310**	**2814018**
वडोदरा मण्डल				
111.	जामी मस्जिद, चम्पानेर-पावागढ़ सहर की मस्जिद, चम्पानेर पावागढ़	934815	1298720	1188680
112.	सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा	1274685	1392895	1539825
113.	रानी-की-वाव, पाटन	1297925	1412585	1394355
114.	अशोक के शिलालेख, जूनागढ़	287490	233395	188000
115.	बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़	359245	322855	284390
116.	बाबा प्यारा गुफाएं, जूनागढ़ एवं खपरा खोड़िया गुफाएं, जूनागढ़	1915	2550	5010
117.	पुरातत्वीय संग्रहालय, लोथल	59495	44475	188435
	योग	**4156075**	**4663000**	**4788695**
	कुल योग	783099634	879325531	735390239

विवरण-III

गत तीन वर्षों में विश्व विरासत केंद्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों/स्थलों पर पर्यटक आगमन

क्र.सं.	स्मारक का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर)	
		भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8
आगरा मंडल							
1.	ताज महल	2970221	581418	4181228	623944	3613210	446252
2.	आगरा किला	1447226	383025	1437513	339146	1227793	190229

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	फतेहपुर सीकरी	303191	179291	331013	216920	329118	153850
	योग	**4720638**	**1143734**	**5949754**	**1180010**	**5170121**	**790331**
औरंगाबाद मंडल							
4.	अजंता गुफाएं	362448	27194	388230	27827	306830	16124
5.	एलोरा गुफाएं	900483	27904	2168716	32276	1003412	18995
	योग	**1262931**	**55098**	**2566946**	**60103**	**1310242**	**35119**
बंगलौर मंडल							
6.	विश्व विरासत स्थल, हम्पी	432915	33199	456777	35446	328066	18552
	योग	**432915**	**33199**	**456777**	**35446**	**328066**	**18552**
भोपाल मंडल							
7.	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो	228361	81666	248943	93639	175748	60235
8.	बौद्ध स्मारक, सांची	175453	6540	201187	6955	148406	3326
	योग	**403814**	**88206**	**450130**	**100594**	**324154**	**63561**
भुवनेश्वर मंडल							
9.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	1863767	8644	2050635	8505	1496816	5150
	योग	**1863767**	**8644**	**2050635**	**8505**	**1496816**	**5150**
चेन्नई मंडल							
10.	स्मारक समूह, मामल्लपुरम	955476	67003	985537	71364	758871	41977
	योग	**955476**	**67003**	**985537**	**71364**	**758871**	**41977**
दिल्ली मंडल							
11.	लाल किला	2398783	141516	2292110	144667	2060976	111803

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हुमांयू का मकबरा	309186	208490	406373	232341	382648	173307
13.	कुतुब मीनार	2297296	899400	2591538	295159	2319960	224341
	योग	**5005265**	**1249406**	**5290021**	**672167**	**4763584**	**509451**
धारवाड़ मंडल							
14.	स्मारकों का समूह, (विश्व विरासत), पट्टदकल	255214	5682	294392	5819	231279	2730
	योग	**255214**	**5682**	**294392**	**5819**	**231279**	**2730**
मुम्बई मंडल							
15.	एलीफेंटा गुफाएं	299903	22187	324959	22755	252098	9488
	योग	**299903**	**22187**	**324959**	**22755**	**252098**	**9488**
वडोदरा मंडल							
16.	जामी मस्जिद, चंपानेर-पावागढ़ सहर की मस्जिद चंपानेर पावागढ़	102173	1404	75747	2165	91121	1170
	योग	**102173**	**1404**	**75747**	**2165**	**91121**	**1170**
	कुल योग	15302096	2674563	18444898	2158928	14726352	1477529

बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण

3098. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण हेतु नई दिल्ली के डॉ. विश्मभर दास मार्ग पर बंगला संख्या 1 से 9 को ध्वस्त करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ग में बनाए जाने वाले फ्लैटों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को प्रारंभ करने में कोई बाधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) ज़ी हां।

(ख) डॉ. विश्म्बर दास मार्ग नई दिल्ली पर बंगला सं. 1, 3, 5, 7 और 9 को तोड़ने का प्रस्ताव है। बंगला सं. 7 को छोड़कर उपयुक्त सभी बंगलों को तोड़ दिया गया है। इन बंगलों के खाली स्थल पर माननीय संसद सदस्यों हेतु विशेष श्रेणी के 52 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) कार्य प्रगति पर है। बंगला सं. 7 को तोड़े न जाने के कारण पूर्ण स्थल उपलब्ध नहीं है। इससे कार्य में बाधा आ रही है।

(घ) संबंधित एजेंसियों द्वारा बंगला सं. 7 को खाली कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) परियोजना के अगस्त, 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है, बशर्ते बंगला सं. 7 उपलब्ध हो जाए।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

3099. **श्री शेख सैदुल हक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्य खाद्यान्न उत्पादन में पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में ऐसे राज्यों से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चावल, गेहूं, मोटे अनाज तथा दलहनों के क्षेत्र कवरेज तथा उत्पादकता में भिन्नता पर निर्भर होने से देश में खाद्यान्न फसलों के कुल उत्पादन में राज्य-वार राज्य में विविधता है। 2010-11 तथा 2011-12 (दूसरे अग्रिम अनुमान) के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पगडन्डी राज्यों सहित भिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), कृषि का बृहत प्रबन्धन (एम.एम.ए.), तिलहनों की एकीकृत योजना, पाम आयल तथा मक्का (आइसोपाम) आदि का कार्यान्वयन कर रही है।

एन.एफ.एस.एम. के अंतर्गत, मुख्य केन्द्र बिन्दु कम उत्पादकता तथा अंर्तनिहित उच्च सम्भाव्य क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाना है। तदनुसार पूर्वी भारत (बी.जी.आर.ई.आई.) में हरित क्रांति लाने के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना पूर्वी प्रदेश के संभाव्य उपयोग, जहां उत्पादकता सामान्यता कम है, पर संकेन्द्रित किया गया है।

कृषि योजना के वृहत प्रबन्धन के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्यों को प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर धन राशि जारी की जाती है। योजना राज्यों को उनकी प्रादेशिक अग्रता के आधार पर कृषि कार्यक्रमों में विकास तथा अनुसरण हेतु पर्याप्त नम्यता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को परियोजना के विनिर्माण के लिए उनकी अग्रता चुनने लिए नम्यता प्रदान की गयी है। राज्य सरकारों को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर मंजूर समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए धनराशि जारी की जाती है।

विवरण

2010-11 तथा 2011-12 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन (000 टनों में)	
	2010-11	2011-12*
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	20315.0	17609.7
असम	4876.5	4648.7
बिहार	9222.0	13576.8

1	2	3
छत्तीसगढ़	7055.2	7052.2
गुजरात	8341.6	7975.4
हरियाणा	16629.5	17192.0
हिमाचल प्रदेश	1421.1	1498.3
जम्मू और कश्मीर	1521.6	1436.9
झारखंड	1876.6	4447.3
कर्नाटक	13877.2	12611.2
केरल	527.2	552.9
मध्य प्रदेश	14952.1	15099.7
महाराष्ट्र	15420.4	12298.2
ओडिशा	7619.3	7549.5
पंजाब	27866.3	27607.2
राजस्थान	18832.2	19689.8
तमिलनाडु	7594.9	8421.4
उत्तर प्रदेश	47247.6	49337.6
उत्तराखंड	1815.6	1872.0
पश्चिम बंगाल	14466.9	16633.8
अन्य	3300.8	3308.7
अखिल भारत	244779.7	250419.3

*03.02.2012 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

जेलों में बंद नक्सली

3100. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न जेलों में विभिन्न आरोपों के कारण जेल में बंद माओवादियों/नक्सली नेताओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन माओवादियों/नक्सली नेताओं पर अभियोजन चलाने के लिए जबावदेह राज्यों ने अब तक उनका अभियोजन शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या माओवादी/नक्सली निर्दोष लोगों के बंधक बना रहे हैं और इन कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) गृह मंत्रालय में इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीय रूप से **नहीं रखे** जाते हैं।

(घ) और (ङ) सी.पी.आई. (माओवादी) और अन्य वामपंथी उग्रवादी गुट जबरन धन वसूली, स्थानीय लोगों में भय व्याप्त करने, कैदियों की रिहाई सहित अपनी मांगे मनवाने के लिए राज्य मशीनरी पर दबाव डालने इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से व्यपहरण करते रह हैं। हाल ही में, दिनांक 14 मार्च, 2012 को ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगीबाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र से सी.पी.आई. (माओवादी) द्वारा दो स्थानीय युवकों सहित इटली के दो नागरिकों, श्री पाओलो बोस्को तथा श्री क्लोडियो कोलंगेलों का अपहरण किया गया था। एक अन्य घटना में ओडिशा के कोरापुर जिले में तोयापुट गांव के पास लक्ष्मीपुर पुलिस थाना क्षेत्र से दिनांक 23.-24 मार्च, 2012 की अर्धरात्रि को सी.पी.आई. (माओवादी) तथा चारती भुलिया आदिवासी संघ (एन.एल.गुट, सी.पी.आई. माओवादी का एक फ्रंट) के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री झीना हिकाका, विधान सभा सदस्य, लक्ष्मीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का अपहरण कर लिया गया था। कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण, ऐसे मामलों को सीधे संबंधित राज्य सरकारें देखती हैं। तथापि, जब कभी राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है, भारत सरकार उन्हें सभी संभव सहायता मुहैया करवाती है।

[हिन्दी]

प्राचीन वस्तुओं की तस्करी

3101. **श्री इज्यराज सिंह:**

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से कीमती प्राचीन वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बरामद चुरायी गयी/खोयी प्राचीन वस्तुओं की संख्या कितनी है; और

(घ) प्राचीन वस्तुओं की चोरी तथा तस्करी रोकने तथा इसके रक्षोपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 17-06-2010 को सूचित किया है कि न्यूयार्क में डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्यूरिटी, इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट ने मन्दिरों के खंडहरों (गड़गच मंदिर), अटरू, जिला बारण (राजस्थान) की एक पत्थर से निर्मित मूर्ति का पता लगाया है जिसकी 22-23 अप्रैल, 2009 को चोरी/तस्करी की गई थी। इस संबंध में 23-04-2009 को सं. 96/09 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार के चोरी हुए/खोए हुए पुरावशेष पुन: प्राप्त/बरामद नहीं हुए हैं।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों से पुरावशेषों की चोरी और तस्करी रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। चौबीसों घंटे पहरा और निगरानी स्टाफ नियुक्त किया गया है तथा इनकी संख्या को निजी सुरक्षा गार्डों, राज्य पुलिस हथियारबंद गार्डो और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को नियुक्त करते हुए और अधिक बढ़ाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरावशेषों की तस्करी पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों, राजस्व आसूचना विभाग तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। भारत सांस्कृतिक सम्पदा में अवैध व्यापार के निषेध तथा निवारण के उपायों संबंधी 1970 युनेस्को कन्वेन्शन का एक हस्ताक्षरी भी है।

[अनुवाद]

व्यापक जिला कृषि योजना

3102. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर ने व्यापक जिला कृषि योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र सहित देश में इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत कृषि विकास योजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों सहित

जिलों के सम्पूर्ण विकास को देखते हुए कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के लिए वर्तमान परिदृश्य एवं कार्यक्रम हेतु देश में व्यापक जिला कृषि योजना (सी.डी.ए.पी.) तैयार की गई हैं। राज्यों द्वारा 602 सी.डी.ए.पी. तैयार की गई हैं। तैयार डी.ए.पी. के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों में सम्पूर्ण कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा अवसंरचना की स्थापना के लिए 5700 से भी अधिक परियोजनाएं शुरू की गई है।

विवरण

जिला कृषि योजना (डी.ए.पी.) की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	तैयार डी.ए.पी.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	23
3.	असम	16
4.	बिहार	27
5.	छत्तीसगढ़	38
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22
11.	झारखण्ड	24
12.	कर्नाटक	29
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	33
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7
18.	मिजोरम	7
19.	नागालैण्ड	8
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	20
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	29
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तराखण्ड	13
27.	उत्तर प्रदेश	71
28.	पश्चिमी बंगाल	17
	कुल	602

शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में विश्व बैंक का अध्ययन

3103. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपने अध्ययन में खुलासा किया है कि अधिकतर शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका सेवा प्रदान करने के संबंध में अपने दृष्टिकोण में जनकेन्द्रित नहीं हैं तथा वे अपर्याप्त स्टाफ तथा मानकीकरण की कमी से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह निष्कर्ष इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण है कि नगरपालिकाओं के लिए बजट आवंटन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की योजनाओं के अंतर्गत आठ या दस गुणा होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक के निष्कर्ष के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) विश्व बैंक ने मार्च 2007 के "शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और उत्तरदायित्व (पी.एफ.एम.ए.) के संश्लेषण अध्ययन" के अपने अध्ययन में वर्णित किया है कि देश में अधिकतर यू.एल.बी. और राज्य कानूनों को लोगों पर अधिक केन्द्रिय करने की आवश्यकता है और अनुपालन पर लक्षित करने की आवश्यकता है तथा अधिकतर यू.एल.बी. में स्टाफ पैटर्न और मानकीकरण से संबंधित मुद्दों को उपयुक्त रूप से निपटाने की आवश्यकता है। भारत सरकार पहले से मुद्दे को समझती है तथा इन मुद्दों पर विभिन्न प्रोत्साहनों और स्कीमों जैसे जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता विकास स्कीम जल और स्वच्छता और क्षेत्र ई. शासन हेतु राज्य स्तरीय बैंचमार्कों राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति आदि के माध्यम से काम कर रही है। सामुदायिक भागीदारी जे.एन.एन.यू.आर.एम. का एक मुख्य विवेचित घटक है।"

सरकार ने 20 वर्ष की अवधि हेतु शहरी अवसंरचना सेवाओं के लिए अनुमानित निवेश आवश्यकताओं के लिए डॉ. इशर जज अहलुवालिया की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एच.पी.ई.सी.) का गठन किया था। उसने शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता विकास पर भी बल दिया है। अरूण मैरा सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अगले चरण की रूपरेखा की सिफारिश के लिए 15 सितम्बर 2011 को एक समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर नगर निगम काडर की स्थापना और राज्यों द्वारा क्षमता विकास कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर समय-समय पर सरकार द्वारा बल दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अगले चरण की नीति और रूपरेखा पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत-पाक सीमा पर किसानों को मुआवजा

3104. डॉ. रतन सिंह अजनाला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर 554 कि.मी. के काटेदार बाड के घेरे पर स्थित जमीन के मालिक किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए गई भूमी के मुआवजे का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान योजना आयोग ने केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 2500/- रु. की दर से 6.00 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की थी। पंजाब सरकार ने भारत सरकार से वर्ष 1999-2000 से प्रति एकड़ 5,000/- की दर से मुआवजे का भुगतान करने का अनुरोध किया है जो लगभग 8.60 करोड़ रु. प्रति वर्ष बनता है। राज्य सरकार से स्वामित्व संबंधी विवरणों सहित भूमि का विशिष्ट ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग की समस्याएं

3105. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उत्पादकों और चीनी उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जब कभी चीनी उत्पादकों और/अथवा चीनी उद्योग के सामने पेश आ रही किसी समस्या की जानकारी मिलती है तो केन्द्र सरकार आवश्यक पग उठाती है। डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में चीनी क्षेत्र का नियमन समाप्त करने के सभी मुद्दों की जांच करने के लिए 20-1-2012 को एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवैध और अविनियमित फिशिंग

3106. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध और अविनियमित ढंग से मछली पकड़ने की बढ़ती घटनाओं के कारण कैट फिश, बाम्बे डक और पोम्फ्रेट जैसी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन प्रजातियों के अवैध और अविनियमित फिशिंग से संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मछुआरा मंच से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास मंहत) : (क) से (घ) नीचे दिए गए लैंडिंग आंकड़ों से पता चलता है कि वस्तुत: इन प्रजातियों की औसत वार्षिक लैंडिंग विगत दशक (1991-2000) की तुलना में अंतिम दशक में (2001-10) में बढ़ी है:-

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	औसत वार्षिक उतराई (टन में)	
		1991-2000	2001-2010
1.	कैपफिश	44,128	66,455
2.	पोम्फ्रेट	40,563	45,116
3.	बॉम्बे डक	1,06,337	1,12,967

किफायती आवास में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एम.एफ.आई.)

3107. **श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 तक देश को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त और सभी के लिए वहनीय आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) यह मंत्रालय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जिसके तहत शहरी गरीबों को मूल सुविधाएं और स्लमों के एकीकृत विकास पर जोर दिया गया है, के अंतर्गत शहरी गरीबों को मूल सुविधाएं संबंधी स्कीम तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 02.06.2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की है। इस स्कीम में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं का प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम में "समग्र शहर" "सभी स्लम" "समग्र स्लम" दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।

स्कीम के अंतर्गत बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपतितयों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी।

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जो किफायती आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करती है, को राजीव आवास योजना में मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत किफायती आवासीय इकाई में 50,000 रुपए प्रति इकाई अथवा नागरिक अवसंरचना (बाह्य एवं आंतरिक) की लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

शहरी गरीबों को किफायती दरों पर मकान ऋण के लिए

ऋण राशि प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, मौजूदा शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.) जिसमें एक लाख रुपए तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है, को भी राजीव आवास योजना के साथ मिला दिया गया है।

सभी के लिए किफायती आवास मुहैया कराने के लिए एक समय सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी

3108. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

श्री सी. शिवासामी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सभी क्षेत्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एस.ए.आई. में श्रमशक्ति की कमी के मुद्दे के समाधान हेतु कोई कार्रवाई की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने पहले ही 11 संस्थागत, क्षेत्रीय और उप-केन्द्र स्थापित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1 पटियाला

2 तिरूवनंतपुरम

3 कोलकाता

4 गांधीनगर

5 बंगलुरू

7 लखनऊ

8 सोनीपत

9 चंडीगढ़

10 इम्फाल

11 गुवाहाटी

(ग) और (घ) 1990 के शुरू से भारतीय खेल प्राधिकरण में किसी भी स्तर पर कोई भर्ती नहीं हुई है। भारतीय खेल प्राधिकरण में जनशक्ति की कमी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में कर्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है:-

(i) सहायक निदेशक

(ii) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

(iii) कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक

(iv) कोच (ग्रेड III)

(v) कनिष्ठ लेखाकार

(vi) अवर श्रेणी लिपिक

उपर्युक्त के अलावा आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण

3109. श्री चौधरी लाल सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सूकर-भारवाहक पशु-अश्व और याक की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वांछित उद्देश्य प्राप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना "जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सूअरों भारवाही पशुओं, अश्वों और याक के संकटाधीन

नस्लों के संरक्षण" के लिए 11वीं योजना परिव्यय 16.00 करोड़ रु. था जिसे 2008-09 के दौरान बढ़ाकर 45.00 करोड़ रु. कर दिया गया था और योजना को "संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण" का नाम दिया गया था। विभिन्न राज्यों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के अंतर्गत वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

योजना का नाम: 11वीं योजना के दौरान पशुधन की संकटापन्न नस्लों के संरक्षण के लिए जारी की गई धनराशि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	प्रजाति	नस्ल	वर्ष 2007-08 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 11-12 के दौरान जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	सूअर	दूम				28.50	
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूअर	दूम	0.00	0.00	10.00		
		टट्टू	भुटिया	0.00	0.00	20.00		
		याक	याक	0.00	0.00	20.00		
3.	गुजरात	अश्व	किथियावाड़ी	36.81	0.00	36.81		
		बकरी	सुरती	0.00	32.25	0.00		
		ऊंट	कच्छी	0.00	68.00	0.00	32.25	40.00
4.	हिमाचल प्रदेश	टट्टू	स्पीती	0.00	0.00	20.00		
		याक	याक	0.00	0.00	20.00		
		बकरी	चेगू			30.00		20.00
5.	जम्मू और कश्मीर	अश्व	झंसकारी	0.00	6.00	0.00		
		याक	याक			20.00	50.00	35.00
6.	केरल	सूअर	अंगामली	0.00	9.20	0.00		
		बकरी	अटापडी	0.00	27.25	20.75		
7.	महाराष्ट्र	बकरी	संगमनेरी	32.00	0.00	0.00		
		बकरी	बेरारी	0.00	0.00	34.95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		भेड़	मडगयाल	0.00	0.00	10.00		
8.	मणिपुर	टट्टू	मणिपुरी	0.00	0.00	0	25.50	
9.	मिजोरम	मिथुन	मिथुन	0.00	0.00	20.00		
		सूअर	जोवाकं	0.00	0.00	10.00		
10.	पंजाब	बकरी	बीटल	30.00	30.00	0.00		
11.	सिक्किम	बकरी	बनपाला			18.25		28.00
		याक	हाजी	0.00	20.00	0.00		
12.	पश्चिमी बंगाल	सूअर	घंगरू	0.00	0.00	10.00		
		फाउल	हरिंघटा ब्लेक	-	-	35.00		35.00
		बकारी	ब्लैक बंगाल गोट					9.25
13.	तमिलनाडु	भेड़	नीलगिरी					36.50
	सकल योग			98.81	194.95	355.76	136.25	203.75

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान संकटापन्न नस्ल के संरक्षण के तहत लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा

संकटापन्न नस्लों का संरक्षण के तहत गतिविधियां	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धि 2007-08	लक्ष्य 2008-09	उपलब्धि 2008-09	लक्ष्य 2009-10	उपलब्धि 2009-10	लक्ष्य 2010-11	उपलब्धि 2010-11	लक्ष्य 2011-12	उपलब्धि 2011-12
1. सहायता प्राप्त प्रजनक/किसान संघ सहकारिता/एन.जी.ओ. की संख्या	2	7	2	2	2	2	4	3	4	4
2. पहचान किए गए विभिन्न संकटापन्न नस्लों और संबंधित प्रजनन क्षेत्र में रखरखाव किए गए पशुओं की संख्या	750	1368	550	500	550	500	500	250	500	950

[हिन्दी]

खेल संघों के विरूद्ध शिकायतें

3110. **श्री सज्जन वर्मा:**

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय खेल संघों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रवृत्ति और उन पर की गई कार्रवाई का खेल संघ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में उन खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है जिन्होंने अपने लेखे-प्रस्तुत किए हैं और पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अपने खेल संघों में अध्यक्ष और सचिव आदि पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खेल संगठनों को नियंत्रित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं अथवा निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथा सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से संबंधी शिकायतों सहित निर्वाचन मामलों के विवाद समय-समय पर सरकार को प्राप्त होते रहते हैं। एन.एस.एफ. स्वायत पंजीकृत निकाय हैं और सरकार प्रायः इनके कार्यकरण में दखल नहीं देती। अतः शिकायतों का वर्षवार और परिसंघवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। सरकार ने एन.एस.एफ. की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन लाने के लिए कई कदम उठाये ताकि सरकारी निधियों के दुरुपयोग, एन.एस.एफ. के अधिकारियों की आयु और कार्यकाल संबंधी सरकारी निर्देशों का अनुपालन न करने संबंधी शिकायतों को कम किया जा सके, खेलों में अनैतिक कार्यों जैसे डोपिंग, खेलों में महिलाओं के यौन शोषण, आयु संबंधी फ्रॉड आदि को रोका जा सके। उठाये गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:

(i) सरकारी मान्यता प्राप्त करने और भारत सरकार से वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता जैसे रेलवे रियायत, आयकर छूट, सीमा शुल्क छूट आदि प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने तथा महाद्विपीय तथा विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन के लोक कार्यों का निष्पादन करने का प्राधिकार प्राप्त करने, जिसमें सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों, स्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों आदि में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें। किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जिसने 1-5-2010 के इन दिशा निर्देशों को जारी होने के बाद हुए चुनावों के लिए इन अनुदेशों का पालन नहीं किया है, सरकार द्वारा वार्षिक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

(ii) सभी एन.एस.एफ. को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिये गये है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक कार्यकाल या अधिकतम 4 वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक सेवा अवधि के लिए किसी खेल एसोसिएशन/परिसंघ में प्रभावी पद धारण नहीं कर सकता।

(iii) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने और मान्यता के वार्षिक नवीनीकरण के लिए खातों की वार्षिक लेखा जांच जमा कराना एक अनिवार्य शर्त बना दी गई है।

(ग) और (घ) विगत वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा जांच, सरकार द्वारा जारी किए गए पूर्व अनुदानों की उपयोगिता रिपोर्ट और पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट जमा कराने पर एन.एस.एफ. को वित्तीय सहायता जारी की जाती है। तथापि, एन.एस.एफ. को अनुदान जारी करने के लिए खेल परिसंघों में अध्यक्ष और सचिव आदि पदों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है।

(ङ) और (च) जी नहीं। सरकार खेल संघों को नियंत्रित करने के लिए निर्देश नहीं करती या प्रस्ताव नहीं करती। तथापि,

राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार ने एक नियामक रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्य खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास करना है। राष्ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है ताकि स्टेकहोल्डरों से विधायी पूर्व परामर्श लिया जा सके, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) खेलों के विकास एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों की तैयारी एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की कार्यपद्धति जिसमें खेलों में डोपिंग को खत्म करना, आयु संबंधी फ्राड एवं यौन उत्पीड़न के मामले एवं भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं के मामले शामिल हैं, के लिए केंद्रीय सरकार की सहायता (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यवसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है)।

(ii) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन/निर्णय लेने के संबंध में एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से एथलीटों को शामिल करना।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(iv) खेल विवादों के समाधान हेतु कार्यविधि तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना।

(v) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना।

(vi) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत/गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधानों को न रखा जाए।

(vii) एंटी डोपिंग प्रावधान में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लागू करने से अलग रखा जा सके जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(viii) कोचों, संरक्षकों और अन्य सहायक कार्मिकों को भी ये दायित्व सौंपे गए हैं कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते है जिससे खिलाड़ियों खेल स्थलों पर यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये है जिसमें महिला की अध्यक्षता में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाये।

[अनुवाद]

मृदा गुणवत्ता

3111. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने देश में मृदा गुणवत्ता की स्थिति के संबंध में सर्वेक्षण आरंभ किया है और मृदा गुणवत्ता में सुधार हेतु अर्थोपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृदा गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) "ग्रीनपीस इण्डिया" ने "लिविंग स्वायल कैंपेन" शुरू किया है जिसमें असम, ओड़िशा, कर्णाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब के चयनित जिलों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन नीतियों और स्कीमों का सोशल ऑडिट शामिल हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ सबसे निचले स्तर पर नीतियों की समाभिरूपता की आवश्यकता, पारिस्थितिकीय उर्वरण हेतु अम्ब्रेला नीति की आवश्यकता, पारिस्थितिकीय उर्वरण पर मिशन शुरू करना, पारिस्थितिकीय उर्वरण पद्धतियों के विभिन्न घटकों जैसे

स्व-स्थाने और स्थान बाह्य बायों मांस सृजन, खेतों पर और खेतों के बाहर कम्पोस्टिंग, जैव उर्वरक और खेतों पर बनाए हुए तरल खाद्य, मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य और संस्थागत समर्थन बनाए रखने के लिए इको-बोनस शामिल हैं।

(ग) सरकार मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और तर्कसंगत प्रयोग, स्थैतिक/गतिशील मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के कर्मचारियों/विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्बनिक खाद, मृदा सुधारकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग सहित उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर खेतों में प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

चुम्बकीय बम की धमकी

3112. **श्री सतपाल महाराज:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का चुम्बकीय बम से उत्पन्न बढ़ते फ्रीलांस आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) रिमोट मैग्नेटिक बम दुनिया के कई आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक पुरानी एवं प्रचलित आतंकी तकनीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) बम निपटान के विभिन्न पहलुओं अर्थात उनके युद्ध कौशल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से आई.ई.डी. की तलाश करने, पता लगाने, पहचान करने, सुरक्षित ढंग से निपटान करने में राज्य तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के कार्मिकों के लिए "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.)" पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

एन.एस.जी. द्वारा आयोजित किए गए बम निपटान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एक प्रशिक्षण वर्ष में पाठ्यक्रम	प्रति पाठ्यक्रम क्षमता
1.	बम निपटान (राज्य पुलिस)	03	100
2.	बम निपटान (रक्षा सेवाएं/केन्द्रीय पुलिस संगठन)	01	100
3.	बम निपटान	01	100

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत समेकित सीवेज व्यवस्था

3113. **श्री संजय भाई:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत समेकित सीवेज व्यवस्था के तहत ओडिशा के किन-किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ निधियों के आवंटन की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो शहर/कस्बे-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत समेकित सीवेज व्यवस्था के तहत ओडिशा के और शहरों को शामिल करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के अंतर्गत मिशन शहर भुवनेश्वर के लिए 49891.35 लाख रु. की अनुमोदित लागत और 39913.08 लाख रु. की वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) से एक समेकित सीवरेज परियोजना अनुमोदित की गई है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. की छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत मिशन शहर सम्बलपुर के लिए 593.23 लाख रु. की अनुमोदित लागत और 483.48 लाख रु. की वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) से एक सीवरेज परियोजना अनुमोदित की गई है।

(घ) और (ङ) मिशन ने अपना सामान्य कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2012 को पूरा कर लिया है। सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने तथा जारी सुधारों के लिए मिशन का कार्यकाल आगे दो वर्ष यथा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया है। इसमें कोई नई परियोजना स्वीकृत करने पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अवैध बंग्लादेशियों के विरुद्ध कार्य योजना

3114. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

श्रीमती रमा देवी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध रूप से रह रहे बंग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2002 में कोई कार्य योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत संघ एवं अन्य के विरुद्ध श्री चेतन दत्त द्वारा दायर रिट याचिका सं. 3170/2001 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12-4-2002 के निदेशों के अनुसरण में प्रारंभ में एक कार्य योजना तैयार की गई थी और मई, 2002 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात्, भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18-7-2005 के आदेश के अनुसरण में एक संशोधित कार्य योजना माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और यह माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28-9-2005 को हुई सुनवाई में स्वीकार कर ली गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा यथा अनुमोदित कार्य योजना में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए कार्य बलों का गठन, पता लगाए गए अवैध प्रवासियों को तब तक अवरुद्ध (डिटेन्शन) केन्द्रों में रखना जब तक कि वे वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित नहीं कर दिए जाते हैं, प्रत्यावर्तन की मासिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव (विदेशी विषयक), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी प्राधिकरण की स्थापना आदि शामिल हैं। यद्यपि रिट याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 27-9-2007 को खारिज कर दी गई है, फिर भी निगरानी प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रत्यावर्तन में हुई प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया भी नवम्बर, 2009 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की गई थी, जिसमें फरवरी, 2011 में आंशिक आशोधन किया गया था। इस प्रक्रिया में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बसे हुए अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने तथा उन्हें रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में विशेष कार्य बलों का गठन, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवरुद्ध (डिटेन्शन) केन्द्रों की स्थापना, जहां संदिग्ध अवैध प्रवासी प्रत्यावर्तित किए जाने तक नजरबंद रहेंगे, भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के दौरान सीमा पर रोके गए अवैध प्रवासियों को उसी समय वहां से वापस भेजना आदि शामिल हैं।

प्रिंट मीडिया और फिल्मों में आपत्तिजनक दृश्य/सामग्री

3115. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय:**

श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट मीडिया और फिल्मों के माध्यम से हिंसा/अश्लीलता/आपत्तिजनक दृश्य/सामग्री का चित्रण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों/शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का प्रिंट मीडिया/फिल्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी आपत्तिजनक विषय-वस्तु को नियंत्रित करने के लिए नई संहिता लाने/मौजूदा अधिनियम/दिशानिर्देशों

में संशोधन करने और निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बच्चों और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ङ) भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने तथा प्रैस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के उद्देश्य से प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रैस परिषद (पी.सी.आई.) नामक एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गई है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पी.सी.आई. ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड तैयार किए हैं जिनमें पत्रकारिता के सिद्धांत व आचार शामिल हैं। "हिंसा को महिमामंडित न किया जाए" नामक विषय से संबंधित मानदंड 19 तथा "अश्लीलता व अभद्रता से परहेज किया जाए" नामक विषय से संबंधित मानदंड 17 को संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रिंट मीडिया द्वारा इन मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया के अनुपालनार्थ वर्ष 2010 में पी.सी.आई. के 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड' का मौजूदा संस्करण जारी किया गया था। प्रिंट मीडिया में विषय-वस्तु, जिससे 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंडों' का उल्लंघन होता है, के बारे में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर पी.सी.आई. द्वारा प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत न्यायनिर्णय किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रिंट मीडिया में हिंसक/अश्लील विषय-वस्तु के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों और उन पर पी.सी.आई. द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जहां तक फिल्मों का संबंध है, हिंसा व अश्लीलता का चित्रण करने वाले कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार की विषय-वस्तु का विनियमन चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों की विषय-वस्तु का प्रमाणन करता है और तदनुसार फिल्मों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करता है।

विवरण-I

19. हिंसा को महिमान्वित न किया जाए

(i) **आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक झगड़ों तथा दुर्घटनाओं के चित्र छापना**

आतंकवादी हमलों या सांप्रदायिक दंगों के बारे में समाचार देते समय मीडिया को चाहिए कि क्षत-विक्षत लाशों के चित्र या अन्य ऐसे चित्र प्रकाशित/प्रसारित न करे जिनसे आतंक अथवा घृणा फैले या लोगों में सांप्रदायिक भावना भड़के।

(ii) समाचारपत्र/पत्रकार हिंसा, सशस्त्र डकैतियों, आतंकवादी, गतिविधियों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेंगे जिससे अपराधकर्मियों के कृत्य, घोषणाएं तथा मृत्यु जनता की नजरों में महिमान्वित हो। समाचारपत्र असामाजिक तत्वों के साथ ऐसी भेंटवार्ताओं को प्रकाशित न करें जिनमें अपराधियों और उनकी गतिविधियों को महिमान्वित किया गया हो।

17. अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए:

(i) समाचारपत्र/पत्रकार ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील, अशिष्ट अथवा जनता की सुरुचि के प्रतिकूल हो।

(ii) समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हों या जिनमें नग्न अथवा कामुक मुद्रा में प्रदर्शित किसी महिला की ओर पुरुषों की ललचाई दृष्टि आकर्षित होती हो जैसे कि वह स्वयं ही बिक्री के लिए कोई वाणिज्यिक वस्तु हो।

(iii) कोई चित्र अश्लील है या नहीं, इसका निर्णय तीन परीक्षाओं के आधार पर किया जाए, अर्थात:

(क) क्या यह अशिष्ट तथा अभद्र है?

(ख) क्या यह मात्र अश्लीलता की कृति है?

(ग) क्या इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाने के लिए किशोरों की यौन भावनाओं को गुदगुदाना है जिनके बीच वह संचारित होगी? अर्थात् क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिए एक दूषित स्वार्थसाधन है?

अन्य संगत बात यह है कि क्या वह चित्र पत्रिका की विषय-वस्तु से संबंधित है। अर्थात क्या उसके प्रकाशन से कला, चित्रकारी, चिकित्सा शोध या यौन सुधार के संदर्भ में किसी महान् सामाजिक अथवा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति होती है?

(iv) कोई छायाचित्र या कोई चित्रकला एक कलाकृति होती है और कलाकार को उसका चित्रण करने में कलात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तथापि, इस बात को समझा जाना चाहिए कि पारखियों द्वारा किसी कलाकृति का रसास्वादन किया जाता है, उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी चित्रकला के लिए किसी समाचारपत्र के पृष्ठ सर्वाधिक उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता है।

(v) भूमंडलीकरण और उदारीकरण से मीडिया को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तथा समाज के मूल्यों को कम करे। मीडिया सार्वजनिक उद्देश्य की एक विशिष्ट भूमिका निभाता है जिसके लिए उसे उन वाणिज्यिक धारणाओं से ऊपर उठना चाहिए जो अन्य उद्योगों तथा व्यापार द्वारा अपनाई जाती हैं। जहां तक उस भूमिका का संबंध है, मीडिया का एक कर्तव्य यह है कि वह हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करे और उन्हें आगे बढ़ाए।

(vi) समाचारपत्र में पाठकों के निजी प्रश्नों का उत्तर देने वाले 'नितांत व्यक्तिगत' जैसे स्तंभ जनता की शालीनता का उल्लंघन करने वालीं या जनता की मानसिकता को भ्रष्ट करने वाली घोर अरुचिकर प्रस्तुतियां न बन जाएं।

(vii) प्रेस का यह प्रयास होना चाहिए कि व्यापकत: समाज के मानदंडों, न कि मात्र कुछेक मानदंडों, के अनुरूप कवरेज का सुनिश्चियन किया जाए। यह भी हमारा दायित्व है कि संस्कृति व मानकों के ह्रास को रोका जाए और समाज की मन:स्थिति व विचार प्रक्रिया को ढालने में अपनी पहुंच व प्रभाव के साथ प्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

(viii) भारतीय पाठक काफी अधिक परिपक्व है और वह अच्छी पत्रकारिता की पहचान करने में सक्षम है तथा दीर्घकाल में 'तथाकथित लोकप्रिय अनुज्ञात्मकता' का संवर्धन करके पश्चिम की नकल करने के प्रयास से समाचारपत्र के प्रसार को बढ़ाने के बुनियादी उद्देश्य को पूरा करने में विफलता मिल सकती है।

(ix) समाचारपत्र अपने लेखन के जरिए लेकिन समाचारों या छायाचित्रीय साक्ष्य के प्रतिबंधित प्रस्तुतिकरण में समुचित सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक स्थलों में होने वाले अनैतिक कार्यकलापों को उजागर कर सकता है।

विवरण-II

वर्ष 2009-2010 के दौरान हिंसा/अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीरों (चित्रों) से संबंधित मामलों का विवरण

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1.	श्री बिपिन राजगोपाल, बैंगलोर	इण्डियन टूडे	यौन सर्वेक्षणों का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 22-04-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रेस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	श्री विनिल कपूर, फरीदाबाद	द टाइम्स ऑफ इण्डिया	अश्लील तस्वीरों (चित्रों) का प्रकाशन	परिषद के पत्र के तहत मई, 2009 में शिकायतकर्ता से प्रेस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम,

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
				1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	श्रीमती नीतू, औरंगाबाद	अनेक समाचारपत्र	अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन	पत्ते के अभाव के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।
4.	श्री एन.जी. वागले, मुम्बई	फ्री प्रेस जर्नल, मुम्बई	अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 22-05-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	श्री अजगर अली तेली	नई दुनिया	अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 22-04-2009 के पत्र के तहत जून, 2009 में शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	श्री ए.के. जैन, गुड़गांव	द हिन्दुस्तान टाइम्स	अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 12-06-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
7.	श्री सोमाशेखर सास्वतुला, आन्ध्र प्रदेश	विभिन्न समाचार-पत्र	अश्लील/फोटोग्राफों विज्ञापनों का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 01-07-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
8.	अध्यक्ष, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, भोपाल	नवभारत	अश्लील और अभद्र विज्ञापनों का प्रकाशन	प्रकरण परिषद् की जांच समिति के सम्मुख रखने के लिए तैयार है।
9.	श्री अमिताभ यश, लखनऊ	विभिन्न समाचार-पत्र	अशिष्ट विज्ञापनों का प्रकाशन	सामग्री को दिनांक 07 सितम्बर, 2009 को आयोजित परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कार्यवृत्त का सार अनुलग्नक-"क" में संलग्न है।
10.	श्री आर.बी. नर्वेकर, कोल्हापुर	समाचारपत्र एवं टीवी	अश्लील चित्र का प्रकाशन	परिषद के पत्र के तहत शिकायतकर्ता जुलाई, 2009 में प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
11.	श्री चन्द्र मोहन दुआ, कीर्ति नगर, दिल्ली	नवभारत टाइम्स	अश्लील चित्र का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 23-07-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
12.	श्रीमती रेक्स जूलियाना	पंजाब केसरी	समाचार में अश्लील और अशिष्ट भाषा का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 02-08-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
13.	श्री नारायन मातल, दिल्ली	हिन्दुस्तान	अश्लील चित्र का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 19-08-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रैस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
14.	श्री सुख देओ सिंह, राजस्थान	राजस्थान पत्रिका	अश्लील चित्र का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 19-08-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रेस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
15.	श्री बद्री प्रसाद उनियाल, नई टिहरी	दैनिक जागरण एवं अन्य	अश्लील चित्र का प्रकाशन	परिषद के दिनांक 16-08-2009 के पत्र के तहत शिकायतकर्ता से प्रेस परिषद (पूछताछ के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
16.	श्री एन.वी. रामकिशन, केरल	फायर मैगजीन	पूरी पत्रिका में अश्लील फोटोग्राफों का प्रकाशन	प्रकरण परिषद् की जांच समिति के सम्मुख रखने के लिए तैयार है।
17.	श्री जगन प्रसाद, एम.एल.ए., आगरा-02	श्री योगेन्द्र वार्षणेय, जर्नलिस्ट	मारने की धमकी दी गई	चार्टर से बाहर होने के कारण 23-12-2009 को बंद कर दिया गया।
18.	श्री राम सिंह एवं अन्य, बूरारी, दिल्ली	बूरारी टाइम्स	पत्रकारिता की आड़ में भयादोहन और धमकियों के संबंध में।	कार्रवाई जारी हैं।
19.	श्री डी. वेंकाटेशन, चेन्नई-14	आउटलुक	राष्ट्रीय झंडे का अपमान	मामला चेन्नई में 27-02-2012 को जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध किया गया।

वर्ष 2010-2011 के दौरान हिंसा/अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीरों (चित्रों) से संबंधित मामलों का विवरण

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1.	श्री कुलदीप बावा, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, पंजाब की अपने अधिवक्ता के द्वारा	मुख्य संपादक, रोजाना स्पोक्समैन	महिला का शरीर दर्शाते हुए प्रकाशन	जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध करने के लिए यह मामला तैयार हैं।
2-10.	जनरल सैक्ट्री, जस्ट सोसायटी, कोलाहपुर की पुलिस उप आयुक्त (इंर्फोसमेंट) के द्वारा	1. मिड डे 2. मुम्बई मिर्र, 3. टाइम्स ऑफ इण्डिया	मसाज पार्लर के आपत्तिजनक विज्ञापन का प्रकाशन	जारी न रखने पर 11.05 2011 को समाप्त।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
		4. हिन्दुस्तान टाइम्स 5. डी.एन.ए. 6. हमारा महानगर 7. नवभारत टाइम्स 8. पुदारी 9. लोकसत्ता		
11.	डॉ. जोरा सिंह, अध्यक्ष देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट, पंजाब	टाइम्स ऑफ इण्डिया	अशिष्ट चुटकुलों का प्रकाशन	नई दिल्ली में 30-01-2012 को जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध।
12.	मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ बिलारी की श्री आर. नीसार अहमद, अवर सचिव, भारत सरकार, बैंगलौर के द्वारा	कन्नडा प्रभा	सांप्रदायिक तनाव संबंधी समाचार का प्रकाशन	जारी न रखने पर 31-03-2011 को बंद कर दी गई।
13.	विंग कमांडर, एस.सी. कपूर (रिटर्यड), नोएडा	द टाइम्स ऑफ इण्डिया	आपत्तिजनक कार्टून का प्रकाशन	जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध किये जाने के लिए यह मामला तैयार हैं।
14.	श्री ओएश खान, भोपाल	दैनिक भास्कर	आपत्तिजनक तस्वीर (चित्र) का प्रकाशन	अहिंसक होने पर 05-08-2010 को बंद कर दी गई।
15.	श्री. एस.वी. मनी, चेन्नई-600 044	टाइम्स ऑफ इण्डिया	अश्लील और अभद्र समाचार का प्रकाशन	चेन्नई में 27-02-2012 को जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध।
16.	श्री पंकज नारंग, पुणे, महाराष्ट्र	पुणे मिर्र	अश्लील फोटोग्राफों का प्रकाशन	जारी न रखने पर 30-05-2011 को बंद कर दी गई।
17.	वोमेन ऑफ उदीप की उप आयुक्त, कर्नाटक सरकार, उदीप	इण्डिया टुडे	एक महिला का अशिष्ट फोटोग्राफ।	चेन्नई में 27-02-2012 को जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध।
18.	श्रीमती अनिता वर्मा सिंह, सदस्य सचिव, यूपी एस्टेट वोमेन कमीशन, लखनऊ की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	टाइम्स ऑफ इण्डिया	टाइम्स ऑफ इण्डिया 'लखनऊ टाइम्स' पत्रिका में अश्लील तस्वीरों (चित्रों) का प्रकाशन	लखनऊ में 26-03-2012 को जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध।
19.	श्रीमती ममता और अन्य जयपुर (राजस्थान)	ईवनिंग पोस्ट	असंयमित और अभद्र समाचार प्रकाशित करने के संबंध में	जारी न रखने पर 23-01-2012 को बंद कर दी गई।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
20.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुम्बई	आउटलुक	अभिनेत्री याना गुप्ता के अश्लील चित्र प्रकाशन	जांच समिति के सम्मुख सूचीबद्ध करने के लिए यह मामला तैयार हैं।
21.	श्री महेश कुमार फॉम्बले, पंचशील नगर	1. पुदारी 2. लोकमत	अभद्र विज्ञापनों का प्रकाशन	23-01-2012 को जारी न रखने पर बंद कर दी गई।
22.	अध्यक्ष, हमारी संस्कृति, मुम्बई की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा	मीडिया	अश्लीलता के प्रकाशन के संबंध में।	क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर 7-03-2011 को बंद कर दी गई।
23.	श्री के.सी. रवि, संस्थापक, दिल्ली विकास संस्था, करोल बाग, नई दिल्ली-05	नवभारत टाइम्स	अश्लील विज्ञापन और लेख	कार्रवाई चल रही है।
24.	श्री पार्था सरकार, कलकत्ता-700 063	कोलकता टीवी	वाणिज्यिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग।	क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर 10-05-2011 को बंद कर दी गई।

वर्ष 2011-2012 के दौरान हिंसा/अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीरें (चित्रों) से संबंधित मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
1.	श्री रंजीत मेनन, अभिनेत्री, 31/10 हबीबुलाह रोड, चेन्नई।	इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया	नित्यानंद परमहंस के साथ अश्लील वीडियो/ फोटोग्राफों का प्रकाशन/ प्रसारण	न्यायाधीन होने के कारण 12-05-2011 को बंद कर दी गई।
2-4.	श्री साईमन जोसेफ	1. टाइम्स ऑफ इण्डिया 2. हिन्दुस्तान टाइम्स 3. मिड-डे	अश्लीलता और अभद्रता के प्रकाशन के संबंध में	जारी न रखने पर 14-02-2012 को बंद कर दी गई।
5.	श्री सुरेन्द्र त्यागी, एम्स, नई दिल्ली	टाइम्स ऑफ इण्डिया	अश्लील चित्रों का प्रकाशन	जारी न रखने पर 14-02-2012 को बंद कर दी गई।
6-7.	श्री मनीष बापना, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	1. टाइम्स ऑफ इण्डिया 2. हिन्दुस्तान टाइम्स	अश्लील और अभद्र फोटोग्राफों का प्रकाशन	जारी न रखने पर 05-03-2012 को बंद कर दी गई।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
8.	डॉ. राम प्रकाश शर्मा, सी-4/331, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-85	नवभारत टाइम्स	अशिष्ट विज्ञापन का प्रकाशन	जांच विनियम, 1979 की अपेक्षापूर्ण करने के लिए शिकायतकर्ता को 12-10-2011 को अनुस्मारक भेजा गया। जारी न रखने पर 9-02-2012 को बंद कर दी गई।
9.	श्री अवतार सिंह, 2315ए, सेक्टर 19सी, चंडीगढ़	मीडिया	अशिष्ट विज्ञापन का प्रकाशन	जारी न रखने पर 9-02-2012 को बंद कर दी गई।
10-11.	श्री एस.पी. राजवत, जयपुर।	1. हिन्दुस्तान टाइम्स 2. हिन्दू	एंबलम ऑफ इण्डिया (भारतीय संप्रतीक) के उल्लंघन में डी.ए.वी.पी. द्वारा जारी विज्ञापन का प्रकाशन	कार्रवाई चल रही हैं।
12.	श्री गुरमीत सिंह, द्वारका, नई दिल्ली	टाइम्स ऑफ इण्डिया	अश्लील और व्यस्क फोटोग्राफ का प्रकाशन	जारी न रखने पर 2-03-2012 को बंद कर दी गई।
13.	श्री रविन्द्र द्विवेदी, ठाणे-401 104 (मुम्बई)।	टाइम्स ऑफ इण्डिया	महिला के अश्लील फोटोग्राफों का प्रकाशन	ठोस न होने पर 25-01-2012 को बंद कर दी गई।
14-15.	श्री रविन्द्र द्विवेदी, ठाणे-401 104	1. जन कल्याण 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया	पूनम पांडे के अर्धनग्न फोटोग्राफ का प्रकाशन	ठोस न होने पर 14-02-2012 को बंद कर दी गई।
16.	सुश्री प्रतीभा नेथानी, बोरीवली (वेस्ट), मुम्बई	टाइम्स ऑफ इण्डिया, बाम्बे टाइम्स	अश्लील फोटो का प्रकाशन	ठोस न होने पर 10-01-2012 को बंद कर दी गई।
17.	श्री रविन्द्र द्विवेदी, ठाणे-401 104	नवभारत टाइम्स	अभद्रता का प्रकाशन	ठोस न होने पर 06-03-2012 को बंद कर दी गई।
18.	श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग, जिला मुज्जफरनगर (उत्तर प्रदेश)	अमर उजाला	अश्लील/अभद्र फोटोग्राफों और विज्ञापन का प्रकाशन	शिकायतकर्ता को परिषद् के पत्र दिनांक 19-01-2012 के द्वारा परिषद् की जांच प्रक्रिया, 1979 को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
19.	श्री हरीश दीवान, सफदरगंज इन्क्लेव, नई दिल्ली-21	टाइम्स ऑफ इण्डिया	पूनम पांडे के वक्तव्य और टाइम्स ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित अश्लील/अभद्र फोटोग्राफों के संबंध में	शिकायतकर्ता को परिषद् के पत्र दिनांक 27-01-2012 के द्वारा परिषद् की जांच प्रक्रिया, 1979 को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्थिति
20-22.	श्री अनवर अली, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	1. राष्ट्रीय सहारा 2. शाहफत 3. हिन्दुस्तान एक्सप्रेस	मुस्लिम युवाओं में धार्मिक कट्टरता से संबंध प्रकाशन सामग्री और अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।	कार्रवाई चल रही है।

फिल्मों की गुणवत्ता

3116. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निर्मित की जा रही फिल्मों की घटिया गुणवत्ता के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों की संख्या का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के परिणाम क्या रहे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार फिल्मों का प्रमाणन करता है।

(ग) वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान सी.बी. एफ.सी. द्वारा प्रमाणित हिंदी व क्षेत्रीय भाषिक फिल्मों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सचिव (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।

विवरण

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 01-01-2009 से 31-12-2009 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (क्षेत्र-वार, भाषा-वार (सैलूलॉयड फिल्में)

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	163	-	16	10	3	41	2	-	-	235
2.	मराठी	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99
3.	गुजराती	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62
4.	तमिल	7	-	146	2	9	26	-	-	-	190
5.	पंजाबी	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	बंगाली	5	75	-	-	-		-	4	-	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	भोजपुरी	60	3	-	-	-	1	-	-	-	64
8.	अंग्रेजी	8	-	-	-	-	-	1	-	-	9
9.	तेलूगु	12	-	27	6	2	171	-	-	-	218
10.	कन्नड	2	-	-	175	-	-	-		-	177
11.	नेपाली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12.	राजस्थानी	4	-	-	-	-	-	1	-	-	5
13.	हरियाणवी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14.	असमी	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5
15.	मलयालम	1	-	1	4	77	11	-	-	-	94
16.	राजवंशी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
17.	नागपुरी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	ओडिया	-	1	-	-	-	-	-	16	-	17
19.	मैथिली	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20.	संथाली	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
21.	कोडवा	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22.	सांबलपुरी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
23.	मिशिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
24.	कोंकणी	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	कुल	444	83	190	199	91	250	4	22	5	1288

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 01-01-2009 से 31-12-2010 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (क्षेत्र-वार, भाषा-वार (सैलूलॉयड फिल्में)

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	167	-	11	5	1	30	1	-	-	215
2.	**मराठी**	116	-	-	-	-	-	-	-	-	**116**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	भोजपुरी	65	1	-	-	-	-	1	-	-	67
4.	गुजराती	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62
5.	तेलुगु	20	-	33	7	2	119	-	-	-	181
6.	बंगाली	4	102	1	-	-	-	-	3	-	110
7.	उड़िया	1	1	-	-	-	-	-	24	-	26
8.	मैथिली	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
9.	तमिल	18	-	160	2	7	15	-	-	-	202
10.	कन्नड	-	-	-	143	-	-	-	-	-	143
11.	मलयालम	2	-	-	-	92	10	-	-	1	105
12.	नेपाली	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13.	हरियाणवी	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4
14.	पंजाबी	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15.	अंग्रेजी	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8
16.	छत्तीसगढ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17.	अंगिका	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	राजस्थानी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19.	कोडवा	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
20.	कोंकणी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21.	दखनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22.	तुलु	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
23.	असमी	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	कुल	489	106	205	161	102	175	4	27	5	1274

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 01-01-2011 से 31-12-2011 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (क्षेत्र-वार, भाषा-वार (सैलूलॉयड फिल्में)

क्र. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बैंगलूर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	166	2	7	2	-	28	-	-	1	206
2.	मराठी	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	तेलुगु	12	-	44	8	10	118	-	-	-	192
4.	तमिल	14	1	150	7	3	10	-	-	-	185
5.	कन्नड	-	-	1	137	-	-	-	-	-	138
6.	बंगाली	9	110	-	-	-	-	-	3	-	122
7.	मलयालम	3	-	-	2	84	6	-	-	-	95
8.	भोजपुरी	69	3	-	-	-	-	2	1	-	74
9.	गुजराती	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59
10.	ओरिया	-	1	-	-	-	-	-	37	-	38
11.	पंजाबी	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12.	असमी	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7
13.	अंग्रेजी	5	-	-	-	-	1	-	-	-	6
14.	राजस्थानी	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15.	हरियाणवी	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
16.	दखनी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17.	मालवी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18.	म्यारी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
19.	तुलु	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20.	सुर्यापुरी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21.	कोंकणी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22.	उर्दू	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
23.	मणिपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
24.	डोग्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	कुल	462	118	202	159	97	164	4	41	8	1255

डेयरी विकास

3117. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**

श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में डेयरी विकास कार्यकलापों से संबंधित व्यय में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; **और**

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान **कृषि विकास कार्यकलापों**

पर कुल व्यय की तुलना में डेयरी विकास कार्यकलापों पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) योजना आयोग ने बताया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया और पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, इस विभाग की डेयरी विकास परियोजनाओं के लिए 12वीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान बजट प्रावधान 392.00 करोड़ रुपए है जो 11वीं योजना के दौरान औसत वार्षिक बजट की अपेक्षा काफी अधिक है।

[अनुवाद]

डी.एम.एस. द्वारा डेयरी उत्पादों की बिक्री

3118. **श्रीमती रमा देवी:**

श्री एस. अलागिरी

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) बूथ मांग के अनुसार डेयरी उत्पादों की बिक्री करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.एम.एस. बूथों द्वारा बिक्री किए जाने वाले दुग्ध और अन्य उत्पादों की औसत बिक्री का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना तरल दुध की मांग पूरा करने के बाद अधिशेष दूध से डेयरी उत्पाद तैयार करती है। इस समय डी.एम.एस. अपने डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा कर रही है।

(ग) विगत दो वर्षों के दूध और अन्य उत्पादों की औसत बिक्री का संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) डी.एम.एस. खुद के निर्मित सभी दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम है।

विवरण

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को दर्शाने वाला ब्यौरा

दूध और दुग्ध उत्पाद	2010-11	2011-12
	औसत बिक्री प्रतिदिन	औसत बिक्री प्रतिदिन
दूध (लाख ली. में)	3.13	3.07
दुग्ध उत्पाद		
घी (ली. में)	1386	1535
बटर (किलोग्रा. में)	114	137
फ्लेवर्ड मिल्क (200 मि.ली. बोतल की सं.)	414	198
दही (100 ग्रा. वाले कप/कुल्हड की संख्या)	470	457
दही (200 ग्रा. वाले कप/कुल्हड़ की संख्या)	227	296
छाछ (200 मिली पाउच की सं.)	438	452
पनीर (किग्रा. में)	107	121

ग्रामीण भंडारण योजना

3119. **श्री एम.के. राघवन:**

श्रीमती मीना सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और केरल सहित देश में ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सहित सुविधाओं के सृजन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत वृद्धि की गई भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु केरल और बिहार सहित विभिन्न राज्यों को कितनी राजसहायता/निधियां जारी की गई;

(घ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में और अधिक ग्रामीण गोदाम का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 में स्कीम की शुरूआत से 29 फरवरी, 2012 तक देश में 310.29 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले 27110 गोदामों की संस्वीकृत किया गया है। बिहार और केरल सहित ग्रामीण गोदामों की राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण भंडारण योजना स्कीम उद्यम आधारित है और मांग में अनुकूल है। अतः परियोजनाएं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर संस्वीकृत की जाती हैं। केरल और बिहार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत उद्यमों हेतु निर्मुक्त राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति दर्शाने वाला ब्यौरा

(20.2.2012 की तिथि तक स्थिति-समग्र)

(वास्तविक)

क्र.सं.	राज्य/अन्य	परियोजना की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1197	4577016
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945
3.	असम	198	347577
4.	बिहार	791	242087
5.	छत्तीसगढ़	382	1136740
6.	गोवा	3	290
7.	गुजरात	7546	2355157
8.	हरियाणा	1534	3096434
9.	हिमाचल प्रदेश	56	8122
10.	जम्मू और कश्मीर	5	6751

1	2	3	4
11.	झारखण्ड	6	8597
12.	कर्नाटक	2982	1988085
13.	केरल	166	63467
14.	मध्य प्रदेश	1937	3815220
15.	महाराष्ट	2657	3803551
16.	मेघालय	15	12499
17.	मिजोरम	1	756
18.	नागालैण्ड	2	250
19.	ओडिशा	296	559334
20.	पंजाब	1488	3348626
21.	राजस्थान	1045	704385
22.	तमिलनाडु	1439	745908
23.	उत्तर प्रदेश	840	2790277
24.	उत्तराखंड	182	397661
25.	पश्चिम बंगाल	2340	1018103
26.	त्रिपुरा	1	996
	कुल	27110	31028834

विवरण-II

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राजसहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवारी 2012 तक)
		राजसहायता निर्मुक्त	राजसहायता निर्मुक्त	राजसहायता निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	743.79	604.5381	3253.3219
2.	असम	176.882	124.5728	140.1172
3.	बिहार	131.8875	96.0915	163.8565

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	209.285	147.673	335.006
5.	गुजरात	832.0889	1556.2393	1834.7297
6.	हरियाणा	1062.012	1632.6383	1344.3897
7.	हिमाचल प्रदेश	2.9726	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0.833	8.85	0
9.	झारखंड	2.041	0	12.659
10.	कर्नाटक	676.5377	785.8758	1889.4872
11.	केरल	27.7177	23.2623	32.5194
12.	मध्य प्रदेश	1192.849	508.2957	798.2543
13.	महाराष्ट्र	543.2415	1453.9525	2868.8355
14.	मेघालय	5.8026	32.985	0
15.	मिजोरम	2.5198	0	0
16.	ओडिशा	142.2336	58.4154	276.9456
17.	पंजाब	0.6255	0.9808	3.1252
18.	राजस्थान	308.849	367.7069	360.8431
19.	तमिलनाडु	253.1149	121.9735	338.4675
20.	उत्तर प्रदेश	312.7313	385.1547	332.6773
21.	उत्तराखंड	92.263	193.058	372.833
22.	पश्चिम बंगाल	326.6222	201.7328	315.8162
23.	त्रिपुरा	0	0	4.15
	कुल	7046.895	8304.0012	14678.0343

[हिन्दी]

खेल अकादमियों के लिए निधियां

3120. **श्री देवराज सिंह पटेल:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सहित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमियों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में चल रही कतिपय खेल अकादमियों को प्रोत्साहन/प्रचालन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता/निधियों का प्रतिशत प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और खेल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) गुजरात सहित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमी संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आती।

(ख) से (घ) संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा स्थापित खेल अकादमियों की स्थापना या रखरखाव के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराती। तथापि, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 में शहरी खेल अवसंरचना योजना नामक एक प्रायोगिक स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय सिविक निकाय, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड, खेल अवसंरचना जैसे बहुउद्देशीय हाल, जिमनाजियम, एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ, फुटबॉल मैदान आदि के सृजन के लिए समुचित सहायता के पात्र हैं।

[अनुवाद]

सोने की हॉलमार्किंग

3121. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए क्या मानक बनाए गए है;

(ग) क्या सरकार आंकलन और हॉलमार्क केन्द्रों की स्थापना के लिए आभूषण विक्रेताओं को प्रोत्साहन दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा स्वर्ण आभूषण हेतु प्रचालन लाइसेंसों की संख्या सहित मान्यता प्राप्त आंकलन और हॉलमार्क केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ताओं में हॉलमार्क स्वर्ण के बारे में प्रोत्साहन और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं, वर्तमान में स्वर्णाभूषणें की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक प्रकृति की है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक आई.एस. 1417 : 1999 'स्वर्ण और स्वर्ण मिश्रित धातुएं, आभूषण/कलाकृतियां - शुद्धता और चिह्नांकन विनिर्देशन' प्रतिपादित किया है। यह स्वर्णाभूषण/कलाकृतियों के निर्माण में उनके स्वर्ण अंश के आधर पर स्वर्ण की नौ श्रेणियों को विनिर्देशित करता है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	न्यूनतम शुद्धता	कैरेट
शुद्ध स्वर्ण	999	-
मानक स्वर्ण	995	-
958.3	958	23
916.6	916	22
875	875	21
750	750	18
708	708	17
585	585	14
375	375	9

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन उद्यमियों का आभूषण व्यापार के साथ संपर्क नहीं है, उनको एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना के लिए दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन नीचे दिए गए हैं:

हॉलमार्किंग को प्रोत्साहित करने और देश भर में इसको प्रसारित करने के लिए केन्द्रीय सहायता से प्रयोगिक आधार पर 35 चुनिंदा जिलों में स्वर्णाभूषणों के लिए एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की एक स्कीम सरकार द्वारा 5.75 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नवम्बर, 2005 में अनुमोदित की गई थी। स्कीम को 10.50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ग्यारहवीं योजना में जारी रखा गया था।

एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्र की स्थापना की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता की दर निम्ननुसार है:-

क्षेत्र	दर	
	निजी उद्यमी के लिए	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए
सामान्य	30%	50%
पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्य/ग्रामीण क्षेत्र	50%	75%

आज की तारीख तक स्वर्णाभूषण के लिए 9253 लाइसेंस प्रचलन में हैं। स्वर्णाभूषण के लिए प्रचलित लाइसेंसों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I पर और स्वर्ण-हालमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) देश में हॉलमार्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो जौहरियों/उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीटिया के जरिए प्रचार कर रहा है।

विवरण-I

देश में राज्यवार स्वर्णाभूषणों के लिए प्रचालन लाइसेंसों की संख्या

राज्य	प्रचालन स्वर्ण-लाइसेंसों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	659
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	66
बिहार	217
छत्तीसगढ़	46
गोवा	15
गुजरात	1040
हरियाणा	148
हिमाचल प्रदेश	61
जम्मू और कश्मीर	31
झारखंड	129
कर्नाटक	615
केरल	1179
मध्य प्रदेश	119
महाराष्ट्र	1393
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
ओडिशा	297
पंजाब	202
राजस्थान	204
सिक्किम	0
तमिलनाडु	933
त्रिपुरा	22
उत्तराखंड	0
उत्तर प्रदेश	213
पश्चिमी बंगाल	1050
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10
चण्डीगढ़	89
दादरा व नगर हवेली	5
दमन और दीव	4
पुडुचेरी	27
दिल्ली	479
लक्षद्वीप	0
कुल	9253

विवरण-II

एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्थान	मान्यताप्राप्त केन्द्रों की संख्या		
			केन्द्रीय सहायता के बिना	केन्द्रीय सहायता प्राप्त	कुल
1	2	3	4	5	6
	कर्णाटक				
1.		बंगलौर	8	0	8
2.		मंगलौर	1	0	1
3.		मैसूर	3	1	4
4.		हुबली	0	1	1
5.		टिपटूर	0	1	1
6.		हसन	0	1	1
	केरल				
7.		कालीकट	5	0	5
8.		कोचीन (एर्नाकुलम)	6	0	6
9.		कन्नूर	1	0	1
10.		कोट्टयम	1	1	2
11.		त्रिचूर	7	0	7
12.		त्रिवेन्द्रम	3	0	3
13.		कोल्लम	1	1	2
14.		एल्लपी	0	1	1
15.		पाल्लकाड	1	0	1
16.		थिरुवल्ला	1	0	1
17.		थेलेसरी	0	1	1
	आन्ध्र प्रदेश				
18.		हैदराबाद	3	0	3
19.		विजयवाड़ा	2	1	3

1	2	3	4	5	6
20.		विशाखापत्तनम	0	1	1
21.		सिकन्दराबाद	2	0	2
22.		गूंटूर	0	1	1
23.		भीमावरण	0	1	1
24.		तेनाली		1	1
	तमिलनाडु				
25.		चेन्नई	14	0	14
26.		कोयम्बतूर	10	0	10
27.		मदुरै	3	1	4
28.		सेलम	1	2	3
29.		तिरूचिरापल्ली	1	0	1
30.		नागरकोइल	2	0	2
31.		त्रिची	1	0	1
32.		कुड्डालोर	1	0	1
	गुजरात				
33.		अहमदाबाद	8	0	8
34.		राजकोट	1	0	1
35.		सूरत	1	0	1
36.		बड़ोदरा	1	0	1
37.		अन्जार, कच्छ	0	1	1
38.		जूनागढ़	1	0	1
	महाराष्ट्र				
39.		मुंबई	17	0	17
40.		पुणे	3	0	3
41.		ठाणे	0	1	1
42.		कल्याण	1	0	1

1	2	3	4	5	6
43.		नासिक	1	0	1
	गोवा				
44.		पणजी	0	1	1
	पश्चिमी बंगाल				
45.		कोलकाता	10	0	10
46.		सालगाचिया	0	1	1
	ओडिशा				
47.		भुवनेश्वर	1	1	2
	झारखण्ड				
48.		जमशेदपुर	0	1	1
	बिहार				
49.		पटना	0	1	1
	नई दिल्ली				
50.		नई दिल्ली	18	0	18
	मध्य प्रदेश				
51.		इन्दौर	1	0	1
52.		जबलपुर	0	1	1
53.		भोपाल	0	1	1
	राजस्थान				
54.		जयपुर	2	1	3
55.		जोधपुर	0	1	1
56.		उदयपुर	0	1	1
	उत्तर प्रदेश				
57.		मेरठ	1	1	2
58.		कानपुर	1	1	2
59.		लखनऊ	0	1	1

1	2	3	4	5	6
	पंजाब				
60.		लुधियाना	1	1	2
61.		जालन्धर	0	1	1
62.		अमृतसर	0	1	1
63.		होशियारपुर	0	1	1
	चंडीगढ़				
64.		चंडीगढ़	1	1	2
	हरियाणा				
65.		अम्बाला	0	1	1
66.		पानीपत	0	1	1
	जम्मू और कश्मीर				
67.		जम्मू	0	1	1
		कुल	148	39	187

[हिन्दी]

कृषि आदानों की कीमत

3122. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बीजों, डीजल, उर्वरकों, कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त आदानों की दर में किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(ग) कृषि आदानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) विगत तीन कृषि वर्षों (जुलाई से जून) के लिए कृषि आदानों हेतु थोक बिक्री मूल्य के सूचकांक के वार्षिक औसत (आधार 2004-05+100) के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

वर्षिक औसत (जुलाई से जून)	उर्वरक	विद्युत (कृषि उपयोग)	कीटनाशक	गैर विद्युत मशीनरी	ट्रैक्टर	लुब्रीकेन्ट	डीजल आयल (एचएसडीओ)	डीजल आयल (एडीओ)
2011-12*	135.20	133.80	115.16	121.87	137.40	234.36	167.80	253.44
2010-11	119.19	127.15	113.62	118.99	127.88	200.28	153.86	208.66
2009-10	110.02	118.14	111.42	116.45	123.31	177.78	138.09	172.45
2008-09	106.88	114.57	110.76	111.86	117.58	176.01	133.81	159.33

स्रोत: *आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*

*मार्च 2012 तक

(ग) खेती की बढ़ती हुई आदान लागत के प्रभाव का संतुलन उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने के माध्यम से किया जाता है जो किसानों के पूंजी निवेश पर पर्याप्त मुनाफा प्राप्त करने के लिए उन्हें मदद करता है। केन्द्र सरकार की एजेंसियां तथा राज्य स्तरीय निकाये बाजार में अपने प्रापण संचालनों के माध्यम से विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस समय अपने उत्पाद बेचने में किसानों की सहायता करते हैं जब उस जिन्स के लिए बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाते हैं। सरकार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने तथा तत्पश्चात खेती की लागत को कम करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीयों तथा कृषि व्यवसायों तथा एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन, अभियान्त्रिकी, जल संरक्षण आदि को भी बढ़ावा देती है तथापि सरकार अनेक कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को सहायता के माध्यम से खेती की आर्थिक संभाव्यता में भी सुधार करती है।

[अनुवाद]

पशुपालन विकास

3123. **श्री रमेन डेका:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में पशुपालन विकास हेतु जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का असम में उपर्युक्त क्षेत्र के अंतर्गत नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये योजनाएं किसानों के लिए हद तक लाभाकारी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन प्रत्येक वर्षो के दौरान असम में पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन और डेयरी पर कार्यदल गठित किया है जिसने 12वीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन क्षेत्र पर अधिक बल देने की सिफारिश की है।

(घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना से किसानों को लाभ हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पशुधन उत्पादन और उत्पादकता तथा नस्लों के विकास और संरक्षण में वृद्धि हुई है।

विवरण

विगत प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत असम को जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना के नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
	पशुपालन			
	केन्द्रीय प्रायोजित			
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	614.41	74.08	728.21
2.	कुक्कुट विकास			
	(क) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास	0.00	157.33	0.00
	(b) कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष	25.00	2.50	29.27
3.	पशुधन के संकटाधीन नस्लों का संरक्षण	0.00	28.50	0.00

1	2	3	4	5
4.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना	0.00	0.00	218.20
5.	पशुधन बीमा योजना	50.00	148.50	200.00
6.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	3.30	5.00	10.00
7.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण			
	(क) पशुधन रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	404.74
	(ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग अनुमूलन कार्यक्रम	0.00	15.00	15.00
	(ग) पशुचिकित्सा अस्पतालों व दवाखानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	0.00	872.00	978.00
	(घ) राष्ट्रीय ब्रुशलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	0.00	338.30
	(ङ) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली	0.00	4.00	0.00
	(च) एवियन इंफ्लूएंजा को तैयारी नियंत्रण और रोकथाम	0.00	0.00	15.70
	केन्द्रीय क्षेत्र योजना			
8.	सूअर विकास		58.12	315.93

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

3124. **कुमारी सरोज पाण्डेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/पैकेज का राज्य-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृष्य/खेती योग्य भूमियों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई विशेष स्कीम/कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं देती है। तथापि मृदा अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने तथा भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पूरे देश में विभिन्न पनधारा विकासात्मक कार्यक्रम नामतः वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण, क्षारीय और अम्लीय भूमि का सुधार और विकास तथा झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों (2008-11) में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष 2011-12 के दौरान इन कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का राज्यवार और स्कीमवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पनधारा विकास कार्यक्रम की राज्यवार, स्कीमवार और वर्षवार वास्तविक उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा

वास्तविक क्षेत्र (हैक्टे. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि				2009-10 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि			
		एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	400.00	591.45	125.44		74.42	722.08	2.37	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.00	124.31		175.00	1408.65	184.19		175.00
3.	असम	300.00	79.03	135.00	600.00	0.00	143.56		700.00
4.	बिहार	6.19	61.08			220.85	36.84		
5.	छत्तीसगढ़	1198.52	304.81			765.60	305.80		
6.	गुजरात	963.44	2369.92	869.26		1475.73	1025.01	135.00	
7.	हरियाणा	190.73	296.18	180.00		222.85	302.88	120.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	633.31	1098.40			399.99	751.08		
9.	झारखंड	871.03	1169.31			823.20	51.51		
10.	जम्मू और कश्मीर	543.00	2748.86			250.52	2337.97		
11.	कर्नाटक	2248.29	1946.05			1250.55	1250.00		
12.	केरल	175.70	240.82			200.24	129.24		
13.	मध्य प्रदेश	3127.48	2252.77			2424.83	2694.54		
14.	महाराष्ट्र	1867.00	3459.99			1439.62	2456.91		
15.	मणिपुर	408.00	430.50		885.00	409.00	453.00		755.00
16.	मेघालय	628.00	39.00	38.55	550.00	1036.00	127.46		550.00
17.	मिजोरम	1269.75	452.76	15.00	600.00	1321.37	350.00	30.00	550.00
18.	नागालैण्ड	900.00	300.00		800.00	950.00	300.00		720.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	ओडिशा	847.10	476.32			2010.15	229.30		
20.	पंजाब	581.30	70.26	29.70		40.53	0.36		
21.	राजस्थान	688.40	4185.13	52.95		1557.62	3322.98	153.10	
22.	सिक्किम	391.00	254.17			565.00	245.00	62.00	
23.	तमिलनाडु	551.52	1064.12			893.07	1487.51		
24.	त्रिपुरा	409.28	81.57		350.00	529.00	61.47		280.00
25.	उत्तर प्रदेश	4918.86	3120.52			4960.72	2270.00		
26.	उत्तराखंड	1318.24	386.83			1410.01	400.00		
27.	पश्चिम बंगाल	404.26	86.09			1544.32	418.11		
28.	गोवा	107.79				154.37			
	कुल	26467.19	27690.25	1445.90	3960.00	28338.21	22056.75	502.47	3730.00

वास्तविक क्षेत्र (हैक्टे. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि				2011-12 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि			
		एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	246.75	738.61	14.95	0.00	200.00	1169.84	50.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1061.80	568.51	208.59	250.00	700.00	797.00	54.00	350.00
3.	असम	0.00	153.84	238.00	750.00	0.00	172.02		850.00
4.	बिहार	334.96	50.00	0.00	0.00	500.00	100.00		
5.	छत्तीसगढ़	729.43	156.64	0.00	0.00	743.53	170.00		
6.	गुजरात	982.16	2111.11	434.63	0.00	800.00	1200.00	794.00	
7.	हरियाणा	267.39	692.24	40.00	0.00	394.39	450.00	62.97	
8.	हिमाचल प्रदेश	589.98	751.68	0.00	0.00	400.00	650.00		

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	झारखंड	1114.30	103.67	0.00	0.00	902.30	202.09		
10.	जम्मू और कश्मीर	298.94	463.35	0.00	0.00	751.00	926.93		
11.	कर्नाटक	1250.00	1250.00	0.00	0.00	1125.97	1125.00		
12.	केरल	640.36	150.70	0.00	0.00	268.00	118.00		
13.	मध्य प्रदेश	1729.00	3283.02	0.00	0.00	1600.00	1912.38		
14.	महाराष्ट्र	2679.10	3287.40	0.00	0.00	1852.07	450.00		
15.	मणिपुर	1096.00	500.00	425.00	900.00	516.75	344.00	150.00	900.00
16.	मेघालय	1054.50	50.00	0.00	550.00	1370.20	0.00		600.00
17.	मिजोरम	2500.00	750.00	10.00	550.00	540.00	535.00	10.00	600.00
18.	नागालैण्ड	1460.00	436.16	0.00	850.00	780.00	260.00		1150.00
19.	ओडिशा	1347.20	294.02	0.00	0.00	936.00	141.33		
20.	पंजाब	496.25	63.00	0.00	0.00	0.00	115.34		
21.	राजस्थान	1175.30	3538.32	222.69	0.00	1300.00	2799.29	304.00	
22.	सिक्किम	553.9	118.40	224.00	0.00	86.36	176.00	112.00	
23.	तमिलनाडु	569.24	1681.18	0.00	0.00	1235.00	1242.42		
24.	त्रिपुरा	1245.10	153.10	0.00	420.00	685.06	74.85		550.00
25.	उत्तर प्रदेश	4832.60	2100.00	0.00	0.00	3392.83	2010.00		
26.	उत्तराखंड	1252.20	385.90	0.00	0.00	1065.10	350.00		
27.	पश्चिम बंगाल	185.82	627.81	0.00	0.00	1347.29	844.45		
28.	गोवा	82.60	0.00	0.00	0.00	42.78			
	कुल	29774.95	24458.66	1817.86	4270.00	23534.63	18335.94	1536.97	5000.00

एनडब्ल्यूडीवीपीआरए : सार्वजनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरसीबी और एफपीआर : नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी

विवरण-II

पनधारा विकास कार्यक्रम की राज्यवार, स्कीमवार और वर्षवार वित्तीय उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि				2009-10 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि			
		एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	5400	5810	2600		1334	4526	58	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4350	520		1750	15045	560		1517
3.	असम	5525	1102	1500	5766	0	2504		6764
4.	बिहार	52	678			1840	80		
5.	छत्तीसगढ़	12287	5758			7125	4250		
6.	गुजरात	4253	25166	9600		13816	8320	1400	
7.	हरियाणा	2654	2814	7500		2417	2970	2480	
8.	हिमाचल प्रदेश	5270	7580			3286	2920		
9.	झारखण्ड	7258	11705			6860	890		
10.	जम्मू और कश्मीर	9056	29135			4165	19360		
11.	कर्नाटक	24227	36321			14710	22730		
12.	केरल	2310	2070			1255	1310		
13.	मध्य प्रदेश	2606.2	28024			23920	31110		
14.	महाराष्ट्र	15561	45728			11997	26700		
15.	मणिपुर	3798	3201		8852	3826	3890		7549
16.	मेघालय	5000	671	100	7144	8934	2220		4585
17.	मिजोरम	18938	3207	1000	6000	11012	2260	1000	5500
18.	नागालैण्ड	9000	1900		8749	9500	860		6689
19.	ओडिशा	7167	7008			17597	2600		
20.	पंजाब	4785	589	12000		152	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	राजस्थान	0	47373	7000		12980	27030	3514	
22.	सिक्किम	3324	1359			4950	1090	2500	
23.	तमिलनाडु	9192	8967			14884	12410		
24.	त्रिपुरा	3610	392		3299	4636	280		2334
25.	उत्तर प्रदेश	53156	32320			51609	22640		
26.	उत्तराखंड	15562	3689			14620	3200		
27.	पश्चिम बंगाल	4065	830			12860	2890		
28.	गोवा	587				1499			
	कुल	262449	313917	41300.00	41560	276829	209600	10952.00	34938

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि				2011-12 के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धि			
		एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए	एनडब्ल्यूडी पीआरए	आरवीपी और एफपीआर	आरएडीएएस	डब्ल्यूडीपीए एससीए
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	4166	5992	295	0	2000	16273	833	
2.	अरुणाचल प्रदेश	12139	4520	2010	2183	7650	6620	568	3000
3.	असम	0	2330	2380	6250	0	1700		7100
4.	बिहार	2792	186	0	0	4167	1972		
5.	छत्तीसगढ़	8282	2013	0	0	10000	2800		
6.	गुजरात	9419	15553	8798	0	6666	10000	8591	
7.	हरियाणा	2865	4353	727	0	3286	3865	1146	
8.	हिमाचल प्रदेश	4913	5536	0	0	3335	3011		
9.	झारखण्ड	9286	1080	0	0	7520	1630		
10.	जम्मू और कश्मीर	4986	2780	0	0	6830	9000		
11.	कर्नाटक	14503	24968	0	0	10240	20450		
12.	केरल	8784	1700	0	0	2440	1000		

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	मध्य प्रदेश	17867	35604	0	0	16000	17478		
14.	महाराष्ट्र	22325	41788	0	0	15434	3750		
15.	मणिपुर	8862	5400	7143	9114	4970	4263	1364	7500
16.	मेघालय	8788	1427	0	4585	9983	0		5000
17.	मिजोरम	20834	6276	333	3945	4900	4458	166	5000
18.	नागालैण्ड	14600	2375	0	7090	7800	2000		9600
19.	ओडिशा	11385	3352	0	0	7800	1500		
20.	पंजाब	4190	464	0	0	0	965		
21.	राजस्थान	11500	38517	9676	0	20834	19771	8000	
22.	सिक्किम	4860	990	3200	0	732	2300	1600	
23.	तमिलनाडु	9487	14057	0	0	67970	16750		
24.	त्रिपुरा	10375	200	0	3500	6320	800		4600
25.	उत्तर प्रदेश	48612	21551	0	0	31647	20211		
26.	उत्तराखंड	14487	3673	0	0	24716	4365		
27.	पश्चिम बंगाल	1659	3712	0	0	12250	5286		
28.	गोवा	1129	0	0	0	533			
	कुल	293095	250397	34562,00	36667	296023	182218	22268	41800

एनएलडब्ल्यूडीपीआरए - वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

आवीपी और एफपीओ - नदी घाटी योजना और बाढ़ प्रवण नदी।

आरएडीएएस - क्षारीय और अम्लीय मुद्राओं का सुधार और विकास।

डब्ल्यूडीपीएएससीए - झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।

[अनुवाद]

कपास का मूल्य

3125. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मामूल है कि वर्तमान वर्ष के दौरान किसानों को कपास के बहुत कम दाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कपास उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कपास मूल्यों के उतार-चढ़ाव का निर्धारण

घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार किया जाता है। मौजूदा कपास मौसम 2011-12 में, सभी कपास उत्पादक राज्यों में बीज कपास के मूल्य, मौसम की शुरूआत में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) के 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ऊपर थे। इस समय, बीज कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से 17 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक अधिक है।

(ग) कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के अलावा, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये है:

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूने वाले विद्यमान कपास मूल्यों की स्थिति में, न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत भारतीय कपास निगम के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे मात्रात्मक सीमा के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास कृषकों द्वारा दिये गये सम्पूर्ण बीज कपास की खरीद करें।

(ii) न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों की अनुपस्थिति में भारतीय कपास निगम वाणिज्यिक संचालन कर रहा है ताकि कपास कृषकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3126. **श्री जगदानंद सिंह:**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

श्री नारायण सिंह अमलाबे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार तथा स्थान-वार कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में और के.वी.के. स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा कौन से क्रियाकलाप आरंभ किये गये हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कुल कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में कुल 630 कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों वाले जिलों के नाम और राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में 37 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रत्येक में एक कृषि विज्ञान केन्द्र शामिल है। नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए जिलों का राज्य-वार नाम संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यकलापों में खेत परीक्षण तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शन; किसानों और विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण; उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यकलाप; बीज, रोपण सामग्री तथा पशुधन नस्लों/फिंगरलिंग्स का उत्पादन शामिल है। इसके अलावा चयनित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उनके कार्यकलापों से संबंधित किसानों के मृदा और जल नमूनों का परीक्षण किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों को पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल रु. 1866.76 करोड़ की राशि प्रदान की गई। प्रदान की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केवीके की संख्या	केवीके वाले जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, उत्तर और मध्य अंडमान (मायाबंदर)
2.	आन्ध्र प्रदेश	34	अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी, वारंगल, श्रीकाकूलम, विजयनगरम, कडप्पा, कृष्णा, नेल्लोर, आदिलाबाद, प्रकाशम, खम्मम, निजामाबाद, पूर्वी गोदावरी, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगोंडा, चित्तूर, करीमनगर, कुरनूल, विशाखापट्टनम, मेडक, गुंटूर, अनंतपुर (2), कुरनूल (2), महबूब नगर (2), पूर्वी गोदावरी (2), नलगोंडा (2), वारंगल (2), पश्चिम गोदावरी (2), करीम नगर (2), गुंटूर, प्रकासम, चित्तौड़, कृष्णा
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	पश्चिम सियांग, पश्चिम कामेंग, तिरप, लोअर दिबांग वैली, लोअर सुबानसिरी, पपूमपाड़ा, ऊपरी सियांग, पूर्वी कामेंग, तवांग, लोहित, ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी सियांग, चांगलांग
4.	असम	22	सोनितपुर, कछार, गोलाघाट, कोकराझार, शिवसागर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगईगांव, कार्बी आंगलोंग, कामरूप, उत्तर लखीमपुर, नगांव, तिनसुकिया, करीमगंज, धुबरी, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दारांग, जोरहाट, गोलपाड़ा, हलाकांडी, उदलगूरी
5.	बिहार	38	मुंगेर, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सहरसा, नालंदा, बांका, पटना, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, रोहतास, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, सरन, सुपौल, गया, शिवहर, औरंगाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, नवादा, कैमूर, जमुई, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी, अरवल
6.	छत्तीसगढ़	20	बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, जांगीर-चाम्पा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, कवरधा, कोरिया, राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, रायपुर, सरगुजा
7.	दिल्ली	1	उजवा (नई दिल्ली)
8.	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
9.	गुजरात	28	बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, आनंद, अहमदाबाद, डांग, सूरत, नवसारी, नर्मदा, अमरेली, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, वलसाड, खेड़ा, पंचमहल, मेहसाणा, भरूच, वडोदरा, पाटन, कच्छ, कच्छ (2), भावनगर, जूनागढ़, तापी, राजकोट (2)

1	2	3	4
10.	हरियाणा	18	पानीपत, कैथल, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, झाज्जर, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अंबाला, रेवाड़ी
11.	हिमाचल प्रदेश	12	कुल्लू, ऊना, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति, बिलासपुर, किन्नौर, चंबा, शिमला, सोलन
12.	जम्मू और कश्मीर	16	जम्मू, राजौरी, डोडा, उधमपुर, पुंछ, लेह, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम, कारगिल, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कठुआ, कुलगाम, शोपियां
13.	झारखंड	22	पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पलामू, पाकुर, लौहारदंगा, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, कोडरमा, देवघर, रांची, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, सरायकेला
14.	कर्नाटक	30	रायचूर, हावेरी, बीदर, धारवाड़, कोप्पल, गुलबर्गा, बीजापुर, उत्तर कन्नड़, बगलकोट, हसन, मंड्या, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलूर, दक्षिण कन्नड़, चमराजानगर, कोलार, बंगलौर ग्रामीण, कोडगु, मैसूर, बेलगाम, गडग, दावनगेरे, रामानगरम, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़, गुलबर्गा, बेलगाम
15.	केरल	14	पालघाट, कोल्लम, वेनाद कोट्टायम, कन्नूर, सलप्पुरम, त्रिशूर, कसरागोड, अल्लेप्पे, एर्नाकुलम, कोझिकोड (कालीकट), तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पथानमथीट्टा
16.	लक्षद्वीप	1	किलताब द्वीप लक्षद्वीप
17.	मध्य प्रदेश	47	छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, शहडोल, खंडवा, टीकमगढ़, सिवनी, भिंड, राजगढ़, गुना, बालाघाट, बैतूल, पन्ना, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, सागर, खरगोन, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर, हरदा, दमोह, नरसिंहपुर, देवास, पडारिया, छतरपुर, शिवपुरी, नीमच, मंडला, बड़वानी, उमरिया, श्योपुर, दतिया, भोपाल, रतलाम, विदिशा, सतना, इंदौर, सीहोर, रायसेन, बुरहानपुर, अशोकनगर
18.	महाराष्ट्र	44	वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, गोडचिरौली, औरंबागाद, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, रायगढ़, धुले, नागपुर, नासिक, परभणी, कोल्हापुर, बुलढाणा (1), अमरावती (1), अमरावती (2), नांदेड़, सोलापुर, वाशिम, सिंधुदुर्ग, ठाणे, जलगांव, बीड (1), सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, जलना, हिंगोली, नंदुरबार, लातूर, पुणे (2), जलगांव, अकोला, सतारा (2), बीड (2), बुलढाणा (2), अहमदनगर (2), शोलापुर (2), नासिक (2), नांदेड़ (2), औरंगाबाद (2)

1	2	3	4
19.	मणिपुर	9	पश्चिम इम्फाल, चुड़चांदपुर, तामेंगलांग, चंदेल, सेनापति, बिश्नुपुर, पूर्व इम्फाल, थोबल, उखरूल
20.	मेघालय	5	पश्चिमी गारो हिल्स, रीभोई, जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स
21.	मिजोरम	8	पश्चिमी गारो हिल्स, रीभोई, जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स
22.	नागालैंड	9	दीमापुर, मेदजिफेमा, वोखा, मोकोकचुंग, कोहिमा, तुएनसांग, सोम, जूनहेबोटो, लोंगलेंग
23.	ओडिशा	33	कोरापुट, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, बालासोर, गनाजम, बरगढ़, कंधमाल (फूलबनी), कालाहांडी, जयपुर, ढेंकनाल, अंगुल, भद्रक, नबरंगपुर, सुंदरगढ़, सुन्दरगढ़, नयागढ़, संबलपुर, जगतसिंहपुर, गजपति, रायगढ़, नुआपाड़ा, बौद्ध, मयूरभंज, सोनेपुर, मलकानगिरी, देयोगढ़, झारसुगुडा, पुरी, कटक, खुर्दा, मयूरभंज (2), गंजम (2), सुंदरगढ़ (2)
24.	पुडुचेरी	3	कराईकल, पुडुचेरी, यानम
25.	पंजाब	20	फरीदकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, भठिंडा, होशियारपुर, पटियाला, कपूरथला, संगरूर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, अमृतसर, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, जालंधर, मनसा, तरनतारन, बरनाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)
26.	राजस्थान	42	दौसा, झुनझुनु, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अजमेर, धौलपुर, सीकर, जालोर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बारां, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर पाली, टोंक, जयपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर (2), नागौर (2), बीकानेर (2), जोधपुर (2), चुरू (2), जयपुर (2), जैसलमेर (2), अलवर (2), हनुमानगढ़ (2), प्रतापगढ़
27.	सिक्किम	4	पूर्व सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, दक्षिण सिक्किम
28.	तमिलनाडु	30	सलेम, कुड्डालोर, विरधाचलम, त्रिचिराप्पाली, पेरम्बलुर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, मदुरै, विल्लुपुरम, वेल्लोर, तिरूवल्लुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, विरुधुनगर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, शिवागनगई, नामक्कल, डिंडीगुल, कोयंबटूर, थेनी, नीलगिरी, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरि, तंजावुर, तूतीकोरिन, करूर, अरियालुर
29.	त्रिपुरा	4	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, धलाई, उत्तर त्रिपुरा

1	2	3	4
30.	उत्तर प्रदेश	68	शाहजहांपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत, बागपत, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, बलिया, मऊ, वाराणसी, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, चंदौली, बलरामपुर, संत कबीर नगर, मथुरा, झांसी, रायबरेली फतेहपुर, अलीगढ़, कानपुर (देहात), मैनपुरी, महोबा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, बरेली, कुशीनगर, एटा, आगरा, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, गोंडा, चित्रकूट, उन्नाव, प्रतापगढ़, गाजीपुर, सीधौली, कौशाम्बी, औरैया, देवरिया, महामायानगर, बांदा, अम्बेडकर नगर, सीतापुर
31.	उत्तराखंड	13	चम्पावत, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तराकाशी, बागेश्वर
32.	पश्चिम बंगाल	17	दार्जिलिंग, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुडी, नादिया, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मिदनापुर, पुरूलिया, बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा
	कुल	630	

विवरण-II

37 जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची, जहां नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	नव निर्मित जिलों में खोले जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र	बड़े जिलों में खोले जाने वाले अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दसवीं और ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित जिलों में खोले जाने वाले केवीके	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव (1)	-	दिबांग घाटी, कुरूंग कुमेय, (2)	3
2.	असम	बासका चिरंग, (2)	-	उत्तरी कछार, मोरीगांव (2)	4
3.	दादरा और नगर हवेली	-	-	सिलवासा (1)	1
4.	दमन और दीव	-	-	दमन दीव, (2)	2

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	सूरत में खोला	बनासकांठा, (1)	-	1
6.	हरियाणा	मेवात, (1)	-	पंचकुला (1)	2
7.	जम्मू और कश्मीर	रेसाई, सांबा, रामबन, किश्तवाड़, गंदरबाल, बंदीपोरा (6)	लेह (1)	-	7
8.	झारखंड	रामगढ़, कुटी, (2)	-	-	2
9.	कर्नाटक	चिक्काबालापुर (1)		-	1
10.	मध्य प्रदेश	-	-	अनुपपुर (1)	1
11.	महाराष्ट्र	-	यवतमाल	-	1
12.	मेघालय	-	-	दक्षिण गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स (2)	2
13.	नागालैंड	परीन, कायफिरे (2)	-	-	2
14.	पुडुचेरी	-	-	माहे (1)	1
15.	उत्तर प्रदेश	-	इलाहाबाद (1)	श्रावस्ती, ज्योतिबा फुले नगर (2)	3
16.	पश्चिम बंगाल	-	दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्धमान (3)	पूर्व मिदनापुर (1),	4
	कुल				37

विवरण-III

कृषि विज्ञान केन्द्रों के पिछले तीन वर्षों के कार्यकलापों और हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण (2009-10 से 2011-12)

क्र. सं.	कार्यकलाप	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आयोजित किए गए खेत परीक्षण (संख्या)	26028	27734	29528	83290
2.	आयोजित किए गए अग्रपंक्ति प्रदर्शन (संख्या)	86285	114554	101115	301954
3.	प्रशिक्षित किसान (लाख में)	14.37	15.23	14.68	44.28
4.	प्रशिक्षित विस्तार कार्मिक (लाख में)	1.03	1.00	1.28	3.31

1	2	3	4	5	6
6.	विस्तार कार्यकलापों में प्रतिभागी (लाख में)	106.85	106.27	180.30	393.42
7.	बीज उत्पादन (टनों में)	20898.0	17398.2	29700.0	67996.2
8.	उत्पादित रोपण सामग्री (लाख में)	146.09	140.0	193.28	479.37
9.	उत्पादित पशुधन नस्लें तथा फिंगरलिंग्स (लाख में)	142.72	360.00	49.85	552.57
10.	मृदा, जल पादप, खाद के परीक्षण किए गए नमूने (लाख में)	1.58	2.29	2.49	6.36
12.	किसानों को दिए गए मोबाईल कृषि परामर्श संदेश (संख्या)	0	64108	1343466	1407574

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) तक, मौजूदा वर्ष दौरान कृषि के लिए प्रदान की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	धन प्रदान (करोड़ रुपए में)
2009-10	299.27
2010-11	602.26
2011-12	491.04
2012-13 (बजट आंकलन)	474.19
कुल	1866.76

[अनुवाद]

आकाशवाणी के कार्यक्रमों की अपलोडिंग

3127. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों के अनुरूप आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों को इंटरनेट पर अपलोड करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शीतागार सुविधा

3128. **श्री अधीर चौधरी:**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने शीतागार चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ व देश में शीतागारों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने की कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में शीतागार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) 31.03.2011 तक के शीतागारों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय)

(ख) जी हां, महोदय, खाद्य प्रसंस्कर उद्योग मंत्रालय ने "शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना" स्कीम तैयार की है जिसका लक्ष्य शीत श्रृंखला अवसंरचना की क्षमता 2.32 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। 49 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनमें से 4 आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैं। अन्य 30 परियोजनाएं अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं।

(ग) मंत्रालय शीत श्रृंखला अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं मूल्यवृद्धि हेतु संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में 43.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 21.657 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 81.55 **करोड़** रुपए का व्यय किया है। चालू वर्ष (2011-13) के लिए **बजट** आबंटन 84.28 करोड़ रुपए हैं।

(ङ) सरकार की अन्य एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) और राज्य सरकार भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। कृषि के लिए "शीत श्रृंखला अवसंरचना का सृजन एवं प्रबंधन" की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण सरकार ने शीत श्रृंखला अवसंरचना की स्थापना हेतु अनेक वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं (ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है)।

विवरण-I

31.03.2011 तक शीतागारों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-03-2011 तक	
		कुल संख्या	कुल क्षमता मीट्रिक टन में
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघशासित)	02	210
2.	आन्ध्र प्रदेश	331	1131807
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	5000
4.	असम	27	102979
5.	बिहार	290	1354807
6.	चंडीगढ़ (संघशासित)	06	12216
7.	छत्तीसगढ़	75	371939
8.	दिल्ली	95	126158
9.	गुजरात	477	1650684
10.	गोवा	29	7705
11.	हरियाणा	248	398904
12.	हिमाचल प्रदेश	18	19858
13.	जम्मू और कश्मीर	20	48069
14.	झारखण्ड	51	197874
15.	केरल	193	58105
16.	कर्णाटक	178	476947
17.	लक्षद्वीप (संघशासित)	01	15

1	2	3	4
18.	महाराष्ट्र	484	592308
19.	मध्य प्रदेश	223	940679
20.	मणिपुर	00	00
21.	मेघालय	03	3200
22.	मिजोरम	01	3471
23.	नागालैंड	02	6150
24.	ओडिशा	104	301139
25.	पुडुचेरी	03	85
26.	पंजाब	504	1679218
27.	राजस्थान	132	404585
28.	सिक्किम	01	2000
29.	तमिलनाडु	157	273857
30.	त्रिपुरा	12	33581
31.	उत्तर प्रदेश	1988	12594486
32.	उत्तराखंड	16	70899
33.	पश्चिम बंगाल	484	5811806
	कुल	6156	28680741

* स्रोत: विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.), कृषि मंत्रालय

विवरण-II

सरकार द्वारा घोषित किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा

बंजट 2012-13

शीत श्रृंखला सुविधाएं चालू 100% दर के मुकाबले बढ़ी हुई 150% की दर पर पूंजी व्यय कटौती से जुड़े निवेश हेतु शामिल की गई है।

बजट 2011-12

आधुनिक भण्डारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश को वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतराल वित्तर पोषण स्कीम के लिए पात्र बनाया गया है। अवसंरचना उपक्षेत्र में रूप में शीत श्रृंखलाओं और फसलोत्तर भण्डारण को मान्यता देने का भी प्रस्ताव किया गया था।

बजट 2010-11

* खेत से लेकर बाजार तक पहल के भाग के रूप में बाह्य-वाणिज्यिक उधारियां शीतागारों अथवा शीत कक्ष सुविधाओं जिनमें कृषि एवं संबद्ध उपजों के लिए खेत स्तरीय प्री-कूलिंग सुविधाएं, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा, भण्डारण सुविधाएं शामिल हैं, के उपलब्ध कराई गईं थी।

* खाद्यान्नों और चीनी के लिए 'मण्डियों' अथवा मालगोदामों में यंत्रिकृत संचालन प्रणालियों और पैलेट रैकिंग प्रणालियों की स्थापना के लिए 5% के रियायती आयात शुल्क के साथ रियायती आयात शुल्क के साथ परियोजना आयात स्थिति और ऐसे उपकरणों के प्रतिष्ठापन तथा प्रचालन हेतु सेवाकर से पूरी छूट।

* कृषि और संबंधित क्षेत्रों की उपजों के परिरक्षण अथवा भण्डारण के लिए खेत प्रीकूलरों सहित शीतागारों, शीताकक्षों की प्रारंभिक स्थापना एवं विस्तार तथा ऐसी उपजों की प्रसंस्करण यूनिटों को सेवाकर से पूरी छूट सहित पांच प्रतिशत के रियायती सीमाशुल्क पर परियोजना आयात स्थिति।

* प्रशीतन वैनों अथवा ट्रकों विनिर्माण हेतु अपेक्षित प्रशीतन यूनिटों को सीमाशुल्क से पूरी छूट।

- भारत में निर्मित न की जाने वाली विशिष्ट कृषिगत मशीनरी को पांच प्रतिशत का रियायती सीमाशुल्क।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की उपजों के परिरक्षण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण हेतु विशिष्टिकृत उपकरणों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट तथा उनकी उपजों के भण्डारण एवं माल गोदाम में रखने के लिए सेवाकर से छूट, और
- कृषि में प्रयोग किए जाने वाले ट्रेलरों अर्धट्रेलरों को उत्पादशुल्क से पूरी छूट।

एस.एस.एफ. का दुर्विनियोजन

3129. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि झारखण्ड सहित अनेक राज्यों में नक्सलवाद बेलगाम ढंग से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में गोपनीय सेवा निधि (एस.एस.एफ.) के दुर्विनियोजन के संबंध में कुछ राज्यों से शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) चालू वर्ष (15 अप्रैल, 2012 तक) में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, जबकि इनके परिणामस्वरूप होने वाली मौतें वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग समान रही हैं। चालू वर्ष के दौरान (15 अप्रैल, 2012 तक) घटनाओं तथा मौतों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	घटनाएं	मौते
आन्ध्र प्रदेश	24(7)	1(2)
बिहार	70(112)	10(7)
छत्तीसगढ़	103(141)	22(46)
झारखंड	183(155)	68(39)
मध्य प्रदेश	4(0)	0(0)
महाराष्ट्र	21(19)	20(4)
ओडिशा	49(50)	16(9)
उत्तर प्रदेश	0(0)	0(0)
पश्चिम बंगाल	4(54)	0(29)
अन्य	3(0)	0(0)
कुल	461(538)	137(136)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि के आंकड़ों को दर्शाते हैं)

(ग) से (ङ) गृह मंत्रालय को राज्यों से ऐसी कोई शिकयतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास हेतु नीतियां

3130. **श्री नामा नागेश्वर राव:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रीयल एस्टेट विकास परिषद् ने रीयलटी क्षेत्र के विकास तथा आवासीय इकाइयों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये सरकारी नीतियों में कतिपय परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्थावर सम्पदा विकास परिषद (एन.ए.आर.ई.डी.सी.ओ.) ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामलों पर अपने सुझाव दिए थे:

1. स्थावर सम्पदा (विनियमन एवं विकास) विधेयक, 2011- नारेडकों ने स्थावर सम्पदा क्षेत्र के विनियमन का स्वागत किया था और विधेयक के मसौदे के कुछ प्रावधानों के संबंध में सिफारिशें की थी।

2. अन्य बातों के साथ-साथ आवास क्षेत्र को वित्त एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए सिफारिशे:

   (i) आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.बी. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए समय-सीमा का विस्तार करते हुए और आयकर अधिनियम की धारा 35 ए.डी. के अंतर्गत पूंजी व्यय के भाग के रूप में भूमि की लागत और भवन निर्माण लागत का समावेशन करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के अंतर्गत आवास क्षेत्र को अवसरंचना का दर्जा प्रदान करना।

   (ii) किराया आवास के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन: किराए से होने वाली आय पर 10% की निश्चित दर से कर लगना चाहिए, धारा 24(क) के अंतर्गत किराए से होने वाली आय में से की जाने वाली कटौती 30% से बढ़ाकर 50% तक की जानी चाहिए।

   (iii) आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत आवासीय वित्त कम्पनियों (एच.एफ.सी.) के लिए प्रोत्साहन ताकि वे अशोध्य ऋणों और संदिग्ध ऋणों के लिए अपने ऋण योग्य संसाधनों और प्रावधानों में सुधार कर सके।

   (iv) आवासीय और स्थावर संपदा विकास के सभी क्षेत्रों में तथा एस.ई.जेड. परियोजनाओं में भी बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए।

3. विलम्ब के निवारण के लिए निर्माण योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने तथा सिंगल विंडों प्रणाली की शुरूआत करना।

(ग) नारेडको की उपर्युक्त सिफारिशों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:

1. नोरेडको स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 के निरुपण की प्रक्रिया से सम्बद्ध रहा है।

2. राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशों के संबंध में वित्त मंत्रालय के विचारार्थ हेतु इस मंत्रालय द्वारा संस्तुति की गई है। भारत सरकार के वर्तमान वर्ष के बजट प्रस्ताव में किफायती आवास पर आवश्यक बल दिया गया है।

3. इस मंत्रालय ने निर्माण योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने और सिंगल विंडो की शुरूआत करने के उपायों का पता लगाने की व्यावहार्यता की जांच करने के लिए अन्यों के साथ-साथ नारेडको के प्रतिनिधियों को संयोजित करते हुए एक समिति गठित की है।

कर्णाटक में विज्ञान क्षेत्र

3131. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्णाटक राज्य सरकार से चिकमंगलूर में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नए विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु मानदंड/दिशानिर्देशों को संशोधित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्णाटक के लिए अब तक कितने विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कर्नाटक के लिए अब तक चार विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें से धारवाड़, मंगलोर, बंगलोर और गुलबर्ग, प्रत्येक में एक-एक विज्ञान केन्द्र होगा।

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित जिले के तहत सम्मिलित किया जाना

3132. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** *क्या* **गृह मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में सात जिलों को सम्मिलित करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सात जिलों में नक्सल हिंसा की घटनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने तथा इससे प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई करना मुख्य रूप से उन संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है जो राज्यों में वामपंथी उग्रवादी (एल.डब्ल्यू.ई.) गतिविधियों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और सुरक्षा तथा विकास दोनों मोर्चों पर अनेक योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

केन्द्र सरकार को बिहार राज्य सरकार से 07 और जिलों नामतः वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर, बांका, मुजफ्फरपुर और खगड़िया को नक्सल-रोधी अभियानों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत शामिल करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

हिंसा प्रोफाइल के आधार पर, केन्द्र सरकार ने एस.आर.ई. योजना के तहत पहले से शामिल बिहार के 15 जिलों के अतिरिक्त दिनांक 01-04-2012 से एस.आर.ई. योजना के तहत इन 07 जिलों को भी शामिल किए जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

एस.आर.ई. योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नक्सली हमलों में मारे गए नागरिकों के परिवारों को 1 लाख रुपए तथा सुरक्षा बल कार्मियों के परिवारों को 3 लाख रुपए के अनुग्रह का भुगतान करने की प्रतिपूर्ति की जाती है। आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों/पीड़ित परिवारों को सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना के तहत, मृतक अथवा स्थायी तौर पर अक्षम हो गए व्यक्ति के परिवार को 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके साथ-साथ, वामपंथी हिंसा में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बल कार्मिकों के परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की नीति है।

[अनुवाद]

खाद्य मदों की कमी

3133. **श्री निनोंग ईरींग:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत अरूणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों से खाद्यान्नों की कमी की कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान इन राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों और अन्य मदों की मात्रा को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को राशन वाली मदों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) जिस वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्नः सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय

अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का पूर्ण आवंटन कर रही है। इसके अलावा, इन राज्यों में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आवंटनों के अलावा समय-समय पर इन राज्यों के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को किए गए आवंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन एक सतत् प्रक्रिया है। हाल में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में खाद्यान्नों की किसी कमी की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अरुणाचल प्रदेश में रंगिया-मुरकोंगसलेक खण्ड में रेलवे गेज बदलने का कार्य चलने; बंदरदेवा और भालुकपोंग डिपुओं में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण; और भालुकपोंग डिपु, जो डिपुओं को माल भेजता है, में स्टाक उपलब्ध न होने के कारण सेप्पा और तवांग में कुछ कठिनाईयां पेश आ रही हैं। मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील दायर की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे असम में भारतीय खाद्य निगम के निकटतम डिपु से स्टाक का सीधा उठान करें। वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों में खाद्यानों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यानों का वार्षिक आवंटन वर्ष के शुरू में किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम में आवंटित खाद्यान्नों का उठान करने की अनुमति दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्टाक जमा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सरकार ने एक बार में ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 6 माह तक के राशन का उठान और वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमति दी है। पर्याप्त मालगाड़ियां प्रदान करने का मुद्दा भी समय-समय पर रेलवे के साथ उठाया जाता है। सरकार सम्मेलन, समीक्षा बैठकें आदि करके पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की उपलब्धता और उठान सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

मिट्टी का तेल: सरकार मिट्टी का तेल नियंत्रण आदेश, 1993 के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार केवल खाना पकाने और प्रकाश करने के लिए ऐतिहासिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का तिमाही आवंटन करती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आगे अपनी सीमा में आवंटन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों को किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को कोटे के आवंटन और पिछते तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा उठान किए गए कोटे के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लेवी चीनी: सिक्किम राज्य को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य भारतीय खाद्य निगम प्रचालित राज्य हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को लेवी चीनी के कोटे का पूरा आवंटन भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में किया जाता है। लेवी चीनी के मासिक रिलीज आदेश भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में जारी किए जाते हैं जो संबंधित चीनी मिलों से आवंटित मात्रा का उठान करता है और अपने नामित डिपुओं के जरिए भारतीय खाद्य निगम प्रचालित राज्यों में इसका वितरण करता है। सामान्यत: आवंटन के प्रति आपूर्ति निर्बाधन रहती है लेकिन कभी-कभी प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण, कुछ डिपुओं में लेवी चीनी की आपूर्ति में छोटी-मोटी बाधा आ जाती है। नवम्बर, 2011 में स्टाक का संचलन करने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए एन.आई.टी. पर माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन लागू करने और रेल संचलन में बाधा आने के कारण अरुणाचल में स्टाक उपलब्ध न होने की रिपोर्ट मिली थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में लेवी चीनी के उठान की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम संबंधित चीनी मिलों से भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक चीनी का संचलन करने के लिए मासिक योजना कार्यक्रम बनाता है और इसकी संबंधित राज्य में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवधिक बैठकें करके नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। लेवी चीनी की लागत जमा करने अथवा भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपु से लेवी चीनी का उठान करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त किसी भी अनुरोध को तत्काल स्वीकार किया जाता है। इन राज्यों में चीती की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के पग के रूप में भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया था कि वह 2 माह की जरूरत पूरी करने के लिए प्रत्येक डिपु में पर्याप्त स्टाक उपलब्ध रखे। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को चीनी का मासिक आवंटन करने की पिछली प्रणाली की बजाय अप्रैल, 2012 से तिमाही आधार पर आवंटन किया जा रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को किए गए खाद्यान्नों और अन्य मदों के संबंध में जिंस-वार ब्यौरे

(क) खाद्यान्नों

(i) सामान्य आवंटन

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1.	अरुणाचल प्रदेश	101.56	99.54	101.56	85.02	101.556	74.23
2.	असम	1,485.97	1,400.23	1,673.13	1,591.64	1,806.756	1,518.85
3.	मणिपुर	117.15	122.10	141.84	71.21	160.446	131.44
4.	मेघालय	147.28	145.32	182.93	156.61	181.696	165.96
5.	मिजोरम	82.91	75.68	70.14	64.50	70.140	60.87
6.	नागालैंड	129.55	134.53	126.88	138.13	126.876	132.60
7.	सिक्किम	44.22	44.21	44.25	43.00	44.270	41.46
8.	त्रिपुरा	302.00	279.18	302.62	249.02	308.034	254.41

30.06.2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किया गया अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

(ii) विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

क्र.सं.	राज्य	20.01.2010 को अं.अ.यो./ग.रे.नी./ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन		19.05.2010 को अं.अ.यो./ग.रे.नी./ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन		7.09.2010 एवं 6.01.12010 को ग.रे.नी. के लिए किया गया आबंटन	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.840	0.000	4.114	2.190	12.592	7.180
2.	असम	89.860	23.236	196.381	82.018	290.794	171.081
3.	मणिपुर	8.140	6.467	6.919	0.000	17.730	16.921
4.	मेघालय	8.980	2.335	7.633	7.843	19.034	11.200
5.	मिजोरम	3.340	3.340	5.678	2.781	10.214	10.214
6.	नागालैंड	6.040	1.816	10.268	2.941	14.510	14.510

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सिक्किम	2.100	0.938	2.285	1.277	4.498	4.498
8.	त्रिपुरा	14.440	0.000	12.274	0.000	22.622	22.622

क्र.सं.	राज्य	6.1.2011 को ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन		16.5.2011 को ग.रे.नी. के लिए किया गया आबंटन	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.104	2.404	7.592	3.290
2.	असम	282.673	111.622	220.794	165.663
3.	मणिपुर	5.231	5.231	12.730	10.896
4.	मेघालय	5.773	5.517	14.033	7.810
5.	मिजोरम	18.149	17.599	10.214	3.542
6.	नागालैंड	13.864	9.354	19.510	14.602
7.	सिक्किम	1.646	0.841	10.778	3.919
8.	त्रिपुरा	9.269	0.000	22.622	16.336

नोटः आबंटन के आंकडों में मई, 2010, जनवरी और मई, 2011 के आवंटनों के अधीन न उठाई गई मात्रा में से कुछ राज्यों को किया गया पुनः आबंटन भी शामिल है।

(iii) निर्धनतम जिलों के लिए किया गया अतिरिक्त आबंटन

क्र.सं.	राज्य	ग.रे.नी. का आवंटन	अं.अ.यो. का आवंटन	ग.रे.नी.+ग.रे.ऊ. का कुल आवंटन	*ग.रे.नी. + ग.रे.ऊ. का कुल उठान
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.454	0.283	0.737	0.000
2.	असम	9.458	5.882	15.340	0.000
3.	मणिपुर	0.864	0.351	1.215	0.300
4.	मेघालय	1.060	0.659	1.719	0.000
5.	मिजोरम	0.098	0.061	0.159	0.080
6.	नागालैंड	0.194	0.121	0.315	0.061
7.	सिक्किम	0.241	0.023	0.264	0.146
8.	त्रिपुरा	1.811	0.923	2.734	0.327

*जनवारी, 2012 तक

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी का तेल

कं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए टन में एस.के.ओ. आवंटन			
		2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1.	अरुणाचल प्रदेश	9049	9133	9170	9257
2.	असम	257360	257725	257893	258007
3.	मणिपुर	19723	19723	19743	19907
4.	मेघालय	20283	20339	20359	20401
5.	मिजोरम	6098	6163	6181	6217
6.	नागालैंड	13307	13307	13318	13312
7.	त्रिपुरा	30556	30584	30740	30832
	कुल आवंटन	356376	356974	357404	357933

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का उठान (अतिरिक्त सहित) टन में*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2009-10	2008-09
1.	अरुणाचल प्रदेश	9040	9046	9212
2.	असम	257671	257612	257889
3.	मणिपुर	10611	19716	19648
4.	मेघालय	20243	20314	20322
5.	मिजोरम	6096	6137	6194
6.	नागालैंड	13298	13310	13308
7.	त्रिपुरा	30530	30460	30694
	कुल आबंटन	347489	356595	357267

नोट: उठान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

*स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां

(ग) लेवी चीनी

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 2009-10 से 2011-12 के दौरान लेवी चीनी के उठान का ब्यौरा

(आंकड़ें टन में) (अंनतिम)

राज्य	लेवी चीनी का उठान		
	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
असम	156837	227447	209892
अरुणाचल प्रदेश	113	1939	6211

1	2	3	4
त्रिपुरा	28221	26065	30577
मणिपुर	8856	8625	23840
नागालैंड	16743	16114	16264
मिजोरम	6928	7953	7992
मेघालय	11727	13709	15555
जोड़	229425	301852	310331

स्रोत: आई.आई.एस.एफ.एम.

[हिन्दी]

पी.डी.एस. मूल्य

3134. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) तथा गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के श्रेणियों के लिए मूल्यों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिये आवंटन को कम कर दिया है अथवा कम करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को केरल और बिहार सहित राज्यों से मूल्यों में कमी करने तथा उनके कोटे को बहाल करने में वृद्धि करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के निर्गम मूल्यों को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं। देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवारों प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विगत में किए गए उठान पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आवंटन का मौजूदा स्तर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच में है।

अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सामान्य वार्षिक आवंटन 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमश: 36.08 लाख टन, 136.72 लाख टन और 123.69 लाख टन तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किए हैं। 2010-11 में 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के विशेष मूल्य पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 25 लाख टन खाद्यान्नों सहित 136.72 लाख टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

(ङ) और (च) केरल और बिहार की राज्य सरकारों सहित राज्यों से गरीबी रेखा से ऊपर के अतिरिक्त आवंटनों के

निर्गम मूल्य कम करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। चूंकि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए ये अतिरिक्त आवंटन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक-समान रूप से लागू अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किए गए थे इसलिए ये अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए थे।

गरीबी रेखा से ऊपर के निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के बारे में केरल और बिहार की राज्य सरकारों सहित राज्यों से प्राप्त अनुरोधों और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर विचार करते हुए सरकार ने जून, 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 50 लाख टन का अतिरिक्त आवंटन किया है। वर्ष 2012-13 के लिए भी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 61.73 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा रिलीज की है।

गेहूं खरीद मूल्य

3135. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले दशक के दौरान गेहूं खरीद मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इसी अवधि के दौरान किसानों को उपलब्ध कराए गए गेहूं के बीजों तथा उर्वरकों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचार के आधार पर, मुख्य कृषि जिन्सों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक न्यूनतम गारण्टी मूल्य के अनुरूप उस स्थिति में हैं, जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते है। यदि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में उच्चतर मूल्य प्राप्त होता है तो किसान उस मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। 2011-12 में सरकार द्वारा गेहूं के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004-05 में 640 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में 1285 रुपए प्रति क्विंटल है (100 प्रतिशत की वृद्धि)।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के मद में उर्वरक के मूल्यों में 2004-05 की तुलना में 2011-12 में 32.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तैयार परिवर्तनशील आदान मूल्य सूचकांक के अनुसार गेहूं बीजों के मूल्यों में 2004-05 की तुलना में 2011-12 में 132.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

3136. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में जर्मन कंपनी के साथ सरकारी-निजी भागीदारी के लिये किसी शहरी अवसंरचना निधि को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इसे कहां स्थापित किया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय): (क) से (ग) जी, हां। जर्मन डेवलपमेंट बैंक, के. एफ.डब्ल्यू. के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी शहरी अवस्थापना निधि (पी.पी.पी. यू.आई.एफ.) को प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव है। पी.पी.पी.यू.आई.एफ. के लिए प्रस्तावित संस्थागत ढांचा शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक न्यास होगा। पी.पी.पी.यू.आई.एफ. के बोर्ड के न्यासियों में शहरी विकास मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और भारत सरकार के अन्य अभिकरणों जो उपयुक्त समझे जाएं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। जहां तक पी.पी.पी.यू.आई.एफ. के प्रचालन प्रबंधन का संबंध है, एक प्रचालन प्रबंधन समिति (ओ.एम.सी.) बनाई जाएगी जो न्यासी बोर्ड उप समिति होगी।

पी.पी.पी.यू.आई.एफ. का उत्पादन पोर्टफोलियों पी.पी.पी. परियोजना चक्र, अर्थात, क्षमता निर्माण, परियोजना चिन्हांकन, परियोजना संरचना और निधियन सहायता, की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्यक्रम

3137. **श्री गोपाल सिंह शेखावत:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर टीवी धारावाहिक, फिल्में तथा अन्य कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन केंद्र-वार ऐसे कितने धारावाहिक, फिल्में तथा अन्य कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र में तैयार किये गये तथा प्रसारित किये गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) देश की "प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों" पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म प्रभाग द्वारा किया गया है/किया जा रहा है। इन फिल्मों/वृत्तचित्रों का प्रसारण अनिवार्य प्रदर्शन हेतु देशभर के विभिन्न थिएटरों में किया जाता है और साथ ही, इनका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर भी किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित और चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्मित की जाने वाली फिल्मों की सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

तथापि, फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों/वृत्तचित्रों के अतिरिक्त, दूरदर्शन अपने चैनलों पर प्रसारित करने के लिए धारावाहिकों/कार्यक्रमों का निर्माण करता है। दूरदर्शन द्वारा निर्मित किए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों/फिल्मों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान देश की प्रख्यात महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्मित फिल्में

वर्ष - 2009-2010

क्र. सं.	शीर्षक	अवधि (मिनटों में)	गेज	भाषा
1.	महारानी लक्ष्मी बाई	55	35 एमएम	अंग्रेजी
वर्ष - 2010-2011				
1.	बेगम हजरत महल - अवध की अंतिम महारानी	26	35 एमएम	हिन्दी
2.	मतांगिनी हाजरा	22	35 एमएम	हिन्दी
3.	चन्द्र सिंह गढ़वाली	26	35 एमएम	हिन्दी
वर्ष - 2011-2012				
1.	जूनी गुर (एक अनकही कथा)	26	डिजीटल	हिन्दी
देश की प्रख्यात महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्माणाधीन फिल्में (वर्ष 2012-13 में पूरी हो जाएंगी)				
1.	वीरांगना झलकारी बाई	25	35 एमएम	हिन्दी

विवरण-II

दूरदर्शन द्वारा महिला स्वाधीनता सेनानियों पर निर्मित और प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण:-

नेशनल	डीडी नेशनल	1. इंदिरा प्रियदर्शिनी (19-11-2009) 2. इंदिरा गांधी - एन इंडियन फर्स्ट (19-11-2009) 3. दिनांक 31-10-2009 को श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर मेमोरियल कंसर्ट (31-10-2009) 4. तैयब बेगम: पहल (14-03-2010) 5. दिनांक 31-10-2010 को श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर मेमोरियल कंसर्ट 6. निमेंबरिंग इंदिरा दिनांक 19-11-2010 को कोमल जी.बी. सिंह की फोरी नेहरू से बातचीत 7. दिनांक 31-10-2011 को श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर मेमोरियल कंसर्ट 8. इंदिरा गांधी - एक महिला एक मां 19-11-2011
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1. जागृति - आन्ध्र प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर 4 कड़ियों का प्रसारण और 2. मल्लू, स्वराज्यम, सरोजिनी नायडू, के.बी.एम. यशोदम्मा, माधुरी वेंकट रमणम्मा, सिवराजू सुब्बम्मा, पालकोडेटी स्यामला चकली हम्मा पर लघु प्रोफाइलों सहित फ्रीडम पार्क - प्रायोजित
केरल	तिरुवनंतपुरम	प्रख्यात महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती अकम्मा चेरियन पर एक कार्यक्रम दिनांक 12-02-2010 को डीडी-मलयालम चैनल पर प्रसारित किया गया।
तमिलनाडु	चेन्नै	स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के बायोग्राफिकल स्केच नामक कार्यक्रम में दिनांक 02-05-2010 को विजय लक्ष्मी पंडित पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1. नगर कथा - झांसी (झांसी की रानी पर कार्यक्रम) दिनांक 30-09-2011 को प्रसारित किया गया। 2. भूली बिसरी यादें - स्वरूप कुमारी बक्शी पर दिनांक 14-12-2012 को प्रसारित किया गया।
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1. शहीद तीर्थ ताम्लुक दिनांक 09-08-2009 को प्रसारित किया गया। 2. घरे बायरे: स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका - दिनांक 11-08-2010 को प्रसारित किया गया।

3. सरला देवी चौधरानी (स्वतंत्रता सेनानी) पर हे महाजीबन - दिनांक 14-08-2011 को प्रसारित किया गया।

4. मतांगिनी हाजरा: 1942 में अंग्रेज पुलिस द्वारा मारी गई बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद - दिनांक 15-12-2011 को प्रसारित किया गया।

फिल्में

1. बियालिस: (महिलाओं की भूमिका को दर्शाया गया है) - दिनांक 02-10-2010 और 21-10-2011 को प्रसारित किया गया।

2. चट्टोग्राम अस्त्रागार लुंठान: (बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित) - दिनांक 26-01-2011 और 26-01-2012 को प्रसारित किया गया।

दूरदर्शन द्वारा महिला स्वाधीनता सेनानियों पर बनाए जाने वाले कार्यक्रमों के ब्यौरे

राज्य	चैनल/केंद्र का नाम	शीर्षक
नेशनल	डीडी उर्दू	1. बेगम हजरत महल
		2. नजमा हेपतुल्ला
		3. अमजदी बेगम
		4. सा - अदत बानो
		5. अजीजन बाई
		6. बानो बेगम (बी-अम्मा)
		7. बानो कृष्णा
		8. रानी गूडु
		9. दुर्गा भाभी

[अनुवाद]

केबल अधिनियम में संशोधन

3138. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार के केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में उपयुक्त संशोधन करने तथा पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण का इन केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण प्रमाणपत्र/उक्त प्रमाणपत्रों का नवीकरण करने से इंकार करने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिन्होंने राज्य अधिनियम के तहत मनोरंजन कर तथा केबल कनेक्शन की विनिर्दिष्ट दर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का संशोधन कब तक किये जाने और उसे लागू किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) मंत्रालय को केबल ऑपरेटरों पर लगाए जाने वाले मनोरंजन शुल्क की उगाही न किए जाने के मुद्दे के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। राज्य

सरकार ने मंत्रालय से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया था ताकि डाक और तार विभाग (पंजीयन प्राधिकरण) उन केबल ऑपरेटरों को पंजीयन या नवीकरण प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर सके जिन्होंने राज्य अधिनियम के अंतर्गत मनोरंजन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। यह ध्यान में लाया गया कि केबल ऑपरेटरों द्वारा अदा किए जाने वाले मनोरंजन शुल्क का उदग्रहण केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त केबल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर किया जाता है और यह भी कि केबल ऑपरेटरों द्वारा केबल कनेक्शनों की बहुधा अल्प-घोषणा की जाती है जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में मनोरंजन कर की वंचना होती है। अब केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 को दिनांक 31.12.2011 से प्रवृत्त कर दिया गया है जिसमें आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज या शुल्क न संलग्न करने पर पंजीयन प्राधिकरण द्वारा केबल पंजीयन या उसके नवीकरण की मंजूरी देने से इंकार करने की शक्ति प्राप्त होने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मंत्रालय ने दिनांक 11.11.2011 की अपनी अधिसूचना के तहत केबल टी.वी. क्षेत्र में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली की शुरुआत की है जिसमें ऐनलॉग केबल टी.वी. सेवाओं के लिए 31 दिसंबर, 2014 को अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है। संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण से व्यवसायिक कारोबार में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और उपभोक्ता-आधार के मुद्दे का निदान किया जा सकेगा तथा राजस्व हानि के संबंध में आने वाली खामियों को दूर किया जा सकेगा।

खराब हुए खाद्यान्नों का निपटान

3139. **श्री एस. अलागिरी:**

डॉ. संजय सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेट रनिंग कान्ट्रेक्ट (आर.आर.सी.) और बिना आर.आर.सी. के तहत (खराब हुए) खाद्यान्नों के निपटान संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आर.आर.सी. की उपरोक्त प्रक्रिया में पता लगाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या निष्कर्ष निकला?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेट रनिंग कांट्रेक्ट के अधीन किसी क्षतिग्रस्त स्टाक का निपटान नहीं किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को पेशकश किए गए निविदा बिक्री के जरिए क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का निपटान और डम्प किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निपटान की मात्रा टन में		
	निविदा बिक्री	राज्य सरकारों को पेशकश	डम्प की गई
2009-10	10512.398	3	12
2010-11	9033.31	78	31.4
2011-12	1422.75	0	16.28

(ख) चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान रेट रनिंग कांट्रेक्ट के अधीन किसी क्षतिग्रस्त स्टाक का निपटान नहीं किया गया था इसलिए उपर्युक्त प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व राज्यों में सड़कों का निर्माण

3140. **श्री बदरुद्दीन अजमल** : क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्व राज्यों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और परियोजना-वार सड़कों के निर्माण पर कितनी धनराशि आबंटित एवं व्यय की गई;

(ख) क्या सड़कों के निर्माण की गति धीमी है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामों को अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों के साथ जोड़ने में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व राज्यों में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) उत्तर

पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एल.एन.सी.पी.आर.) स्कीम, विशेष अवसंरचना विकास निधि (एस.आई.डी.एफ.) स्कीम और पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) की स्कीम के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का निधीयन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत सड़कों के निर्माण के लिए आबंटित की गई और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और परियोजना वार ब्यौरा संलग्न विवरण I,II और IV में दिया गया है। विवरण मंत्रालय के वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इन स्कीमों के तहत सड़कों के निर्माण के लिए अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) इन स्कीमों के तहत कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति निर्धारित समय-सूची के अनुरूप नहीं है, जिसे परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूरा होने और परिणामी लाभों में देरी हो रही है। इन स्कीमों के तहत जिन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है उनका परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण III और V दिया गया है। विवरण मंत्रालय के वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) इस मंत्रालय की परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठके आयोजित की जा रही हैं। आवश्यकतानुसार परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बिना किसी देरी के निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण-I

एन.एल.सी.पी.आर. स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य-वार, परियोजना-वार जारी की गई निधियां और विशेष बी.टी.सी. पैकेज (19.04.12 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य और परियोजना का नाम	जारी की गई निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	सगाली से सैकियांग (50 कि.मी.) सड़क का सुधार/निर्माण	0.00	107.35	265.39
2.	सियुम (स्पॉन 174.00 मी.) के पास सुबनसिरी नदी पर स्टील सस्पेंशन पुल का निर्माण	204.05	0.00	382.68
3.	गांधी पुल स्थल पर सियांग नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण	0.00	0.00	1164.18
4.	मेंगा-जीबा सड़क (8 कि.मी.) का सुधार/निर्माण	128.40	0.00	80.25
5.	तुतिंग के निकट सियाग नदी पर स्टील सस्पेंशन पुल और कोडक में पहुंच मार्ग सड़क का निर्माण	0.00	246.23	0.00
6.	बामेंग से लादा तक (40 कि.मी.) सड़क का निर्माण	276.30	262.83	0.00

1	2	3	4	5
7.	मांचल प्रशासनिक सर्कल को जोड़ने के लिए लोहित नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण (लंबाई 156.55 मी.)	0.00	0.00	319.30
8.	निर्जुली से सागाली तक दोइमुख टोरू सड़क का सुधार 40 कि.मी. (एन.एच.-52ए से)	0.00	0.00	124.65
9.	ऊपरी सियांग जिला में जेंगिंग से रामसिंह तक सड़क का निर्माण (35 कि.मी.)	113.92	0.00	0.00
10.	सियोग पर केयिंग से पाकसिंग सड़क तक पुल का निर्माण (122.00 कि.मी.)	126.81	0.00	0.00
11.	पश्चिमी कामेंसिग जिले में नाफरा से नाखू और नचीबन तक सड़क का निर्माण (11 कि.मी)	199.09	53.91	0.00
12.	पश्चिमी सियांग जिला में न्योराक से रीमें मोकू गांव तक सड़क का निर्माण (20 कि.मी., फेज-I-9.20 कि.मी.)	355.00	0.00	251.29
13.	निचला सुबनसिरी जिले में जोप से सिलसांगों तक सड़क का निर्माण (30 कि.मी.)	774.41	0.00	0.00
14.	पूर्वी सियांग जिला में संगम प्वायंट पर बी.आर.टी.एफ. सड़क और कोमसिंग गांव के बीच सियांग नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशल पुल का निर्माण (लंबाई 225 मी)	0.00	0.00	652.04
15.	पूर्वी सियांग जिले में सिल्ले से यागरूंग तक सड़क का निर्माण (10 कि.मी.)	176.80	0.00	0.00
16.	दुमपोरिजों से हाली तक सड़क का निर्माण (45 कि.मी.)	1121.06	0.00	700.68
17.	सतनागुरी से लांगडिंग सड़क वाया कनुबाड़ी, बनफेरा, वानू और जेदुआ (फेज-I) – (15.50 कि.मी.) का निर्माण	124.48	0.00	0.00
18.	गचम-मोरशिंग सड़क का निर्माण (24.50 कि.मी)	706.50	0.00	420.81
19.	वाक लीरोमबा सड़क (78 कि.मी.) – फेज – I (15 कि.मी.)	233.00	0.00	146.39
20.	न्यू मोहोंग से महादेवपुर टाऊनशिप वाया नोंगखोन तक सड़क का निर्माण (12 कि.मी)	106.44	0.00	95.20

1	2	3	4	5
21.	चांगलांग से खिमीयांग तक सड़क का निर्माण (36.10 कि.मी.)	303.07	0.00	200.51
22.	तामेन-तली सड़क (60 कि.मी.) वाया यिरकोउम तक निर्माण - फेज-I 0-49 कि.मी.	509.55	0.00	0.00
23.	संग्राम से फासांग-पलांग वाया नयापिन (एस.डी.ओ. मुख्यालय)- फेज-I तक सड़क का निर्माण	268.81	231.44	0.00
24.	दोजिंग, पारेंग, सिने, यिबुक, लिजिंग सड़क (फेज-I) का सुधार एवं विस्तार	0.00	0.00	656.30
25.	खेती से- ददाम तक (21 कि.मी.) सड़क का निर्माण	382.76	0.00	0.00
26.	जीरो टाऊनशिप में 32 कि.मी. आंतरिक सड़क का पुन:स्थापन और उन्नयन	495.00	0.00	299.27
27.	पूर्वी सियांग जिले में बोरगुली गांव और सेरम के के बीच तासिंग नदी पर सिंगल लेन बैली ब्रिज (लंबाई 40 कि.मी.) का निर्माण	0.00	0.00	122.35
28.	सिंगचुंग सब-डिवीजन के तहत मागोपाम से बिचोम वाया नामफ्री (50 कि.मी.) वाया दिचिंग, सचेदा, रामू-सोटू और लिचीनी तक सड़क	493.65	548.26	340.88
29.	याचुली (निचली सुबनसिरी) में 80 कि.मी. प्वांयट से किमिन - जीरो बी.आर.टी.एफ. सड़क से कृषि विज्ञान केन्द्र तक सड़क का निर्माण (5.50 कि.मी.)	276.85	276.17	0.00
30.	मारियांग प्रभाग के तहत रेगलट में यामने नदी पर मोटरवाहन योग्य स्टील आर्क पुल का निर्माण (लंबाई 90 मी.)	228.38	0.00	0.00
31.	रोइंग शांतिपुर सड़क पर जिआ तिनियाली (सी.एच.:9.20 कि.मी.) से बिजारी वाया इडिली तक सड़क का निर्माण (19.80 कि.मी.)	545.15	0.00	545.15
32.	पुगिंग से पालिंग तक सड़क का निर्माण	540.07	0.00	0.00
33.	अरुणाचल प्रदेश में त्वांग टाऊनशिप नेटवर्क सड़क का सुधार	172.82	0.00	175.82
34.	तिरप जिले में पी.डब्ल्यू.पी. सड़क से कामहुआ नोकनू गांव (पोंगचाऊ सर्कल) से डि.नू.- बी.आर.टी.एफ. सड़क प्वायंट (वाक्का सर्कल) तक सड़क का निर्माण	477.60	0.00	477.60

1	2	3	4	5
35.	पूर्वी सियांग जिले में जे.एन. कॉलेज पासीघाट से बालेक तक सड़क का निर्माण	0.00	172.49	0.00
36.	लोफा से पाकोटी गांव (8 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण	0.00	238.70	238.70
37.	नामसंग-खेला (45.30) तक सड़क का निर्माण	178.11	174.61	0.00
38.	वाकरो सर्कल के तहत कम्फाई नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (लंबाई 80मी.)	0.00	214.00	0.00
39.	दराक से बेलो से योमचा तक सड़क का निर्माण	0.00	352.96	0.00
40.	लुम्बा से रायुंग तक सड़क वाया गल्लांग, जोरू और रिस्सी गांवों (20 कि.मी.) फेज 1 का निर्माण	0.00	776.93	776.93
41.	पाची से रिगोम वाया फाचांग, ताबरी लाचुंग और बोकार तक सड़क का निर्माण (33 कि.मी.)	0.00	509.99	0.00
42.	वाका सर्कल मुख्यालय (19 कि.मी.) फेज-1 के तहत जनाम ओखासुन सड़क का निर्माण	0.00	390.90	390.90
43.	चामबांग से फा (30 कि.मी.), फेज 1 तक सड़क निर्माण	0.00	424.46	0.00
44.	पाके प्वायंट में वोमे नदी पर स्टील पुल का निर्माण	0.00	83.82	0.00
45.	ईटानगर से सिजोसा तक सड़क का निर्माण (86 कि.मी.) फेज 1: काम्पा से तपियासो तक सड़क (30 कि.मी.)	0.00	1551.75	0.00
46.	पश्चिमी सियांग जिला में बूचे नदी पर और बाह ऑफ लिटेमोरे-तारामोरी सड़क पर बैली/आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	108.00	0.00
47.	एन.एच.-153 लांगबी गांव प्वायंट से तेंगमान गांव वाया खेतवा और जोतिन जुडा तक सड़क का निर्माण (35.00 कि.मी.)	0.00	767.86	0.00
48.	पश्चिमी कामेंग जिला में जनंगथुंग-चेरांग-पंचवटी-छांदा सड़क का सुधार	0.00	891.47	891.38
49.	काने गांव वाया मागी से जोड़ने के लिए लीकाबाली-आलो बी.आर.टी.एफ. सड़क के 10 कि.मी. प्वायंट से सड़क का निर्माण (7.5 कि.मी.)	0.00	651.55	0.00

1	2	3	4	5
50.	डिगी से पानीमुरी वाया सिनयुमरिजो सड़क का निर्माण	0.00	0.00	131.95
51.	सुबनसिरी ब्रिज प्वायंट से सेगी सीओ (मुख्यालय) तक सड़क का उन्नयन	0.00	0.00	704.98
52.	लोहित जिले में (4.5 कि.मी.) महादेवपुर शहर से कृष्णापुर गांव लेकेंग सर्कल तक सड़क का निर्माण	0.00	0.00	214.33
53.	पश्चिमी सियांग जिले में पाया में बाएं किनारे को जोड़ने के लिए सियोग नदी पर मोटरवाहन योग्य पुल का निर्माण (लंबाई 120मी.)	0.00	0.00	341.83
54.	पूर्वी सियांग जिले में रानी से ओइरामघाट (असम) वाया सिका टोडे-सिका बामिन गांव-जामपानी और आंचलघाट कैंप सड़क का निर्माण (25कि.मी.)	0.00	0.00	1195.85
55.	पूर्वी कामेंग जिले में पाके से सेप्पी लिया सड़क का विकास (22 कि.मी.)	0.00	0.00	574.63
56.	नामचिग-मिआओं-एमपेन सड़क का उन्नयन (37 कि.मी.)	0.00	0.00	747.62
57.	ऊपरी सुबनसिरी जिले में दोपोरिजो कस्बे में आंतरिक सड़क का सुधार और उन्नयन	0.00	0.00	188.71
58.	पश्चिमी कामेंग जिले में मागो से बिचोम वाया नामफ्री, डिचिंग, सचेदा, रामू-सूतू और ऊचीनी (चरण-II) सड़क का निर्माण	0.00	0.00	735.76
	असम (विशेष बी.टी.सी. पैकेज सहित)			
59.	धेमाजी जिला (असम) में पहुंच सहित बहिरजोनाई बेरचापारी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1, 3/1 और 5/1 का निर्माण	0.00	222.10	0.00
60.	कोकराझार में ढुबरी-काचूगांव सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.आर.सी. पुल संख्या 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1 और 45/1 का निर्माण	205.46	0.00	0.00
61.	हेलाकांडी जिला में सिल्चर-हेलाकांडी सड़क पर पहुंच मार्गों और सबवे सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 38/1, 43/1, 43/3 और 44/2 का निर्माण	0.00	139.53	0.00

1	2	3	4	5
62.	बास्का जिले में दाओधारा से डूमनी वाया नाओपूता खांडा सड़क का निर्माण (बी.टी.सी. पैकेज-2)	0.00	0.00	469.30
63.	गोलपाड़ा जिले में गुरनगर टीकारीकिला सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 और 4/2 का निर्माण	0.00	0.00	141.00
64.	कोकराझार जिले में गोरंग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 2/1 का निर्माण	0.00	305.00	0.00
65.	सोनितपुर जिला में चारियाली पावोई सड़क पर संरक्षण कार्य और सबवे और पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 6/1 का निर्माण	29.58	0.00	0.00
66.	नलबाड़ी जिला में बागाल्स सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 16/1, 9/1, और 19/3 का निर्माण	111.44	0.00	0.00
67.	सिवसागर जिला (असम) में सिपोन सूफ्री सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल सं. 6/1, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 11/1 और 11/2 का निर्माण	0.00	0.00	163.72
68.	असम के डिब्रूगढ़ जिला में बामुनबाड़ी से जारीगुरी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 2/1 का निर्माण	0.00	43.76	0.00
69.	जोरहाट जिला (असम) में तेओ बोलोमा नाकाचारी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 11/1 का निर्माण	0.00	63.07	0.00
70.	गोलाघाट जिला, असम में माउंट गोलाघाट मेरापनी सड़क पर पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्य सहित आर.सी.सी. पुल सं. 24/2 और 32/2 का निर्माण	74.98	31.99	0.00
71.	असम में बोंगाईगांव जिले में जोगीघोपा चपार सड़क भारलकुंडा नदी पर पहुंच मार्गो सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 5/1, सिस्टर-पार बील पर 7/1, दुलानी बील पर 8/1, चम्पामती नदी की डिस्ट्रीब्यूटी पर 9/9 और हिल कनाल पर 11/1 का निर्माण	200.10	0.00	0.00
72.	असम में उदालगुड़ी जिला में बंगबाड़ी अंबागांव सड़क पर भुल्ला नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 2/3 लाखी नदी पर पुल संख्या 3/2 और लखीमोरासुती नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 7/2 का निर्माण	188.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
73.	बारपेटा जिला, असम में डॉ. जीना राम दास सड़क पर पहुंच मार्गों सहित कलदिया नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 2/4, 6/1 और 8/1 का निर्माण	216.12	0.00	0.00
74.	असम में बारपेटा जिले में 1 कि.मी. से 21वें कि.मी. बारपेटा बाशीबारी सड़क मानस सेंच्युरी की ओर जाने वाली सड़क का सुधार	250.00	0.00	103.11
75.	जोरहाट जिले में जे.बी. सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 4/1 और 6/1 का निर्माण	115.20	0.00	72.69
76.	मोतीनगर से बुबन हिल मंदिर-फेज-1 तक सड़क और लघु पुल का निर्माण	0.00	0.00	131.16
77.	बिशमुरी सरलपाड़ा सरभंगा सड़क का सुधार और उसे चौड़ा करना (बी.टी.सी. पैकेज-2)	0.00	0.00	1169.00
78.	नागांव जिले के अंतर्गत नागांव-बारापुजिया सड़क का सुधार	85.63	86.04	0.00
79.	भंगापर से चन्द्रनाथपुर वाया बाबुर बाजर (लंबाई 5.5 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण	0.00	100.00	0.00
80.	जोरहाट शहर में सड़कों का सुधार	78.43	0.00	49.57
81.	सिवसागर शहर में सड़कों का सुधार	108.00	0.00	0.00
82.	नजीराखाट सोनापुर सड़क (लंबाई 6.00 कि.मी.) को चौड़ा और बड़ा करना।	130.80	0.00	0.00
83.	पहुंच मार्गों सहित दो आर.सी.सी. पुल संख्या 18/1 और 19/1 सहित 12 कि.मी. से 18 कि.मी. तक डिब्रूगढ़ सेपाखाती सड़क का निर्माण (सराईघाट में बुरीडिहिंग नदी के ऊपर पुल)	828.72	0.00	0.00
84.	गुवाहाटी, असम में काहिलीपाड़ा से डान बास्को स्कूल तक सड़क का सुधार	113.84	0.00	0.00
85.	कामरूप जिले में एन.एच.-37 से रामपुर मॉडल सड़क का सुधार	129.39	0.00	0.00
86.	असम के बास्का जिले में हाजुआ नलबाड़ी सड़क पर पोटा नदी पर आर.सी.सी. पुल सं. 1/1 का निर्माण	0.00	0.00	106.92

1	2	3	4	5
87.	ढ़बरी जिले में सिलेरपार-बोरशीझोरा सड़क पर नियमित नेहर गदाधर के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1 का निर्माण	182.55	81.13	0.00
88.	नागांव सड़क में श्रीमंता संकरदेव गोवेसोना केन्द्र सड़क के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1 का निर्माण	50.00	111.62	0.00
89.	दुबरी जिले में बेलगुडी-सत्रसाल सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 4/1 का निर्माण	110.69	49.20	0.00
90.	हेलाकांडी जिले की स्वपनपुर से रामचांदी सड़क की मैटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	153.50	0.00	0.00
91.	एन.एच.-37 से जी.एस. सड़क तक बिजली कार्य सहित 4 लेन त्रिपुरा सड़क का निर्माण	332.43	0.00	0.00
92.	काचर जिले में पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्य सहित घाघरा नदी के ऊपर कथाल सड़क का 7 कि.मी. पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	100.00	0.00
93.	पहुंच मार्गों सहित नलबाड़ी जिले में बागल्स सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 10/1 और 18/1 का निर्माण	0.00	0.00	123.45
94.	लखीमपुर जिले में बहानीगांव स्ट्रीम के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 18/2 और लालुक-नारायणपुर वाया बिहपुरिया सड़क पर काचीकाता नदी के ऊपर पुल संख्या 19/1 का निर्माण	0.00	84.30	0.00
95.	मोरीगांव जिले में पहुंच मार्गों सहित भोरभागिया मिकिरभेटा धियांग सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 5/3 का निर्माण	0.00	0.00	139.68
96.	गुंजुंग माईबांग सड़क 17 से 28.78 कि.मी. (एन.सी. हिल्स) की मैटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	198.71	0.00	0.00
97.	डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत दिसाम नदी के ऊपर गौरीसागर मोरान सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 57/1 का निर्माण और नाहरकाटिया-तिनखोंग सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 15/2 का निर्माण	0.00	0.00	162.87
98.	पहुंच मार्गों सहित धरमतुला धांधुआ सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 7/1 का निर्माण	0.00	99.60	0.00

1	2	3	4	5
99.	उदालगुड़ी ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत बदलापारा से धर्मजुली तक सड़क का सुधार	0.00	231.32	0.00
100.	31 कि.मी. (कारबी एंगलांग) में बी.बी.डी.सी. सड़क का सुधार	1216.93	0.00	0.00
101.	दिरिंग नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 8/6, (ख) बोरजन नदी के ऊपर पुल संख्या 18/1, (ग) बोरजन नदी के ऊपर पुल संख्या 19/1, (घ) डोनजोन नदी के ऊपर पुल संख्या 23/3, (ड) कोकोसांग नदी के ऊपर पुल संख्या 27/3 (2) कोहरा (कारबी एंगलांग) नदी के ऊपर पुल संख्या 2/1 का निर्माण	351.19	0.00	0.00
102.	असम में नंदिनी कराइमारी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 2/1 का निर्माण	204.25	0.00	0.00
103.	गरमाड़ी गगालमाड़ी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 4/1 का निर्माण	72.81	0.00	95.21
104.	रूपशिर अली (पुल संख्या 3/2, 5/2 और 5/4 का निर्माण)	66.15	0.00	85.05
105.	नागांव बारापुजिया सड़क (एन.एच.-38) सड़क प्रभाग पर आर.सी.सी. पुल संख्या 7/1, 15/1 और 19/1 का निर्माण	146.00	0.00	0.00
106.	गोराईमारी-देवागुड़ी, असम में पहुंच मार्गों सहित आर.सी.सी. पुल संख्या 12/1 का निर्माण	113.11	0.00	0.00
107.	घाघरा नदी के ऊपर मुख्य आर.सी.सी. पुल का निर्माण सहित चेनकूरिस इलगिन सड़क का सुधार और उन्नयन	416.6	0.00	0.00
108.	असम में नारायणपुर शहर में म्युनिसिपल सड़कों का सुधार	141.17	0.00	0.00
109.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत जजारी-चाबुकधारा सड़क पर सोनाई नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 5/1 का निर्माण	85.52	0.00	83.41
110.	नागांव जिले में अंबागांव कथपाड़ा सोलमारी सिंगियारी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 6/1, 9/1 और 10/1 का निर्माण (एन.जी.एम.-17)	85.52	0.00	0.00

1	2	3	4	5
111.	मोरीगांव जिले में पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्य सहित मिकरीभेटा भुरबंध सड़क पर भालकुमारी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 8/1 का निर्माण	90.76	0.00	90.75
112.	उदालगुड़ी में क्रास ड्रेनेज कार्य सहित सी.एच.00 मी. से 9400 मी. तक तंगला भेरगांव रामगांव सड़क का सुधार	368.22	0.00	368.23
113.	पक्का ड्रेन और आर.सी.सी. स्लैब कलवर्टस सहित डॉ. फकरूद्दीन अली अमहमद से दौलगोबिंदापुर वाया नलबाड़ी हिन्दु समाशन, नलबाड़ी तक सड़क की मैटलिंय और ब्लैक टॉपिंग	81.21	0.00	0.00
114.	नागांव राज्य सड़क प्रभाग (नागांव जिला) के तहत नागांव-भूरागांव सड़क वाया धियांक (एस.एच.-10) का उन्नयन	410.71	0.00	0.00
115.	डिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत डिब्रू-चौखोवा राष्ट्रीय पार्क की तरफ सड़क नेटवर्क का सुधार	268.79	0.00	0.00
116.	जोरहाट सड़क प्रभाग के तहत चारीगांव सड़क का सुधार	199.82	0.00	0.00
117.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभाग (नागांव जिला) के तहत सोनाई नदी पर दिमोउ-राइडोंगिया सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 4/1 का निर्माण	0.00	96.50	0.00
118.	तिनसुकिया ग्रामीण सड़क उप प्रभाग/प्रभाग में बोरहापजन समदांग वाया नाहोरोनी सड़क से सुकानगुड़ी एल.पी. स्कूल तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग	0.00	114.15	115.00
119.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत सोनाई नदी के ऊपर मजगांव शांतिपुर सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 3/1 का निर्माण	0.00	118.76	0.00
120.	बास्का जिले में कलदिया और दिरिंग नदी पर दो पुलों सहित जलाह से कुमारीकाटा तक सड़क का सुधार (बी.टी.सी. पैकेज)	0.00	1060.60	0.00
121.	तिनसुकिया ग्रामीण सड़क उप प्रभाग/प्रभाग में सर्किट हाउस तिनसुकिया से एन.एच.-37 वाया ओकानीमुरिया बोरगुड़ी ओकानीमुरिया नखराय और लुनपुरिया कैबोरतोगांव तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग	0.00	185.75	0.00

1	2	3	4	5
122.	मोरान नेताई सड़क डिब्रूगढ़ का निर्माण	0.00	107.49	0.00
123.	कारबी एंगलांग में हिदीपी से लोहारीजन-गौतोम बस्ती तक सड़क का निर्माण	0.00	170.76	0.00
124.	सिबसागर जिले में आर.सी.सी. पुल संख्या 3/3 के साथ तिफुक जजोलीपुखुरी सड़क का निर्माण	0.00	199.64	0.00
125.	डिब्रूगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत पुरानी एटी सड़क पर पुल संख्या 1/2 और पुल संख्या 4/1 का निर्माण	0.00	103.49	105.31
126.	आई नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	2810.01	2810
127.	सिबसागर जिले में आर.सी.सी. पुल का संख्या 9/2 के साथ मोहमोरा अली का निर्माण	0.00	271.80	0.00
128.	तंगला कचूबिल सड़क (बी.टी.सी. क्षेत्र) का सुधार	0.00	384.90	0.00
129.	काचर जिले में सिंगराय स्ट्रीम के ऊपर श्यामाप्रसाद-पुर से दोसग्राम सड़क वाया स्वपनागुल पर आर.सी.सी. पुल संख्या 2/2 और 2/3 (पुन:नामित पुल संख्या-3/1 और 4/6) का निर्माण	0.00	91.61	0.00
130.	बोंगाईगांव ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत कोकोईजना 31-राष्ट्रीय राजमार्ग से नागांव-मानिकपुर 31 राष्ट्रीय राजमार्ग वाया कीरतनपारा, नुंबारपारा गांव तक सड़क पर चिल्लापारा काहीबारी गांव में एई नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/2 का निर्माण	0.00	1425.60	0.00
131.	गोसांईगांव-सप्तग्राम सड़क पर गुरूफेला नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 8/1 का निर्माण (बी.टी.सी.-पैकेज-2)	0.00	396.00	0.00
132.	दोतोम-भारागुड़ी सड़क पर गोंगिया नदी पर आर.सी.सी. पुल सं. 6/3 का निर्माण (बी.टी.सी.-पैकेज-2)	0.00	400.00	0.00
133.	दोलोंगघाट (धुलाबाड़ी) में पुथीमारी नदी पर आर.सी.सी. पुल संख्या 3/1 का निर्माण (बी.टी.सी. पैकेज-2)	0.00	400.00	0.00
134.	महिलापारा डोंगापारा बरंगाजुली पी.डब्ल्यू.डी. सड़क का सुधार	0.00	297.69	0.00

1	2	3	4	5
135.	राज्य चिड़ियाघर के निकट आर.जी. बरूआ सड़क से जंक्शन प्वायंट तक बिजली कार्य सहित दिसपुर नारेंगी सड़क का चिड़ियाघर जपोरीगोग सड़क का निर्माण (सी.एच.0.00 से 1865.00 मी.)	0.00	223.13	0.00
136.	चाराईदिओ ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत सोनारी सड़क नेटवर्क का सुधार	0.00	260.55	0.00
137.	आर.सी.सी. पुल (क) दिरोई रंगोली सड़क पर संख्या 1/1 और 2/1 (ख) दिलोपलिंग रामुआगर सड़क पर संख्या 2/1 और घिरागुड़ी सड़क पर संख्या 3/1 का निर्माण	0.00	138.06	0.00
138.	मोरीगांव जिले में गोरीगांव मोयराबाड़ी सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 24/1 का निर्माण	0.00	111.92	0.00
139.	मोहबोंधा सड़क पर आर.सी.सी. पुल संख्या 13/1, 13/2 और 30/2 का निर्माण	0.00	219.15	0.00
140.	नागांव जिले में पहुंच मार्गों सहित बोटामारी और हतीबंधा नदी के ऊपर रहा बारापुजिया सड़क पर पुल संख्या 2/1 और 4/1 का निर्माण	0.00	130.69	0.00
141.	बिस्वानाथ चारियाली शहर में सड़कों का सुधार	0.00	414.35	0.00
142.	बेजेरा बालीकुची सड़क का सुधार	0.00	132.20	0.00
143.	जेबी सड़क का सुधार	0.00	0.00	105.82
144.	एस.पी.टी. पुल का आर.सी.सी. पुल में बदलाव के साथ रामफलबिल बाजार से होकर एन.टी. सड़क से सभी मौसमी सड़क तक का उन्नयन (अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र)	0.00	0.00	269.71
145.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभाग, नागांव जिला के तहत घाही-बोरझोरा सड़क पर कालांग नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1 का निर्माण	0.00	0.00	100.22
146.	उदालगुड़ी जिले में चिंतगांव बोतियामाड़ी सड़क का सुधार	0.00	0.00	321.72
147.	असम में उदालगुडी में दीमाकुची डॉनबास्को स्कूल से बदलापाड़ा वाया कालीखोला सड़क की मैटलिंग और ब्लेक टॉपिंग सहित यू.टी. सड़क का निर्माण	0.00	0.00	223.17

1	2	3	4	5
148.	एन.एच.-31 (सी) से वाया सेरफानगुड़ी, नेपालपाड़ा, अथियाबाड़ी, इबारगांव, थाईगिरीगुड़ी और 2 हजारिकापाड़ा से कपूरागांव तक सड़क का उन्नयन	0.00	0.00	269.79
149.	दोत्मा बालाजन सड़क पर सरल भंगा पर आर.सी.सी. पुल संख्या 8/1 का निर्माण	0.00	0.00	428.55
150.	लखीमपुर कस्बे में बॉक्स कलवर्ट्स और पक्के ड्रेनेज सहित 4 सड़कों का निर्माण	0.00	0.00	509.58
151.	असम में बिजनी कस्बे में परमाथेश बरूआ सड़क और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ट्रैक के इंटरसैक्शन पर फलाईओवर का निर्माण	0.00	0.00	706.55
152.	रांगखांग बस्ती से ठेकेराजन सड़क (के.ए.ए.डी.सी.) का सुधार	0.00	0.00	504.90
153.	रंगामती से कलाईगांव सड़क जनाराम चौक से आओला चौक तक सड़क का निर्माण	0.00	0.00	202.77
154.	कोकराझार जिले में बाशबाड़ी से गोसाईंगांव वाया डिंगडिंगा सड़क का सुधार (डी.के.सड़क) (बी.टी.सी.-पैकेज-2)	0.00	0.00	1091.00
155.	कोकराझार जिले में लालमती से मंगलाझोरा तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (बी.टी.सी. -पैकेज-2)	0.00	0.00	261.83
	मणिपुर			
156.	सेनापति-फइबंग सड़क (128.90 कि.मी.)	0.00	1400.00	0.00
157.	लीशांगथेम में थाउबल नदी पर पुल का निर्माण	83.70	0.00	0.00
158.	इरोंग इचिंग पर पुल का निर्माण (1439)	128.00	0.00	58.75
159.	बाबू बाजार में पुल का निर्माण (1441)	92.19	0.00	71.34
160.	हाओखा में थाउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण (1447)	0.00	0.00	67.20
161.	हईरोक चिंगडोंगपोक में हईरोक नदी के ऊपर पुल का निर्माण (1498)	53.75	0.00	0.00
162.	जीरा-तिपाईमुख सड़क (8-48 कि.मी.) का सुधार (1586)	655.15	0.00	409.60

1	2	3	4	5
163.	लम्सोंग-खोगहामपाल सड़क का सुधार (1591)	151.78	0.00	0.00
164.	सोओमबुंग-सागोलमंद सड़क से 0-12 कि.मी. सुधार (1705)	70.16	0.00	33.52
165.	तामई कुइलांग सड़क पर जादुइकी नदी के ऊपर पुल का निर्माण (1741)	79.00	0.00	0.00
166.	खारासोम लाजो से लायली सड़क पर लायली नदी के ऊपर पुल का निर्माण (1742)	353.21	0.00	0.00
167.	मणिपुर में केइराव लीतान माखोंग में इरिल नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (1823)	0.00	220.65	0.00
168.	मणिपुर में थाउबल माथक लेईकाय कईराम्बी में थाउबल नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (60 मी.) (1824)	0.00	178.45	0.00
169.	मोंगखांग लंबी में इम्फाल नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (1834)	0.00	204.35	0.00
170.	चूड़ाचांदपुर में आइबुलोन से बुंगपीलोन तक सड़क का निर्माण (1951)	0.00	402.75	0.00
171.	पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर में मोरांगखोम (पुराना थुमबुथोंग) में इम्फाल नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (2010)	0.00	0.00	256.75
172.	पूर्वी इम्फाल, मणिपुर में चिंगारेन मापा में इरिल नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (2014)	0.00	0.00	229.30
173.	मणिपुर में चिंगाई (कुइनगाई) और तूसोम के बीच चालो नदी के ऊपर पुल का निर्माण (2016)	0.00	0.00	108.85
	मेघालय			
174.	माओफलांग-बलात सड़क पर पुलों और पंहुच मार्गों का पुनःनिर्माण	103.36	0.00	0.00
175.	जकरेम-रानीकोर सड़क (6-15 कि.मी.) का निर्माण और सुदृढ़ीकरण	51.59	0.00	0.00
176.	लुम्शनोंग-उमलोंग सड़क (0.8 कि.मी.) का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण	0.00	239.42	0.00
177.	माओकिरवत-रंगब्लांग सड़क (12 से 19 कि.मी.) (8 कि.मी.) मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार	115.80	0.00	0.00

1	2	3	4	5
178.	तूरा शहर (4 कि.मी.) का अराईमिले से दाकोपग्रे तक सड़क को डबल लेन में चौड़ा करना	0.00	88.05	0.00
179.	दाखिया-सुतंगा-साइपुंग-माओबलाई-हॉफलांग सड़क पर लाइतेन नदी (पुल संख्या 31-1) के ऊपर पुल का पुन:निर्माण	87.53	50.42	0.00
180.	एन.एच.-37 (गुवाहटी-शिलांग सड़क) का 9 मील से किलिंग पिलांगकाता (6.00 कि.मी.) तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार, चौड़ा और सुदृढ़ीकरण करना	77.43	0.00	0.00
181.	मुखायालांग लुमशिरिमित सड़क (19 कि.मी.) सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार	111.45	115.42	0.00
182.	मुशुत से लम्पुथोई वाया रिंगाद (12 कि.मी.) तक एक सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण	126.42	0.00	0.00
183.	तूरा जिले में (7.833 कि.मी.) में गारोबाधा-बेतासियांग सड़क वाया रंगासाखोना (जी.आर. सड़क का 6कि.मी) से बी.एम. सड़क वाया खासीबिल का 6 कि.मी. तक) का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	350.00	295.39	0.00
184.	एन.एच.-51 से रोंगसिगरे (4.725 कि.मी.) तक एक सड़क का सुधार, मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग	85.65	0.00	0.00
185.	विलियमनगर शहर (8 कि.मी.) में सड़क को डबल लेन में चौड़ा करना	544.56	591.95	0.00
186.	सोनापुर (एन.एच.-44) से लाड बोरसोरा (10 कि.मी.) तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार	0.00	299.87	172.73
187.	रिमबाई से दिचिनरूम (7कि.मी.) तक डबल लेन सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार/निर्माण	0.00	216.92	124.95
188.	लिंगखाट-डॉकी सड़क (9.75 कि.मी.) का पुनरूद्धार	417.91	392.21	214.17
189.	दमालग्रे-मेलिम-बोलडामगिरी सड़क, तूरा (पुल संख्या 5/3, 8/5, 9/1 और 10/2) पर पुलों और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	412.90	0.00	0.00

1	2	3	4	5
190.	खेरापारा से देकूबाजार (पुल संख्या 2/5, 5/3 और 10/2) तक पुलों का पुनर्निर्माण	307.00	0.00	0.00
191.	पुलों (5.16 कि.मी.) के साथ मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (33 से 38 कि.मी.) सहित रांगजेंग-मांगसांग-अदोरग्रे सड़क से सड़क का निर्माण	158.13	0.00	0.00
192.	दखिहा-सुतंगा-साइपुंग-मोउलसे-हॉफलांग सड़क (1 से 8 का हिस्सा और 18 कि.मी.), जेंतिया हिल्स जिला, मेघालय का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित डबल लेन में चौड़ा करना	0.00	567.90	0.00
193.	मेघालय में 9 मील एन.एच.-37 गुवाहाटी-शिलांग सड़क से किलिंग-पिलांनकाता (7 से 21.50 कि.मी.) तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार, चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण करना	0.00	394.62	0.00
194.	उगमी नदी के ऊपर एस.पी.टी. पुल संख्या 14/1 से पहुंच मार्गों सहित लैतमाओसियांग-माओथाउपदाह सड़क-मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स जिला के 14 कि.मी. में स्थायी आर.सी.सी. पुल तक का पुन:निर्माण	0.00	254.38	0.00
195.	शंलांग सड़क (52 कि.मी.) फेज-1 10.00 कि.मी. - मेघालय में पश्चिमी गारो हिल्स जिले में बंदापारा-मल्लांगकोना की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण	0.00	0.00	385.95
196.	मेघालय के रिभोई जिले में जी.एस. सड़क एन.एच.-40 से नांगथिमाई, उमसनिंग तक मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सड़क का निर्माण (4.311 कि.मी.)	0.00	0.00	153.41
197.	दमारा-में दीपाथर-सांगसक-विलियमनगर सड़क को चौड़ा करना एवं उसका सुदृढ़ीकरण (एस.पी.टी. पूलों को आर.सी.सी. पुलों में बदलना)	0.00	0.00	214.00
198.	वाहरियू नदी पर थारिया में मुख्य पुल के निर्माण सहित मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित भोलागंज से नानगिरी तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और सुधार	0.00	0.00	1057.28
199.	अमपाती-मनकाचर सड़क पर आर.सी.सी. पुल सं. 3/1, 7/1, 7/2 और 8/1 का निर्माण	0.00	0.00	180.02

1	2	3	4	5
200.	पोसेनगागरे से अनंगपाड़ा तक, अंचेंगरे तक मैटलिंग और ब्लैक टॉपिंग सहित सड़क का निर्माण	0.00	0.00	248.02
	मिजोरम			
201.	मिजोरम में 3 बैली पुलों का निर्माण	0.00	0.00	174.94
202.	मिजोरम में साइफल से होरटोकी (0-27.5 कि.मी.) तक सम्पर्क सड़क से बांस रोपण क्षेत्र तक निर्माण	0.00	0.00	409.40
203.	परवा-1 से सिमेनासोरा सड़क तक का उन्नयन	0.00	326.29	0.00
204.	लोंगपुईघाट-कुकुरदुलया सड़क का निर्माण	0.00	344.69	0.00
205.	लांगतलाई स्लाइडिड लोकेशन में सड़क बनाना और पुनःस्थापन	0.00	78.95	0.00
206.	मिजोरम में तुइवल से मिमबुंग तक पहुंच सड़क और कालकुल के गोडाउन तक पहुंच सड़क का निर्माण	0.00	0.00	129.56
207.	मिजोरम में सिहपुई से थूमापुई सड़क का निर्माण	0.00	87.61	0.00
208.	मिजोरम में रामथार 'एन' से रामहुलुम खेल परिसर तक सड़क का निर्माण	0.00	71.38	0.00
209.	मिजोरम में चुहवेल से सिहथियांग तक सड़क का निर्माण	0.00	78.89	0.00
210.	खानपुई से ताउलबुंग सड़क तक का निर्माण	0.00	0.00	69.60
211.	नहथियाल से संगाऊ सड़क पर दारजोकई में छिमतुईमुई नदी पर जीप चलने योग्य पुल का निर्माण	0.00	0.00	76.31
	नागालैंड			
212.	मॉन जिले में सड़कों का सुधार (प्रधान मंत्री पैकेज के तहत)	0.00	0.00	854.91
213.	तुएनसांग जिले में सड़कों का सुधार (प्रधान मंत्री पैकेज के तहत)	1200.00	0.00	0.00
214.	वोखा जिले में सड़कों का सुधार (प्रधान मंत्री पैकेज के तहत)	98.94	0.00	0.00

1	2	3	4	5
215.	धानसिरी नदी के ऊपर 2 लेन के आर.सी.सी. पुल का निर्माण	174.01	0.00	0.00
216.	रूसोम से किजूमेतुमा तक सड़क का उन्नयन (36.00 कि.मी.)	597.06	0.00	0.00
217.	फेक से चोजुबा तक सड़क का निर्माण (44.36 कि.मी.)	0.00	350.00	0.00
218.	नागालैंड में सम्पर्क सड़क से मिनरल डिपोजिट क्षेत्र तक का निर्माण	701.71	0.00	0.00
219.	राजेबा से चिजामी वाया थेसूमी तक सड़क का निर्माण	0.00	925.88	579.32
220.	रूसोमा से फेक शहर वाया खुमवोफू तक सड़क का निर्माण	0.00	309.50	184.81
221.	रूसोमा से किजूमेतुमा सड़क पर डी.जेड.यू.-यू. नदी के ऊपर आई.आर.सी. श्रेणी 'ए' लोडिंग का टी.बीम. गिरडर डबल लेन पुल का निर्माण	195.40	123.25	0.00
222.	नागालैंड में मुख्य/लघु हब्स से पर्यटन गांवों से सड़क का उन्नयन और सुधार	172.81	0.00	108.01
223.	नागालैंड में तामलू प्रशासनिक मुख्यालय से शेमयूचिंग तक सड़क का निर्माण	411.46	0.00	0.00
224.	नागालैंड में जिकिये से होकिये वाया सतोई (जिकिये से चोखुवी-26 कि.मी. तक सड़क का निर्माण और सुधार	597.44	0.00	0.00
225.	नागालैंड में एन.एच.-150 से थिफूजू (25 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण	429.24	0.00	268.97
226.	नागालैंड में किफोर से कितुस्किर (10 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण	234.36	0.00	0.00
227.	नागालैंड में अगुनातो-समातोर सड़क का निर्माण	563.75	352.35	0.00
228.	नागालैंड में नोकलाक से थोंनोक्यू वाया संगलाओ तक सड़क का निर्माण	304.10	0.00	190.54
229.	नागालैंड में तुओफेमा से खासा (8.5 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण/सुधार	207.10	0.00	129.48
230.	नागालैंड में कोहिमा लाइके सड़क जंक्शन से पुराना पुइलवा-15 कि.मी. तक सड़क का निर्माण	528.66	0.00	132.17

1	2	3	4	5
231.	नागालैंड में यांगली से सुरूहोतो तक सड़क का निर्माण (17 कि.मी.)	631.54	157.88	0.00
232.	नागालैंड में लांगथो से लिफायान 20 कि.मी. राज्यपाल के कैम्प तक सड़क का निर्माण	772.64	193.15	0.00
233.	नागालैंड में चूचूयिमलांग से मांगडिकांग तक सड़क का निर्माण 20 कि.मी.	780.96	0.00	195.26
234.	नागालैंड में एन.एच.-61 (अलीचन से मांगमेटोंग-11 कि.मी.) से दोयांग्रा हाईड्रो प्रोजेक्ट फेज-1 तक सड़क का सुधार एवं उन्नयन	248.52	252.77	120.00
235.	नागालैंड में ओ.डी.आर. से एम.डी.आर. (28 कि.मी.) तक दीमापुर-नुईलैंड सड़क का उन्नयन	0.00	2076.06	519.01
236.	को-को दोयांग सड़क (एन.एच.-61) से कित्साकी वाया अतोजू एस.डी.ओ. मुख्यालय 37 (एम.डी.आर.) तक का उन्नयन	0.00	598.00	598.00
237.	जेकिया से सतोई-70 कि.मी. (घूखूई सतोई प्रशासनिक मुख्यालय, एम.डी.आर.-21 कि.मी.) तक सड़क का सुधार	0.00	507.50	507.50
238.	निमी-लालुरी सड़क में तिजू पुल एवं चिजूती पुल से मिनरल डिपाजिट क्षेत्र तक का निर्माण	0.00	716.00	715.59
239.	कोहिमा से लइकी सड़क जंक्शन तिपुइकी से बराक-10 कि.मी. (एम.डी.आर.) तक सड़क का निर्माण	0.00	348.43	0.00
240.	चोजूबा सीमा सड़क से मिजूमेतुमा जंक्शन वाया खूसामी (26 कि.मी.) तक सड़क का निर्माण	0.00	1232.01	0.00
241.	दिजेफे से राजफे वाया विदिमा तक सड़क का निर्माण-15 कि.मी.	0.00	0.00	489.02
242.	सीमा सड़क से चांगलांगसू तक सड़क का सुधार और उन्नयन-19 कि.मी.	0.00	0.00	219.13
243.	लानये से मेलुरी, फेक जिला में तेजू नदी पर आर.सी.सी. टी.बीम गिरडर डबल लेन पुल का निर्माण	0.00	0.00	323.73
244.	जीरो प्वायंट सानिस से वोरूकु गांव तक सड़क का निर्माण -27 कि.मी. (ओ.डी.आर.)	0.00	0.00	820.96

1	2	3	4	5
245.	जुनहेबोटो जिले में पुघोबोटो से सताखा, जुनहेबोटो सड़क का निर्माण (50 कि.मी.)	0.00	0.00	1411.53
246.	तुओफेमा से पुघोबोटा वाया काशा (काशा से पुघोबोटो) सड़क का निर्माण-12.47 कि.मी.	0.00	0.00	537.00
247.	फेक जिले में एन.एच.-150 से चोकरिबा वाया थीपूजू सड़क का निर्माण (10 कि.मी.)	0.00	0.00	410.10
	सिक्किम			
248.	पश्चिमी सिक्किम में डेंटम-उत्तरी सड़क (10 कि.मी.) की कारपेटिंग/सतह सुधार	81.17	0.00	0.00
249.	सिंगताम में तीस्ता नदी पर गोशकान दारा पुल का निर्माण	0.00	329.05	0.00
250.	दक्षिणी सिक्किम सर्कल के तहत नामचीं असांगथागं सड़क (5 कि.मी.)	0.00	216.00	135.48
251.	पूर्वी सिक्किम में पाकयोंग-माचोंग-रोलेप सड़क	0.00	0.00	600.00
252.	पूर्वी सिक्किम मे तिनतेक दिकचू सड़क-12 कि.मी. का सुधार एवं उसे चौड़ा करना	0.00	368.00	0.00
253.	ऊपरी जोंगो, उत्तरी सिक्किम में पासिंगडोंग पी.एच.ई. से लिंगटेम गुम्फा (मानेस्टरी) और लिंगथेम स्कूल तक लिंक सड़क का निर्माण-8 कि.मी.	0.00	275.00	0.00
254.	दक्षिणी सिक्किम में जी.एल.वी.सी. सड़क 8 कि.मी. के साथ-साथ देवखोला पर 70 मी. लंबाई के पुल का निर्माण	0.00	182.28	0.00
255.	दक्षिणी सिक्किम में यांगेंग माखा सड़क के साथ-साथ खुंदुके खोला पर स्टील पुल का निर्माण	0.00	86.78	0.00
256.	दक्षिणी सिक्किम में नामची फोंगला सड़क 8 कि.मी. के साथ लवांगं खोला के ऊपर 40 मी. लंबे स्टील पुल का निर्माण	0.00	117.56	0.00
257.	पूर्वी सिक्किम में सिच्चे-रांका सड़क को डबल लेन का बनाना (11 कि.मी.)	0.00	922.80	0.00

1	2	3	4	5
	त्रिपुरा			
258.	हालाहाली-अंबासा-दांगाबाड़ी-बेल का उन्नयन	0.00	0.00	1487.70
259.	मोहनपुर-सिमना सड़क पर सी.एच. 30.10 कि.मी. पर सुरमाचेरा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	52.79	0.00	0.00
260.	मोहनपुर-सिमना सड़क पर सी.एच. 34.53 कि.मी. पर सुरमाचेरा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	70.29	0.00	0.00
261.	धानपुर से काकराबन पर सी.एच. 7.00 कि.मी. पर स्थानीय नाले पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	69.76	43.33	0.00
262.	धानपुर से काकराबन पर सी.एच. 4.50 कि.मी. पर स्थानीय नाले पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	54.95	102.05	0.00
263.	जोगेन्द्रनगर से जम्पाईजाला सड़क पर सी.एच. 4.40 कि.मी. पर स्थानीय नाले पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	68.10	0.00	0.00
264.	जोगेन्द्रनगर से जम्पाईजाला सड़क पर सी.एच. 7.50 कि.मी. पर स्थानीय नाले पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	90.27	0.00	0.00
265.	थालीबाड़ी-माइक्रोसा पर काकरीचेरा के ऊपर आर.आर.सी. पुल का निर्माण	75.52	0.00	75.52
266.	गार्गी-तुलामूरा सड़क (ओ.डी.आर.) पर तुलामूराचेरा के ऊपर तुलामूरा मार्किट के निकट सी.एच. 9.00 कि.मी. पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	118.19	0.00	118.19
267.	बिशालगढ़-गोलाघाट-टकरजाला सड़क पर गोलाघाटी मार्किट के निकट बूरिमा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	127.14	0.00	127.14
268.	चंपकनगर से उदयपुर सड़क (ओ.डी.आर.) पर सी.एच. 0.10 कि.मी. पर हावड़ा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	108.60	0.00	0.00
269.	चंपक नगर-मंदाई सड़क (ओ.डी.आर.) पर सी.एच. 6.60 कि.मी. पर धनाई नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	115.68	0.00	0.00
270.	कमालपुर-बिलासचेरा सड़क (ओ.डि.आर.) पर सी.एच. 0.90 कि.मी. पर धुराईचेरा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	107.02	155.30	0.00

1	2	3	4	5
271.	मोहनपुर-सिमना सड़क (ओ.डी.आर.) पर सी.एच. 12.00 कि.मी. पर स्थानीय नाले के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	83.80	0.00	0.00
272.	सत्वांक ब्लॉक ऑफिस-ओल्ड मनुबांकुल सड़क पर सी.एच. 0.50 कि.मी. पर कालापानियाचेरा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	95.62	0.00	95.62
273.	बेरीमुरा-तलताला सड़क पर लोहार के ऊपर आर.-सी.सी. पुल का निर्माण	82.56	82.56	0.00
274.	महारानी-तुलाशिखर सड़क पर सी.एच. 6.05 कि.मी. पर बालूचेरा के ऊपर कृष्णापुर में काजवे के निकट आर.सी.सी. पुल का निर्माण	64.13	0.00	64.13
275.	खोवाई-उदना सड़क पर सी.एच. 12.01 कि.मी. पर लक्ष्मीचेरा नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	77.65	112.66	0.00
276.	कमलाघाट-गमचाकोबरा-बानीक्या चोउमुहानी सड़क पर सी.एच. 0.45 कि.मी. पर लोहार के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	95.90	95.90	0.00
277.	मोहनपुर-सिमना सड़क पर सी.एच. 14.60 कि.मी. पर स्थानीय नाले पर आ.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	63.84	63.84
278.	जिरानिया त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज-चाकबास्ता पर एन.एच.-44 पर घारोमाराचेरा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	111.89	0.00
279.	कंचनपुर-जलबासा सड़क (ओ.डि.आर.) पर सी.एच. 2.80 कि.मी. पर बड़ादुपट्टाचेरा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	139.54	0.00
280.	कंचनपुर-जलबासा सड़क (ओ.डि.आर.) पर सी.एच.-9.00 कि.मी. पर उजान माचमाराचेरा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	110.52	0.00
281.	मोहनपुर-सिमना सड़क (ओ.डी.आर.) पर सी.एच. 18.40 कि.मी. चंपकचेरा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण	0.00	102.17	102.17
282.	त्रिपुरा में मैलाक-गामुकाबाड़ी वाया बुरबारिया (7.50-कि.मी.) का सुधार	0.00	384.50	384.50
	कुल	32835.92	40094.21	43550.33

विवरण-II

विशेष अवसंरचना विकास निधि (एस.आई.डी.एफ.) स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य-वार परियोजना-वार जारी की गई निधियां (19.04.2012 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	एन.एल.सी.पी.आर. परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12
	असम			
1.	कार्बी एंगलांग जिले में डोकमोका डेंटाघाट सड़क का सुधार	0.00	0.00	1.48
2.	उत्तर काचर जिले में दिहांगी-थाईजवाड़ी हॉफलांग तिनाली सड़क का सुधार	0.00	0.00	12.00
	नागालैंड			
3.	(i) मॉन जिले में मॉन-नामतोला सड़क का उन्नयन (24 कि.मी.) भाग-I	0.00	0.00	7.96
	(ii) मॉन में मॉन-नामतोला सड़क का उन्नयन (लंबाई 24-44.25 कि.मी.) भाग-II			
	(iii) आंगफांग से चिंगकाओं चिंगखा तक सड़क का निर्माण (25 कि.मी.)			
	(iv) यांगली से थाडी तक अग्री लिंग सड़क का निर्माण			
4.	पश्चिमी नागालैंड में वोखा बोकाजन सड़क से रलान पुराना एवं नया शांगलाशुंग पुराना और नया रबड़ पौधारोपण क्षेत्र सहित लिंक सड़क का निर्माण (लं.-11 कि.मी.)	0.00	0.00	1.60
	कुल	0.00	0.00	104.60

विवरण-III

अव्यपगत संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) स्कीम और विशेष बी.टी.सी. पैकेज के तहत विलंबित सड़क क्षेत्र परियोजनाएं

राज्य	विलंबित परियोजनाएं	
	संख्या	लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	33	421.42
असम	72	389.83

1	2	3
मणिपुर	8	142.81
मेघालय	23	192.03
मिजोरम	8	95.63
नागालैंड	30	410.87
सिक्किम	15	138.45
त्रिपुरा	19	250.12
कुल	**208**	**2041.16**
विशेष बी.टी.सी. पैकेज	11	167.91

विशेष अवसंरचना विकास निधि (एस.आई.डी.एफ.) स्कीम के तहत विलंबित सड़क क्षेत्र परियोजनाएं

राज्य	विलंबित परियोजनाएं	
	संख्या	लागत (रुपये करोड़ में)
असम	1	3.18

विवरण-IV

पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य-वार स्कीम/परियोजना-वार जारी की गई निधियां (19.04.2012 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

क्र. सं..	स्कीम का नाम	2009-2010		2010-2011		2011-2012		आबंटित निधि
		एन.ई.सी. द्वारा आबंटित राशि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि	एन.ई.सी. द्वारा आबंटित राशि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि	एन.ई.सी. द्वारा आबंटित राशि	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अरुणाचल प्रदेश							
	9वीं योजना							
1.	मार्घेरिता-चांगलांग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10वीं योजना							
1.	पासीघाट-कोयू-ईगो	119.99	119.99	0.00	0.00	344.21	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	नारी-तेलेम	1371.00	1371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	डिगबोई-पेनगिरी-बोरडुमसा-महादेवपुर	0.00	0.00	1500.00	1500.00	500.00	0.00	
4.	सेप्पा-च्यांगताजो	1500.00	1500.00	1400.00	1400.00	2000.00	0.00	
5.	मोटुम-तिनाली	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	हरमोती-दोइमुख	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योनजा की नई परियोजना							
7.	लांगडिंग-नॉकजन	0.00	0.00	600.00	600.00	1500.00	0.00	
8.	तामेन-डोलोंगमुख	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	
	कुल अरुणाचल प्रदेश	**3076.41**	**3076.41**	**7000.00**	**7000.00**	**4344.21**	**0.00**	
	असम 9वीं योजना							
1.	जोट्टे-बालीजन	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	बैथालांगसु-कामपुर-राहा	0.00	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00	
3.	फटीकरॉय-कैलाशहर	0.00	0.00	268.65	0.00	0.00	0.00	
4.	नाहरकटिया-खोंसा	0.00	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00	
5.	जमुआंग-हरिफो-दुलावचेरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	सोनापुर-उमडेन	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	मार्गेरिटा-चांगलांग	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10वीं योजना							
8.	काटाखल में बराक नदी पर पुल	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	सिल्चर-द्वारबोंड-गागलाचेरा	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	
10.	हाजो-नलबाड़ी-सार्थेबाड़ी	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	बंगा-अनीपुर-कनाईबाजार	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	लंका-गरमपानी	0.00	0.00	417.70	417.70	0.00	0.00	
13.	सेपाखाटी-पिथाकुथी	400.00	400.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
14.	रामपुर-बेलसोर	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	फुलेरटल में बराक नदी पर पुल	350.00	350.00	263.10	263.10	0.00	0.00	
16.	नारी-तेलेम सड़क	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	तुएनसांग-लांगलेंग-लडाईगढ़	420.00	420.00	352.60	0.00	0.00	0.00	
18.	एजिया-मेधीपारा-फुलबाड़ी-तुरा	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.	वोखा-मेरापानी	500.00	500.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
20.	पंडित-हेमचन्द्र-गोस्वामी पथ	400.00	400.00	461.20	300.00	0.00	0.00	
21.	ना अली	0.00	0.00	2200.00	1015.67	0.00	0.00	
22.	डिगबोई-पेनगिरी-बोरडुमसा	600.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	
23.	रिमबाई-जलालपुर-बोरसोरा	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
24	सिल्चर-कैलेन सड़क	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योजना की परियोजना							
25.	मनकाचर-महेन्द्रगंज	300.00	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
26.	सिल्चल-कैलेन	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27.	मैरांग-रानीगोडाउन-आजरा	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	
28.	जोवाई-नारटियांग-खांडुली-बैथाललांगसो	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	0.00	
	कुल असम	**9533.80**	**8956.57**	**6259.89**	**4131.47**	**4050.00**	**0.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मणिपुर							
	10वीं योजना							
1.	सिंगहाट-सिंजाल	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	चूड़ाचांदपुर-सिंगहाट	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
3.	तामेनलांग-तमेई	0.00	0.00	1400.00	1400.00	1300.00	0.00	
4.	कंगपोकपी-तमेई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल मणिपुर पी.डब्ल्यू.डी.	**858.80**	**858.80**	**1400.00**	**1400.00**	**1300.00**	**0.00**	
	बी.आर.ओ.							
5.	महोदव-तोलोई	1500.00	1500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
6.	तामेनलांग-खोंगसांग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल मणिपुर	**2358.80**	**2358.80**	**1900.00**	**1900.00**	**1800.00**	**0.00**	
	मेघालय							
	9वीं योजना							
1.	सोनापुर-उमडेन-नांगपोह	0.00	0.00	700.00	700.00	300.00	0.00	
	10वीं योजना							
2.	बारापानी-उमरोई-मॉलसनई	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	एजिया-मेधीपाड़ा-फुलबाड़ी-तुरा	350.00	350.00	256.20	256.20	500.00	0.00	
4.	रिमबाई-बाटा-बोरसोरा-जलालपुर	600.00	600.00	147.90	147.90	0.00	0.00	
5.	चेरा-मॉसमाई-शेला	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
6.	मनकाचर-महेन्द्रगंज	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	एजिया-मेधीपाड़ा-फुलबाड़ी-तुरा	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1200.00	0.00	
8.	मैरांग-रानीगोडाउन-आजरा	0.00	0.00	2600.00	1390.00	0.00	0.00	
9.	जोवाई-नरतियांग-खांडुली-बैथालांगसु	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	
	कुल मेघालय	**3521.79**	**3521.79**	**5504.10**	**4294.10**	**3500.00**	**0.00**	
	मिजोरम							
	10वीं योजना							
1.	मामित-भैराबी	376.00	376.00	331.00	331.00	250.00	0.00	
2.	साइच्युअल-फुलेन	0.00	0.00	800.00	800.00	750.00	0.00	
3.	साइच्युअल-सैचल-एनई बुआलपुई	424.00	424.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
4.	भैराबी-जामुआंग	335.77	335.77	176.40	176.40	250.00	0.00	
5.	सिल्चर-द्वारबांड-गगालोचरा-फाइसेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	कैतुम-अर्थाकॉन	480.00	480.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
7.	लाबुंग-कवारपुइछुआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	चलफिल्ह (वानजऊ) पर्यटन केन्द्र	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	वैखाओल्लांग-खुंगफाह सड़क	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.	लेंगपुइ हवाई अड्डा	200.00	200.00	142.80	142.80	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
11.	थांलोन-सिंगहाट (अंगोपातुइवई)	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	
12.	शेरखान-भागाबाजार	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	2200.00	
	कुल मिजोरम	**1951.56**	**1951.56**	**2850.20**	**2850.20**	**4450.00**	**2400.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नागालैंड							
	10वीं योजना							
1.	मेडजींफेमा-जालुकी-एथेबोंग	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	पुखुंगरी-अवांकू-लैशी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	वोखा-मेरापानी	410.00	410.00	90.50	0.00	0.00	0.00	
4.	लांगलेंग-लदाईगढ़	1176.00	1176.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	
5.	चीफोबोजोउ-तोउफेमा वाया चीथू	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	खागहोबोटो- विशिली-लूजहोटो-घोहितो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	यिमचेनकीमोंग-वोरोमोंग	40.00	40.00	23.00	23.00	0.00	0.00	
8.	दीमापुर हवाई अड्डा ड्रेनेज सिस्टम (फेज-III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
9.	लांगडिंग-नोकजान	0.00	0.00	1000.00	1000.00	2500.00	0.00	
10.	विस्वेमा-किदीमा-जुकेटसा	0.00	0.00	500.00	500.00	2600.00	2600.00	
	कुल नागालैंड	**2125.00**	**2125.00**	**3113.50**	**3023.00**	**5100.00**	**2600.00**	
	त्रिपुरा							
	9वीं योजना							
1.	फटीकरॉय-कैलाशहर-धर्मनगर-कुकीताल-चांदखीरा	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10वीं योजना							
2.	मनु-चामनु-गोबिंदाबाड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	अगरतला-मोहनपुर-चेबरी	1161.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	धर्मनगर-तिलथाई-दमचेरा	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	निदया-राधानगर	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	जयश्री-थुमचराई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	कोवाइफुंग-अलमाड़ा	0.00	0.00	12.38	12.38	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
8.	बिशालगढ़-बोक्सोनगर	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3900.00	0.00	
	कुल त्रिपुरा	**4434.40**	**3873.40**	**3012.38**	**3012.38**	**3900.00**	**0.00**	
	सिक्किम							
	10वीं योजना							
1.	किमबुबोते-सोकपे	100.00	100.00	572.80	572.80	0.00	0.00	
2.	10 मील लेगशिप-केजिंग से तिंगमू गांव तक की सड़क	110.00	110.00	0.00	0.00	56.76	27.42	
3.	चाकुंग-खानीसरबोंग	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	समबोरिया-हिल्ले	100.00	100.00	0.00	0.00	375.62	0.00	
5.	रलांग-फमताम	136.00	136.00	300.00	300.00	300.00	84.86	
6.	मेली फोंग पर 9 कि.मी. में रबी खोला नदी के ऊपर सस्पेंशन पुल के साथ 102 मी. स्पान स्टील पुल को बदलना	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	37.99	
7.	मार्चक-तुमलाबोंग	221.70	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	असम-पाकयोंग	112.68	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	तिंगवोंग हाई स्कूल में संकलांग-बाइ-सकयांग सड़क का सुदृढ़ीकरण	16.77	16.77	14.14	7.49	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	संखोला-सुमिन पर 50 मी. स्पान स्टील ब्रिज का सुमिन लकड़ी सस्पेंशन पुल	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	तकचाम चू नदी पर स्टील ब्रिज का निर्माण	46.25	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	सोरंग-समबेरिया पर रिंगयांग सस्पेंशन पुल का बदलना	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	0.00	
13.	दिकचू-संकालांग-मनांग पर तीस्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	संख्या 2 स्टील पुल पर (क) तारकू-रबोंगला (जी.एल.वी.सी.) सड़क पर ऊपरी बेन पर (ख) पहुंच सड़क से खेदुम गांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	संख्या 2 स्टील पुल (क) नामची-वोक सड़क (ख) पाबोंग-यांगयांग सड़क का निर्माण	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.	बर्मिक-लेगशिप सड़क	100.00	100.00	0.00	0.00	53.91	0.00	
17.	गंगटोक में वी.आई.पी. सड़क के प्रोटैक्टिव वर्क्स का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.	तनक-माखा-लिंगी-यांगयांग रोबोंगला में तिस्ताखोला नदी के ऊपर मखा पुल	201.00	201.00	200.00	195.12	0.00	0.00	
19.	तुरुंग-सुमिन खोर सड़क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11वीं योजना की नई परियोजना							
20.	सांगखोला-सुमिन	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	सागंखोला-जिंगला-मार्तम	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
22.	सिमचूथांग-पाबोंग-यांगयांग	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	
	कुल सिक्किम	**2202.43**	**2023.29**	**1086.94**	**1075.41**	**2291.68**	**1600.27**	
	सड़क पी.डब्ल्यू.डी. एवं बी.आर.ओ. को महा योग	29204.19	27886.82	30727.01	27286.56	29435.89	6600.27	30200.00

विवरण-V

पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) स्कीम के तहत विलंबित सड़क क्षेत्र परियोजनाएं

(लाख रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य जिससे यह संबंधित है	अनुमोदन की तारीख मूल/ संशोधित	मूल लागत/ संशोधित लागत	कार्य का वास्तविक लक्ष्य कि.मी. में	पूरा होने की मूल लक्षित तारीख	पूरा होने की संशोधित लक्षित तारीख	आज की तारीख तक जारी की गई राशि	आज की तारीख तक कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अरुणाचल प्रदेश								
	10वीं योजना								
1.	लईमेकुरी-नारी-तेलेम-रिमी सड़क	अरुणाचल	18-8-2004	5983.80	61.00 बी.आर.=23	3/2009	3/2013	5355.00	एफ=57.88 पी=33.30 बी.आर.=22(81%)
2.	सेप्पा-च्यांगताजो सड़क	अरुणाचल	5-9-2006	9050.00	81.00	3/2010	3/2013	6700.00	एफ=66.00 पी=21.00
3.	डिगबोई-पेनगिरी-बोरडुमसा सड़क	अरुणाचल	5-9-2006	4943.00	40.83 बी.आर.=6	3/2010	3/2013	3600.00	एफ=39.00 पी=29.75 बी.आर.=6(80%)
	11वीं योजना की नई परियोजना								
4.	लांगडिंग-नोकजन	अरुणाचल	16-3-2010	3016.00	28.45 बी.आर.=1	3/2013	-	2100.00	एफ=28.45 पी=शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	तामेन-डोलांगमुख	अरुणाचल	16-12-2010	13962.00	107.00	3/2014	-	3500.00	एफ=15.00 पी=शून्य
	कुल अरुणाचल प्रदेश			**36954.80**				**21255.00**	
	असम								
	10वीं योजना								
1.	सेपाखाती-पिथाकुथी सड़क	असम	1-3-2005	1990.00	22.08	3/2006	3/2012	1650.00	एफ= 21.64 पी=18.00 बी.आर.=1 (100%)
2.	सिल्चर-द्वाराबंद-गागलाचेरा सड़क	असम	18-8-2004	8581.00	75.00 बी.आर.=15	3/2008	3/2013	6950.00	एफ=65.36 पी= 51.49 बी.आर.= 8(100%) 7(31%)
3.	भंगा-अनीपुर-कनाईबाजार सड़क	असम	18-8-2004	8650.00	65.00 बी.आर.=21	3/2008	3/2011	6870.00	वास्तविक रूप से पूरा
4.	रिमबई-जलालपुर सड़क	असम	22-11-2005	2333.00	14.80 बी.आर.=5	3/2009	3/2013	1700.00	एफ=10.48 पी=8.16 बी.आर.=5 (100%)
5.	डिगबोई-पेनगिरी-बोरडुमसा	असम	5-9-2006	4289.00	34.70 बी.आर.=3	3/2010	3/2013	3500.00	एफ=34.00 पी=24.55 बी.आर.=3(72%)
6.	ना अली सड़क	असम	5-9-2006	5280.00	50.86 बी.आर.=11	3/2010	6/2012	4600.00	एफ=50.86 पी=49.66 बी.आर.=11 (100%)
7.	वोखा-मेरापानी सड़क	असम	5-9-2006	3483.00	28.78 बी.आर.=3	3/2010	3/2012	2800.00	वास्तविक रूप से पूरा
8.	फुलेरताल में बराक नदी के ऊपर पुल	असम	1-03-2005	1438.00	1.27775 किमी बी.आर=1	12/2010	3/2012	1406.10	परियोजना पूरी हो चुकी है। देयता की क्लीयरेंस के लिए संशोधित एस.एफ.सी. मंत्रालय को भेजी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11वीं योजना की नई परियोजना								
9.	मनकाचर-महेन्द्रगंज	असम	2-2-2010	1212.00	8.20	3/2012	3/2013	800.00	एफ=8.20 पी=0.00
10.	सिल्चर-कालईन	असम	2-2-2010	5925.00	28.53	3/2012	3/2013	1200.00	एफ=7.42 पी=7.42
11.	मैरांग-रानीगोडाऊन-आजरा सड़क	असम	22-12-2010	2494.00	18.92	3/2014		735.00	एफ=12.49 पी=12.49
12.	जोवई-नरतियांग-खांडुली-बैथालांगसो	असम	23-2-2011	7100.00	59.55	3/2014		1050.00	एफ= 5.36 पी=5.36
	कुल असम			**52775.00**				**33261.10**	
	मणिपुर पी.डब्ल्यू.डी.								
	11वीं योजना								
1.	तामेनलांग-तमई	मणिपुर	17-03-2010	6686.00	49.75 बी.आर.=6	6/2012	3/2013	1400.00	एफ=7.46 पी=7.46
2.	कांगपोकपी-तमई-सड़क	मणिपुर	23-02-2011	8700.00	70.25	3/2013	3/2014	1300.00	कार्य प्रगति पर है
	कुल मणिपुर			**15386.00**				**2700.00**	
	मेघालय								
	9वीं योजना								
1.	सोनापुर-उपडेन सड़क	मेघालय	5-9-2006	4260.00	58.16 बी.आर.=9	3/2007	12/2012	3740.00	एफ=58.16 पी=54.00 बी.आर.=9 (70%)
	10वीं योजना								
2.	चेरा-मॉसमई-शेला-सड़क	मेघालय	23-8-2006	3646.00	40.00	3/2010	3/2012	3543.00	वास्तविक रूप से पूरा
3	अजिया-मेधीपाड़ा-फलबाड़ी-तुरा	मेघालय	22-11-2005 06-09-2011	5968.00/ 6565.00	60.00	3/2011		5871.20	परियोजना पूरी हो चुकी है। संशोधित अनुमान संस्वीकृत।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11वीं योजना की नई परियोजना								
4.	मनकाचर-महेंद्रगंज	मेघालय	2-2-2010	2867.00	22.96 बी.आर.=1	3/2012	3/2013	1000.00	एफ= 9.90 पी= 9.90
5.	अजिया-मेधीपाड़ा-फलबाड़ी-तुरा	मेघालय	16-3-2010	9064.00	72.89 बी.आर.=7	3/2012	3/2013	3000.00	एफ= 19.71 पी= 19.71
6.	मैरांग-रानीगोडाऊन आजरा	मेघालय	2-12-2010	10000.00	81.50 बी.आर.=1	3/2014		2600.00	एफ=11.41 पी=11.41
7.	जोवई-नरतियांग-खांडुली-बैथालांगसू	मेघालय	23-2-2011	6736.00	54.80	3/2014		1000.00	एफ= 0.55 पी=0.55
	कुल मेघालय			**43138.00**				**20754.20**	
	मिजोरम								
	10वीं योजना								
1.	साइच्युअल-फुलेन सड़क	मिजोरम	18-8-2004/ 19-08-2011	5534.00/ 5795.00	60.00 बी.आर.=4	3/2007	6/2012	5143.00	एफ=60.00 पी=57.00 बी.आर.-1 No (100%)
2.	मामित-भैराबी सड़क का उन्नयन	मिजोरम	15-7-2004/ 19-08-2011	3448.00/ 3675.00	37.00	3/2007	12/2011	3307.00	एफ=37.00 पी=36.00
3.	सिल्चर-द्वारबंद-गगलाचेरा-फाईसेन सड़क	मिजोरम	18-8-2004/ 19-08-2011	899.00/ 968.00	9.30	3/2008		780.00	वास्तविक रूप से पूरा
4.	साइच्युअल-सैचल एन.ई. बुआलपुई सड़क	मिजोरम	15-7-2004/ 19-08-2011	3476.00/ 4097.00	34.33	3/2008	12/2013	3124.00	एफ.=20.60 पी=शुन्य
5.	भैराबी-जामुआंग सड़क का उन्नयन	मिजोरम	15-7-2004/ 19-08-2011	3403.00/ 3768.00	38.60	3/2010	12/2012	3412.17	एफ=30.00 पी=29.00 बी.आर.=1 (26.30%)
6.	लाबुंग-कॉरपुछुआ-सड़क	मिजोरम	22-11-2005	1416.00	16.42	3/2008	6/2012	1207.00	एफ=16.42 पी=12.80 बी.आर.=1 (100%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	वैखातलांग-खुआंगफा	मिजोरम	28-3-2006	486.00	15.00	3/2007	3/2011	423.00	एफ=12.50
	11वीं योजना के लिए नई परियोजना								
8.	थानलोन-सिंघाट (नगोपा-तुइवई)	मिजोरम	3-8-2010	6767.00	43.50	3/2013		1400.00	एफ=6.007 पी=शून्य
9.	शेरखान-भागाबाजार सड़क	मिजोरम	22-2-2011	14603.00	115.20	3/2013	3/2014	2200.00	पी=0.05 पी=शून्य
	कुल मिजोरम			**42476.40**				**20996.17**	
	नागालैंड								
	10वीं योजना								
1	पुखुंगुरी-अवांकू-लैशी सड़क	नागालैंड	29-7-2005	1042.00	18.50	3/2006	3/2013	600.00	एफ= 13.54 पी= शून्य
2.	तुएनसांग-लांगलेंग-लदाईगढ़ सड़क	नागालैंड	5-9-2006	5150.00	107.36	3/2010	3/2013	3626.00	एफ=107.36 पी.=90.00
3	चीफोबोजोऊ-तुओफेमा-चिएथू	नागालैंड	2-3-2007	448.00	9.00			380.00	एफ=9.00 पी=6.00
	11वीं योजना की नई परियोजना								
4.	लांगडिंग-नोकजान	नागालैंड	16-3-2010	4913.00	46.35 बी.आर.=1	3/2013	3/2013	3500.00	एफ=46.35 पी=30.00
5.	विस्वेमा-किदीमा-जुकेत्सा	नागालैंड	28-7-2010	6527.00	36.40 बी.आर.=2	3/2013	3/2013	3100.00	एफ=24.00 पी=0.00
	कुल नागालैंड			**18080.00**				**11206.00**	
	त्रिपुरा								
	10वीं योजना								
1.	मनु-चामनु-गोविंदबाड़ी का-शेष कार्य	त्रिपुरा	29-7-2005	956.00	15.30	3/2006	3/2013	770.00	एफ=15.30 पी=4.00

आर.डब्ल्यू-812 मी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अगरतला-मोहनपुर-चेबड़ी सड़क का सुधार	त्रिपुरा	23-11-2005	5623.00	54.00	3/2009	3/2013	5061.00	एफ=54.00 पी=54.00 बी.आर.=10 पुरी हो चुकी है एवं 2 में कार्य प्रगति पर हैं
3.	धर्मनगर-तिलथाई-दामचेरा	त्रिपुरा	5-9-2006	6625.00	60.00	3/2010	3/2013	5900.00	एफ=48.00 पी=30.00 बी.आर.=2 प्रगति पर हैं
	11वीं योजना की नई परियोजना								
4.	बिशालगढ़-बॉक्सानगर-सोनामुरा-बोरपथारी-बेलोनिया	त्रिपुरा	21-6-2010	19597.00	83.00	3/2014	-	6900.00	एफ=69.00 पी=43.00
	कुल त्रिपुरा			**32801.00**				**18631.00**	
	सिक्किम								
	10वीं योजना								
1.	बरमिक लेगशिप सड़क का सुधार	सिक्किम	25-7-2005	450.00	9.00	3/2010	6/2012	404.51	प्रगति-92%
2.	चाकुंग-खानीशेरबोंग सड़क का सुधार	सिक्किम	15-12-2005	486.00	10.00	3/2010	3/2013	436.70	प्रगति-70%
	11वीं योजना								
3.	सांगखोला-सुमिन	सिक्किम	2-2-2010	1405.00	12.00	3/2012	3/2013	300.00	प्रगति-50%
4.	सांगखोला-जिंगला-मार्तम	सिक्किम	2-2-2010	2357.00	17.00	3/2012	3/2013	1000.00	प्रगति-50%
5	सिमचूथांग-पाबोंग-यांगयांग	सिक्किम	23-2-2011	6284.00	23.00	3/2013	3/2013	950.00	प्रगति-40%
	कुल सिक्किम			**10982.00**				**3091.21**	
	महा योग			252593.20				131894.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मणिपुर बी.आर.ओ. "4552"								
1.	महादेव-तलोई-फुटसेरो	मणिपुर बी.आर.ओ.	18-8-2004	7412.00	78.00	3/2009	3/2010	7293.14	एफ=63.50 पी=60.62

चीनी विकास निधि

3141. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी विकास निधि का ब्यौरा, उद्देश्य तथा मौजूदा धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे किस प्रकार उपयोग किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रुग्ण चीनी मिलों में पुनरुद्धार हेतु संवितरित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चीनी मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण तथा गन्ने की बुआई क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में चीनी विकास निधि नामक निधि बनाने का प्रावधान है। निधि का स्रोत चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन ली गई और एकत्र की गई उत्पाद शुल्क की राशि, एकत्रण की निवल लागल और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को प्राप्त राशि तथा ऐसी राशियों के निवेश से होने वाली कोई आय है। इस निधिक का उपयोग चीनी उद्योग के विकास की गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों अथवा प्रासंगिक खर्चों का वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए किया जाना होता है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पास चीनी विकास निधि की शेष राशि 385.80 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमश: 1670.60 करोड़ रुपये, 1467.86 करोड़ रुपये और 642.67 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी रुग्ण चीनी मिल को कोई ऋण संवितरित नहीं किया गया है।

(ग) चीनी विकास निधि की शुरूआत से 31.03.20102 तक चीनी कारखानों को उनके पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए 2464.87 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं और चीनी मिलों को अपने-अपने क्षेत्रों में गन्ना विकास के लिए 806.82 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	उद्देश्य	उपयोग (करोड़ रुपये)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	गन्ना विकास के लिए ऋण	160.00	59.9218	50.00
2.	आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण	275.00	285.1132	117.56
3.	बिजली सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऋण	350.00	450.00	275.00
4.	इथनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण	90.00	98.0035	100.00
5.	बफर स्टाक राजसहायता	123.94	88.00	11.50
6.	अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान	0.1161	0.9944	1.00

1	2	3	4	5
7.	चीनी विकास निधि का प्रशासन	9.716	25.26	25.8741
8.	एस.ई.एफ.ए.एस.यू.	376.83	313.76	46.74
9.	आन्तरिक परिवहन और भाड़ा प्रभार	285.00	146.8137	15.00
	जोड़	1670.6021	1467.8666	642.6741

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण नीतियां

3142. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी स्वयं की नीतियां तैयार की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां, महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास हेतु समन्वित प्रयास करने के इरादे से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण नीतियां बना सकें जिनका उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का सृजन और खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना, खेत स्तर पर रोजगार पैदा करना और सर्वोपरि राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामर्थ्यकारी वातावरण तैयार करना हो।

(ग) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पृषक राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार की हैं। इसके अलावा, पंजाब, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा ओडिशा औद्योगिक नीति के भाग के रूप में अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने 01-04-2012 (2012-13) से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन.एम.एफ.पी.) के अंतर्गत राज्यों द्वारा तैयारी कार्य/अग्रिम कार्य शुरू करने का अनुमोदन दिया है। मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राज्य विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु राज्यों को अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है। राज्य विजन दस्तावेज के निर्धारण से संबंधित राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार कर सकेंगे।

[अनुवाद]

राहत पैकेज में अनियमितताएं

3143. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**

श्री नरहरि महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ सहित देश में किसानों को दिए गए राह पैकेज में घोटाला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई/की जा रही है तथा वास्तविक लोगों को समय पर प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) विदर्भ क्षेत्र के किसानों जो संस्थागत ऋण स्रोतों से ऋणग्रस्त थे, सहित देश में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आ.एस.), 2008 कार्यान्वित की है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ए.डी.डब्ल्यू.आर.एस., 2008 के कार्यान्वयन में

किसी घोटाले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, नाबार्ड द्वारा की गई सांविधिक निरीक्षण/जांच के दौरान ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस., 2008 के दावों को दर्ज करने में अनियमितताएं देखी गई थी और तत्संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। विदर्भ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में कोई अनियमितता नहीं देखी गई थी।

[हिन्दी]

पांडुलिपियों का संरक्षण

3144. श्री जयवंतराव आवले: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पांडुलिपि विरासत परिरक्षण और संरक्षण तथा स्मारकों के रखरखाव के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश विशेषकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण और मूल्यवान पांडिलिपियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) (i) संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम संचालित करता है।

(ii) संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (एन.ए.आई.) द्वारा संपूर्ण देश में अभिलेखीय विरासत के अनुरक्षण के लिए दो स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये स्कीमें निम्नलिखित हैं:-

क. पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों आदि को पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।

ख. राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय रिपोजिटरी, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की स्कीम।

(iii) भारत सरकार ने गजट अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2003 के माध्यम से वर्ष 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एन.एम.एम.) की स्थापना भी की है, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:-

(i) प्रशिक्षण, जागरूकता और वित्तीय सहायता के माध्यम से पांडुलिपियों के संरक्षण और परिरक्षण को सुगम बनाना;

(ii) भारतीय पांडुलिपियां, जहां कहीं भी हों, को प्रलेखित करना और संदर्भ सूची तैयार करना, उनके संबंध में सटीक और अद्यतन सूचना तथा उन दशाओं का अनुरक्षण करना जिनके तहत उनसे परामर्श किया जा सकता है;

(iii) पुस्तक और इलैक्ट्रॉनिक दोनों ही रूपों में प्रकाशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों की आसान उपलब्धता को बढ़ावा देना;

(iv) भारतीय भाषाओं और पांडुलिपि विज्ञान के अध्ययन में अध्येतावृत्ति और अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(v) एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय का निर्माण करना।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, एन.ए.आई. द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय रिपोजिटरी, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत राज्य वार ब्यौरों को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

एन.एम.एम. द्वारा उनके पांडुलिपि संसाधन केंद्रों और पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों द्वारा जारी किए गए अनुदान के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दर्शाए गए हैं।

(घ) एन.ए.आई. द्वारा स्कीमों का बड़े पैमाने पर संपूर्ण देश, जिसमें ये राज्य शामिल हैं, के राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रचार किया जाता है। इसके अलावा, परिपत्र सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को जारी किया जाता है और वेबसाइट www. nationalarchives.nic.in पर भी दिया जाता है, जिसमें संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के

लिए अपने आवेदन (राज्य स्तर की स्क्रीनिंग समिति/अभिलेखागार के माध्यम से) प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार, प्रलेखन, संरक्षण और अन्य कार्यकलापों के लिए एन.एम.एम. ने 57 पांडुलिपि संसाधन केंद्र (एम.आर.सी.) और 50 पांडुलिपि संरक्षण केंद्र (एम.सी.सी.), संपूर्ण देश में स्थापित किए हैं, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान शामिल हैं। ये वे राज्य हैं जिनको अनुदान प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, संरक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पांडुलिपि विज्ञापन और पुरालिपि शास्त्र में कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखीय संग्रहों, राजकीय पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आन्ध्र प्रदेश	1,50,000 रु.	3,15,000 रु.	शून्य	किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखीय संग्रह, राजकीय पुस्तकालय और संग्रहालय को कोई निधि जारी नहीं की गई है
असम	शून्य	6,00,000 रु.	28,27,500 रु.	
बिहार	6,31,500 रु.	शून्य	शून्य	
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	
गोवा	शून्य	11,25,000 रु.	शून्य	
गुजरात	3,75,000 रु.	शून्य	शून्य	
केरल	3,17,625 रु.	शून्य	शून्य	
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	31,50,000 रु	
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
नागालैंड	शून्य	3,75,000 रु.	शून्य	
ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	
पंजाब	7,00,000 रु.	शून्य	शून्य	
राजस्थान	7,05,000 रु.	80,000 रु.	38,64,286 रु.	
तमिलनाडु	7,00,000 रु.	शून्य	शून्य	
उत्तर प्रदेश	शून्य	7,50,000 रु.	शून्य	
पश्चिम बंगाल	4,57,500 रु.	शून्य	37,50,000 रु.	

विवरण-II

पांडुलिपि संसाधन केंद्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य	एम.आर.सी. का नाम	जारी अनुदान			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपती-517502, आन्ध्र प्रदेश	1,50,015 रु.	शून्य	शून्य	
2.		आ.प्र. राजकीय ओरिएंटल पांडुलिपि पुस्तकालय और अनुसंधान संस्थान, जामा-आई-उसमानिया, उसमानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद-500007 आन्ध्र प्रदेश	शून्य	1,97,216 रु.	शून्य	अभी तक किसी एम.आर.सी. को कोई निधि जारी नहीं की गई।
3.	असम	प्रभारी प्रधानाचार्य गुरूचरण कॉलेज, सिलचर, असम-788 004	शून्य	1,21,425 रु.	शून्य	
4.		कृष्णाकांतहांडिक पुस्तकालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	शून्य	शून्य	शून्य	
5.		नाथ अध्ययन और अनुसंधान संस्था मोरनहाट, असम	शून्य	शून्य	4,50,000 रु.	
6.	बिहार	खुदाबक्श ओरिएंटल पब्लिक लाईब्रेरी, अशोक राजपथ, पटना, बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	
7.		कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगरम, दरभंगा-846004 बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	
8.		नव नालंदा महाविहार (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) नालंदा-80311 बिहार	शून्य	3,01,972 रु.	शून्य	
9.		श्री देव कुमार जैन ओरिएंटल, अनुसंधान संस्थान, देवाश्रम, महादेव रोड, आरा, बिहार-802301	6,89,484 रु.	4,50,000 रु.	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
10.		पटना संग्रहालय, विद्यापति मार्ग, पटना, बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	छत्तीसगढ़	संस्कृति और पुरातत्व विज्ञान रायपुर, छत्तीसगढ़	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
12.	दिल्ली	भाई वीर सिंह साहित्य सदन, भाई वीर सिंह मार्ग गोल मार्केट, नई दिल्ली-1	4,00,000 रु.	शून्य	शून्य	
13.		बी.एल. भारत-विद्या संस्थान वल्लभ स्मारक कॉम्फोक्स 20वां के.एम., जी.टी.के. रोड, पी.ओ. अलीपुर, दिल्ली-36	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
14.	गुजरात	लालभाई दलपतभाई भारेत-विद्या संस्थान नवरंगपुर, निकट गुजरात, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद-380009 गुजरात	4,50,000 रु.	शून्य	शून्य	
15.		श्री द्वारकाधीश संस्कृत अकादमी एवं भारत विद्या शास्त्रीय अनुसंधान संस्थान, द्वारका, गुजरात	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
16.	हरियाणा	संस्कृत पालि और प्राकृत विभाग कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र-136119	शून्य	3,00,000 रु.	8,90,000 रु.	
17.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल कला, संस्कृति और भाषा अकादमी संस्कृति और भाषा, क्लिइंड एस्टेट, शिमला-171001	3,00,000 रु.	7,80,251 रु.	8,28,519 रु.	
18.		तिब्बती कार्य और पुरालेख पुस्तकालय गांगचेंकइसांग धर्मशाला-176215 हिमाचल प्रदेश	शून्य	4,50,000 रु.	4,50,000 रु.	
19.	जम्मू और कश्मीर	राज्य पुरातत्व निदेशालय, अभिलेख और संग्रहालय प्रस्तर भवन, पुराना सचिवालय श्रीनगर-190001 जम्मू और कश्मीर	शून्य	4,33,990 रु.	4,50,000 रु.	

1	2	3	4	5	6	7
20.		केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान चोग्लम्सर, लेह (लडाक) - 194001	शून्य	4,29,444 रु.	शून्य	
21.	कर्नाटक	ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय, कौटिल्य सर्कल, मैसूर-570005 कर्नाटक	3,00,000 रु.	3,00,000 रु.	शून्य	
22.		कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, विद्यारण्य हास्पेट तालुका, जिला-बेल्लारी, कर्नाटक-583276	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
23.		राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन और अनुसंधान संस्थान श्रुतकेवली शिक्षा न्यास (पंजीकृत श्रावण-बेलगोला, हस्सन जिला, कर्नाटक-573 135	4,50,000 रु.	9,00,000 रु.	4,50,000 रु.	
24.		केलडी संग्रहालय और ऐतिहासिक अनुसंधान पी.ओ. केलडी, सागर तालुका, शिमोगा जिला, कर्नाटक-577401	3,00,000 रु.	1,45,370 रु.	4,00,000 रु.	
25.		महाभारत संशोधन प्रतिष्ठान, 1/ई, तीसरा कॉस, गिरिनगर 1 चरण बेंगलुरू 560085	शून्य	शून्य	शून्य	
26.	केरल	ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान और पांडुलिपि पुस्तकालय, केरल विश्वविद्यालय, कार्यवट्टम, तिरूवनंतपुरम, केरल-695585	3,00,000 रु.	4,23,503 रु.	3,50,000 रु.	
27.		तुंचन स्मारक ट्रस्ट, तुंचनपरम तिरूर, जिला मामलापुरम, केरल	6,00,000 रु.	4,72,343 रु.	7,12,000 रु.	
28.		डी.जी. केंद्रीय विरासत अध्ययन हिल पैलेस, त्रिपुनितुरा, जिला एर्णाकुलम	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
29.	मध्य प्रदेश	सिंधिमा ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान विक्रम, विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
30.		डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय गौर नगर, सागर, मध्य प्रदेश	शून्य	7,10,418 रु.	शून्य	
31.		कुंद-कुंद ज्ञानपीठ, 584 एम.जी. रोड, तुकोगंज, इंदौर	शून्य	3,00,000 रु.	3,60,000 रु.	
32.	महाराष्ट्र	भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, डेक्कन, जिमखाना, पुणे-411037	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
33.		कविकुलगुरू कालिदास संस्कृति विश्वविद्यालय बगलाभवन, सीतल-वाड़ी, मांडा रोड, रामटेक-441106	शून्य	शून्य	4,50,000 रु.	
34.		आदंदाश्रम संस्था 22, बुधवार-पेठ, पुणे-411002	शून्य	1,46,952 रु.	शून्य	
35.		श्री सत श्रुत प्रभावना ट्रस्ट, 580 जुनी मानेकवाडी, भावनगर-364001	6,00,000 रु.	9,00,000 रु.	9,00,000 रु.	
36.		शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	4,50,000 रु.	
37.	मणिपुर	मणिपुर राज्य अभिलेखागार, वाशिंगलोम लिकोई, इंफाल-795001 मणिपुर	9,00,000 रु.	8,30,575 रु.	3,80,575 रु.	
38.	ओडिशा	ओडिशा राज्य संग्रहालय, संग्रहालय भवन, भुवनेश्वर ओडिशा	4,50,000 रु.	शून्य	4,50,000 रु.	
39.		वैदिक एवं संबद्ध भारतीय पर के माध्यम से उच्च सोसाइटी के लिए संस्कृति अनुसंधान अकादमी (सरस्वती), सरस्वती विहार, बारपदा, भद्रक-756 113	3,00,000 रु.	4,50,000 रु.	4,50,000 रु.	
40.	पुडुंचेरी	पुडुचेरी फ्रांसीसी संस्थान 11, सेंट लुइस स्ट्रीट पीबी-33, पुडुचेरी-605001	शून्य	3,52,046 रु.	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
41.	पंजाब	विश्वेश्वरनंदा विश्वबंधु संस्कृति एवं भारत विद्याशास्त्र अध्ययन संस्थान, साधु आश्रम होशियारपुर-146021 पंजाब	शून्य	4,04,639 रु.	शून्य	
42.	राजस्थान	राजस्थान, ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, पी.डब्ल्यू.डी. रोड, जोधपुर, राजस्थान-342011	शून्य	2,63,753 रु.	3,54,804 रु.	
43.	तमिलनाडु	पुरातत्व विभाग, तमिल वालारची वालागम हाल्स रोड, एगमोर, चेन्नई-600008	शून्य	8,11,322 रु.	7,11,322 रु.	
44.		तमिल साहित्य विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मरीना परिसर, चेन्नई-600005	शून्य	शून्य	शून्य	
45.		तंजौर महाराजा सरफोजी, सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर, तमिलनाडु-613009	शून्य	शून्य	शून्य	
46.		श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, मानित विश्व-विद्यालय, एनातुर कान्चीपुरम-631561	शून्य	2,95,890 रु.	शून्य	
47.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणि नगर, त्रिपुरा पश्चिम	शून्य	4,50,000 रु.	शून्य	
48.	उत्तर प्रदेश	रामपुर रजा पुस्तकालय, हामिद मंचिल, रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901	शून्य	शून्य	शून्य	
49.		संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221001	3,00,000 रु.	5,12,722 रु.	4,35,000 रु.	
50.		वृंदावन अनुसंधान संस्थान, रमण रेती मार्ग, वृंदावन-281121	शून्य	6,00,000 रु.	4,50,000 रु.	
51.		अखिल भारतीय संस्कृत परिषद महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ	3,00,000 रु.	शून्य	9,00,000 रु.	

1	2	3	4	5	6	7
52.		हस्तलेखागार एवं संग्रहालय, के.एम. हिंदी अध्ययन और भाषायी हिंदी संस्था, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय पालिवाल पार्क, आगरा	शून्य	शून्य	शून्य	
53.		मजहर स्मारक संग्रहालय बहरियाबाद, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	शून्य	4,50,000 रु.	3,60,000 रु.	
54.		चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	4,50,000 रु.	
55.	उत्तराखंड	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी निकट जिलापंचायती कार्यालय हरिद्वार-249401	3,00,000 रु.	6,16,800 रु.	1,39,080 रु.	
56.		संस्कृत विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय पौडी-गढ़वाल, उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	
57.	पश्चिम बंगाल	पांडुलिपि पुस्तकालय, हरदिंगे भवन पहली मंजिल, 87/1, कॉलेज स्ट्रीट सीनेट हाउस, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073	9,00,000 रु.	1,20,000 रु.	7,34,029 रु.	

विवरण-III

पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों की सूची

क्र. सं.	पांडुलिपि संरक्षण केन्द्रों का नाम	जारी अनुदान			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश				
1.	ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरूपति-517507	2,88,700 रु.	2,50,000 रु.	2,50,000 रु.	अभी तक किसी पांडुलिपि संरक्षण केन्द्र को कोई निधि जारी नहीं की गयी है।

1	2	3	4	5	6
2.	सालारजंग संग्रहालय, सालारजंग मार्ग हैदराबाद-500002	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	आन्ध्र प्रदेश राज्य पुरालेख और अनुसंधान संस्थान, तर्नाका, हैदराबाद-7	शून्य	2,50,000 रु.	2,08,000 रु.	
	अरुणाचल प्रदेश				
4.	तवांग मठ, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	
	असम				
5.	गुरूचरण महाविद्यालय, सिलचर-4 (असम)	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
6.	कृष्ण कान्त हांडिक्वी पुस्तकालय गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बरदोलाई नगर, गुवाहाटी-781014 असम	शून्य	2,23,277 रु.	शून्य	
	बिहार				
7.	खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाईब्रेरी, अशोक राजपथ, पटना, बिहार	शून्य	शून्य	1,30,000 रु.	
8.	श्री देव कुमार जैन ओरिएंटल, अनुसंधान संस्थान, देवाश्रम, महादेव रोड, आरा, बिहार-802301	1,50,000 रु.	1,60,578 रु.	शून्य	
9.	पटना संग्रहालय, विद्यापति मार्ग, पटना, बिहार	शून्य	2,50,000 रु.	2,50,000 रु.	
	छत्तीसगढ़				
10.	आयुक्त संस्कृति और पुरातत्व रायपुर, छत्तीसगढ़	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
	दिल्ली				
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली-110001	2,70,000 रु.	शून्य	शून्य	
12.	बी.एल. भारत-विद्या संस्थान वल्लभ स्मारक कॉम्प्लेक्स 20वां के.एम., जी.टी. के रोड, पी.ओ. अलीपुर, दिल्ली-36	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	

1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
13.	लालभाई दलपतभाई भारत-विद्या संस्थान नवरंगपुर, निकट गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद-380009 गुजरात	शून्य	2,50,000	शून्य	
	हिमाचल प्रदेश				
14.	भाषा एवं संस्कृति, कासुम्पूती, शिमला	शून्य	1,74,658 रु.	7,50,000 रु	
	हरियाणा				
15.	संस्कृत पाली और प्राकृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-194104	शून्य	शून्य		
	जम्मू और कश्मीर				
16.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान चोगलम्सर, लेह (लद्दाख)-194001	शून्य	2,50,000 रु.	4,80,000 रु.	
	कर्नाटक				
17.	इकपैक, इंटेक, चित्रकला प्रतिष्ठान, कला संरक्षण केन्द्र, कुमार कृपा रोड बंगलोर-560001	3,00,000 रु.	2,02,099 रु.	4,72,000 रु.	
18.	पांडुलिपि विभाग, कन्नड विश्वविद्यालय हम्पी विद्यारण्या, जिला बेल्लारी, -583276	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
19.	राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन और अनुसंधान संस्थान श्री दवल तीर्थम, श्रवणबेल-गोला, जिला हस्सन, (कर्नाटक)	शून्य	2,50,000 रु.	5,00,000 रु.	
20.	केलडी संग्रहालय और ऐतिहासिक अनुसंधान पी.ओ. केलडी, सागर तालुका, शिमोगा जिला, कर्नाटक-577401	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
21.	कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, कक्ष 9, भूतल, विधान सौध, बंगलुरू-1	1,50,000 रु.	शून्य	शून्य	
22.	श्री वादीराजा अनुसंधान प्रतिष्ठान, श्री पुतिगेमाता, कार स्ट्रीट, उडुपी	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	

1	2	3	4	5	6
	केरल				
23.	भित्त चित्र संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हिल पैलेस संग्रहालय परिसर त्रिपुनितुरा, एर्णाकुलम, केरल	1,50,000 रु.	शून्य	शून्य	
24.	तुंचन स्मारक ट्रस्ट, तुंचनपरम्बु तिरूर, पलपुरम जिला-केरलम	शून्य	2,50,000 रु.	3,65,000 रु.	
25.	विरासत अध्ययन केन्द्र, हिल पैलेस, त्रिपुनितुरा, एर्णाकुलम केरल	शून्य	2,50,000 रु.	3,50,000 रु.	
26.	क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला, कॉटन हिल रोड साउथ मंगलम पी.ओ. तिरुवनंतपुरम-695010	3,00,000 रु.	98,686 रु.	शून्य	
27.	ओ.आर.आई. एवं पांडुलिपि पुस्तकालय केरल विश्वविद्यालय कार्यवट्टम, तिरुवनंतपुरम	शून्य	शून्य	62,000 रु.	
	मध्य प्रदेश				
28.	कुंद कुंद ज्ञानपीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 584, एम.जी. रोड, तुकोगंज इंदौर-452 001	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
	महाराष्ट्र				
29.	भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान डेक्कन जिमखाना, पुणे	1,50,000 रु.	77,280 रु.	शून्य	
	मणिपुर				
30.	मणिपुर राज्य अभिलेखागार, वाशिंगलोम लिकोय, इम्फाल, मणिपुर	4,59,400 रु.	4,89,748 रु.	5,00,000 रु.	
	ओडिशा				
31.	आई.एन.टी.ए.एच.आई.सी.आई. ओडिशा कला संरक्षण केन्द्र, ओडिशा राज्य संग्रहालय आधारिका, भुवनेश्वर ओडिशा	1,50,000 रु.	4,00,000 रु.	2,50,000 रु.	
32.	ए.आई.टी.आई.एच.वाई.ए. प्लाट सं. 4/330, पहली मंजिल, रघुनाथपुर पी.ओ. शिशुपाल गडा (निकट गागुआ ब्रिज, पुरी रोड, भुवनेश्वर-2, ओडिशा	शून्य	4,00,000 रु.	2,50,000 रु.	

1	2	3	4	5	6
33.	संभलपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय, संभलपुर विश्वविद्यालय बुर्ला-768001	1,50,000 रु.	3,51,387 रु.	शून्य	
34.	ओडिशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर, ओडिशा	शून्य	शून्य	7,50,000 रु.	
	पंजाब				
35.	वी.वी.आई.एस. और आई.एस., होशियारपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
	राजस्थान				
36.	राजस्थान ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पी.डब्ल्यू.डी. रोड, जोधपुर-342011	शून्य	2,50,000 रु.	2,50,000 रु.	
37.	दिगम्बर जैन पांडुलिपि संरक्षण केन्द्र, जैन विद्या संस्थान, दिगम्बर जैन नसीम भट्टाराकजी सवाई रामसिंह रोड, जयपुर, राजस्थान-302004	शून्य	3,99,343 रु.	2,50,000 रु.	
38.	अकलान्क शोध संस्थान अकलान्क विद्यालय एसोसिएशन बसंत विहार, कोटा	शून्य	शून्य	2,50,000 रु.	
	तमिलनाडु				
39.	तमिलनाडु राजकीय संग्रहालय एगमोर, चेन्नई-600008	शून्य	3,87,089 रु.	शून्य	
40.	तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर, तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	
	त्रिपुरा				
41.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यमणि नगर त्रिपुरा पश्चिम	शून्य	2,50,000 रु.	शून्य	
	उत्तर प्रदेश				
42.	आई.सी.आई. संरक्षण केन्द्र रामपुर रजा पुस्तकालय, हामिद मंजिल रामपुर-244901 उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	
43.	नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान 18, अंधियारी गोरखपुर-273001	शून्य	6,50,000 रु.	4,90,000 रु.	

1	2	3	4	5	6
44.	वृंदावन अनुसंधान संस्थान रमनरेति, वृंदावन-281121	शून्य	6,50,545 रु.	4,07,978 रु.	
45.	भारतीय संरक्षण संस्थान परिषद, एच.आई.जी.-44, सेक्टर ई. अलीगंज स्कीम, लखनऊ-226024	1,50,000 रु.	3,39,681 रु.	2,50,000 रु.	
46.	विभागाध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	3,00,000 रु.	1,50,000 रु.	शून्य	
47.	अध्यक्ष, मजहर स्मारक संग्रहालय, बहरियाबाद गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	शून्य	2,50,000 रु.	2,00,000 रु.	
	उत्तराखंड				
48.	उत्तरांचल संरक्षण शोध और प्रशिक्षण संस्थान, मारकण्डेय हाउस (निकट एच.एम.टी. मुख्य द्वार) रानी बाग जिला नैनीताल उत्तरांचल-263	शून्य	शून्य	शून्य	
49.	हिमालय विरासत एवं संरक्षण समिति केन्द्र नैनीताल, उत्तरांचल	3,00,000 रु.	4,71,640 रु.	शून्य	
	पश्चिम बंगाल				
50.	प्रो. रत्न बसु पांडुलिपि पुस्तकालय हरदिंगे भवन, पहली मंजिल, 87/1 कॉलेज स्ट्रीट, सीनेट हाउस, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073	4,30,234 रु.	4,39,760 रु.	5,50,000 रु.	

फलों और सब्जियों के संकर बीज

3145. **श्री हर्ष वर्धन:**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनुसंधान संस्थानों ने देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक संकर बीजों को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में किसानों के उपयोग के लिए कितने संकर बीज उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में फलों और सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन हेतु संकर बीजों की मांग का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 और 2012-13 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में संकल बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। अनुसंधान संस्थानों ने हाल ही में वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक शाकीय फसलों के 10 संकर बीज तैयार किए हैं। इसके अलावा किसानों

के इस्तेमाल के लिए फल, सब्जी, पुष्प, कंद तथा रोपण फसलों के उच्च पैदावार, गुणवत्ता और जैविक एवं अजैविक दबाव प्रतिरोधिता वाली 273 उन्नत किस्में विकसित की हैं।

(ग) और (घ) फलों और सब्जियों के संकर बीजों की मांग का मूल्यांकन नहीं किया गया। हालांकि, राज्यों से प्राप्त मांग-पत्र के आधार पर संकर बीजों के पैतृक वंशक्रम का आवंटन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को 677 कि.ग्रा. पैतृक वंशक्रम आवंटित किए गए।

(ङ) संकर बीजों की उपलब्धता के लिए वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना

3146. **डॉ. संजय जायसवाल:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बुनियादी स्तर पर खेलों के क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2008-09 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) नामक एक स्कीम लागू की है जिसका उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश की ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में बुनियादी खेल मैदानों का सृजन/विकास करना है तथा ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों (2008-09 से 2011-12) के दौरान पायका स्कीम के अन्तर्गत 53927 ग्राम और ब्लॉक पंचायतें पहले ही कवर की जा चुकी है। पायका स्कीम के अन्तर्गत विकसित खेल मैदान लड़कों और लड़कियों दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वर्ष 2010-11 में संपूर्ण "खेल इको पद्धति" अर्थात, खिलाड़ियों की अकादमियां, कोचिंग और अवसंरचना (हॉकी टर्फ/फुटबाल टर्फ/बहुद्देशीय हाल/एथलेटिक ट्रैक) विकसित करने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर शहरी खेल अवसंरचना नामक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य महत्वपूर्ण दरारों को भरकर सभी स्तरों पर राज्य में पहले से उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग को बढ़ावा देकर, आवश्यकता आधारित अवसंरचना में वृद्धि करके तथा समुदाय कोचों सहित विभिन्न कोचों की क्षमता का उन्नयन करके समुदाय खेल मैदानों को प्रोत्साहित करने, उनमें सहायता प्रदान करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक क्रिया विधि तैयार और विकसित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड, समुचित सहायता के पात्र हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण, (साई) की निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत अभिज्ञात प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और पोषण किया जाता है।

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी. स्कीम)
2. बाल सैन्य खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.) स्कीम
3. साई प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) स्कीम
4. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) स्कीम
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) स्कीम

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना की समीक्षा

3147. **श्री विजय बहुगुणा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करने हेतु जनता के प्रतिनिधियों जैसे स्थानीय संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्यों आदि को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हो?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने दिनांक 28.11.2011 के अपने आदेश द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा और मानीटरिंग करने के लिए संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षा और मानीटरिंग समिति का गठन करें। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत जिला स्तरीय पुनरीक्षा और मानीटरिंग समिति के लिए दिशा निर्देश

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) को 3 दिसंबर, 2005 का शुरू किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना के विकास के मुद्दे को हल करना है और यह सुधारों के क्रियान्वयन से संबद्ध है:-

यह निम्नोक्त दो ट्रेक कार्यनीति का अनुसारण करता है:-

* ट्रेक -1 में शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 65 शहरों में एकीकृत विकास के लिए मुख्य मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) निहित है।
* ट्रेक-2 में अन्य शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) निहित हैं।

मिशन की 7 वर्ष की अवधि में कुल 1.00 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। मिशन की अवधि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) 50,000 करोड़ रुपए है। शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) (2005-12) के उप मिशन के लिए ए.सी.ए. की व्यवस्था 25,500 करोड रुपए और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के लिए 6400 करोड़ रुपए है। यू.आई.जी. के लिए 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है जिससे सात वर्षों की अवधि के लिए कुल व्यवस्था 31,500 करोड़ रुपए हो गई है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के लिए 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है जिससे सात वर्षो की अवधि के लिए कुल व्यवस्था 11,400 करोड़ रुपए हो गई है।

2. उद्देश्य

यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों सहित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन. यू.आर.एम.) के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से जिला स्तरीय पुनरीक्षा और मानीटरिंग समिति का गठन किया गया है।

3. समिति (समितियां) को यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.एस. एस.एम.टी. और आई.एच.एस.डी.पी. की परियोजनाओं और सुधारों सहित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की परियोजनाओं और सुधारों का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों के साथ प्रभावशाली ढंग से संपर्क और समन्वय भी स्थापित करना होता है।

4. जिला स्तरीय पुनरीक्षा और मानीटरिंग समिति (समितियों) की संरचना और कार्यो का उल्लेख निम्नोक्त पैराओं में किया गया है:-

I. **अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष:**

(1) जहां जिले में लोक सभा का केवल एक सदस्य होता है वहां उसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि वह लोक सभा का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष है या मंत्री परिषद का मंत्री है, समिति के अध्यक्ष के बतौर नामित किया जा सकता है।

(2) जहां जिले में एक से अधिक लोक सभा सदस्य हैं, वहां यदि उनमें से कोई सदस्य, लोक सभा का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष है या मंत्री परिषद का मंत्री है, तो उस स्थिति में, उनमें से किसी एक को समिति के अध्यक्ष के बतौर नामित किया जा सकता है। तथापि, यदि सभी सदस्य हैं तो उनमें से जो जिले के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र/विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसे समिति के अध्यक्ष के बतौर नामित किया जा सकता है और अन्य सदस्य को सह-अध्यक्ष को बतौर नामित किया जाए।

(3) जहां जिले में केवल एक ही लोक सभा सदस्य हैं और वह एक से अधिक जिलों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस स्थिति में उसे उन सभी जिलों में समिति के अध्यक्ष के बतौर नामित किया जा सकता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है (ऐसी स्थिति अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकती है जहां की एक संसद सदस्य ही अनेक जिलों का प्रतिनिधित्व करता है)।

(4) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाल सदस्य (राज्य सभा) और जिला स्तरीय समितियों में सहयोग करने का विकल्प देने वाले सदस्य को (पहले आओ के आधार पर) उपध्यक्ष के बतौर नमित किया जाए। संसद के अन्य सभी सदस्यों को उपाध्यक्ष के बतौर नामित किया जाए।

II. **सदस्य**: समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

(1) संसद के ऐसे अन्य सदस्यों (लोक सभा) और साथ ही संसद के सदस्यों (राज्य सभा) को जिन्होंने उक्त जिले में सदस्य बनने की अपनी इच्छा जाहिर की है, वे सदस्य होंगे।

(2) जिले के भीतर के चुनाव क्षेत्रों से चुने गए राज्य विधान सभा के सभी सदस्य।

(3) नगर निगमों के महापौर/अध्यक्ष, नगर निगम परिषदों के अध्यक्ष और नगर आयुक्त/मुक्त कार्यकारी अधिकारी।

(4) परियोजना अधिकारी, डी.यू.डी.ए. या राज्य सरकार/क्षेत्रीय नगर प्रशासनों से एक अधिकारी।

(5) प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य जिस मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

(6) सामाजिक कार्य क्षेत्र/सामाजिक विज्ञान क्षेत्र से एक व्यावसायिक जिसे मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला समूह प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जिसे मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

क्रमांक (5), (6) और (7) में उल्लिखित सदस्यों को शहरी क्षेत्र का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

अध्यक्ष के उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में, उपस्थित सदस्य अपनों में किसी एक सदस्य को, नियत बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं।

III. **सदस्य सचिव**:

कलेक्टर/जिला मेजिस्ट्रट/उप आयुक्त, जिला स्तरीय पुनरीक्षा और मानीटरिंग समिति का सदस्य सचिव होगा।

समिति निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगी:-

(1) परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की पुनरीक्षा।

(2) सुधारों की प्रगति की पुनरीक्षा।

(3) सुधारों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पुनरीक्षा और उनका निदान।

(4) यू.आई.जी./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. और बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं की समाभिरूपता के साथ-साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के साथ शहरी/जिला स्तर पर अन्य पहल प्रयासों की समाभिरूपता।

IV. **समिति का कार्यचालन**

(1) समिति को तिमाही में बैठक करनी चाहिए तथा परियोजनाओं और सुधारों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

(2) समिति अवस्थापना और सेवाओं में संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ सुधारों के क्रियान्वयन पर शहरी स्थानीय निकायों का मार्ग निर्देशन कर सकती है।

(3) समिति हुई बैठकों/परिचर्चा के कार्यवृत अपनी सिफारिशें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों और एस.एल.एन.ए. और संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेगी।

(4) एस.एल.एन.ए. को बेव पर कार्यवृत स्थापित करने की कार्यवाई करनी चाहिए। एस.एल.एन.ए. मानीटर करेगी और समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एस.एल.एन.ए. राज्य सरकार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, समिति की सभी बैठकों की कार्यसूची का एक भाग होनी चाहिए। यदि की गई कार्रवाई

की रिपोर्ट में विशिष्ट मुद्दे हैं तो उन्हें शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष के निर्देश पर सदस्य सचिव समिति की बैठक आयोजित करेंगे।

एस.एल.एन.ए. और संबंधित शहरी स्थानीय निकास सदस्य सचिव के माध्यम से समिति के कार्यों के निष्पादन में सहयोग करेंगे।

पशु अस्पतालों/औषधालयों को सुदृढ़ करना

3148. **श्री निशिकांत दुबे:**

श्री गणेश सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना/उनके सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश, सहित देश में पशु अस्पतालों/औषधालयों/डॉक्टरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे संस्थानों को खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) विभाग ने नए पशु-चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना करने और मौजूदा पशु-चिकित्सालयों/औषधालयों को सुदृढ़/सुसज्जित करने की जरूरत को पूरा करने के लिए अगस्त, 2010 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एल.एच.एण्ड.डी.सी.) के भाग के रूप मे एक नया घटक नामत: मौजूदा पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (ई.एस.वी.एच.डी.) शुरू किया है और अब यह केन्द्र और राज्यों के बीच योजना के लागत मानदण्डों के आधार पर राज्यों को पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां 90:10 के अनुपात के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है, 75:25 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस घटक के तहत, वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ शासित, क्षेत्रों को पशुचिकित्सालयों/औषधालयों के नए निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 9726.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2011-12 के दौरान 9881.36 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पशुचिकित्सालयों/पॉलीक्लिनिकों और औषधालयों की मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार विस्तृत संलग्न विवरण-1 में दी गई है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत पशुचिकित्सकों की संख्या को दर्शाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची, जिसका रखरखाव भारतीय पशु चिकित्सालय परिषद द्वारा की जाता है, विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) पशु चिकित्सालयों/पॉलीक्लिनिकों और औषधालयों आदि की स्थापना राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है। लेकिन विभाग नए पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना करने और मौजूदा पशु-चिकित्सालयों/औषधालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना के तहत उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदानप कर रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य को 221 पशु चिकित्सालयों और 250 पशु चिकित्सा औषधालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1391.25 लाख रुपए की राशि जारी की है।

विवरण-I

पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉलिक्लिनिकों और दवाखानों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉलिक्लिनिक	पशुचिकित्सा दवाखाने
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	303	1794
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	93

1	2	3	4
3.	असम	29	428
4.	बिहार	39	785
5.	छत्तीसगढ़	208	708
6.	गोवा	5	21
7.	गुजरात	14	487
8.	हरियाणा	673	999
9.	हिमाचल प्रदेश	335	1721
10.	जम्मू और कश्मीर	303	1585
11.	झारखंड	405	3
12.	कर्णाटक	294	1451
13.	केरल	213	880
14.	मध्य प्रदेश	677	1744
15.	महाराष्ट्र	43	1382
16.	मणीपुर	55	109
17.	मेघालय	4	70
18.	मिजोरम	5	35
19.	नागालैंड	4	27
20.	ओडिशा	-	540
21.	पंजाब	1362	1486
22.	राजस्थान	1439	285
23.	सिक्किम	12	25
24.	तमिलनाड़	167	1156
25.	त्रिपुरा	15	56
26.	उत्तर प्रदेश	1763	268
27.	उत्तराखंड	295	11
28.	पश्चिम बंगाल	111	612

1	2	3	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	11
30.	चंडीगढ़	5	10
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0
32.	दमन और द्वीव	0	2
33.	दिल्ली	49	27
34.	लक्षद्वीप	3	6
35.	पुडुचेरी	2	15

विवरण-II

31 मार्च, 2011 तक पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिसनरों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद ने वर्णित किया

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिसनरों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	74
2.	आन्ध्र प्रदेश	5467
3.	अरुणाचल प्रदेश	117
4.	असम	2440
5.	बिहार	3196
6.	चंडीगढ़	13
7.	छत्तीसगढ़	316
8.	दादरा और नगर हवेली	4
9.	दमन और द्वीव	1
10.	दिल्ली	719
11.	गोवा	135
12.	गुजरात	1869
13.	हरियाणा	1934
14.	हिमाचल प्रदेश	888
15.	झारखंड	960
16.	कर्णाटक	4145
17.	केरल	3562
18.	लक्षद्वीप	23
19.	मध्य प्रदेश	2803
20.	महाराष्ट्र	7976
21.	मणिपुर	352
22.	मेघालय	300
23.	मिजोरम	193
24.	नागालैंड	228
25.	ओडिशा	1801
26.	पुडुचेरी	318
27.	पंजाब	2833
28.	राजस्थान	3587
29.	सिक्किम	91

1	2	3
30.	तमिलनाडु	5005
31.	त्रिपुरा	197
32.	उत्तर प्रदेश	4544
33.	उत्तराखंड	549
34.	पश्चिम बंगाल	2732
35.	जम्मू और कश्मीर	*

*जम्मू और कश्मीर में कार्यरत पशुचिकित्सक भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

हॉकी स्टेडियमों की स्थिति

3149. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे में चिकलालवाड़ी हॉकी स्टेडियम अपने निर्माण के समय से ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्टेडियम के जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारणों को जानने के लिए कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा उक्त स्टेडियम के संरक्षण और रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) चिकलालवाड़ी हॉकी स्टेडियम केन्द्रीय सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है। ऐसे स्टेडियमों के रिकार्ड केन्द्र सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आवासों के निर्माण के लिए निधियां

3150. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा विकसित भूमि का 20 से 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) श्रेणियों के आवास निर्माण हेतू आरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी आवासन और पर्यावास नीति, 2007 (नेशनल अर्बन हाउसिंग एण्ड हैबिटैट पॉलिसी), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राजीव आवास योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के अधीन निधि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को कितनी निधि प्रदान की गई;

(ग) राज्यों में राज्य-वार कितने आवासों का निर्माण हुआ/कितने निर्माणधीन हो;

(घ) क्या ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के लिए अपेक्षित आवासों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान शहर/कस्बे-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया तथा कितनी निधियां प्रदान की गई;

(ङ) क्या शहरों में भूमि उपलब्धता की भारी कमी को देखते हुए सरकार का शहरों के निकट सैटेलाइट टाउनों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हो?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आय समूह (एल.आई.जी.) श्रेणी के लिए आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक/प्राइवेट एजेंसियों द्वारा विकसित भूमि के 20-25 प्रतिशत के आरक्षण हेतु राज्यों के निधियां नहीं उपलब्ध करा रही है। तथापि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (दोनों सार्वजनिक और प्राइवेट एजेंसियों की) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25 प्रतिशत चिंहित करना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत 3 गरीब हितैषी सुधारों में एक है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत केन्द्रीय सहायता की पहुंच के लिए सुधार के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वचनबद्धता है। राजीव आवास योजना (रे) के दिशा-निर्देशों में विकसित भूमि का 20-25 प्रतिशत के आरक्षण पर कानून बनाना निहित है।

प्रत्येक अंतिम तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.यू.आर.एम.) के घंटकों शहरी गरीबों

को मूलभूत सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत परियोजनाओं हेतु राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिये गए हैं।

(ग) बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के तहत स्वीकृत पूर्ण हुए और प्रगतिशील आवासों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिये गए हैं।

(घ) जी हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 11 वीं योजना के प्रारंभ में शहरी आवास की कमी के आंकलन के लिए गठित तकनीकी समूह के अनुसार 2007 को शहरी आवास की कमी 24.71 मिलियन आवास थी जिसके 11वीं योजना अवधि (2011-12) के अंत तक 26.53 मिलियन हो जाने की संभावना है। बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के तहत अब तक स्वीकृत आवासों और निधियों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-III और संलग्न विवरण-IV पर दिये गए हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। यह मंत्रालय शहरों से सटे सेटेलाइट कस्बों को बनाने का प्रस्ताव नहीं करता। आवास के राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है कि वे अपनी प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शहरों से लगे सेटेलाइट कस्बों का निर्माण करें।

विवरण-I

(करोड रु.)

वर्ष	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश			जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
	बी.एस.यू.पी.	आई.एच.एस.डी.पी.	रे	बी.एस.यू.पी.	आई.एच.एस.डी.पी.	रे
2009-10	614.19	490.50	124.38*	1338.37	780.72	60.00*
2010-11	1432.20	647.91	93.31*	1925.63	879.96	39.99*
2011-12	1527.83	2186.98	197.09	1592.22	699.65	65.69

(नोट: *रे की स्लम मुक्त शहर योजना स्कीम हेतु)

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम.: वास्तविक प्रगति (बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत रिहायशी एकक			प्रगति की रिहायशी यूनिटें			पूर्ण हुई रिहायशी ईकाइयां		
		बी.एस. यू.पी.	आई.एच.एस. डी.पी.	कुल	बी.एस. यू.पी.	आई.एच.एस. डी.पी.	कुल	बी.एस. यू.पी.	आई.एच.एस. डी.पी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समुह	0	40	40	0	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	139854	39945	179799	31728	16181	47909	96059	23624	119683
3.	अरुणाचल प्रदेश	996	176	1172	8	0	8	92	0	92
4.	असम	2260	8668	10928	1908	463	2371	352	1270	1622
5.	बिहार	22372	28623	50995	224	3348	3572	352	2209	2561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	चंडीगढ़	25728	0	25728	0	0	0	12736	0	12736
7.	छत्तीसगढ़	35088	17922	53010	13250	8909	22159	0	2901	2901
8.	दादरा और नगर हवेली	0	144	144	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	16	16	0	2	2	0	14	14
10.	दिल्ली	57784	0	67784	18284	0	18284	13820	0	13820
11.	गोवा	155	70	225	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	113488	26002	139490	11432	3010	14442	79756	3800	83556
13.	हरियाणा	3248	15803	20051	392	2230	2622	2856	6559	9415
14.	हिमाचल प्रदेश	636	2043	2679	176	776	952	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	6677	7623	14300	820	3723	4543	344	523	867
16.	झारखंड	16724	11544	28268	1233	3255	4488	0	0	0
17.	कर्णाटक	28288	17237	45525	4125	1844	5969	17899	14647	32546
18.	केरल	23577	26295	49872	3356	4131	7487	12068	13468	25536
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	41446	22910	64356	20190	8182	28372	8732	1543	10275
21.	महाराष्ट्र	152223	118108	270331	29581	20883	50464	56386	16112	72498
22.	मणिपुर	1250	2829	4079	1160	1809	2969	0	832	832
23.	मेघालय	768	912	1680	424	456	880	160	48	208
24.	मिजोरम	1096	1950	3046	961	347	1308	135	820	955
25.	नागालैंड	3504	985	4489	242	240	482	1270	480	1750
26.	ओड़िशा	2508	13097	15605	1182	5225	6407	918	3054	3982
27.	पुडुचेरी	2954	432	3396	1125	72	1197	358	0	358
28.	पंजाब	7376	10605	17981	4152	4396	8548	1000	0	1000
29.	राजस्थान	11151	45936	57087	6134	12913	19047	765	5700	6465
30.	सिक्किम	254	39	293	164	39	203	52	0	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	तमिलनाडु	91418	37715	129133	18830	7866	26696	31821	25023	56844
32.	त्रिपुरा	256	3115	3371	0	929	929	256	1566	1822
33.	उत्तर प्रदेश	68217	47399	115616	14998	19587	34585	29149	12808	41957
34.	उत्तराखंड	1658	5410	7068	245	2101	2346	54	1008	1062
35.	पश्चिम बंगाल	158796	52666	211462	37434	7033	44467	62068	36954	98022
	सकल योग	1031760	567259	1599091	223758	139950	363708	429458	174973	804431

विवरण-III

स्वीकृत और पूर्ण हुए नगर/शहर वार आवासीय यूनिटें

(करोड रु.)

क्र. सं.	मिशन शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय अंश	स्वीकृत आवासीय यूनिटों की संख्या	पूर्ण हुई आवासीय यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अगरतला	त्रिपुरा	14.0	256	256
2.	आगरा	उत्तर प्रदेश	189.5	16793	10799
3.	अहमदाबाद	गुजरात	254.3	33824	29316
4.	आईजोल	मिजोरम	40.1	1096	135
5.	अजमेर-पुश्कर	राजस्थान	42.3	5337	765
6.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	20.8	1635	504
7.	अमृतसर	पंजाब	1.4	1648	
8.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	171.6	22728	8155
9.	बंगलौर	कर्णाटक	173.1	20154	10831
10.	भोपाल	मध्य प्रदेश	143.1	23609	5076
11.	भुवनेश्वर	ओडिशा	29.2	2153	890
12.	बोधगया	बिहार	9.7	2000	
13.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	374.3	25728	12736

1	2	3	4	5	6
14.	चेन्नई	तमिलनाडु	364.5	37887	15179
15.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	137.8	27637	6087
16.	देहरादून	उत्तराखंड	13.1	1362	54
17.	दिल्ली	दिल्ली	440.4	67784	13820
18.	धनबाद	झारखंड	14.0	3620	
19.	फरीदाबाद	हरियाणा	31.2	3248	2844
20.	गंगटोक	सिक्किम	21.8	254	52
21.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	740.6	55291	23507
22.	गुवाहाटी	असम	48.8	2260	352
23.	हरिद्वार	उत्तराखंड	2.2	96	
24.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	651.3	78746	56437
25.	इम्फाल	मणिपुर	32.9	1250	
26.	इंदौर	मध्य प्रदेश	54.7	8017	3120
27.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	12.7	996	92
28.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	18.7	8500	368
29.	जयपुर	राजस्थान	43.2	5814	
30.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	23.9	1455	248
31.	जमशेदपुर	झारखंड	18.0	4176	
32.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	155.4	14346	3218
33.	कोचि	केरल	50.3	10390	5673
34.	कोहिमा	नागालैंड	79.2	3504	1270
35.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	828.8	136068	52931
36.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	93.5	14044	3221
37.	लुधियाना	पंजाब	25.0	5728	1000
38.	मदुरै	तमिलनाडु	147.1	25894	10309
39.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	115.4	4598	2853

1	2	3	4	5	6
40.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	176.9	10838	6372
41.	मैसूर	कर्णाटक	143.6	8134	6041
42.	नागपुर	महाराष्ट्र	111.1	10909	126
43.	नैनीताल	उत्तराखंड	3.6	200	
44.	नंदेद	महाराष्ट्र	401.1	27985	9800
45.	नासिक	महाराष्ट्र	82.8	13380	3978
46.	पनजि	गोवा	1.2	155	
47.	पटना	बिहार	68.5	20372	352
48.	पोरबंदर	गुजरात		2448	
49.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	22.9	2964	358
50.	पुणे	महाराष्ट्र	413.9	44658	15083
51.	पुरी	ओडिशा	2.0	355	17
52.	रायपुर	छत्तीसगढ़	169.3	35088	
53.	राजकोच	गुजरात	35.9	8664	4976
54.	रांची शिलांग	झारखंड	50.1	8928	
55.	शिलॉग	मेघालय	26.1	768	160
56.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	7.4	636	
57.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	23.3	5222	96
58.	सूरत	गुजरात	281.4	46856	34034
59.	तिरुवनंतपुरम	केरल	82.5	13187	6157
60.	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	36.3	5160	
61.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	9.9	1320	168
62.	वड़ोदरा	गुजरात	108.4	21696	9414
63.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	72.0	5963	1634
64.	विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	284.1	31525	16650
65.	विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	316.0	24423	22972

विवरण-IV

स्वीकृत एवं पूर्ण हुई नगर/शहर वार आवासीय यूनिटें

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	शहर	राज्य	जारी केन्द्रीय अंश	अनुमोदि आवासीय यूनिटों की संख्या	पूर्ण हुई आवासीय यूनिटें
1	2	3	4	5	6
1.	अभनपुर	छत्तीसगढ़	9.1	1344	0
2.	अचलपुर	महाराष्ट्र	7.9	2130	0
3.	अचरपक्कम	तमिलनाडु	1.8	186	183
4.	अछाल्दा	उत्तर प्रदेश	2.4	132	56
5.	अदोनी	आन्ध्र प्रदेश	16.0	1416	1416
6.	अफ्जल्गढ़	उत्तर प्रदेश	2.0	184	184
7.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	0.0	852	0
8.	अहमदयुर	महाराष्ट्र	0.0	81	0
9.	अझुवा	उत्तर प्रदेश	2.3	144	0
10.	अकोला फेज-।	महाराष्ट्र	24.0	3334	0
11.	अकमपयुर	उत्तर प्रदेश	3.5	345	0
12.	अलम्पलयम	तमिलनाडु	1.5	149	108
13.	अलप्पुजाह	केरल	3.1	661	261
14.	अलीगढ़, फेज-।	उत्तर प्रदेश	24.4	1386	250
15.	अलीपुरदौर	पश्चिम बंगाल	5.9	420	420
16.	अलमोड़ा	उत्तराखंड	2.1	217	0
17.	अलुव	केरल	4.5	500	348
18.	अमलनेर	महाराष्ट्र	7.7	462	102
19.	अमरवारा	मध्य प्रदेश	1.9	274	0
20.	अम्बाला सिटी	हरियाणा	22.7	1110	616
21.	अमरौध	उत्तर प्रदेश	1.2	72	0

1	2	3	4	5	6
22.	अमरावती फेज-I	महाराष्ट्र	8.5	1200	14
23.	अमरेली	गुजरात	0.0	608	0
24.	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	2.1	115	0
25.	अनकपल्ले फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	7.7	525	525
26.	आनंद	गुजरात	0.0	272	0
27.	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	3.1	53	0
28.	अंगमल्य	केरल	4.1	743	407
29.	अंगुल नच (फेज-I)	ओडिशा	2.1	334	80
30.	अंजनगांव	महाराष्ट्र	7.1	816	35
31.	अंक्लव	गुजरात	4.0	480	0
32.	अंत	राजस्थान	0.0	963	0
33.	अन्तु	उत्तर प्रदेश	10.0	579	306
34.	अनूपगढ़	राजस्थान	5.4	592	0
35.	अरामबाग	पश्चिम बंगाल	4.0	522	134
36.	अरनि	तमिलनाडु	1.4	139	124
37.	अररिया	बिहार	5.6	728	0
38.	अरियालुर	तमिलनाडु	6.0	378	140
39.	अर्निया	जम्मू और कश्मीर	1.0	124	0
40.	आरा	बिहार	7.5	754	12
41.	अर्थला	उत्तर प्रदेश	3.8	208	48
42.	अरुप्पुक्कोतै	तमिलनाडु	15.3	879	504
43.	अरवी	महाराष्ट्र	2.9	329	119
44.	अशोकनगर कल्याणगढ़	पश्चिम बंगाल	8.8	848	548
45.	अशरफपुर किछौछा	उत्तर प्रदेया	1.2	72	0

1	2	3	4	5	6
46.	आस्था फेज-II	महाराष्ट्र	12.7	2206	1195
47.	असिंद	राजस्थान	2.0	694	96
48.	अत्तिंगल	केरल	8.4	1229	1009
49.	औरंगाबाद	बिहार	1.2	247	0
50.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	4.4	617	266
51.	अवलपूंदुरै	तमिलनाडु	1.2	90	61
52.	अवागढ़	उत्तर प्रदेश	1.6	96	0
53.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	8.4	465	280
54.	बबरपुर अजीतमल	उत्तर प्रदेश	3.2	180	96
55.	बछवन	उत्तर प्रदेश	3.5	284	40
56.	बदरपुर	असम	0.6	56	14
57.	बद्दि	हिमाचल प्रदेश	4.5	480	0
58.	बडगाम	जम्मू और कश्मीर	1.0	85	0
59.	बदुरिया	पश्चिम बंगाल	7.4	516	422
60.	बागलकोट	कर्णाटक	4.8	240	160
61.	बागासर	गुजरात	3.7	926	0
62.	बहादुरगंज	बिहार	1.8	294	170
63.	बहरमपुर	पश्चिम बंगाल	1.0	168	0
64.	बालाघाट	मध्य प्रदेश	4.2	966	0
65.	बोलंगीर	ओडिशा	2.8	324	255
66.	बोलंपुर	महाराष्ट्र	0.0	1652	0
67.	बालेश्वर फेज-I	ओडिशा	4.7	549	135
68.	बाली	राजस्थान	1.3	523	97
69.	बलिया	उत्तर प्रदेश	2.8	313	0
70.	बलोद	छत्तीसगढ़	2.8	492	0
71.	बलोत्रा	राजस्थान	5.5	447	268

1	2	3	4	5	6
72.	बलुरघाट	पश्चिम बंगाल	12.6	790	681
73.	बनत	उत्तर प्रदेश	6.5	476	48
74.	बांदीपोर	जम्मू और कश्मीर	3.3	413	0
75.	बनगांव	पश्चिम बंगाल	5.9	767	354
76.	बनिहाल	जम्मू और कश्मीर	1.6	57	17
77.	बंकुरा	पश्चिम बंगाल	4.9	415	154
78.	बांसवाड़ा	राजस्थान	1.3	217	0
79.	बापटला	आन्ध्र प्रदेश	5.7	1013	824
80.	बारामति	महाराष्ट्र	2.3	259	0
81.	बारामुला फेज-I	जम्मू और कश्मीर	4.3	672	0
82.	बरन	राजस्थान	7.4	407	0
83.	बरौत	उत्तर प्रदेश	2.8	208	16
84.	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	17.0	1629	1232
85.	बरेल	मध्य प्रदेश	1.8	120	80
86.	बरेट्टा फेज-I	पंजाब	6.4	640	0
87.	बारगढ़ फेज-I	ओडिशा	3.8	732	312
88.	बाढ़	बिहार	7.7	1654	0
89.	बारिपाड़ा	ओडिशा	3.9	474	71
90.	बारमेर	राजस्थान	7.6	1281	486
91.	बासावकल्याण	कर्णाटक	1.7	170	170
92.	बशोहिल	जम्मू और कश्मीर	3.3	592	138
93.	बसिरहाट	पश्चिम बंगाल	11.4	1069	801
94.	बसोद	मध्य प्रदेश	1.3	110	24
95.	बस्ती	उत्तर प्रदेश	3.0	163	73
96.	बटाला	पंजाब	0.0	79	0
97.	भटिंडा भेज-I	पंजाब	16.6	1920	0

1	2	3	4	5	6
98.	बतोते	जम्मू और कश्मीर	2.3	114	24
99.	बेगुसराय	बिहार	7.9	853	101
100.	बेला प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	12.1	676	290
101.	बेल्डंगा	पश्चिम बंगाल	4.9	362	288
102.	बेलगॉम	कर्णाटक	1.7	138	133
103.	बेल्लारी	कर्णाटक	5.4	520	475
104.	बेलोनिया	त्रिपुरा	7.7	499	192
105.	बेल्संड	बिहार	0.0	1487	0
106.	बेमेत्रा	छत्तीसगढ़	3.0	480	0
107.	बेरसिया	मध्य प्रदेश	0.7	160	8
108.	बेतमा	मध्य प्रदेश	1.8	96	48
109.	भदेरवाह	जम्मू और कश्मीर	0.9	103	0
110.	भद्र	राजस्थान	12.1	1332	0
111.	भद्रक फेज-I	ओडिशा	3.0	404	51
112.	भागलपुर	बिहार	5.9	1188	817
113.	भलकी	कर्णाटक	2.0	.150	150
114.	भांदारा	महाराष्ट्र	8.5	2713	352
115.	भाटपाड़ा	छत्तीगढ़	6.8	1072	0
116.	भतवाली	उत्तर प्रदेश	3.6	199	0
117.	भावनगर	गुजरात	3.9	416	0
118.	भवानी मंडी	राजस्थान	1.4	114	97
119.	भवानीपटना	ओडिशा	1.4	164	103
120.	भीमुनिपटनम	आन्ध्र प्रदेश	7.5	938	410
121.	भिखमपुर	उत्तर प्रदेश	0.8	48	24
122.	भिखी (वार्ड-5)	पंजाब	4.2	366	0
123.	भिलाई	छत्तीसगढ़	6.5	880	520

1	2	3	4	5	6
124.	भीलवाड़ा	राजस्थान	15.1	1704	1398
125.	भीनमल	राजस्थान	2.7	639	2
126.	भिवानी	हरियाणा	23.1	1679	1317
127.	भोंगीर	आन्ध्र प्रदेश	1.3	401	401
128.	बी.आई.सी.एच.एच.ए. आर.आई. मुघल्सरै	उत्तर प्रदेश	4.9	273	0
129.	बिधूना	उत्तर प्रदेश	10.0	600	360
130.	बिहार	बिहार	8.0	810	0
131.	बीकानेर	राजस्थान	13.6	1216	1
132.	बीकापुर	उत्तर प्रदेश	1.4	84	44
133.	बिलरा	राजस्थान	4.7	574	4
134.	बिलरिया गंज	उत्तर प्रदेश	1.3	125	0
135.	बिलासपुर (फेज-I और-II)	छत्तीसगढ़	3.3	400	0
136.	बील्लावर	जम्मू और कश्मीर	1.3	175	0
137.	बिरमित्रपुर	ओडिशा	2.4	200	84
138.	बिरनगर	पश्चिम बंगाल	4.3	300	300
139.	बिसंद बुजुर्ग	उत्तर प्रदेश	1.8	96	92
140.	बिश्नुपुर	मणिपुर	0.3	140	0
141.	बिश्नुपुर	पश्चिम बंगाल	2.5	364	10
142.	बिसवान	उत्तर प्रदेश	4.4	252	0
143.	बिथूर	उत्तर प्रदेश	1.9	108	108
144.	बोधन	आन्ध्र प्रदेश	1.8	0	0
145.	बोदिनयक्कनुर	तमिलनाडु	3.5	326	310
146.	बोकजन	असम	4.3	1010	0
147.	बोलपुर	पश्चिम बंगाल	7.0	573	571

1	2	3	4	5	6
148.	बोरियावी	गुजरात	4.6	240	0
149.	बौधगढ़	ओडिशा	0.0	149	0
150.	ब्रह्मपुर	ओडिशा	10.3	1202	0
151.	ब्रजरजनगर	ओडिशा	1.8	177	33
152.	बुधलादा	पंजाब	3.4	384	0
153.	बुगरसी फेज-II	उत्तर प्रदेश	5.1	431	0
154.	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	7.4	750	132
155.	बुल्दन	महाराष्ट्र	10.0	2287	846
156.	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश	4.8	833	70
157.	चाइबासा	झारखंड	3.8	736	0
158.	चक मलाल	जम्मू और कश्मीर	0.8	92	0
159.	चक्दह	पश्चिम बंगाल	18.5	1327	1241
160.	चकिया	उत्तर प्रदेश	0.8	48	0
161.	चलकुद्य	केरल	1.3	534	304
162.	चालिसगांव	महाराष्ट्र	0.0	1392	0
163.	चम्पावत	उत्तराखंड	1.1	73	0
164.	चम्फई फेज-I	मिजोरम	6.7	450	148
165.	चंदामेता-बुटारया	मध्य प्रदेश	2.1	212	0
166.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	5.8	431	0
167.	चंद्रकोन	पश्चिम बंगाल	5.0	350	331
168.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	10.1	1179	187
169.	चंदुबाजार फेज-I	महाराष्ट्र	7.8	1332	217
170.	चंगानासेरी फेज-I	केरल	5.4	1557	652
171.	चतरा	झारखंड	5.9	932	0
172.	चौरी	मध्य प्रदेश	2.0	266	0
173.	चवक्कद	केरल	1.6	420	133

1	2	3	4	5	6
174.	चेनानि	जम्मू और कश्मीर	0.9	103	0
175.	चेरथल	केरल	6.4	879	715
176.	छाबरा	राजस्थान	3.6	312	48
177.	छत	उत्तर प्रदेश	1.0	48	48
178.	छतरि	उत्तर प्रदेश	2.0	112	80
179.	छिब्रमौ	उत्तर प्रदेश	14.8	888	0
180.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2.9	500	8
181.	छोटी साद्री	राजस्थान	3.1	380	0
182.	चिदम्बरम	तमिलनाडु	3.3	392	234
183.	चिखली	महाराष्ट्र	0.0	1924	0
184.	चिलकतुरिपेत	आन्ध्र प्रदेश	9.6	1536	1236
185.	चिंचोली	कर्णाटक	2.3	200	0
186.	चिन्नमनुर	तमिलनाडु	0.0	950	0
187.	चिंतामनी	कर्णाटक	10.6	798	659
188.	चिरल	आन्ध्र प्रदेश	11.6	0	0
189.	चितूरगढ़	राजस्थान	8.8	973	198
190.	चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश	12.8	0	0
191.	चितूर-थाथामंगलम	केरल	2.5	435	298
192.	चोपडा	महाराष्ट्र	8.6	1134	165
193.	चोरवाद	गुजरात	0.0	168	0
194.	चोटिला	गुजरात	5.5	624	624
195.	चुनार	उत्तर प्रदेश	3.9	216	184
196.	कोंटाइ	पश्चिम बंगाल	9.0	636	482
197.	चूनूर	तमिलनाडु	3.5	398	287
198.	कूपर्स कैंप	पश्चिम बंगाल	6.4	450	368
199.	कुड्डप्पा बग्गा बंका फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	83.9	3056	2194

1	2	3	4	5	6
200.	कुमबुम	तमिलनाडु	3.9	325	286
201.	चुंचोलिम	गोवा	0.0	70	0
202.	कटक, फेज-II	ओडिशा	4.7	456	0
203.	दादरी (जिला भिवानी)	हरियाणा	9.7	605	434
204.	दादरी, फेज-I	उत्तर प्रदेश	13.9	853	588
205.	दैंहाट	पश्चिम बंगाल	9.6	709	694
206.	दलखोला	पश्चिम बंगाल	4.6	360	208
207.	डालटेनगंज	झारखंड	6.2	969	0
208.	दमन	दमन और दीव	0.3	16	14
209.	दामोह	मध्य प्रदेश	0.8	104	32
210.	दनकौर	उत्तर प्रदेश	0.5	48	44
211.	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	7.6	890	145
212.	दारवहा	महाराष्ट्र	3.3	380	0
213.	दस्ना	उत्तर प्रदेश	2.8	204	144
214.	देहगाम	गुजरात	0.6	0	0
215.	देओललि प्रवर	महाराष्ट्र	3.0	333	232
216.	देवली	महाराष्ट्र	2.5	370	35
217.	देपालपुर	मध्य प्रदेश	3.1	96	16
218.	देरपुर	उत्तर प्रदेश	1.2	72	0
219.	देसाईगंज	महाराष्ट्र	3.9	504	242
220.	देश्नोक	राजस्थान	0.0	391	0
221.	देउलगांव राजा	महाराष्ट्र	6.4	749	51
222.	देवास (प्रोजेक्ट-I)	मध्य प्रदेश	11.8	2600	0
223.	धंधुक	गुजरात	2.4	0	0
224.	धरमपुर	गुजरात	0.0	1056	0
225.	धरमपुराम	तमिलनाडु	2.8	188	152

1	2	3	4	5	6
226.	धर्मपुरी	तमिलनाडु	2.1	433	433
227.	धर्म्सल	हिमाचल प्रदेश	3.3	328	0
228.	धेकनाल	ओडिशा	5.6	608	288
229.	धिंग	असम	1.3	790	0
230.	धोने	आन्ध्र प्रदेश	19.2	3023	2250
231.	धंरगधारा	गुजरात	0.0	256	0
232.	धुब्री	असम	2.3	99	31
233.	धुइल्य	पश्चिम बंगाल	5.8	400	395
234.	धुले	महाराष्ट्र	14.8	1990	600
235.	धुप्गुरि	पश्चिम बंगाल	7.3	509	509
236.	डायमंड हार्बर	पश्चिम बंगाल	4.0	591	4
237.	दिबंग वल्लेय	अरुणाचल प्रदेश	4.5	176	0
238.	दिबियापुर	उत्तर प्रदेश	1.1	72	0
239.	दिकेन	मध्य प्रदेश	1.2	124	0
240.	दिमापुर	नागालैंड	29.3	720	480
241.	डिंडिगुल	तमिलनाडु	7.0	590	483
242.	दिनेशपुर	उत्तराखंड	3.5	387	77
243.	दिओग्रस	महाराष्ट्र	0.0	952	0
244.	डी.एल.बी. कश्मीर (स्कीम संख्या., 18064)	जम्मू और कश्मीर	0.7	292	0
245.	दाद्दबल्लपुर	कर्णाटक	6.4	648	648
246.	दोहद	गुजरात	4.9	240	0
247.	डी.ओ.एन.डी.ए.आई.सी. एच.ए. वर्वदे	महाराष्ट्र	25.9	3796	2048
248.	दोंगरगांव	छत्तीसगढ़	1.9	210	0
249.	डोंगरागढ़	छत्तीसगढ़	2.2	228	75

1	2	3	4	5	6
250.	दुबराजपुर	पश्चिम बंगाल	5.8	416	380
251.	दुद्धि	उत्तर प्रदेश	4.0	451	0
252.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	8.8	1168	944
253.	दुरु-वेरिनग	जम्मू और कश्मीर	1.0	82	0
254.	एदप्पदि	तमिलनाडु	3.5	225	198
255.	एग्र	पश्चिम बंगाल	4.8	332	301
256.	इंग्लीश बाजार	पश्चिम बंगाल	13.4	852	572
257.	एरंदोल	महाराष्ट्र	0.0	288	0
258.	इरोड	तमिलनाडु	4.0	454	297
259.	एटा	उत्तर प्रदेश	1.7	96	0
260.	फैजाबाद (फेज-I)	उत्तर प्रदेश	21.7	1590	338
261.	फरिदनगर	उत्तर प्रदेश	5.0	288	128
262.	फर्रुखाबाद टी.ए.	उत्तर प्रदेश	1.3	72	0
263.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	3.3	216	0
264.	फारबिसगंज	बिहार	4.5	870	0
265.	गडग-बेतिगेरि	कर्णाटक	13.1	738	738
266.	गडवाल	आन्ध्र प्रदेश	6.0	384	360
267.	गजेंद्रगढ़	कर्णाटक	4.5	500	354
268.	गंदेर्बल	जम्मू और कश्मीर	1.5	110	0
269.	गंगापुर सिटी	राजस्थान	1.2	161	7
270.	गंगारामपुर	पश्चिम बंगाल	16.1	1152	906
271.	गंगवल्लि	तमिलनाडु	1.9	140	114
272.	गौरिबिदनुर	कर्णाटक	1.4	0	0
273.	गया	बिहार	0.0	1747	0
274.	घातल	पश्चिम बंगाल	3.7	352	203
275.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	14.0	1236	712

1	2	3	4	5	6
276.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	3.7	420	0
277.	घिरौर	उत्तर प्रदेश	4.8	450	0
278.	घोरवल	उत्तर प्रदेश	9.4	656	0
279.	गिरिडीह	झारखंड	6.1	1132	0
280.	गोबर्दंग	पश्चिम बंगाल	5.6	500	487
281.	गोविचेट्टीपलायम	तमिलनाडु	2.0	177	113
282.	गोकुल	उत्तर प्रदेश	1.8	88	88
283.	गोल गोकरननाथ	उत्तर प्रदेश	1.1	120	0
284.	गोलाघाट	असम	1.5	839	91
285.	गोंदल	गुजरात	5.5	864	336
286.	गोपमौ	उत्तर प्रदेश	1.3	144	72
287.	गोरखपुर (फेज-I)	उत्तर प्रदेश	16.5	1239	374
288.	गोसाइगंज	उत्तर प्रदेश	1.2	72	64
289.	गुडुर	आन्ध्र प्रदेश	11.7	0	0
290.	गुलब्पुर	राजस्थान	1.0	0	0
291.	गुलबर्गा	कर्णाटक	9.1	786	724
292.	गुमला	झारखंड	7.8	1292	0
293.	गुंटूर फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	21.7	0	0
294.	गुरुवयूर	केरल	3.5	229	0
295.	गुस्कर	पश्चिम बंगाल	6.8	450	257
296.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	18.3	4576	0
297.	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	10.6	896	420
298.	हजन	जम्मू और कश्मीर	0.9	71	0
299.	हल्दिया	पश्चिम बंगाल	19.6	1440	1357
300.	हल्दिबरि	पश्चिम बंगाल	4.1	304	304
301.	हल्द्वानी-सह-काठगोदाम -	उत्तराखंड	6.2	923	0

1	2	3	4	5	6
302.	हलोल	गुजरात	4.1	224	0
303.	हलवाड	गुजरात	4.4	611	416
304.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	1.7	152	0
305.	हंडवारा फेज-I	जम्मू और कश्मीर	2.4	196	57
306.	हनुमानगढ़	राजस्थान	17.5	651	300
307.	हरिहरपुर (जवाहर नगर)	उत्तर प्रदेश	6.9	456	0
308.	हराय	मध्य प्रदेश	1.0	139	0
309.	हासनपुर	उत्तर प्रदेश	0.5	36	0
310.	हासन	कर्णाटक	9.2	1000	1000
311.	हस्तीनापुर, फेज-I	उत्तर प्रदेश	14.7	888	430
312.	हजारीबाग	झारखंड	5.7	1230	0
313.	हिम्मतनगर	गुजरात	2.4	446	261
314.	हिंगघाट	महराष्ट्र	5.6	1077	142
315.	हिंगोली फेज-I	महाराष्ट्र	21.0	2877	0
316.	हिरियूर	कर्णाटक	2.2	123	121
317.	हिसर	हरियाणा	9.5	1555	250
318.	होलनरसिपुर	कर्णाटक	9.2	1000	1000
319.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	3.7	297	228
320.	होसुर	तमिलनाडु	0.0	608	0
321.	हुबली-धारवाड (फेज-II)	कर्णाटक	17.1	1139	961
322.	हैदराबाद	उत्तर प्रदेश	2.8	168	128
323.	इचलकरंजे	महाराष्ट्र	10.1	1488	0
324.	इदर	गुजरात	0.2	86	0
325.	इनाम करुर	तमिलनाडु	3.9	240	219
326.	इरिंजालाकुडा फेज-II	केरल	3.3	700	148

1	2	3	4	5	6
327.	इस्लामपुर	महाराष्ट्र	5.1	503	108
328.	इस्लामपुर	पश्चिम बंगाल	4.8	370	267
329.	इटारसी	मध्य प्रदेश	1.4	153	0
330.	जगाधारी	हरियाणा	18.8	968	349
331.	जगतसिंहपुर	ओडिशा	0.0	162	0
332.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	39.8	6492	0
333.	जैसलमेर फेज-I	राजस्थान	17.3	2539	0
334.	जैतरना	राजस्थान	1.6	214	13
335.	जाजपुर	ओडिशा	3.7	295	246
336.	जालाबाद	पंजाब	0.0	542	0
337.	जालंधर फेज-II	पंजाब	12.8	3938	0
338.	जलगांव सिटी	महाराष्ट्र	0.0	472	0
339.	जलोर	राजस्थान	2.4	291	0
340.	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	11.6	625	621
341.	जामनगर	गुजरात	6.5	1944	0
342.	जामनेर	महाराष्ट्र	12.1	1238	672
343.	जमुई	बिहार	5.6	960	0
344.	जामुल	छत्तीसगढ़	5.8	1032	0
345.	जनगांव	आन्ध्र प्रदेश	2.8	600	600
346.	जंगिपुर	पश्चिम बंगाल	13.4	994	884
347.	जओरा	मध्य प्रदेश	1.3	167	100
348.	जसपुर	उत्तराखंड	4.0	240	44
349.	जसवंत नगर फेज-I	उत्तर प्रदेश	6.0	468	104
350.	जटनी फेज-I	ओडिशा	1.6	204	0
351.	जीरन	मध्य प्रदेश	1.2	126	0
352.	जेतपुर नवगध	गुजरात	3.7	281	281

1	2	3	4	5	6
353.	जेवर	उत्तर प्रदेश	4.3	272	144
354.	जेयपुर	ओडिशा	2.5	323	5
355.	झज्जर	हरियाणा	2.9	431	146
356.	झालदा	पश्चिम बंगाल	3.2	408	45
357.	झल्रपतन	राजस्थान	1.6	413	0
358.	झालु फेज-I	उत्तर प्रदेश	4.6	506	276
359.	झारग्राम	पश्चिम बंगाल	10.2	850	679
360.	झारसूगुडा	ओडिशा	13.2	786	224
361.	झिंझक	उत्तर प्रदेश	7.2	492	0
362.	जिअगंज अजिम्गंज	पश्चिम बंगाल	16.1	1114	802
363.	जिंद	हरियाणा	7.5	933	430
364.	जिरपुर	मध्य प्रदेश	0.0	145	0
365.	जिरिबम	मणिपुर	8.3	663	0
366.	जोद	ओडिशा	0.0	174	0
367.	जोधपुर फेज-I	राजस्थान	19.3	3088	111
368.	जोगबनी	बिहार	3.3	321	0
369.	जोया	उत्तर प्रदेश	0.6	42	0
370.	जोयनगर मजिलपुर	पश्चिम बंगाल	3.2	225	142
371.	कादौर	उत्तर प्रदेश	2.7	156	0
372.	कादि	गुजरात	1.9	768	0
373.	कदुर	कर्णाटक	6.6	500	500
374.	कागल	महाराष्ट्र	0.0	1002	0
375.	कैथून	राजस्थान	1.7	327	0
376.	काकचिंग खुनोउ	मणिपुर	4.7	375	0
377.	काकीनाडा फेज-III	आन्ध्र प्रदेश	19.2	1740	1572
378.	ककोरि	उत्तर प्रदेश	11.2	629	493

1	2	3	4	5	6
379.	कलदुंगि	उत्तराखंड	6.4	290	154
380.	कलमेश्वर	महाराष्ट्र	1.4	201	37
381.	कलिअगंज	पश्चिम बंगाल	6.4	400	314
382.	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल	9.6	567	382
383.	कालका	हरियाणा	1.0	130	24
384.	कालना	पश्चिम बंगाल	10.7	1060	1052
385.	कलोल	गुजरात	5.0	368	0
386.	कालपेट्टा	केरल	0.7	123	47
387.	कालपी	उत्तर प्रदेश	2.1	120	0
388.	कामपुर टाऊन	असम	0.8	384	0
389.	कनकपुर	कर्णाटक	11.2	727	679
390.	कंचीपुराम	तमिलनाडु	3.4	299	98
391.	कांदी	पश्चिम बंगाल	6.7	555	376
392.	कान्हागढ़	केरल	1.1	133	106
393.	कन्नुर	केरल	0.9	151	125
394.	कांति	बिहार	1.3	143	137
395.	कराद	महाराष्ट्र	0.7	152	24
396.	करइकाल	पुडुचेरी	2.7	432	0
397.	करैक्कुदि	तमिलनाडु	3.2	195	176
398.	करंज	महाराष्ट्र	6.5	768	0
399.	करीमगंज	असम	2.5	458	290
400.	करीमनगर	आन्ध्र प्रदेश	2.3	0	0
401.	कर्जन	गुजरात	3.7	376	188
402.	करुंगुज्हि	तमिलनाडु	3.3	342	328
403.	करुपपुर	तमिलनाडु	1.1	148	136
404.	करुर	तमिलनाडु	2.5	185	158

1	2	3	4	5	6
405.	कासरगोड	केरल	0.3	62	19
406.	काशीपुर	उत्तराखंड	3.5	428	176
407.	कतंगी	मध्य प्रदेश	1.0	160	0
408.	कटनी	मध्य प्रदेश	11.5	2182	399
409.	कतोल	महाराष्ट्र	7.9	1418	510
410.	कातवा	पश्चिम बंगाल	8.7	650	475
411.	कावली फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	24.5	0	0
412.	कावर्धा	छत्तीसगढ़	1.9	200	0
413.	केकरी	राजस्थान	6.4	871	0
414.	केन्द्रपाड़ा फेज-I	ओडिशा	1.0	87	34
415.	केंदुझर	ओडिशा	7.4	261	68
416.	खैरागढ़	छत्तीसगढ़	2.5	320	0
417.	खैमभट	गुजरात	4.8	1008	384
418.	खैमगांव	महाराष्ट्र	18.1	2140	932
419.	खम्मम (पोलेपलली)	आन्ध्र प्रदेश	3.4	480	192
420.	खांडवा (प्रोजेक्ट-I)	मध्य प्रदेश	8.9	2108	0
421.	खानपुर	उत्तर प्रदेश	1.6	96	64
422.	खाप	महाराष्ट्र	0.9	176	72
423.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	10.2	810	350
424.	खरर	पश्चिम बंगाल	3.8	300	200
425.	खरगौन	मध्य प्रदेश	1.4	200	0
426.	खरियार रोड फेज-I	ओडिशा	1.6	305	229
427.	खर्खोद	उत्तर प्रदेश	1.8	96	96
428.	खोउर	जम्मू और कश्मीर	1.7	313	1
429.	खुज्नेर	मध्य प्रदेश	1.9	100	56
430.	खुर्दा फेज-I	ओडिशा	0.6	91	0

1	2	3	4	5	6
431.	खुर्जा	उत्तर प्रदेश	2.2	119	0
432.	किच्छा	उत्तराखंड	2.6	159	51
433.	किशनगंज फेज-I	बिहार	10.7	1807	522
434.	किश्नि	उत्तर प्रदेश	6.5	748	0
435.	कोच बिहार	पश्चिम बंगाल	9.3	952	498
436.	कोडईकनाल	तमिलनाडु	13.4	967	687
437.	कोदिनर	गुजरात	1.7	449	135
438.	कोदुमुदी	तमिलनाडु	1.0	75	43
439.	कोदुंगल्लुर	केरल	2.2	532	427
440.	कोएरिपुर	उत्तर प्रदेश	1.8	180	0
441.	कोकराझर	असम	6.9	1301	0
442.	कोलासिब फेज-I	मिजोरम	5.2	300	205
443.	कोल्हापुर फेज-I	महाराष्ट्र	25.3	4873	761
444.	कोलकाता (वाम्बे)	पश्चिम बंगाल	0.2	75	0
445.	कूथुपरम्ब	केरल	1.0	128	69
446.	कोपाल	कर्णाटक	2.7	265	250
447.	कोरॉन	उत्तर प्रदेश	3.2	209	0
448.	कोसि कलन	उत्तर प्रदेश	5.5	384	110
449.	कोटा	राजस्थान	16.1	3075	22
450.	कोठगुडम	आन्ध्र प्रदेश	3.1	534	534
451.	कोथमंगलम	केरल	4.8	874	660
452.	कोट्टायम	केरल	3.0	744	371
453.	कोविलपट्टी	तमिलनाडु	1.8	112	110
454.	कोयिलंदि	केरल	0.8	301	143
455.	कोझीकोडे	केरल	1.4	206	142
456.	कृष्णगिरि	तमिलनाडु	3.7	262	207

1	2	3	4	5	6
457.	कृष्णनगर	पश्चिम बंगाल	9.2	640	310
458.	क्शिपैं	पश्चिम बंगाल	3.7	300	231
459.	कुहलुर	तमिलनाडु	0.9	65	64
460.	कुकेर्नग	जम्मू और कश्मीर	1.0	83	0
461.	केयएलजीएएम, पीएच-आई	जम्मू और कश्मीर	3.1	256	74
462.	कुलिथलइ	तमिलनाडु	0.0	306	0
463.	कुमरपलयम	तमिलनाडु	0.6	80	80
464.	कुम्बकोनम	तमिलनाडु	5.0	849	238
465.	कुम्हार	छत्तीसगढ़	5.3	1312	0
466.	कुंद	उत्तर प्रदेश	4.0	272	0
467.	कुन्नमकुलम	केरल	2.1	855	7
468.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	1.8	226	70
469.	कुरर	उत्तर प्रदेश	2.2	132	0
470.	कुरनूल फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	18.5	888	0
471.	कुर्सेओंग	पश्चिम बंगाल	9.6	565	362
472.	कुरूड़	छत्तीसगढ़	13.2	1638	972
473.	कुरवई	मध्य प्रदेश	0.4	48	12
474.	कुटियाना	गुजरात	0.5	254	0
475.	लार	उत्तर प्रदेश	14.0	1527	728
476.	लदवा	हरियाणा	1.4	200	61
477.	लक्कम्पत्ति	तमिलनाडु	1.0	131	79
478.	लाल गोपालगंज	उत्तर प्रदेश	5.1	396	0
479.	लालगंज	उत्तर प्रदेश	3.2	246	60
480.	लालकुआं	उत्तराखंड	1.8	100	0
481.	लंदौर	उत्तराखंड	6.0	364	62

1	2	3	4	5	6
482.	लंका	असम	1.1	409	184
483.	लतेरी	मध्य प्रदेश	0.3	0	0
484.	लातूर	महाराष्ट्र	43.6	0	0
485.	लवर	उत्तर प्रदेश	5.4	359	120
486.	लेह	जम्मू और कश्मीर	4.4	0	0
487.	लिमब्डी	गुजरात	3.2	96	0
488.	लोहरदगा	झारखंड	9.8	1623	0
489.	लोनर	महाराष्ट्र	5.8	1306	0
490.	लुग्लेई	मिजोरम	6.2	500	198
491.	मचेर्ल	आन्ध्र प्रदेश	10.1	0	0
492.	मचिलिपत्नम	आन्ध्र प्रदेश	6.4	0	0
493.	मदनपल्ले	आन्ध्र प्रदेश	16.2	2432	968
494.	मधेपुरा फेज-I	बिहार	8.2	1095	0
495.	मागम फेज-I	जम्मू और कश्मीर	1.5	140	28
496.	महबन	उत्तर प्रदेश	1.0	72	72
497.	महबूबनगर, फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	7.2	0	0
498.	महिदपुर	मध्य प्रदेश	3.0	441	0
499.	माहोबा	उत्तर प्रदेश	1.6	84	72
500.	महोना	उत्तर प्रदेश	13.8	762	511
501.	महराजगंज	उत्तर प्रदेश	3.5	399	0
502.	महुआ डाबरा हरिपुर	उत्तराखंड	6.3	669	257
503.	महुवा	गुजरात	0.0	512	0
504.	मझोली	मध्य प्रदेश	0.9	140	60
505.	मल	पश्चिम बंगाल	4.9	465	465
506.	मालाप्पुरम फेज-II	केरल	2.8	346	171
507.	मालेगांव फेज-VIII	महाराष्ट्र	98.0	17280	1306

1	2	3	4	5	6
508.	मल्हारगढ़		0.0	144	0
509.	मलीहाबाद	उत्तर प्रदेश	2.7	148	132
510.	मलकानगिरि	ओडिशा	2.0	236	2
511.	मलकापुर	महाराष्ट्र	1.7	207	0
512.	ममल्लपुराम	तमिलनाडु	2.0	320	318
513.	मामित	मिजोरम	2.6	150	56
514.	मनप्पारै	तमिलनाडु	1.6	120	120
515.	मंचेरिअल	आन्ध्र प्रदेश	1.2	0	0
516.	मंडीदीप	मध्य प्रदेश	1.2	202	0
517.	मंडसौर	मध्य प्रदेश	3.6	500	0
518.	मांडवी	गुजरात	8.1	963	743
519.	मंडया	कर्णाटक	4.0	558	154
520.	मंगलादोइ	असम	1.7	949	0
521.	मग्लौर	उत्तराखंड	3.2	461	0
522.	कंगरोल	राजस्थान	0.0	476	0
523.	मनिकपुर	उत्तर प्रदेश	2.5	144	0
524.	मनिकपुर मुद (स्कीम सं. 18884)	मणिपुर	9.0	815	788
525.	मंझनपुर	उत्तर प्रदेश	1.1	120	0
526.	मन्नारगुडि	तमिलनाडु	1.2	69	69
527.	मनसा	पंजाब	2.7	240	0
528.	मथाभंगा	पश्चिम बंगाल	5.5	583	264
529.	मट्टान फेज-I	जम्मू और कश्मीर	0.6	44	0
530.	मट्टनौर	केरल	2.3	375	248
531.	मौनाथ भंजन	उत्तर प्रदेश	5.4	479	0
532.	मेदिनिपुर	पश्चिम बंगाल	11.6	948	790

1	2	3	4	5	6
533.	मेहकर	महाराष्ट्र	0.0	1584	0
534.	मेक्लिगंज	पश्चिम बंगाल	3.7	294	279
535.	मेलुर	तमिलनाडु	6.4	502	399
536.	मेमरि	पश्चिम बंगाल	8.0	621	610
537.	मेत्तूपालयम	तमिलनाडु	1.1	72	46
538.	मेत्तुर	तमिलनाडु	1.8	113	102
539.	मिहिजम	झारखंड	7.7	1391	0
540.	मिरिक	पश्चिम बंगाल	6.4	423	287
541.	मिरियगुडा फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	4.7	510	420
542.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	30.6	1389	728
543.	मोदस	गुजरात	4.8	564	348
544.	मोहम्मदाबाद	उत्तर प्रदेश	2.0	132	0
545.	मोहनुर	तमिलनाडु	1.9	161	112
546.	मोहगांव	मध्य प्रदेश	2.2	267	0
547.	मोहप	महाराष्ट्र	2.3	281	115
548.	मोइरंग	मणिपुर	3.4	288	44
549.	मोकम	बिहार	0.0	1950	0
550.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	0.4	48	0
551.	मोरबी	गुजरात	0.8	387	0
552.	मोतीपुर	बिहार	2.1	520	430
553.	मोउर	पंजाब	5.9	672	0
554.	मोवद	महाराष्ट्र	0.0	378	0
555.	मुद्खेद	महाराष्ट्र	6.0	810	0
556.	मुगलसराय	उत्तर प्रदेश	1.4	168	0
557.	मुजफरनगर (03 स्लम)	उत्तर प्रदेश	3.1	255	0

1	2	3	4	5	6
558.	मुलबगिलु	कर्णाटक	6.4	600	471
559.	मुंगेर	बिहार	4.3	868	0
560.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	6.7	497	338
561.	मुर्तिजपुर	महाराष्ट्र	7.9	1623	0
562.	मुसाफिरखाना	उत्तर प्रदेश	5.0	534	0
563.	मसूरी	उत्तराखंड	1.3	96	0
564.	मुवट्टुपुझा	केरल	2.6	749	410
565.	नबद्विप	पश्चिम बंगाल	3.6	735	183
566.	नबरंगपुर	ओडिशा	2.0	532	20
567.	नबी नगर	बिहार	0.0	1277	0
568.	नागालैंड सुद (स्कीम सं. 18885)	नागालैड	0.6	265	0
569.	नागमंगला	कर्णाटक	3.9	420	343
570.	नगांव	असम	5.7	802	0
571.	नागपट्टिनम	तमिलनाडु	0.6	0	0
572.	नगेर्चोइल	तमिलनाडु	2.6	214	187
573.	नालागढ़	हिमाचल प्रदेश	1.9	128	0
574.	नलबाड़ी	असम	1.3	201	136
575.	नल्दुर्ग	महाराष्ट्र	6.9	1206	316
576.	नालगोंडा फेज-I	अन्ध्र प्रदेश	7.6	328	112
577.	नलहाटी	पश्चिम बंगाल	4.9	330	329
578.	नमक्काल	तमिलनाडु	3.5	440	252
579.	नंदगांव	उत्तर प्रदेश	4.3	224	192
580.	नंदीवरम और-गुडुवंचेरी	तमिलनाडु	2.9	326	282
581.	नंदुरबार	महाराष्ट्र	0.0	1176	0

1	2	3	4	5	6
582.	नंजंगुद	कर्णाटक	4.9	540	525
583.	नागायणगढ़ (जिला-अम्बाला)	हरियाणा	5.8	611	232
584.	नरैनी	उत्तर प्रदेश	1.4	72	72
585.	नरसारावपेट	आन्ध्र प्रदेश	11.1	0	0
586.	नारायणपेट	आन्ध्र प्रदेश	3.5	0	0
587.	नरकटियागंज	बिहार	1.5	300	0
588.	नारखेड़	महाराष्ट्र	3.0	3472	430
589.	नरसिंम्हापुर	मध्य प्रदेश	3.4	651	100
590.	नौबतपुर	बिहार	0.0	1500	0
591.	नवसारी	गुजरात	6.6	960	0
592.	नवाबगंज	उत्तर प्रदेश	3.3	192	60
593.	नयागढ़	ओडिशा	1.5	226	65
594.	नेदुमनगड	केरल	4.0	950	548
595.	नेहतौर	उत्तर प्रदेश	0.5	48	48
596.	नेय्यत्तिंकर	केरल	9.8	1313	848
597.	निधौलि कलन	उत्तर प्रदेश	1.0	60	0
598.	नीमबहेड़ा	राजस्थान	3.8	457	0
599.	निर्मल	आन्ध्र प्रदेश	0.9	384	384
600.	निजामाबाद	आन्ध्र प्रदेश	1.9	0	0
601.	नोंग्पोह	मेघालय	4.5	456	48
602.	उत्तर एवं दक्षिण परदुर फेज-I	केरल	10.4	1457	572
603.	उत्तर परदुर फेज-II	केरल	2.3	619	366
604.	नवशेरा	जम्मू और कश्मीर	1.1	110	26
605.	नुरिया हुसैनपुर	उत्तर प्रदेश	15.8	886	100

1	2	3	4	5	6
606.	ओल्ड मलदह	पश्चिम बंगाल	8.6	550	257
607.	ओंगोले	आन्ध्र प्रदेश	8.8	0	0
608.	ओरछा	मध्य प्रदेश	1.3	274	0
609.	ओरइ	उत्तर प्रदेश	4.5	288	0
610.	उसमानाबाद	महाराष्ट्र	8.7	2399	0
611.	ओट्टाप्पालम, फेज-II	केरल	2.5	571	179
612.	पी. मेत्तूपालयम	तमिलनाडु	0.9	78	70
613.	पी.एन. पट्टी	तमिलनाडु	1.2	153	113
614.	पचपेरवा	उत्तर प्रदेश	0.8	48	10
615.	पाडरा	गुजरात	0.0	240	0
616.	पडरौना	उत्तर प्रदेश	8.9	912	0
617.	पलक्कद	केरल	2.7	388	310
618.	पलानी	तमिलनाडु	0.0	874	0
619.	पलस्बरि	असम	0.9	108	55
620.	पाली	राजस्थान	17.6	2722	780
621.	पाली	उत्तर प्रदेश	2.5	144	0
622.	पल्लपलयम	तमिलनाडु	1.6	120	92
623.	पल्वंचा	आन्ध्र प्रदेश	3.9	513	513
624.	पंचगनी	महाराष्ट्र	0.0	76	0
625.	पंचकूला शहरी संपदा (फेज-I)	हरियाणा	26.3	7294	2072
626.	पंधकोंडा	महाराष्ट्र	4.7	625	60
627.	पंधरौना	मध्य प्रदेश	1.0	140	0
628.	पानसेमल	मध्य प्रदेश	1.1	128	36
629.	पंस्कुर	पश्चिम बंगाल	5.3	498	486
630.	परमकुडी	तमिलनाडु	0.0	520	0

1	2	3	4	5	6
631.	पारलेखमुंडी	ओडिशा	2.5	307	12
632.	परोले	जम्मू और कश्मीर	2.4	1001	0
633.	परसादेपुर	उत्तर प्रदेश	21.8	1028	350
634.	परतूर	महाराष्ट्र	6.4	1372	33
635.	परवानू	हिमाचल प्रदेश	4.1	192	0
636.	पाटन	गुजरात	1.7	396	0
637.	पाटन	मध्य प्रदेश	0.9	120	0
638.	पथनम्थिल	केरल	7.1	1012	645
639.	पाटनगढ़	ओडिशा	0.0	159	0
640.	पत्तुक्कोत्तै	तमिलनाडु	8.7	940	469
641.	पाउनी	महाराष्ट्र	8.9	1054	376
642.	पौड़ी	उत्तराखंड	2.3	178	48
643.	पवगड़ा	कर्णाटक	11.6	508	506
644.	पय्यन्नुर	केरल	1.3	135	91
645.	पेड्डापुरम	आन्ध्र प्रदेश	4.5	0	0
646.	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	5.0	580	417
647.	पेरिन्थालमान्ना फेज-II	केरल	4.4	753	433
648.	पेरियकुलम	तमिलनाडु	0.0	118	0
649.	पेरुम्बवूर	केरल	2.4	620	294
650.	पेटलाद	गुजरात	0.0	512	0
651.	पेटलावाड़	मध्य प्रदेश	2.7	240	194
652.	फल्न	राजस्थान	3.5	361	173
653.	फलोदी	राजस्थान	6.9	1390	99
654.	फलटन	महाराष्ट्र	3.6	895	0
655.	फफुंद	उत्तर प्रदेश	1.0	60	32
656.	फुलबनि	ओडिशा	1.3	157	0

1	2	3	4	5	6
657.	फुस्रो	झारखंड	4.7	886	0
658.	पिछोर	उत्तर प्रदेश	2.6	144	0
659.	पिलिबंग	राजस्थान	2.1	244	0
660.	पिंडवारा	राजस्थान	4.0	686	0
661.	पिंजोरे	हरियाणा	1.5	150	42
662.	पिपर	राजस्थान	0.0	654	0
663.	पिपिगंज	उत्तर प्रदेश	5.6	544	0
664.	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	6.3	200	120
665.	पोकरन	राजस्थान	6.1	787	74
666.	पोल्लाची	तमिलनाडु	5.2	669	646
667.	पोन्नि	केरल	2.3	389	271
668.	पोन्नुर	आन्ध्र प्रदेश	6.5	912	72
669.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.5	40	0
670.	प्रांतिज	गुजरात	1.8	500	0
671.	प्रतापगढ़	राजस्थान	5.4	711	253
672.	प्रतापगढ़ सिटी	उत्तर प्रदेश	9.4	531	270
673.	प्रोड्डातुर	आन्ध्र प्रदेश	17.0	2112	1754
674.	पुदुक्कोट्टी	तमिलनाडु	9.8	625	344
675.	पुलगांव	महाराष्ट्र	2.7	302	56
676.	पुनलुर	केरल	7.1	596	497
677.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर	5.1	270	8
678.	पुर्णिया	बिहार	5.4	3102	0
679.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	3.1	611	175
680.	आर. पुदुपत्ति	तमिलनाडु	1.4	153	91
681.	रबुपुरा	उत्तर प्रदेश	0.6	72	72
682.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	33.3	1913	332

1	2	3	4	5	6
683.	रघुनाथपुर	पश्चिम बंगाल	3.2	400	100
684.	रहाता	महाराष्ट्र	0.0	672	0
685.	रायगंज	पश्चिम बंगाल	19.8	2000	1924
686.	रायगंढ़	छत्तीसगढ़	1.7	204	0
687.	राजमुन्द्री फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	15.6	662	398
688.	रजौरी	जम्मू और कश्मीर	1.2	140	0
689.	राजकोट एम.सी. (स्कीम संख्या 18881)	गुजरात	3.6	0	0
690.	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	3.6	450	0
691.	राजपुरा	पंजाब	4.1	720	0
692.	राजुरा	महाराष्ट्र	5.7	777	0
693.	रामगढ़	जम्मू और कश्मीर	0.5	50	21
694.	रामचंद्रपुरम	आन्ध्र प्रदेश	3.2	986	669
695.	रमनगरम	कर्णाटक	16.5	1800	756
696.	रामनाथपुरम	तमिलनाडु	3.8	277	194
697.	रामगंज मंडी	राजस्थान	0.0	75	0
698.	रामजीवन पुर	पश्चिम बंगाल	3.8	300	258
699.	रामनगर	उत्तर प्रदेश	1.7	96	0
700.	रामनगर फेज-I	जम्मू और कश्मीर	2.5	187	0
701.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	8.7	618	0
702.	रामपुर हाट	पश्चिम बंगाल	4.4	603	150
703.	रामटेक	महाराष्ट्र	1.9	265	18
704.	राणाघाट	पश्चिम बंगाल	4.5	452	185
705.	रानी नगर	राजस्थान	0.6	19	14
706.	रानी पेट्टई	तमिलनाडु	2.0	121	90
707.	रानिरबाजार	त्रिपुरा	9.9	651	450

1	2	3	4	5	6
708.	रशिपुराम	तमिलनाडु	0.0	136	0
709.	रसूलाबाद	उत्तर प्रदेश	1.8	216	0
710.	रतनगढ़	मध्य प्रदेश	1.3	135	0
711.	राउरकेला फेज-I	ओडिशा	1.5	124	124
712.	रावतभाटा	राजस्थान	12.6	1439	0
713.	रवत्सर	राजस्थान	9.3	1398	31
714.	राया	उत्तर प्रदेश	0.9	48	48
715.	रायचोटी	आन्ध्र प्रदेश	17.4	2304	2254
716.	रियासी फेज-I	जम्मू और कश्मीर	2.5	223	0
717.	रेपल्ले	आन्ध्र प्रदेश	4.3	1111	858
718.	रीवा	मध्य प्रदेश	1.9	248	0
719.	रेवाड़ी	हरियाणा	19.2	485	318
720.	रिसोद	महाराष्ट्र	8.1	1040	20
721.	रोसरा	बिहार	5.4	1562	0
722.	रुद्रपुर	उत्तराखंड	0.0	378	0
723.	रुंजी गोतम्पुर	मध्य प्रदेश	2.3	96	0
724.	सादत	उत्तर प्रदेश	0.6	36	0
725.	सद्रि	राजस्थान	1.0	46	46
726.	सागर	मध्य प्रदेश	3.1	480	0
727.	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	9.9	664	308
728.	सहरसा	बिहार	4.4	820	0
729.	सहजांवा	उत्तर प्रदेश	1.2	72	72
730.	सैहा	मिजोरम	3.9	200	83
731.	सैथिआ	पश्चिम बंगाल	4.8	340	336
732.	सलारगंज	उत्तर प्रदेश	5.1	336	0
733.	सलेम	तमिलनाडु	7.8	1006	453

1	2	3	4	5	6
734.	सामालकोटा फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	13.7	1118	740
735.	सम्बलपुर	ओडिशा	5.1	790	27
736.	संचोरे	राजस्थान	2.7	390	4
737.	संदिल	उत्तर प्रदेश	2.3	252	60
738.	सांगली	महाराष्ट्र	25.8	3973	0
739.	सांगारेड्डी	आन्ध्र प्रदेश	2.7	0	0
740.	सांगोड़	राजस्थान	3.0	442	0
741.	सनोआ (नवाबगंज)	उत्तर प्रदेश	1.3	160	0
742.	संत रवि दास नगर (भदोही)	उत्तर प्रदेश	5.7	360	0
743.	शांतीपुर	पश्चिम बंगाल	2.6	357	24
744.	संत्रमपुर	गुजरात	4.9	828	0
745.	सॉनेर	महाराष्ट्र	2.9	566	60
746.	सराय मीर	उत्तर प्रदेश	1.3	144	0
747.	सरदारशहर	राजस्थान	0.0	1802	0
748.	सर्दुलगढ़	पंजाब	10.7	1104	0
749.	संरकाघाट	हिमाचल प्रदेश	2.5	130	0
750.	सर्थेबरि	असम	0.7	260	173
751.	सतारा	महाराष्ट्र	0.0	1473	0
752.	सथयमंगलम	तमिलनाडु	2.8	260	260
753.	सतना	मध्य प्रदेश	2.2	270	0
754.	सत्तेनपल्ले	आन्ध्र प्रदेश	5.5	0	0
755.	सतुर	तमिलनाडु	0.0	341	0
756.	सौदाट्टी-येलम्मा	कर्णाटक	1.6	145	145
757.	सौरिख	उत्तर प्रदेश	2.3	144	0
758.	सौसर	मध्य प्रदेश	2.7	461	0

1	2	3	4	5	6
759.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	9.9	976	336
760.	सावंतवाडी	महाराष्ट्र	0.8	62	40
761.	सीरपल्लि	तमिलनाडु	1.5	121	68
762.	सरायकेला	झारखंड	8.1	1353	0
763.	सेरछिप	मिजोरम	5.2	350	130
764.	सेवारही	उत्तर प्रदेश	2.7	181	0
765.	शहद	महाराष्ट्र	0.0	1020	0
766.	शाहपुर	कर्णाटक	2.4	207	175
767.	शहपुर	मध्य प्रदेश	0.6	104	0
768.	शहपुर	राजस्थान	0.0	317	0
769.	शंकरगढ़	उत्तर प्रदेश	5.9	407	0
770.	शेखपुरा	बिहार	0.9	207	20
771.	खेंदुर्जना घाट	महाराष्ट्र	3.6	460	14
772.	शेवगंज	राजस्थान	0.0	489	0
773.	शिकारपुर	कर्नाटक	7.2	330	330
774.	शिमोगा	कणाटक	13.2	600	600
775.	शिरडी	महाराष्ट्र	0.0	376	0
776.	सीरपुर-वरवाडे	महाराष्ट्र	3.3	440	40
777.	शीवली	उत्तर प्रदेश	2.1	132	0
778.	शिवराजपुर	उत्तर प्रदेश	2.3	132	112
779.	शोरनुर	केरल	1.3	394	124
780.	श्रीरामपुर	महाराष्ट्र	7.2	1798	60
781.	शुपियान फेज-I	जम्मू और कश्मीर	1.7	132	43
782.	सिपिट	आन्ध्र प्रदेश	2.8	0	0
783.	सिदलाघट्टा	कर्नाटक	2.4	200	154
784.	सिकंदरा	उत्तर प्रदेश	3.4	204	0

1	2	3	4	5	6
785.	सीकर	राजस्थान	2.2	556	256
786.	सिलिगुड़	पश्चिम बंगाल	72.3	5063	2657
787.	सिल्वासा फेज-।	दादरा और नगर हवेली	1.7	144	0
788.	सिंधनुर	कर्णाटक	12.0	1005	643
789.	सिंद्खेद राजा	महाराष्ट्र	3.8	435	0
790.	सिंगहि भिरौरा	उत्तर प्रदेश	1.0	108	0
791.	सिंगोलि	मध्य प्रदेश	1.1	120	0
792.	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	2.1	300	0
793.	सिंग्तम	सिक्किम	9.0	39	0
794.	सिरा	कर्णाटक	11.3	682	527
795.	सिर्कलि	तमिलनाडु	1.0	52	52
796.	सिरोंज	मध्य प्रदेश	1.4	114	36
797.	सिर्सिल्ल	आन्ध्र प्रदेश	1.1	0	0
798.	सिवगंगा	तमिलनाडु	2.2	155	136
799.	सिवकासी	तमिलनाडु	3.0	223	138
800.	सोजात	राजस्थान	2.5	196	36
801.	सोलन	हिमाचल प्रदेश	3.1	336	0
802.	सोलापुर	महाराष्ट्र	4.7	1289	89
803.	सोनमुखि	पश्चिम बंगाल	2.7	200	195
804.	सोनमुरा	त्रिपुरा	7.1	820	350
805.	सोंगध	गुजरात	14.5	1775	0
806.	सोपोर	जम्मू और कश्मीर	3.3	446	0
807.	श्रीनगर	उत्तराखंड	0.7	53	19
808.	श्रीनगर डी.ए. (स्कीम सं. 18632)	जम्मू और कश्मीर	0.7	316	0
809.	श्रीपेरूम्बुदूर	तमिलनाडु	3.4	370	299

1	2	3	4	5	6
810.	सुबर्नपुर	ओडिशा	7.8	934	306
811.	सुलतानपुर	उत्तर प्रदेश	1.0	116	75
812.	सुम्बल	जम्मू और कश्मीर	2.4	207	0
813.	समरपुर	राजस्थान	3.3	529	3
814.	सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश	3.3	208	0
815.	सुपौल	बिहार	2.1	207	0
816.	सूरतगढ़	राजस्थान	11.0	1493	25
817.	सुरी	पश्चिम बंगाल	5.8	728	35
818.	सूर्यापेट फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	10.0	0	0
819.	तहेरपुर	पश्चिम बंगाल	5.0	390	384
820.	तख्तगढ़	राजस्थान	4.6	635	0
821.	ताकि	पश्चिम बंगाल	9.5	811	482
822.	तल्चर	ओडिशा	1.0	155	77
823.	तल्हर	महाराष्ट्र	0.0	945	0
824.	तालिपरम्बा	केरल	0.6	78	48
825.	तामलुक	पश्चिम बंगाल	7.2	456	218
826.	तंदुर	आन्ध्र प्रदेश	1.4	0	0
827.	तरकेस्वर	पश्चिम बंगाल	7.9	584	372
828.	तासगांव	महाराष्ट्र	3.5	393	216
829.	तेलिआमुर	त्रिपुरा	6.3	400	380
830.	तेनाली	आन्ध्र प्रदेश	11.1	0	0
831.	तेंदुखेड़ा		0.0	256	0
832.	ठाकुल द्वार	उत्तर प्रदेश	11.3	1056	98
833.	ठाकुरगंज	बिहार	0.0	1352	0
834.	थलासेरी	केरल	0.7	192	153
835.	थानामंडी	जम्मू और कश्मीर	3.1	94	16

1	2	3	4	5	6
836.	तंजावुर	तमिलनाडु	6.9	1180	378
837.	थंथोनि	तमिलनाडु	3.2	200	158
838.	थेदवुर	तमिलनाडु	1.7	115	75
839.	थेली अल्लिनगराम	तमिलनाडु	2.8	180	136
840.	थिरुवरुर	तमिलनाडु	5.0	560	164
841.	थोडुपुझा	केरल	2.7	511	43
842.	थोबाल	मणिपुर	6.6	548	0
843.	थ्रिस्सुर	केरल	1.7	285	67
844.	थुरैयुर	तमिलनाडु	6.1	602	297
845.	तिहु	असम	1.6	162	25
846.	तिनसुकिया	असम	1.9	840	152
847.	तिरोरा फेज-I	महाराष्ट्र	7.1	2956	696
848.	तिरुचेंगोदे	तमिलनाडु	6.9	422	345
849.	तिरुचिरप्पल्लि	तमिलनाडु	10.9	1208	937
850.	तिरुकलुकुंदराम	तमिलनाडु	2.3	276	246
851.	तिरुनेल्वेलि	तमिलनाडु	15.3	2003	1896
852.	तिरुपथुर	तमिलनाडु	2.7	240	240
853.	तिरुपति फेज-IV	आन्ध्र प्रदेश	62.1	10039	1968
854.	तिरुपपुर	तमिलनाडु	15.8	2060	2060
855.	तिरुर	केरल	1.2	344	148
856.	तिरुवन्नामलाइ	तमिलनाडु	6.6	832	738
857.	तिरवागंज	उत्तर प्रदेश	6.4	840	0
858.	टी.एन.एस.सी.बी. (स्कीम सं. 18496)	तमिलनाडु	3.4	1443	1443
859.	टोंक फेज-I	राजस्थान	6.6	520	136
860.	तुफंगंज	पश्चिम बंगाल	4.4	308	308

1	2	3	4	5	6
861.	तुलजापुर	महाराष्ट्र	0.0	920	0
862.	तुमसर	महाराष्ट्र	1.8	234	69
863.	तुरा	मेघालय	3.2	216	0
864.	तुतिचोरिन	तमिलनाडु	5.6	500	421
865.	उदयपुर	राजस्थान	8.0	1737	0
866.	उदयपुर	त्रिपुरा	3.5	745	99
867.	उधगमंदलम	तमिलनाडु	10.1	1082	867
868.	उदुलैपेते	तमिंलनाडु	2.2	160	140
869.	उगू	उत्तर प्रदेश	2.0	120	0
870.	उझनि	उत्तर प्रदेश	1.0	128	96
871.	उम्रेद	महाराष्ट्र	2.5	276	61
872.	उम्रेथ	गुजरात	4.3	664	0
873.	उमरी	महाराष्ट्र	0.0	656	0
874.	उमरी कला	उत्तर प्रदेश	5.1	306	0
875.	ऊना	गुजरात	0.0	464	0
876.	उंचा	गुजरात	2.0	400	0
877.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	1.7	96	96
878.	उपलेता	गुजरात	3.7	0	0
879.	उरि	जम्मू और कश्मीर	0.6	51	0
880.	उरत्लम्पत्ति	तमिलनाडु	0.0	460	0
881.	उथुकुलि	तमिलनाडु	0.8	61	36
882.	अतरौली	उत्तर प्रदेश	1.2	60	24
883.	वदकर	केरल	1.6	221	120
884.	वड़ोदरा एम.सी. (स्कीम सं. 18021)	गुजरात	10.3	1296	0
885.	वैजपुर	महाराष्ट्र	9.5	1212	0

1	2	3	4	5	6
886.	वलसाड़	गुजरात	0.0	1008	0
887.	वनियाम्बदी	तमिलनाडु	1.7	105	102
888.	वापी	गुजरात	0.0	1088	0
889.	वरकाला	केरल	8.1	2001	491
890.	वीरगनौर	तमिलनाडु	2.6	231	209
891.	वेल्लौर	तमिलनाडु	0.0	513	0
892.	वेलूर	तमिलनाडु	1.0	86	47
893.	वेरावल-पाटन	गुजरात	1.5	384	0
894.	विदिशा	मध्य प्रदेश	1.1	217	36
895.	विकसनगर	उत्तराखंड	2.2	194	0
896.	विलुप्पुराम	तमिलनाडु	6.5	502	323
897.	विनुकोंडा	आन्ध्र प्रदेश	12.8	0	0
898.	विरुधुनगर	तमिलनाडु	7.8	676	576
899.	विता	महाराष्ट्र	0.0	396	0
900.	वृंदावन	उत्तर प्रदेश	3.9	276	252
901.	व्यासनगर	ओडिशा	12.7	1016	75
902.	वाई	महाराष्ट्र	2.3	342	0
903.	वलजाबाद	तमिलनाडु	3.8	506	361
904.	वानापर्थी	आन्ध्र प्रदेश	5.5	0	0
905.	वर्धा	महाराष्ट्र	9.5	634	221
906.	वरौद	महाराष्ट्र	3.0	360	200
907.	वाशिम	महाराष्ट्र	11.0	2017	0
908.	विलियमनगर	मेघालय	3.5	240	0
909.	यमुनानगर	हरियाणा	4.5	652	268
910.	यवतमल	महाराष्ट्र	9.3	1257	14
911.	येल्लंडू	आन्ध्र प्रदेश	6.1	0	0
912.	येवला	महाराष्ट्र	4.1	996	108
913.	जहीराबाद	आन्ध्र प्रदेश	2.8	0	0

[हिन्दी]

खाद्यान्न वितरण

3151. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता और उपयोग के संबंध में सरकार द्वारा कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न का नाम क्या है जिसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया था; और

(ग) पी.डी.एस. के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता से समझौता करने के दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए स्टाक जारी करने से पहले संयुक्त रूप से नमूने लेने की सुपरिभाषित पद्धति के जरिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्न (गेहूं और चावल) जारी किए जाते हैं। गुणवत्ता और मात्रा के बारे में संतुष्टि होने के बाद ही संयुक्त रूप से लिए गए सील बंद नमूनों सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्टाक जारी किए जाते हैं। स्टाक की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि द्वारा उक्त खाद्यान्नों के संबंध में विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा दर्ज किया जाता है।

यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण श्रृंखला में विभिन्न अवस्थाओं में ढुलाई और भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उन्हें जारी किए गए खाद्यान्नों के आवंटन के लिए अनिवार्य आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

जब कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करने/वितरण करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इनकी भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है और चूककर्ताओं के खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है।

स्मारकों के आस-पास निर्माण कार्य

3152. **श्रीमती भावना गवली पाटीलः**

श्री सुदर्शन भगतः

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में जंतर-मंतर सहित ऐतिहासिक स्मारकों के आस-पास निर्माण कार्य से स्मारकों की संरचना और सुरक्षा प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों की परीधि में निर्माण कार्य के कारण इनकी सुरक्षाइनके स्थल को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, नहीं। जहां तक जंतर-मंतर का संबंध है, इसके साथ लगी कुछ संरचनाओं के कारण, कुछ दूरी से इस स्मारक का दृश्य प्रभावित हुआ है।

(ग) सरकारी नीति और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास निषिद्ध क्षेत्रों में किसी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अधीन प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उप-नियम बनाना तथा सक्षम प्राधिकारियों के अन्य कार्यों को निर्दिष्ट करना) नियम, 2011 तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (नियुक्ति, कार्य तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है तथा "निषिद्ध" और "विनियमित" क्षेत्रों में मरम्मत/पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण अथवा निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु सांस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास

3153. **श्री पशुपति नाथ सिंहः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के कर्मियों के लिए आवास निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी निधि आवंटित हुई/व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निर्माण के लिए स्थानों को चिन्हित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने आवासों के निर्माण की संभावना है तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के लिए आवास की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए रिहाइशी आवास के निर्माण के लिए सरकार की आवासीय भवन निर्माण (योजना) की नियमित स्कीम है। वर्ष 2011-12 में, इस योजना के लिए 719.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिनमें से 658.04 करोड़ रुपए का उपयोग योजना के अधीन चल रहे/नए निर्माण कार्यों के लिए किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान 2397 आवासों का निर्माण पूरा हो गया था।

वर्ष 2012-13 में इस योजना के अधीन चल रहे और नए निर्माण कार्यों के लिए 1185.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 6665 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

उपर्युक्त नियमित स्कीम के अतिरिक्त, सरकार का केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से और/अथवा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) के माध्यम से 57787 आवासों और 348 बैरकों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन आवासों/बैरकों के निर्माण के लिए 39 क्लस्टरों में 228 स्थलों (साइटों) का प्रस्ताव किया गया है। क्लस्टरों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) द्वारा परियोजना की पहली और दूसरी खेप का अनुमोदन कर दिया गया है। इस परियोजना के निर्माण की अवधि निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से 2-3 वर्ष है। वर्ष 2012-13 में, इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है क्योंकि इस वित्त वर्ष के दौरान सुविधा ग्राही को किसी भुगतान की परिकल्पना नहीं की गई है। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य सौंपा जाएगा।

विवरण-I

प्रस्तावित स्थानों के ब्यौरे

क्र. सं.	बल	स्थान का नाम
1	2	3
1.	बी.एस.एफ.	भुज, गुजरात
2.	बी.एस.एफ.	हुअमा, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
3.	बी.एस.एफ.	लुंगली, मिजोरम
4.	बी.एस.एफ.	जैसलमेर, राजस्थान
5.	बी.एस.एफ.	रायगंज, माल्दा पश्चिम बंगाल (2 स्थान)
6.	बी.एस.एफ.	कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल
7.	बी.एस.एफ.	कूचबिहार, पश्चिम बंगाल
8.	बी.एस.एफ.	कदमतला, पश्चिम बंगाल
9.	सी.आर.पी.एफ.	सोनीपत, हरियाणा
10.	सी.आर.पी.एफ.	बालाघाट, मध्य प्रदेश
11.	सी.आर.पी.एफ.	दरांग, असम
12.	सी.आर.पी.एफ.	नवी मुम्बई, महाराष्ट्र
13.	सी.आर.पी.एफ.	चित्तौर, आन्ध्र प्रदेश
14.	सी.आर.पी.एफ.	लातूर, महाराष्ट्र (2 स्थान)
15.	सी.आर.पी.एफ.	राजगीर, बिहार
16.	सी.आर.पी.एफ.	शिवपुरी, मध्य प्रदेश
17.	सी.आर.पी.एफ.	सिलचर, असम
18.	सी.आर.पी.एफ.	अमेठी, उत्तर प्रदेश
19.	सी.आर.पी.एफ.	बेलगाम, कर्नाटक

1	2	3
20.	सी.आर.पी.एफ.	बंगलौर, कर्नाटक
21.	सी.आर.पी.एफ.	हालूमाजरा, चंडीगढ़
22.	सी.आर.पी.एफ.	हुमहामा, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
23.	सी.आर.पी.एफ.	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
24.	सी.आर.पी.एफ.	सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल
25.	सी.आर.पी.एफ.	भुवनेश्वर, ओडिशा
26.	सी.आर.पी.एफ.	मोकामाघाट, ओडिशा
27.	सी.आर.पी.एफ.	पटना, बिहार
28.	सी.आर.पी.एफ.	मुजफ्फरपुर, बिहार
29.	सी.आर.पी.एफ.	अगरतला, त्रिपुरा
30.	सी.आर.पी.एफ.	पुणे, महाराष्ट्र
31.	सी.आर.पी.एफ.	नोएडा, उत्तर प्रदेश
32.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली (2 स्थान)
33.	सी.आई.एस.एफ.	बेहरोर, राजस्थान
34.	सी.आई.एस.एफ.	बरवाहा, मध्य प्रदेश
35.	सी.आई.एस.एफ.	दियोली, राजस्थान
36.	सी.आई.एस.एफ.	मुंडली, ओडिशा
37.	सी.आई.एस.एफ.	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (2 स्थान)
38.	सी.आई.एस.एफ.	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
39.	सी.आई.एस.एफ.	अहमदाबाद, गुजरात
40.	एस.एस.बी.	पलिया, उत्तर प्रदेश
41.	एस.एस.बी.	नानपारा, उत्तर प्रदेश
42.	एस.एस.बी.	भिंगा, उत्तर प्रदेश
43.	एस.एस.बी.	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
44.	एस.एस.बी.	वाल्मिकी नगर, (बाघा), उत्तर प्रदेश

1	2	3
45.	एस.एस.बी.	नरकटियागंज, बिहार
46.	एस.एस.बी.	फलकटा, पश्चिम बंगाल
47.	एस.एस.बी.	दिरांग, हिमाचल प्रदेश
48.	एस.एस.बी.	तवांग, हिमाचल प्रदेश
49.	आई.टी.बी.पी.	जोशीमठ, उत्तर प्रदेश
50.	आई.टी.बी.पी.	उधमपुर, जम्मू और कश्मीर
51.	आई.टी.बी.पी.	तेजू, अरुणाचल प्रदेश
52.	आई.टी.बी.पी.	देहरादून, उत्तराखंड
53.	आई.टी.बी.पी.	कुल्लु, हिमाचल प्रदेश
54.	आई.टी.बी.पी.	मसूरी, उत्तराखंड
55.	एन.एस.जी.	मानेसर, हरियाणा
56.	ए.आर.	अगरतला, त्रिपुरा
57.	ए.आर.	दीमापुर, नागालैंड
58.	ए.आर.	द्वारका, दिल्ली
59.	ए.आर.	जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश
60.	ए.आर.	जुल्की, नागालैंड
61.	ए.आर.	ज्वालामुखी, मणिपुर
62.	ए.आर.	काशीरामबस्ती, नागालैंड
63.	ए.आर.	कैथलमनबी, मणिपुर
64.	ए.आर.	लुंगली, मिजोरम
65.	ए.आर.	मंत्रीपुखरी, मणिपुर
66.	ए.आर.	राधानगर, त्रिपुरा
67.	ए.आर.	सुखोवी, नागालैंड
68.	ए.आर.	शिलांग, मेघालय
69.	ए.आर.	जोरहाट, असम
70.	ए.आर.	दीपहू, असम

टिप्पणी: तकनीकी/व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से इन स्थानों में परिवर्तन हो सकता है।

विवरण-II

कलस्टरों की सूची

क्र. सं.	क्लस्टर
1	2
1.	असम I
2.	जालंधर
3.	कादरपुर एन.सी.आर.
4.	उत्तराखंड
5.	अगरतला
6.	भुवनेश्वर
7.	ग्रेटर नोएडा
8.	गुजरात
9.	जमशेदपुर
10.	कोलकाता
11.	शिलांग
12.	सिलीगुड़ी
13.	श्रीनगर
14.	शिवगंगई
15.	अमृतसर
16.	असम II
17.	असम III
18.	भोपाल
19.	जम्मू
20.	लखीमपुर
21.	लिंगडुम
22.	लखनऊ
23.	मणिपुर
24.	पुणे
25.	राय सिंघनगर
26.	सुखोवी
27.	अराधुपुर
28.	बंगलौर
29.	छत्तीसगढ़
30.	कूचबिहार
31.	देहरादून
32.	ग्वालियर
33.	हैदराबाद
34.	लेह
35.	ममदोत
36.	पिंजौर
37.	राजगीर
38.	सिलचर
39.	यूपिया

[अनुवाद]

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सेवाएं

3154. **श्री एम.आई. शानवास:**

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और स्थान-वार कुल कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्टेशनों के कार्य निष्पादन और प्रभावित विशेषरूप से सामाजिक रूप से संगत सूचना के प्रसारण के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम हैं;

(घ) क्या सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनो को देश के दूरदराज, आदिवासी, सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने को बढ़ावा देती है/वित्तीय सहायता प्रदान करती है और अन्य प्रोत्साहन देती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) इस समय, देश में 131 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। कार्यशील सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का राज्य-वार व अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अभी तक कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय सामुदायिक रेडियो की नीति के बारे में जन-सामान्य के बीच जागरूकता पैदा करने तथा सामुदायिक रेडियो स्कीम का संवर्द्धन करने हेतु सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों व अन्य संबंधित हितधारियों को सुग्राह्य बनाने के लिए देशभर में जागरूकता-कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

(ङ) अभी तक सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में 35 जागरूकता-कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 12वीं योजना में एक स्कीम का प्रस्ताव किया है।

(च) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायती राज संस्थाएं सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए पात्र नहीं हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांग 19.04.2012 तक की स्थिति के अनुसार कार्यशील सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम	श्रेणी	संगठन की अवस्थिति	स्टेशन की अवस्थिति	राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट	गैर-सरकारी संगठन	हैदराबाद	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	शिक्षा	हैदराबाद	हिमायत नगर	आन्ध्र प्रदेश
3.	डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी	गैर-सरकारी संगठन	हैदराबाद	जहीराबाद	आन्ध्र प्रदेश
4.	हैदराबाद यूनिवर्सिटी	शिक्षा	हैदराबाद	गछीबोबली	आन्ध्र प्रदेश
5.	श्री वेंकटेश्वर ऑरिंटल कॉलेज	शिक्षा	तिरूपति	तिरूपति	आन्ध्र प्रदेश
6.	श्री विष्णु इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमन	शिक्षा	भीमावरम	भीमावरम	आन्ध्र प्रदेश
7.	बून इनवाइरमेंट ऐंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	गैर सरकारी संगठन	पलवंचा	पलवंचा	आन्ध्र प्रदेश
8.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम

1	2	3	4	5	6
9.	कृष्ण कांत हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम
10.	अयोध्या लाल कल्याण निकेतन	गैर सरकारी संगठन	गोपाल गंज	गोपाल गंज	बिहार
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट	शिक्षा	पटना	आई.बी.एम पटना	बिहार
12.	स्नेही लोकोत्थान संस्थान	गैर सरकारी संगठन	सिवान	सिवान	बिहार
13.	पंजब यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
14.	विवेक हाई स्कूल	शिक्षा	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
15.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	एस.ए.यू.	रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
16.	ए.जे.के. मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेन्टर	शिक्षा	दिल्ली	जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी	दिल्ली
17.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन	शिक्षा	दिल्ली	आई.आई.एम.सी. दिल्ली	दिल्ली
18.	जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	शिक्षा	रोहिणी	रोहिणी, दिल्ली	दिल्ली
19.	जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टडीज	शिक्षा	वसंत कुंज	वसंत कुंज, दिल्ली	दिल्ली
20.	स्पष्ट एजुकेशन सोसाइटी	गैर सरकारी संगठन	रोहिणी	रोहिणी, दिल्ली	दिल्ली
21.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	यूनिवर्सिटी	दिल्ली	नॉर्थ कैम्पस, दिल्ली	दिल्ली
22.	महिला सेवा ट्रस्ट	गैर सरकारी संगठन	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
23.	मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन	शिक्षा	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
24.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी	शिक्षा	बल्लभ विद्या नगर	बल्लभ विद्या नगर	गुजरात

1	2	3	4	5	6
25.	एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर, गुजरात यूनिवर्सिटी	शिक्षा	अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
26.	द रिस्टोरिंग फोर्स	गैर सरकारी संगठन	दिल्ली	गुडगांव	हरियाणा
27.	सी.सी.एस. हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	एस.ए.यू.	हिसार	हिसार	हरियाणा
28.	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	सिरसा	सिरसा	हरियाणा
29.	एम.आर. एजुकेशन ट्रस्ट	गैर सरकारी संगठन	फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा
30.	सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन्स फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन (स्मार्ट)	गैर सरकारी संगठन	दिल्ली	नूह, मेवात, हरियाणा	हरियाणा
31.	एस.एम. सेहगल फाउंडेशन	गैर सरकारी संगठन	गुडगांव	गुडगांव	हरियाणा
32.	एम.एस. पंवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन ऐंड मैनेजमेंट	शिक्षा	सोलन	सोलन	हिमाचल प्रदेश
33.	तिब्बत चिल्ड्रन्स विल्लेज स्कूल	शिक्षा	धर्मशाला	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
34.	पीर पंचाल	गैर सरकारी संगठन	जम्मू	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
35.	अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डिवलपमेंट	गैर सरकारी संगठन	चेन्नई	रांची	झारखंड
36.	दिव्यज्योति विद्या केन्द्र	गैर सरकारी संगठन	बंगलौर	रूरल बंगलोर	कर्णाटक
37.	शरणबसवेश्वर विद्या वर्धक संघ	शिक्षा	गुलबर्ग	गुलबर्ग	कर्णाटक
38.	श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज	शिक्षा	बंगलौर	बंगलौर	कर्णाटक
39.	श्री सिद्धार्थ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज	शिक्षा	तुमकुर	तुमकुर	कर्णाटक
40.	सेंट ऐलॉयसियस कॉलेज	शिक्षा	मंगलौर	मंगलौर	कर्णाटक

1	2	3	4	5	6
41.	द मैसूर रीसेटलमेंट ऐंड डिवलपमेंट एजेंसी	गैर सरकारी संगठन	बंगलौर	भुटिकोट्टई	कर्णाटक
42.	यूनिवर्सल कॉलेज	शिक्षा	बंगलौर	विजयनगर	कर्णाटक
43.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज	एस.ए.यू.	धारवाड़	धारवाड़ा	कर्णाटक
44.	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन	शिक्षा	मणिपाल	मणिपाल	कर्णाटक
45.	श्री रमन्ना एकेडमी फॉर ब्लाइंड	शिक्षा	बंगलौर	बंगलौर	कर्णाटक
46.	विवेक स्कूल ऑफ एक्सलेंस	शिक्षा	मैसूर	मैसूर	कर्णाटक
47.	बिशॉप बैंजिगर हॉस्पिटल	गैर सरकारी संगठन	कोल्लम	कोल्लम	केरल
48.	डी.सी. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऐंड टेक्नोलॉजी	शिक्षा	कोट्टायम	कोट्टायम	केरल
49.	मार ऐथनेसिअस कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	शिक्षा	तिरुवल्ला	तिरुवल्ला	केरल
50.	वयनाड सोशल सर्विस सोसाइटी	गैर सरकारी संगठन	वायनाड	वायनाड	केरल
51.	सेंट जासेफ कॉलेज आफ कम्यूनिकेशन	शिक्षा	कोट्टायम	कोट्टायम	केरल
52.	इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स	गैर सरकारी संगठन	दिल्ली	सिरोंज	मध्य प्रदेश
53.	द सोसाइटी फॉर डिवेलपमेंट ऑल्टरनेटिव	गैर सरकारी संगठन	दिल्ली	ओरछा	मध्य प्रदेश
54.	बुनकर विकास संस्था	गैर सरकारी संगठन	चंदेरी	चंदेरी	मध्य प्रदेश
55.	आर.के.डी.एफ. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी	शिक्षा	भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
56.	संभव सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन	गैर सरकारी संगठन	ग्वालियर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6
57.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा	भाबरा	भाबरा	मध्य प्रदेश
58.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा	खल्वा	खल्वा	मध्य प्रदेश
59.	स्वराज संस्थान	गैर सरकारी संगठन	भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
60.	कृषि विज्ञान केन्द्र	के.वी.के.	बारामति	भाबरा	महाराष्ट्र
61.	यूनियन पार्क रेडीडेंट्स एसोसिएशन इंडिया, पुणे	गैर सरकारी संगठन	मुंबई	एवल्बा	महाराष्ट्र
62.	फिल्म ऐंड टी.वी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे	शिक्षा	पुणे	भोपाल	महाराष्ट्र
63.	कृषि विज्ञान केन्द्र (पीरेंस)	के.वी.के.	बबलेश्वर	बबलेश्वर	महाराष्ट्र
64.	एम.एस.जी. आटर्स, साइंस ऐंड कॉमर्स कॉलेज	शिक्षा	नासिक	नासिक	महाराष्ट्र
65.	मन देशी फाउंडेशन (मनविकास सामाजिक संस्था की तौर पर ज्ञात)	गैर सरकारी संगठन	महासवाड	महासवाड	महाराष्ट्र
66.	पदमश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नवी मुंबई	शिक्षा	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
67.	स्नेहालय	गैर सरकारी संगठन	अहमदनगर	अहमदनगर	महाराष्ट्र
68.	सुविदे फाउंडेशन कृषि विज्ञान केन्द्र	के.वी.के.	वाशिम	वाशिम	महाराष्ट्र
69.	यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई	शिक्षा	मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
70.	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे	शिक्षा	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
71.	विद्या प्रतिष्ठान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद्यानागरी	शिक्षा	बारामती	बारामती	महाराष्ट्र
72.	येराला प्रोजेक्ट्स सोसाइटी	गैर सरकारी संगठन	सांगली	सांगली	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6
73.	विश्वास ध्यान प्रबोधिनी ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	गैर सरकारी संगठन	नासिक	नासिक	महाराष्ट्र
74.	सस्नेह कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मंडल	गैर सरकारी संगठन	सांगली	सांगली	महाराष्ट्र
75.	यंग इंडिया	गैर सरकारी संगठन	कोणार्क	कोणार्क	ओडिशा
76.	सौरभ	गैर सरकारी संगठन	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	ओडिशा
77.	एसोसिशएशन इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट	गैर सरकारी संगठन	खुर्दा	खुर्दा	ओडिशा
78.	रावेनशों युनिवर्सिटी	शिक्षा	कटक	कटक	ओडिशा
79.	आचार्य आर्ट्स ऐंड साइंस कॉलेज, विल्लियानुर, पुडुचेरी	शिक्षा	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
80.	पुडुचेरी यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
81.	श्री मानाकुला विनयागर इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
82.	गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, लुधियाना	शिक्षा	लुधियाना	लुधियाना	पंजाब
83.	सोशल वर्क ऐंड रिसर्च सेंटर (बेयरफेट कॉलेज)	गैर सरकारी संगठन	तिलोनिया	तिलोनिया	राजस्थान
84.	ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर एडवांस एजुकेशन ऐंड रिसर्च	गैर सरकारी संगठन	अलवर	अलवर	राजस्थान
85.	बनस्थली विद्यापीठ	शिक्षा	वनंस्थली	वनस्थली	राजस्थान
86.	एमिनेंट टी.टी. गर्ल्स कॉलेज, डिग्गी, मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान	शिक्षा	डिग्गी, मालपुरा	डिग्गी, मालपुरा	राजस्थान
87.	इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	शिक्षा	जयपुर	जयपुर	राजस्थान
88.	प्रजापिता पह्रा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्याल	शिक्षा	माउंटआबू	माउंटआबू	राजस्थान
89.	एटॉमक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नं. 2 (ए.ई.सी.एस.-2)	शिक्षा	कलपक्कम	कलपक्कम	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6
90.	धन फाउंडेशन	गैर सरकारी संगठन	मुदरई	नानापट्टनम	तमिलनाडु
91.	के.एस. रंगासामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस	शिक्षा	तिरुचेनगुडे	तिरुचेनगुडे	तमिलनाडु
92.	एम. कुमारसामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	करूर	करूर	तमिलनाडु
93.	पीपुल्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट (पी.ए.आर.डी.)	गैर सरकारी संगठन	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
94.	पी.जी.पी. एजुकेशनल ऐंड वेल्फेयर सोसाइटी	शिक्षा	नमक्कल	नमक्कल	तमिलनाडु
95.	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट	शिक्षा	श्रीपेंरबदूर	श्रीपेंरबदूर	तमिलनाडु
96.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	एस.ए.यू.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
97.	अदितानार कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐंड साइंस	शिक्षा	तिरुचेंदूर	तिरुचेंदूर	तमिलनाडु
98.	ए.वी.आर.सी., अन्ना यूनिवर्सिटी	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
99.	ईरोडे सेंगुंथार इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	इरोड	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
100.	हॉली क्रॉस कॉलेज	शिक्षा	तिरुचिरापल्ली	तिरुचेंदूर	तमिलनाडु
101.	कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरुंदुरई	शिक्षा	पेरुनदुरई	चेन्नई	तमिलनाडु
102.	लोयोला कॉलेज	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
103.	एम.ओ.पी. वैष्णव कॉलेज फॉर वुमन	शिक्षा	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
104.	पीस इंडस्ट्रियल स्कूल	शिक्षा	डिंडीगुल	डिंडीगुल	तमिलनाडु
105.	पेरियार मणियामाई कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी फॉर वुमन	शिक्षा	थंजावर	थंजावर	तमिलनाडु
106.	पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पीलामेडू, कोयम्बटूर	शिक्षा	कोयंबटूर	कोयंबटूर	तमिलनाडु
107.	एस.आर.एम. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6
108.	शुभलक्ष्मी कॉलेज ऑफ साइंस	शिक्षा	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
109.	मदुरई डिस्ट्रिक्ट टैंक फार्मर्स एसोसिएशन	गैर सरकारी संगठन	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
110.	एस.एस.एम. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	शिक्षा	सेलम	सेलम	तमिलनाडु
111.	सनबीम इंग्लिश स्कूल	शिक्षा	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
112.	मिर्जा अहसानुल्लाह बेग एजुकेशनल ऐंड सोशल वेल्फेयर सोसाइटी	गैर सरकारी संगठन	आजमगढ़	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
113.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी	एस.ए.यू.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
114.	एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज	शिक्षा	नोएडा	नोएडा	उत्तर प्रदेश
115.	भारती शिक्षा समिति	गैर सरकारी संगठन	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
116.	सिटी मांटेसरी स्कूल	शिक्षा	गोमती नगर, लखनऊ	गोमती नगर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
117.	सी.एम.एस. डिग्री कॉलेज	शिक्षा	एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ	एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
118.	डॉ. बी.आर.ए. यूनिवर्सिटी	शिक्षा	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
119.	हिंट इंस्टट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन	शिक्षा	गाजियाबाद	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
120.	आई.आई.एम.टी. कॉलेज	शिक्षा	मेरठ	मेरठ	उत्तर प्रदेश
121.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	शिक्षा	कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश
122.	इंस्टट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	शिक्षा	नोएडा	नोएडा	उत्तर प्रदेश
123.	कृषि विज्ञान केन्द्र	के.वी.के.	सहारनपुर	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
124.	पी.जी. कॉलेज	शिक्षा	गाजीपुर	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
125.	साई ज्योति ग्रामोद्योग समाज	गैर सरकारी संगठन	ललितपुर	ललितपुर	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6
126.	द एनर्जी ऐंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	गैर सरकारी संगठन	दिल्ली	सुपीविलेज, उत्तराखंड	उत्तराखंड
127.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ऐंड टेक्नोलॉजी	एस.ए.यू.	पंत नगर	पंत नगर	उत्तराखंड
128.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैनडिकैप्ड	शिक्षा	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड
129.	गुरु नानक फिफ्थ सेंटिनरी स्कूल	शिक्षा	मसूरी	मसूरी	उत्तराखंड
130.	जादवपुर यूनिवर्सिटी	शिक्षा	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
131.	सत्यजीत रे फिल्म ऐंड टी.वी. इंस्टीट्यूट, कोलकाता	शिक्षा	कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

एन.जी.ओ.: गैर-सरकारी संगठन

ई.डी.यू.: शिक्षा

यू.एन.आई.वी.: यूनिवर्सिटी

एस.ए.यू.: स्टैट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी

के.वी.के.: कृषि विज्ञान केन्द्र

[हिन्दी]

विदेशियों के प्रति अपराध

3155. **श्रीमती मीना सिंह:**

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.), दिल्ली सहित देश में विदेशी महिलाओं सहित विदेशियों के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में बलात्कार/लूट सहित राज्यवार और अपराध-वार कितने ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में ऐसे मामलों को रोकने तथा विदेशी महिलाओं सहित विदेशियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशियों के प्रति अपराध संबंधी ऐसे विशिष्ट आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अत: अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण तथा जांच और नागरिकों के जान-माल की रक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस की तैनाती करने की सलाह दी है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक सुरक्षा संगठनों के गठन संबंधी दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। इसने 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन' के लिए आचार संहिता को भी अपनाया है जो पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों दोनों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के मूल अधिकारों जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा तथा शोषण से मुक्ति के संबंध में की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने संबंधी दिशानिर्देशों का एक सेट है।

अक्तूबर, 2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटकों के विरुद्ध दलाली एवं कादाचार निवारण अधिनियम, 2010 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाले विदेशी पर्यटकों सहित सभी पर्यटकों की सुरक्षा तथा उनकी सहायता के लिए सभी उपाय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कैब/टैक्सी चालकों द्वारा आम जनता को यात्रा से मना करने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने या उनका उत्पीड़न किए जाने के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए 56767 पर एस.एम.एस. सेवा प्रारम्भ की है। इसके अलावा, ऐसे उल्लंघनों का पता लगाने के लिए समय-समय पर कैब/टैक्सी की औचक जांच भी की जाती है।

[अनुवाद]

इदुक्की में काली मिर्च का उत्पादन कार्यक्रम

3156. **श्री पी.टी. थॉमस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से नारियल और सुपारी के बागों में एकल/मिश्रित फसल उगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत इदुक्की में काली मिर्च के उत्पादन कार्यक्रम की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निधि आबंटन में वृद्धि का कोई अनुरोध भी प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिये वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के अन्तर्गत 750 हैक्टेयर में नए काली मिर्च बागानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) और (घ) केरल के इदुक्की जिले में काली मिर्च उत्पादन कार्यक्रम को एन.एच.एम. के अन्तर्गत 120.00 करोड़ रुपये की सहायता सहित 230.58 करोड़ रुपये की कुल लागत पर पांच वर्षों की अवधि के लिये 2009-10 के दौरान मसाला बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वियन के लिये अनुमोदित किया गया था।

(ङ) विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त तथा प्रयुक्त निधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

वर्ष	निर्मुक्ति	परिव्यय
2009-10	14.00	5.91
2010-11	3.00	10.47
2011-12	10.00	11.07

कोपरा की कमी

3157. **श्री मनोहर तिरकी:**

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान देश में कोपरा की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे देश में कोपरा किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने कोपरा किसानों के हितों की रक्षा के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं:

1. मिलिंग तथा खाद्य ग्रेड बाल कोपरा तथा साथ ही छिलका रहित पके हुए नारियल के लिये वार्षिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा करना।

2. शुष्कक (ड्रायर्स) की कुल लागत के 25% की दर से गुणवत्ताप्रद कोपरा के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय सहायता दी गई।

3. कोपरा की खरीद तथा उत्पादन के संवर्धन के लिये नारियल उत्पादक समितियों का गठन प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

फसल बीमा दावे

3158. **श्रीमती ऊषा वर्मा:**
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए बीमा दावों को निपटाने में दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम आबंटन के कारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि का दावा किया गया और कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) विभिन्न योजनाओं के अधीन कितने बीमा दावे किए गए तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार कितने दावों को निपटाया गया/भुगतान किया गया, अस्वीकृत किया गया और लंबित किया गया; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत बीमा दावों के लिए प्रति एकड़ कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा उक्त राशि की गणना के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) फसल बीमा दावे मांग आधारित हैं तथा इसलिए निधियों की आवश्यकता मानसून वर्षा के निष्पादन तथा अन्य मौसम पैरामीटरों पर निर्भर है। केवल राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.), के अन्तर्गत दावों का निपटान बराबर हिस्सेदारी आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। कभी-कभी अत्यधिक दावे तथा राज्यों द्वारा अपर्याप्त बजटीय प्रावधानों के कारण ऐसे राज्यों के दावों के निपटान में विलम्ब हो सकता है। दसवीं और ग्यारहवीं योजना के दौरान एन.ए.आई.एस. के अन्तर्गत दावों के निपटान के लिये बकाया 8059 करोड़ रु. के सरकारी देयताओं के मुकाबले 8546 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियां दी गई हैं जिनमें सरकार की अन्य देयताएं शामिल हैं। एन.ए.आई.एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा दावों के निपटान सहित सुधारात्मक उपाय करने के प्रयोजन से कार्यान्वयक राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. के प्रावधानों के अनुसार यदि बीमित मौसम में परिभाषित क्षेत्र (फसल, कटाई अनुभवों की अपेक्षित संख्या के आधार पर) हेतु बीमित फसल की प्रति हैक्टेयर वास्तविक औसत उपज विनिर्दिष्ट औसत उपज से कम हो जाती है तो निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार परिभाषित क्षेत्र में दावे का परिकलन किया जाता है:

$$\text{दावा} = \frac{\text{उपज में कमी} \times \text{बीमित राशि}}{\text{न्यूनतम उपज}}$$

(कमी=परिभाषित क्षेत्र में न्यूनतम उपज - वास्तविक उपज)

प्रति एकड़/हैक्टेयर डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अन्तर्गत दावे का भुगतान दावा उत्पाद के टर्म सीट में दिए गए फसलों की खेती की लागत तथा पूर्व परिभाषित पैरामीटरों पर आधारित है।

विवरण

बीमा दावों का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

11वीं योजना अवधि	भुगतान योग्य दावे	भुगतान किये गये दावे	भुगतान किये जाने वाले दावे	भुगतान किये जाने वाले दावों में विलम्ब के लिए कारण
1	2	3	4	5
2007-08	1725.27	1724.39	0.87	पश्चिम बंगाल - उपज आंकड़ों में संशोधन के कारण विलम्ब एवं इसलिए राज्य के अंश का उपलब्ध न होना।

1	2	3	4	5
2008-09	3885.56	3879.06	6.49	तमिलनाडु द्वारा एक अधिसूचित क्षेत्र में विलम्ब से अधिसूचना एवं तमिलनाडु द्वारा दावों/अतिरिक्त दावों में राज्य के अंश का उपलब्ध न होना।
2009-10	5138.31	4842.08	296.23	झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु से दावों/अतिरिक्त दावों का उपलब्ध न होना तथा बिहार द्वारा रिकॉर्ड के संचालन की जांच/सत्यापन के कारण विलम्ब।
2010-11	2215.65	2030.12	185.53	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से दावों/अतिरिक्त दावों में राज्य के अंश का उपलब्ध न होना तथा आन्ध्र प्रदेश रिकॉर्ड के संचालन की जांच/सत्यापन के कारण विलम्ब।
2011-12	-	-	-	प्रक्रियाधीन
पाइलेट मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)*				
2007-08	107.44	106.69	0.75	प्रासांगिक कागजातों की गैर प्राप्ति
2008-09	49.48	49.48	शून्य	-
2009-10	344.93	331.32	13.61	प्रासांगिक कागजातों की गैर प्राप्ति
2010-11	487.12	458.02	29.10	हिमाचल प्रदेश से प्रीमियम सब्सिडी (अंश) योगदान तथा तमिलनाडु से

[अनुवाद]

सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन

3159. **श्रीमती श्रुति चौधरी:**

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छोटे कस्बों और जिलों में सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड.सी.सी.) द्वारा किए गए आयोजनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार द्वारा स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेड.सी.सी.), दीमापुर, कोलकाता, इलाहाबाद, पटियाला, उदयपुर, नागपुर और तंजावुर में स्थित हैं, जो हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छोटे कस्बों और जिलों में सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए पिछले वर्ष के दौरान आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को जारी राशि
2011-12	3760.73

वर्ष 2012-13 में कोई निधि जारी नहीं की गई है। जारी की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) यद्यपि किसी राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, फिर भी कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और उनसे सराहना प्राप्त हुई।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उठान

3160. **श्री राकेश पाण्डेय:**

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, मिट्टी के तेल आदि के आबंटित कोटे को उठाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार उक्त मदों के आबंटन और उठान ('ऑफ टेक') को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जो पी.डी.एस. के अंतर्गत अपना कोटा उठाने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास पी.डी.एस. के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों को प्रोत्साहन देने तथा ऐसे राज्यों जहां क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है, को खाद्यान्न का आबंटन कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) 2011-12 के दौरान (फरवरी, 2012 तक) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सामान्य आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों का समूचा उठान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में 100%, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 96% और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 76% रहा है। 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अतिरिक्त आवंटनों के मामले में फरवरी, 2012 तक 76% उठान हुआ है। कुछ राज्यों में मुख्यत: अतिरिक्त आवंटनों में कम उठान राज्यों की लक्षित लाभार्थियों को राज्य की ओर से और राजसहायता देने के कारण अतिरिक्त आवंटनों को खपाने में राज्यों की असमर्थता होने, मालगाड़ियां पर्याप्त संख्या में न मिलने के परिणामस्वरूप संचलन संबंधी रुकावट होने की वजह से भारतीय खाद्य निगम के कुछ डिपुओं में कम स्टाक पहुंचने के कारण हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान (सामान्य और अतिरिक्त उठान) के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

सरकार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में अधिक आवंटन करने के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करती रही है जो उन्हें किए गए अतिरिक्त आवंटनों का उठान करते हैं और अधिक की मांग करते हैं। सरकार आवधिक बैठकें करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न स्तरों पर पत्राचार करके उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण कोटा नहीं उठाया है, को कोटा उठाने के लिए राजी कर रही है। तथापि, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के मामले में कुछ राज्य मिट्टी के तेल के आवंटित कोटे का उठान करने में विफल रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के कोटे के आवंटन और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कोटे के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं। वर्ष की प्रथम 2/3 तिमाहियों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान न की गई बची हुई मात्रा को अगले वर्ष के आवंटन में से कम कर दिया गया है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-2010 से 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3884.250	3526.692	3676.480	3433.137	3738.252	2802.108
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	99.538	101.556	85.023	101.556	74.228
3.	असम	1485.966	1400.233	1673.126	1591.641	1806.756	1518.846
4.	बिहार	3437.481	2274.014	3543.192	2969.154	3650.312	2542.935
5.	छत्तीसगढ़	1091.952	1005.898	1168.032	1135.107	1218.752	986.889
6.	दिल्ली	592.548	577.275	595.734	607.303	597.858	504.069
7.	गोवा	46.708	45.308	68.751	53.804	60.316	56.794
8.	गुजरात	1618.488	1025.464	1885.998	1532.880	2018.738	1168.218
9.	हरियाणा	980.472	501.671	685.242	613.097	732.422	545.527
10.	हिमाचल प्रदेश	497.466	461.812	508.988	486.462	519.146	470.680
11.	जम्मू और कश्मीर	756.804	758.854	757.104	749.115	756.804	681.447
12.	झारखंड	1311.792	1038.280	1319.412	1032.747	1339.032	933.853
13.	कर्नाटक	2167.492	2092.192	2260.476	2132.040	2386.646	2037.410
14.	केरल	1301.604	1233.443	1399.646	1373.157	1431.674	1307.253
15.	मध्य प्रदेश	3030.870	2953.426	2610.454	2707.860	2680.736	2413.470
16.	महाराष्ट्र	4509.359	3576.017	4490.412	3687.169	4647.114	3293.129
17.	मणिपुर	117.146	122.104	141.844	71.209	160.446	131.436
18.	मेघालय	147.276	145.315	182.928	156.605	181.696	165.962
19.	मिजोरम	82.908	75.675	70.140	64.502	70.140	60.873
20.	नागालैण्ड	129.546	134.532	126.876	138.126	126.876	132.602
21.	ओडिशा	2115.852	2080.701	2221.788	2052.089	2118.908	1887.623
22.	पंजाब	1213.920	987.526	786.348	680.707	814.100	622.818
23.	राजस्थान	1945.464	1919.335	2037.128	1937.843	2115.140	1902.025

1	2	3		4		5	
24.	सिक्किम	44.220	44.206	44.250	43.000	44.270	41.456
25.	तमिलनाडु	3767.832	3951.112	3722.832	3698.126	3722.832	3454.636
26.	त्रिपुरा	302.004	279.176	302.622	249.020	308.034	254.414
27.	उत्तर प्रदेश	7039.894	6455.013	6948.948	6555.953	7114.590	6177.906
28.	उत्तराखंड	436.002	408.472	474.122	455.838	501.702	414.157
29.	पश्चिम बंगाल	3316.544	3145.293	3601.864	3325.618	3763.754	2993.734
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.959	18.489	34.020	17.921	34.020	14.617
31.	चण्डीगढ़	25.796	25.276	31.380	25.975	34.980	31.193
32.	दादरा और नगर हवेली	8.880	2.973	9.924	2.457	10.284	9.633
33.	दमन और द्वीप	4.320	1.346	4.980	1.162	5.430	4.399
34.	लक्षद्वीप	4.614	3.707	4.620	6.385	4.620	4.053
35.	पुदुचेरी	53.712	32.317	56.112	48.435	58.912	44.087
	जोड़	47602.697	42402.685	47547.329	43720.667	48876.848	39684.480

*आवंटन पूरे वर्ष के लिए है, उठान फरवरी '12 तक है।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2009-2010, 2010-11 और 2011-12 के दौरान खाद्यान्नों के किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटनों के आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10				2010-11			
		न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/निकाले गए मूल्य की दर पर आवंटन की तारीख जनवरी, 2010		8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. और 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर दिनांक 19-5-2010 को अं.अ.यो/ग.रे.नी./ ग.रे.ऊ. के लिए आवंटन		8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. और 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर 6-1-2011 को किए गए ग.रे.ऊ. का आवंटन*		ग.रे.नी. के जारी मूल्यों की दर पर 7-9-2010 और 6-1-2011 को किया गया ग.रे.नि. का आवंटन*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.420	125.563	268.957	3.706	255.220	12.532	511.570	510.338
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.840	0	4.114	2.190	3.104	2.404	12.592	7.180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	89.860	23.236	196.381	82.018	282.673	111.622	290.794	171.081
4.	बिहार	237.580	0	201.943	24.960	116.258	20.751	500.214	325.882
5.	छत्तीसगढ़	88.220	50.367	149.974	41.787	205.047	143.700	143.784	194.411
6.	दिल्ली	55.840	21.798	47.294	22.640	51.509	0	31.364	23.369
7.	गोवा	6.400	0	5.440	0.002	5.904	3.007	3.680	3.374
8.	गुजरात	175.140	9.025	148.869	16.141	144.063	14.590	162.572	132.874
9.	हरियाणा	62.960	15.418	53.516	16.280	51.205	38.806	60.504	22.076
10.	हिमाचल प्रदेश	25.140	6.043	21.369	21.084	16.128	14.620	39.416	29.491
11.	जम्मू और कश्मीर	36.040	32.258	30.634	30.983	63.139	51.333	56.440	56.970
12.	झारखंड	87.120	0	74.052	8.363	42.587	0.764	183.584	126.175
13.	कर्नाटक	188.740	73.685	160.429	51.525	136.922	12.552	239.946	233.571
14.	केरल	122.200	8.242	153.870	116.062	179.893	127.906	125.653	125.553
15.	मध्य प्रदेश	194.060	0	164.951	13.322	121.077	11.933	516.324	6.668
16.	महाराष्ट्र	354.540	0	301.359	40.694	242.566	27.145	501.060	286.014
17.	मणिपुर	8.140	6.467	6.919	0	5.231	6.070	17.730	16.921
18.	मेघालय	8.980	2.335	7.633	7.843	5.773	5.517	19.034	11.200
19.	मिजोरम	3.340	3.340	5.678	2.781	18.149	17.599	10.214	11.436
20.	नागालैण्ड	6.040	1.816	10.268	2.941	13.864	9.354	14.510	15.132
21.	ओडिशा	135.820	5.693	115.447	0.135	75.819	12.006	252.906	190.414
22.	पंजाब	79.520	0	67.592	59.295	276.145	70.905	35.888	28.664
23.	राजस्थान	177.340	46.641	301.478	191.769	239.700	186.653	236.420	221.277
24.	सिक्किम	2.100	0.938	2.285	1.277	1.646	0.841	4.498	4.499
25.	तमिलनाडु	277.640	258.361	235.994	129.465	195.767	34.731	372.918	353.252
26.	त्रिपुरा	14.440	0	12.274	0	9.269	0	22.622	22.623
27.	उत्तर प्रदेश	522.830	0	444.406	114.226	335.641	4.160	818.880	508.498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	उत्तराखंड	24.380	0	20.723	4.034	165.65	93.453	38.188	15.300
29.	पश्चिम बंगाल	290.460	228.988	246.891	223.416	202.822	143.610	397.152	291.327
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.620	0	1.377	0	1.150	0	2.146	0.455
31.	चण्डीगढ़	4.060	0	3.451	0	3.907	3.116	1.764	0.555
32.	दादरा और नगर हवेली	0.720	0.720	0.612	0	0.391	0.391	1.382	0.692
33.	दमन और दीव	0.510	0.300	0	0	0.478	0	0.268	0.112
34.	लक्षद्वीप	0.220	0.220	0.187	0	0.174	0.724	0.230	0
35.	पुडुचेरी	4.480	0.406	3.808	0.309	3.039	4.228	6.442	1.567
	सकल जोड़	3607.540	921.860	3066.410#	1229.248	2500.000#	1185.023	5000.004#	3948.951

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12			
		ग.रे.नी. के जारी मूल्यों की दर पर 16-5-2011 को किया गया ग.रे.नी. का आवंटन		निर्धनतम जिलों को किया गया ग.रे.नी./ग.रे.ऊ. आवंटन @	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	311.570	213.955	116.797	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.592	3.290	0.737	0
3.	असम	220.794	165.663	15.34	0
4.	बिहार	600.214	399.76	596.511	127.532
5.	छत्तीसगढ़	143.784	142.665	131.952	111.309
6.	दिल्ली	31.364	28.237	0	0
7.	गोवा	3.680	3.633	0	0

1	2	11	12	13	14
8.	गुजरात	162.572	142.237	51.502	25.802
9.	हरियाणा	60.504	39.618	9.739	1.227
10.	हिमाचल प्रदेश	39.416	18.971	11.537	9.249
11.	जम्मू और कश्मीर	56.440	40.299	11.757	5.563
12.	झारखंड	183.584	68.464	132.229	28.340
13.	कर्नाटक	239.946	239.989	31.395	10.464
14.	केरल	119.168	105.762	5.068	1.382
15.	मध्य प्रदेश	316.324	262.310	278.044	110.143
16.	महाराष्ट्र	501.060	231.369	105.812	0.728
17.	मणिपुर	12.730	10.896	1.235	0.300
18.	मेघालय	14.033	7.810	1.919	0
19.	मिजोरम	10.214	3.542	0.159	0.080
20.	नागालैण्ड	19.510	14.602	0.315	0.061
21.	ओडिशा	252.906	125.743	143.933	2.781
22.	पंजाब	35.888	31.634	1.839	0
23.	राजस्थान	186.420	176.518	99.054	59.943
24.	सिक्किम	6.778	3.919	0.264	0.146
25.	तमिलनाडु	372.918	373.004	40.948	18.350
26.	त्रिपुरा	22.622	16.336	2.734	0.327
27.	उत्तर प्रदेश	818.880	619.101	316.724	10.468
28.	उत्तराखंड	38.188	28.447	2.602	1.319
29.	पश्चिम बंगाल	397.152	286.644	259.315	12.253
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.146	1.820	0	0
31.	चण्डीगढ़	1.764	1.483	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	1.382	0.017	0	0

1	2	11	12	13	14
33.	दमन और द्वीव	0.268	0.032	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.230	0.230	0	0
35.	पुडुचेरी	6.442	6.124	0	0
	सकल जोड़	5000.004#	3814.124	2369.461	537.767

*29-02-2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा 14-02-2012 को समेकित

स्रोत: नियंत्रण कक्ष भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय

@पूरे वर्ष के लिए आबंटन के प्रति निर्धनतम जिला उठान फरवरी, 2012 तक है।

#समग्र आबंटन में से न उठायी गई मात्रा में से किए गए पुन: आबंटन के कारण राज्यों को किए गए आबंटन में दिखाए गए सकल जोड़ में कतिपय मामलों में कुल को नहीं जोड़ा जा सकता है।

विवरण-III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आवंटन टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	413080	463658	517102	517158
2.	अरुणाचल प्रदेश	9049	9133	9170	9257
3.	असम	257360	257725	257893	258007
4.	बिहार	638381	641837	643786	647430
5.	छत्तीसगढ़	145214	145504	145822	146938
6.	दिल्ली	47767	108093	135235	160935
7.	गोवा	15390	17650	19209	19212
8.	गुजरात	524190	716386	742668	743759
9.	हरियाणा	122381	134344	144830	145619
10.	हिमाचल प्रदेश	25270	31331	45466	49409
11.	जम्मू और कश्मीर	73994	73994	75326	76044
12.	झारखंड	210332	210780	210964	211175
13.	कर्नाटक	419879	437986	461340	461478
14.	केरल	153404	175172	216310	216308

1	2	3	4	5	6
15.	मध्य प्रदेश	487480	487480	487845	488609
16.	महाराष्ट्र	979620	1217258	1276588	1276876
17.	मणिपुर	19723	19723	19743	19907
18.	मेघालय	20283	20339	20359	20401
19.	मिजोरम	6098	6163	6181	6217
20.	नागालैण्ड	13307	13307	13318	13312
21.	ओडिशा	312019	313728	314334	314977
22.	पंजाब	212106	222098	234700	237192
23.	राजस्थान	397980	398167	398431	398913
24.	सिक्किम	5127	5136	5566	5582
25.	तमिलनाडु	429068	493111	558428	558929
26.	त्रिपुरा	30556	30584	30740	30832
27.	उत्तर प्रदेश	1239455	1240286	1240789	1241772
28.	उत्तराखंड	83673	86428	89845	89849
29.	पश्चिम बंगाल	750761	751275	751536	752103
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5640	5640	5659	5816
31.	चण्डीगढ़	5706	7135	7181	9999
32.	दादरा और नगर हवेली	1933	2363	2785	2782
33.	दमन और दीव	1569	1812	2073	2118
34.	लक्षद्वीप	794	794	795	795
35.	पुडुचेरी	8125	12243	12249	12257
	कुल आबंटन	8066714	8758663	9104266	9151967

नोट: वार्षिक आधार पर आबंटित लद्दाख क्षेत्र के लिए 3600 टन (4626 कि.ली.) कि.ली. सहित जम्मू और कश्मीर का आबंटन वर्ष 2011-12 - लक्षद्वीप के लिए आबंटन पूरे वर्ष के लिए है।

विवरण-IV

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का उठान (अतिरिक्त सहित) टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	463532	518368	516991
2.	अरुणाचल प्रदेश	9040	9046	9212
3.	असम	257671	257612	257889
4.	बिहार	637643	640503	652585
5.	छत्तीसगढ़	145075	144648	145981
6.	दिल्ली	105515	130725	140530
7.	गोवा	17640	19186	19190
8.	गुजरात	716170	742717	743717
9.	हरियाणा	133817	144705	143901
10.	हिमाचल प्रदेश	31181	44695	45941
11.	जम्मू और कश्मीर	70281	70938	71467
12.	झारखंड	209072	210527	210843
13.	कर्नाटक	437945	465075	461256
14.	केरल	175167	216293	216312
15.	मध्य प्रदेश	474779	499835	487500
16.	महाराष्ट्र	1216127	1276388	1276257
17.	मणिपुर	10611	19716	19648
18.	मेघालय	20243	20314	20322
19.	मिजोरम	6096	6137	6194
20.	नागालैण्ड	13298	13310	13308
21.	ओडिशा	311639	312129	323768
22.	पंजाब	221112	230650	233823
23.	राजस्थान	397593	398022	398263
24.	सिक्किम	5127	5554	5559
25.	तमिलनाडु	496562	558247	563722

1	2	3	4	5
26.	त्रिपुरा	30530	30460	30694
27.	उत्तर प्रदेश	1238991	1240255	1242002
28.	उत्तराखंड	86725	90316	88833
29.	पश्चिम बंगाल	750866	754058	751636
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5640	5628	6094
31.	चण्डीगढ़	6683	6730	8401
32.	दादरा और नगर हवेली	2352	2745	2756
33.	दमन और दीव	1704	1951	2058
34.	लक्षद्वीप	794	794	710
35.	पुडुचेरी	12214	12252	12382
	कुल आबंटन	8719435	9100529	9129745

नोट: उठान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए अतिरिक्त आबंटन शामिल हैं।

*स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां।

आई.सी.ए.आर. के कार्यक्रमों के प्रायोजक

3161. **श्री जगदीश शर्मा:**

श्री संजय धोत्रे:

श्री मंगनी लाल मंडल:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा हाल में आयोजित एक संगोष्ठी के आयोजन के मुख्य प्रायोजक डाउ केमिकल्स और मोनसोन्टो कंपनी लि. थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से विरोध का सामना किया; और

(घ) भविष्य में ऐसी कलंकित कंपनियों को शामिल न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित दो सम्मेलनों अर्थात् 15-18 फरवरी 2012 के दौरान "फसल संरक्षक कृषि रसायन, स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण: टिकाऊ कृषि में रसायन विज्ञान की भूमिका" पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21-24 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली, भारत में "खाद्य सुरक्षा के नए अग्रणी क्षेत्र" पर पादप जैव प्रौद्योगिकी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: में दो दर्जन से भी अधिक प्रायोजकों/उप-प्रायोजकों में मैसर्स डाउ एग्रोसाईंस तथा मोनसेंटो भी शामिल थे।

(ख) इस सम्मेलन की तैयारी 2011 में उस समय आरंभ हुई थी जब सितंबर 2011 में वित्तीय सहायता के लिए पत्र भेजा गया था। डाउ एग्रो साईंसिस और मोनसेंटो के व्यावसायिक कार्यकलापों के अलावा भारत में इनकी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं। इसके फलस्वरूप, भा.कृ.अ.प. वैज्ञानिकों के साथ इनके संबंध हैं विशेष रूप से काफी लंबे समय से शैक्षणिक सम्मेलन आदि में परस्पर मेलजोल के समय सम्पर्क होता है। आयोजक सरकार के इस निर्देश से अनभिज्ञ थे जिसके तहत डाउ और मोनसेंटों की किसी कंपनी के साथ सम्पर्क/प्रायोजक को निषिद्ध किया गया है।

(ग) जहां तक ओलंपिक में डाउ के प्रायोजक का संबंध है भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ने खेल एवं युवा मामले मंत्रालय को पत्र लिखा है और अनेक समाचार पत्रों में इसकी रिपोर्ट भी आई है।

(घ) भारत में वैधानिक रूप से काम करने वाली कंपनियों से प्रायोजन को स्वीकार करने में सावधानी से काम किया जा रहा है।

जाली टिकटें

3162. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता चला है कि कुछ व्यक्तियों ने जाली टिकटों के प्रिंट आउट पर सुरक्षा प्रणाली पार करके दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा उपर्युक्त में से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सशस्त्र बलों के लिए शस्त्र खरीद

3163. **श्रीमती सुशीला सरोज:**

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए शस्त्रों की खरीद हेतु बलवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या शस्त्रों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामलों का पता चला है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के लिए हथियारों की खरीद पर खर्च की गई बल-वार कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। हथियारों की खरीद में ऐसी किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

विवरण

हथियारों की खरीद पर खर्च की गई बल-वार निधियां

(करोड़ रुपए)

सी.ए.पी.एफ. का नाम	वर्ष 2009-10 में खर्च की गई निधि	वर्ष 2010-11 में खर्च की गई निधि	वर्ष 2011-12 में खर्च की गई निधि	वर्ष 2012-13 में खर्च की गई निधि
1	2	3	4	5
असम राइफल्स	0.26	14.54	43.44	शून्य
बी.एस.एफ.	75.06	62.94	81.82	शून्य
सी.आई.एस.एफ.	36.00	77.00	92.10	शून्य

1	2	3	4	5
सी.आर.पी.एफ.	99.10	152.00	259.99	शून्य
आई.टी.बी.पी.	27.32	4.25	17.98	शून्य
एन.एस.जी.	17.82	25.90	60.18	0.004
एस.एस.बी.	0.52	शून्य	266.34	शून्य
कुल	256.09	336.63	821.31	0.004

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना की समीक्षा

3164. **श्री कैलाश जोशी:**

श्री प्रताप सिंह बाजवा:

डॉ. शशि थरूर:

श्री नलिन कुमार कटील:

श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायत युवा क्रीड़ा और अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) के कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या कमियां सामने आई हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा एम.पी.लैड्स के अंतर्गत इस योजना के तहत संसद सदस्यों को कतिपय कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के संबंध में राज्यों के विचार प्राप्त करने के लिए 10 और 11 अप्रैल 2012 को ग्वालियर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। परन्तु इस योजना की अभी तक कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने 15-03-2012 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)' को 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' (पायका) के साथ अभिसरित किया जाना है। इस अभिसरण पद्धति के अंतर्गत संसद सदस्य एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत ऐसे कार्य जैसे खेल मैदानों के समतलन समेत खेल-मैदानों के विकास, गांवों और ब्लॉकों में चारदीवारी के निर्माण आदि पर अपनी सिफारिश कर सकते हैं।

[अनुवाद]

एफ.एम. चैनलों पर कार्यक्रम

3165. **डॉ. कृपारानी किल्ली:**

श्री गणेश सिंह:

श्री राजेन्द्र सिंह राणा:

श्री रामसिंह राठवा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एफ.एम. चैनलों के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सामग्री की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन एफ.एम. चैनलों पर संपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए किसी निगरानी एजेंसी की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफ.एम. चैनलों के माध्यम से प्रसारित होने वाले

कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) सरकार के पास प्राइवेट एफ.एम. चैनलों के जरिए प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की संवीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन चैनलों की विषय-वस्तु की स्थानीय रूप से निगरानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) द्वारा की जाती है। एफ.एम. चैनलों द्वारा प्रसारित विषय-वस्तु को उनके द्वारा 90 दिनों की अवधि के लिए परिरक्षित रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, बेसिल द्वारा प्रत्येक सांझी ट्रांसमिशन अवसंरचना-अवस्थिति पर स्वचालित लॉगर्स अधिष्ठापित किए गए हैं। प्रत्येक प्राइवेट एफ.एम. चैनल द्वारा प्रसारित किए जा चुके कार्यक्रम को इन लॉगर्स में 3 माह के लिए भंडारित किया जाता है। इस भंडारित कार्यक्रम की किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए बेसिल द्वारा मासिक आधार पर जांच की जाती है।

(ग) और (घ) इस समय, सरकार के पास प्राइवेट एफ.एम. चैनलों पर समग्र नियंत्रण रखने के लिए कोई अन्य निगरानी एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्राइवेट एफ.एम. रेडियो ऑपरेटर अपने कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, दिनांक 25.07.2011 को जारी प्राइवेट एफ.एम. रेडियो चरण-III की नीति के अनुसार, एफ.एम. ऑपरेटरों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों का उनके मूल रूप में प्रसारण करने की अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, खेल-कूद आयोजनों, यातायात व मौसम से संबंधित सूचना, सांस्कृतिक आयोजनों व समारोहों की कवरेज, परीक्षाओं, परीक्षा परिणामों, दाखिलों, कैरियर काउन्सलिंग व रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से संबंधित विषयों की कवरेज तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा बिजली, जलपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं से संबंधित लोक उद्घोषणाओं की कवरेज जैसी कतिपय श्रेणियों से संबंधित प्रसारण को गैर-समाचार व समसामयिक विषयक प्रसारण माना जाएगा और इसलिए उनके प्रसारण की अनुमति होगी।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, सभी एफ.एम. स्टेशन/चैनल आकाशवाणी संहिता और आकाशवाणी वाणिज्यिक संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यक्रामों का प्रसारण करते हैं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत धनराशि

3166. **श्री सुशील कुमार सिंह:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री हरिन पाठक:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती कैसर जहां:
श्री कैलाश जोशी:
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आबंटित धनराशि में विसंगतियों की जानकारी दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या राज्यों के सिविक निकायों के निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किए जाने के बावजूद भी राज्य को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण के अंतर्गत धनराशि जारी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध राज्यवार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग की गई; और

(ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत चुने गए शहरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसमें और अधिक शहरों को शामिल करने के लिए क्या कार्य-योजना शुरू की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की निष्पादन लेखा परीक्षा का मसौदा सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को निधियों

के आबंटन में विलम्ब, यू.एल.बी. के अंश को निर्मुक्त न करने/कम निर्मुक्ति आदि के संबंध में टिप्पणी की गई है।

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत निधियां दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की गई है। शहरी अवसंरचना और शासन (यू.आई.जी.) उप-मिशन में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत दिशानिर्देशों में निहित है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 25 प्रतिशत की पहली किस्त राज्य सरकार/यू.एल.बी./पैरास्टेटल द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर जारी की जाएगी। सहायता की शेष राशि जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिकल्पना की गई है, जहां तक सम्भव हो तीन किस्तों में अनुदानों (केन्द्रीय और राज्य) के 70 प्रतिशत तक के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने पर और राज्य तथा यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित स्तर प्राप्त करने की शर्त पर जारी की जाएगी। चूंकि राज्यों ने समझौता ज्ञापन में विनिर्दिष्ट अपनी वचनबद्धता के अनुसार सभी सुधारों को प्राप्त नहीं किया। इसलिए मंत्रालय अनुमोदित परियोजनओं के लिए ए.सी.ए. की बाद की किस्त जारी करने पर विचार करने में असमर्थ रहा था।

सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है तथा 01.12.2010 को राज्यों/यू.एल.बी. की यू.आई.जी. परियोजनाओं, जहां सुधारों के कार्यान्वयन में उचित प्रगति की गई है, के मामले में केन्द्रीय अंश के 10 प्रतिशत को रोकने के उपरांत ए.सी.ए. की आगे की किस्तों पर विचार करने/जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया है कि परियोजनाओं को पूरा करे तथा सुधारों के पूरा होने पर रुकी हुई राशि को वापस प्राप्त करे।

(ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत की परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा उनके नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य के कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई निर्धारण जो भी हो, में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। भारत सरकार राज्य सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उचित सुधार और उस पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए परियोजना के कार्यान्वयन में कमी यदि कोई हो को राज्य सरकार को सूचित करती है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) संलग्न विवरण-II के ब्यौरों के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवसंरचना और शासन (यू.आई.जी.) उप मिशन के तहत 65 शहरों को शामिल किया गया है। अन्य शहर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के छोटे और मझोले कस्बों के शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के तहत शामिल हैं।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत् वर्ष-वार और राज्य वार आबंटित उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
		वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.)	मिशन अवधि के दौरान पहले अनुमोदित परियोजनाओं के उपभोग हेतु जारी ए.सी.ए. की राशि	ए.सी.ए. वचनबद्धता	मिशन अवधि के दौरान पहले अनुमोदित परियोजनाओं के उपभोग हेतु जारी ए.सी.ए. की राशि	ए.सी.ए. वचनबद्धता	मिशन अवधि के दौरान पहले अनुमोदित परियोजनाओं के उपभोग हेतु जारी ए.सी.ए. की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र	13,935.00	27,385.07	-	15,569.86	6,037.70	32,500.10

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	2,006.94	-	-	-	4,759.16
3.	असम	-	7,112.41	-	3,792.54	-	6,795.91
4.	बिहार	-	7,441.39	-	-	-	-
5.	चंडीगढ़	10,738.80	-	-	734.52	-	-
6.	छत्तीसगढ़	-	12,145.60	-	3,643.68	-	-
7.	दिल्ली	186,904.60	17,248.00	47,520.00	43,509.00	-	6,938.27
8.	गोवा	-	-	-	-	5,987.26	72.45
9.	गुजरात	20,604.09	47,788.21	2,104.84	7,297.21	8,944.52	39,612.00
10.	हरियाणा	-	-	-	5,283.80	-	6,888.13
11.	हिमाचल प्रदेश	3,880.00	2,619.01	-	-	840.50	121.09
12.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	1,828.83	10,032.72
13.	झारखंड	-	5,384.66	1,668.12	417.03	-	6,204.58
14.	कर्णाटक	4,332.00	21,578.53	-	7,659.85	264.00	24,234.18
15.	केरल	1,105.00	2,439.45	-	-	-	6,516.15
16.	मध्य प्रदेश	20,115.70	12,343.27	9,000.00	4,828.66	-	14,280.93
17.	महाराष्ट्र	10,336.86	88,649.86	-	42,004.49	3,829.55	76,471.17
18.	मणिपुर	9,225.12	2,883.37	-	-	-	2,078.42
19.	मेघालय	-	-	-	-	-	7,296.11
20.	मिजोरम	-	756.82	-	-	9,981.32	-
21.	नागालैंड	4,538.19	1,702.81	-	-	3,623.49	1,246.83
22.	ओडिशा	4,500.00	2,491.60	-	-	-	6,999.34
23.	पंजाब	2,289.00	3,346.62	-	-	-	
24.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	2,189.00

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	राजस्थान	-	2,826.10	-	-	-	4,584.94
26.	सिक्किम	6,535.49	1,663.87	-	-	-	1,273.24
27.	तमिलनाडु	9,000.00	37,723.44	4,063.50	2,635.84	-	47,132.47
28.	त्रिपुरा	9,000.00	2,250.00	-	-	-	2,406.51
29.	उत्तर प्रदेश	31,500.00	47,632.21	-	25,479.16	-	65,351.90
30.	उत्तराखंड	4,628.00	7,546.69	3,501.86	981.06	945.82	6,741.55
31.	पश्चिम बंगाल	44,822.75	27,717.88	42,259.61	17,412.81	53,248.03	27,043.89
	कुल	397,990.60	392,683.81	110,117.93	181,249.51	95,531.02	409,771.04

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के तहत शामिल शहरों की सूची

क्रम. सं.	नगर/शहरों का समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाख में)
1	2	3	4
(क)	**महानगर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बैंगलोर	कर्णाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदाबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
(ख)	**मिलियन प्लस शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98

1	2	3	4
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15.	वढ़ोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	16.40
(ग)	**एक मिलियन जनसंख्या से कम के चिह्नित नगर/शहर के समूह (यू.ए.)**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12

1	2	3	4
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरुवनंतपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	आईजोल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	ओडिशा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तराखंड	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	ओडिशा	1.57
20.	अजमेर-पुश्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तराखंड	2.20
22.	मैसूर	कर्णाटक	7.99
23.	पॉण्डीचेरी	पुडुचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरखंड	2.21
28.	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31
29.	पोरबन्दर	गुजरात	1.58
30.	तिरूपति	आन्ध्र प्रदेश	2.28

खाद्य नीति

3167. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अंगीकृत अस्थायी तथा लघु अवधि खाद्य नीति खाद्यान्नों की कीमतों में कमी तथा बढ़ोत्तरी का कारण रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर खाद्यान्नों के निर्यात तथा आयात के बारे में एक दीर्घावधि खाद्य नीति बनाई है/बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है। 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 191.52 लाख टन गेहूं और 333.50 लाख टन चावल उपलब्ध है। रबी और खरीफ विपणन मौसम 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान गेहूं और चावल की रिकार्ड खरीदारी भी हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की खरीदारी निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

विपणन वर्ष	गेहूं	चावल
2009-10	253.82	320.34
2010-11	225.14	341.98
2011-12	283.35	302.29*

*19.04.2012 की स्थिति के अनुसार

देश में गेहूं और चावल के मूल्य स्थिर हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के थोक और खुदरा मूल्य बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) खाद्यान्नों के निर्यात और आयात के बारे में दीर्घकालिक नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन प्राइवेट खाते पर गैर-बासमती चावल और गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी है। शून्य शुल्क पर गेहूं का आयात और शुल्क के साथ चावल का आयात करने की अनुमति भी सरकार द्वारा दी गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत एक वर्ष के दौरान गेहूं का थोक और खुदरा मूल्य

तारीख	गेहूं का मूल्य		चावल का मूल्य	
	थोक (दिल्ली में रु./क्विंटल)	खुदरा (दिल्ली में रु./कि.ग्रा.)	थोक (दिल्ली में रु./क्विंटल)	खुदरा (दिल्ली में रु./कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5
1-1-2011	1320.00	14.00	1975.00	23.00
1-2-2011	1345.00	15.50	1940.00	23.00
1-3-2011	1340.00	15.50	1950.00	23.00
1-4-2011	1240.00	15.50	1950.00	23.00

1	2	3	4	5
1-5-2011	1220.00	15.50	1950.00	23.00
1-6-2011	1190.00	15.00	1965.00	23.00
1-7-2011	1290.00	15.00	1975.00	23.00
1-8-2011	1200.00	15.00	1950.00	23.00
1-9-2011	1180.00	15.00	1975.00	24.00
1-10-2011	1200.00	15.00	1950.00	24.00
1-11-2011	1210.00	15.00	1950.00	24.00
1-12-2011	1245.00	15.00	1950.00	24.00
1-1-2012	1265.00	16.00	1950.00	24.00
1-2-2012	1280.00	16.00	1950.00	24.00
1-3-2012	1280.00	16.00	1950.00	24.00

[हिन्दी]

नक्सल गतिविधियों में मारे गए सुरक्षाकर्मी

3168. **श्री राकेश सिंह:**

श्री नीरज शेखर:

श्री वैजयंत पांडा:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री पी. कुमार:

श्री यशवीर सिंह:

श्री सतपाल महाराज:

श्री माणिकराव होडल्या गावित:

श्री के. जयप्रकाश हेगड़े:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

श्री नित्यानंद प्रधान:

श्री सी. शिवासामी:

श्री बदरूद्दीन अजमल:

श्री के. सुगुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में नक्सलियों द्वारा मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों के परिजनों के लिए घोषित तथा प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा सहित कुछ राज्यों में नक्सलियों द्वारा अपहरण के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) विगत छह माह (01 नवम्बर, 2011 से 15 अप्रैल, 2012 तक) के दौरान देश में सी.पी.आई. (माओवादी) द्वारा 74 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए हैं, जिनमें से 14 महाराष्ट्र में मारे गए हैं।

(ख) कार्रवाई के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस

बल कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 15 लाख रु. का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत नक्सली हमलों के कारण मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिवार को 3 लाख रु. का अनुग्रह भुगतान मंजूर करती है। नक्सलवादी हमलों में मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह के भुगतान के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीतियां हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में, दिनांक 14 मार्च, 2012 को ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगीबाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र से सी.पी.आई. (माओवादी) द्वारा दो स्थानीय युवकों सहित इटली के दो नागरिकों श्री पाओलो बोस्को तथा श्री क्लोडियो कोलंगेलों का अपहरण किया गया था। एक अन्य घटना में ओडिशा के कोरापुट जिले के तोयापुट गांव के पास लक्ष्मीपुर पुलिस थाना क्षेत्र से दिनांक 23-24 मार्च, 2012 की अर्धरात्रि को सी.पी.आई. (माओवादी) तथा चासी मुलिया आदिवासी संघ (एन.एल. गुट, सी.पी.आई. माओवादी का एक फ्रंट) के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री झीना हिकाका, विधान सभा सदस्य, लक्ष्मीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का अपहरण कर लिया गया था।

(ङ) कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण, ऐसे मामलों को सीधे संबंधित राज्य सरकारें देखती हैं। तथापि, जब कभी राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है, भारत सरकार उन्हें सभी संभव सहायता मुहैया करवाती है।

[अनुवाद]

फर्जी राशन कार्ड

3169. **श्री अब्दुल रहमानः**
श्री नीरज शेखरः
श्री हरीश चौधरीः
श्री यशवीर चौधरीः
श्री इज्यराज सिंहः
श्री ए.के.एस. विजयनः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में वी.आई.पी. के नाम पर फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के लाभान्वितों की सूची की समीक्षा करने तथा फर्जी कार्डो को कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करने के लिए एक कुशल व वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली लगाने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है;

(ङ) सभी राज्यों में इस प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) जाली कोर्डो को कम करने के लिए पी.डी.एस. को सुचारू बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) कुछ क्षेत्रों/राज्यों में जाली राशन कार्डो की मौजूदगी सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया है। प्राप्त शिकायतों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। तथापि, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) के नाम पर गरीबी रेखा से नीचे का जाली राशन कार्ड जारी करने का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है। जाली/अपात्र कार्डों को निरस्त करना और पात्र परिवारों को शामिल करना एक सतत् प्रक्रिया है और राज्य सरकारों को इसे आवधिक रूप से करना होता है।

इसके अलवा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करते हुए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/

अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सहित जाली/अपात्र राशन कार्डों को समाप्त करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्डों को रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करें। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए थे कि वे गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक गहन अभियान चलाएं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर जाली राशन कार्ड धारकों को जाली राशन कार्ड वापस करने के लिए चेतावनी जारी करें।

इसके परिणामस्वरूप 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 31.03.2012 तक 248.05 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। जुलाई, 2006 से मार्च, 2012 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निरस्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की राज्य-वार संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जहां तक जाली कार्डों को समाप्त करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लीकेज को कम करने के लिए वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली क्रियान्वित करने का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने के लिए राशन कार्डों का डिजीटीकरण प्राथमिक कदम है ताकि लाभार्थियों की सही पहचान की जा सके जाली/अपात्र राशन कार्डों को समाप्त किया जा सके और लक्षित लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह, दमन और दीव, दिल्ली, कर्णाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने राशन कार्डों के डिजीटीकरण का काम पहले ही पूरा कर दिया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और सरल बनाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें, उचित दर दूकानों पर समय से खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें, विभिन्न स्तरों पर अधिक मॉनिटरिंग और सतर्कता लायें तथा संशोधित नागरिक अधिकार-पत्र अपनाएं और विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करें तथा उचित दर दुकानों की सक्षमता में सुधार करें।

विवरण-I

2010 से 2012 तक (31.03.2012 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के जरिए विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	मार्च, 2012 तक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	-
3.	असम	1	1	-
4.	बिहार	13	6	3
5.	छत्तीसगढ़	5	1	-
6.	दिल्ली	37	16	14

1	2	3	4	5
7.	गोवा	1	-	इ
8.	गुजरात	3	2	2
9.	हरियाणा	24	7	3
10.	हिमाचल प्रदेश	-	4	-
11.	जम्मू और कश्मीर	3	-	2
12.	झारखंड	5	3	3
13.	कर्णाटक	2	1	1
14.	केरल	3	1	-
15.	मध्य प्रदेश	13	9	1
16.	महाराष्ट्र	5	8	3
17.	मणिपुर	-	1	-
18.	मेघालय	-	1	-
19.	नागालैंड	1	-	-
20.	ओडिशा	3	2	
21.	पंजाब	2	-	4
22.	राजस्थान	6	6	-
23.	सिक्किम	2	-	-
24.	तमिलनाडु	2	3	1
25.	उत्तराखंड	1	1	1
26.	उत्तर प्रदेश	33	68	22
27.	पश्चिम बंगाल	2	-	2
28.	चंडीगढ़	2	-	-
29.	पुडुचेरी	-	-	-
	जोड़	174	144	62

विवरण-II

जुलाई, 2006 से राज्य सरकारों/संघ राज्स क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समाप्त किए गए बोग्स/ अपात्र राशन कोर्डो की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

(31.03.2012 को अद्यतन)

क्र.सं..	राज्य	समाप्त किए गए बोगस/अपात्र राशन कोर्डो की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05
3.	असम	0.56
4.	बिहार	1.60
5.	छत्तीसगढ़	5.62
6.	दिल्ली	16.32
7.	गुजरात	8.64
8.	हरियाणा	0.03
9.	हिमाचल प्रदेश	0.03
10.	झारखंड	0.65
11.	कर्णाटक	30.19
12.	केरल	0.00 &&
13.	मध्य प्रदेश	24.97
14.	महाराष्ट्र	54.07
15.	मेघालय	0.00 *
16.	मिजोरम	0.02
17.	ओडिशा	5.07
18.	राजस्थान	0.03
19.	सिक्किम	0.01
20.	तमिलनाडु	3.97
21.	उत्तर प्रदेश	9.04
22.	उत्तराखंड	0.16
23.	पश्चिम बंगाल	59.67 (व्यक्तिगत कार्ड)
24.	चण्डीगढ़	0.08
25.	लक्षद्वीप	0.00$
26.	पुडुचेरी	0.00**
	जोड़	248.05

वास्तविक आंकड़े && 114, *341, $ 300, **16 (नगण्य होने के कारण इन्हें शून्य दर्शाया गया है।)

पुलिसकर्मियों की तैनाती

3170. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

श्री यशवीर सिंह:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.) ने हाल ही में देश में व्यक्तियों तथा वी.आई.पी. सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में आंकड़े जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वी.आई.पी. तथा आम नागरिकों के बीच पुलिस बल की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य वस्तुओं में वायदा कारोबार

3171. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री जोस के. मणि:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गेहूं, दालों तथा तिलहनों सहित उक्त वस्तुओं के वायदा व्यापार का उनके हाजिर मूल्यों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन किया है;

(घ) क्या सरकार का खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए उनके वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा वायदा कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कमोडिटी एक्सचेंजों में व्यापारित खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वस्तु भावी सौदा बाजार के विनियामक वायदा बाजार आयोग ने, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत 'गेहूं, चीनी, दालें और ग्वार में वायदा व्यापार का किसानों पर प्रभाव' नामक एक अध्ययन कार्य वर्ष 2008 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर को सौंपा था। हालांकि, अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना था कि वायदा व्यापार इन वस्तुओं की मुख्य श्रृंखला में प्रमुख पणधारियों की किस प्रकार मदद कर रहा है, यह इन वस्तुओं के मूल्यों पर वायदा व्यापार के प्रभाव को भी दर्शाता है। इस अध्ययन से भावी सौदा व्यापार और मूल्य संचलन के बीच स्पष्ट संपर्क का पता नहीं चला और यह सुझाव दिया गया कि मूल्य परिवर्तनों के मुख्य कारण से इन मूल्य सिद्धांतों में परिवर्तन (मुख्यत: आपूर्ति पक्ष पर) होते हैं। सरकार ने प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता के तहत एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है। अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्लेषित आंकड़ों से भावी व्यापार के कारण स्पॉट मूल्यों के उतार-चढ़ाव में कमी अथवा वृद्धि का कोई स्पष्ट पता नहीं चलता है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार का, किसी ऐसी खाद्य वस्तु के भावी-सौदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं है जिसका वर्तमान फ्यूचर्स एक्सचेंजों में व्यापार किया जा रहा है। जैसाकि उपर्युक्त प्रश्न (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, वायदा व्यापार वस्तुओं में मूल्य वृद्धि में योगदान नहीं देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009-10 (जुलाई, 2010) की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि वायदा व्यापार भारत में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का कारण नहीं था।

(च) वायदा बाजार आयोग वस्तु भावी सौदा बाजार को विनियमित करता है, जो मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक तंत्र है। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तत्वावधान के तहत पांच राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं जिनका ऑन लाइन व्यापार और कम्प्यूटरीकृत निकासी और निपटान तंत्र है जो उच्च स्तर की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, वायदा बाजार आयोग सदस्यों के अनिवार्य पंजीकरण, अपने ग्राहक के मानकों की पहचान और ग्राहकों तथा सदस्यों आदि के पृथक बैंक खातों का भी निर्धारण करता है।

विवरण

वस्तु एक्सचेंजों में व्यापारित खाद्य मदों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1	2
क.	**कृषिजन्य वस्तुएं**
(क)	**खाद्य वस्तुएं**
1.	जौ
2.	चना
3.	आलू

1	2
4.	चीनी
5.	गेंहू
(ख)	**अन्य खाद्य वस्तुएं:**
6.	बादाम
7.	इलायची
8.	लाल मिर्च
9.	कॉफी
10.	कच्चा पाम आयल
11.	गुड़
12.	धनिया
13.	सोयाबीन/बीज
14.	इसबगोल/बीज
15.	रिफाइंड सोया तेल
16.	कच्ची घानी/सरसों का तेल
17.	जीरा
18.	काली मिर्च
19.	हल्दी
20.	नारियल तेल
21.	मूंगफली
22.	सुपारी
23.	यैलो पीज
24.	रेपसीड/सरसों
25.	आर.बी.डी. पामोलीन

भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में कोच

3172. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण में उपलब्ध स्थायी तथा अस्थायी कोच की केन्द्रवार संख्या कितनी है और इनमें कितने कोच नियोजित हैं;

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियुक्त महिला कोचों की केन्द्रवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान नए कोचों की भर्ती की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में 1133 नियमित कोच हैं, जिनमें से महिलाओं कोचों की संख्या 173 है तथा अनुबंध आधार पर 141 कोच हैं जिनमें से महिला कोचों की संख्या 32 है। कोचों का केन्द्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर तथा महिला कोचों का केन्द्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) नियमित आधार पर कोचों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। प्रथम चरण में, प्रविष्टि ग्रेड अर्थात ग्रेड III में 100 कोचों की भर्ती की जानी है।

विवरण-I

भारतीय खेल प्राधिकरण में केन्द्रवार कोचों की संख्या (नियमित और अनुबंधित) का ब्यौरा

साई पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर

क्र. सं.	राज्यों के नाम	नियमित कोच	अनुबंधित कोच	कुल
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	27	01	28
2.	राजस्थान	49	00	49

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	36	03	39
4.	गोवा	10	00	10
5.	दमन और दीव	02	00	02
	कुल	**124**	**04**	**128**
साई उत्तरी केन्द्र, सोनीपत				
1.	हरियाणा	69	07	76
2.	दिल्ली	95	05	100
	कुल	**164**	**12**	**176**
साई पूर्वोत्तर केन्द्र ईम्फाल				
1.	मणिपुर	31	19	50
2.	नागालैंड	02	04	06
	मिजोरम	00	07	07
	कुल	**33**	**30**	**63**
साई पूर्वोत्तर उप केन्द्र, गुवाहाटी				
1.	असम	23	17	40
2.	मेघालय	05	04	09
3.	सिक्किम	03	00	03
4.	अरुणाचल प्रदेश	00	02	02
	कुल	**31**	**23**	**54**
साई उत्तरी केन्द्र, चण्डीगढ़ और एन.आई.एस. पटियाला				
1.	पंजाब	154	14	168
2.	चंडीगढ़	30	00	30
3.	हिमाचल प्रदेश	37	00	37
4.	जम्मू और कश्मीर	19	00	19
	कुल	**240**	**14**	**254**

1	2	3	4	5
साई पूर्वी केन्द्र, कोलकाता				
1.	पश्मिच बंगाल	81	05	86
2.	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	03	01	04
3.	बिहार	21	01	22
4.	झारखंड	18	01	19
5.	ओडिशा	23	04	27
6.	त्रिपुरा	21	00	21
	कुल	**167**	**12**	**179**
साई उप केन्द्र, लखनऊ				
1.	उत्तर प्रदेश	62	09	71
2.	उत्तराखंड	24	03	27
	कुल	**86**	**12**	**98**
साई केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल				
1.	मध्य प्रदेश	43	11	54
2.	छत्तीसगढ़	09	01	10
	कुल	**52**	**12**	**64**
साई दक्षिणी केन्द्र, बंगलुरू				
1.	आन्ध्र प्रदेश	54	05	59
2.	कर्णाटक	76	05	81
3.	तमिलनाडु	36	02	38
4.	केरल	61	10	71
5.	पुडुचेरी	09	00	09
	कुल	**236**	**22**	**258**

विवरण-II

भारतीय खेल प्राधिकरण में केन्द्रवार महिला कोचों की संख्या (नियमित और अनुबंधित) का ब्यौरा

साई पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर

क्र.सं.	राज्य का नाम	नियमित कोच	अनुबंधित कोच	कुल
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	05	00	05
2.	राजस्थान	03	00	03
3.	महाराष्ट्र	05	00	05
4.	गोवा	01	00	01
5.	दमन और दीव	00	00	00
	कुल	**14**	**00**	**14**
साई उत्तरी केन्द्र, सोनीपत				
1.	हरियाणा	07	04	11
2.	दिल्ली	23	01	24
	कुल	**30**	**05**	**35**
साई पूर्वोत्तर केन्द्र, ईम्फाल				
1.	मणिपुर	08	05	13
2.	नागालैंड	00	00	00
3.	मिजोरम	00	01	01
	कुल	**08**	**06**	**14**
साई पूर्वोत्तर उप केन्द्र, गुवाहाटी				
1.	असम	03	04	07
2.	मेघालय	00	01	01
3.	सिक्किम	00	00	00
	कुल	**03**	**05**	**08**
साई उत्तरी केन्द्र, चंडीगढ़ और एन.आई.एस. पटियाला				
1.	पंजाब	27	05	32

1	2	3	4	5
2.	चंडीगढ़	13	00	13
3.	हिमाचल प्रदेश	12	00	12
4.	जम्मू और कश्मीर	04	00	04
	कुल	**56**	**05**	**61**
साई पूर्वी केन्द्र कोलकाता				
1.	पश्चिम बंगाल	11	01	12
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00	00	00
3.	बिहार	02	00	02
4.	झारखंड	03	00	03
5.	ओडिशा	02	01	03
6.	त्रिपुरा	02	00	02
	कुल	**20**	**02**	**22**
साई उप केन्द्र, लखनऊ				
1.	उत्तर प्रदेश	09	03	12
2.	उत्तराखंड	03	00	03
	कुल	**12**	**03**	**15**
साई केन्द्रीय क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल				
1.	मध्य प्रदेश	05	02	07
2.	छत्तीसगढ़	01	01	02
	कुल	**06**	**03**	**09**
साई दक्षिणी केन्द्र, बंगलुरू				
1.	आन्ध्र प्रदेश	05	00	05
2.	कर्णाटक	07	01	08
3.	तमिलनाडु	05	00	05
4.	केरल	06	02	08
5.	पुडुचेरी	01	00	01
	कुल	**24**	**03**	**27**

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

3173. **श्री ओम प्रकाश यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जेड स्तरीय सुरक्षा सहित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या वी.आई.पी. की सुरक्षा के लिए मंजूरी संख्या से अधिक सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें जेड सुरक्षा सहित सुरक्षा प्रदान की गई है और उस पर गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में राज्य-वार कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या जिन लोगों को ऐसी सुरक्षा प्रदान की गई है वे भी व्यय के अंश का वहन करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यय की वसूली सहित व्यय को घटाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) व्यक्तियों को, सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार उनके लिए खतरे की आशंका के आधार पर अथवा उनके द्वारा धारित पदों के संबंध में खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। सुरक्षा निर्धारित अनुदेशों एवं नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान किए गए सुरक्षा कवर के वर्गीकरण के आधार पर सुरक्षा कवर के विशिष्ट घटकों को मुहैया कराने के लिए तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या निर्धारित है। सुरक्षा एजेन्सियों से अथवा राज्य सरकारों से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ऐसी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवर का संबंध है, ऐसी सुरक्षा पर होने वाले व्यय के किसी हिस्से को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है। तथापि, चूंकि सुरक्षा कवर पूर्णरूपेण खतरे के आकलन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और यह आवधिक समीक्षा के अधीन होता है, इसलिए कभी-कभी उन मामलों में, जहां सुरक्षा में कमी की जाती है या वापस ले ली जाती है, वहां व्यय में परिणामी कमी होती है।

[हिन्दी]

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

3174. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:**

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के लघु तथा मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) हेतु आबंटन राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की दूसरी तथा परवर्ती किस्तें जारी कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार 15 यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. परियोजनाओं के लिए 109.01 करोड़ रुपये जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डी.पी.आर. की तैयारी पर 12 नगर निगमों द्वारा खर्च किए गए 2.07 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत स्वीकृत 808 परियोजनाओं के लिए 11373 करोड़ रु. की कुल केंद्रीय वचनबद्धता में से, 465 परियोजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संलग्न विवरण के अनुसार 3014.63 करोड़ रु. की दूसरी और अंतिम किस्त जारी की जा चुकी है।

(घ) से (च) चूंकि स्कीम की मिशन अवधि दिनांक 31-03-2012 को पूर्ण हो चुकी है, अत: यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अंतर्गत तत्पश्चात कोई नवीन परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

विवरण

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी किस्तें

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए दूसरी किस्त जारी की गई है	अब तक जारी दूसरी किस्त की राशि (करोड़ रु.)
आन्ध्र प्रदेश	79	944.1
अरुणाचल प्रदेश	9	17.71
असम	10	28.81
छत्तीसगढ़	4	67.36
गुजरात	47	151.97
हरियाणा	2	29.13
हिमाचल प्रदेश	5	8.08
कर्नाटक	28	211.15
मध्य प्रदेश	13	46.86
महाराष्ट्र	77	739.78
पुडुचेरी	1	15.67
पंजाब	1	19.82
राजस्थान	15	37.52
सिक्किम	5	17.97
तमिलनाडु	98	213.8
त्रिपुरा	3	27.60
उत्तर प्रदेश	55	367.20
पश्चिम बंगाल	13	70.10
कुल	465	3014.63

[अनुवाद]

मानव दुर्व्यापार

3175. **डॉ. अनूप कुमार साहा:**
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री प्रदीप माझी:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री वरुण गांधी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्रीमती मेनका गांधी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंड सहिता में 'बाल शोषण' शब्द को परिभाषित किया गया है ताकि इस अपराध को स्पष्टता प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मानव दुर्व्यापार के मामले में शामिल पाए गए ट्रेवेल एजेंटों के लिए कठोर दांडिक उपबंध अधिनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है सरकार द्वारा उक्त इकाइयों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 में "बाल-शोषण" शब्द को परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। तथापि, भारतीय दण्ड संहिता में अनेक कठोर प्रावधान हैं जो "बाल-शोषण" के अलग-अलग रूपों से निपटने के लिए लागू हैं।

इन धाराओं के लिए अवयस्क शब्द को, पुरुष के मामले में 16 वर्ष तथा महिला के मामले मे 18 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा	339	-	सदोष अवरोध
धारा	340	-	सदोष परिरोध
धारा	360	-	निर्यात हेतु अपहरण
धारा	361	-	विधिसम्मत संरक्षक से अपहरण
धारा	364क	-	फिरौती के लिए अपहरण
धारा	363	-	अपहरण के लिए सजा
धारा	363क	-	भिक्षावृत्ति के लिए अवयस्क का अपहरण अथवा उसे विकलांग बनाना
धारा	366	-	विवाह के लिए मजबूर करने हेतु अपहरण
धारा	366क	-	अवयस्क लड़कियों की खरीद
धारा	367	-	दासता के लिए अपहरण
धारा	372 और 373	-	वैश्यावृत्ति के लिए अवयस्कों की खरीद-फरोख्त

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, स्टेक होल्डरों से व्यापक परामर्श करने के पश्चात, इनबाउण्ड टूर आपरेटर, एडवेंचर टूर आपरेटर, ट्रेवल एजेन्ट, डोमेस्टिक टूर आपरेटर और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर की श्रेणी के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता दिए जाने संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता में समाहित किया जा सके तथा आवेदक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) और (च) जी, हां। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में 115 मानव-दुर्व्यापार-रोधी इकाईयों (ए.एच.टी.यू.) की स्थापना करने के लिए 8.72 करोड़ रुपए की निधियां जारी की हैं। 140 इकाइयों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। 110 और मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए वर्ष 2011-12 में 8.338 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

"पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण मानव-दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम करने तथा उनसे निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार-रोधी नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना करके, गृह मंत्रालय की सहभागिता से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई.जी.एन.ओ.यू.) द्वारा मानव-दुर्व्यापार विषय पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करके और समेकित मानव दुर्व्यापार रोधी-इकाइयों की स्थापना तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण द्वारा विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने संबंधी एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन करके मानव-दुर्व्यापर का मुकाबला करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दुर्व्यापार पीड़ितों सहित कठिन परिस्थितियों में

फंसी महिलाओं के लिए शार्ट-स्टे होम्स, स्वाधार होम्स जैसे आश्रय आधारित गृहों का संचालन करता है।

[हिन्दी]

कृषि सर्वेक्षण

3176. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

श्री खगेन दास:

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में कोई कृषि सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि सुधार प्रक्रिया के भाग के तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण की तर्ज पर अगले वित्तीय वर्ष से वार्षिक कृषि सर्वेक्षण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12 पर एक रिपोर्ट तैयार की है तथा इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को कृषि एवं सहकारिता विभाग की बेवसाइट www.agricoop.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार द्वारा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में पैदावार के अंतर को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो सक्षम आपूर्ति एवं कार्य पद्धति तथा कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ तथा पुर्न-अभिमुखीकृत करके उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उत्पादन सीमा में वृद्धि करने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने वर्षासिंचित क्षेत्रों को लक्षित करने, पूर्वी भारत में राज्यों के विकास पर जोर आदि के साथ मिलाया जा सकता है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव तथा कृषि योग्य भूमि की घटती हुई प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ, भू-उत्पादकता के साथ सामंजस्य स्थापित किए बिना फसलीय तीव्रता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए, गुणवत्ता बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई जैसे आदानों की आसान एवं विश्वस्त पहुंच; विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए प्रद्धत उपयुक्त प्रौद्योगिकी तक पहुंच, सक्षम एवं प्रभावी रूप से बहुसंख्यक छोटी जोतों से आदान को एकत्रित करने तथा उसका विपणन करने के लिए सहायता अंतर्संरचना एवं नवाचार विपणन पद्धतियों की उपस्थिति अपेक्षित है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की घटती हुई हिस्सेदारी के साथ, कृषि पर जनसंख्या के क्रमिक उच्च दबाव तथा भू-जोतों के टुकड़ों में बढ़ोत्तरी जिसके परिणामस्वरूप प्रति परिवार खेती किए गए भू-क्षेत्र की उपलब्धता में कमी हुई है, ग्रामीण घरों की जीविका को बरकरार रखने के लिए केवल कृषि क्षेत्र मुश्किल से अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करने की स्थिति में होगा। अत: इस रिपोर्ट में गैर-फार्म एवं विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन पर जोर दिया गया है। इसमें लोगों के उपयुक्त कौशल विकास की आवश्यकता है ताकि सतत रूप से कृषि को व्यवहार्य बनाने के लिए गैर-कृषि क्रियाकलापों में उन्हें लाभप्रद रूप से तैनात किया जा सके।

(घ) और (ङ) यह तय किया गया है कि प्रति वर्ष, बजट से पूर्व, सरकार भारतीय कृषि की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। कृषि मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में 2011-12 के लिए पहले ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

महिलाओं का पीछा करने के मामले

3177. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

डॉ. मन्दा जगन्नाथ:

श्री राम सुन्दर दास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर पीछा करने के मामलों के दोषसिद्धि की कम दर के मद्देनजर ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पीछा करने के संबंध में कठोर कानूनों के अंगीकरण का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) महिलाओं के विरुद्ध अपराध यथा बलात्कार, छेड़छाड़ तथा पीछा करने की घटनाओं के दोषसिद्धि की मामूली दर के मद्देनजर कठोर कानून लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न संगठनों से प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, महिलाओं का पीछा करने वाले मामलों के केन्द्रीय स्तर पर पृथक रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

"मुम्बई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में मीरन बोरवांकर, महानिरीक्षक, राज्य सी.आई.डी. की संलिप्तता वाले मामले में दिए अपने निर्णय में महिलाओं का पीछा करने-रोधी कानूनों (एन्टी स्टाकिंग लाज) को अंगीकार करने का सुझाव दिया था।"

"बलात्कार कानून की समीक्षा करने संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसने ड्राफ्ट" दण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 तैयार किया है।

"दिल्ली पुलिस ने, संकट में फंसी महिलाओं के लाभार्थ चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर एन्टी स्टाकिंग हेल्पलाइन 1096 आरम्भ की है।"

"राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आयोग ने धारा 375, 376 और 304-ख में संशोधन किए जाने की सिफारिश की है। महिलाओं का पीछा करने को एक अपराध बनाए जाने के लिए आयोग ने एक नई धारा जोड़ने की भी सिफारिश की है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में गिरावट

3178. **श्री राम सुन्दर दास:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्यधिक बाढ़ तथा सूखे के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार अवसरों में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उक्त समस्याओं से निबटने के लिए सरकार ने क्या कार्य-योजना तैयार की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं सहित प्रकृति के उतार-चढ़ाव कृषि को प्रभावित करते हैं जो कृषि उत्पादन में कमी के द्वारा परिलक्षित होता है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के पास राज्य आपदा अभिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध रहती हैं। कुल मिलाकर एस.डी.आर.एफ. से प्रभावित राज्यों (एस) द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा अभिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है। इन निधियों से राहत सहायता प्रदान करने के लिए मदें एवं प्रतिमानक निर्धारित किए गए हैं।

रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आरम्भ किया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अत्यधिक अथवा कम वर्षा स्थिति में आवश्यक आकस्मिकता उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लिए "कृषि आकस्मिकता योजना" तैयार की है।

[अनुवाद]

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3179. **श्री के. सुगुमार:**

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र उच्च जनसंख्या वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन दोनों के कारण दबाव में है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्यान्न उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बढ़ती हुई आबादी के लिए उच्च कृषि उत्पादन की जरूरत होंगी। इसके अलावा, कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव के बारे में भी रिपोर्ट मिली है।

(ख) और (ग) भा.कृ.अ.प. की जलवायु परिवर्तन नैटवर्क परियोजना (एन.पी.सी.सी.) के तहत किए गए भारतीय अध्ययनों से पता लगा है कि जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2020 में समय पर बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की पैदावार में लगभग 6% की कमी आएगी। पछेती और अत्यंत पछेती बुवाई वाले गेहूं में यदि अनुकूलन उपाय नहीं अपनाए गए तो पैदावार में 18% की अनुमानित कमी हो सकती है। इसी प्रकार, इस अध्ययन में 2020 तक चावल की पैदावार में 4-6 प्रतिशत, सिंचित खरीफ मक्का में 18 प्रतिशत तथा बारानी ज्वार में 2.5 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना को हिस्से के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्टेकहोल्डरों सहित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.) पर मिशन दस्तावेज तैयार किया गया और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित किया गया।

[हिन्दी]

कृषि योजनाएं

3180. **श्री गजानन ध. बाबर:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री अधल राव पाटील शिवाजी:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि संबंधी 52 परियोजनाओं को मिलाकर सात प्रमुख योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को तर्कसंगत बनाने के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं की समीक्षा करने तथा उनकी संख्या में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए उनके समेकन हेतु तरीके सुझाने के लिए बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें निष्कर्ष क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में संकेन्द्रित दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के विषय में तथा समस्याओं और बाधाओं के समाधान के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग की विद्यमान स्कीमों की समीक्षा की गई थी, जिसके फलस्वरूप दो विद्यमान मिशन अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा तीन नए मिशन अर्थात् राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन; तिलहन और ऑयल पाम प्रौद्योगिकी मिशन; राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन तथा किसानों की आय सुरक्षा स्कीम योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) की पुनर्संरचना जांचने के लिए श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। अन्य बातों के साथ-साथ, निविष्टियों के आधार पर योजना आयोग किसानों की आय सुरक्षा स्कीम के अलावा तीन नए मिशनों तथा दो विद्यमान मिशनों के लिए सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

महिलाओं में खेलकूद को प्रोत्साहन

3181. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:**

श्री नारनभाई कछाड़िया:

डॉ. सुचारु रंजन हल्दर:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में महिलाओं के बीच खेलकूद को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेलकूद से संबंधित बजट में जेंडर बजटिंग और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से बजट का आवंटन करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी स्कीमों का उद्देश्य खेलों में जन सहभागिता है और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है जो कि महिलाओं पर भी समानरूप से लागू है।

वर्ष 2008-09 से शुरू की गई पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) स्कीम लड़कियों के लिए अधिकाधिक संख्या में खेलों में भाग लेने का बड़ा अवसर प्रदान करती है क्योंकि पायका की यह स्कीम जमीनी स्तर पर संचालित की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य अगले 10 वर्ष के दौरान देश में एक चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में बुनियादी खेल सुविधाओं का सृजन तथा ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी करना है। इसके आलावा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की खेलों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत महिला खिलाड़ियों की आवक संख्या में वृद्धि करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में देशभर में विभिन्न खेलों में साई के विभिन्न केन्द्रों में 4,227 महिला प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सभी तीन वर्गों अर्थात सीनियर, जूनियर और सब सूनियर में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करना अपेक्षित है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रत्येक वर्ग में सीनियरों के लिए 2.00 लाख रु. की दर से एक राष्ट्रीय स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन करने जूनियर चैम्पियनशिप के लिए 4 लाख रु. और सब जूनियर चैम्पियनशिप के लिए 6 लाख रु. की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के रूप में 6 क्षेत्रीय चैम्पियनशिप तक प्रति चैम्पियनशिप एक लाख रु. की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य प्रतिभागियों को मुख्यत: आवास, भोजन और परिवहन उपलब्ध करना है।

इसके अलावा 1975 में शुरू की गई राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप का लक्ष्य महिलाओं के बीच खेलों को सवंर्धित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इसके बाद छोटे स्तर की प्रतियोगिताएं (जिला एवं राज्य स्तर) आयोजित की गई जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई। महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप योजना को अब पंचायत युवा क्रीडा खेल अभियान (पायका) के साथ समेकित कर दिया गया है और निम्निलिखित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

प्रतियोगिता स्तर	निधियन स्तर
जिला स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 10,000/- रु. की दर से 1.20 लाख रु.
राज्य स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 50,000/- रु. की दर से राज्यों के लिए 6 लाख रु.
	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 25,000/- रु. की दर से संघ क्षेत्र के लिए 3 लाख रु.
राष्ट्रीय स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 3.50 लाख रु. की दर से 42 लाख रु.

इस योजना में निम्नलिखित 12 खेल विधा शामिल हैं जिन्हें देश के विभिन्न राज्यों में राज्य खेल परिषद के सहयोग से महिलाओं के लिए खेल समारोह आयोजित करने के लिए चार समूहों में बांटा गया है।

क्र.सं.	समूह 1	समूह 2	समूह 3	समूह 4
1.	बास्केटबाल	हैंडबाल	एथलेटिक्स	खो-खो
2.	हॉकी	हॉकी	बैडमिंटन	कबड्डी
3.	टेनिस	टेनिस	टेबल टेनिस	वालीबाल

(ग) से (ङ) महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से कोई बजट नहीं है क्योंकि मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी स्कीमें एकीकृत स्कीमें है और इसमें महिलाओं के बीच खेलों के संवर्धन पर समान बल दिया गया है। तथापि, सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार लिंग तटस्थ कार्यक्रमों के अतंर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम 30% व्यय सुनिश्चित किया जाता है।

चीनी हेतु ऋण पर ब्याज

3182. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों को चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से दिए गए ऋणों पर ब्याज दर बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम से चीनी उद्योग/चीनी कारखानों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने चीनी उद्योग/चीनी कारखानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) चीनी विकास निधि से चीनी कारखानों की दिए जाने वाले ऋण पर संवितरण की तारीख को प्रचलित बैंक ब्याज दर से 2% कम ब्याज लगता है। प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 13.02.2012 को कारोबार बन्द होने के समय से बैंक दर को 6% से बढ़ाकर 9.5% प्रति वर्ष कर दिया है। तदनुसार, 14.02.2012 को अथवा उसके बाद चीनी विकास निधि से चीनी कारखानों को संवितरित ऋण पर ब्याज दर बढ़कर 7.5% प्रति वर्ष हो गई है।

(ग) और (घ) चीनी विकास निधि से ऋण रियायती ब्याज दर पर अर्थात बैंक दर से 2 प्रतिशत कम पर दिए जाते हैं। बैंक दर बढ़ने के बावजूद चीनी विकास निधि से दिए जाने वाले ऋण अभी भी प्रचलित बाजार ब्याज दर से काफी सस्ते होते हैं।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

3183. **डॉ. थोकचोम मैन्या:**

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में फुटबॉल खिलाड़ियों व अन्य सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाड़ियों के समान प्रोत्साहन और बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और खेल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों और ग्रामीण युवकों के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में विजयी खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की कोई योजना अथवा नीति मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) खिलाड़ियों को नगद पुरस्कारों, विशेषरूप से चिन्हित प्रमुख प्रतियोगिताओं जैसे - एकल/बहुखेल कोन्टीनेन्टल/विश्वस्तरीय चैम्पियनशिपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पेंशन के रूप में प्रोत्साहन सभी खेलविधाओं के लिए एक समान प्रदान किया जाता है।

(ख) खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार की योजना के अंतर्गत विशेष नकद पुरस्कार भी दिये गये हैं। खिलाड़ियों को निम्न तालिका में वर्णित पुरस्कार राशि के अनुसार नकद पुरस्कार दिये गये हैं।

प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कांस्य पदक तृतीय स्थान
(क) सीनीयर्स			
1. ओलम्पिक खेल	50 लाख रुपये	30 लाख रुपये	20 लाख रुपये
2. एशियाई खेल/राष्ट्रीयमंडल खेल	20 लाख रुपये	10 लाख रुपये	
3. ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेल विधा में विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रुपये	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये
एशियाई चैम्पियनशिप/ राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप	3 लाख रुपये	2 लाख रुपये	1 लाख रुपये
(ख) विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)			
1. जूनियर	2 लाख रुपये	1.50 लाख रुपये	1 लाख रुपये
2. सब जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपये
(ग) एशियाई तथा राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)			
1. जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपये
2. सब जूनियर	50 हजार रुपये	40 हजार रुपये	30 हजार रुपये

टीम खेलों में पुरस्कार की धन राशि टीम में खिलाड़ियों की संख्या पर आश्रित/निर्भर करती है। तथापि किसी भी मामले में, पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाली धनराशि व्यक्तिगत पदक विजेता को मिलने वाली धन राशि की आधी से कम नहीं होगी।

प्रशिक्षक को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार की धन राशि खिलाड़ी को मिलने वाली धन राशि की 50% होगी।

साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल तथा पैरालंपिक खेलों की विधाओं में ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैम्पियनशिपों में पदक जीते हो, को सक्रिय खेल जीवन से संन्यास या 30 वर्ष होने पर, जो भी बाद में हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पेंशन की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दरों पर मासिक पेंशन दी जाती है:-

क्र.सं.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन की दर (रुपये प्रति माह)
1	2	3
1.	ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	-10000
2.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	-8000
3.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिपों में रजत तथा कांस्य पदक विजेता	-7000

1	2	3
4.	एशियाई/राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	-7000
5.	एशियाई/राष्ट्रमण्डल खेलों को रजत और कांस्य पदक विजेता	-6000
6.	पैरा-ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	-5000
7.	पैरा-ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	-4000
8.	पैरा-ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	-3000

(ग) छात्रावास विद्यार्थियों और ग्रामीण युवाओं के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग से निधियों का आवंटन नहीं था।

(घ) और (ङ) सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कार्यलयों में वर्ग 'ग' और पूर्व के वर्ग 'घ' के पदों में सीधी भर्ती रिक्तियों में 5% का प्रावधान है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आवंटन

3184. **श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:**
श्री जोस के. मणि:
शेख सैदुल हक:
श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री के. सुगुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की पात्रता/मांग के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार पात्रता/मांग और वास्तविक आवंटन क्या रहा है;

(ग) राज्यों की मांग के अनुरूप उक्त वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन/पात्रता वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या बढ़ने को ध्यान में रखकर राज्यों ने केन्द्र सरकार से उनका कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) उचित दर की दुकान के मालिकों को प्रोत्साहन देने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) जिंसवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्न:- देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों के आधार पर 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की संपूर्ण स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए पिछले उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल, ये आबंटन 15 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं।

आबादी बढ़ने के आधार पर खाद्यान्नों का अधिक आवंटन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ का

राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों पर विचार करते हुए समय-समय पर राज्यों के लिए खाद्यान्नों का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसमें 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों का 123.69 लाख टन का आवंटन शामिल है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के सामान्य और अतिरिक्त/तदर्थ आवंटनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

मिट्टी का तेल: देश में लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस और पाइप वाली प्राकृतिक गैस के ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं और अधिकाधिक लोग स्वच्छ ईंधन अर्थात् घरेलू एल.पी.जी./पी.एन.जी. उपयोग अपनी खाना पकाने की जरूरत के लिए कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल की आवश्यकता घट रही है। 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल से विभिन्न आधारों अर्थात् अपर्याप्त कोटा, राशन कार्डधारकों की संख्या में वृद्धि, जलवायु परिस्थितियां आदि पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने/बहाल करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन आधारों में कोटा बढ़ाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या मैं वृद्धि होना शामिल है। इन अनुरोधों को इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के आवंटन के आंकड़े संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप-समूहों और जम्मू व कश्मीर तथा राष्ट्रीय औसत से कम एलपीजी कवरेज वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अप्रैल से दिसम्बर, 2009 और जनवरी से दिसम्बर, 2010 तक के दौरान संबंधित अवधि के लिए एलपीजी कवरेज में वृद्धि होने के कारण मिट्टी के तेल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोटा कम कर दिया गया था। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 2010-11 की प्रथम 3 तिमाहियों के दौरान भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यपगत कोटा कम कर दिया गया था। 2011-12 के दौरान प्रति व्यक्ति अधिक आबंटन को ध्यान में रखते हुए कोटे में समायोजन भी किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने/बहाल करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के कोटे के आवंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लेवी चीनी : फरवरी, 2001 में केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति को पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप-समूहें, जहां 2001 की जनगणना के आधार पर सर्वसुलभ कवरेज जारी रखने की अनुमति दी गई थी, को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमिति कर दिया है। केन्द्र सरकार सभी राज्यों/संघ्ज्ञ राज्य क्षेत्रों को उनके लिए मासिक आधार पर निर्धारित मासिक कोटे के अनुसार लेवी चीनी का आवंटन कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और मिजोरम की सरकारों ने मासिक लेवी चीनी कोटे को बढ़ाने का अनुरोध किया था। पिछले तीन मौसमों (2008-09 से 2010-11) के दौरान लेवी चीनी के राज्य-वार आवंटन बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरनण-V में दिया गया है। तथापि, राज्य सरकारों के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके लिए चीनी मिलों पर लेवी दायित्व को बढ़ाना अपेक्षित होगा।

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार उचित दर दुकानों को लाइसेंस जारी करने और उनकी मानीटरिंग करने तथा कमीशन आदि के भुगतान के जरिए उचित दर दुकानों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है कि उचित दर दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण करने की मानीटरिंग स्थानीय निकायों/सामुदायिक समूहों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के जरिए की जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों के संचलन का पता लगाने के लिए जीपीएस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, एसएमएस एलर्ट भेजे जाएं, एफपीडीएस की सीसी टीवी मानीटरिंग की जाए, मुफ्त कॉल सेंटरों के जरिए शिकायतों का निपटान किया जाए और वैब आधारित शिकायत पंजीकरण तथा मानीटरिंग प्रणाली लागू की जाए।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 हेतु खाद्यान्नों का आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन		
		2009-10	2010-11	2011-12**
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,884.25	3,676.48	3,738.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.56	101.56	101.56
3.	असम	1,485.97	1,673.13	1,806.76
4.	बिहार	3,437.48	3,543.19	3,650.31
5.	छत्तीसगढ़	1,091.95	1,168.03	1,218.75
6.	दिल्ली	592.55	595.73	597.86
7.	गोवा	46.71	68.75	60.32
8.	गुजरात	1,618.49	1,886.00	2,018.74
9.	हरियाणा	980.47	685.24	732.42
10.	हिमाचल प्रदेश	497.47	508.99	519.15
11.	जम्मू और कश्मीर	756.80	757.10	756.80
12.	झारखंड	1,311.79	1,319.41	1,339.03
13.	कर्नाटक	2,167.49	2,260.48	2.386.65
14.	केरल	1,301.60	1,399.65	1,431.67
15.	मध्य प्रदेश	3,030.87	2,610.45	2,680.74
16.	महाराष्ट्र	4,509.36	4490.41	4,647.11
17.	मणिपुर	117.15	141.84	160.45
18.	मेघालय	147.28	182.93	181.70
19.	मिजोरम	82.91	70.14	70.14
20.	नागालैण्ड	129.55	126.88	126.88
21.	ओडिशा	2,115.85	2,221.79	2,118.91
22.	पंजाब	1,213.92	786.35	814.10
23.	राजस्थान	1,945.46	2,037.13	2,115.14
24.	सिक्किम	44.22	44.25	44.27
25.	तमिलनाडु	3,767.83	3,722.83	3,722.83
26.	त्रिपुरा	302.00	302.62	308.03
27.	उत्तर प्रदेश	7.039.89	6,948.95	7,114.59
28.	उत्तराखंड	436.00	474.12	501.70
29.	पश्चिम बंगाल	3,316.54	3,601.86	3,763.75

1	2	3	4	5
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.96	34.02	34.02
31.	चण्डीगढ़	25.80	31.38	34.98
32.	दादरा और नगर हवेली	8.88	9.92	10.28
33.	दमन और दीव	4.32	4.98	5.43
34.	लक्षद्वीप	4.61	4.62	4.62
35.	पुडुचेरी	53.71	56.11	58.91
	जोड़	47,602.70	47,547.33	48,876.85

** गरीबी की रेखा से ऊपर की श्रेणी हेतु आबंटन में दिनांक 30-06-2012 को किया गया 50.00 लाख टन का अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20-1-2010 को अं.अ.यो./ग.रे.नी./ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन	19-5-2010 को अं.अ.यो./ग.रे.नी./ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन	7-9-2010 और 6-1-2011 को ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन	6-1-2011 को ग.रे.ऊ. के लिए किया गया आबंटन	16-5-2011 को ग.रे.नी. के लिए किया गया आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.420	268.957	511.570	255.220	311.570
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.840	4.114	12.592	3.104	7.592
3.	असम	89.860	196.381	290.794	282.673	220.794
4.	बिहार	237.580	201.943	500.214	116.258	600.214
5.	छत्तीसगढ़	88.220	149.974	143.784	205.047	143.784
6.	दिल्ली	55.640	47.294	31.364	51.509	31.364
7.	गोवा	6.400	5.440	3.680	5.904	3.680
8.	गुजरात	175.140	148.869	162.572	144.063	162.572
9.	हरियाणा	62.960	53.516	60.504	51.205	60.504
10.	हिमाचल प्रदेश	25.140	21.369	39.416	16.128	39.416
11.	जम्मू और कश्मीर	36.040	30.634	56.440	63.139	56.440
12.	झारखंड	87.120	74.052	183.584	42.587	183.584
13.	कर्नाटक	188.740	160.429	239.946	136.922	239.946

1	2	3	4	5	6	7
14.	केरल	122.200	153.870	125.653	179.893	119.168
15.	मध्य प्रदेश	194.060	164.951	516.324	121.077	316.324
16.	महाराष्ट्र	354.540	301.359	501.060	242.956	501.060
17.	मणिपुर	8.140	6.919	17.730	5.231	12.730
18.	मेघालय	8.980	7.633	19.034	5.773	14.033
19.	मिजोरम	3.340	5.678	10.214	18.149	10.214
20.	नागालैण्ड	6.040	10.268	14.510	13.864	19.510
21.	ओडिशा	135.820	115.447	252.906	75.819	252.906
22.	पंजाब	79.520	67.592	35.888	276.145	35.888
23.	राजस्थान	177.340	301.478	236.420	239.700	186.420
24.	सिक्किम	2.100	2.285	4.498	1.646	10.778
25.	तमिलनाडु	277.640	235.994	372.918	195.767	377.918
26.	त्रिपुरा	14.440	12.274	22.622	9.269	22.622
27.	उत्तर प्रदेश	522.830	444.406	818.880	335.641	818.880
28.	उत्तराखंड	24.380	20.723	38.188	165.650	38.188
29.	पश्चिम बंगाल	290.460	246.891	397.152	202.822	397.152
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.620	1.377	2.146	1.150	2.146
31.	चण्डीगढ़	4.060	3.451	1.764	3.907	1.764
32.	दादरा और नगर हवेली	0.720	0.612	1.382	0.391	1.382
33.	दमन और दीव	0.510	0.000	0.268	0.478	0.268
34.	लक्षद्वीप	0.220	0.187	0.230	0.174	0.230
35.	पुडुचेरी	4.480	3.808	6.442	3.039	10.711
	जोड़	3607.540	3470.175	5632.689	3472.300	5211.752

(1) इसमें कुछेक राज्यों को 30.66 लाख टन के समग्र आबंटन के भीतर मई, 2010 में किया गया पुनः आबंटन शामिल है।

(2) इसमें कुछेक राज्यों को 25.00 लाख टन के समग्र आबंटन के भीतर जनवरी, 2011 में किया गया पुनः आबंटन शामिल है।

(3) इसमें कुछेक राज्यों को 50 लाख टन के समग्र आबंटन के भीतर मई, 2011 में किया गया पुनः आबंटन शामिल है।

विवरण-III

वाधवा समिति की सिफारिशों के अनुसार 27 राज्यों के 174 जिलों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य	ग.रे.नी. के आबंटन	अं.अ.यो. के लिए आबंटन	कुल आबंटन ग.रे.नी.+ अं.अ.यो.
1.	आन्ध्र प्रदेश	71.869	44.928	116.797
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.454	0.283	0.737
3.	असम	9.458	5.882	15.340
4.	बिहार	437.307	159.204	596.511
5.	छत्तीसगढ़	98.523	33.429	131.952
6.	गुजरात	31.754	19.748	51.502
7.	हरियाणा	7.459	2.280	9.739
8.	हिमाचल प्रदेश	10.457	1.080	11.537
9.	जम्मू और कश्मीर	9.705	2.052	11.757
10.	झारखंड	92.355	39.874	132.229
11.	कर्नाटक	19.357	12.038	31.395
12.	केरल	3.648	1.420	5.068
13.	मध्य प्रदेश	203.514	74.530	278.044
14.	महाराष्ट्र	65.240	40.572	105.812
15.	मणिपुर	0.864	0.351	1.215
16.	मेघालय	1.060	0.659	1.719
17.	मिजोरम	0.098	0.061	0.159
18.	नागालैण्ड	0.194	0.121	0.315
19.	ओडिशा	88.744	55.189	143.933
20.	पंजाब	1.134	0.705	1.839
21.	राजस्थान	70.762	28.292	99.054
22.	सिक्किम	0.241	0.023	0.264
23.	तमिलनाडु	25.247	15.701	40.948
24.	त्रिपुरा	1.811	0.923	2.734
25.	उत्तर प्रदेश	195.281	121.443	316.724
26.	उत्तराखंड	2.109	0.493	2.602
27.	पश्चिम बंगाल	159.884	99.431	259.315
	जोड़	1608.529	760.712	2369.241

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल का आबंटन

(मात्रा टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5640	5640	5659	5816
2.	आन्ध्र प्रदेश	413080	463658	517102	517158
3.	अरुणाचल प्रदेश	9049	9133	9170	9257
4.	असम	257360	257725	257893	258007
5.	बिहार	638381	641837	643786	647430
6.	चण्डीगढ़	5706	7135	7181	9999
7.	छत्तीसगढ़	145214	145504	145822	146938
8.	दादरा और नगर हवेली	1933	2363	2785	2782
9.	दमन और दीव	1569	1812	2073	2118
10.	दिल्ली	47767	108093	135235	160935
11.	गोवा	15390	17650	19209	19212
12.	गुजरात	524190	716386	742668	743759
13.	हरियाणा	122381	134344	144830	145619
14.	हिमाचल प्रदेश	25270	31331	45466	49409
15.	जम्मू और कश्मीर*	73994	73994	75326	76044
16.	झारखण्ड	210332	210780	210964	211175
17.	कर्नाटक	419879	437986	461340	461478
18.	केरल	153404	175172	216310	216308
19.	लक्षद्वीप	794	794	795	795
20.	मध्य प्रदेश	487480	487480	487845	488609

1	2	3	4	5	6
21.	महाराष्ट्र	979620	1217258	1276588	1276876
22.	मणिपुर	19723	19723	19743	19907
23.	मेघालय	20283	20339	20359	20401
24.	मिजोरम	6098	6163	6181	6217
25.	नागालैण्ड	13307	13307	13318	13312
26.	ओडिशा	312019	313728	314334	314977
27.	पुडुचेरी	8125	12243	12249	12257
28.	पंजाब	212106	222098	234700	237192
29.	राजस्थान	397980	398167	398431	398913
30.	सिक्किम	5127	5136	5566	5582
31.	तमिलनाडु	429068	493111	558428	558929
32.	त्रिपुरा	30556	30584	30740	30832
33.	उत्तर प्रदेश	1239455	1240286	1240789	1241772
34.	उत्तराखंड	83673	86428	89845	89849
35.	पश्चिम बंगाल	750761	751275	751536	752103
	जोड़	8066713	8758660	9104266	9151967

टिप्पणी: जम्मू-कश्मीर को किए गए आबंटन में लद्दाख क्षेत्र को वार्षिक आधार पर आबंटित 3600 टन (4626 कि.ली.) मात्रा शामिल है। 2011-12 से लक्षद्वीप को किया गया आबंटन पूरे वर्ष के लिए है।

विवरण-V

चीनी मौसम 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित राज्यवार लेवी चीनी

(मात्रा हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09* (वार्षिक उत्सव और विशेष उत्सव कोटा सहित)	2009-10* (वार्षिक उत्सव कोटा सहित)	2010-11* (वार्षिक उत्सव कोटा सहित)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	132.48	124.37	124.37
2.	अरुणाचल प्रदेश #	11.29	10.29	10.27

1	2	3	4	5
3.	असम #	233.26	224.38	224.52
4.	बिहार	97.58	165	251.07
5.	छत्तीसगढ़	59.92	55.26	56.28
6.	दिल्ली	37.76	37.16	37.16
7.	गोवा	2.48	1.58	1.58
8.	गुजरात	79.66	75.44	75.98
9.	हरियाणा	33.64	32.08	32.06
10.	हिमाचल प्रदेश	59.62	57.07	57.08
11.	जम्मू और कश्मीर #	91.57	88.04	87.80
12.	झारखण्ड	4.9	84.87	86.27
13.	कर्नाटक	115.89	109.66	109.70
14.	केरल	53.02	52.92	52.92
15.	मध्य प्रदेश	161.13	155.8	155.83
16.	महाराष्ट्र	189.45	176.37	176.43
17.	मणिपुर #	22.73	21.88	21.93
18.	मेघालय #	21.76	20.96	20.96
19.	मिजोरम #	8.65	8.35	8.24
20.	नागालैण्ड #	15.14	14.64	14.64
21.	ओडिशा	111.42	108.52	108.58
22.	पंजाब	21.7	20.87	20.86
23.	राजस्थान	99.3	94.54	94.61
24.	सिक्किम	4.91	4.7	4.76
25.	तमिलनाडु	146.44	140.14	133.37
26.	त्रिपुरा #	34.38	32.88	32.86

1	2	3	4	5
27.	उत्तर प्रदेश	433.35	412.2	412.48
28.	उत्तराखंड	75.78	73.38	73.49
29.	पश्चिम बंगाल	188.43	178.58	178.84
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह #	4.74	4.77	4.74
31.	चण्डीगढ़	0.93	0.91	0.88
32.	दादरा और नगर हवेली	0.63	0.6	0.6
33.	दमन और दीव	0.13	0.12	0.12
34.	लक्षद्वीप #	1.34	1.32	1.34
35.	पुडुचेरी	2.32	2.12	2.08
	जोड़	2557.73	2591.77	2674.70

*चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर होता है।

#ये लेवी चीनी के आबंटन एवं उठान हेतु भारतीय खाद्य निगम प्रचालित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं।

दालों का मूल्य

3185. **श्री अर्जुन राय:**

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दालों का उत्पादन, मांग और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दालों की कमी और आयातित दालों के अधिक मूल्य से घरेलू बाजार में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) दालों के उत्पादन उनकी मांग और आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12 (अप्रैल से मार्च) के दौरान, चने को छोड़कर, दालों की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर अत्यधिक ऋणात्मक रही है। दालों की विभिन्न किस्मों (दाल रूप में) के खुदरा मूल्यों की उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 49 चुने गए केंद्रों पर की गई मॉनीटरिंग से भी यही प्रवृत्ति दिखाई दी है।

दालों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दालों के उत्पादन, मांग और आयात के ब्यौरे

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	मांग @	आयात
1	2	3	4
2008-09	14.57	17.51	2.48

1	2	3	4
2009-10	14.66	18.29	3.51
2010-11	18.24	19.08	2.69
2011-12	17.28*	18.84	2.66$

आंकड़ों का स्रोत: कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार एवं डी.जी.सी.आई.एस.

*दूसरे अग्रिम अनुमान

$अप्रैल से जनवरी, 2011-12

@ चूंकि भारत में दालों की मांग के संबंध में, विशेष रूप से कोई वास्तविक शासकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अत: यहां संसूचित किए गए आंकड़े अनुमानित/प्रक्षेपित मांग के हैं, जैसा कि ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल की प्रासंगिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

विवरण-II

दालों के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) दालों के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य करना

(ii) दालों (काबुली चना और जैविक दलहन को छोड़कर जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) दालों के मामले में स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।

(iv) वायदा बाजार आयोग द्वारा उड़द और तूर के भावी व्यापार को स्थगित कर दिया गया है।

(v) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ आयातित दालों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की स्कीम को बढ़ाना।

सब्जी क्लस्टरों की स्थापना

3186. डॉ. संजय सिंह:

श्री इज्यराज सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों और फलों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जी क्लस्टरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली से किसानों को किस तरह से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) राज्य-वार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे क्लस्टरों की आज की तारीख तक स्थापना की गई है या स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान समय में कार्यरत ऐसे क्लस्टरों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार ने सब्जी उत्पादन और अभिज्ञात शहरों में इसके विपणन से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तत्वाधान में वर्ष 2011-12 के दौरान शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक शहर या लगभग एक मिलियन की आबादी वाले किसी अन्य शहर को कवर करने की परिकल्पना है। स्कीम के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वेक्षण, किसान हित समूहों (एफ.पी.ओ.) में किसानों को लामबंद करने, सब्जी बीज उत्पादन, खेती और खुदरा स्तर तक सब्जी के विपणन से शुरू करते हुए सब्जी के सभी पहलुओं को कवर किया जाता है।

(ग) और (घ) अभिज्ञात मेट्रो शहरों के राज्य-वार ब्यौरे और उनमें गठित कार्यात्मक एफ.आई.जी. समूहों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अभिज्ञात मेट्रो शहर और गठित कार्यात्मक एफ.आई.जी. समूह

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात शहर	गठित एफ.आई.जी. समूहों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	34
3.	असम	गुवाहाटी	300
4.	बिहार	पटना	203
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	260
6.	दिल्ली	दिल्ली	175
7.	गोवा	पणजी	90
8.	गुजरात	अहमदाबाद	98
9.	हरियाणा	गुड़गांव	260
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	72
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और श्रीनगर	105
12.	झारखण्ड	रांची	375
13.	कर्नाटक	बैंगलोर	46
14.	केरल	तिरुवनन्तपुरम्	1624
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	207
16.	महाराष्ट्र	मुम्बई	367
17.	मणिपुर	इम्फाल	84
18.	मेघालय	शिलांग	107
19.	मिजोरम	आइजोल	55
20.	नागालैण्ड	कोहिमा	97
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर	300
22.	पंजाब	लुधियाना	249

1	2	3	4
23.	राजस्थान	जयपुर	303
24.	सिक्किम	गंगटोक	72
25.	तमिलनाडु	चैन्नई	40
26.	त्रिपुरा	अगरतला	85
27.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	118
28.	उत्तराखण्ड	देहरादून	354
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	389

कृषि को बढ़ावा देने की योजना

3187. **श्री नारायण सिंह अमलाबे:**

श्रीमती जे. शांता:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए चालू विभिन्न योजनाओं के बावजूद 30 प्रतिशत से ज्यादा किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम रहा है;

(घ) क्या सरकार का ऐसी योजनाओं को और उपयोगी बनाने के लिए उनमें सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) वर्तमान में देश में लगभग 21.8% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करती है (मिश्रित संदर्भ अवधि)। योजना आयोग द्वारा कृषि स्कीमों की वार्षिक समीक्षा के अनुसार, कृषि वृद्धि दर पिछली अवधि की तुलना में त्वरित हुई है। विभाग द्वारा स्कीमों के कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन या समीक्षा की जाती है जिसके लिए समीक्षा बैठकें की जाती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे किए जाते हैं, तथा राज्य सरकारों के साथ वार्षिक रबी एवं खरीफ सम्मेलन और वीडियो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। प्रतिपुष्टि के आधार पर समुचित कार्रवाईयां की जाती हैं। स्कीमों के निष्पादन ने, 2011-12 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, खाद्यान्नों का 250.42 मिलियन टन, चावल का 102.75 मिलियन टन, गेहूं का 88.31 मिलियन टन, दलहन का 17.28 मिलियन टन तथा तिलहन का 30.53 मिलियन टन, कपास की 34.09 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की) तथा गन्ने का 347.87 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हासिल करने के लिए सरकार की मदद की है।

[अनुवाद]

स्मारकों की स्थिति की समीक्षा

3188. **श्री समीर भुजबल:**

श्री संजय धोत्रे:

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

श्री निशिकांत दुबे:

श्री अशोक तंवर:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा पूरे देश में स्मारकों की स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की गई समीक्षा का क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महत्वपूर्ण स्थलों को पुनरूद्धार और विकास करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों सहित मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्मारक/स्थल-वार पूरे देश में संरक्षित स्मारकों और स्थलों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 3677 स्मारकों/स्थलों की स्थिति की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। विशेष प्रकार की संरचनात्मक मरम्मत आरम्भ करने के लिए कई स्मारकों की पहचान की जाती है। तदनुसार संरक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है और इसके लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। शेष स्थलों/स्मारकों के अविरत परिरक्षण के लिए घास-फूस हटाने, रख-रखाव करने, पैबंद पलस्तर, टीपकारी, जलरोध बनाने, चिनाई जैसे लघु मरम्मत कार्यों सहित नेमी रख-रखाव भी किया जाता है। इस प्रकार की समीक्षाओं के प्ररिणाम स्वरूप, गत तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव पर किए गए व्यय और चालू वर्ष के लिए आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर प्रवेश शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत स्मारकों के संरक्षण के लिए वर्ष-वार व्यय और चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आबंटन

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2009-2010	व्यय 2010-2011	व्यय 2011-2012	आबंटन 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	738.00	758.00	544.49	525.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1371.00	1706.99	1208.00	900.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	590.00	315.00	310.70	305.00
4.	महाराष्ट्र	मुबंई मंडल	500.00	389.99	359.00	350.00
5.	कर्णाटक	बंगलौर मंडल	1200.00	1245.95	1041.00	900.00
6.	कर्णाटक	धारवाड़ मंडल	619.46	981.88	943.98	855.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	674.33	654.87	607.90	655.00
8.	ओड़िशा	भुवनेश्वर मंडल	276.49	261.36	289.98	345.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	435.23	504.59	433.08	430.00
10.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	चेन्नई मंडल	460.50	530.00	530.00	525.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	694.46	687.04	529.99	525.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	70.87	89.80	62.81	80.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1747.00	1849.84	927.39	975.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	120.61	110.00	110.00	110.00
15.	सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	135.08	144.64	213.32	140.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	275.55	350.00	445.49	500.00
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	610.00	664.86	640.00	625.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	314.99	364.99	383.96	325.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	338.44	283.29	270.00	260.00
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	300.01	337.01	85.00	85.00
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	459.98	509.93	301.50	290.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	130.52	147.18	574.97	500.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	332.00	341.00	139.99	155.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	64.75	64.98	303.58	290.00
25.	लघु मंडल लेह			52.15	62.58	60.00
		रसायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	655.45	507.46	556.39	535.00
		बागवानी कार्यकलाप (अखिल भारतीय)	2185.71	1796.70	1514.78	1565.00
		महानिदेशक का कार्यालय, भा.पु.स.				*1325.00
		कुल		15300.43	13389.88	14135.00

*महानिदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास आरक्षित धनराशि अभी मंडल-वार/शाखा-वार वितरित की जानी है।

विवरण-II

राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारकों का नाम/विवरण	सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न स्मारक और संग्रहालय प्रस्तावित हैं।	स्मारकों और संग्रहालयों के विरासत संरक्षण के लिए कार्य योजना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है।
2.	बिहार	गोल घर, पटना	निक्षेप कार्य स्कीम के अंतर्गत संरक्षण कार्य आरम्भ किया गया है।
3.	जम्मू और कश्मीर	13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत निम्नलिखित विरासत स्मारकों के संरक्षण और विकास के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं। 1. राजा अमर सिंह महल 2. डोगरा कला संग्रहालय, बड़ी ड्योढ़ी, राजसी न्यायालय और गडरी खाना 3. राजाराम सिंह की रानीयों का महल	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है।
4.	झारखंड	1. पलामू किला, बेतला, लातेहर 2. मंदिर समूह, मालूती, शिकारीपाड़ा दुमका 3. मंदिर के खंडहर, हराडीह, रांची 4. टांगीनाथ मंदिर, दिमान, गुमला 5. डोमबन पहाड़ी, डोमबन, खूंटी 6. शाहपुर किला, शाहपुर, दालतोंगंज	इन राज्य-संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और विकास निक्षेप कार्य स्कीम की श्रेणी के अधीन है।
5.	कर्णाटक	13वें वित्त आयोग के अंतर्गत मैसूर प्रभाग बंगलौर, बेलगांव प्रभाग, गुलबर्गा प्रभाग और विरासत कस्बों और शहरों में स्मारकों और इमारतों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच और सिफारिश की गई है।
6.	मिजोरम	13वें वित्त आयोग विशेष अनुदान के अंतर्गत विरासत स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है।

1	2	3	4
7.	मध्य प्रदेश	13वें वित्त आयोग विशेष अनुदान के अंतर्गत, निम्नलिखित विरासत सर्किटों पर स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए एक प्रस्ताव: (i) ओरछा-ग्वालियर सर्किट (ii) भोपाल सर्किट (iii) बुरहानपुर-इंदौर सर्किट (iv) विंध्य सर्किट, जबलपुर	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है।
8.	नागालैंड	नागालैंड के फेक जिले में खेझाकेनू में विरासत स्थल के विकास और रख-रखाव के लिए प्रस्ताव	यह प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है।
9.	पंजाब	(i) भटिंडा किला, भटिंडा	यह कार्य पंजाब विरासत और पर्यटन संवर्धन बोर्ड से प्राप्त वित्तीय सहायता से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चण्डीगढ़ मंडल द्वारा शुरू किया गया है।
		1. आम खास बाग, सरहिन्द 2. किला अंदरून बागिची घर, पटियाला 3. नारनौल में पीर तुर्कमान की मस्जिद और मकबरा	निदेशक, संस्कृतिक मामले एवं पुरातत्व, पंजाब सरकार ने निक्षेप कार्य स्कीम के अंतर्गत स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास निधियां जमा कराई हैं।
		13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न विरासत स्मारकों के संरक्षण और विकास के लिए प्रस्ताव	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच और सिफारिश की गई है।
10.	तमिलनाडु	13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण और पुनरूद्धार के लिए एक प्रस्ताव	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है।
11.	उत्तर प्रदेश	1. श्रीकृष्ण तिकोरू की बारादरी, बिठूर, कानपुर 2. शिव मंदिर, बिठूर, कानपुर 3. शिवाजी महल, बिठूर, कानपुर	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र, आगरा-मथुरा क्षेत्र,	प्रस्ताव की जांच और सिफारिश की गई है।

1	2	3	4
		बुन्देलखंड क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, तथा अयोध्या-फैजाबाद क्षेत्र, में विरासत स्मारकों के संरक्षण और पुनरूद्धार के लिए प्रस्ताव	
12.	पश्चिम बंगाल	13वें वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न विरासत स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और पुनरूद्धार के लिए एक प्रस्ताव	उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (जनवरी 2012 तक) के दौरान केन्द्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों पर प्रवेश शुल्क से अर्जित राजस्व का ब्यौरा

क्र. सं.	स्मारक का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल, 11 से जनवरी, 12)
1	2	3	4	5	6
आगरा मण्डल					
1.	ताजमहल, आगरा	143649810	171764850	198130470	166292600
2.	आगरा किला, आगरा	90539840	110228510	105768160	68108930
3.	फतेहपुर सीकरी	43840730	47854660	57540130	47580180
4.	अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा	5441275	5543490	14334540	6601255
5.	मरियम का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा	62960	71800	127205	109880
6.	इतिमद-उद-दौला, आगरा	3890735	4702380	6397835	5546385
7.	रामबाग, आगरा	171555	155220	131805	397295
8.	मेहताब बाग, आगरा	563510	842210	1784540	1974825
	योग	**288160415**	**341163120**	**384214685**	**296611350**
औरंगाबाद मण्डल					
9.	अजन्ता गुफाएं	9143300	10422980	10884050	8916770
10.	एलोरा गुफाएं	9296120	15980830	19925070	17693410
11.	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद	6223510	6723005	6950970	6438490
12.	दौलताबाद किला, औरंगाबाद	2809410	2992505	3771100	3463490

1	2	3	4	5	6
13.	पाण्डुलेणा गुफाएं	592620	694005	783360	878820
14.	औरंगाबाद गुफाएं, औरंगाबाद	325205	399325	431540	373975
	योग	**28390165**	**37212650**	**42746090**	**37764955**
बंगलौर मण्डल					
15.	विश्व विरासत स्थल, हम्पी	12114070	12421560	13463950	10669867
16.	दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना	5916040	6264925	7068130	6169579
17.	केशव मंदिर, सोमनाथपुर	1725385	2019845	1904420	3431423
18.	टीपू सुल्तान, बंगलौर	868420	890985	1313440	1170907
19.	चित्रदुर्ग किला, चित्रदुर्ग	1153303	1333895	1645955	1662055
20.	बेल्लारी किला, बेल्लारी	59635	34175	34625	31320
	योग	**21836853**	**22965385**	**25430520**	**23135151**
भोपाल मण्डल					
21.	बौद्ध गुफाएं, बाघ	119660	121260	109970	72365
22.	किले में महल, बुरहानपुर	295005	358345	262630	232880
23.	भोजशाला और कमल मौला की मस्जिद, धार	14028	15215	14384	10069
24.	होशंगशाह का मकबरा, मांडू	829615	990640	1043490	906385
25.	शाही महल, मांडू	1300740	1535365	1584030	1401870
26.	रूपमती मण्डप, मांडू	1297975	1561390	1708790	1453010
27.	पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो	20279210	22700110	25899180	20600990
28.	बौद्ध स्मारक, सांची	2863020	3389530	3750620	2844940
29.	ग्वालियर किला, ग्वालियर	2378420	2408335	2598615	2203975
	योग	**29377673**	**33080190**	**36971709**	**29726484**

1	2	3	4	5	6
भुवनेश्वर मण्डल					
30.	सूर्य मंदिर, कोर्णाक	17439600	20798670	24672700	19711590
31.	उदयगिरी एवं खण्डगिरी स्थल, भुवनेश्वर	1904955	2233745	2702255	2057000
32.	राजारानी मंदिर, भुवनेश्वर	254765	329165	336680	276460
33.	रत्नागिरी स्मारक, भुवनेश्वर	141115	184935	183105	133850
34.	बौद्ध अवशेष ललितगिरी स्मारक	68345	89380	99985	104800
	योग	**19808780**	**23635895**	**27994725**	**22283700**
चेन्नई मण्डल					
35.	स्मारक समूहे, मामल्लपुरम	23951830	26305510	25880120	22166690
36.	किला, तिरूमयम	275760	403420	416915	245120
37.	जिंजी किला, जिंजी	1167040	1163355	1247225	1013720
38.	पहाड़ी पर किला, डिण्डीगुल	208670	204930	172420	162175
39.	मूवरकोइल, कोटम्बलूर, पुदुकोट्टई	2700	4400	8480	14155
40.	शैलकृत जैन मंदिर, सितन्नावसल	94000	94425	108950	161855
41.	उत्कीर्णन सहित प्राकृतिक कंदराएं, इलादिपट्टम, सितन्नावसल	65270	80450	70470	139385
	योग	**25765270**	**28256490**	**27904580**	**23903100**
चंड़ीगढ़ मण्डल					
42.	शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर	432110	612615	455645	442255
43.	सूरजकुण्ड, फरीदाबाद	92860	159670	174315	115815
	योग	**524970**	**772285**	**629960**	**558070**
धारवाड़ मण्डल					
44..	दुर्गा मंदिर परिसर, ऐहोले	886785	1398975	1512950	1346670

1	2	3	4	5	6
45.	जैन एवं वैष्णव गुफाएं, बादामी	1400705	2562715	3638620	2410410
46.	स्मारक समूह (विवि), पट्टढकल	2249480	3972640	4398672	3362099
47.	गोल-गुम्बज, बीजापुर	3388490	5069210	5460160	4860250
48.	इब्राहिम रोजा, बीजापुर	680520	1045715	1188335	1219780
49.	मंदिर और मूर्तिशाला, लाक्कुंडी	42385	89555	66240	2085069
	योग	**8648365**	**14138810**	**16264977**	**15284278**
दिल्ली मंण्डल					
50.	जन्तर मंतर, दिल्ली	2267345	2566285	3025495	3197115
51.	खान-ए-खाना, दिल्ली	52975	50990	65725	82948
52.	पुराना किला, दिल्ली	3968435	3486710	3763285	4008150
53.	सुल्तानगढ़ मकबरा, दिल्ली	2070	2875	1650	1300
54.	तुगलकाबाद किला, दिल्ली	222970	252225	292755	293085
55.	कोटला फिरोजशाह, दिल्ली	326385	317400	291860	390630
56.	सफदरजंग मकबरा, दिल्ली	894240	722295	1016990	837805
57.	लालकिला, दिल्ली	46156170	55563070	59087850	54227495
58.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	51488500	55214360	65846900	54955570
59.	कुतुब मीनार, दिल्ली	78873070	89276120	100531280	91349480
	योग	**184252160**	**207452330**	**233923790**	**209343578**
गुवाहाटी मण्डल					
60.	अहोम राजा का महल, गढ़गांव, जिला शिव सागर	163595	200865	243780	215630
61.	अहोम राजा का करेंघर, शिव सागर	581020	691835	945880	722690
62.	रंगघर मंडप, जयसागर	225000	342445	378495	288620

1	2	3	4	5	6
63.	विष्णुदोल, जयसागर	32085	51045	78465	58390
64.	चार मैदाम समूह, चराईदेव, जिला शिव सागर	112110	171815	192520	16687
	योग	**1113810**	**1458005**	**1839140**	**1452200**
हैदराबाद मण्डल					
65.	चारमीनार, हैदराबाद	6183080	10608325	7855085	7275255
66.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	234	1576700	9186730	7928385
67.	बौद्ध स्तूप और अवशेष, अमरावती	79395	118525	111010	89665
68.	नागार्जुनकोंडा स्थित प्राचीन अवशेष	453460	494560	786780	631225
69.	शैलकृत हिन्दू मंदिर, उंदावली	127075	238125	288110	336965
70.	बौद्ध स्मारक, गुंटूपल्ली	81800	103335	112125	94270
71.	किला, वारंगल	330615	1636745	557595	490160
72.	किला, चन्द्रगिरी	305765	451230	74000	455235
	योग	**7561424**	**15227545**	**18971435**	**17301160**
जयपुर मण्डल					
73.	चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़	3510295	3765955	4246880	3735743
74.	कुम्भलगढ़ किला, जिला राजसमंद	2123800	2468070	2596130	2160057
75.	डीग महल, डीग, जिला भरतपुर	261625	267930	333090	232350
	योग	**5895720**	**6501955**	**7176100**	**6128150**
कोलकाता मण्डल					
76.	कूचबिहार महल, कूचबिहार	1399145	1859835	1779985	1657950
77.	हजारद्वारी महल, मुर्शीदाबाद	2681155	3070050	6139185	5919280
78.	विष्णुपुर मंदिर समूह, विष्णुपुर	520665	480835	453865	398645
	योग	**4600965**	**5410720**	**8373035**	**7975875**

1	2	3	4	5	6
लखनऊ मण्डल					
79.	सहेट श्रीवस्ती	826910	591195	1130960	1031135
80.	झांसी किला, झांसी	704515	745620	990015	1316770
81.	रानी महल, झांसी	47430	38240	69490	93235
82.	रेजीडेंसी, लखनऊ	848905	825670	1179395	1320515
	योग	**2427760**	**2200725**	**3369860**	**3761655**
मुम्बई मण्डल					
83.	एलेफेंटा गुफाएं	7781060	8545780	8938340	6282420
84.	कन्हेरी गुफाएं	923315	758920	1237450	1166990
85.	शनिवारवाड़ा	2439405	2411335	3466175	3731230
86.	आगाखां महल	1193520	1181780	1411360	1213060
87.	लेनयाद्री गुफाएं	1645815	1545280	2040450	1630840
88.	करला गुफाएं	479655	850325	1360810	1082815
89.	भाजा गुफाएं	181335	217510	346460	283015
90.	रायगढ़ किला	730700	946615	930890	783560
91.	कोलाबा किला	259855	321170	278220	240875
92.	शोलापुर किला	159365	125600	90440	66805
	योग	**15794025**	**16904315**	**20100595**	**16481610**
पटना मण्डल					
93.	पाटलीपुत्र के अवशेष, कुम्रहार	464160	523565	509450	429270
94.	वैशाली का प्राचीन स्थल, कोल्हुआ	1058255	1195615	1051190	1042200
95.	नालन्दा स्थित उत्खनित अवशेष	2843115	3433115	4068400	3709610
96.	विक्रमशिला के अवशेष, अंतिचक	141005	181680	250035	1107125
97.	शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम	680250	782905	917225	886975

1	2	3	4	5	6
98.	पुराना किला (शाही किला), जौनपुर	530910	6629950	686205	729675
99.	लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर	32765	65885	87035	78805
100.	मनसिंह (मान महल) वैधशाला, वाराणसी	33015	37885	69550	66020
101.	सारनाथ स्थित उत्खनित अवशेष	6362065	7267015	6687480	7064770
	योग	**12145540**	**20117615**	**14326570**	**15114450**
रायपुर मण्डल					
102.	लक्ष्मण मंदिर	170975	222380	182990	126610
	योग	**170975**	**222380**	**182990**	**126610**
शिमला मण्डल					
103.	कांगड़ा किला, कांगड़ा	398160	411695	485095	547125
104.	शैलकृत मंदिर, मसरूर	106755	124630	166825	169170
	योग	**504915**	**536325**	**651920**	**716295**
श्रीनगर मण्डल					
105.	रामनगर स्थित महल परिसर, जिला उधमपुर	10670	12350	13985	14240
106.	किरमची स्थित मंदिर, समूह, जिला उधमपुर	5250	7355	12250	11930
107.	अवन्तिस्वामी मंदिर, अवन्तिपुर, जिला पुलवामा	32800	43840	41305	92685
108.	लेह स्थित प्राचीन महल, जिला लेह	254580	433375	524000	
	योग	**303300**	**496920**	**591540**	**118855**
त्रिशूर मण्डल					
109.	बेकल किला, पल्लिकरे जिला केसरगौड	982180	762475	1238725	1371523
110.	मत्तनचेरी महल संग्रहालय, कोच्चि, जिला एर्णाकुलम	572834	427424	1759585	1442495
	योग	**1555014**	**1189899**	**2998310**	**2814018**

1	2	3	4	5	6
वडोदरा मण्डल					
111.	जामी मस्जिद चम्पानेर-पावागढ़ शहर की मस्जिद, चम्पानेर पावागढ़	582275	934815	1298720	1188680
112.	सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा	1198925	1274685	1392895	1539825
113.	रानी-की-वाव, पाटन	1319630	1297925	1412585	1394355
114.	अशोक के शिलालेख, जूनागढ़	254375	287490	233395	188000
115.	बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़	327272	359245	322855	284390
116.	बाबा प्यारा गुफाएं, जूनागढ़ एवं खपरा खोड़िया गुफाएं, जूनागढ़	855	1915	2550	5010
117.	पुरातत्वीय संग्रहालय, लोथल	36815	59495	44475	188435
	योग	**3683332**	**4156075**	**4663000**	**4788695**
	कुल योग	662521431	783099634	879325531	735390239

[हिन्दी]

भगदड़ की घटनाएं

3189. **श्री रतन सिंह:**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भगदड़ की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और लिंग-वार ऐसे भगदड़ों में मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार पीड़ित परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भीड़ प्रबंधन और रिक्तिकरण प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकारों को जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे निर्देशों/मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान भगदड़ की घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

स्थान	दिनांक	राज्य/संघ राज्य	व्यक्तियों की संख्या*	
			मारे गए	घायल हुए
1	2	3	4	5
कनकदुर्गा मंदिर, विजयवाड़ा	03-01-2008	आन्ध्र प्रदेश	06	

1	2	3	4	5
माता जानकी मंदिर, करीला	26-03-2008	मध्य प्रदेश	08	11
जगन्नाथ मंदिर, पुरी	04-07-2008	ओडिशा	06	03
नैनादेवी मंदिर, बिलासपुर	03-08-2008	हिमाचल प्रदेश	147	150
चामुंडा देवी मंदिर, जोधपुर	30-09-2008	राजस्थान	215	100
लेव्वा पटेल सांस्कृतिक भवन, राजकोट	20-12-2009	गुजरात	09	50
जेट्टी घाट, *फाकडीप, दक्षिण 24 परगना	14-01-2010	पश्चिम बंगाल	07	16
प्रतापगढ़	04-03-2010	उत्तर प्रदेश	63	28
हरिद्वार कुम्भ	14-04-2010	उत्तराखंड	05	14
जगन्नाथ मंदिर	13-07-2010	ओडिशा	01	02
पुल्लुमेडू इडुक्की जिला	14-01-2011	केरल	102	71
चेहल्लुम जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)	14-01-2012	मध्य प्रदेश	12	04

*प्रत्येक मामले में महिला/पुरुषवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि ऐसे अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था के प्रबंधनों की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य सरकार की है, इसलिए राज्य सरकार इस संबंध में जांच-पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त, यह ऐसी घटनाओं में प्रभावित हुए व्यक्तियों/परिवारों को चिकित्सीय सहायता तथा अन्य आवश्यक राहत भी प्रदान करती है।

(च) और (छ) एक विस्तृत सलाहकारी पत्र दिनांक 01-10-2008 को समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया था जिसमें उन्हें ऐसे जमावड़ों का प्रबंधन करने तथा उपायों को सुझाने की आवश्यकता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराया गया था, जैसे कि एक विशेष समय में मंदिर/परिसरों में जाने के लिए व्यक्तियों की प्रबंधन योग्य संख्या को अनुमति; प्रत्येक प्रवेश/निकास द्वार पर उपयुक्त पहुंच नियंत्रण प्रक्रिया प्रणाली; इत्यादि, जिससे कि भविष्य में भगदड़ की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके बाद, सुरक्षा एजेन्सियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर समय-समय पर सलाहकारी पत्र जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मेगा खाद्य पार्कों के लिए प्रस्ताव

3190. **श्री भक्त चरण दास:**

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास अनेक ऐसे प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अब तक अनुमोदित ऐसे प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) योजना स्कीम कार्यान्वयन के तृतीय चरण में 15 मेगा खाद्य पार्कों को स्थापित करने के लिए दिनांक 21.11.2011 की ई.ओ.आई. सूचना के प्रत्युत्तर में विभिन्न राज्यों से 63 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िशा राज्यों समेत संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर पहले ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

(घ) प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों का कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पी.एम.ए.) द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा साथ ही स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु तारीखों को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ङ) 15 अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या (राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	गोवा	1
4.	मिजोरम	1
5.	सिक्किम	2
6.	बिहार	4
7.	दिल्ली	2
8.	गुजरात	6
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	कर्नाटक	1
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	ओडिशा	1
13.	पुडुचेरी	1
14.	पंजाब	2
15.	पश्चिम बंगाल	3
16.	महाराष्ट्र	10
17.	उत्तराखंड	1
18.	उत्तर प्रदेश	1
19.	छत्तीसगढ़	3
20.	हरियाणा	4
21.	केरल	1
22.	जम्मू और कश्मीर	4
23.	राजस्थान	2
	कुल	63

विवरण-II

15 चालू मेगा खाद्य पार्कों के परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख	अंतिम अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित अनुदान की राशि	जारी किए गए अनुदान की राशि	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चीनी फूड पार्क प्रा. लि. आन्ध्र प्रदेश	126.54	16-12-2008	27-03-2009	50.00	45.00	83.51

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	95.08	16-12-2008	27-03-2009	50.00	30.00	65.55
3.	नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड, असम	75.98	16-12-2008	27-03-2009	50.00	28.50	19.04
4.	झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड, झारखंड	113.95	16-12-2008	27-03-2009	50.00	5.00	7.24
5.	तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु	133.45	16-12-2008	16-03-2010	50.00	5.00	7.57
6.	जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	111.04	16-12-2008	16-03-2010	50.00	15.00	22.58
7.	मैसर्स इंटेग्रेटिड फूड पार्क प्रा. लिमिटेड कोलार, कर्णाटक	144.33	03-08-2010	27-03-2011	50.00	5.00	19.18
8.	मैसर्स इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्टस (इंडिया) लि. फिरोजपुर, पंजाब	153.40	03-08-2010	25-05-2011	50.00	15.00	10.50
9.	मैसर्स आदित्य बिरला नूवो लि. सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	168.65	24-09-2010	डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी गई है और उसका मूल्यांकन किया गया है। कुछ टिप्पणियों का अनुपालन करने हेतु एस.पी.वी. को 30.04.2012 तक का समय दिया गया है।			
10.	मैसर्स पैथव मेगा फूड पार्क लि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र	120.76	05-04-2011	"सैद्धांतिक अनुमोदन" 05.04.2011 को दिया गया। डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी गई है। जिसकी संवीक्षा की जा रही है।			
11.	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि. भागलपुर बिहार	153.30	29-04-2011	30-11-2011	50.00	5.00	-
12.	मैसर्स सिकारिया इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि., अगरतला, त्रिपुरा	85.25	29-04-2011	30-11-2011	50.00	5.00	-
13.	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा. लि. वडोदरा, गुजरात	179.37	29-04-2011	13-01-2012	50.00	5.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मैसर्स एम.आई.टी.एस. मेगा फूड पार्क लि., रायगढ़, ओडिशा	116.77	29-04-2011	16-04-2012	50.00	-	-
15.	मैसर्स मध्य प्रदेश मेगा फुड पार्क लि.	161.75	10-10-2011	"सैद्धांतिक अनुमोदन" 10.10.2011 को दिया गया है। डी.पी.आर. 10.04.2012 को प्रस्तुत कर दी है जिसका मूल्यांकन किया किया जा रहा है।			

एन.डी.एम.सी. द्वारा सब-वे का निर्माण

3191. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगर पालिका (एन.डी.एम.सी.) द्वारा कनाट प्लेस में सब-वे की योजना पर कितना व्यय होना है;

(ख) क्या ऐसे सब-वे की उपयोगिता का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे कार्यों को पूरा होने में विलंब का मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) ने सूचित किया है कि चार नये सब-वे पर लगभग 12 करोड़ रुपये और विद्यमान पांच सब-वे के नवीकरण पर लगभग 7.5 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है।

(ख) जी हां।

(ग) एन.डी.एम.सी. ने सूचित किया है कि पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा 1992 में कनाट प्लेस में मास्टर प्लान का अध्ययन किया गया अच्छा था। अध्ययन के पश्चात, मैसर्स राइट्स ने कनाट प्लेस के बाहरी सर्किल में सभी चौराहों पर पैदल पथ सब-वे बनाने का सुझाव दिया है।

(घ) जैसा कि एन.डी.एम.सी. ने सूचना दी है, इन कार्यों को पूर्ण करने में हुए विलंब के निम्न कारण हैं, (i) दिल्ली यातायात पुलिस से सीमित रूप में मिली अनुमति, (ii) कार्य करने के स्थान की आंशिक उपलब्धता, (iii) बड़ी मात्रा में सेवा उपयोगिताओं को दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति और (iv) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के दौरान कार्य का बंद होना।

(ङ) एन.डी.एम.सी. ने यह भी सूचित किया है कि कार्य 31.12.2012 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

प्रसार भारती

3192. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती को पूरी तरह स्वायत्त संस्था बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यह किस हद तक प्रसार भारती के कार्यकरण में सुधार लाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह का गठन किया था। मंत्री-समूह ने प्रसार भारती के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक, जनशक्ति व कर्मचारी संबंधी मुद्दों की जांच की थी तथा अनेक सिफारिशें की थीं जिनमें अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

* प्रसार भारती में सेवारत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में मुद्दों का निस्तारण करने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 11 में संशोधन करना।
* जनशक्ति के अभाव की समस्या का हल निकालने के लिए प्रसार भारती में अनिवार्य श्रेणी के 3452 पदों को भरा जाना चाहिए।

* सरकार द्वारा प्रसार भारती को वर्ष 2011-12 से 2016-16 तक के अगले पांच वर्षों के दौरान वेतन एवं वेतन संबंधी व्यय तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के आवर्धन/प्रतिस्थापन पर होने वाले शत-प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए योजनेतर निधियों में से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। प्रचालन व्यय की अन्य सभी मदों को प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक राजस्व में से वहन किया जाएगा।

* दिनांक 31.03.2011 तक प्रसार भारती के अंतरिक्ष खंड एवं स्पेक्ट्रम प्रभारों के संबंध में संचित बकाया राशि का परित्याग किया जाना चाहिए।

* प्रसार भारती को आय कर का भुगतान करने से छूट देने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की उसके मूल रूप में बहाली।

* सरकार द्वारा प्रसार भारती को प्रदत्त ऋण को सहायता-अनुदान में परिवर्तित किया जाए।

* प्रसार भारती के प्रदत्त ऋणों पर उपार्जित ब्याज का परित्याग किया जाए।

* प्रसार भारती के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में व्यापक रूप से संशोधन किया जाए।

(ग) प्रसार भारती में कर्मचारियों के स्तर के संबंध में मंत्री-समूह की सिफारिशों को प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 में संशोधन करके कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय ने वित्तीय पुनर्संरचना तथा अनिवार्य श्रेणी के पदों को भरने के संबंध में मंत्री-समूह की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया है और उस पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है।

(घ) उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप प्रसार भारती वित्तीय रूप से व्यवहार्य व संपोषणीय संगठन बन सकेगा।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी हिन्दुओं का ज्यादा समय तक रुकना

3193. **श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में दुर्व्यवहार होने के कारण अनेक पाकिस्तानी हिन्दू परिवार वीजा अवधि की समाप्ति के बाद भी देश में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनसे किसी प्रकार का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसे परिवारों को भारतीय नागरिकता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक, मुख्यतः हिन्दू एवं सिख, जो सामूहिक तीर्थयात्री वीजा पर भारत आए थे, पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान वापस नहीं गए हैं। ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के वीजा के विस्तार की अनुमति प्रदान करने और उन्हें दीर्घकालीन वीजा (एल.टी.वी.) हेतु आवेदन करने की अनुमति देने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) विदेशी राष्ट्रिकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत में बिताए गए वर्षों की संख्या अथवा किसी भारतीय राष्ट्रिक के साथ शादी, विदेशी के भारतीय मूल का होने, इत्यादि जैसे अन्य पहलुओं के आधार पर, धारा 5(1) (क) से (छ), पंजीकरण द्वारा नागरिकता की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।

[हिन्दी]

जाली पासपोर्ट

3194. **श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली पासपोर्ट बनाने के मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान आप्रवासन ब्यूरो में पकड़े गए जालसाजी/जाली पासपोर्टों के मामलों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	जालसाजी/जाली पासपोर्टों के मामलों की संख्या
2009	154
2010	320
2011	220

जालसाजी/जाली पासपोर्टों के पकड़े गए सभी मामलों की सूचना आप्रवासन जांच चौकी के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली स्थानीय पुलिस को दी जाती है और स्थानीय पुलिस द्वारा कानून की संगत धारा के तहत दाण्डिक मामले दर्ज किए जाते हैं और इसकी जांच-पड़ताल की जाती है।

(ग) सरकार द्वारा लोगों को जाली/फर्जी दस्तावेजों पर यात्रा करने से रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) यात्रा दस्तावेजों की विशिष्टिताओं की जांच करने के लिए सभी आप्रवासन जांच चौकियों (आई.सी.पी.) में अल्ट्रा-वायलेट लैम्पों, मैग्नीफाइंग ग्लासों का प्रयोग और मिलान के लिए यात्रा दस्तावेज की नमूना प्रतियां;

(ii) यात्रा दस्तावेजों में की जाने वाली अत्याधुनिक जालसाजी पकड़ने के लिए प्रमुख आप्रवासन जांच चौकियों में पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पी.आर.एम.) और क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेन्ट इग्जामिनर (क्यू.डी.एक्स.) मशीनें लगाना;

(iii) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आई.सी.एस.) सॉफ्टवेयर स्थापित करना जो छद्म व्यक्तिकरण को रोकने के लिए यात्रियों के पासपोर्ट का सत्यापन करता है;

(iv) आप्रवासन जांच चौकियों में आप्रवासन काउन्टरों पर कार्यरत आप्रवासन अधिकारियों को जाली/फर्जी दस्तावेजों को पकड़ने के संबंध में नियमित आधार पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

बालकों से दुर्व्यवहार

3195. **श्री नवीन जिन्दल**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बालकों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, राज्य-वार ब्यौरा दें;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृति के पीछे के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) देश में बालकों से दुर्व्यवहार की विभिन्न घटनाओं की सूचना मिली है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बच्चों के साथ बलात्कार तथा प्रदर्शन एवं परित्याग के अन्तर्गत समेकित की गई वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसीलिए अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण से अत्यधिक सरोकार रखती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न योजनाओं एवं सलाहकारी पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

गृह मंत्रालय ने हाल में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को लापता बच्चों पर एक सलाहकारी पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों की तस्करी को रोकने तथा पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई है। इनमें रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी.एन.ए., प्रोफाइलिंग, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों की भागीदारी, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, इत्यादि शामिल हैं, जिससे लापता बच्चों का पता लगाने में सुविधा हो।

समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए दिनांक 14 जुलाई, 2010 के पृथक विस्तृत सलाहकारी पत्र में उन्हें सलाह दी गई है कि विद्यालयों/संस्थाओं, छात्रों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक वाहन, चिल्ड्रेन पार्कों/खेल के

मैदानों, आवासीय परिसरों/सड़कों इत्यादि पर सुरक्षा की परिस्थितियों को सुधारने के लिए समस्त कदम सुनिश्चित करें। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया जाए और छात्रों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र को स्थापित करें। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:-

i. बीट कांस्टेबलों की संख्या को बढ़ाएं।

ii. विशेषकर दूरवर्ती एवं एकान्त स्थलों में, पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या को बढ़ाएं।

iii. विशेषकर रात्रिकाल के दौरान पुलिस गश्त को बढ़ाएं।

iv. उपयुक्त संख्या में अपराध-बहुल क्षेत्रों में पुलिस अवसंरचना के साथ पूर्णतः सज्जित पुलिस अधिकारियों विशेषकर महिला अधिकारियों को तैनात करें।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार के अंतर्गत किए गए कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले, (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.) आरोप-पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009					
		सी .आर.	सी. एस.	सी. वी.	पी.ए. आर.	पी.सी. एस.	पी.सी. वी.	सी. आर.	सी. एस.	सी. वी.	पी.ए. आर.	पी.सी. एस.	पी.सी. वी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	412	396	33	484	485	48	416	344	25	492	426	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	7	0	9	7	0	16	16	0	15	16	0
3.	असम	27	11	1	14	19	1	10	7	1	11	17	1
4.	बिहार	91	92	5	96	109	5	63	67	3	66	75	8
5.	छत्तीसगढ़	411	401	71	436	434	87	394	396	96	431	426	87
6.	गोवा	18	15	5	33	15	5	30	18	6	38	33	6
7.	गुजरात	99	90	8	141	144	25	91	88	4	118	114	5
8.	हरियाणा	70	72	23	110	109	30	116	107	32	115	116	57
9.	हिमाचल प्रदेश	68	47	11	65	51	13	83	80	11	90	83	12
10.	जम्मू और कश्मीर	5	3	2	3	3	2	4	6	0	6	6	0
11.	झारखंड	8	11	1	11	15	1	8	8	3	23	11	14
12.	कर्णाटक	97	87	10	127	104	8	104	105	7	135	141	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	215	168	12	259	242	14	235	243	16	315	305	19
14.	मध्य प्रदेश	892	877	209	1109	1104	254	1071	1040	223	1331	1324	304
15.	महाराष्ट्र	690	624	35	905	826	37	612	617	44	797	819	49
16.	मणिपुर	22	0	0	1	0	0	12	1	0	6	0	0
17.	मेघालय	34	24	0	32	28	0	60	22	0	48	25	0
18.	मिजोरम	18	18	0	18	18	0	11	9	0	11	9	0
19.	नागालैंड	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	65	57	18	68	62	18	87	78	3	88	90	3
21.	पंजाब	106	90	35	130	105	39	210	135	47	259	207	56
22.	राजस्थान	420	324	47	362	361	46	371	279	60	318	316	44
23.	सिक्किम	12	7	3	12	7	3	14	18	2	14	20	2
24.	तमिलनाडु	187	134	49	176	149	44	182	182	10	199	193	16
25.	त्रिपुरा	104	83	10	97	72	5	83	51	11	52	38	1
26.	उत्तर प्रदेश	900	681	272	1179	934	386	625	506	242	817	724	369
27.	उत्तराखंड	9	10	6	12	15	11	7	6	5	5	7	17
28.	पश्चिम बंगाल	129	70	2	129	73	5	109	44	3	68	61	6
	कुल राज्य	**5120**	**4399**	**868**	**6021**	**5491**	**1087**	**5024**	**4473**	**854**	**5868**	**5602**	**1117**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	2	0	10	2	0	12	10	1	28	21	1
30.	चंडीगढ़	10	5	4	12	13	5	21	8	5	20	9	7
31.	दादरा और नागर हवेली	3	3	0	4	3	0	2	3	1	3	4	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	301	292	72	312	359	84	307	263	80	387	385	104
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	4	2	1	4	2	1	1	5	3	1	4	6
	कुल संघ शासित	**326**	**304**	**77**	**342**	**379**	**90**	**344**	**290**	**90**	**440**	**424**	**119**
कुल अखिल भारत		5446	4703	945	6363	5870	1177	5368	4763	944	6308	6026	1236

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	446	453	25	559	564	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	15	0	14	13	0
3.	असम	39	19	1	24	13	4
4.	बिहार	114	75	5	112	98	2
5.	छत्तीसगढ़	382	361	103	426	430	89
6.	गोवा	23	33	2	35	51	2
7.	गुजरात	102	100	5	137	141	6
8.	हरियाणा	107	93	24	121	117	27
9.	हिमाचल प्रदेश	72	76	8	107	115	11
10.	जम्मू और कश्मीर	8	5	0	5	5	0
11.	झारखंड	0	4	0	0	15	0
12.	कर्णाटक	108	98	14	104	112	9
13.	केरल	208	276	18	240	323	18
14.	मध्य प्रदेश	1182	1168	228	1410	1390	291
15.	महाराष्ट्र	747	614	40	936	873	55
16.	मणिपुर	11	1	0	6	1	0
17.	मेघालय	91	36	2	64	47	1
18.	मिजोरम	42	39	20	42	39	30
19.	नागालैंड	3	2	1	3	2	1
20.	ओडिशा	74	80	7	91	92	7
21.	पंजाब	144	124	47	184	167	59
22.	राजस्थान	369	219	46	277	282	63
23.	सिक्किम	14	39	0	11	39	0
24.	तमिलनाडु	203	177	30	208	188	31

1	2	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	107	95	12	93	96	10
26.	उत्तर प्रदेश	451	390	266	678	598	404
27.	उत्तराखंड	10	10	8	11	11	30
28.	पश्चिम बंगाल	73	57	4	94	69	5
	कुल राज्य	**5142**	**4659**	**916**	**5992**	**5891**	**1185**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	8	0	23	8	0
30.	चंडीगढ़	16	21	6	27	26	8
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	2	1	1	2
32.	दमन एवं द्वीव	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	304	277	92	349	419	172
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	1	5	2	1
	कुल संघ शासित	**342**	**312**	**101**	**406**	**457**	**183**
	कुल अखिल भारत	5484	4971	1017	6398	6348	1368

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों के मामलों में पूर्व लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों का प्रदर्शन एवं परित्याग के अंतर्गत किए गए कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009					
		सी. आर.	सी. एस.	सी. वी.	पी.ए. आर.	पी.सी. एस.	पी.सी. वी.	सी. आर.	सी. एस.	सी. वी.	पी.ए. आर.	पी.सी. एस.	पी.सी. वी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	49	11	0	24	22	0	77	12	0	30	20	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	3	1	0	1	2	0	3	1	2	2	2	0
6.	गोवा	2	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	156	15	0	16	15	0	129	16	0	14	15	0
8.	हरियाणा	13	2	1	1	1	4	20	2	1	2	2	1
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	3
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्णाटक	31	0	0	0	0	0	21	1	0	1	1	0
13.	केरल	6	2	1	3	8	1	7	2	0	5	2	0
14.	मध्य प्रदेश	99	5	0	15	15	0	103	10	1	15	15	2
15.	महाराष्ट्र	274	35	3	75	54	3	274	28	1	46	39	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	8	1	0	1	1	0	15	3	1	6	3	1
22.	राजस्थान	158	11	1	13	13	1	153	6	1	9	9	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	19	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**826**	**90**	**7**	**,160**	**135**	**10**	**816**	**81**	**8**	**130**	**108**	**12**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	11	0	1	0	0	3	9	1	0	10	4	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	25	1	1	2	1	2	28	2	0	1	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0
कुल संघ शासित		**38**	**2**	**3**	**3**	**2**	**6**	**41**	**3**	**0**	**11**	**6**	**0**
कुल अखिल भारत		864	92	10	163	137	16	857	84	8	141	114	12

क्र.सं.	राज्य	2010					
		सी.आर.	सी.एस.	सी.वी.	पी.ए.आर.	पी.सी.एस.	पी.सी.वी.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	55	11	13	6	16	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	6	3	1	1	1	3
6.	गोवा	4	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	121	13	0	15	15	0

1	2	15	16	17	18	19	20
8.	हरियाणा	24	1	0	0	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्णाटक	30	3	0	1	1	0
13.	केरल	9	4	0	5	5	0
14.	मध्य प्रदेश	93	7	3	9	9	5
15.	महाराष्ट्र	198	23	3	51	53	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	11	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	119	2	3	2	2	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**674**	**67**	**23**	**90**	**103**	**26**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	6	1	0	6	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	45	1	0	1	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	**51**	**2**	**0**	**7**	**2**	**0**
	कुल अखिल भारत	725	69	23	97	105	26

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

पूर्वी नागालैंड के लिए अलग राज्य

3196. **श्री सी.एम. चांग:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी नागालैंड के लिए अलग राज्य की मांग से संबंधित ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स आरगेनाइजेशन, तेनसांग, नागालैंड और नागालैंड सरकार द्वारा क्रमश: दिनांक 25.11.2010 तथा 27.07.2011 को प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्रों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स आर्गनाईजेशन (ई.एन.पी.ओ.) ने प्रधानमंत्री को लिखे गए दिनांक 25.11.2010 के अपने ज्ञापन में नागालैंड के चार पूर्वी जिलों, जिनमें मोन, तेनसांग, लोंगलेंग और किफायर शामिल हैं, में विकास की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और यह मांग की थी कि इन जिलों को शामिल करते हुए विशेष दर्जे और प्रावधानों के साथ एक अलग राज्य बनाया जाए। ई.एन.पी.ओ. की मांगों और शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने नागालैंड के चार पूर्वी जिलों में विकास की कमी को स्वीकार किया है।

चूंकि अलग राज्य की मांग इस अवधारणा से उत्पन्न हुई है कि नागालैंड के चार पूर्वी जिलों में विकास की पर्याप्त कमी है, इसलिए राज्य सरकार को नागलैंड के चार पूर्वी जिलों में विकास संबंधी पहलों को तेज करने का परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल, जयपुर के लिए निधियां

3197. **श्री राम सिंह कास्वां:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है/दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार का विचार भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से इक्विटी और अनुषंगी ऋण के रूप में 630 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 3,149 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 12.067 कि.मी. लम्बे जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज-I (कोरीडोर-II) का कार्यान्वयन करने का है।

(ग) यद्यपि इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं दिया गया है फिर भी शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

टी.वी. चैनलों पर नियंत्रण

3198. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रचालित/कार्यरत समाचार और मनोरंजन टी.वी. चैनलों की संख्या अलग-अलग क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान श्रेणी-वार ऐसे नये चैनलों के प्रचालन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा मंजूर किये गए/अभी तक लम्बित अनुरोधों की संख्या कितनी है;

(ख) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रसारण क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सरकार का विचार टी.वी. चैनलों की बढ़ती संख्या को विनियमित/नियंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने टी.वी. चैनलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए मानक/दिशानिर्देश बनाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) दिनांक 10.04.2012 तक की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत दूरदर्शन के 35 चैनलों सहित 441 समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों तथा 427 गैर-समाचार व समसामयिक विषयक सैटेलाइट टी.वी. चैनलों की अनुमति प्रदान की गई है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमति प्रदत्त/उसके पास लंबित श्रेणी-वार अनुरोधों की संख्या के साथ नए समाचार व समसामयिक विषयक तथा गैर-सामाचार व समसामयिक विषयक टी.वी. चैनलों को प्रचालित करने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में सरकार को प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या संलग्न विवरण में दी है।

(ख) चूंकि प्राइवेट सैटेलाइट टी.वी. चैनलों के लिए आवश्यक अंतर-मंत्रालयीय अनापत्तियां प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमोदन दिया जा सकता है, इसलिए लंबित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। तथापि, सभी अनापत्तियां प्राप्त होने के पश्चात 4 माह के भीतर अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

(ग) से (च) प्रसारण क्षेत्र में अधिक संख्या में चैनलों की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुए टी.वी. चैनलों की बढ़ रही संख्या को विनियमित/विनियंत्रित करने की जरूरत के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक पत्र भेजा गया था। ट्राई ने सिफारिश की है कि उपग्रह आधारित टी.वी. चैनलों की संख्या पर कोई उच्च सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि टी.वी. प्रसारण के लिए बड़ी संख्या में भारतीय व विदेशी दोनों प्रकार के ट्रांसपोडर उपलब्ध हैं। तथापि, उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग का डाउनलिंकिंग से संबंधित मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया था जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 अक्तूबर, 2011 को हुई उसकी बैठक में अनुमोदित किया गया। इन दिशानिर्देशों को 5 दिसंबर, 2011 को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर अपलोड किया गया था।

विवरण

वर्ष 2008 से दिनांक 10.04.2012 तक निजी सैटेलाइट टी.वी. चैनलों की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और संबंधित स्थिति

विवरण	श्रेणी	2008	2009	2010	2011	2012 (10 अपैल तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राप्त आवेदन	समाचार	88	55	150	116	6	415
	गैर-समाचार	91	49	151	109	2	402
	कुल	**179**	**104**	**301**	**225**	**8**	**817**

1	2	3	4	5	6	7	8
दी गई अनुमति	समाचार	50	43	90	25	4	212
	गैर-समाचार	86	44	87	24	9	250
	कुल	**136**	**87**	**177**	**49**	**13**	**462**
जांचाधीन	समाचार	38	12	52	95	6	203
	गैर समाचार	05	05	63	77	2	152
	कुल	**43**	**17**	**115**	**162**	**8**	**355**

मत्स्यन के प्रति विमुखता

3199. **श्री संजय दिना पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में अनेक मछुआरे मत्स्यन के लिए समुद्र में जाने के प्रति विमुखता दर्शा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

कम लागत आवासीय योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

3200. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार का विचार राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रदान कर कम लागत आवासीय योजना में राज्यों को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और निम्न आय वर्ग हेतु लक्षित सभी योजनाओं के लिए आवास का आबंटन और निगरानी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) सरकार ने 65 चयनित शहरों में शहरी गरीबों की मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा अन्य शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को आवास और मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए 03.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अवधि 7 वर्ष थी जो 2005-06 से आरंभ हुई थी। सरकार ने मार्च, 2012 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने और 3 गरीब हितैषी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अवधि को वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक 2 वर्ष बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

यह भी कि राजीव आवास योजना के तहत उन राज्यों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया गया है जो स्लम निवासियों को संपदा अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं।

इन स्कीमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए तिमाही/मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने के अतिरिक्त केन्द्रीय/राज्य स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती है। राज्यों को समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसी और राज्य स्तर पर परियोजनाएं की निगरानी करने तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी एजेंसियों की नियुक्ति का परामर्श दिया जाता रहा है।

बांधों के लिए खतरा

3201. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक बड़े बांध आतंकवादियों के निशाने पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में बांधों की सुरक्षा हेतु सुधार के लिए संघ सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। सरकार को महत्वपूर्ण बांधों को निशाना बनाने की आतंकवादियों की योजनाओं के बारे में सूचित करने वाली खतरे की जानकारी की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

इन खतरों की जानकारियों का संबंधित राज्यों एवं बांध प्रबंधन प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान किया गया है। सुरक्षा संबंधी उपायों का समन्वय करने और बांधों की सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा इन खतरों से निपटने के लिए संबंधित राज्य पुलिस बलों, बांध प्रबंधन प्राधिकारियों और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान

3202. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान किन कृषि उत्पादों पर जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान किया गया है;

(ख) किन उत्पादों पर अनुसंधान पूरा कर लिया गया है;

(ग) सरकार किन कृषि उत्पादों के वाणिज्यीकरण पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के मुख्य क्षेत्रों में चावल, मक्का, बैंगन, कपास, चना, अरहर, ज्वार, गन्ना, बंदगोभी, फूलगोभी और टमाटर में कीट प्रतिरोधिता; आलू, कपास, तरबूज, टमाटर, पपीता और मूंगफली में रोग प्रतिरोधिता; चावल, ज्वार, चना और मूंगफली के साथ-साथ चावल में सुगंध/दाने की लंबाई/लवण सहिष्णुता/ दाना भरन में सूखा सहिष्णुता; मक्का और कपास में खरपतवार सहिष्णुता; आलू में प्रोटीन गुणवत्ता सुधार तथा शीत प्रेरित मीठापन; चावल और सरसों के लिए नरबंध्यता वंशक्रम; पशुधन और कुक्कट रोगों के लिए आण्विक नैदानिक किट तथा वैक्सीन; न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा प्रायोगिक आहार, भ्रूण की क्लोनिंग तथा स्टेम कोशिका अनुसंधान शामिल हैं।

(ख) व्यवसायिक खेती के लिए चावल में जीवाण्विक अंगमारी प्रतिरोधिता वाली सांबा महसुरी, उन्नत पूसा बासमती-1 और स्वर्णा-सब-1; मक्का में क्यू.पी.एम. विवेक हाईब्रिड-9; बाजरा में रोमिल फफूंद प्रतिरोधी उन्नत एच.एच.बी. 67; कपास में कीट प्रतिरोधिता के लिए बोलगार्ड । और बोलगार्ड ॥, आई.आई.टी. खड़गपुर की इवेंट ।, जी.एफ.एम. क्राई1ए तथा इवेंट 9124 को अनुमोदित किया गया पशुधन में मुंहपका और खुरपका रोग के लिए दीवा और इलिसा किट, नीली जीभ रोग और जठरांत्र परजीवी के लिए नैदानिक किट विकसित की गई।

(ग) उक्त उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। वैक्सीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) वर्तमान समय में बी.टी. बैंगन, एक जी.एम. जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद को स्थगित रखा गया है।

दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवाओं पर निजी चैनल

3203. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन की फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में और अधिक निजी चैनलों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) इस समय दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म की 59 स्टैन्डर्ड डेफिनीशन (टी.वी.) चैनलो की क्षमता है। दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म का 97 टी.वी. चैनलों तक उन्नयन करते हुए एक योजनागत स्कीम का सरकार द्वारा अगस्त, 2010 में अनुमोदन किया गया था। बाद में, प्रसार भारती बोर्ड ने दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म का 150 टी.वी. चैनलों तक विस्तार करने के संबंध में अपना अनुमोदन दिया। डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म के उन्नयन हेतु एक अतिरिक्त सैटेलाइट ट्रांसपोंडर की आवश्यकता थी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग द्वारा अभी तक अतिरिक्त सैटेलाइट ट्रांसपोंडर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, प्रसार भारती ने उपलब्ध सैटेलाइट ट्रांसपोंडरों का उपयोग करते हुए डी.टी.एच. प्लेटफार्म की क्षमता को 75 चैनलों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन/प्रसारण उद्योग की वृद्धि

3204. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रसारण उद्योग की उद्योग-वार औसत वार्षिक विकास दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्योग का कुल कारोबार कितना था; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा प्रदान किये गये वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) - के.पी.एम.जी. द्वारा प्रदत्त मीडिया व मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट, 2012 के अनुसार, वर्ष 2007 से 2011 के दौरान विज्ञापन/प्रसारण उद्योग में हुई वृद्धि तथा किए गए व्यवसाय का कुल मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस उद्योग के विकास में मदद करने के लिए सरकार द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आर्थिक मंदी के कारण प्रिंट मीडिया के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, जोकि दिनांक 27.02.2009 से 31.12.2009 तक वैध था और जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

(i) डी.ए.वी.पी. के विज्ञापनों पर 15% एजेंसी कमीशन का परित्याग।

(ii) गैर-सरकारी विज्ञापनों के राजस्व में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में हुई हानि के दस्तावेजीय प्रमाण के अध्यधीन डी.ए.वी.पी. की दरों में 10% की वृद्धि (एक अलग घटक के रूप में प्रदत्त और 'विशेष राहत' के रूप में नामोदिष्ट)।

विवरण

विज्ञापन/प्रसारण उद्योग की वृद्धि

समग्र उद्योग आकार (आई.एन.आर. बिलियन)

	2007	2008	2009	2010	2011	2010 की तुलना में 2011 में वृद्धि
टीवी	211.0	241.0	257.0	297.0	329.0	10.8%
प्रिंट	160.0	172.0	175.2	192.9	208.8	8.3%
फिल्म	92.7	104.4	89.3	83.3	92.9	11.5%
रेडियो	7.4	8.4	8.3	10.0	11.5	15.0%
संगीत	7.4	7.4	7.8	8.6	9.0	4.7%
ओ.ओ.एच.	14.0	16.1	13.7	16.5	17.8	7.6%
एनिमेशन ऐंड वी.एफ.एक्स.	14.0	17.5	20.1	23.6	31.0	31.2%
गेमिंग	4.0	7.0	8.0	10.0	13.0	30.0%
डिजिटल विज्ञापन	4.0	6.0	8.0	10.0	15.4	54.0%
कुल	**514**	**580**	**587**	**652**	**728**	**11.7%**

विज्ञापन राजस्व (आई.एन.आर. बिलियन)

टीवी	71.0	82.0	88.0	103.0	116.0	12.6%
प्रिंट	100.0	108.0	110.4	126.0	139.4	10.6%
रेडियो	7.4	8.4	8.3	10.0	11.5	15.0%
ओ.ओ.एच.	14.0	16.1	13.7	16.5	17.8	7.6%
डिजिटल विज्ञापन	4.0	6.0	8.0	10.0	15.4	54.0%
कुल	**196.0**	**220.0**	**228.0**	**266.0**	**300.0**	**13.1%**

खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन

3205. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के साथ संयोजन में खराब होने वाली वस्तुओं की लंबी दूरी तक के परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित मालभाड़ा रेल नेटवर्क की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आने वाले वर्षों में देश में बागवानी सहित खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई-भूसावल-आजादपुर के बीच ताजे बागवानी उत्पादों के लिए एक बहु-मॉडल कंटेनरयुक्त परिवहन प्रणाली का डिजाइन किया गया है और ट्रेल रन कराया गया है।

(ग) मंत्रालय ने पूरे देश में बागवानी सहित नष्ट होने वाले उत्पादों के पर्याप्त परिवहन प्रदान कराने के लिए फ्रेश एण्ड हेल्दी इंटरप्राइज लिमिटेड (कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक संस्था) को अभिमानित किया है।

एन.एफ.एस.एम. का कार्यान्वयन

3206. **श्री हरीश चौधरी:**

श्रीमती रमा देवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को राजस्थान के वाड़मेर और जैसलमेर तथा बिहार के शिवहर में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो देश के विभिन्न भागों में इसके कार्यान्वयन हेतु अंगीकृत मापदण्ड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)-गेहूं को बिहार के 25 जिलों तथा राजस्थान के 15 जिलों सहित, 9 राज्यों के 142 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। गेहूं के अधीन 50 प्रतिशत सिंचाई कवरेज से अधिक और राज्य के औसत से कम उत्पादकता वाले आकार के जिलों को एन.एफ.एस.एम. गेहूं के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु अभिज्ञात किया गया था। चूंकि बिहार का शिवहर जिला और राजस्थान के बाडमेर, जैसलमेर जिले विनिर्दिष्ट मानदण्डों की अर्हरता पूरी नहीं करते हैं इसलिए इन्हें एन.एफ.एस.एम.-गेहूं के अधीन शामिल नहीं किया गया है।

प्याज खरीद हेतु सब्सिडी

3207. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफेड ने प्याज की खरीद हेतु विभिन्न राज्यों के लिए सब्सिडी के रूप में कोई राशि उपलब्ध कराई हैं; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) नेफेड ने गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में प्याज की खरीद के लिए राज्यों को कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई है।

[हिन्दी]

लाभ संबंधी अधिकतम सीमा

3208. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पैकेटयुक्त वस्तुओं पर वास्तविक उत्पादन लागत और छपी कीमत के मध्य अर्जित लाभ की सीमा तय करने के संबंध में विद्यमान प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विनिर्माताओं द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक लाभ और ग्राहकों के हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं। उत्पादन की वास्तविक लागत और मुद्रित लागत के बीच अर्जित लाभ की मात्रा को सीमित करने के लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य के उपबंध उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

मलिक बाया का मकबरा

3209. **श्री रामकिशुन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बिहार शरीफ में मलिक बाया का मकबरा संरक्षित स्मारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार उक्त मकबरे को टिकटयुक्त स्मारक घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन बिहार शरीफ, जिला नालन्दा में इब्राहिम बाया का मकबरा, जिसे मलिक बाया के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, राजपत्र अधिसूचना सं. 1589 ई दिनांक 27-08-1915 के तहत एक संरक्षित स्मारक है।

(ग) से (ङ) यह स्मारक एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और बहुत कम आगंतुक इसे देखने आते हैं। कभी-कभी, स्मारक पर धार्मिक गतिविधियां भी होती हैं। इस मकबरे को टिकटयुक्त स्मारक के रूप में घोषित करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रियलटी शो हेतु निर्देश

3210. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टीवी चैनलों में रियल्टी शो के प्रसारण को इनकी परिपक्व सामग्री को देखते हुए देर रात प्रसारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ङ) प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टेलीविजन नेटवर्कों

पर प्रसारित कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुसार विनियमित किया जाता है। उक्त संहिता में देर रात्रि के समय प्रौढ़ विषय-वस्तु के प्रसारण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, सरकार ने टी.वी. चैनलों को देर रात्रि के समय में प्रौढ़ विषय-वस्तु वाले रियल्टी शोज प्रसारित करने की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। तथापि, वर्ष 2010 के दौरान कलर्स चैनल द्वारा प्रसारित "बिग बॉस सीजन IV" और इमेजिन टी.वी. द्वारा प्रसारित "राखी का इंसाफ" नामक कार्यक्रमों के मामले में सरकार ने चैनलों को प्रसारण समय रात्रि 11.00 बजे के बाद रखने के लिए कहा था। कलर्स चैनल ने मंत्रालय के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी थी और स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था। दिनांक 22.04.2012 को सोनी टीवी द्वारा हिन्दी फिल्म, "दि डर्टी पिक्चर", जिसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा "यूए" प्रामण-पत्र दिया गया है, के प्रस्तावित प्रसारण के संबंध में सी.बी.एफ.सी. ने सलाह दी थी कि उक्त फिल्म को रात्रि 11.00 बजे के पश्चात देर रात्रि के समय प्रसारित किया जाना चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 21.04.2012 को सोनी टीवी को सलाह दी कि वह उक्त फिल्म को दिन के समय में प्रसारित न करे और रात्रि 11.00 बजे के पश्चात उसका प्रसारण करने का विचार करे। चैनल ने दिनांक 22.04.2012 को उक्त फिल्म का प्रसारण नहीं किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वोक्त कार्यक्रम संहिता में देर रात्रि के समय प्रौढ़ विषय-वस्तु का प्रसारण करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

पुलिस भर्ती

3211. **श्री सुरेश कुमार शेटकर**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि पुलिस भर्ती हेतु हैदराबाद को जोन-VI में रखा जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश लोक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 14 (च) को हटाने की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया था ताकि हैदराबाद शहर को शहर की पुलिस में भर्ती हेतु जोन vi में रखा जा सके।

सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात, सरकार ने आन्ध्र प्रदेश लोक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 14 के खण्ड (च) को हटाने का निर्णय लिया है। इस आशय का दिनांक 12.08.2011 का राष्ट्रपति का आदेश संख्या 621 (अ) जारी किया गया था।

शौचालयों का निर्माण

3212. **डॉ. रत्ना डे**: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में शौचालयों के निर्माण और स्वस्थता सुविधाओं हेतु राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर प्रमुख शहरों और महानगरों में विद्यमान स्वच्छता सुविधाओं के संबंध में विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कोई अध्ययन करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से संशोधित एकीकृत कम लागत स्वच्छता (आई.एल.सी.एस.) स्कीम को कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए शुष्क शौचालयों को दो गर्त वाले जलवाही शौचालयों में परिवर्तन तथा नये स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना है। अब तक इस मंत्रालय ने 2,51,963 शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों, में परिवर्तित करने और 15 राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में 1,55,937 नए शौचालयों के निर्माण हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। आई.एल.सी.एस. स्कीम के अंतर्गत राज्य पर्याप्त फील्ड अनुभव वाले गैर सरकारी संगठनों को चुन सकते हैं जिनका वित्तपोषण कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर परियोजना लागत के अतिरिक्त अधिकतम 15% तक केन्द्र और राज्य द्वारा 5:1 के अनुपात में किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत एन.जी.ओ. को निधियां सीधे जारी नहीं की जाती हैं। एन.जी.ओ. के चयन और उनको कार्य सौंपने का दायित्व राज्य सरकार का है।

भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) का संचालन कर रही है जो खुले में शौच करने कुप्रथा के उन्मूलन और स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करने के मुख्य लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की सुनिश्चिता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत मुख्य घटकों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.), स्कूल स्वच्छता और स्वास्थ्यकर शिक्षा (एस.एस.एच.ई.) के लिए प्रोत्साहन, समुदाय स्वच्छता परिसरों, आंगनवाड़ी शौचालयों और ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) के लिए सहायता शामिल हैं। समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) जिले को एक इकाई के रूप में लेने वाले कार्यक्रम के आधार पर एक मांग आधारित परियोजना है। टी.एस.सी. परियोजनाओं में देश के 607 ग्रामीण जिलों को शामिल किया जाएगा।

* राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरंभ किया था जिसका उद्देश्य सुधारोन्मुखी कार्यसूची के साथ देश के सभी शहरों के लिए पेय जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन आदि सहित अवसरंचना सुविधाएं मुहैया कराना था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दो उप-मिशन हैं नामत: शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) और छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत अभी मेट्रो शहरों सहित एक मिलियन जनसंख्या वाले 65 शहर वित्तपोषण हेतु पात्र है और शेष कस्बे यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. घटक के अंतर्गत पात्र हैं।

* शहरी विकास मंत्रालय ने एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के सैटेलाइट कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) तैयार की है। अन्य बातों के साथ इस स्कीम का उद्देश्य सात मेगा शहरों के आस-पास वाले सैटेलाइट कस्बों/काउंटर मैग्नेट शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।

* शहरी विकास मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 10 प्रतिशत तक मुश्त प्रावधान की एक स्कीम भी आरंभ की है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में प्रमुख शहरों और महानगरों में विद्यमान सफाई सुविधाओं के संबंध में विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान जनगणना आंकड़ा एकत्रीकरण के अलावा कोई अध्ययन नहीं किया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी का कार्यकरण

3213. **श्री लक्ष्मण टुडु:**

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त स्टाफ या अन्य कारणों से कई दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं या अंशत: कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान-वार इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बंद किए गए दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों की दूरदर्शन/आकाशवाणी-वार और स्थान-वार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दूरदर्शन/आकाशवाणी के सुचारू कार्यकरण हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय दूरदर्शन नेटवर्क में 67 दूरदर्शन स्टूडियो केंद्र और 1415 टीवी ट्रांसमीटर हैं। स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण 46 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय आंशिक प्रसारण कर रहे हैं और 23 स्टूडियो केंद्रों में कार्यकलाप सीमित हैं (राज्य-वार अवस्थितियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं)। यद्यपि सभी दूरदर्शन केंद्रों का कार्यकरण सामान्यतया संतोषजनक है, तथापि, कुछेक ट्रांसमीटरों के सुचारू ढंग से कार्य न करने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और इनका तत्काल निदान किया जाता है।

दूरदर्शन नेटवर्क में स्टाफ का भीषण अभाव है। गत लगभग ग्यारह वर्षों से नए केंद्रों की देख-रेख करने के लिए स्टाफ को संस्वीकृत नहीं किया गया है और अन्य केंद्रों से स्टाफ की पुनर्प्रतिनियुक्ति करके बड़ी संख्या में केंद्रों को प्रचालित किया गया है। दूरदर्शन का उपलब्ध संसाधनों में से ही सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने का सतत् प्रयास रहता है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, 24 केंद्र/चैनल, जिनके लिए ओ. एंड एम. स्टाफ की संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उप-इष्टतम रूप में कार्य कर रहे हैं क्योंकि आकाशवाणी की इन परियोजनाओं/स्कीमों को अन्य मौजूदा केंद्रों से स्टाफ की पुनर्प्रतिनियुक्ति करके शुरू/प्रचालित किया गया था और इसलिए जनशक्ति के अभाव के कारण, निर्माण संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद ये आकाशवाणी केंद्र/चैनल या तो कार्यक्रमों को रिले कर रहे हैं/या वे यथा अपेक्षित तीन पालियों की बजाए एकल या दो पालियों में कार्य कर रहे हैं। अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सुविधाओं के इष्टतम उपयोग हेतु इन केंद्रों/चैनलों के लिए अपेक्षित स्टाफ की संस्वीकृत हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

निधियों के संकट और स्टाफ व कल-पुर्जो की कमी के कारण कुछ आकाशवाणी केंद्रों पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। आकाशवाणी के 51 मीवे/शॉवे/एफ.एम. ट्रांसमीटर उप-इष्टतम रूप से कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसमीटर बहुत पुराने हैं और अधिक समय हो जाने के कारण उनकी दक्षता में कमी आई है। अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भुसावल स्थित अल्प शक्ति टीवी ट्रांसमीटर को बंद कर दिया गया था। इस एल.पी.टी. को जलगांव स्थित उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर, जोकि एल.पी.टी. भुसावल के पूर्व कवरेज क्षेत्र को टीवी कवरेज मुहैया कराता है, की कमीशनिंग के फलस्वरूप बंद कर दिया गया था।

जनशक्ति के अभाव के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किसी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं किया गया है। तथापि, जम्मू (जम्मू और कश्मीर), रांची (झारखंड) और कोहिमा (नागालैंड) में अधिष्ठापित 50 किवा शॉवे ट्रांसमीटर तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) स्थित 250 किवा शॉवे ट्रांसमीटर कल-पुर्जो के अभाव के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) आकाशवाणी केंद्रों के सुचारू कार्यकरण हेतु आकाशवाणी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) ओ. एंड एम. स्टाफ की संस्वीकृति जारी करने और महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने के कार्य पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ii) पुराने ट्रांसमीटरों के लिए कल-पुर्जो के अधिप्रापण की प्रक्रिया चल रही है।

(iii) पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुराने ट्रांसमीटरों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से अद्यतन डिजिटल प्रौद्योगिकी के ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं।

विवरण-I

सीमित कार्यकलाप वाले स्टूडियो केंद्र और अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	सीमित कार्यकलाप वाले स्टुडियो केंद्र	आंशिक प्रसारण करने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	पुंगानुर
	वारंगल	मरियालगुडा
		कंडुकुर
		कोल्हापुर
	तिरुपति	मोदुगुला
		पेडापल्लि
		सिरपुर
		सिरसिला

1	2	3
		तलकोंदपल्ली
		वेमलवाडा
बिहार		बांका
		भबुआ
		रामनगर
चंडीगढ़	चंडीगढ़	-
छत्तीसगढ़	जगदलपुर	खरोद
		कोंता
		पंडारिया
हरियाणा	हिसार	फतेहाबाद
		कैथल
जम्मू और कश्मीर	राजौरी	-
कर्नाटक		इंडी
		कोप्पा
		मुढ़ोल
		मुडार्गी
		सिंदनूर
		तालिलकोटा
केरल	कालिकट	-
	त्रिचूर	-
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सिंधवा
	इंदौर	बरेली
		बडवानी
		लखनदोन
महाराष्ट्र	पुणे	भामरागड
		धड़गांव
		शिर्डी
मेघालय		चेरापूंजी

1	2	3
ओडिशा	भवानीपटना	बौध
		अथमलिक
		बहलदा
		बालिगुडा
		भुबन
		बीरमित्रपुर
		दूधर्कोट
		पदमपुर
		रैराखोल
		सोहेला
पंजाब	पटियाला	-
सिक्किम	गंगटोक	-
तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै (डीडी न्यूज)
	कोयम्बतूर	
त्रिपुरा	-	अंबास्सा
	-	जोलैबारी
उत्तराखंड	देहरादून	
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	-
	मथुरा	
	वाराणसी	
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	कूच बिहार
	शांतिनिकेतन	

विवरण-II

ओ. एंड एम. स्टाफ की संस्वीकृति न होने के कारण उप-इष्टतम रूप से कार्य कर रहे आकाशवाणी केंद्रों/चैनलों के नाम

क्र. सं.	राज्य	स्थान	ट्रांसमीटर की क्षमता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	मचरेला	3 कि.वा. एफ.एम.
2.		सूर्यापेट	1 कि.वा. एफ.एम. (अंतरिम स्थापना)

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	10 कि.वा. एफ.एम.
4.	छत्तीसगढ़	सरायपल्ली	1 कि.वा. एफ.एम.
5.	गुजरात	हिम्मतनगर	1 कि.वा. मी. वेब
6.	हरियाणा	रोहतक	10 कि.वा. एफ.एम.
7.	कर्नाटक	बरेली	10 कि.वा. एफ.एम.
8.		गुलबर्गा	10 कि.वा. एफ.एम.
9.	केरल	मंजेरी	3 कि.वा. एफ.एम.
10.	मध्य प्रदेश	मंडला	1 कि.वा. एफ.एम.
11.		राजगढ़	3 कि.वा. एफ.एम.
12.	महाराष्ट्र	ओरस	5 कि.वा. मी. वेब
13.	मणिपुर	इम्फाल	10 कि.वा. एफ.एम.
14.	मिजोरम	आइजोल	6 कि.वा. एफ.एम.
15.	नागालैंड	कोहिमा	1 कि.वा. एफ.एम. (अंतरिम स्थापना)
16.	ओडिशा	सोरी	1 कि.वा. मी. वेब
17.	राजस्थान	कोटा	20 कि.वा. मी. वेब
18.	तमिलनाडु	धर्मापुरी	10 कि.वा. एफ.एम.
19.		मदुरई	10 कि.वा. एफ.एम.
20.		तिरूनलवेली	10 कि.वा. एफ.एम.
21.	त्रिपुरा	अगरतला	10 कि.वा. एफ.एम.
22.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	10 कि.वा. एफ.एम.
23.	पश्चिम बंगाल	शांतिनिकेतन	3 कि.वा. एफ.एम.
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	पोर्टब्लेयर	10 कि.वा. एफ.एम.

विवरण-III

एजिंग/घटकों की खराबी के कारण उप-इष्टतम रूप से कार्य कर रहे आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सूची

आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सूची जो एजिंग/कमपोनेन्ट फेल्युर होने के कारण सब-औप्टमली चल रहे हैं

क्र. सं.	स्थान	राज्य	क्षमता (कि.वाट)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
(क) मीडियम वेब ट्रांसमीटर				
1.	आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	1	बदला जा रहा है
2.	कोकराझार	असम	20	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	300	बदला जा रहा है
4.	भवानीपटना	ओडिशा	200	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
5.	जालंधर	पंजाब	300	बदला जा रहा है
6.	ओटकामुंड	तमिलनाडु	1	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
7.	पोर्टब्लेयर	यू.टी. (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	गिरे हुए मास्ट को पुन: स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है
(ख) शार्ट वेब ट्रांसमीटर				
1.	पणजी	गोवा	250	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
2.	लेह	जम्मू और कश्मीर	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
3.	आइजोल	मिजोरम	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
4.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	250	बदला जा रहा है
5.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	50	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
6.	पोर्टब्लेयर	यू.टी. (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
(ग) एफ.एम. ट्रांसमीटर				
1.	अनंतपुर	आन्ध्र प्रदेश	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है

1	2	3	4	5
2.	कोठागुदड्म		6	बदला जा रहा है
3.	मरकापुरम		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
4.	तिरूपती		10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
5.	विशाखापटनम्		10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
6.	धुबरी	असम	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
7.	हाफलांग		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
8.	जोरहट		10	बदला जा रहा है
9.	नोगांग		6	बदला जा रहा है
10.	पुर्णिया	बिहार	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
11.	पणजी	गोवा	6	बदला जा रहा है
12.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	10	बदला जा रहा है
13.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	3	बदला जा रहा है
14.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	10	12वीं योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रतिस्थापन
15.	चाईबासा	झारखंड	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
16.	रांची		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
17.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	6	बदला जा रहा है
18.	होसपेट		10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
19.	बेतुल	मध्य प्रदेश	6	बदला जा रहा है
20.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
21.	यावतमल		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है

1	2	3	4	5
22.	इम्फाल	मणिपुर	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
23.	शिलांग	मेघालय	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
24.	आइजोल	मिजोरम	6	बदला जा रहा है
25.	बरहामपुर	ओडिशा	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
26.	राउरकेला		6	बदला जा रहा है
27.	पटियाला	पंजाब	6	बदला जा रहा है
28.	जोधपुर	राजस्थान	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
29.	माउंट आबु		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
30.	कोइम्बटूर	तमिलनाडु	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
31.	नागरकोल		10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
32.	अगरतला	त्रिपुरा	10	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
33.	बेलोनिया		6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है
34.	कैलाशहर		6	बदला जा रहा है
35.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	6	बदला जा रहा है
36.	ओबरा		6	बदला जा रहा है
37.	मसूरी	उत्तराखंड	10	बदला जा रहा है
38.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	6	12वीं योजना के अन्तर्गत बदलने का प्रस्ताव है

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान

3214. **श्री नलिन कुमार कटील:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संस्कृति कार्यकलापों में संलग्न स्वायत्त संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न ऐसे संगठनों को जारी की गई निधियों का संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म दिवस मनाने हेतु निधियां प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लोनार सरोवर की स्थिति

3215. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में लोनार सरोवर स्थल जीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उक्त स्थल के उचित अनुरक्षण हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संघ सरकार ने उक्त स्थल के जीर्णोद्धार और अनुरक्षण हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई वित्तीय अनुरोध प्राप्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) लोणार सरोवर स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक नहीं है। तथापि, लोणार झील की परिधि में कुछ स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं जिनका संरक्षण कार्य मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है तथा वे भली-भांति परिरक्षित हैं।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज सम्मेलन

3216. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सम्मेलनों के निष्कर्षों के अनुसरण में क्या रुपरेखा तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (एन.एस.आर.टी.सी.), वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है, ने गत तीन वर्षों के दौरान 'राष्ट्रीय बीज कांग्रेस' संगठित की है जिसके कार्य इस प्रकार हैं:-

दिनांक	स्थान	परिणाम
1	2	3
18-20 जनवारी, 2010	नई दिल्ली	कांग्रेस ने बीज क्षेत्र के विभिन्न तथ्यों अर्थात उत्पाद, भण्डारण, प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, उपजातीय विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सहक्रियाओं पर विचार-विमर्श किया और तदनुसार इसकी विशिष्ट सिफारिशें की।
29-31 जनवरी, 2011	पुणे, महाराष्ट्र	फील्ड प्रतिमानकों को सुधारने, बीज गुणवत्ता आश्वासन, बीज उत्पादन एवं बीज गुणवत्ता पर अनुसंधान के तीव्रीकरण और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच अन्तर को पाटने इत्यादि के लिए विचार-विमर्श आयोजित किया तथा संबंधित सिफारिशें की।

1	2	3
23-25 जनवरी, 2012	चण्डीगढ़, हरियाणा	विचार-विमर्श तथा सिफारिशों में बीज उत्पादन तथा बीज गुणवत्ता के लिए नए क्षेत्र खोजना शामिल किया गया ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोका जा सके, अनुवांशिक रूप से आशोधित खाद्य फसलों की निर्मुक्ति सुलभ बनाने के लिए अनुकूल नीति वातावरण का प्रावधान किया जा सके, प्रजनन अनुरक्षण का सुदृढ़ीकरण, बीज अवसंरचना और बीज गुणवत्ता प्रतिमानकों का सुधार, सार्वजनिक निजी भागीदारी को पुन: जीवनक्षम बनाया जा सके।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीजों की उपलब्धता 2007-2008 में 194.31 लाख क्विंटल से 2011-2012 में 353.62 लाख क्विंटल तक बढ़ी।

कांग्रेस बीज विज्ञान और गुणवत्ता विनियंत्रण, कार्यनीतियों के नियोजन इत्यादि तथा ज्ञान/दक्षताओं में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में उभर कर सामने आई है। 11वीं योजना के दौरान आयोजित विचार-विमर्शों/सिफारिशों/निरंतर राष्ट्रीय सम्मेलनों के परिणामों ने विद्यमान स्कीम से संबंधित हस्तक्षेपों और समय-समय पर बीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीति पहलों के मार्गदर्शन की सेवा दी है।

फार्म आवंटन

3217. **श्री पोन्नम प्रभाकर**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फार्म आवंटन में 18 प्रतिशत वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य से प्राप्त सिफारिशों और अब तक इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग का योजना आबंटन 2011-12 में 17,122.87 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2012-13 में 20,208 करोड़ रु. कर दिया गया है जो कि 18 प्रतिशत होता है। संबंधित स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

मीडिया कर्मियों के लिए सुविधाएं

3218. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित देश में कार्यरत मीडिया कर्मियों/पत्रकारों को स्वास्थ्य और दुर्घटना कवरेज सहित अन्य कल्याण सुविधाओं हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को प्रदान की जा रही सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) भारत सरकार के पास "पत्रकार कल्याण निधि" नामक एक मौजूदा स्कीम है जिसमें मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकारों/उनके परिवारों को; साथ ही, बड़ी बीमारियों के लिए इलाज की लागत को कवर करने के लिए भी तथा उन दुर्घटनाओं के मामले में जिनमें गंभीर चोटें लगी हों और अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो गया हो, तात्कालिक आधार पर एकमुश्त अनुग्रही राहत राशि प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में स्थित और पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) द्वारा प्रत्यायित मीडिया कर्मियों को मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:-

* केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत सुविधाएं।
* प्रेस पूल के अंतर्गत सरकारी आवास का आबंटन।

भारतीय रेलवे द्वारा रेल के किराये पर रियायत दिया जाना।

भारतीय फिल्म उद्योग

3219. **श्री अशोक तंवर:**

श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय फिल्म उद्योग को भारत तथा विदेशों में बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए क्रिया-कलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितना व्यय कार्यक्रम/योजना-वार किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पूरी तरह/आंशिक रूप से वित्तपोषित फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) देश और विदेश में भारतीय फिल्म उद्योग का संवर्धन करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय की 11वीं योजनावधि के दौरान "भारत व विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात-संवर्धन" तथा "भारत व विदेश के फिल्म बाजारों में सहभागिता" नामक दो योजनागत स्कीमों के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

भारत व विदेश के फिल्म बाजारों में सहभागिता:

(i) कान फिल्म बाजार, फ्रांस

(ii) फिल्म बाजार, गोवा

(iii) यूरोपीय फिल्म बाजार, बर्लिन

(iv) मिपकॉम

(v) काहिरा फिल्म समारोह

(vi) टोरंटो फिल्म समारोह, कनाडा

(vii) अमरीकी फिल्म बाजार

(viii) हांग कांग फिल्म बाजार

उपर्युक्त फिल्म बाजारों में लगाए गए भारतीय मंडप ने भारतीय फिल्म उद्योग को अपनी फिल्मों का विपणन करने के लिए विदेश क्रेताओं के साथ वार्ता करने/संपर्क स्थापित करने हेतु एक मंच मुहैया कराया। उपर्युक्त फिलम समारोहों/बाजारों में उदीयमान नए निर्देशकों को प्रोत्साहन मिला है।

भारत व विदेश में फिल्म बाजारों के जरिए निर्यात-संवर्धन:

(i) प्रत्येक वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(ii) प्रत्येक वर्ष भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत फिल्मों का भारत व विदेश में आयोजित फिल्म समाहरोहों में प्रदर्शन किया गया है।

(iii) भारत व विदेश में आयोजित अनेक फिल्म समारोहों में भाग लिया।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत किए गए आबंटन में से हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

भारत व विदेश के फिल्म बाजारों में सहभागिता:

वर्ष	आबंटन (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)
2009-10	220	193.85
2010-11	220	175.32
2011-12	420	403.35

भारत व विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात-संवर्धन:

वर्ष	आबंटन (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)
2009-10	416	405.18
2010-11	494.14	488.32
2011-12	684.13	678.19

(ग) एन.एफ.डी.सी. ने वर्ष 2006-07 से फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता देने/निधियां प्रदान करने और आंशिक रूप से निधियां प्रदान करने का कार्य बंद कर दिया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शहरी बसें

3220. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत शहरी बसों की खरीद के लिए देश में विभिन्न राज्यों को निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया है और उसका अन्यत्र उपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत राज्यों को शहरी परिवहन के लिए बसों की खरीद हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए स्कीम के तहत उनकी शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु एक-बारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से सभी मिशन शहरों के लिए शहरी बस सेवा और द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) के लिए ही है।

भारत सरकार ने 61 मिशन शहरों में शहरी परिवहन प्रणाली के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 15260 बसों की खरीद हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर अनुमानित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में 2088.80 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की थी। इस अनुमानित धनराशि में से, राज्यों/संघ शासित राज्यों को 1346.91 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किए गए हैं और 12772 बसें खरीद ली गई हैं। अनुमेय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) और जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं। केवल बिहार सरकार ने (बोधगया और पटना शहर के लिए) उनको प्रथम किस्त के रूप में जारी निधियों से बसों की खरीद संबंधी कोई सूचना नहीं दी है।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय ने बिहार सरकार को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत स्वीकृत बसों की खरीद के बारे में अपने इरादे बताने के लिए पत्र लिखा है अथवा पहले जारी किए जा चुके अनुदानों को रद्द अथवा वापस लिया माना जाए।

विवरण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु वर्षवार और राज्यवार स्वीकृत और जारी ए.सी.ए.

(करोड़ रुपये)

क्र.. सं..	राज्य	अनुमेय केन्द्रीय अंश (ए.सी.ए.)	वर्षवार जारी निधियां			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
क.	**विशेष श्रेणी के राज्य**					
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.74	1.95	0	0	0.9913
2.	असम	47.29	7.11	0	13.49	
3.	हिमाचल प्रदेश	6.08	3.04	0	2.43	
4.	जम्मू और कश्मीर	23.76	0	5.94	0	13.04

1	2	3	4	5	6	7
5.	मणिपुर	6.08	3.04	0	0	
6.	मेघालय	14.76	0	3.69	3.69	
7.	मिजोरम	2.93	1.46	0	0	
8.	नागालैंड	2.7	0	0.68	0	
9.	सिक्किम	2.70	0	0.68	1.12	
10.	त्रिपुरा	14.65	7.65	0	0	2.71
11.	उत्तराखंड	21.74	10.87	0	2.65	
	योग (क)	**146.43**	**35.12**	**10.99**	**23.38**	**16.7413**
ख.	**गैर-विशेष श्रेणी के राज्य**					
1.	आन्ध्र प्रदेश	176.5	90.88	0	19.1	1.06
2.	बिहार	25.35	12.68	0	0	
3.	छत्तीसगढ़	11.88	5.94	0	0	
4.	गोवा	6.16	3.08	0	1.96	
5.	गुजरात	88.2	39.08	0	0	
6.	हरियाणा	27.3	13.65	0	0	
7.	झारखंड	23.9	11.95	0	0	
8.	कर्णाटक	159.04	72.12	0	26.52	12.14
9.	केरल	78.22	39.11	12.04	0	
10.	मध्य प्रदेश	101.12	50.56	0	0	3.98
11.	महाराष्ट्र	299.6	142.67	0	16.29	17.38
12.	ओडिशा	15.84	7.92	3.68	2.59	
13.	पंजाब	49.15	24.63	0	0	
14.	राजस्थान	77.57	38.68	0	0	17.08
15.	तमिलनाडु	192.35	96.18	0	13.09	13.08
16.	उत्तर प्रदेश	142.92	130.3	0	0	
17.	पंश्चिम बंगाल	145.4	68.5	0	0	
	योग (ख)	**1620.50**	**847.93**	**15.72**	**79.55**	**64.72**

1	2	3	4	5	6	7
(ग)	**संघ राज्य क्षेत्र**					
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	274.75	115.52	1.75	0	106.88
2.	पुदुचेरी	12.92	0	3.23	0	
3.	चंडीगढ़	34.20	17.1	0	8.28	
	योग (ग)	**321.87**	**132.62**	**4.98**	**8.28**	**106.88**
	कुल योग (क+ख+ग)	2088.8	1015.67	31.69	111.21	188.3413
	कुल जारी 1346.9113 करोड़ रुपये					

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पर्वाह्न 11.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत द्वारा अग्नि-पांच प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, 19 अप्रैल 2012 को भारत ने ओडिशा समुन्द्रतट के समीप स्थित एक परीक्षण रेंज से अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। सतह-से-सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की भारक क्षमता 5000 कि.मी. है जिसे भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और सेना की अवरोधक क्षमता में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रक्षेपण से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास अन्तर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

यह सभा भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देती है तथा भविष्य के सभी प्रयासों के लिए सफलता की कामना करती है।

माननीय सदस्यगण, आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इसी दिन, 19 वर्ष पहले अर्थात् 24 अप्रैल, 1993 को संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू होने से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार हुआ था। वास्तव में यह हमारी प्रजातांत्रिक राजनीति की एक युगप्रवर्तक घटना है। पंचायती राज हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली की जड़ें मजबूत करने की दृष्टि से ग्राम स्तर पर लोगों को शक्तियां प्रदान करता है। आईए। हम इस अवसर पर अपने देश में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों और पंचायतों राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दें।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) संशोधन विनियमन, 2012 जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 278(ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6552/15/12]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो सौगत राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)...

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी.-6553/15/12]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंगर्तत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार का प्रतिवेदन, - (2011-12 का संख्यांक 27)- राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6554/15/12]

(दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार का प्रतिवेदन, - (2011-12 का संख्यांक 1) संघ सरकार के लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6555/15/12]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):--

(एक) वर्ष 2010-11 के लिए संघ सरकार - वित्त लेखा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6556/15/12)]

(दो) वर्ष 2010-11 के लिए संघ सरकार - विनियोग लेखा (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6557/15/12]

(तीन) वर्ष 2010-11 के लिए संघ सरकार - रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6558/15/12]

(चार) वर्ष 2010-11 के लिए संघ सरकार - विनियोग लेखा (डाक सेवाएं)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6559/15/12]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी.-6560/15/12]

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.03¼ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

51वें से 55वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारी बाग): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मागों (2012-13) के संबंध में इक्यावनवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में बावनवां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में तिरेपनवां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में चौवनवां प्रतिवेदन।

(5) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में पचपनवां प्रतिवेदन।...*(व्यवधान)*...

अपराह्न 12.03½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

12 वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

जलदस्युता विधेयक, 2012*

...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 9 - श्री ई. अहमद।

इनके भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***...

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): महोदया, मैं श्री एस.एम. कृष्णा की ओर से जलदस्युता पर रोक लगाने तथा जल दस्युता संबंधी अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करने और उससे संबंधित मामलों या घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि जलदस्तुता पर रोक लगाने तथा जलदस्युता संबंधी अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करने तथा उससे संबंधित तथा उससे संसक्त मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई. अहमद: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया: अब हम 'शून्य काल' से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

श्री जसवंत सिंह

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। श्री जसवंत सिंह जो कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**...

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग था, खंड-II, दिनांक 24.04.2012 में प्रकाशित

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): महोदय, मैं एक ऐसी अपील कर रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं की है...(व्यवधान) मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल निलंबित करने का नोटिस दिया है।...(व्यवधान) यह मामला हमारे देश की रक्षा तैयारी और सशस्त्र बलों की सामरिक कारगरता के बारे में है। दुर्भाग्यवश जो मैं कहना चाहता हूं उसे शोर-शराबे के कारण नहीं कह पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं अपील करता हूं कि सरकार इस मुद्दे को स्पष्ट करे और हमें बिना शोर-शराबे के उचित तरीके से अपने सभी सरोकारों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह शोर-शराबा मुद्दे से भटकाने के लिए है जिसे सत्ताधारी दल के सदस्य ...*(व्यवधान)* मैं इस शोर-शराबे की बराबरी नहीं कर सकता। मैं यह अपील करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि आप सरकार को निर्देश दें ताकि हम इस मुद्दे पर समुचित चर्चा कर सकें। ...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जिलाधिकारी के कथित अपहरण के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. एम. तम्बिदुरई

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया, छत्तीसगढ़ में सकमा जिले के कलेक्टर श्री एलेक्स पॉल मेनन का माओवादियों ने 21 अप्रैल 2012 को अपहरण किया, जब वे किसी राजकीय निरीक्षण के लिए दूरस्थ गांव में थे। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजकीय दौरे पर गये किसी अधिकारी का माओवादियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इससे माहौल खराब होगा एवं कार्यकारी अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का हौसला टूटेगा ...*(व्यवधान)* महोदया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्रवाही के लिए पत्र लिखा है एवं यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कलेक्टर को माओवादियों से छुड़ाया जाए। महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)* हाल में ही, ओडिशा में भी एक विधायक का अपहरण हुआ है और उन्हें क्या हुआ है इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। इस तरह की घटनाऐं भारत में हो रही हैं। अत: अब वक्त आ गया है कि गृह मंत्री केन्द्र सरकार इस पर विचार करें कि माओवादियों की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? साथ ही, अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन को माओवादियों के कब्जे से जल्द छुड़ाया। यह मेरा विनम्र निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री टी.आर. बालू

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर): अध्यक्ष महोदया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के कलक्टर, श्री एलेक्स पॉल मेनन का विगत सप्ताह माओवादियों ने अपहरण कर लिया। ...*(व्यवधान)* सभी तमिल लोग उनके के लिए काफी चिंतित हैं। ...*(व्यवधान)* इसके बारे में हमारे नेता डॉ. कलिगनार करुणानिधि ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने सरकार से हस्तेक्षप कर एवं उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ...*(व्यवधान)* महोदया, इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई हैं। इस तरह की घटनायें दूसरी जगहों पर एवं छत्तीसगढ़ में भी घटित हुई हैं।...*(व्यवधान)* यह अधिकारी दमा से पिड़ित है एवं इनका स्वास्थ्य, लगातार गिर रहा है। ...*(व्यवधान)* अत: केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जनता को उपयुक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जब कलेक्टर को ठीक से सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो जनता को पूरी सुरक्षा मिलने की क्या संभावना है?...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार, दोनों से अनुरोध करता हूं कि कलेक्टर को माओवादियों से छुड़ाया जाये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री एस.एस. रामसुब्बू

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदया, यह काफी महत्वपूर्ण समस्या है। देश यह जानकर स्तब्ध है कि शनिवार 21 अप्रैल 2012 की दोपहर में प्रतिबंधित माओवादियों ने सुकमा के जिला अधिकारी, श्री एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण कर लिया। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुनेलवेली, तमिलनाडु से हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पलयामकोट्टई से पूरी की है। श्री मेनन एक बुद्धिमान, कुशल मेहनती एवं निष्ठावान अधिकारी हैं। मेरे जिले के सभी व्यक्ति इस घटना से हतप्रभ हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मेनन के परिवार वालों की तरफ से मैं केन्द्र सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें एवं माओवादियों द्वारा अपहृत श्री मेनन की शीघ्र रिहाई के लिए उचित कार्यवाही करें। साथ ही, इस हादसे में मारे गये उनके अंगरक्षकों के परिवार वालों को पर्याप्त मुआवाज़ा दें। ...*(व्यवधान)*

यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि माओवादी उग्रवादी की घटनाएं ओडिशा में लगातार हो रही हैं। पहले एक कलेक्टर का अपहरण किया गया था। अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक बुद्धिमान एवं युवा अधिकारी का अपहरण किया गया है। कृपया उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री पी लिंगम, श्री शिवकुमार उदासी, श्री पी.टी. थॉमस, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी, श्री जे.एम.आरुन रशीद, श्री मानिक टैगोर, श्रीमती जे. हेलन डेविडसन, श्री एस.आर. जेयदुरई, श्री ए सम्पत, श्री वीरेन्द्र कुमार, और श्रीमती बोसे झांसी लक्ष्मी, श्री एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण से संबंधित मुद्दों से अपने को संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष रख रहा हूं जिसका संबंध हमारे देश के लाखों व्यक्तियों से है। वित्तमंत्री एवं प्रधानमंत्री के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद कि वे आश्वयक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण एवं रोक लगाएंगे, आज मुद्रास्फीति दहाई के ऑकड़े पर पहुंच गयी है। इस दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, खाद्य तेलों, सब्जियां, चावल, गेहूं इत्यादि सभी मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। सरकार ने काली सेम में सट्टेबाजी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने खाद्यान्नों में अन्तर्राज्जीय व्यापार की भी मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार की नितियों को अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। *...(व्यवधान)*

महोदया, 70 प्रतिशत लोगों, की आजीविका केवल 20 रुपये प्रतिदिन पर निर्भर है। महोदया, मैं इस ज्वलंत विषय पर चर्चा की मांग करता हूं, जिससे लाखों व्यक्तियों का संबंध है। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि आज कुल जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा भूखे पेट सोने पर विवश है। सरकार इस विषय पर उदासीन है। यू.पी.ए.-II सरकार की गलत नीतियों और निष्क्रियता के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है और मुद्रास्फीति दहाई के आंकड़े पर आ गई है। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाये आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ोत्तरी की रोकथाम करे। ताकि बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, और लोगों की आज़ीविका सुरक्षित की जा सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री शेख सैदुल हक, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गये मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, क्या मैं यहां से अपनी बात कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदया: जी हां।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मुद्दा यह है कि सरकार पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों और उदारीकरण की असफलता है यह सरकार के आर्थिक सुधारों की भी असफलता है। यह सरकार पूरी तरह से निष्प्रभावी हो रही है। यह अपने दल के सदस्यों पर भी नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं। यह सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है।

इस सरकार की अयोग्यता मूल्य वृद्धि में सामने आई है, और इसकी अपनी ही संसदीय दल के बैठक में और सभी जगह सामने आयी है।

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कुछ और कह रहे हैं जबकि मंत्री कुछ और। यह अक्षम निषप्रभावी एवं असंवेदनशील सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार की निष्क्रियता अत्यधिक निंदनीय है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। सरसों के तेल का मूल्य 100 रुपये हो गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 10 अकों से ऊपरी चला गया है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिये दूसरे, केन्द्र सरकार को तुरंत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिये जिसमें बढ़ती महंगाई रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

हम इस बात को हमेशा उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाती। संसद के संकल्प को कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

अत: यह एक अभूतपूर्व स्थिति है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्यवाही करे और हमें यह बताए कि इस बारे में वह क्या कर रही है। *...(व्यवधान)*

श्री शिव कुमार उदासी (हावेरी): मैं मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर श्री गुरुदास गुप्त द्वारा कही गयी बातों से स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत् हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.0¼ बजे

इस समय, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री मधुगौड, यास्की, और कुछ माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.0½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण नियम 377 के तहत मामले सभा पटल पर रख दें वे सदस्य जिन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर मेज पर पर्चियां रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे हुए समझे जाएंगे जिनके बारे में पर्चियां निर्धारित समय में सभापटल पर प्राप्त हैं हुई है बाकी मामले व्यपगत समझे जायेंगे।

[अनुवाद]

(एक) सैफ्टी माचिस ओर मैच स्किलेट्स को फोकस उत्पाद स्कीम से विशेष फोकस उत्पादन स्कीम में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर): सेफ्टी माचिशे लघु और उद्यम क्षेत्र में बनायी जाती हैं जिसके लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, पर ये ज्यादा संख्या में मजदूरों को नौकरी देते हैं। ये उद्योग ज्यादातर दक्षिण तमिलनाडु के सूखा प्रवण जिलों में स्थित हैं और ये 50000 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराते हैं जिसमें ज्यादातर अकुशल महिलाएं होती हैं।

सेफ्टी माचिश (टैरिफ नं. 36050010) और मैच स्किलेट्स (टैरिफ नं. 36050090) वर्तमान में अफ्रीकी, लेटिन अमरीकी और दूसरे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं जहां उन्हें चीन, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान और अन्य देशों से कड़ी प्रतिर्स्पधा का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में सेफ्टी माचिश को 'फोकस प्रोडक्ट स्कीम' के तहत रखा गया है जिसमें 2% लाभ प्राप्त होता है। सेफ्टी माचिश और मैच स्किलेट्स को बनाने में ज्यादा श्रम मूल्य लगता है। इसलिए मैं केन्द्र एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेफ्टी माचिश और मैच स्किलेट्स को 'स्पेशल फोकस प्रोटक्ट स्कीम' में शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। इससे इस बड़े श्रम प्रदाता उद्योग को प्रतिस्पर्धा प्रदान होगी और निर्यात के बढ़ने में भी मदद मिलेगी।

(दो) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए कानून का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 तथा संविधान में की गयी विशेष व्यवस्थाओं के बावजूद इस वर्ग के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत वर्ष 1995 में बनाए गए नियम के अनुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी की गयी है, लेकिन अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। आज देखने में आता है कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और यदि किसी दबाव में रिपोर्ट दर्ज भी कर ली जाती है तो पुलिस किसी न किसी दबाव में अपराधियों को ही संरक्षण देती नजर आती है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा तो पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा और बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कार्यवाही किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है। 90 प्रतिशत से भी

*सभा पटल पर रखे माने गये।

अधिक बलात्कार की शिकार अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाएं हो रही हैं। इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि या तो वर्तमान कानून में कोई कमी है या इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी समीक्षा की जानी अति आवश्यक है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा उक्त कानून की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी किया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से होते हुए आनंद नगर और घुघुली के बीच नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): पूर्वोत्तर रेलवे में आनंदनगर-घुघुली बरास्ता महाराजगंज नई रेल लाइन निर्माण हेतु योजना आयोग ने मार्च 2012 में सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति इस शर्त के साथ दी है कि प्रदेश सरकार इस परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माण व्यय का 50 फीसदी भार वहन करें।

संबंधित रेल लाइन का निर्माण क्षेत्र के पिछड़ेपन को समाप्त कर विकास को गति देगा सामरिक महत्व की दृष्टि से नेपाल की सीमा से सटे जनपद महाराजगंज के मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ेगा एवं बिहार के मुजफ्फरपुर से गोण्डा के मध्य वैकल्पिक रेल मार्ग का भी कार्य करेगा।

विगत लगभग 15 वर्षों में संपूर्ण देश में नई रेल लाइन पर हुए लगभग 20 हजार करोड़ रुपये व्यय के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में मात्र 2.4 प्रतिशत एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.6 प्रतिशत का व्यय किया गया है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को और भी अधिक बढ़ाती है।

क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य से नई रेल लाइन निर्माण हेतु धन की अपेक्षा करना न्यायसंगत नहीं है।

ऐसी दशा में मेरी मांग है कि योजना आयोग की सैद्धांतिक सहमति के पश्चात् उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश में नई रेल लाइन निर्माण हेतु परियोजनाओं के लिए प्रदेश से अपेक्षित धनराशि को विशेष पैकेज के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाए। प्रदेश के पिछड़ेपन को समाप्त कर विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए व्यापक जनहित में केन्द्र सरकार द्वारा यह कदम तत्काल उठाया जाना आवश्यक है।

(चार) लक्षद्वीप की इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप स्टेट आर्म्ड फोर्स के रूप में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर करना चाहूंगा कि इंडिया रिजर्व बटालियन के कार्मिकों को लक्षद्वीप से दमन और दीव, एवं दादर नगर हवेली स्थानान्तरण करने के कारण उन्हें आर्थिक असमानता, बच्चों के शिक्षा माध्यम में परिवर्तन एवं दयनीय पारिवारिक जीवन जैसी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

द्वीप के आई.आर.बी.एन. में कार्य करने वाले लोग जब लक्षद्वीप में पद स्थापित किये जाते हैं तो उन्हें ज्यादा वेतन मिलता है और उन्हें अनुसूचित जनजाति होने का भी फायदा मिलता है जो उन्हें लक्षद्वीप के बाहर पदस्थापित होने से प्राप्त नहीं हो पाता है। लक्षद्वीप के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। सरकारी नौकरी उनकी आजीविका का बड़ा श्रोत है। लक्षद्वीप से दूसरी जगह स्थानान्तरण होने से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। आई.आर.बी.एन. में कार्य कर रहे लोगों की सहायता हेतु माननीय गृह मंत्री, आई.आर.बी.एन. को लक्षद्वीप स्टेट आर्मड फोर्स के परिवर्तन के सुझाव पर सहमत हुए थे जिससे द्वीपवासी केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में रह सकें।

अत: मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस 'कार्य परिवर्तन' मामले में तेजी लाई जाए और तब तक उन्हें लक्षद्वीप से दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली स्थानान्तरित किया जाए।

(पांच) केरल को मिट्टी के तेल का मासिक कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिससे केरल के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर तथा मछुआरों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

केरल में राशन दुकान से मिलने वाला मिट्टी तेल बंद हो गया है। डिपो को निर्देश दिया गया है कि सरकार के अगले निर्देश तक वे केरोसिन का स्टॉक करें। इस संकट का करण

केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को केरोसिन दिये जाने वाले हिस्से में कटौती है। पिछले दस सालों में ऐसा दूसरी बरी हुआ है कि केन्द्र ने राज्य को दिये जाने वाले केरोसीन का हिस्सा कम कर दिया है। केन्द्र सरकार से केरल को 15,960 किलोलीटर केरोसिन मिल रहा था, जो अब 10,016 किलोलीटर तक कम हो चुका है। इस प्रस्ताव ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, मछुआरों एवं अंत्योदय अन्न, योजना में शामिल किये गए लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जो केरोसिन पर खाना बनाने, घरों में रोशनी करने और मछली पकड़ने वाली नाव चलाने के लिए निर्भर थे।

अत: मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करुंगा कि वह अपने इस निर्णय पर पुर्नविचार करे एवं केरल के मासिक हिस्सेदारी को गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और मछुआरों को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र बहाल करे।

(छह) राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): खेलकूद किसी भी देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षा और मानव व्यक्तित्व विकास का भी एक घटक है। खेलकूद को जनजीवन में लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खेलकूद की मूल सुविधाओं की जरूरत होती है। अपने देश में आबादी का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहता है और वह खेलकूद की बुनियादी सुविधा से वंचित है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जालौर और सिरोही जिले अत्यंत ही पिछड़े जिले हैं। जिले में खेलकूद के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त न होना और सामुदायिक कोचिंग सुविधाओं का अभाव। जिले भर में लड़के लड़कियों में खेल भावना को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान और स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

जालौर जिले में दो साल से पायका योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही है तथा बीते साल पायका की सभी प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई।

जालौर और सिरोही जिले में पायका योजना के अंतर्गत नियमित पंचायत/ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।

(सात) बिहार के नवादा जिले के रजौली में परमाणवीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा): भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व बिहार राज्य के नवादा जिले के अंतर्गत रजौली में आणविक विद्युत परियोजना लगाने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में स्थान की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी गई। उस टीम ने सारी बातों पर सहमति जताते हुए पानी की उपलब्धता पर एक प्रश्नचिन्ह लगाया था। उसके संदर्भ में बिहार सरकार ने संबंधित मंत्रालय को सूचित किया कि इसके लिए फुलवरिया डैम से आधा पानी और धनंजय नदी पर डैम बनाकर पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी समय-समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है पर अभी तक कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यहां यह बताना उचित होगा कि बिहार राज्य के विद्युत थर्मल पावर स्टेशन बरौनी एवं कांटी वर्षों से ठप्प पड़ा है। यहां बिहार सरकार के घोर प्रयास करने के बाद नाममात्र का विद्युत उत्पादन हो पाता है। इसलिए रजौली आणविक विद्युत परियोजना बिहार के लिए प्राणवायु की तरह है। यदि केन्द्र ने इस संबंध में सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो यह बिहार के लिए त्रासदी होगी।

अत: अविलंब केन्द्र सरकार बिहार सरकार के आश्वासन के आलोक में आणविक विद्युत परियोजना को स्वीकृति देकर उसके कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कार्यवाही करे। इस ओर मैं सरकार का ध्यान और विशेषकर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(आठ) गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैं आपके समक्ष यह बात लाना चाहता हूं कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है जो 1600 कि.मी. की है। यहां एक प्रमुख पत्तन (कांडला पत्तन न्यास) और 41 लघु पत्तन हैं। कांडला सहित गुजरात की सभी बंदरगाहें भारत के कुल कारगो का 31% संचालन करती है; और गुजरात मैरिटाइम बोर्ड पोर्ट ट्रस्ट भारत के सभी

लघुपत्तन का 80% का संचालन करती है। गुजरात के बंदरगाहों पर सालाना लगभग 7000 जहाज आते हैं। इसलिए यहां श्रम शक्ति की आवश्यकता काफी अधिक है। अत: इस क्षेत्र में आवश्यक समुद्री श्रमशक्ति लगाने हेतु गुजरात प्रदेश ने केन्द्र सरकार से यहां सामुद्रिक विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। सामुद्रिक विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य उन स्नातक और स्नाकोत्तर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है जो सामुद्रिक क्षेत्र में काम करना चाहते है। यह विश्वविद्यालय बंदरगाह प्रबंधन, सामुद्रिक अभिनियंत्रिकी, सामुद्रिक माप विज्ञान, जहाज निर्माण इत्यादि पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेगा। भारत सरकार ने दो विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है जिसमें से एक पूर्वी तट पर और दूसरा पश्चिमी तट पर होगा, और यह भी बताया गया है कि सामुद्रिक विश्वविद्यालय बनाने की कांडला पत्तन न्यास को दी गयी है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि गुजरात मैरिटाईम बोर्ड एक सामुद्रिक संख्या बना सकता है जिसकी शाखा स्वीकृति सामुद्रिक विश्वविद्यालय से मिल सकती है।

(नौ) उत्तर प्रदेश के हरदोई से लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, शाहाबाद और संदीला तक मेमु ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): देश में रेलवे का जो नेटवर्क है उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई में रेलवे के विभिन्न कार्यों के लिए जनता की लंबे समय से मांग रही है। जन समस्याओं से जुड़ी बात अनेक माध्यमों से जनप्रतिनिधि रेलवे के पास पहुंचाते रहे हैं पर जायज मांगों पर भी रेलवे की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है।

हरदोई से लखनऊ-बरेली-शाहजहांपुर-शाहाबाद-संडीला के लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा लोकल ट्रेन चलाने की भारी मांग को देखते हुए वर्ष 2007 में रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी और इसके लिए कुछ रेलवे ट्रैकों को चिन्हित कर विभिन्न कार्य भी पूर्ण कराए गए थे पर खेद की बात है कि आज तक किसी मेमो ट्रेन का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके कारण स्थानीय जनता में रेलवे के प्रति असंतोष है। वे जानना चाहते है कि आखिरकार रेलवे अपनी घोषणाओं के अनुरूप कार्य क्यों नहीं करता।

मैं मांग करती हूं कि स्थानीय जनता के जायज मांगों के अनुरूप मंत्रालय अविलंब हरदोई जनपद से मेमों ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करने की व्यवस्था करे।

(दस) उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बरहज और मऊ के बीच घाघरा नदी पर एक पुल निर्माण कराने के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): देश के कई इलाके बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ेपन के शिकार हैं। देश के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कई योजनाएं चल रही हैं परंतु पिछड़ेपन को दूर करने हेतु बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा जितने धन की मांग की जाती है उसका दो-तिहाई भी उसे नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सड़क निधि में उपकर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल बेचकर केन्द्र सरकार पैसा ले रही है परंतु सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को धन नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में 43 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी लंबाई 6681 किलोमीटर है जिसमें से 3178 किलोमीटर का रखरखाव उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इन सड़कों को ठीक करने एवं नवीकरण की मांग को पूरा करने एवं मरम्मत कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार धन नहीं दे रही है। वर्षा एवं बाढ़ से हुए सड़कों के नुकसान के लिए 43 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग को केन्द्र सरकार ने अभी तक लंबित रखा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में पड़ने वाली घाघरा नदी पर एक पुल बनाने की मांग कई दशकों से की जा रही है। यह पुल बरहज के परिसिया दिकर से मउ को जोड़ने का काम करेगा जिससे बनारस की ओर जाने वाले वाहनों को कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इससे पेट्रोल एवं डीजल की खपत को कम किया जा सकता है। इससे इस पुल के आसपास के गांवों को विकास के अवसर मिलेंगे जो बुरी तरह पिछड़े क्षेत्र हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्यों के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के कार्यो में वह अपना योगदान दे क्योंकि देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास हो सकता है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित घाघरा नदी पर बरहज से मउ को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान करें।

(ग्यारह) बिहार के हाजीपुर से सूचना प्रणाली केन्द्र को कोलकाता ले जाने संबंधी प्रस्तावित कदम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र हाजीपुर, पूर्व-मध्य रेलवे को

कोलकाता में स्थानांतरित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की ओर दिलाना चाहता हूं।

यहां नया डाटा सर्वर लगाने की योजना थी एवं उसके अनुसार पूर्व-मध्य रेलवे सारी आधारभूत संरचनाओं में काफी निवेश कर चुका है।

इस केन्द्र के कोलकाता स्थानांतरित होने पर जो सुविधाएं पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर को मिली थी, उसमें काफी कमी आ जाएगी और कोलकाता पर निर्भरता बढ़ जाएगी। पूर्व-मध्य रेलवे से भारी संख्या में यात्रियों द्वारा अनारक्षित टिकट प्रणाली टिकटों को उपयोग में लाया जाता है। अत: इससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि छोटी से छोटी त्रुटियों का समाधान करने के लिए कोलकाता पर निर्भर रहना होगा।

पटना जोकि स्वयं एक मेट्रो शहर का दर्जा पाने की ओर अग्रसर है, यहां पर सूचना आधारित केन्द्रों का रहना अनिवार्य है।

वर्तमान रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र कोलकाता को पटना से हटाने का निर्णय जनसुविधाओं के अनुकूल नहीं है।

अत: इस निर्णय को स्थगित कर कार्यालय को बनाए रखा जाए।

(बारह) तमिलनाडु के धर्मपुरी स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने तथा साथ ही इस विद्यालय का उच्चतर-माध्यमिक स्तर के विद्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मेरे संसदीय क्षेत्र के कुप्पूर गांव में काफी पहले वर्ष 2007 में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला गया था जिसे 10वीं कक्षा तक स्तरोन्नत किया गया है। वर्तमान में इस विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 450 है। मेरे संसदीय क्षेत्र के इस एकमात्र केन्द्रीय विद्यालय के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 27 है, परन्तु आज की तारीख में वहां केवल 13 शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षकों के शेष पद काफी लम्बे समय से खाली पड़े हुए है। इस विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात 1:36 है जो केन्द्रीय विद्यालयों को देखते हुए काफी कम है। केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है और छात्रों के अध्ययन में रुकावट आयी है और उनका शैक्षिक भविष्य खतरे में है। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय को 12वीं कक्षा तक स्तरोन्नत किए जाने की मांग की है क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश पाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इन छात्रों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश पाना काफी कठिन हो जाता है। अत: मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह केन्द्रीय विद्यालय धर्मापुरी शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरने के साथ-साथ इस विद्यालय को 12वीं कक्षा तक स्तरोन्नत करने के लिए शीघ्र कदम उठाने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को शीघ्र निर्देश दें।

(तेरह) केरल में श्री नारायण गुरू द्वारा स्थापित मठ में 'शारदा प्रतिष्ठा' की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): श्री नारायण गुरु भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिन्होंने केरल के लगभग सभी क्षेत्रों को अंधकार युग से लेकर सुधार और आधुनिक युक में परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान अटिंगल लोक सभा संसदीय क्षेत्र के वर्काला शिवगिरि में उनका समाधि स्थल हैं और उनके द्वारा स्थापित **शिवगिरि मठ में "शारदा प्रतिष्ठा"** (1 मई, 1912) हैं जिसे शिक्षा, ज्ञान और मुक्ति की देवी माना जाता है। वर्काला शिवगिरि में वर्ष 1925 (13 मार्च) में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी। हमारे महान राष्ट्रकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी 22 नवम्बर, 1922 को सारदा मन्दिर के दर्शन किए थे और गुरू के साथ की गई चर्चा से वह बहुत प्रभावित हुए थे।

यह वर्ष, 2012 श्री नारायण गुरू द्वारा स्थापित ऐतिहासिक 'शारदा प्रतिष्ठा' का शताब्दी वर्ष है और राष्ट्र द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार के इस प्रतीक को आदर प्रदान करने का यह उपयुक्त समय है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों ने विभिन्न अवसरों पर इस स्थान का दौरा किया है।

अत: मैं भारत सरकार से 'शारदा प्रतिष्ठा' की शताब्दी की स्मृति में 5 रु. के मूल्य का सिक्का जारी करने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) ओडिशा राज्य सरकार को राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर भद्रक और चंडीखोले के बीच के राजमार्गों की मरम्मत कराने के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): इस वर्ष लगातार वर्षा के कारण ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत

खराब हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्य लोक निर्माण विभाग के पास निधि रखनी चाहिए ताकि नियमित मरम्मत की जा सके और नियमित आधार पर रख-रखाव किया जा सके। भद्रुक और चांडीखोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 की हालत विशेषकर बहुत खराब है। अत: इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित निधि शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(पंद्रह) कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत वृद्ध पेंशन-भोगियों को दी जा रही पेंशन में संशोधन किये जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): मैं 1971 और 1995 की परिवार पेंशन और पेंशन स्कीमों के अंतर्गत शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दयनीय हालत के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें वर्तमान में 300 से 2000 रु. प्रतिमाह की मामूली राशि प्राप्त हो रही है। इन स्कीमों के लिए शुरूआत के समय यह राशि निर्धारित की गई थी और सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इन स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली राशियों में महंगाई दर और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के अनुरूप हर तीन वर्ष के बाद संशोधन किया जाएगा।

तब से रुपये का कई बार अवमूल्यन हो चुका है और वर्तमान में दी जा रही मासिक राशि वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों - भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा और आवास उपलब्ध कराने की लागत के एक हिस्से के बराबर भी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन प्राप्तकर्ता संघों से प्राप्त कई अभ्यावेदन अभी भी सरकार के पास लम्बित हैं जिनमें वर्तमान जीवन यापन सूचकांक के अनुसार इन स्कीमों के तहत पेंशन राशियों में संशोधन करने की मांग की गई है। मेरे विचार से सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ताओं की वैध मांगों को नकारने का कोई औचित्य नहीं है। इन व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की लागतें। कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वे उन्हें प्राप्त होने वाली मामूली पेंशन की क्षमता से काफी अधिक है। अत: मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ताओं की काफी समय से लम्बित इस मांग का समाधान करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं। सभा की कार्यवाही में विघ्न न डालें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपको चेतावनी दे रहा हूं मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं चेतावनी दे रहा हूं कि कार्रवाई की जाएगी। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाएं। सभापति को कार्रवाई करने के लिए वाध्य न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, मैं आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, कपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा के सेवा से सदस्यों के निलंबन के बारे में

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सदस्यगण सर्वश्री पोन्नम प्रभाकर, मधु गौड यास्खी, डॉ. मंदा जगन्नाथ, सर्वश्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी, के.आर.जी. रेड्डी, राजय्या सिरिसिल्ला, पी. बलराम नायक और डॉ. जी. विवेकानंद को आज के चार दिनों तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाता है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सदस्यगण सर्व श्री पोन्नम प्रभाकर, मधु गौड यास्खी,

डॉ. मंदा जगन्नाथ, सर्वश्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी, के.आर.जी. रेड्डी, राजय्या सिरिसिल्ला, पी. बलराम नायक और डॉ. जी. विवेकानंद को आज के चार दिनों तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाता है।"

प्रस्ताव स्वीककृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। सर्वश्री श्री पोन्नम प्रभाकर, मधु गौड यास्खी, डॉ. मंदा जगन्नाथ, सर्वश्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी, के.आर.जी. रेड्डी, राजय्या सिरिसिल्ला, पी. बलराम नायक और डॉ. जी. विवेकानंद को आज के चार दिनों तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, अब कृपया सभा से बाहर चले जाएं। आप लोगों को सभा की सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन:समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.30¼ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 25 अप्रैल, 2012/5 वैशाख, 1934 (शक) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न सं.
1	2	3
1.	श्री भरत राम मेघवाल	261
	श्री हरिभाऊ जावले	
2.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	262
	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	
3.	श्री नवीन जिन्दल	263
4.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	264
	श्री प्रदीप माझी	
5.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	265
	श्री राम सिंह कस्वां	
6.	डॉ. शशी थरूर	266
	श्री आनंदराव अडसुल	
7.	राजकुमारी रत्ना सिंह	267
	श्री हरीश चौधरी	
8.	श्री मंगनी लाल मंडल	268
	श्री संजय धोत्रे	
9.	श्री गणेश सिंह	269
10.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	270
	श्रीमती सुप्रिया सुले	
11.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	271
	श्री बैजयंत पांडा	
12.	श्री सी. राजेन्द्रन	272
	श्री टी.आर. बालू	
13.	श्री हंसराज गं. अहीर	273
14.	श्री राधे मोहन सिंह	274
	श्री ए.टी. नाना पाटील	
15.	श्री नीरज शेखर	275
16.	श्री राधा मोहन सिंह	276
	श्री भूदेव चौधरी	
17.	श्री अशोक तंवर	277
	श्री आर. थामराईसेलवन	
18.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	278
19.	श्रीमती अश्वमेध देवी	279
20.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	3009, 3086, 3169, 3202
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3081, 3103, 3175, 3180
3.	श्री आनंदराव अडसुल	3072, 3180
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3040, 3070
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3088
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	3215
7.	श्री बदरूद्दीन अजमल	3140, 3168
8.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3104
9.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	3126, 3187
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3093, 3122

1	2	3
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	3042, 3089
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	3061, 3175
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3144
14.	श्री गजानन ध. बाबर	3072, 3081, 3175, 3180
15.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3029
16.	श्री विजय बहुगुणा	3147
17.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	3166, 3174
18.	श्री कामेश्वर बैठा	3013, 3072, 3158
19.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3164, 3205
20.	श्री अम्बिका बनर्जी	3067
21.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3125
22.	श्री सुदर्शन भगत	3152
23.	श्री ताराचन्द भगोरा	3070
24.	श्री संजय भोई	3072, 3113
25.	श्री समीर भुजबल	3188
26.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3039
27.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	3136
28.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3166
29.	श्री सी. शिवासामी	3000, 3108, 3168
30.	श्री सी.एम. चांग	3002, 3196
31.	श्री हरीश चौधरी	3169, 3206
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3081, 3179
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3006, 3101, 3200

1	2	3
34.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3086
35.	श्री भूदेव चौधरी	3077, 3086
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3018, 3159, 3169
37.	श्री अधीर चौधरी	3128
38.	श्री भक्त चरण दास	3190
39.	श्री खगेन दास	3080, 3176
40.	श्री राम सुन्दर दास	3177, 3178
41.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3091
42.	श्री रमेन डेका	3123
43.	श्रीमती रमा देवी	3114, 3118, 3206
44.	श्री संजय धोत्रे	3161, 3188
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3015, 3072
46.	श्री निशिकांत दुबे	3148, 3166, 3188
47.	श्री निनोंग ईरींग	3065, 3133
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3089, 3171, 3182
49.	श्रीमती मेनका गांधी	3149, 3175
50.	श्री वरुण गांधी	3009, 3092, 3175
51.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3135
52.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3046, 3168, 3175
53.	श्री अनंत गंगाराम गीते	3095
54.	श्री राजेन गोहैन	3007
55.	श्री एल. राजगोपाल	3047

1	2	3
56.	श्री शिवराम गौडा	3034
57.	श्री डी.वी. चन्द्रे गौडा	3081, 3083, 3168
58.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	3092, 3181
59.	प्रो. शेख. सैदुल हक	3099, 3184
60.	श्री महेश्वर हजारी	3013, 3072, 3158, 3162, 3163
61.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	3131, 3168
62.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3017, 3038, 3134, 3168, 3184
63.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3012
64.	श्री बलीराम जाधव	3063, 3077
65.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	3167, 3177
66.	डॉ. संजय जायसवाल	3146
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3082, 3101, 3134
68.	श्री बद्रीराम जाखड़	3026
69.	श्री हरिभाऊ जावले	3194
70.	श्री नवीन जिन्दल	3154, 3195
71.	श्री कैलाश जोशी	3164, 3166
72.	श्री महेश जोशी	3060
73.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3093, 3185
74.	श्रीमती कैसर जहां	3166
75.	श्री सुरेश कलमाडी	3138
76.	श्री पी. करुणाकरन	3053, 3068, 3081

1	2	3
77.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2996, 3177, 3178
78.	श्री राम सिंह कस्वां	3197
79.	श्री नलिन कुमार कटील	3023, 3164, 3214
80.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	3111
81.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3041
82.	श्री चंद्रकांत खैरे	3022, 3097
83.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	3126, 3128, 3165
84.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3179
85.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3072
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	3053
87.	श्री पी. कुमार	3084, 3085, 3168
88.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	3010, 3203
89.	श्री यशवंत लागुरी	2998, 3082
90.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3142, 3190
91.	श्री सतपाल महाराज	3112, 3168
92.	श्री नरहरि महतो	3021, 3143
93.	श्री प्रदीप माझी	3087, 3121, 3175
94.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3001, 3157
95.	श्री मंगनी लाल मंडल	3161
96.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	3089, 3171, 3182
97.	श्री जोस के. मणि	3003, 3054, 3077, 3171, 3184

1	2	3
98.	श्री हरि मांझी	3028, 3037, 3173
99.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3167, 3177
100.	श्री दत्ता मेघे	3116
101.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3027, 3160
102.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3183
103.	श्री महाबल मिश्रा	3025
104.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3184
105.	श्री पिनाकी मिश्रा	3086
106.	श्री विलास मुत्तेमवार	3150, 3161
107.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3080, 3086, 3110, 3188
108.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3166
109.	श्री नामा नागेश्वर राव	3089, 3130
110.	श्री इंदर सिंह नामधारी	3129
111.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3024, 3165, 3181
112.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3004, 3170, 3198
113.	श्री पी.आर. नटराजन	3127
114.	श्री वैजयंत पांडा	3058, 3168
115.	श्री प्रबोध पांडा	3079
116.	श्री राकेश पाण्डेय	3160
117.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3066
118.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3124
119.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	3115
120.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	3092, 3181

1	2	3
121.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3089, 3170, 3171, 3182
122.	श्री देवराज सिंह पटेल	3120, 3184
123.	श्री देवजी एम. पटेल	3044
124.	श्री आर.के. सिंह पटेल	3090
125.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3056
126.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3087, 3121, 3175
127.	श्री हरिन पाठक	3166
128.	श्री संजय दिना पाटील	3005, 3166, 3199
129.	श्री एन.टी. नाना पाटील	3115, 3193
130.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3152
131.	श्री सी.आर. पाटिल	3096
132.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3105
133.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3089, 3171, 3182
134.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3063
135.	श्रीमती कमना देवी पटेल	2994
136.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3031, 3217
137.	श्री अमरनाथ प्रधान	3049
138.	श्री नित्यानंद प्रधान	3058, 3168
139.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	3073, 3117
140.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3076, 3097
141.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3034
142.	श्री एम.के. राघवन	3119
143.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	3023

1	2	3
144.	श्री अब्दुल रहमान	3083, 3169, 3171
145.	श्री प्रेम दास राय	3087
146.	श्री रमाशंकर राजभर	3078, 3175
147.	श्री एम.बी. राजेश	3074, 3086
148.	श्री पूर्णमासी राम	3072, 3141
149.	श्री रामकिशुन	3016, 3209
150.	श्री राजेन्द्रसिंह राणा	3165
151.	श्री निलेश नारायण राणे	2997, 3105
152.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3018, 3063
153.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3106
154.	श्री रामसिंह राठवा	3048, 3080, 3165
155.	डॉ. रत्ना डे	3020, 3212
156.	श्री अशोक कुमार रावत	3014, 3208
157.	श्री अर्जुन राय	3093, 3185
158.	श्री रुद्रमाधव राय	2992, 2993
159.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3030, 3179, 3183, 3216
160.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3032, 3218
161.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3047, 3050
162.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3143
163.	श्री एस. अलागिरी	3118, 3139
164.	श्री एस. सेम्मलई	3055
165.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3011, 3081, 3204
166.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3094, 3100

1	2	3
167.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3035, 3088, 3168, 3220
168.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3175
169.	श्री ए. सम्पत	3074
170.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3062
171.	श्रीमती सुशीला सरोज	3013, 3072, 3158, 3162, 3163
172.	श्री तूफानी सरोज	3097
173.	श्री हमदुल्लाह सईद	3081
174.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3151, 3188
175.	श्री एम.आई. शानवास	3154
176.	श्रीमती जे. शांता	3017, 3187, 3210
177.	श्री शरीफुद्दीन शारिक	3071
178.	श्री जगदीश शर्मा	3161
179.	श्री नीरज शेखर	3053, 3059, 3168, 3169
180.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	3137
181.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3019, 3167, 3211
182.	श्री एंटो एंटोनी	3081
183.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2991, 3171, 3192
184.	डॉ. भोला सिंह	3054, 3084
185.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3045, 3161
186.	श्री गणेश सिंह	3148, 3165
187.	श्री इज्यराज सिंह	3101, 3169, 3186

1	2	3
188.	श्री जगदानंद सिंह	3126
189.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3036, 3164, 3172
190.	श्रीमती मीना सिंह	3119, 3155
191.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3153
192.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3057, 3155
193.	श्री राधा मोहन सिंह	3037, 3171, 3173
194.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3126, 3132
195.	श्री रोकेश सिंह	3168
196.	श्री रतन सिंह	3189
197.	श्री सुशील कुमार सिंह	3087, 3166
198.	श्री यशवीर सिंह	3059, 3168, 3169, 3170
199.	चौधरी लाल सिंह	3109
200.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3122, 3145, 3176
201.	डॉ. संजय सिंह	3139, 3186
202.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2992, 3159, 3207
203.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3052
204.	श्री ई.जी. सुगावनम	3008, 3175, 3201
205.	श्री के. सुगुमार	3168, 3179, 3184
206.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3166
207.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3081, 3094, 3184

1	2	3
208.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2995, 3074, 3191
209.	श्री मानिक टैगोर	3075
210.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3107
211.	श्री अशोक तंवर	3065, 3188, 3219
212.	श्री मनीष तिवारी	3051
213.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3088
214.	डॉ. शशी थरूर	3164
215.	श्री पी.टी. थॉमस	3096, 3156, 3219
216.	श्री मनोहर तिरकी	3001, 3157
217.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3043
218.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3166
219.	श्री जोसेफ टोप्पो	3065
220.	श्री लक्ष्मण टुडु	2998, 3213
221.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3013, 3072, 3158, 3162, 3163
222.	श्री हर्ष वर्धन	3093, 3145
223.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3114, 3189
224.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3108
225.	श्री सज्जन वर्मा	3110
226.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3013, 3072, 3158, 3162, 3163
227.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3117

1	2	3
228.	श्री पी. विश्वनाथन	2999
229.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3072, 3102
230.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	3077, 3126, 3174
231.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3012, 3033, 3213
232.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3072, 3081, 3084, 3175, 3180
233.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3176
234.	श्री ओम प्रकाश यादव	3173
235.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3098

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	264, 265, 268, 275
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	261, 266, 271, 272
संस्कृति	:	279
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	278
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	262, 274
गृह	:	267, 269, 273, 277
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	276, 280
सूचना और प्रसारण	:	270
शहरी विकास	:	
युवा कार्यक्रम और खेल	:	263

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2995, 3001, 3006, 3015, 3017, 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3026, 3027, 3030, 3032, 3034, 3037, 3038, 3043, 3044, 3045, 3052, 3067, 3068, 3072, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3088, 3090, 3094, 3099, 3102, 3106, 3109, 3111, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3135, 3143, 3145, 3148, 3156, 3157, 3158, 3161, 3176, 3178, 3179, 3180, 3186, 3187, 3199, 3202, 3205, 3206, 3207, 3216, 3217
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3010, 3014, 3031, 3048, 3049, 3050, 3058, 3069, 3074, 3082, 3084, 3105, 3121, 3133, 3134, 3139, 3141, 3151, 3160, 3167, 3169, 3171, 3182, 3184, 3185, 3208
संस्कृति	:	2996, 2997, 3012, 3046, 3092, 3097, 3101, 3131, 3144, 3152, 3159, 3188, 3209, 3214, 3215
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	3002, 3065, 3140
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3080, 3128, 3142, 3190
गृह	:	2992, 2993, 3003, 3004, 3011, 3016, 3020, 3024, 3028, 3029, 3039, 3042, 3051, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3064, 3066, 3070, 3071, 3078, 3091, 3096, 3100, 3104, 3112, 3114, 3129, 3132, 3153, 3155, 3162, 3163, 3168, 3170, 3173, 3175, 3177, 3189, 3193, 3194, 3195, 3196, 3201, 3211

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2994, 3061, 3073, 3107, 3130, 3150, 3200, 3212
सूचना और प्रसारण	:	2991, 3005, 3007, 3025, 3040, 3047, 3089, 3093, 3115, 3116, 3127, 3137, 3138, 3154, 3165, 3192, 3198, 3203, 3204, 3210, 3213, 3218, 3219
शहरी विकास	:	2998, 2999, 3013, 3033, 3041, 3060, 3062, 3063, 3076, 3077, 3086, 3095, 3098, 3103, 3113, 3136, 3147, 3166, 3174, 3191, 3197, 3220
युवा कार्यक्रम और खेल	:	3000, 3008, 3009, 3035, 3036, 3075, 3108, 3110, 3120, 3146, 3149, 3164, 3172, 3181, 3183.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/24/15/2012 (एन.)
230

4&D

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।